महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त / Accredited with 'A' Grade by NAAC

हिन्दी पत्रकारिता

एम.ए. हिन्दी पाठ्यक्रम
द्वितीय सेमेस्टर
पंचम पाठ्यचर्या (वैकल्पिक) विकल्प – I
पाठ्यचर्या कोड : MAHD – 11

दूर शिक्षा निदेशालय
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदीविश्वविद्यालय
पोस्ट – हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा – 442001 (महाराष्ट्र)

हिन्दी पत्रकारिता

प्रधान सम्पादक

प्रो॰ गिरीश्वर मिश्र
कुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

सम्पादक

प्रो॰ अरबिन्द कुमार झा
निदेशक, दूरशिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

पुरन्दरदास
अनुसंधान अधिकारी एवं पाठ्यक्रम संयोजक- एम. ए. हिन्दी पाठ्यक्रम
दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

सम्पादक मण्डल

प्रो॰ आनन्द वर्धन शर्मा
प्रतिकुलपति, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

प्रो॰ कृष्ण कुमार सिंह
विभागाध्यक्ष, हिंदी एवं तुलनात्मक साहित्य विभाग एवं अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

प्रो॰ अरुण कुमार त्रिपाठी
प्रोफेसर एडजंक्ट, जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

पुरन्दरदास

प्रकाशक

कुलसचिव, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा, महाराष्ट्र, पिन कोड : 442001

© महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

प्रथम संस्करण : सितंबर 2017

पाठ-रचना

डॉ० उमेश कुमार पाठक
सहायक प्रोफेसर
संचार एवं पत्रकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केंद्र, खान्यारा, धर्मशाला, हि. प्र.

खण्ड – 1 : इकाई – 1, 2 एवं 5
खण्ड – 3 : इकाई – 1
खण्ड – 5 : इकाई – 1 एवं 2

डॉ० अरविंद दास
वरिष्ठ शोधार्थी
इंफोटेंनमेंट टेलीविजन, नयी दिल्ली

खण्ड – 1 : इकाई – 3

डॉ० अमित कुमार विश्वास
सहायक सम्पादक
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

खण्ड – 1 : इकाई – 4
खण्ड – 2 : इकाई – 1, 2 एवं 3

डॉ० अख़्तर आलम
असिस्टेंट प्रोफेसर
जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

खण्ड – 3 : इकाई – 2 एवं 3
खण्ड – 4 : इकाई – 2 एवं 3
खण्ड – 5 : इकाई – 3

श्री संदीप कुमार वर्मा
असिस्टेंट प्रोफेसर
जनसंचार विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

खण्ड – 4 : इकाई – 1 एवं 4

पाठ्यक्रम परिकल्पना, संरचना एवं संयोजन
आवरण, रेखांकन, पेज डिज़ाइनिंग, कम्पोज़िंग ले-आउट एवं प्रूफ़रीडिंग

पुरन्दरदास

कार्यालयीय सहयोग

श्री विनोद रमेशचंद्र वैद्य
सहायक कुलसचिव, दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

पहला प्रूफ़

श्री महेन्द्र प्रसाद
सम्पादकीय सहायक, दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

आवरण पृष्ठ पर संयुत विश्वविद्यालय के वर्धा परिसर स्थित गांधी हिल स्थल का छायाचित्र श्री बी. एस. मिरगे जनसंपर्क अधिकारी एवं श्री राजेश आगरकर प्रकाशन विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा से साभार प्राप्त

http://hindivishwa.org/distance/contentdtl.aspx?category=3&cgid=77&csgid=65

- यह पाठ्यसामग्री दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एम.ए. हिन्दी पाठ्यक्रम में प्रवेशित विद्यार्थियों के अध्ययनार्थ उपलब्ध करायी जाती है।
- इस कृति का कोई भी अंश लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।
- पाठ में विश्लेषित तथ्य एवं अभिव्यक्त विचार पाठ-लेखक के अध्ययन एवं ज्ञान पर आधारित हैं। पाठ्यक्रम संयोजक, सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है।
- इस पुस्तक को यथासम्भव त्रुटिहीन एवं अद्यतन रूप से प्रकाशित करने के सभी प्रयास किये गए हैं तथापि संयोगवश यदि इसमें कोई कमी अथवा त्रुटि रह गई हो तो उससे कारित क्षति अथवा संताप के लिए पाठ-लेखक, पाठ्यक्रम संयोजक, सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का कोई दायित्व नहीं होगा।
- किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र वर्धा, महाराष्ट्र ही होगा।

पाठ्यचर्या विवरण

द्वितीय सेमेस्टर
पंचम पाठ्यचर्या (वैकल्पिक)
विकल्प – I
पाठ्यचर्या कोड : MAHD – 11
पाठ्यचर्या का शीर्षक : हिन्दी पत्रकारिता

क्रेडिट – 04

खण्ड – 1 : हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप और प्रमुख प्रकार
- इकाई – 1 : भारतीय नवजागरण और हिन्दी पत्रकारिता : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
- इकाई – 2 : हिन्दी पत्रकारिता के विविध आयाम : लेखन, साक्षात्कार, रिपोर्टिंग, सम्पादन
- इकाई – 3 : हिन्दी पत्रकारिता की भाषा का क्रमिक विकास
- इकाई – 4 : पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य
- इकाई – 5 : हिन्दी और आंचलिक पत्रकारिता

खण्ड – 2 : हिन्दी पत्रकारिता का उदय और विकास
- इकाई – 1 : उद्‍बोधन काल
- इकाई – 2 : स्वातन्त्र्य संघर्ष काल
- इकाई – 3 : स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता

खण्ड – 3 : हिन्दी पत्रकारिता का विस्तार
- इकाई – 1 : हिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी पत्रकारिता
- इकाई – 2 : गैर-हिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी पत्रकारिता
- इकाई – 3 : वैश्विक परिदृश्य में हिन्दी पत्रकारिता

खण्ड – 4 : जनमाध्यम और हिन्दी पत्रकारिता
- इकाई – 1 : रेडियो और हिन्दी पत्रकारिता
- इकाई – 2 : टेलीविजन और हिन्दी पत्रकारिता
- इकाई – 3 : सिनेमा और हिन्दी पत्रकारिता
- इकाई – 4 : नव-जनमाध्यम और हिन्दी पत्रकारिता (ऑन-लाइन पत्रकारिता, हिन्दी ब्लॉग, हिन्दी ई-पत्र-पत्रिकाएँ, हिन्दी ई-पोर्टल, हिन्दी वेबसाइट्स तथा हिन्दी विकिपीडिया के सन्दर्भ में)

खण्ड – 5 : हिन्दी पत्रकारिता के गौरव और उनका अवदान
- इकाई – 1 : भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, मदनमोहन मालवीय, महावीरप्रसाद द्विवेदी, युगल किशोर सुकुल, बालमुकुन्द गुप्त

इकाई – 2 : बाबूराव विष्णु पराड़कर, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', प्रेमचंद, सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'

इकाई – 3 : माखनलाल चतुर्वेदी, गणेशशंकर 'विद्यार्थी', बनारसीदास चतुर्वेदी, प्रभाष जोशी

सहायक पुस्तकें :

01. उत्तर आधुनिक मीडिया तकनीक, हर्षदेव
02. जनमाध्यम, पीटर गोल्डिंग
03. जनमाध्यम सैद्धान्तिकी, जगदीश्वर चतुर्वेदी, सुधा सिंह
04. नई संचार प्रौद्योगिकी पत्रकारिता, कृष्ण कुमार रत्तू
05. पत्रकारिता के नये आयाम, एस. के. दुबे, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
06. पत्रकारिता के युग निर्माता बालमुकुन्द गुप्त, कृष्णबिहारी मिश्र, प्रभात प्रकाशन, नयी दिल्ली
07. भारतीय स्वतन्त्रता और हिन्दी पत्रकारिता, वंशीधर लाल, बिहार ग्रन्थ कुटीर
08. भारतेन्दुयुगीन हिन्दी पत्रकारिता, वंशीधर लाल
09. मीडिया समग्र खण्ड, जगदीश्वर चतुर्वेदी
10. मीडिया के सामाजिक सरोकार, कालूराम परिहार, अनामिका पब्लिशर्स, नयी दिल्ली
11. रेडियो नाटक, सिद्धनाथ कुमार
12. 'वसुधा' पत्रिका : फ़िल्म विशेषांक
13. विज्ञान पत्रकारिता के मूल सिद्धान्त, शिवगोपाल मिश्र
14. समकालीन हिन्दी पत्रकारिता में हिन्दी उवाच, श्यौराज सिंह बेचैन, अनामिका पब्लिशर्स, नयी दिल्ली
15. साहित्यिक पत्रकारिता, ज्योतिष जोशी, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली
16. सिनेमा और साहित्य, हरीश कुमार, संजय प्रकाशन, दिल्ली
17. सूचना समाज, अर्माण्ड मैलार्ड
18. सोशल मीडिया, योगेश पटेल
19. संयुक्त प्रान्त की हिन्दी पत्रकारिता में भाषा चेतना का विकास, श्रीशचन्द्र जैसवाल, हिन्दी बुक सेंटर, नयी दिल्ली
20. हिन्दी का सम्पूर्ण समाचार-पत्र कैसा हो ?, वेदप्रताप वैदिक, प्रवीण प्रकाशन, दिल्ली
21. हिन्दी पत्रकारिता, कृष्णबिहारी मिश्र, भारतीय ज्ञानपीठ, नयी दिल्ली
22. हिन्दी पत्रकारिता : इतिहास एवं संरचना, रमेश कुमार जैन, आविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर
23. हिन्दी पत्रकारिता उद्भव और विकास, रचना भोला 'यामिनी', प्रकाशक : दिनमान प्रकाशन, दिल्ली
24. हिन्दी पत्रकारिता एवं जनसंचार, ठाकुरदत्त शर्मा 'आलोक', वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली
25. हिन्दी पत्रकारिता और स्वतन्त्रता-संग्राम, भागीरथ सेवा संस्थान, मेरठ

26. हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य, राम अवतार शर्मा, नमन प्रकाशन, दिल्ली
27. हिन्दी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास, रमेश कुमार जैन, हंसा प्रकाशन, जयपुर
28. हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास, जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
29. हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास, मीनाक्षी निशान्त सिंह, ओमेगा प्रकाशन, नयी दिल्ली
30. हिन्दी पत्रकारिता का नया स्वरूप, बच्चन सिंह, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
31. हिन्दी पत्रकारिता का प्रतिनिधि संकलन, सम्पादक : तरुशिखा सुरजन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नयी दिल्ली
32. हिन्दी पत्रकारिता का बृहत् इतिहास, अर्जुन तिवारी, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली
33. हिन्दी पत्रकारिता की शब्द-सम्पदा, सम्पादक : बद्रीनाथ कपूर, आर. रत्नेश, शिवकुमार अवस्थी, प्रभात प्रकाशन, नयी दिल्ली
34. हिन्दी पत्रकारिता के नये प्रतिमान, बच्चन सिंह, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
35. हिन्दी पत्रकारिता : भारतेन्दु-पूर्व से छायावादोत्तरकाल तक, धीरेन्द्रनाथ सिंह, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
36. हिन्दी पत्रकारिता : राष्ट्रीय नवउद्‌बोधन, श्रीपाल शर्मा, राजा पब्लिशिंग हाउस
37. हिन्दी पत्रकारिता : विविध आयाम, सम्पादक : वेदप्रताप वैदिक, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली
38. हिन्दी पत्रकारिता : स्वरूप एवं सन्दर्भ, विनोद गोदरे, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली
39. हिन्दी पत्रकारिता हमारी विरासत, सम्पादक : शम्भुनाथ, रामनिवास द्विवेदी, मृत्युंजय, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली
40. हिन्दी विज्ञान पत्रकारिता, मनोज कुमार पटैरिया
41. McQuail's Mass Communication Theory, Denis McQuail, University of Amsterdam, Sage Publishing
42. The Process and Effects of Mass Communication edited by Wilbur Schramm, University of Illinois Press Urbana 1955

उपयोगी इंटरनेट स्रोत :

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org

❖❖❖

पाठानुक्रमणिका

क्र.सं.	खण्ड	इकाई	पृष्ठ क्रमांक
01.	खण्ड – 1	इकाई – 1	09 – 23
02.	खण्ड – 1	इकाई – 2	24 – 38
03.	खण्ड – 1	इकाई – 3	39 – 59
04.	खण्ड – 1	इकाई – 4	60 – 76
05.	खण्ड – 1	इकाई – 5	77 – 90
06.	खण्ड – 2	इकाई – 1	91 – 109
07.	खण्ड – 2	इकाई – 2	110 – 120
08.	खण्ड – 2	इकाई – 3	121 – 142
09.	खण्ड – 3	इकाई – 1	143 – 156
10.	खण्ड – 3	इकाई – 2	157 – 182
11.	खण्ड – 3	इकाई – 3	183 – 208
12.	खण्ड – 4	इकाई – 1	209 – 223
13.	खण्ड – 4	इकाई – 2	224 – 249
14.	खण्ड – 4	इकाई – 3	250 – 275
15.	खण्ड – 4	इकाई – 4	276 – 288
16.	खण्ड – 5	इकाई – 1	289 – 304
17.	खण्ड – 5	इकाई – 2	305 – 320
18.	खण्ड – 5	इकाई – 3	321 – 342

खण्ड – 1 : हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप और प्रमुख प्रकार

इकाई – 1 : भारतीय नवजागरण और हिन्दी पत्रकारिता : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

इकाई की रूपरेखा

1.1.0. उद्देश्य कथन
1.1.1. प्रस्तावना
1.1.2. भारतीय नवजागरण
1.1.2.1. अवधारणा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
1.1.2.2. नवजागरण की चेतना
1.1.2.2.1. अस्मिता-बोध
1.1.2.2.2. राष्ट्रीय चेतना
1.1.2.2.3. प्राचीन संस्कृति के गौरव की पुनर्स्थापना
1.1.2.3. समाज-सुधार और नवजागरण
1.1.2.4. आदर्श एवं मूल्यों की स्थापना
1.1.3. हिन्दी पत्रकारिता की पुनरुत्थानवादी चेतना और भारतीय नवजागरण
1.1.3.1. भारतेन्दुयुगीन हिन्दी पत्रकारिता और नवजागरण
1.1.3.2. द्विवेदीयुगीन हिन्दी पत्रकारिता और नवजागरण
1.1.3.3. हिन्दी पत्रकारिता की सम्प्रेषणीयता और नवजागरण
1.1.4. पाठ-सार
1.1.5. शब्दावली
1.1.6. बोध प्रश्न
1.1.7. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

1.1.0. उद्देश्य कथन

प्रस्तुत इकाई मुख्यतः भारतीय नवजागरण और हिन्दी पत्रकारिता के विविध आयामों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण कर विषय वस्तु की सहजता एवं उपादेयता को समग्रता में समेटने का प्रयास है। वस्तुतः भारतीय नवजागरण की प्रवृत्ति विद्रोह, आक्रोश और आलोचना के माध्यमों को स्वीकार करती हुई स्वस्थ सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों की नियामिका है। देश और समाज में व्याप्त असन्तोष, चाहे वह देश, जाति, धर्म किसी भी रूप में क्यों न हो; अन्ततः पत्रकारिता ही उसका सही विश्लेषण कर प्रतिबिम्बित करती है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप –

i. भारतीय नवजागरण की अवधारणा व पृष्ठभूमि को जान सकेंगे।
ii. नवजागरण की चेतना के सन्दर्भ को लेकर अस्मिता-बोध, राष्ट्रीय चेतना तथा प्राचीन संस्कृति के गौरव की पुनर्स्थापना को समझ सकेंगे।

iii. नवजागरण और समाज-सुधार की प्रक्रिया से अवगत हो सकेंगे।

iv. आदर्श एवं मूल्यों की स्थापना के निहितार्थ भारतीय नवजागरण का मूल्यांकन कर सकेंगे।

v. भारतेन्दु और द्विवेदीयुगीन प्रवृत्तियों के सन्दर्भ में हिन्दी पत्रकारिता की पुनरुत्थानवादी चेतना और भारतीय नवजागरण की परस्परता के विभिन्न पहलुओं की विवेचना कर सकेंगे।

1.1.1. प्रस्तावना

'नवजागरण' शब्द एक सापेक्ष अर्थ व्यक्त करता है। प्राचीन जीवन मूल्यों की सापेक्षता में वर्तमान नवीन मूल्य निश्चय ही नवजागरण की निष्पत्ति हैं। हालाँकि वर्तमान मूल्यों को हमारी भावी पीढ़ी कालान्तर में अलग-अलग ढंग से न केवल व्याख्या करेगी अपितु मूल्यांकन का आधार भी काल सापेक्ष होगा। वस्तुतः नवजागरण की सही व्याख्या अतीत की सापेक्षता में ही की जा सकती है। अतीत से नितान्त निरपेक्ष होकर 'नवजागरण' की विवेचना सम्भव नहीं है। इस प्रकार नवजागरण का सन्दर्भ एवं मूल्य दोनों ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह जुड़े हुए हैं। पुरातन मूल्य, परम्पराएँ और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का मानसिक प्रत्यक्षीकरण करके ही हम नवजागरण की अवधारणा से परिचित हो सकेंगे। प्रसिद्ध समीक्षक डॉ० हेमचन्द्र जोशी के अनुसार नवजागरण का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है और यह दृष्टि ही सुविचारित आधुनिक दृष्टिकोण है तथा मानव कल्याण के निमित्त किसी-न-किसी रूप में अवश्य जुड़ी होती है।

अस्तु, भारतीय नवजागरण के आलोक में जब देश, समाज एक ओर अपनी ही जड़ता व समाज विरोधी परम्पराओं से लड़ने के लिए तैयार हो रहा हो और दूसरी ओर साम्राज्यवादी, आक्रमणकारी शक्तियों से लोहा लेने को तैयार होना चाहता हो तो तत्कालीन भारतीय पत्रकारिता, विशेषकर हिन्दी पत्रकारिता को भी गहरे आत्मसंघर्ष व अन्तर्विरोधों का सामना न करना पड़े, यह असम्भव था।

हिन्दी पत्रकारिता की संवेदना एवं विकास-प्रक्रिया में तत्युगीन अन्तर्विरोधों व आत्मसंघर्षों को यदि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखकर न देखा जाय तो सही निष्कर्ष तक नहीं पहुँचा जा सकता है। यथार्थ की बदलती हुई परिस्थितियों में विषय, कहने का ढंग और सम्प्रेषण की भाषा, इन तीनों में नये रूप और नये विषय की तलाश भारतीय नवजागरण काल में हिन्दी पत्रकारिता की एक मुख्य विशेषता रही है। साथ ही भारतीय नवजागरण को अपनी अन्तर्वस्तु बनाकर हिन्दी पत्रकारिता ने देश की जनता के साथ साहित्य, कला व संस्कृति के साथ त्रिकोणीय सम्बन्ध स्थापित किया। इस प्रकार नवजागरण के परिवेश में नयी परिस्थितियाँ, नयी चुनौतियाँ हिन्दी पत्रकारिता का मूल विषय बनकर उपस्थित हुईं। वैसे तो हिन्दी पत्रकारिता का आरम्भ हिन्दी प्रदेश से बाहर बंगाल के कलकत्ता महानगर में हुआ। जिस नवीन सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना से पूर्ण आधुनिक हिन्दी पत्रकारिता को चेतना मिली है, उसका उदय सर्वप्रथम बंगाल में ही हुआ था। फलतः उन्नीसवीं सदी के अन्त तक हिन्दी पत्रकारिता का केन्द्र कलकत्ता ही रहा। वस्तुतः भारतेन्दु के पूर्व हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का प्रथम उत्थान काल पूरा हो चुका था। निस्सन्देह, इस काल में हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य जनता में जागरण और सुधार की भावना उत्पन्न करना था।

1.1.2. भारतीय नवजागरण

आधुनिक भारतीय इतिहास के नवजागरण की अनेक व्याख्याएँ हैं । सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग आधुनिक भारत में होने वाले व्यापक परिवर्तनों के सम्बन्ध में किया गया। उन्नीसवीं शताब्दी में होने वाले व्यापक परिवर्तनों को नवजागरण कहा गया लेकिन नवजागरण की एक पुनरुत्थानवादी दृष्टि भी है और मान्यता भी। इस दृष्टि के अनुसार पुनरुत्थान का आशय है उस वस्तु का जन्म जो कभी निर्दोष एवं सम्पूर्ण रूप में मौजूद थी, उपस्थित थी । अतीत की एक ऐसी परिभाषा, एक ऐसी व्याख्या जिसमें सभ्यता निर्दोष, परिपूर्ण थी, उसे 'पुनरुत्थान' की संज्ञा दी गई। उदाहरण के तौर पर हम यदि नवजागरण के वैश्विक सन्दर्भ को लेते हैं तो यह सहज ही परिलक्षित होता है कि इटली में रिनेसां (नवजागरण) के दौरान रोम सभ्यता की मानकता को समय के साथ जोड़कर देखा गया । नवजागरण का सारतत्त्व है नया आलोक, विश्व की ओर बढ़ने की क्रान्तिकारी चेतना, जड़ विचारों व जीवन पद्धतियों से मुक्ति ।

समय एवं परिवेश की अखण्डता और समग्रता का बोध ही किसी भी सघन एवं सार्थक रचना की बुनियादी पहचान है इसलिए हिन्दी पत्रकारिता की रचनात्मकता व अन्तर्वस्तु में पुनर्जागरण की मीमांसा करते हुए भारतीय नवजागरण की मूल अवधारणा एवं ऐतिहासिक्र पृष्ठभूमि का समग्र एवं समेकित विश्लेषण अपेक्षित हो जाता है क्योंकि भारतीय नवजागरण के सम्बन्ध में ऐसा समझा जाता है कि उसकी उपादेयता जीवन के बाहरी धरातल और व्यवस्था के अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों से संलग्न हुआ है, जुड़ा हुआ है । यही कारण है कि भारतीय नवजागरण की प्रकृति घटनात्मक और संघर्षधर्मी है जहाँ लोकजीवन, रीति-रिवाज, संस्कृति व परम्पराओं के विविध स्वरूपों को सहजता से देखा जा सकता है।

1.1.2.1. अवधारणा एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारतीय नवजागरण के निहितार्थ आधुनिक युग की मूल संवेदना के रूप में स्वतन्त्रता-प्राप्ति की अभिलाषा को रखा जा सकता है। राष्ट्रीयता एवं स्वाभिमान की भावनाएँ जो इस काल में विकसित हुईं, इसी का परिणाम मानी जा सकती हैं। एक ओर जहाँ हम रूढ़ियों एवं परम्पराओं से मुक्ति हेतु छटपटाने लगे तो दूसरी ओर अपनी परम्परा से श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को लेकर नवीन विचारों को आत्मसात् करते हुए आगे बढ़े और यही नवजागरण का स्वर हमें तत्युगीन हिन्दी पत्रकारिता के केन्द्र में भी दिखाई देता है । इस प्रकार अवधारणात्मक सन्दर्भ में भारतीय नवजागरण का प्रतिपाद्य बहुआयामी है जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं में स्पष्ट किया जा सकता है –

i. नवजागरण का सन्दर्भ मूलतः सामान्य जनजीवन से जुड़ा है । वह एक ऐसी शक्ति है जो सामाजिक विकृतियों को दूर करके आमजन में मंगलकारी सुधारों और निर्माणकारी तत्त्वों एवं मूल्यों की प्रतिष्ठा करती है।

ii. नवजागरण वर्तमान के सापेक्ष अतीत का पुनर्मूल्यांकन है। यह महज धार्मिक व सामाजिक आन्दोलन नहीं है अपितु उस गहरे सांस्कृतिक जागरण की सशक्त अभिव्यक्ति है जो गहरे मानवीय सरोकार से उपजी है।

iii. लोककल्याण की भावना से अभिप्रेरित भारतीय नवजागरण में जहाँ एक ओर सामन्तवादी विरोधी चेतना मौजूद है वहीं दूसरी ओर जाति, सम्प्रदाय और क्षेत्र विशेष की सीमाओं को अतिक्रमित करता हुआ सामान्य जन मानस में अपनी पहचान के निमित्त सामाजिक-सांस्कृतिक संवाद की सार्थक प्रस्तुति है।

iv. नवजागरण की परम्परा में पूरा का पूरा संवादज्ञान के आलोक और अज्ञान के विरुद्ध प्रतीत होता होता है।

v. सत् और चित् के शाश्वत गुणों से संचालित मानवता में आनन्द उपलब्ध कराने की जो चिरन्तन स्वर भारतीय नवजागरण में ध्वनित हुई है उसके मूल में गौरवमयी भारतीय दर्शन का सारतत्त्व सम्पूर्णता में समाहित है।

vi. राजनैतिक दृष्टि से पराधीनता के परिणामस्वरूप भारत की तत्कालीन परिस्थितियाँ अन्य देशों से भिन्न थी, इसलिए भारतीय नवजागरण का स्वरूप भी अन्य देशों से भिन्न रहा है। उदाहरण के तौर पर भारतेन्दुयुगीन भारत में हम नवजागरण की विशेषता के रूप में दो परस्पर विरोधी मूल्य के रूप में राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का सह अस्तित्व पाते हैं।

ऐतिहासिक सन्दर्भ में हिन्दी क्षेत्र में नवजागरण का आगमन दो चरणों में होता है – पहले हिन्दू नवजागरण का आगमन होता है जिसका केन्द्र बनारस बना और लगभग एक पीढ़ी के बाद मुस्लिम नवजागरण का आगमन होता है जिसका केन्द्र अलीगढ़ बना। स्पष्ट है कि हिन्दी क्षेत्र में नवजागरण का आरम्भ साम्प्रदायिक पृष्ठभूमि में होता है लेकिन हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता में जिस नवजागरण को अभिव्यक्ति मिली, उसमें हिन्दुओं या मुसलमानों के प्रति पूर्वाग्रह नहीं मिलता और भारतीय नवजागरण की इसी समेकित परम्परा में भारतीय प्रबोधनकालीन चिन्तन का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। संक्षेप में भारतीय नवजागरण अपनी पूरी प्रक्रिया में सम्पूर्ण मानव को धुरी बनाकर अपने समस्त विचार व्यक्त किये हैं। यहाँ मानव मूल्यों की विवेचना शाश्वत जीवन के सन्दर्भों में हुई है तथा मानवीय संस्कृति की सार्थकता जीवन की विराट् भूमि पर सामाजिक-सांस्कृतिक गौरव की प्रतिष्ठा करने में निहित है। इस आलोक में जीवन के सौन्दर्य और गौरव का आभास मानव की उदारता, सहृदयता, संवेदनशीलता, सेवा परायणता आदि जैसे उदात्त भावनाओं में मिलता है। यही वजह है कि भारतीय नवजागरण में मानवीय कल्याण एवं संस्कृति किसी विज्ञापन और प्रचार का सूत्र नहीं है। वह मनसा, वाचा, कर्मणा आराधनीय है। प्रत्येक काल के उदय में तत्कालीन राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का योगदान रहता है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम 1857 के कई मायने हैं। भले ही प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम को अंग्रेजों ने विद्रोह कहकर कुचल दिया किन्तु इससे देश में एक नयी चेतना का जागरण अवश्य हुआ इसलिए भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन, सामाजिक आन्दोलन, धार्मिक आन्दोलन व भारतीय जनता द्वारा किये गये विविध संघर्षों के आलोक में ही भारतीय नवजागरण की प्रवृत्तियों को देखा-परखा जाना चाहिए।

भारतीय नवजागरण के अनुक्रम में तत्युगीन सामाजिक क्षेत्र में भी अनेक आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ। ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, थियोसिफ़िकल सोसायटी, प्रार्थनासमाज ने जहाँ परम्परागत भारतीय समाज में नयी सामाजिक चेतना का विकास किया तथा परम्परागत जड़ताओं, परम्पराओं एवं अन्धविश्वासों से मुक्ति पाने में योगदान किया, वहीं दूसरी ओर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, महर्षि अरविन्द के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों ने भी जन-जागरण का काम किया। यही नहीं, अपितु आधुनिककाल में विविध आन्दोलनों के माध्यम से हुए सामाजिक सुधारों, यथा – विधवा विवाह, सतीप्रथा पर रोक, बालविवाह पर रोक, अछूतोद्धार एवं जातिप्रथा में शिथिलता ने भी भारतीय समाज को कई रूपों में प्रभावित किया।

आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के प्रचार-प्रसार ने भारतीय नवजागरण को बहुत हद तक प्रभावित किया है। पुस्तकों का प्रचार-प्रसार होने तथा समाचार पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से लोगों को विचार सम्प्रेषण का अवसर मिला तथा राष्ट्र की बौद्धिक चेतना का विकास हुआ। साथ-ही-साथ आधुनिककाल में विकसित 'मानवतावाद', समता, स्वतन्त्रता आदि का सिद्धान्त सामाजिक न्यास के आधार पर उचित माना गया। रोमांटिसिज़्म एवं कम्युनिज़्म जैसे आन्दोलनों से भी भारतीय नवजागरण को बल मिला, इसमें कोई विवाद नहीं है। ईसाई मिशनरियों ने भी विशेषकर 'नारी शिक्षा' के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किये।

1.1.2.2. नवजागरण की चेतना

आधुनिककाल में राष्ट्रीय जागरण, नयी सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना का भारतीय सन्दर्भ लोकोन्मुखी है। नवजागरण की चेतना ने हमारी मानसिकता को परिवर्तित करके हमारे अवबोधन और संवेदना को यथार्थपरक बनाया। विवेचनात्मक सन्दर्भ में नवजागरण का प्रथम चरण भारतेन्दुयुगीन हिन्दी को माना जाता है। इस काल के नवजागरण को डॉ॰ रामविलास शर्मा ने भक्तिकालीन लोक जागरण का ही विस्तार माना है जिसमें सामन्तविरोधी चेतना के साथ-साथ साम्राज्यवाद विरोधी चेतना का भी समावेश हो गया। वैसे भारतीय नवजागरण की परम्परा तो देशी है लेकिन इस पर यूरोपीय नवजागरण का प्रभाव भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय नवजागरण यूरोपीय नवजागरण की बौद्धिकता को एक मूल्य के रूप में अपनाते हुए उसे भावुकता के साथ संतुलित किया है। इस मायने में वह अपनी मौलिकता को बनाए रखते हुए अपेक्षाकृत मानवगामी है। सारतः भारतीय नवजागरण की तीन चिन्ताएँ हैं – अस्मिता-बोध, जातीय श्रेष्ठता की चिन्ता और प्राचीन संस्कृति के गौरव की पुनर्स्थापना।

1.1.2.2.1. अस्मिता-बोध

अस्मिता-बोध का प्रश्न भारतीयता से जुड़ा है। इस आलोक में भारतेन्दु की टिप्पणी स्मरणीय है – 'स्वमत्व, निज भारत गहै।' यही वजह है कि 19 वीं शती से 20 वीं शती तक स्वत्व की चिन्ता नवजागरण की केन्द्रीय चेतना है। इस आलोक में भारतीयता क्या है? राष्ट्रीयता क्या है? इन प्रश्नों के गहरे निहितार्थ हैं। वस्तुतः ये प्रश्न हमें अन्य प्रश्नों जैसे कि 'भारतीय होना क्या है', की ओर स्वतः ले जाते हैं इसलिए अस्मिता और

भारतीयता का प्रश्न एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रश्न है। नवजागरण में भारतीयता व राष्ट्रीयता की खोज प्रक्रिया में यह समझने की कोशिश की गई है कि हमारी भारतीयता की सबसे बड़ी चुनौती क्या हैं, हमारी अस्मिता का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कहना गलत न होगा कि यहाँ वास्तविक शत्रु आर्थिक राजनैतिक उपनिवेशवाद है और सांस्कृतिक पराधीनता इस उपनिवेशवाद का परिणाम है इसलिए भारतीय नवजागरण की चेतना में आर्थिक और राजनैतिक सन्दर्भों की तुलना में सांस्कृतिक प्रश्न और अस्मिता पर बल देखने को मिलता है।

भारतीय नवजागरण वस्तुतः उपनिवेशवाद के साथ-साथ सांस्कृतिक मुठभेड़ की चेतना भी है। किसी जीवन्त प्रेरणास्पद आत्मबिम्ब के बिना यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। उपनिवेशवाद के खिलाफ एक निहत्था राष्ट्र ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ भावनात्मक सांस्कृतिक बोध से ही लड़ सकता था। निस्सन्देह इसके लिए नवजागरण ने भारतीय इतिहास की महानता और गौरव गान के रूप में एक आत्मबिम्ब का निर्माण किया। हमारा देश मनीषियों, ज्ञानियों का देश है। हमारी सभ्यता व संस्कृति काफी उन्नत है। वस्तुतः पूरा का पूरा ब्रिटिश साम्राज्य से संघर्ष करने के लिए उन्नीसवीं शताब्दी में नवजागरण एक प्रभावशाली हथियार के रूप में प्रयुक्त हुआ।

हमारी महान् संस्कृति के स्रोत क्या हैं तथा हम अपनी गौरवमयी संस्कृति से कैसे जुड़ सकते हैं? आज हम अपनी पहचान को कैसे व्यापक और विशद् बना सकते हैं ?; ये तमाम प्रश्न एकाएक समूचे देश में कौंधा था जिसकी अभिव्यक्ति दक्षिण भारत में सुब्रह्मण्यम् स्वामी, उत्तर भारत में मैथिलीशरण गुप्त तथा बंगाल में बंकिमचन्द्र चटर्जी की रचनाओं में होने लगी और इसमें सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इन तीनों ने अस्मिता की कल्पना 'माँ' के रूप में की। तत्युगीन हिन्दी पत्रकारिता में 19 वीं सदी के मध्य से विकसित होने वाली और 20 वीं सदी के पूर्वार्द्ध में विकसित हुई भारतीय नवजागरण की चेतना सहज ही प्रतिबिम्बित है इसलिए अस्मिता-बोध के निहितार्थ उस समय की पत्रकारिता में निहित विचार एवं उसकी सीमाएँ नवजागरण का ही ऐतिहासिक प्रतिबिम्ब है जिसका अनुभव एक पराधीन देश ने किया था।

1.1.2.2.2. राष्ट्रीय चेतना

राष्ट्रीय चेतना को विचारकों ने यत्नज माना है। कहने का अभिप्राय यह है कि देश की पराधीनता अपने-आप में एक असहज स्थिति है। ऐसे में राष्ट्रीयता की भावना रोज जन्म लेती है। भारतीय नवजागरण की राष्ट्रीयता पर विचार करते हुए जो समकालीन राजनैतिक परिदृश्य हैं, उस पर विचार करना अपेक्षित हो जाता है। वस्तुतः भारतीय नवजागरण की राष्ट्रीयता पर विचार मुख्यतः तत्युगीन भारतीय राजनैतिक परिदृश्य पर आधारित है। ध्यातव्य है कि हमारा आज का समय भयानक राष्ट्रीय व्यथा का दौर है। राष्ट्रीय एकता के समक्ष अभूतपूर्व अनपेक्षित दरारों की चुनौतियाँ हैं। बाहरी सम्पन्नता एवं भौतिक सम्पन्नता के बीच असमानता विकराल रूप से बढ़ी है। आज हमारा देश केवल राजनैतिक, आर्थिक संकट से ही नहीं अपितु राष्ट्रीय नवजागरण की व्यथापूर्ण स्थिति से भी गुजर रहा है।

भारतीय नवजागरण में राष्ट्रीयता का आधार सांस्कृतिक आत्मबोध है। हालाँकि एक महत्त्वपूर्ण व प्रभावी चिन्तन से आलोकित राष्ट्रीय चेतना में 'हिन्दू संस्कृति' की जड़ें 19 वीं सदी के नवजागरण में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं जहाँ राष्ट्रीय चेतना की मूल संवेदना धर्मपरक संवेदना से संलग्न है। वैसे भी एक औपनिवेशिक समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक नवजागरण के आधारभूत आत्मबोध का आधार धर्म ही बनता है। स्वभावतः भारतीय नवजागरण के दौरान भी सांस्कृतिक-सामाजिक आत्मबोधन की प्रक्रिया में 'हिन्दू' भारतीय का समानार्थीकरण घटित हुआ। ऐसे में हिन्दुत्व एवं राष्ट्रीयता की परस्परता ऐतिहासिक प्रक्रिया एवं विकास का परिणाम है। उदाहरण के लिए मैथिलीशरण गुप्त की राष्ट्रीयता का आधार 'हिन्दू जीवन-दर्शन' है। वे 'हिन्दू' का प्रयोग केवल धार्मिक सन्दर्भ में ही नहीं करते अपितु सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक सन्दर्भ में भी 'हिन्दू' को राष्ट्रीय चेतना के मूल आधार के रूप में प्रस्तुत करते हैं इसलिए भारतीय नवजागरण में राष्ट्रीयता की इस प्रवृत्ति को भारतेन्दु के समय से ही 'हिन्दू' को भारतीय का पर्याय मान लिया गया।

1.1.2.2.3. प्राचीन संस्कृति के गौरव की पुनर्स्थापना

अतीत की गौरवमयी चेतना की स्थापना भारतीय नवजागरण का मुख्य पक्ष था। वस्तुतः संस्कृति की पुनर्स्थापना की प्रवृत्ति मूलतः इतिहास विरोधी है। कुछ इतिहासकारों ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि साम्प्रदायिक भारत की जड़ें भारतीय नवजागरण में विद्यमान हैं तथा सामाजिक जड़ता और धार्मिक अस्मिता की जड़ें नवजागरण के भीतर ही विद्यमान हैं। हालाँकि आलोचना का यह आधार एकांगी प्रतीत होता है। जैसा कि नवजागरण के दौरान सांस्कृतिक श्रेष्ठता का बोध एक ऐतिहासिक दबाव का नतीजा माना जाता है तथा उसकी संपुष्टि पौराणिक एवं मिथकीय आधार पर की गई और फिर उसे इतिहास की भाषा और मुहावरे में गढ़ने की कोशिश की गई।

भारतीय नवजागरण के आलोक में सांस्कृतिक एवं जातीय श्रेष्ठता पुनर्स्थापित करने का एक सामाजिक मनोआधार भी है। इस परिप्रेक्ष्य में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही कहा है कि एक पुरानी जाति जिसका वर्तमान जर्जर है, विसंगतियों से भरा हुआ है जो अपने वर्तमान को लेकर भविष्य हीनता एवं अर्थहीनता का शिकार है, वह जाति इतिहास में एक सांस्कृतिक लड़ाई लड़ने के लिए जातीय एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता के मिथकीय विश्वासों पर निर्भर रहने के लिए बाध्य है। इस प्रकार भारतीय नवजागरण एवं विकास-प्रक्रिया में जातीय एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता की संकल्पना पूरी तरह से तर्कसंगत है तथा तत्युगीन हिन्दी पत्रकारिता में भी यह प्रवृत्ति सहज एवं स्वाभाविक है। उदाहरण के तौर पर भारतेन्दुयुगीन हिन्दी पत्रकारिता में जहाँ एक ओर जातीय एवं सांस्कृतिक गौरव का उल्लेख प्रायः मिलता है, वहीं दूसरी ओर यूरोपीय उपलब्धियों तथा वैचारिक सम्पन्नता के प्रति सहज लगाव भी दिखता है।

हालाँकि मैथिलीशरण गुप्त भारतीय नवजागरण के निहितार्थ सांस्कृतिक चेतना के मूल सूत्र आर्यसमाजी ढाँचे में खोजते हैं। उल्लेखनीय है कि आर्यसमाज ने वैदिक संस्कृति को सभ्यता की शिखर संस्कृति माना है। इसलिए आर्यसमाज भारतीय नवजागरण के आलोक में उग्र समाज-सुधार का आन्दोलन प्रतीत होता है जिसमें

निहित सांस्कृतिक बोध गैर आलोचनात्मक था । साथ-ही-साथ नैतिकता, मर्यादा, संस्कृति, समाज-सुधार और मानवता से अभिप्रेरित भारतीय नवजागरण की यह अनुगूँज वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति, तुलसीदास, राजा राममोहन राय, दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द आदि से लेकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में सर्वत्र सुनाई देती है।

1.1.2.3. समाज-सुधार और नवजागरण

मध्यकालीन भारतीय समाज की रूढ़िवादिता, संकीर्णता, अन्धविश्वासी चेतना को आधुनिक ज्ञान-विज्ञान एवं तर्क के सहारे उद्वेलित कर जगाने का महती दायित्व बंगाल में राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, केशवचन्द्र सेन, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द आदि जैसे समाज-सुधारकों पर था । ध्यातव्य है कि बंगाल में राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों की बदौलत ब्रह्मसमाज की स्थापना सन् 1828 ई. में हो चुकी थी । वहाँ बालविवाह पर रोक, विधवा विवाह की अनुमति, नारी शिक्षा, अन्धविश्वासों का निषेध आदि जैसे सामाजिक चेतना की गूँज सुनाई देने लगी। सामाजिक भारतीय नवजागरण की यह शुरुआत कालान्तर में अखिल भारतीय स्वरूप को धारण कर क्रमशः पूरे देश में फैल गई।

उल्लेखनीय है कि धार्मिक अन्धविश्वास, सामाजिक रूढ़िवादिता, छूआछूत, बाह्य आडम्बरों में जकड़ा तत्युगीन समाज का अधिकांश भाग शिक्षा से पूरी तरह वंचित था । भारतीय नवजागरण में शिक्षा का सन्दर्भ बहुआयामी होकर समाजोन्मुखी है क्योंकि जब तक अज्ञान का मूलोच्छेदन नहीं होगा तब तक व्यक्ति एवं समाज की पहचान सम्भव नहीं है इसलिए शिक्षा ही हमारे सामाजिक व्यवस्था को लोककल्याण के निमित्त नयी मंजिलों की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करेगा । शिक्षा के द्वारा ही लोगों में चेतना का विकास होगा, अनेक तरह का विमर्श होगा, ज्ञान एवं विज्ञान विकसित होगा, राष्ट्रभाषा की अवधारणा पनपेगी और इस तरह से हम शिक्षा के माध्यम से नये देश और समाज का निर्माण कर पाएँगे और अन्ततः भारतीय नवजागरण के सामाजिक सन्दर्भ में शिक्षा का यही भाव केन्द्रीभूत हुआ।

वस्तुतः भारतीय नवजागरण की सामाजिक चेतना में भारतीय समाज के प्रति एक गहरी चिन्ता और पीड़ा का भाव स्पष्ट परिलक्षित होता है । कहना गलत न होगा कि नवजागरण में तत्युगीन भारतीय समाज की विषमताओं के प्रति पीड़ा का भाव तथा उन्हें दूर करने का दृढ़ संकल्प नहीं होता तो सम्भवतः नवजागरण का पूरा का पूरा अखिल भारतीय स्वरूप केवल सिद्धान्तों एवं महत्त्व कक्षाओं तक सिमट गया होता।

1.1.2.4. आदर्श एवं मूल्यों की स्थापना

आदर्श एवं मूल्यों में गिरावट किसी भी समाज के लिए विध्वंसकारी होता है। तत्युगीन भारतीय समाज न केवल जटिल विषमताओं से भरा हुआ था अपितु धर्म, दर्शन, संस्कृति आदि लगभग सभी क्षेत्रों में भयंकर टकराव की स्थिति थी । ऐसे विषम वातावरण में एक ऐसे मानवीय प्रयास की आवश्यकता थी जो समन्वय के माध्यम से लोकमंगल एवं सामाजिक समरसता का विधान कर सके और वास्तव में विरोध दूर करके पारस्परिक भेदभाव को

मिटाकर सभी क्षेत्रों में समरसता उत्पन्न करना ही भारतीय नवजागरण है। स्मरणीय है कि नवजागरण की तमाम चिन्ताएँ कहीं-न-कहीं हमारी सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक व सांस्कृतिक विषमताओं को दूर करते हुए आदर्श एवं मूल्यों की स्थापना को लेकर है। इस तरह भारतीय नवजागरण में मनुष्य व समाज ही सारे आदर्शों एवं मूल्यों का स्रोत हैं, उपादान हैं और वह स्वयं ही उनके विघटन का भी कारण है।

यद्यपि, सहस्राब्दों में निर्मित और विकसित भारतीय संस्कृति व सभ्यता के आलोक में व्यक्ति और समाज के बीच संक्रमणता और मूल्यहीनता की स्थिति अनेक बार आई हैं, तथापि भारतीय नवजागरण का प्रतिपाद्य अपनी प्रकृति में आदर्श व मूल्यों से अभिप्रेरित भारतीयता एवं उसकी समेकित सांस्कृतिक परम्पराओं का प्रतीक माना जा सकता है। इस आलोक में समय-समय पर भारतीय संस्कृति और अस्मिता को लेकर विद्वानों के बीच की बहस का भी नवजागरण में पर्याप्त परिचय मिलता है।

1.1.3. हिन्दी पत्रकारिता की पुनरुत्थानवादी चेतना और भारतीय नवजागरण

अट्ठारहवीं-उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय समाज की दशा बेहद शोचनीय थी। समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ विद्यमान थीं। उदाहरण के लिए अतीत में 'जौहर' की प्रथा चाहे जितनी प्रशंसनीय व सम्मानीय रही हो, आगे चलकर 'सतीप्रथा' एक सामाजिक कुरीति में तब्दील हो गई जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी स्त्री को पति के शव के साथ जलने के लिए विवश किया जाने लगा। विधवा विवाह की मनाही, बालविवाह, बहु विवाह, अस्पृश्यता, जातिप्रथा, लैंगिक असमानताएँ आदि से सम्बन्धित अनेक कुप्रथाएँ भारतीय समाज को कलुषित कर रही थीं जो प्रकारान्तर से भारतीय समाज की जड़ों को खोखला कर रहीं थीं। अस्तु, सामाजिक उन्नयन के लिए इनका निराकरण आवश्यक ही नहीं अनिवार्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धार्मिक-सामाजिक सुधार आन्दोलन के प्रणेताओं ने पत्रकारिता का उपयोग किया। उदाहरण के तौर पर राजा राममोहन राय ने सतीप्रथा के उन्मूलन के लिए 'संवाद कौमुदी', 'मीरात-उल-अख़बार', 'बंगदूत' आदि पत्रों को माध्यम बनाया। राजा राममोहन राय का अनुसरण कर केशवचन्द्र सेन, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महादेव गोविन्द रानाडे, ईश्वरचन्द्र गुप्त, बाल शास्त्री जाम्भेलकर जैसे अन्य समाज-सुधारकों ने भी पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों के निराकरण के असरकारी उपायों पर निरन्तर संवाद और विमर्श का मार्ग प्रशस्त किया। इस आलोक में हिन्दी पत्रकारिता की पुनरुत्थानवादी चेतना और भारतीय नवजागरण की परस्परता का समग्र विवेचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हिन्दी पत्रकारिता अपनी मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण ही संकीर्ण मनोवृत्ति एवं व्यवसाय से परे हटकर मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारतीय नवजागरण का सूत्रधार बनी।

1.1.3.1. भारतेन्दु युगीन हिन्दी पत्रकारिता और नवजागरण

आधुनिककाल का प्रथम चरण भारतेन्दु युग अथवा पुनर्जागरणकाल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भारतेन्दु के रचनाकाल को ध्यान में रखकर इस काल की समयावधि संवत् 1925 वि. से 1950

वि. तक स्वीकार किया है। हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में भारतेन्दु युग 'कवि वचनसुधा' के प्रकाशन काल (1867 ई.) से लेकर 'सरस्वती' पत्रिका के प्रकाशन काल (1900 ई.) तक माना जा सकता है।

'कवि वचनसुधा' के प्रकाशन से पूर्व यानी 1867 ई. के आस पास, विदेशी शिक्षा के कारण भारतीय परिवेश में परम्परावादी विचारधाराओं का लोप हो रहा था। अतः अनेक समाज-सुधारकों ने अपनी सृजानात्मक संस्थाएँ कायम करते हुए हिन्दी पत्रकारिता को एक नयी दिशा प्रदान की। कहना गलत न होगा कि भारतेन्दु युग के आते-आते देश में नवीन राजनैतिक, सामाजिक चेतना का उदय होना प्रारम्भ हो गया था। हिन्दी पत्रकारिता का यह युग हिन्दी गद्य निर्माण का युग माना जाता है। इस युग की पत्र-पत्रिकाओं में राजनीति, साहित्य, प्रहसन, व्यंग्य तथा ललित निबन्धों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक रहती थी और इनका एकमात्र उद्देश्य सामाजिक कलुष प्रक्षालन एवं जातीय उन्नयन था चूँकि, इस काल का नेतृत्व स्वयं भारतेन्दु कर रहे थे इसलिए उन्होंने निर्भीक् पत्रकारिता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता का संचार कर रहे थे। यही कारण है कि भारतेन्दुयुगीन हिन्दी पत्रकारिता में भारतीय नवजागरण के निहितार्थ सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि सभी क्षेत्रों में नवीनता, व्यापकता एवं सक्रियता दिखाई दे रही थी। साथ ही पराधीनता के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना का उदय इसी काल में हुआ।

भारतेन्दुयुगीन हिन्दी पत्रकारिता में पत्रकारीय दायित्वों का निर्वहन करने वालों में स्वयं भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के अतिरिक्त प्रतापनारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन', अम्बिकादत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, पण्डित शम्भूनाथ, पण्डित बंशीधर वाजपेयी, बाबू रामकृष्ण वर्मा, राधाकृष्ण दत्त, राधाचरण गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। इस काल में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन ध्यातव्य है। 'कवि वचनसुधा', 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' और 'बाला बोधिनी पत्रिका' (स्वयं भारतेन्दु), 'हिन्दी प्रदीप' (बालकृष्ण भट्ट), 'भारतमित्र' (पण्डित हरमुकुन्द शास्त्री, पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र, पण्डित बाबू विष्णुराव पराड़कर, बाबू बालमुकुन्द गुप्त, पण्डित लक्ष्मण नारायण गर्दे, पण्डित रुद्रदत्त शर्मा के सम्पादन में), 'सार सुधानिधि' (पण्डित सदानन्दजी), 'सज्जन कीर्ति सुधाकर' (पण्डित बंशीधर वाजपेयी), 'उचित वक्ता' (पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र), 'ब्राह्मण' (पण्डित प्रतापनारायण मिश्र), 'पीयूष प्रवाह' (अम्बिकादत्त व्यास), 'भारतीय जीवन' (बाबू रामकृष्ण वर्मा), 'हिन्दोस्थान' (पण्डित मदनमोहन मालवीय), 'शुभ चिन्तक' (पण्डित रामगुलाम अवस्थी), 'हिन्दी बंगवासी' (पण्डित अमृतलाल चक्रवर्ती), साहित्य सुधानिधि' (बाबू देवकीनन्दन खत्री), 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' (बाबू श्यामसुन्दर दास, महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, कालीदास, रामचन्द्र वर्मा, वेणीप्रसाद) आदि जैसे महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं में देशप्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, सतीप्रथा उन्मूलन, विधवा विवाह प्रोत्साहन, बालविवाह का निषेध, शिक्षा प्रसार, मद्य निषेध आदि विषयों पर गम्भीर लेखन के परिणामस्वरूप भारतीय नवजागरण के प्रयास को अभूतपूर्व उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त हुआ और हिन्दी पत्रकारिता की इस भूमिका के लिए भारतीय समाज सदैव ऋणी रहेगा।

1.1.3.2. द्विवेदीयुगीन हिन्दी पत्रकारिता और नवजागरण

भारतेन्दु युग में हिन्दी पत्रकारिता की जिन प्रवृत्तियों का सूत्रपात हुआ था, द्विवेदी युग में उन्हीं प्रवृत्तियों को विकसित करते हुए नवजागरण का सन्देश दिया गया। सन् 1900 ई. का समय हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस वर्ष प्रकाशित 'सरस्वती' पत्रिका अपने समय की युगान्तकारी पत्रिका रही है। यह अपनी आकर्षक मुद्रण, कागज और चित्रों के कारण शीघ्र ही भारतीय जनमानस में काफी लोकप्रिय हो गई। इसे चिन्तामणि घोष ने प्रकाशित किया था तथा इसे नागरी प्रचारिणी सभा का अनुमोदन प्राप्त था। इसके सम्पादक मण्डल में बाबूराधाकृष्ण दास, बाबू कार्तिकाप्रसाद खत्री, जगन्नाथदास रत्नाकर, किशोरीदास गोस्वामी तथा बाबू श्यामसुन्दर दास थे। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का सम्पादकीय दायित्व 1903 में आरम्भ हुआ। इस पत्रिका के गद्य, पद्य, काव्य, नाटक, उपन्यास, चम्पू, इतिहास, जीवन चरित्र, पत्र, हास्य, परिहास, कौतुक, पुरावृत्त, विज्ञान, शिल्पकला आदि सभी गुणपरक अन्तर्वस्तु की स्वतः घोषणा करते हैं। इस पत्र की सामग्रियों को साहित्य, पुरातत्त्व, चरित्र-चर्चा, विज्ञान, आलोचना, विवेचन और प्रकीर्ण शीर्षकान्तर्गत विभाजन अत्यन्त उल्लेखनीय है। इस पत्र की 'गुणपरक अन्तर्वस्तु' के आलोक में डॉ॰ रामकृष्ण गौड़ ने ठीक ही कहा है कि 'सरस्वती' का मुख्य उद्देश्य हिन्दीभाषी क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरण करना था, राष्ट्रीय जागरण तो उसका अंग था।

सरस्वती के प्रकाशन के उपरान्त सन् 1900 से 1947 तक यानी कि आजादी से पूर्व तक हिन्दी का समाचार जगत् विविध पत्र-पत्रिकाओं से भर गया। कला एवं शिल्प की दृष्टि से यह काल अत्यन्त उल्लेखनीय है। वस्तुतः 1920-30 का समय पुराने संस्कारों के प्रति विद्रोह और नवीन सस्कारों के बीजारोपण का समय है इसलिए 1925 के बाद हिन्दी पत्रकारिता में स्मरणीय प्रगति हुई। वस्तुतः यह वह समय था जब पूरे देश में राष्ट्रीय जागरण की लहर मौजूद थी, पराधीनता की वेदना से कोई अछूता नहीं था। इस अवधि में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि साहित्यिक एवं राजनैतिक पत्रकारिता अलग-अलग हो गई। कहना सही होगा कि जो पत्रकारिता अब तक संयुक्त रूप से विविध आयामों की प्रकाशिका थी, वही अब बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप स्वतन्त्रता-आन्दोलन की संचालिका बनी। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय हितैषिणी पत्रकारिता और साहित्यिक पत्रकारिता के रूप में हिन्दी पत्रकारिता के दो भाग हो गये। साथ ही हिन्दी पत्रकारिता ने पूरे भारत में राष्ट्रीय चेतना का अलख जगाया और नवजागरण का स्वर मुखरित किया। इस प्रकार द्विवेदीयुगीन हिन्दी पत्रकारिता भारतीय राष्ट्रीयता के विकास की कहानी है। अवलोकनार्थ, यदि तत्युगीन हिन्दी पत्रकारिता को राष्ट्रीयता ने प्रवर्द्धन दिया तो पत्रकारिता ने भी राष्ट्रीयता व नवजागरण के विकास की अनुकूल भूमि तैयार की।

चूँकि, यह अवधि देश में 'करो या मरो' का समय था इसलिए पूरे भारतवर्ष में इस दौरान मर-मिटने वाले कई पत्र-पत्रिकाओं का जन्म हुआ। इस युग के पत्रकारों की प्रशंसा करते हुए आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने ठीक ही कहा है कि इस काल में हिन्दी में कुछ इतने महत्त्वपूर्ण पत्रकार पैदा हुए जो दीर्घकाल तक स्मरण किये जाएँगे। बौद्धिक प्रौढ़ता के साथ-साथ चारित्रगत दृढ़ता ने इन पत्रकारों को बड़ी सफलता दी। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी सहित गणेशशंकर 'विद्यार्थी', विष्णुराव पराड़कर, अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, लक्ष्मीनारायण गर्द और बनारसीदास चतुर्वेदी आदि ऐसे ही उल्लेखनीय पत्रकार हुए।

अस्तु, 'सरस्वती' पत्रिका ने भारतीय नवजागरण का जो दायित्व अपने हाथ में लिया उसे इस काल में प्रकाशित अन्य पत्र-पत्रिकाओं ने भी आगे बढ़ाया । इस सन्दर्भ में 'अभ्युदय' (पण्डित मदनमोहन मालवीय), 'हिन्दी केसरी' (डॉ० बालकृष्ण शिव मुंजे), 'स्वराज्य' (शान्तिनारायण भटनागर), 'नृसिंह' (पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी), 'प्रताप' (गणेशशंकर 'विद्यार्थी'), 'विश्वमित्र' (बाबू मूलचन्द्र अग्रवाल), 'स्वदेश' (पण्डित दशरथप्रसाद द्विवेदी), 'कर्मवीर' (माखनलाल चतुर्वेदी), 'स्वतन्त्र' (पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी), 'आज' (शिवप्रसाद गुप्ता), 'चाँद', 'मतवाला' (मुंशी नवजादिकलाल, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, शिवपूजन सहाय, महउदेव प्रसाद सेठ), 'हिन्दू पंच' (बाबू रामलाल वर्मा), 'सेनापति' (पण्डित रामगोविन्द त्रिवेदी), 'हंस' (मुंशी प्रेमचंद), 'विशाल भारत' (रामानन्द चट्टोपाध्याय) आदि समाचार पत्र-पत्रिकाओं ने भारतीय स्वाधीनता-संग्राम और नवजागरण को एक नयी दिशा दी । इस प्रकार द्विवेदीयुगीन हिन्दी पत्रकारिता में नवबौद्धिक वर्ग ने स्वतन्त्रता-प्राप्ति तथा समाज-सुधार के निमित्त पत्रकारिता का आश्रय लिया तथा अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन कर तत्युगीन भारतीय समाज को सशक्त बनाया और सम्पूर्ण देश में राष्ट्रीयता, अन्धविश्वास उन्मूलन और बलिदान की अभिप्रेरणा प्रदान कर भारतीय समाज को एक नयी दिशा प्रदान की ।

1.1.3.3. हिन्दी पत्रकारिता की सम्प्रेषणीयता और नवजागरण

हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास सम्पादकों तथा पत्रकारों के त्याग एवं कर्त्तव्यनिष्ठा का इतिहास रहा है । स्वतन्त्रता-आन्दोलन हो या समाज-सुधार, राष्ट्रनीति के निर्माण का प्रश्न हो या राष्ट्रभाषा के विकास का आन्दोलन, सभी में हिन्दी पत्रकारिता की उल्लेखनीय भूमिका रही है । इस आलोक में भारतीय नवजागरण के दौरान यह सहज ही परिलक्षित होता है कि समाज में फैली कुरीतियों, अन्धविश्वासों, जड़ताओं आदि के प्रति संघर्ष छेड़ती हुई हिन्दी पत्रकारिता भारतीय समाज से इन बुराइयों से दूर करने का प्रयत्न करती है । वस्तुतः हिन्दी पत्रकारिता की सम्प्रेषणीयता व्यक्ति, समाज, सामाजिक सन्दर्भों और बहुविध परिवेश की कहानी कहने में है और यह कहानी किसी मानवीय संवेग, किसी क्षण विशेष की पकड़ और घटना-प्रसंगों की जीवन्त एवं सार्थक प्रस्तुति में है । संक्षेप में भारतीय समाज में नवजागरण की गूँज हिन्दी पत्रकारिता की सम्प्रेषणीयता एवं उसके प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में समझी जा सकती है । कतिपय उदाहरण प्रस्तुत हैं –

i. स्वदेशी आन्दोलन का सूत्रपात हिन्दी पत्रकारिता ने किया । स्वदेशी भावना से ओत प्रोत हिन्दी मासिक पत्र 'कवि वचनसुधा' का सिद्धान्त वाक्य था – 'स्वत्व निज भारत गहे ।' इस पत्र में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के ललित निबन्ध काफी लोकप्रिय थे ।
ii. 'बाला बोधिनी पत्रिका' का प्रकाशन नारी-जागरण की दृष्टि से अत्यन्त उल्लेखनीय है । सन्दर्भानुसार इसके प्रथम अंक में प्रथम पृष्ठ पर जो निवेदन प्रकाशित हुआ था उसकी भाषा शैली और सम्प्रेषणीयता अत्यन्त उल्लेखनीय है – "मेरी प्यारी बहनो ! ... मैं एक तुम्हारी नयी बहिन 'बाल बोधिनी' आज तुमसे मिलने आयी हूँ और मेरी यही इच्छा है कि तुम लोगों से, सब बहिनों से, सब महीनों में एक बार मिलूँ ... क्योंकि मैं जो भी कुछ कहूँगी सो तुम्हारे हित की कहूँगी ।"

iii. राष्ट्रीय विचारधारा का प्रचार-प्रसार 'हिन्दोस्थान' जैसे समाचार पत्रों की नीति का आधार था जहाँ सरकारी अधिकारियों की कटु आलोचना की जाती थी।

iv. 'स्वराज्य' में प्रकाशित विज्ञापन की पंक्तियाँ अविस्मरणीय हैं –

चाहिए स्वराज्य के लिए एक सम्पादक,
वेतन-दो सूखी रोटियाँ, एक गिलास ठण्डा पानी,
और हर सम्पादकीय के लिए दस साल जेल।

v. 'स्वदेश' का मूलमन्त्र था –

जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं।
वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं॥

1.1.4. पाठ-सार

भारतीय नवजागरण में हिन्दी पत्रकारिता ने एक ओर जहाँ अपनी अन्तर्वस्तु में भारत की मौलिक परम्पराओं से जुड़ने पर बल दिया वहीं दूसरी ओर नवजागरण के जितने भी आयाम हो सकते हैं – राष्ट्रभक्ति, देशप्रेम, समाज-सुधार, सभी के सभी तत्युगीन हिन्दी पत्रकारिता की रचनात्मकता और विषय वस्तु में पूरी निष्ठा के साथ समाहित हो जाते हैं। वास्तविकता यह है कि पत्रकारिता न केवल वैचारिक सम्प्रेषण का माध्यम है अपितु दिन-प्रतिदिन घटने वाली स्थितियों और परिस्थितियों से उत्पन्न सन्दर्भों का सम्प्रेषण है। यही कारण है कि बाबू भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, दोनों ने ही भारतीय नवजागरण के मूलमन्त्र को पत्रकारिता की अन्तर्वस्तु बनाकर हिन्दी पत्रकारिता का भारतीय जनमानस से विस्तृत एवं व्यापक सम्बन्ध स्थापित किया। निश्चय ही हिन्दी पत्रकारिता के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है जिसने आधुनिक भारत के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभायी है।

1.1.5. शब्दावली

अस्मिता	:	पहचान
जागरण	:	चेतनायुक्त
समरसता	:	सामंजस्य
उदात्तीकरण	:	उच्चतर भूमि पर ले जाना
सम्प्रेषण	:	सूचनाओं का विनिमय

1.1.6. बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. 'कवि वचनसुधा' का प्रकाशन वर्ष है –

(क) 1867
(ख) 1877
(ग) 1885
(घ) 1900

2. 'हिन्दी प्रदीप' का प्रकाशन आरम्भ हुआ –

(क) राँची से
(ख) कोलकाता से
(ग) दिल्ली से
(घ) प्रयाग से

3. 'सरस्वती' का प्रकाशन आरम्भ हुआ –

(क) 1857 से
(ख) 1875 से
(ग) 1900 से
(घ) 1925 से

4. निम्नलिखित में कौन-सी पत्रिका दैनिक नहीं थी ?

(क) बाला बोधिनी पत्रिका
(ख) हिन्दोस्थान
(ग) आज
(घ) इनमें से कोई नहीं

5. निम्नलिखित में से कौन सा पत्र साप्ताहिक था ?

(क) अभ्युदय
(ख) स्वराज्य
(ग) प्रताप
(घ) उपर्युक्त सभी

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. 'नवजागरण' से आप क्या समझते हैं ?
2. भारतीय नवजागरण की सामाजिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए।
3. भारतीय नवजागरण का वैचारिक आधार क्या है ?
4. भारतेन्दुयुगीन प्रमुख हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं पर प्रकाश डालिए।
5. "भारतीय नवजागरण हिन्दी पत्रकारिता की देन है।" टिप्पणी कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भारतीय नवजागरण की अभिव्यक्ति हिन्दी पत्रकारिता में किस प्रकार हुई है ? स्पष्ट कीजिए।
2. भारतीय नवजागरण में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के योगदान को रेखांकित कीजिए।

1.1.7. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

1. शर्मा, डॉ० रामविलास, भारतेन्दु और हिन्दी नवजागरण
2. मिश्र, डॉ० शिव कुमार, भारतेन्दु और भारतीय नवजागरण
3. शर्मा, डॉ० रामविलास, महावीरप्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण
4. शुक्ल, रामचन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास
5. मिश्र, डॉ० राजेन्द्र , पत्रकारिता के विविध आयाम
6. शर्मा, श्रीपाल, हिन्दी पत्रकारिता : राष्ट्रीय नव उद्‌बोधन

उपयोगी इंटरनेट स्रोत :

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org

❖❖❖

खण्ड – 1 : हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप और प्रमुख प्रकार

इकाई – 2 : हिन्दी पत्रकारिता के विविध आयाम : लेखन, साक्षात्कार, रिपोर्टिंग, सम्पादन

इकाई की रूपरेखा

1.2.0. उद्देश्य कथन
1.2.1. प्रस्तावना
1.2.2. हिन्दी पत्रकारिता के आयाम : लेखन
    1.2.2.1. समाचार लेखन
    1.2.2.2. सम्पादकीय लेखन
    1.2.2.3. फ़ीचर लेखन
    1.2.2.4. समीक्षा-लेखन
1.2.3. हिन्दी पत्रकारिता के आयाम : साक्षात्कार
    1.2.3.1. अर्थ, परिभाषा एवं सिद्धान्त
    1.2.3.2. साक्षात्कार-प्रक्रिया के प्रमुख तत्त्व
    1.2.3.3. साक्षात्कार की उपयोगिता, महत्त्व एवं सीमाएँ
1.2.4. हिन्दी पत्रकारिता के आयाम : रिपोर्टिंग
    1.2.4.1. अर्थ एवं परिभाषा
    1.2.4.2. रिपोर्टिंग के प्रमुख तत्त्व व प्रकार
    1.2.4.3. रिपोर्टर के आवश्यक गुण
1.2.5. हिन्दी पत्रकारिता के आयाम : सम्पादन
1.2.6. पाठ-सार
1.2.7. शब्दावली
1.2.8. बोध प्रश्न
1.2.9. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

1.2.0. उद्देश्य कथन

'हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप और प्रमुख प्रकार' खण्ड की दूसरी इकाई 'हिन्दी पत्रकारिता के विविध आयाम : लेखन, साक्षात्कार, रिपोर्टिंग, सम्पादन' आपके समक्ष प्रस्तुत है। समाचार पत्र-पत्रिकाओं का हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्त्व है, क्योंकि सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन की समस्याओं और उनके समाधान का सूत्र पत्र-पत्रिकाओं में समाहित है। चूँकि, पत्रकारिता के विविध आयाम के आलोक में लेखन, साक्षात्कार, रिपोर्टिंग, सम्पादन आदि की बेहतरीन समझ व पेशेवर शैली अपेक्षित ही नहीं अनिवार्य है इसलिए हिन्दी पत्रकारिता की अन्तर्वस्तु निर्माण प्रक्रिया के निहितार्थ विविध आयामों का विवेचन इसी सन्दर्भ में किया गया है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप –

i. लेखन की प्रक्रिया एवं सिद्धान्त से परिचित हो सकेंगे।
ii. साक्षात्कार के विविध पहलुओं की व्याख्या कर सकेंगे।
iii. रिपोर्टिंग के महत्त्वपूर्ण पक्षों का विवेचन कर सकेंगे।
iv. सम्पादन कला, सिद्धान्त एवं कौशल की बारीकियों को जान सकेंगे।

1.2.1. प्रस्तावना

मनुष्य स्वभाव से ही एक जिज्ञासु प्राणी है। इस प्रक्रिया में वह हर पल वह कुछ-न-कुछ सोचता रहता है। जैसे ही एक व्यक्ति किसी विषय अथवा घटना की जानकारी प्राप्त करता है, उसे वह किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के साथ साझा करना चाहता है इसलिए वह दूसरों के साथ संवाद स्थापित करता है। इस प्रकार 'ज्ञान' व 'संवाद' की प्रक्रिया ही संचार के निहितार्थ पत्रकारिता के मूल स्तम्भ हैं। जीवन की विविधता और संचार साधनों की प्रचुरता ने पत्रकारिता को बहुआयामी बना दिया है तथा इसने जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है।

पत्रकारिता का मूल लक्ष्य लोगों को सूचना देना, उन्हें शिक्षित करना तथा इन सबके साथ उनका मनोरंजन करना है। इन तीनों लक्ष्यों में सम्पूर्ण पत्रकारिता का सारतत्त्व समाहित है। चूँकि, यह एक देश की जनता की चित्तवृत्तियों, अनुभूतियों और आत्मा से साक्षात्कार करती हुई मानव मात्र को जीने की कला सिखाती है अतः इसका मूल कर्त्तव्य अन्याय को उद्‍घाटित कर दोषों का परिहार करना तथा असहाय और पीड़ितों की रक्षा एवं सहयोग तथा जनता का पथ प्रदर्शन करना है। इस परिप्रेक्ष्य में हिन्दी पत्रकारिता के विविध आयामों का विवेचन करने पर निराशा नहीं होती अपितु सुखद अनुभूति होती है।

1.2.2. हिन्दी पत्रकारिता के आयाम : लेखन

किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका के लिए लेखन का विशेष महत्त्व होता है। किसी विषयवस्तु की सही जानकारी, समझ एवं सम्प्रेषण लेखकीय दायित्व के आधार कहे जा सकते हैं इसीलिए लेखन का स्वरूप तथ्यों, विचारों एवं अनुभवों की केवल अभिव्यक्ति तक सीमित न होकर 'पूर्ण संचार' (Complete Communication) की प्रक्रिया तक विस्तृत एवं व्यापक है। विवेचन-विश्लेषण के अन्तर्गत ही लेखन की मूल संवेदना को व्याख्यायित किया जा सकता है। वस्तुतः विषयवस्तुओं की मूल संवेदना को ध्यान में रखते हुए लेखक अपनी 'लेखन-प्रक्रिया' का संजाल बनता है और विभिन्न परिच्छेदों में लययुक्त क्रमबद्धता की अनुरूपता में अपनी बात बताता है, साथ ही लेखन-प्रक्रिया में शब्दों का चयन, मार्मिकता, कलात्मकता, विश्वसनीयता, जिज्ञासा, उत्तेजना आदि का यथासम्भव सन्निवेश अपेक्षित है। अस्तु, संचार और पत्रकारिता के आलोक में घटनाओं, स्थितियों और क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं का परस्पर सम्बन्ध और विवेचन-विश्लेषण हेतु सत्यता, स्पष्टता एवं पूर्णता, रोचकता, संक्षिप्तता, निरन्तरता, जागरूकता, लक्ष्योन्मुखता आदि लेखन के आधारभूत तत्त्व हैं।

1.2.2.1. समाचार लेखन

एक सामाजिक प्राणी होने के कारण मुनष्य हमेशा से ही जिज्ञासु प्राणी रहा है अतः वह अपने आस-पास की सभी जानकारियों व घटनाओं को जानना चाहता है। वस्तुतः चारों दिशाओं की जानकारी ही समाचार है। हिन्दी भाषा के 'समाचार' को अंग्रेजी में 'NEWS' कहा जाता है। 'NEWS' शब्द अंग्रेजी वर्णमाला के चार अक्षरों N, E, W तथा S से मिलकर बना है। यही चार अक्षर उत्तर (North), पूरब (East), पश्चिम (West) तथा दक्षिण (South) दिशाओं के प्रतीक हैं। वस्तुतः अमरकोष ग्रन्थ में वार्ता, वृत्ति, प्रवृत्ति तथा उदत्त चारों शब्द समाचार के लिए अनुप्रयुक्त हुए हैं इसलिए समाचार को सदैव नया, रोचक, मनोरंजक और महत्त्वपूर्ण होना चाहिए। अनेक विद्वानों तथा बुद्धिजीवियों ने समाचार को निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया है –

i. के.पी. नारायणन् के अनुसार समाचार किसी सामयिक घटना का, महत्त्वपूर्ण तथ्यों का परिशुद्ध तथा निष्पेक्ष विवरण होता है जिससे उस समाचार पत्र में पाठकों की रुचि होती है जो इस विवरण को प्रकाशित करता है।
ii. रामचन्द्र वर्मा के अनुसार 'समाचार' का अभिप्राय आगे बढ़ना, चलना, अच्छा आचरण या व्यवहार है। मध्य और परवर्ती काल में किसी कार्य के व्यवहार की सूचना को समाचार मानते थे, ऐसी ताजी या हाल की घटना की सूचना जिसके सम्बन्ध में लोगों को जानकारी न हो।
iii. विलियम एल. रिवर्स के अनुसार समाचार घटना का वर्णन है। घटना स्वयं समाचार नहीं। घटनाओं, तथ्यों और विचारों की सामयिक रिपोर्ट समाचार है।
iv. मनुकोण्डा चलपति राव के अनुसार समाचार की नवीनता इसी में है कि वह परिवर्तन की जानकारी दे। यह जानकारी चाहे राजनैतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक हो।
v. अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी के अनुसार हर घटना समाचार नहीं है, सिर्फ वही घटना समाचार बन सकती है जिसका कमोवेश सार्वजनिक हित हो।

इस प्रकार उपर्युक्त कथनों के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी घटना का विवरण समाचार है लेकिन घटना में नवीनता, सामयिकता एवं विशिष्टता होनी अनिवार्य है। ध्यातव्य है कि समाचार लेखन-प्रक्रिया में किसी घटना या परिस्थिति का मात्र विवरण देना तब तक समाचार नहीं बन सकता जब तक कि उसमें तात्कालिकता, निकटता, आकार, महत्त्व एवं विचित्रता जैसे तत्त्व समाहित न हो। वास्तव में समाचार वही है जो मानव जीवन, भावना एवं विचारों पर प्रभाव डालता हो, व्यक्ति को आनन्द भी देता हो तथा आन्दोलित भी करता हो ताकि जनकल्याण को सफलीभूत किया जा सके।

समाचार को मुख्यतः दो प्रकार से लिखा जाता है – पहला, विलोम स्तूपी समाचार और दूसरा स्तूपी समाचार। हिन्दी समाचार पत्रों में समाचार प्रायः विलोम स्तूपी आधार पर लिखा जाता है। उल्लेखनीय है कि इस शैली में सबसे पहले महत्त्वपूर्ण तथ्य को लिखा जाता है और उसके बाद तथ्यों को घटते हुए महत्त्व के अनुक्रम में लिखा जाता है।

संक्षेप में, इसके अन्तर्गत पहले रहस्य को प्रकट करते हुए शेष समाचार की रचना की जाती है। हालाँकि इस शैली में पुनरावृत्ति के दोष की सम्भावना सर्वाधिक होती है। दूसरी ओर स्तूपी समाचार लेखन में कम महत्त्वपूर्ण से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्यों की ओर संकेत किया जाता है। इस प्रकार स्तूपी शैली में रचनात्मकता के सिद्धान्तानुसार चरमोत्कर्ष लेखन के अन्त में आता है। पत्रकारिता की दुनिया में यह प्रणाली वैसे भाषण, खेलकूद, शोभायात्राओं, प्रदर्शनों, समारोहों आदि की चर्चा में अथवा अपराध तथा किसी जाँच या घटना की सरकारी रिपोर्ट के समाचारों में ही सीमित होकर रह गई है। वैसे समाचार की दोनों ही शैलियों में समाचार की भाषा, समाचार का संक्षेपण और समाचार की शीर्ष पंक्ति का निर्माण 'समाचार लेखन' के अभिन्न अंग स्वीकार किये जाते हैं। सारतः समाचार लेखन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का विशेष महत्त्व है –

i. समस्त तथ्यों को संकलित करना।
ii. प्रारूप-निर्धारण।
iii. समाचार का आमुख (Intro) लिखना।
iv. समाचार लिखते समय परिच्छेदों का निर्धारण करना।
v. समाचार सूत्रों के संकेतों को उद्धृत करना।

चूँकि, समाचार लेखन एक विशिष्ट कला है इसलिए उस समाचार लेखन को श्रेष्ठ व प्रभावी समाचार की संज्ञा दी जाती है जो सूचनात्मक हो तथा जिसमें तथ्यों को इस प्रकार संकलित किया गया हो कि पाठक घटित घटना का विवरण सही परिप्रेक्ष्य में समझ सके। साथ ही समाचार लेखन को संवाददाता अपनी विशेष पत्रकारीय तकनीकी का अनुप्रयोग कर अधिक रोचक एवं प्रभावी बना देता है। समाचार के आवश्यक तत्त्वों में सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, रोचकता, निरन्तरता तथा आवश्यक पृष्ठभूमि का समावेश होता है।

1.2.2.2. सम्पादकीय लेखन

सामान्य अर्थों में समाचार पत्र-पत्रिकाओं में सम्पादक द्वारा लिखा गया लेख सम्पादकीय कहलाता है। यह समाचार पत्र का सारतत्त्व होता है और सम्पादकीय लेखन का कार्य सर्वथा स्वतन्त्र विधा है यद्यपि इसे किसी सिद्धान्त अथवा नियम के आलोक में नहीं बाँधा जा सकता है तथापि श्रेष्ठ सम्पादकीय के लिए कुछ आदर्श निर्धारित किये जा सकते हैं। एक आदर्श सम्पादकीय कलेवर से 'वामन' और चेतना से 'विराट्' होता है। मुंशी प्रेमचंद के अनुसार श्रेष्ठ सम्पादकीय संक्षेप में तथ्यों और विचारों का ऐसा तर्कसंगत और सुरुचिपूर्ण प्रस्तावना है जिसका मूल उद्देश्य मनोरंजन, विचारों को प्रभावित करना या किसी महत्त्वपूर्ण समाचार का ऐसा भाष्य प्रस्तुत करता है जिससे सामान्य पाठक उसका महत्त्व समझ सके। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक सम्पादक का अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपनी एक विशिष्ट शैली होती है जो सम्पादकीय में दृष्टिगोचर होती है।

सम्पादकीय लेखन में वस्तुतः किसी तात्कालिक घटना की विषयवस्तु पर प्रकाश सारगर्भित विचार प्रकट किया जाता है। मूल बात कहने से पहले सम्पादकीय में अनावश्यक शब्दों के विस्तार या विचारों की पुनरावृत्ति से

बचना अत्यन्त आवश्यक है। चूँकि, पाठक के पास समय की सीमा निश्चित होती है इसलिए यदि सम्पादकीय अनावश्यक विस्तार से युक्त होगा तो पाठक उसे नहीं पढ़ेगा। अस्तु, सम्पादकीय लेखन में वैचारिक संतुलन के निमित्त कोई-न-कोई निष्कर्ष एवं आदर्श का प्रतिपादन अवश्य हुआ होना चाहिए। विषय का चयन, सामग्री संकलन, विषय की रूपरेखा का निर्माण, विषय-प्रवेश, विषय का क्रमिक विस्तार, निष्कर्ष, शीर्षक और प्रथम वाक्य, सम्पादकीय की भाषा आदि तत्त्वों के आलोक में सम्पादकीय लेखन के आदर्श को निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है –

i. सम्पादकीय लेखन में ईमानदारीपूर्वक सम्पूर्ण तथ्य को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अर्द्धसत्य के आधार पर सम्पादकीय लिखना अनुचित है।
ii. सम्पादकीय लेखन कभी भी निजी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए तथा अपने लिए अथवा दूसरों के लिए विशेष लाभ पाने की दृष्टि से अपने प्रभाव का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
iii. सम्पादकीय लेखन में कथित तथ्यों से प्रमाण और अधिकतम कल्याण की भावना पर आधारित सही निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहिए।
iv. सम्पादकीय लेखक को यह नहीं समझना चाहिए कि वह ऐसा नहीं है जिससे कभी गलती न हो सके। इसलिए मतभेद रखने वालों की आवाज को यथाशक्ति सम्पादक के नाम पत्रों में अथवा किसी अन्य उपयुक्त स्थान से स्वर देना चाहिए।
v. सम्पादकीय लेखन में उपलब्ध सूचना के प्रकाश में निरन्तर अपने निजी निष्कर्षों की समीक्षा करते रहना चाहिए। साथ-ही-साथ सम्पादकीय लेखन में विश्वास की दृढ़ता और लोकतान्त्रिक जीवनादर्शों के प्रति निष्ठा का साहस होना चाहिए।

1.2.2.3. फ़ीचर लेखन

पत्रकारिता में फ़ीचर या रूपक से तात्पर्य समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित वे विशिष्ट लेख हैं जो गम्भीर या आसान किसी भी प्रकृति के हो सकते हैं। सरल शब्दों में फ़ीचर किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में लिखा गया ऐसा आलेख होता है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। यह समाचारमूलक भी हो सकता है और विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों, त्योहारों, मेलों और प्राकृतिक विपदाओं आदि पर भी लिखा जा सकता है। हालाँकि अपने लेखन स्वरूप में फ़ीचर समाचार लेखन का विस्तृत रूप नहीं है इसलिए फ़ीचर लेखन की शैली समाचार लेखन से भिन्न होती है।

फ़ीचर के विषय अनन्त हैं। छोटी-छोटी घटनाओं से लेकर महान् विभूतियों का जीवन साधारण व्यक्तियों के असाधारण कार्य खेलकूद का मैदान अदालत में होने वाली घटनाएँ आदि कुछ भी फ़ीचर लेखन का विषय हो सकते हैं। इस प्रकार कुछ भी जो चर्चा के योग्य है जिज्ञासा को जगाने वाला और संतुष्टि प्रदान करने वाला है, वह फ़ीचर की विषयवस्तु बन सकता है। वस्तुतः सामयिकता आकर्षण सूचना और शिक्षण के साथ मनोरंजन फ़ीचर

के आधारभूत तत्त्व हैं। डॉ० वेदप्रताप वैदिक ने फ़ीचर लेखन की प्रक्रिया एवं स्वरूप को बहुआयामी स्वीकार किया है। उनके अनुसार लेखन की यह विधा सृजनात्मक साहित्य की तरह घटनाओं की स्थितियों के पार की संवेदना को उभारती है, अपने लालित्य के कारण पाठक को आकर्षित करती है, विचार भावों के संयोजन से नया संसार रचती है, उद्वेलित आनन्दित एवं प्रेरित करती है और सूचना देती है। वैसे तो आलोचक फ़ीचर को गम्भीर लेखन नहीं मानते हैं लेकिन विषयों की विविधता उपयोगिता और उसके विस्तार की दृष्टि से फ़ीचर को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। विशिष्ट घटनाओं पर आधारित फ़ीचर, राजनैतिक घटनाओं पर आधारित फ़ीचर, सामाजिक समस्याओं व उनके निराकरण सम्बन्धी फ़ीचर, स्थानीय एवं आंचलिक फ़ीचर, वाद-विवाद सम्बन्धित विचारात्मक फ़ीचर, व्यक्ति विशेष पर आधारित फ़ीचर, सांस्कृतिक विषयों पर आधारित फ़ीचर, समाचारों पर आधारित फ़ीचर आदि फ़ीचर के प्रमुख प्रकार हैं। रचनात्मक लेखन के परिप्रेक्ष्य में रोचकता तथा आकर्षण फ़ीचर का सबसे प्रमुख गुण होता है। फ़ीचर को आकर्षक और रोचक बनाने के लिए निम्नलिखित उल्लेखनीय तत्त्वों की सहायता ली जाती है –

i. फ़ीचर लेखन मे निश्चितता और उपयुक्तता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पुनरावृत्ति से हमेशा बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ-ही-साथ फ़ीचर की भूमिका लेखन में पाठक की जिज्ञासा तथा उसकी रुचि का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है।
ii. किसी भी लेखक या व्यक्ति द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में प्रस्तुत करना चाहिए इसलिए फ़ीचर लेखन में प्रतिक्रियाओं एवं घटनाओं का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए तथा इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पाठक को किसी प्रकार का कोई ठेस न पहुँचे।
iii. लेखक का अनुभव और अनुमान भी एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जिससे अनेक प्रकार के फ़ीचर प्रकाश में आते हैं।
iv. फ़ीचर में प्रसंगानुकूल हास्य-व्यंग्य का पुट डालकर लेखन की विषयवस्तु को यथासम्भव रोचक एवं प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।
v. फ़ीचर गद्य का गीत होने के कारण उसे लम्बा, नीरस तथा गम्भीर नहीं होना चाहिए। फ़ीचर लिखने की सफलता का महत्त्वपूर्ण तत्त्व अच्छा आरम्भ और आनन्दमय अन्त होता है।

सारतः फ़ीचर समाचारों अथवा सूचनाओं का वैचारिक कोण से स्वस्थ व संतुलित दृष्टिकोण है। कहना गलत न होगा कि फ़ीचर पत्रकारिता का ऐसा साहित्यिक कार्य है जो सृजनात्मक मूल्यों से जुड़ा होता है। इसमें सृजनात्मकता को भावनात्मकता का पुट देकर ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि मुख्य तथ्य की विश्वसनीयता और पुष्ट होती जाती है।

1.2.2.4. समीक्षा-लेखन

समीक्षा-लेखन हिन्दी पत्रकारिता का अभिन्न अंग है। वस्तुतः परीक्षण ही किसी विषय की समीक्षा है। किसी पुस्तक, कलाकृति, फ़िल्म अथवा नाट्य-प्रदर्शन को पढ़कर उस पर टिप्पणी करना, उसके गुण-दोष को

संक्षेप में बताना ही समीक्षक का कार्य है। समीक्षा के माध्यम से लेखक के उद्देश्यों और रचना से मन पर पड़ी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही समीक्षा-लेखन के अन्तर्गत एक विशिष्ट भाव निहित होता है।

समीक्षा-लेखन एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा रचना विशेष के विभिन्न पहलुओं और संवेदनाओं को धरातल की कसौटी पर कसकर उसमें निहित विचार, उद्देश्य व सन्देश को, समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को तथा उसके शिल्पगत सन्देश को, समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को तथा उसके शिल्पगत सौन्दर्य को पाठक तक सम्प्रेषित किया जाता है।

आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी के अनुसार समीक्षा यदि हम किसी पुस्तक को पढ़कर उसकी विषयवस्तु का सारांश लिखते हैं, उसकी पृष्ठभूमि व्यक्त करते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि हमने उसकी समीक्षा लिखी है। दूसरी ओर यदि हम पुस्तक पर अपनी दृष्टिकोण से विचार करते हैं और हम कहते हैं कि पुस्तक अच्छी है या बुरी, इस वक्तव्य पर अपने तर्क प्रस्तुत करते हैं तो इसका तात्पर्य यह होता है कि हम आलोचना कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में 'समीक्षा' और 'आलोचना' में निहित सूक्ष्म अन्तर स्पष्ट प्रतीत होता है।

वस्तुतः लेखन की मानसिकता एवं उद्देश्य तथा आशय को पाठक या दर्शक वर्ग तक सही किन्तु प्रभावकारी रूप से सम्प्रेषित करने का दायित्व समीक्षक का है। इस आलोक में समीक्षा-लेखन हेतु भाषा शैली सरस, भावात्मक, प्रौढ़ आवश्यक होने पर व्यंग्यपूर्ण होनी चाहिए। ये तत्त्व समीक्षा को गम्भीर ही नहीं अपितु प्रभावशाली एवं उपयोगी भी बनाते हैं इसलिए रचनात्मक, प्रेरणात्मक एवं विकासात्मक समीक्षाओं को ही समाचार पत्र-पत्रिकाओं में स्थान दिया जाना चाहिए। समीक्षा के प्रमुख स्तम्भों में पुस्तक-समीक्षा, नाट्य-समीक्षा, कला-समीक्षा, फ़िल्म-समीक्षा आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

1.2.3. हिन्दी पत्रकारिता के आयाम : साक्षात्कार

साक्षात्कार हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में लेखन का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। साक्षात्कार के बाद जो कुछ लिखा जाता है उसमें अत्यधिक गहरी जानकारी का समावेश होता है। उदाहरण के तौर पर व्यक्तिगत स्पर्श देने से समाचार लेखन का प्रभाव बढ़ जाता है। पत्रकारिता की समकालीन प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के उपरान्त यह सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया वर्तमान समय में काफी लोकप्रिय है।

वस्तुतः साक्षात्कार सामाजिक अन्तःक्रिया की प्रक्रिया है। यह विज्ञान की अपेक्षा एक कला है। यह विशेष योग्यता एवं परिश्रम की माँग करती है। कई बार कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है, वह विशिष्ट होता है लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जो व्यक्ति साक्षात्कार लेता है, वह भी अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है। साक्षात्कार-प्रक्रिया एवं लेखन का सामाजिक घटनाओं की खोज व विश्लेषण में महत्त्व इसलिए अधिक है क्योंकि यह विचार, मूल्य, मत आदि जैसे गुणात्मक आँकड़ों को मात्रात्मक करने में सहायक होता है।

1.2.3.1. अर्थ, परिभाषा एवं सिद्धान्त

समकालीन परिवेश में व्यक्ति का जीवन काफी जटिल हो गया है। एक सामाजिक प्राणी होने के बावजूद एक व्यक्ति का आज दूसरे व्यक्तियों के साथ आत्मीयता का सम्बन्ध नहीं है। ऐसे में साक्षात्कार-लेखन व प्रक्रिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उत्तरदाता के चेहरे से उसके सुरक्षात्मक आवरण या व्यवहार के बनावटीपन को किस प्रकार हटाकर उसकी वास्तविक आन्तरिक स्थिति को जाना जा सके। इस आलोक में कई विद्वानों ने साक्षात्कार-प्रक्रिया को अपने-अपने ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है। पी. वी. यंग के अनुसार साक्षात्कारकर्त्ता का यह उद्देश्य होता है कि वह उत्तरदाता को अनावरण कर दे और पर्दा हटाकर उसकी उन अभिवृत्तियों और मूल्यों को जान सके जिनसे उनका जीवन प्रभावित होता है। प्रो॰ मनोज दयाल के अनुसार साक्षात्कार वह व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा साक्षात्कार लेने वाला बहुत कुछ अपनी जानकारी व अनुमान के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति के आन्तरिक जीवन में प्रवेश करता है। आर. एल. स्वामी के अनुसार मूलतः विषय केन्द्रित होने के कारण किसी अन्य विधा की अपेक्षा साक्षात्कार में विचार विनिमय एवं सम्प्रेषणीयता का गुण अधिक होता है। प्रो॰ शम्भुनाथ सिंह के अनुसार साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छिपी हुई बातों को अनावृत्त किया जा सकता है।

वास्तव में साक्षात्कार उन तथ्यों को उजागर करता है जो प्रत्यक्ष नहीं होते, सार्वजनिक नहीं होते। सामाजिक मूल्यों व सन्दर्भों के आलोक में किसी व्यक्ति के विचारों का मूल्यांकन साक्षात्कार के द्वारा ही किया जा सकता है। इस प्रकार साक्षात्कार एक लक्ष्योन्मुखी सामाजिक प्रक्रिया है। अपने अत्यधिक महत्त्व और अनगिनत लाभों के कारण ही साक्षात्कार को पत्रकारिता की सबसे महत्त्वपूर्ण विधा माना जाता है।

साक्षात्कार के मूलभूत सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रो॰ श्याम कश्यप का मानना है कि एक कुशल साक्षात्कारकर्त्ता बड़े सहज ढंग से साक्षात्कार प्रारम्भ करता है और शीघ्र ही पूरे परिवेश से घनिष्ठता स्थापित कर लेता है तथा साक्षात्कार को सम्मानित ढंग से पूरा करता है। संक्षेप में साक्षात्कार तकनीकी में निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिए –

i. सांस्कृतिक प्रतिमान के अनुसार उत्तरदाता का अभिवादन करना चाहिए। साक्षात्कारकर्त्ता को चाहिए कि साक्षात्कार से पूर्व वह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या आपराधिक आदि पृष्ठभूमि को जान ले। जितनी अधिक जानकारी उस व्यक्ति के बारे में रखेगा उतना ही उसका काम आसान हो जाएगा।
ii. बातचीत सहज हो, बातचीत में कटुता न आए। ऐसा आभास हो कि औपचारिक बात हो रही है। ऐसी स्थिति में साक्षात्कार को सफल बना देती है। साक्षात्कार-प्रक्रिया में पूर्वाग्रह के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तटस्थता का मार्ग साक्षात्कार के लिए बेहद उपयोगी होता है।

iii. साक्षात्कार की स्थिति सामाजिक प्रक्रिया होने के कारण जटिल होती है। उत्तरदाता की भाव-भंगिमा, संवेग भाव और मुखाकृति का विशेष अर्थ होता है। इन संकेतों की पकड़ से उत्तरदाता के विषय में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

iv. उत्तरदाता से विवरणमूलक शैली में उत्तर प्राप्त करना चाहिए। साथ ही काल-अवधि के क्रमानुसार प्रश्न पूछना साक्षात्कार की पूरी प्रक्रिया को प्रभावी एवं उपयोगी बना देता है।

v. साक्षात्कार की विषयवस्तु में विवादित विषयों एवं प्रश्नों के समावेश से बचना चाहिए।

1.2.3.2. साक्षात्कार-प्रक्रिया के प्रमुख तत्त्व

साक्षात्कार एक ऐसी सम्प्रेषण-प्रकिया है जिसे धीरे-धीरे विकसित होना चाहिए तथा बड़े स्वाभाविक तरीके से समाप्त होना चाहिए। साक्षात्कार करने से पूर्व उसके विषय में कुछ सोच-विचार कर लिया जाता है। इसे साक्षात्कार का पूर्व चिन्तन कहते हैं। साक्षात्कार-प्रक्रिया के मुख्यतः तीन अंग हैं–

i. **साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों का चयन** – साक्षात्कार-प्रक्रिया में सबसे पहले साक्षात्कारकर्त्ता को विषयवस्तु (समस्या) के अनुसार यह निर्णय लेना होता है कि साक्षात्कार किससे लिया जाए। उत्तरदाता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो विषयवस्तु की गहराई से जानकारी रखता हो और उससे प्राप्त सूचनाएँ विश्वसनीय हों। इस सन्दर्भ में रैंडम विधि से उत्तरदाता का चयन वैज्ञानिक माना जाता है।

ii. **उत्तरदाता से साक्षात्कार के लिए समय माँगना** – साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों का चयन करने के उपरान्त उत्तरदाता की सुविधा के अनुसार साक्षात्कार का समय और स्थान का चयनसाक्षात्कार-प्रक्रिया का दूसरा महत्त्वपूर्ण चरण होता है।

iii. **सुविधाजनक दशाएँ** – साक्षात्कार का स्थान, समय और वातावरण कुछ ऐसा होना चाहिए कि बातचीत करने में सुविधा हो और घनिष्ठता की स्थापना हो सके। इस आलोक में साक्षात्कारकर्त्ता को अत्यधिक चतुराई का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और उसे इस तरह की बातचीत नहीं करनी चाहिए कि ऐसा प्रतीत हो कि उत्तरदाता को उपदेश दे रहा है, शिक्षा दे रहा है।

1.2.3.3. साक्षात्कार की उपयोगिता, महत्त्व एवं सीमाएँ

सामाजिक लेखन में साक्षात्कार का केन्द्रीय महत्त्व है। सामाजिक अध्ययन में यह सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इसके द्वारा व्यक्ति के आन्तरिक पक्ष का अध्ययन किया जा सकता है। साक्षात्कार से एक ओर जहाँ घटना के ऐतिहासिक पक्ष का ज्ञान होता है, वहीं दूसरी ओर साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाएँ काफी हद तक विश्वसनीय मानी जाती हैं। हालाँकि साक्षात्कार विधि की उपयोगिता एवं महत्त्व के साथ-साथ कुछ सीमाओं का उल्लेख करना अत्यन्त आवश्यक है। दलबन्दी और गुटबन्दी की समस्या प्रायः हर जगह पाई जाती हैं। मानवीय व्यवहारों पर आधारित प्रक्रिया होने के कारण साक्षात्कार भी इसका अपवाद नहीं है। आलोचनात्मक सन्दर्भ में साक्षात्कार की कतिपय सीमाओं का उल्लेख निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है–

i. साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाएँ सदैव विश्वसनीय हो, यह ज़रूरी नहीं है। व्यक्ति ने जो कुछ कह दिया उसे स्वीकार कर लेना पड़ता है। यदि वह गलत बोले तो उसकी जाँच करना बहुत कठिन होता है।

ii. साक्षात्कार के लिए किसी उत्तरदाता को तैयार करना सरल कार्य नहीं होता है।

iii. उत्तरदाता के भाव-भंगिमाओं को सही-सही समझना अत्यन्त दुरूह और कठिन कार्य है।

iv. साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाएँ वस्तुनिष्ठ कम और आत्मनिष्ठ अधिक होती हैं इसलिए इसमें तार्किकता का अभाव होता है।

उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद साक्षात्कार विधि समकालीन पत्रकारिता में काफी असरकारी है। साक्षात्कार के दौरान लोग जो कुछ कहते हैं, उसमें बहुत कुछ सच्चाई होती है। इसलिए यदि सावधानीपूर्वक साक्षात्कार किया जाए तो साक्षात्कार की सीमाओं के दुष्परिणामों से पूरी तरह बचा जा सकता है।

1.2.4. हिन्दी पत्रकारिता के आयाम : रिपोर्टिंग

वर्तमान समय में पत्रकारिता का क्षेत्र अत्यधिक विकसित हो चुका है। पत्रकारिता के द्वारा ही मानव के सामाजिक सम्बन्ध बनते हैं और निरन्तर विकसित भी होते हैं। पत्रकारिता के लिए लेखन में रिपोर्टिंग का विशेष महत्त्व है। वस्तुतः सूचनाओं के निरन्तर प्रेषण को समस्त विश्व की धुरी समझा जाता है। इस धुरी के चारों तरफ रिपोर्टिंग तन्त्र कार्य करता है। सामान्य अर्थों में रिपोर्टिंग से आशय सूचना सम्प्रेषण के निहितार्थ व्यक्ति से व्यक्ति की पहचान, समाज से समाज की पहचान तथा देश से देश की पहचान कराना है। रिपोर्टिंग इन समस्त कार्यों में परस्पर विचार-विमर्श के लिए विश्वसनीय आधार तय करता है।

1.2.4.1. अर्थ एवं परिभाषा

रिपोर्टिंग समाचार लेखन का प्रथम चरण है। इसमें रिपोर्टर सम्बन्धित घटना स्थल पर जाकर घटना का अवलोकन करता है। उसके उपरान्त महत्त्वपूर्ण तथ्यों व आँकड़ों का संकलन कर समाचार का प्रारूप तैयार करता है। सरल शब्दों में रिपोर्टिंग का आशय है, विभिन्न स्थानों एवं माध्यमों से समाचार एकत्रित करना। इस सम्बन्ध में अंग्रेजी पत्रकार David Wain Wright का मत उल्लेखनीय है – “Good reporting is the discovery of as many important facts as possible and their selection and presentation so that the make a comprehensible story.”

वस्तुतः किसी घटना की वस्तु स्थिति का सही चित्रण करने में रिपोर्टिंग का अपना विशेष महत्त्व होता है। विभिन्न विद्वानों ने रिपोर्टिंग की प्रकृति एवं स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग ढंगों से परिभाषित करने की कोशिश की है। पण्डित विष्णुदत्त शुक्ल के अनुसार रिपोर्टिंग किसी भी घटना का सजीव चित्रण है। रामचन्द्र वर्मा के अनुसार रिपोर्टिंग में किसी घटना की गहन छान-बीन की जाती है तथा उसके सन्दर्भ को समग्र रूप से लिखा जाता है और प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डाला जाता है। के. पी. नारायणन् के अनुसार – “रिपोर्टिंग वस्तुतः काल की तीव्रगति को पकड़ने की चेष्टा है।” इस प्रकार रिपोर्टिंग को समाचार की जननी कहा जा सकता है।

1.2.4.2. रिपोर्टिंग के प्रमुख तत्त्व व प्रकार

तत्त्व एक ऐसा शब्द है जिसके आधार पर रिपोर्टिंग का मूल्यांकन किया जाता है। जितने अधिक तत्त्व होंगे, रिपोर्ट उतना ही अधिक रोचक, पठनीय एवं प्रभावी होगा। प्रसिद्ध पत्रकार किपलिंग ने रिपोर्टिंग में निम्नलिखित छह तत्त्वों का होना अनिवार्य माना है; यथा –

i. सर्वप्रथम घटना, जिसके सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखी जा रही है।
ii. रिपोर्ट की पृष्ठभूमि
iii. रिपोर्ट में दी गई घटना अथवा सूचना का सम्बन्ध किस स्थान, नगर, गाँव, प्रदेश या देश से है।
iv. सम्बन्धित घटना का सम्बन्ध किस समय, किस दिन अथवा किस अवसर से है।
v. रिपोर्ट के विषय से कौन सम्बन्धित है।
vi. रिपोर्ट का पूरा विवरण।

विश्लेषणात्मक सन्दर्भ में विषयवस्तु के आधार रिपोर्टिंग के कई प्रकार हैं। विषयवस्तु की विविधताओं के कारण ही रिपोर्टिंग बहुआयामी प्रकृति का होता है। हालाँकि प्रकृति एवं स्वरूप के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, मौसम रिपोर्टिंग, खेल रिपोर्टिंग, विज्ञान रिपोर्टिंग, संसदीय रिपोर्टिंग, अपराध रिपोर्टिंग, रोजगार रिपोर्टिंग, साहित्यिक रिपोर्टिंग आदि रिपोर्टिंग के उल्लेखनीय प्रकार हैं।

1.2.4.3. रिपोर्टर के आवश्यक गुण

समाचारों को सूँघने, खोदने, गढ़ने और लिखने वाला सक्षम एवं उत्साही व्यक्ति रिपोर्टर कहलाता है। गवेषणात्मक प्रतिभा सम्पन्न रिपोर्टर को जहाँ एक ओर लार्ड नार्थ क्लिफ ने सृजनात्मक और मौलिक साहित्यकार की संज्ञा दी है, वहीं दूसरी ओर डॉ॰ सम्पूर्णानन्द जैसे भारतीय विचारकों ने रिपोर्टरों को नारद की संज्ञा देकर उनकी प्रत्युत्पन्नमति और क्षिप्रकारिता का प्रमाण प्रस्तुत किया, साथ ही समाचारों के संकलन और विवरण की दक्षता के पीछे समाज-कल्याण की रचनात्मक भूमिका स्पष्ट की है। एक रिपोर्टर में निम्नलिखित गुणों का होना अपेक्षित ही नहीं आवश्यक भी होता है; यथा –

i. रचनात्मक दृष्टिकोण
ii. जिज्ञासु प्रवृत्ति और अटल उत्सुकता
iii. पैनी दृष्टि तथा विस्तृत श्रवण शक्ति
iv. सत्यनिष्ठा एवं निर्भीकता
v. मातृभाषा के अतिरिक्त विदेशी भाषाओं का ज्ञान
vi. जटिल घटनाओं तथा विविध समस्याओं को समझने की शक्ति
vii. समाचार सूँघने की क्षमता
viii. मुद्रलेखन, आशुलेखन और टंकण का ज्ञान

1.2.5. हिन्दी पत्रकारिता के आयाम : सम्पादन

सामान्य अर्थ में समाचार सहित लेखन के विविध स्वरूपों को निष्पक्षता प्रदान करना ही सम्पादन है। भारतीय कानून के तहत सम्पादन करना सम्पादक की ज्ञान एवं कुशलता का परिचायक है। चूँकि, पत्रकारिता कुछ सिद्धान्तों पर आधारित होती है इसलिए समाचार पत्र-पत्रिकाओं में सम्पादन का कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। कहा जा सकता है कि चयनित सामग्री को जनहित में पठनीय बनाने का महती कार्य ही वास्तविक सम्पादन है। वस्तुतः समाचारों का चयन, संशोधन, संस्कार-निर्माण, शीर्षक का लेखन, शीर्षक-लेखन हेतु मुद्राक्षरों का चयन, मुख पृष्ठ हेतु महत्त्वपूर्ण संवादों का निर्णय तथा आवश्यक चित्रों से पत्र-पत्रिकाओं का आकर्षक बनाने का कार्य आदि सम्पादन प्रक्रिया के अन्तर्गत शामिल हैं।

बाबू विष्णुराव पराड़कर के अनुसार पत्रकारिता में सम्पादन के लिए चार आँख होने चाहिए। एक आँख घड़ी पर हो, दूसरी घटना की सत्यता पर, तीसरी आपत्तिजनक तथा मानहानिकारक बातों को रोकने की ओर तथा चौथी ख़बर को अधिकाधिक सामयिकता, पूर्णता और सर्वांगीणता प्रदान करने की ओर हो। मानवीय कल्याण एवं विकास के निहितार्थ तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन एवं सम्प्रेषणीयता के आलोक में सम्पादन के कतिपय महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों का उल्लेख निम्नलिखित हैं –

i. सर्वसाधारण रीति से भद्रता का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समाचार पत्रों का सम्पादन करना चाहिए जिसका परिवार में स्वागत हो।
ii. पत्र-पत्रिकाओं में आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण समाचारों का संकलन अवश्य होना चाहिए। लोकतन्त्र में समाचारों के आधार पर ही जनमत का निर्माण होता है।
iii. यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी घटना के दो पहलू होते हैं। समाचारों के प्रस्तुतीकरण में किसी पर अन्याय न हो, इसका ध्यान रखना सम्पादन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए।
iv. राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता की स्थापना के लिए अन्तर्वस्तु की गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का सौदा नहीं किया जाना चाहिए।
v. अपने समाज की समस्याओं का चित्रण करते समय हमेशा विधायक दृष्टि अपनाया जाना चाहिए।

अस्तु, पत्रकारिता जगत् में सम्पादक बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति होता है। बाबू विष्णुराव पराड़कर ने सम्पादक को कलमकारों की टीम का सेनापति कहा है। पत्रकारिता की दुनिया में सम्पादकीय दायित्वों का निर्वहन रचनात्मक कौशल का परिचायक माना जाता है। नियन्त्रण, निर्देशन, परीक्षण एवं निरीक्षण करना सम्पादक का मुख्य कार्य होता है। इस आलोक में सम्पादकीय दायित्वों का विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है –

i. **राष्ट्र के प्रति दायित्व –** वस्तुतः पत्रकारिता के द्वारा जो परोसा जाता है, उसका सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है, पूरे देश पर पड़ता है इसलिए सम्पादक का प्रथम दायित्व राष्ट्र के प्रति होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करना पहला दायित्व है।

ii. **समाज के प्रति दायित्व –** सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता के लिए सम्पादक को सदैव तत्पर रहना चाहिए। सामाजिक एकता एवं समरसता को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करने वाले लेखन को नियन्त्रित करने का दायित्व भी सम्पादकों का ही है। कहना गलत न होगा कि सम्पादक जिस दृष्टिकोण से समाज को देखता है, ठीक वैसे ही समाज के विकास के लिए अपनी कलम चलाता है इसलिए उपलब्ध सूचना के प्रकाश में सम्पादक को अपने निजी निष्कर्षों की समीक्षा करते रहना चाहिए।

iii. **पाठकों के प्रति दायित्व –** पाठकों के बिना पत्रकारिता की उपयोगिता एवं महत्त्व शून्य है। समाचार पत्र हो या पत्रिका, सभी में पाठक ही सर्वमान्य मंच होता है। इस मंच के माध्यम से ही सम्पादक अपने पाठकों की रुचि का पता लगाता है। साथ-ही-साथ समाचार पत्र की नीति को ध्यान में रखकर वह अपने पाठकों की अभिरुचि के अनुसार लेख समाचार आदि प्रकाशित करवाता है। समाचार पत्र-पत्रिकाओं में त्रुटि होने पर गलती मान लेना व उसका खण्डन प्रकाशित करना सम्पादक का परम कर्त्तव्य है। कभी-कभी सम्पादक कार्य-कारण न्याय द्वारा बताता है कि भविष्य में किस प्रकार के घटनाक्रम की आशा की जा सकती है।

iv. **स्वामी या संस्थान के प्रति दायित्व –** आरम्भिक दौर में पत्रकारिता का स्वरूप मिशनरी था। हालाँकि आज की पत्रकारिता में सम्पादक समकालीन व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करते हुए संस्थान या स्वामी के प्रति अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहा है।

इस प्रकार पत्रकारिता के सन्दर्भ में सम्पादक दूरद्रष्टा होता है। यही वजह है कि प्रखरता एवं दक्षता के अलावा दीर्घ अनुभवों के आधार पर ही पत्र-पत्रिकाओं में सम्पादक बनाए जाते हैं।

1.2.6. पाठ-सार

वर्तमान दौर सूचनाओं का है इसलिए आधुनिक समय में सूचनाओं की महत्ता दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। विज्ञान एवं तकनीकी विकास की बदौलत सूचनाओं का दायरा और बढ़ गया है। निस्सन्देह, ऐसे समय में पत्रकारिता और एक पत्रकार की भूमिका बहुत बढ़ गई है। हिन्दी पत्रकारिता भी इसका अपवाद नहीं है। 'मानव कल्याण एवं विकास' को केन्द्र बिन्दु मानकर अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करती हुई हिन्दी पत्रकारिता अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त की है। अस्तु, हिन्दी पत्रकारिता के विविध आयामों के अन्तर्गत लेखन, सम्पादन, समाचार, परिचर्चा, रिपोर्टिंग, विज्ञापन, कला, साहित्य, साक्षात्कार, समीक्षा, जीवनी, संस्मरण, एकांकी आदि के रूप में अन्तर्वस्तु-विश्लेषण उल्लेखनीय है।

1.2.7. शब्दावली

समाचार	:	किसी घटना का विवरण
फ़ीचर	:	रोचक व अगम्भीर शैली में लिखा गया आलेख
सम्पादन	:	अख़बार में प्रकाशन योग्य सामग्री का निर्माण एवं निर्णय
विज्ञापन	:	भुगतान कर प्रकाशित की गई सामग्री
कॉपी	:	प्रेस में कम्पोज के लिए भेजी जाने वाली लिखित सामग्री
अग्रलेख	:	सम्पादकीय लेख

1.2.8. बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. पत्रकारिता से आशय है –

(क) साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना
(ख) समाजोपयोगी एवं स्वस्थ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराना
(ग) वैचारिक आदान-प्रदान का सफल माध्यम बनना
(घ) उपर्युक्त सभी

2. 'फीका रहा सांस्कृतिक छठ महोत्सव' फ़ीचर का उदाहरण है –

(क) सांस्कृतिक
(ख) घटनापरक
(ग) सामाजिक
(घ) आर्थिक

3. समाचार सम्पादन में कौन-सी बात महत्त्वपूर्ण होती है –

(क) महत्त्व, स्थान, समय
(ख) स्थान, समय, घटना
(ग) समय, महत्त्व, व्यक्ति
(घ) महत्त्व, स्थान, घटना

4. किसी सम्पादक का व्यक्तित्व उभरता है –

(क) समाचार पत्र के सम्पादकीय पृष्ठ से
(ख) प्रथम पृष्ठ से
(ग) राजनैतिक पृष्ठ से

(घ) खेल पृष्ठ से

5. "यदि कुत्ता आदमी को काट ले तो ये समाचार नहीं है लेकिन विपरीत स्थिति में यह समाचार बन जाता है" – कथन है –

(क) एम. वी. कामथ
(ख) फिराक गोरखपुरी
(ग) चार्ल्स डाना
(घ) मकबूल अहमद

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. 'फ़ीचर' से आप क्या समझते हैं ?
2. समाचार के मूलभूत तत्त्वों पर प्रकाश डालिए।
3. रिपोर्टर के आवश्यक गुणों का उल्लेख कीजिए।
4. साक्षात्कार की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।
5. सम्पादक के मुख्य दायित्वों को स्पष्ट कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. "साक्षात्कारकर्त्ता बहुत कुछ अपनी कल्पना के आधार पर किसी आन्तरिक व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है।" टिप्पणी कीजिए।
2. "फ़ीचर लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है।" इस कथन की पुष्टि कीजिए।

1.2.9. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

1. मिश्र, डॉ॰ चन्द्रप्रकाश, मीडिया लेखन : सिद्धान्त एवं व्यवहार, संजय प्रकाशन, नयी दिल्ली
2. चतुर्वेदी, प्रेमनाथ, समाचार सम्पादन, एकेडमी पब्लिशर्स, नयी दिल्ली
3. तिवारी, डॉ॰ रामचन्द्र, पत्रकारिता के विविध रूप, आलेख प्रकाशन, नयी दिल्ली
4. वैदिक, डॉ॰ वेदप्रताप, हिन्दी पत्रकारिता के विविध आयाम, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नयी दिल्ली
5. सिंह, डॉ॰ निशान्त, पत्रकारिता की विभिन्न विधाएँ, राधा पब्लिकेशंस, नयी दिल्ली

❖❖❖

खण्ड – 1 : हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप और प्रमुख प्रकार

इकाई – 3 : हिन्दी पत्रकारिता की भाषा का क्रमिक विकास

इकाई की रूपरेखा

1.3.0. उद्देश्य कथन
1.3.1. प्रस्तावना
1.3.2. हिन्दी पत्रकारिता के उद्भव काल की भाषा
  1.3.2.1. उदन्त मार्त्तण्ड
  1.3.2.2. बंगदूत
  1.3.2.3. बनारस अख़बार
  1.3.2.4. समाचार सुधा वर्षण
1.3.3. भारतेन्दु मण्डल की पत्रकारिता की भाषा
  1.3.3.1. कवि वचन सुधा
  1.3.3.2. हिन्दी प्रदीप
1.3.4. 20वीं सदी में हिन्दी पत्रकारिता की भाषा
  1.3.4.1. भारतमित्र एवं सरस्वती
  1.3.4.1.1. गाँधीयुग की पत्रकारिता
  1.3.4.2. आज
1.3.5. स्वातन्त्र्योत्रर भारत में हिन्दी पत्रकारिता की भाषा
  1.3.5.1. हिन्दुस्तान
  1.3.5.2. जनसत्ता
  1.3.5.3. नवभारत टाइम्स
1.3.6. भूमण्डलीकरण के दौर में हिन्दी पत्रकारिता की भाषा
1.3.7. पाठ-सार
1.3.8. बोध प्रश्न
1.3.9. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1.3.0. उद्देश्य कथन

हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास आधुनिक हिन्दी भाषा के विकास की कहानी भी है। इस इकाई में हिन्दी पत्रकारिता के उद् भव काल (19वीं सदी) से लेकर स्वतन्त्रता-आन्दोलन, स्वातन्त्र्योत्तर भारत और वर्तमान भूमण्डलीय दौर में हिन्दी भाषा के विकास की चर्चा की गई है। करीब दो सौ सालों की इस यात्रा में हिन्दी अनेक पड़ावों से गुजरी और उसकी अभिव्यक्ति क्षमता में लगातार संवृद्धि आती गई। हिन्दी पत्रकारिता के शुरुआती दौर में खड़ीबोली हिन्दी पर ब्रजभाषा के प्रभाव, स्वातन्त्र्योत्तर भारत में अख़बारों, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो-

टेलीविजन में हिन्दी के बरतने में संस्कृतनिष्ठता का आग्रह, बाद के दशकों में बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल और भूमण्डलीय दौर में अंग्रेजी के प्रभाव की चर्चा की गई है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप –

i. हिन्दी पत्रकारिता की भाषा के विकास-क्रम से परिचित हो सकेंगे।
ii. हिन्दी पत्रकारिता की भाषा में संस्कृत के शब्दों के इस्तेमाल, हिन्दी क्षेत्र की बोलियों के प्रभाव और फिर आम बोलचाल की भाषा के तरफ झुकाव को समझ सकेंगे ।
iii. भूमण्डलीकरण के इस दौर में हिन्दी अख़बारों की भाषा पर टेलीविजन समाचार चैनलों का प्रभाव और अंग्रेजी के शब्दों के बेधड़क इस्तेमाल की प्रवृत्ति को समझ सकेंगे।
iv. हिन्दी भाषा की स्वतन्त्र पहचान और पहचान के संकट से भी आप परिचित हो सकेंगे।

1.3.1. प्रस्तावना

हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत 30 मई 1826 को 'उदन्त मार्त्तण्ड' के प्रकाशन से होती है । इसे युगल किशोर सुकुल के सम्पादकत्व में कलकत्ता से 'हिन्दुस्तानियों के हित के हेतु' निकाला गया था । यह साप्ताहिक समाचार पत्र मंगलवार को प्रकाशित होता था परन्तु अल्प समय में, करीब डेढ़ वर्ष बाद ही, इसे बन्द कर देना पड़ा। वहीं हिन्दी का पहला दैनिक वर्ष 1854 में 'समाचार सुधावर्षण' के रूप में प्रकाश में आया जो श्याम सुन्दर सेन के सम्पादकत्व में वर्ष 1868 तक कोलकाता से ही प्रकाशित होता रहा । राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द' के प्रयास से हिन्दी क्षेत्र, बनारस, से पहली बार 'बनारस अख़बार' का प्रकाशन हुआ। यूँ तो वर्ष 1826-60 के बीच हिन्दी में कुछेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ परन्तु हिन्दी पत्रकारिता में गति वर्ष 1860 के बाद ही पकड़नी शुरू हुई जब भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनकी मण्डली के लेखक-पत्रकार हिन्दी की सार्वजनिक दुनिया (पब्लिक स्फीयर) में सक्रिय हुए। उन्होंने अपने पत्रों के माध्यम से बहस-मुबाहिसा में भाग लिया और इसे विस्तार दिया।

19वीं सदी के आखिरी दशकों और 20वीं सदी के शुरुआती दो दशकों में जो पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन हुए उसमें साहित्यिक और राजनैतिक पत्र-पत्रिकाओं का कोई ठोस विभाजन नहीं मिलता । असल में उस दौर में ज्यादातर साहित्यकार ही पत्रकार भी थे फिर भी जहाँ कवि वचन सुधा, हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, भारतमित्र, सार सुधानिधि, उचित वक्ता और हिन्दी प्रदीप जैसे पत्र साहित्यिक और सामाजिक मुद्दों को तरजीह देते थे, वहीं आर्यदर्पण, भारतवर्ष, ब्राह्मण, हिन्दुस्थान आदि अपने तेवर और सामग्री के प्रकाशन में राजनैतिक ज्यादा थे।

उल्लेखनीय है कि सन् 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ हिन्दी (खड़ीबोली) गद्य की भाषा के रूप में आकार लेने लगी थी। इस तरह हिन्दी पत्रकारिता और हिन्दी गद्य का विकास एक साथ हो रहा था । सच तो यह है कि हिन्दी पत्रकारिता का उद्भव काल भारतीय राष्ट्रीयता और हिन्दी भाषा के विकास की कहानी कहता है । हिन्दी पत्रकारिता हिन्दी-उर्दू भाषा विवाद, हिन्दी भाषा और लिपि के आन्दोलन और आगे आजादी के संघर्ष में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही थी और उसकी भूमिका रेखांकित करने योग्य है । इस इकाई में आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह हिन्दी पत्रकारिता के सहारे आधुनिक हिन्दी का विकास और परिमार्जन हुआ।

आजादी के बाद 1950 में हिन्दी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया और हिन्दी पत्रकारिता एक नये विश्वास के साथ सामने आई। हिन्दी पत्रकारिता में नये विषयों – आर्थिक सामाचार, खेल समाचार आदि का प्रवेश हुआ, नयी तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ा, विज्ञापनों में बढ़ोतरी हुई और इन सबने मिलकर भाषा को प्रभावित किया और प्रकारान्तर से हिन्दी पत्रकारिता भी प्रभावित हुई परन्तु राजनैतिक स्वार्थों, राष्ट्रभाषा-राजभाषा, सवर्ण मानसिकता की तिकड़म से स्वाभाविक हिन्दी के विकास में बाधा पहुँची। सरकार के नियन्त्रण में दूरदर्शन और रेडियो में हिन्दी के संस्कृतनिष्ठ होने पर जोर बढ़ा और हिन्दी पत्रकारिता में भी उर्दू-फारसी के शब्दों, क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों के इस्तेमाल से परहेज की प्रवृत्ति दिखी। वहीं दूसरी ओर चूँकि हिन्दी पत्रकारों को ख़बरों के लिए अंग्रेजी की मूल कॉपी, अंग्रेजी की संवाद समितियों पर निर्भर होना पड़ता था इसलिए अनुवाद की एक कृत्रिम भाषा हिन्दी पत्रकारिता में दिखाई पड़ने लगी। इस भाषा से आम लोगों का कोई रिश्ता नहीं था, न ही इससे पत्रकारिता और जनसंचार के मूल उद्देश्य – ख़बरों, विचारों को आम जनता तक पहुँचाना, उन्हें शिक्षित करना – को ही पाया जा सकता था।

आगे हम देखेंगे कि किस तरह बाद के दशकों में, खासकर आपातकाल (1975-77) के बाद, हिन्दी क्षेत्र में शिक्षा और आय में बढ़ोतरी होने से जब बाज़ार फैला हिन्दी पत्रकारिता शहरों से दूर कस्बों, गाँव-देहातों तक भी पहुँची तब हिन्दी भाषा में क्षेत्रीय भाषाओं-बोलियों का प्रयोग भी बढ़ा। हिन्दी पत्रकारिता की भाषा नई चाल में ढली। साथ ही उदारीकरण, भूमण्डलीकरण के आने से अंग्रेजी संचार की मुख्य भाषा के रूप में उभरी है। इन्हीं वर्षों में भारत में निजी टेलीविजन समाचार चैनलों का प्रसार हुआ, ऑन-लाइन मीडिया का उभार हुआ, जिसका असर समकालीन हिन्दी पत्रकारिता की भाषा पर भी पड़ा और 'कोड मिक्सिंग / कोड स्वीचिंग' की प्रवृत्ति बढ़ी जो 'हिंग्लिश' के रूप में वर्तमान में हमारे समाने है।

भाषा सामाजिक-सांस्कृतिक निर्मिति है। यह महज संवाद का माध्यम ही नहीं है। इसमें मनुष्य की भावनाएँ, संवेदनाएँ, चिन्ता और चिन्तन की अभिव्यक्ति होती है। आधुनिक समाज में पत्रकारिता की पहुँच साहित्य से कई गुणा ज्यादा है। पत्रकारिता की भाषा मूलतः ख़बरों (सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, खेल आदि), सम्पादकीय और विज्ञापन की भाषा के रूप में हमारे सामने आती है।

इस इकाई में हम हिन्दी पत्रकारिता के करीब 200 वर्षों के इतिहास में प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं के उदाहरण के माध्यम से हिन्दी भाषा के क्रमिक विकास और उसकी प्रवृत्तियों को देखने की कोशिश करेंगे।

1.3.2. हिन्दी पत्रकारिता के उद्भव काल की भाषा

युगल किशोर सुकुल ने जब हिन्दी को पहला साप्ताहिक समाचार पत्र दिया तब एक प्रशासकीय विज्ञप्ति 'इस कागज के प्रकाशक का इश्तिहार' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुई। जिसके तहत लिखा था – "यह उदन्त मार्त्तण्ड पहले-पहल हिन्दुस्तानियों के हित के हेतु जो आज तक किसी ने नहीं चलाया परन्तु अँगरेजी ओ पारसी ओ बंगले में जो समाचार का कागज छपता है, उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है

... हिन्दुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ ओ समझ लेंय ओ पराइ अपेक्षा को अपने भाषे के उपज न छोड़े इसलिए बड़े दयावान् करुणा और गुणनि के निधान सबके कल्यान के विषय गबरनर जेनेरेल बहादुर की आयस से है असे साहस में चित्त लगाय के एक प्रकार से नया ठाट ठाटा ... ।" उदन्त मार्त्तण्ड में देश-विदेश, गाँव-शहर, हाट-बाज़ार सम्बन्धी सूचनाएँ, अफसरों की नियुक्तियाँ, इश्तहार, समाचार आदि प्रकाशित होती थीं । उदन्त मार्त्तण्ड की खड़ीबोली शैली में लिखी हिन्दी भाषा पर मध्यदेशीय भाषा का प्रभाव दिखता है । शुक्ल खुद ब्रजभाषा, संस्कृत, खड़ीबोली, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भाषा के जानकार थे । इसका असर उदन्त मार्त्तण्ड की भाषा पर भी दिखता है । इस पत्र के शीर्षक के नीचे संस्कृत में ये पंक्तियाँ लिखी होतीथीं :

दिवाकान्त कान्ति विनाध्वान्तमन्तं
न चाप्नोति तद्वज्जगत्यज्ञ लोकः ।
समाचार सेवामृतेज्ञत्वमाप्तं
न शक्नोति तस्मात्करोमीति यत्नं ॥

1.3.2.1. उदन्त मार्त्तण्ड

उदन्त मार्त्तण्ड के पहले अंक (30 मई 1826) में 'श्रीमान् गवर्नर-जनरल बहादुर का सभावर्णन' प्रकाशित हुआ था । उदाहरण के लिए उस सभावर्णन के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं :

"अंगरेजी 1826 साल 19 में को सरकार कम्पनि अंगरेज बहादुर जो ब्रह्मा के बीच में परस्पर सन्धि हो चुकने के प्रसंग से यह दरबार शोभनागार हो के श्रीमान लार्ड एमहसर्ट गवरनर जेनेरेल बहादुर के साक्षात से मौलवि महम्मद खलिलुद्दीन ख़ाँ अवधबिहारी बादशाह के ओर से वकालत के काम पावने के प्रसंग से सात पारचे की खिलअत ओ जिगा सर पेच जडाऊ मुलाहार औ पालकि झालदार ओ ..." साथ ही उदन्त मार्त्तण्ड में प्रकाशित इश्तहार की भाषा भी द्रष्टव्य है – "सभों को ख़बर दी जाती है कि जो किसि को गंगा को मिट्टी लेनी होय तो तीर की राह वल्ली और फुट 15 के अटकल जगह छोडके खाले की भुंई खनि लेय और जब ताईं दूसरा हुकम न होय तबतक यही हुकम बहाल रहेगा और जिसकी मिट्टी को दरकार होय वह उसी ओर की राह के अमीन मेस्टर केलार्क साहब के यहाँ अरजी देवेगा ।" यहाँ पत्रिका में प्रकाशित लखनऊ के एक दृश्य के वर्णन का यह प्रसंग उद्धृत किया जा रहा है – "फिर जब वे आसफुद्दौला के महल के पास होके निकले उस समय बादशाह की जेठी बहिन की डेवढ़ी की तैनाती फौज आके सलामी की । जब सवारी फरीदबख़्श मुलतानी कोठी के पास पहुँची वहाँ पर बहुत सी तोपें दगियाँ और लोगों ने उसी कोठी में जाके हाजरी खाई ।"

जब 4 दिसंबर 1827 को शुक्ल ने इसे सरकारी सहायता के अभाव और पाठकों के कमी के कारण बन्द किया तब बहुत व्यथित होकर उन्होंने अन्तिम अंक के सम्पादकीय में लिखा :

आज दिवस लौं उग चुक्यौ मार्त्तण्ड उदन्त ।
अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अस्त ॥

अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी (संवत् 2010 : 102) ने उदन्त मार्त्तण्ड की भाषा के प्रसंग में लिखा है– "जहाँ तक उदन्त मार्त्तण्ड की भाषा का प्रश्न है, वह उस समय लिखी जाने वाली भाषा से हीन नहीं है। उसके सम्पादक बहुभाषाज्ञ थे ... उदन्त मार्त्तण्ड हिन्दी का पहला समाचार पत्र होने पर भी भाषा और विचारों की दृष्टि से सुसम्पादित पत्र था।" उदन्त मार्त्तण्ड की भाषा की परख यदि हम आज के पैमाने पर करें तो निस्सन्देह उसमें व्याकरण, शब्द-विन्यास, वाक्य-संरचना की काफी त्रुटियाँ मिलती हैं। उसमें तोपें दगियाँ, हाजरी खाई, शोभनागार होके जैसे प्रयोग मिलते हैं। साथ ही आवेगा, जावेगा, देवेगा, होय, तोय का इस्तेमाल भी मिलता है। सेवाय, ऊसने, खलीती, मरती समय, खिलअतें, परंत, भेंट भवाई, सभों जैसे शब्द भी हैं जिसका ठीक-ठीक अर्थ लगाने में आज के दौर में हिन्दी पढ़ने-समझने वालों को परेशानी होगी। फिर भी उदन्त मार्त्तण्ड में खड़ीबोली हिन्दी के आरम्भिक रूप की झलक मिलती है जिसका विकास आगे जाकर हुआ।

1.3.2.2. बंगदूत

उदन्त मार्त्तण्ड के प्रकाशन के बाद राजा राममोहन राय के सम्पादक मण्डल के तहत हिन्दी में बंगदूत के प्रकाशन का ज़िक्र मिलता है। यह भी एक साप्ताहिक पत्र था। इसका पहला अंक 10 मई 1829 को निकला था।

कृष्ण बिहारी मिश्र (2004: 480-481) ने भी बंगदूत के हिन्दी में प्रकाशित होने के बारे सूचना देते हुए इसमें जो हिन्दी के नमूने मिलते हैं उसे अपनी किताब 'हिन्दी पत्रकारिता' में उद्धृत किया है –

"बंगदूत॥

दूतनि की यह रीति बहुत थोरे में भाषै।
लोगनि को बहुलाभ होय वाही ते लाखैं॥
बंगला के दूत पूत यहि वायु को जानौ।
होय विदित सब देश क्लेश को लेख न मानौ॥

... यह समाचार नित शनिवार की रात को छपवा भोर होकर एतवार को उसके गाको को बाँट दिया जावेगा इस कागज के अधिकारी मिष्टर आर यम् मार्टीन साहिब और राममोहन राय और द्वाराकानाथ ठाकुर और प्रसन्न कुमार और नीलरत्न हालदार और राजकृष्ण सिंह और राजनाथ मित्र ठहरे हैं।"

बंगदूत के 11-12 अंक ही निकले। यह पत्र मूलतः बांग्ला के साथ-साथ आवश्यकता होने पर फारसी और हिन्दी में छपता था। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल (संवत् 2054: 234) ने भी इस पत्र का उल्लेख करते हुए लिखा है, "राजा साहब की भाषा में एकआध जगह कुछ बांग्लापन ज़रूर मिलता है परन्तु उसका अधिकांश में वही है जो शास्त्रज्ञ विद्वानों के व्यवहार में आता है।" नमूने के रूप में शुक्लजी ने बंगदूत के इस अंश को उद्धृत किया है – "जो सब ब्राह्मण सांग वेद अध्ययन नहीं करते सो सब व्रात्य हैं, यह प्रमाण करने की इच्छा करने ब्राह्मण-धर्म-परायण श्री सुब्रह्मण्य शास्त्रीजी ने जो पत्र सांगवेदाध्ययनहीन अनेक इस देश के ब्राह्मणों के समीप पठाया है, उसमें

देखा जो उन्होंने लिखा है – वेदाध्ययनहीन मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष होने शक्ता नहीं ।" चूँकि बंगदूत के अंक सहज सुलभ नहीं हैं इसलिए इसकी भाषा के बारे में अन्तिम रूप से कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती । फिर भी ऊपर जो उद्धरण दिए गये हैं और अन्यत्र जो उदाहरण मिलते हैं, उससे स्पष्ट है कि बंगदूत की भाषा जटिल और अबूझ है जिससे भाव समझने में परेशानी होती है । इस पत्र में भी व्याकरण सम्बन्धी त्रुटि – छपैगी, भाषैं, करैं आदि शब्दों के प्रयोग में दिखते हैं । साथ ही सतवारे, बैपारी, भांगी, आवते, पठाया जैसे शब्दों के प्रयोग मिलते हैं । देशान्तरनि, प्रसंगनि, आवते जैसे प्रयोग इस पत्र पर भी उदन्त मार्त्तण्ड की तरह ब्रजभाषा के प्रभाव को इंगित करता है ।

1.3.2.3. बनारस अख़बार

वर्ष 1845 से राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द ने साप्ताहिक 'बनारस अख़बार' शुरू किया जिसकी भाषा बोलचाल की हिन्दुस्तानी थी । इसका खूब विरोध उस दौर में किया गया । अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी (संवत् 2010:105) ने लिखा है कि "परन्तु यह नाम का हिन्दी पत्र होने पर भी वास्तव में उर्दू का अख़बार है जो नागरी व हिन्दी अक्षरों में सन् 1845 से निकलता था ।" इस साप्ताहिक अख़बार में हिन्दुस्तानी भाषा का एक रूप इस उदाहरण से स्पष्ट है – "यहाँ जो पाठशाला कई साल से जनाब कप्तान किट साहब बहादुर के इहतिमाम और धर्मात्माओं के मदद से बनता है उसका हाल कई दफा जाहिर हो चुका है । अब वो मकान एक आलीशान बन्ने का निशान तय्यार हर चेहार तरफ से हो गया है बल्कि इसके नक्शे का बयान पहलि मुंदर्ज है सो परमेश्वर की दया से साहब बहादुर बहुत मुस्तैदी से बहुत बेहतर और माकूल बनवाया है ।"

इस उर्दूमिश्रित भाषा को उस जमाने में सामान्य जनों के लिए दुरूह समझी गई लेकिन बाद के हिन्दी पत्रकारिता के विकास-क्रम में यह जनसंचार की भाषा बनी जो भाव के सम्प्रेषण में माकूल है । असल में बाद के दशकों में पश्चिमोत्तर प्रान्त (वर्तमान उत्तरप्रदेश) में हिन्दी-उर्दू विवाद आगे बढ़ा और हिन्दी-मुस्लिम भद्रवर्ग के बीच भाषाई वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई । इससे स्वाभाविक हिन्दी का विकास बाधित हुआ । आजादी के बाद भी सरकारी हिन्दी को संस्कृतनिष्ठ और उर्दू-फारसी से परहेज के तहत तैयार किया गया । हालाँकि रामचन्द्र शुक्ल ने शिवप्रसाद की भाषा को भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की भाषा के बरअक्स रखते हुए चिन्तामणि (सं. नामवर सिंह : 1985 :71) में लिखा, "राजा शिवप्रसाद मुसलमानी हिन्दी का स्वप्न ही देखते रहे कि भारतेन्दु ने स्वच्छ आर्य हिन्दी की शुभ्र छटा दिखाकर लोगों को चमत्कृत कर दिया ।" शिवप्रसाद सितारेहिन्द की भाषा संस्कृतनिष्ठ नहीं थी और पण्डिताऊपन से मुक्त थी । हालाँकि वर्तनी की एकरूपता उसमें नहीं थी ।

आगे हम 'आर्य हिन्दी' के परिप्रेक्ष्य में भारतेन्दु मण्डल की पत्रकारिता की भाषा देखेंगे और शुक्लजी के इस कथन को परखेंगे ।

1.3.2.4. समाचार सुधा वर्षण

समाचार सुधावर्षण वर्ष 1854 में कलकत्ते से ही श्यामसुन्दर सेन के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुआ। इसे हिन्दी का पहला दैनिक समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। यह वर्ष 1868 तक निकला। समाचार सुधावर्षण की भाषा का स्वरूप समझने के लिए इस पत्र से कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत हैं –

“आजकल कलकत्ता महानगर में बाज़ार में सोना बड़ा सस्ता बिकने को आरम्भ भया है। पहिले दर से देढ़ रुपया या दो रुपया तक दर कम भया है। 14 या 14। चौदा या साढ़े चौदा रुपये के भाव से आजकल बिकता है।”

* * *

“हम लोगों ने अपने प्रिय बन्धुओं के मुख से सुना है कि अयोध्याजी में बड़ा युद्ध उपजा है इस युद्ध का कारण यही है कि अयोध्यापुरी के श्री हनुमान गढ़ी के निकट एक शिवालय है उस पर से रेल रोड की सड़क सीधी जाती है इसलिए रेल रोड के साहबों ने हनुमानगढ़ी के महन्तजी से कहा कि इस महोदेवजी के उठाय के तुम लोग और जगह रखो।”

डॉक्टर रामचन्द्र तिवारी (1999:25) ने लिखा है – “दैनिक जीवन के अधिक निकट होने के कारण इसकी भाषा बोलचाल के अत्यन्त निकट है।” उन्होंने इसके नमूने के तौर पर समाचार सुधावर्षण में प्रकाशित इस अंश को उद्धृत किया है – “यह सत्य हम लोग अपनी आँखों से प्रत्यक्ष महाजनों की कोठियों में देखते हैं कि एक को लिखी हुई चिट्ठी दूसरा जल्दी बाँच सकता नहीं। चार-पाँच आदमी लोग इकट्ठा बैठ के ममा टका कक घघ डडा कहिके फेर मिट्टी का घड़ा बोल के निश्चय करते हैं। क्या दुख की बात है। कहिये तो अपने पास से द्रव्य खर्च करके विद्यादान देने की लत तो दूर रही अपने विद्या सीखना बड़ा ज़रूरत है। सब अक्षरों से देवनागर अक्षर सहज ओ सर्वदेश में प्रचलित है। इसको प्रथम सीखना है।” इसी तरह कृष्ण बिहारी मिश्र (2004:77) ने लिखा है – “जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, बांग्ला का प्रभाव होते हुए भी इस पत्र की भाषा में एक विशेष प्रकार की सफाई है।” हिन्दी पत्रकारिता के इस आरम्भिक दौर के बाद हिन्दी गद्य की भाषा का एक मुकम्मल स्वरूप दिखाई देने लगा। इसमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनके सहयोगी लेखक-पत्रकारों – बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी ‘प्रेमघन’ आदि की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।

1.3.3. भारतेन्दु मण्डल की पत्रकारिता की भाषा

हिन्दी पत्रकारिता के उद्‌भव काल के बाद का दौर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (1850-1885) और उनके मण्डल के पत्रकार-लेखकों के नाम है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कवि-लेखक-नाटककार के साथ-साथ उनके पत्रकार रूप का ऐतिहासिक महत्त्व है। उद्‌भव काल के पत्रकारिता की भाषा का स्वरूप अस्थिर और अपमार्जित था, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने कवि वचन सुधा (1868), हरिश्चन्द्र मैगजीन (1873) और बाला बोधिनी

(1874) जैसी पत्रिकाओं के सम्पादन द्वारा हिन्दी पत्रकारिता की विषय-वस्तु और भाषा दोनों को संवृद्ध किया। साथ ही उनके समकालीन, सहयोगी सहित्यकारों मसलन, बालकृष्ण भट्ट ने हिन्दी प्रदीप (1877) और प्रतापनारायण मिश्र ने ब्राह्मण (1883) पत्र निकाल कर हिन्दी भाषा को प्रवाहमयी बनाया।

1.3.3.1. कवि वचन सुधा

कवि वचन सुधा के प्रकाशन से हिन्दी पत्रकारिता के दूसरे युग की शुरुआत मानी जाती है। भारतेन्दु ने 23 मार्च 1874 में कवि वचन सुधा में एक प्रतिज्ञा पत्र प्रकाशित किया था, जिसे कवि वचन सुधा की भाषा के दृष्टान्त के रूप में हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। इन पंक्तियों में भारतेन्दु की राजनैतिक चेतना भी परिलक्षित होती है – "हम लोग सर्वान्तदासी सत्र स्थल में वर्तमान सर्वद्रष्टा और नित्य सत्य परमेश्वर को साक्षी दे कर यह नियम मानते हैं और लिखते हैं कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा नहीं पहिनेंगे और जो कपड़ा पहलि से मोल चुके हैं और आज कीमिती तक हमारे पास है उन को उन के जीर्ण हो जाने तक काम में लावेंगे पर नवीन मोल लेकर किसी भाँति का विलायती कपड़ा न पहिरेंगे हिन्दुस्तान का ही बना कपड़ा पहिरेंगे ... ।" रामचन्द्र शुक्ल (संवत् 2054: 246) ने हालाँकि लिखा है –"उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिन्दी साहित्य को भी नये मार्ग पर ला खड़ा किया।" शुक्लजी भाषा के स्वरूप को स्थिर करने का श्रेय भारतेन्दु को देते हैं, पर जब हम उनकी लेखनी पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि संस्कृतनिष्ठता का आग्रह है और उनकी भाषा पर ब्रजभाषा का प्रभाव बना रहा। साथ ही पूरबी प्रयोग बहुत मिलता है।

खुद भारतेन्दु ने 1873 में हरिश्चन्द्र चन्द्रिका में लिखा – "हिन्दी नई चाल में ढली।" हालाँकि वीर भारत तलवार ने अपनी किताब रस्साकशी (2002: 85-86) में गहन शोध के बाद लिखा है – "1873 से पहले और 1873 के बाद, भारतेन्दु की भाषा में कोई बुनियादी फर्क नहीं मिलता। उनका झुकाव हमेशा से कुछ-कुछ पूरबी उच्चारण वाले जनपदीय प्रयोगों के साथ संस्कृतनिष्ठ हिन्दी लिखने की ओर रहा जिसमें अरबी-फारसी के शब्द कम से कम होते थे।" तलवार उदाहरणस्वरूप लार्ड मेयो की हत्या पर भारतेन्दु ने कवि वचन सुधा (24 फरवरी 1872) में जो सम्पादकीय लिखा था, उसके अंश को उद्धृत करते हैं – "आज दिन हम उस मरण का वृत्तान्त लिखते हैं जिसकी भुजा की छाँह में सब प्रजा सुख से कालक्षेप करती थी।" तलवार रेखांकित करते हैं कि मृत्यु या मौत के लिए मरण, हाल के लिए वृत्तान्त और कालक्षेप जैसे प्रयोग उनकी संस्कृतनिष्ठता, बनावटीपन को दिखाता है। यह सच है कि हर जगह भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की भाषा एक जैसी नहीं है परन्तु भारतेन्दु मण्डल के लेखकों मसलन, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' आदि की पत्रकारिता में भाषा के प्रति दृष्टिकोण और रवैया भारतेन्दु की तरह ही रहा। फिर भी सभी लेखक-पत्रकारों की अपनी निजी शैली भी रही जो उनके व्यक्तित्व, मनोभावों से प्रचालित होती थी। मिश्र की भाषा में बोलचाल के शब्दों का प्रयोग, मुहावरों और लोकोक्तियों का खूब प्रयोग मिलता है। इसी तरह बालकृष्ण भट्ट की भाषा में अंग्रेजी के शब्दों- सरकुलेशन, फिलासोफी, एज्यूकेशन, रिलीफ, हाईकोर्ट आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है, जो हिन्दी पत्रकारिता

की भाषा को संवृद्ध कर रही थी, उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ा रही थी। साथ ही उनमें दिखाकर की जगह दिखाय, खिलाकर के स्थान पर खिलाय जैसे क्षेत्रीय प्रयोग मिलते हैं।

इस बात से इंकार नहीं कि भारतेन्दु युग में हिन्दी पत्रकारिता की भाषा संवृद्ध हुई और हिन्दी गद्य को एक नया तेवर मिला। रामचन्द्र शुक्ल (संवत् 2054: 247) ने लिखा है – "सारांश यह है कि उस काल में हिन्दी का शुद्ध साहित्योपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहारोपयोगी रूप भी निखरा।" फिर भी इस भाषा के परिमार्जन का काम बाकी था जिसे अगले दशकों में पत्रकारों-लेखकों ने पूरा किया।

1.3.3.2. हिन्दी प्रदीप

हिन्दी प्रदीप के मुख्य पृष्ठ पर यह पंक्ति लिखी होती थी – विद्या, नाटक, इतिहास, साहित्य, दर्शन, राजसम्बन्धी इत्यादि के विषय में हर महीने की पहिली को छपता है। साथ ही मुख्य पृष्ठ पर यह उद्धृत रहता था –

शुभ सरस देश सनेह पूरित प्रगट ह्वै आनन्द भरै।
बाचि दुसह दुरजन वायुसौं मणिदीप समथिर नहि टरै।
सूझै विवेक विचार उन्नति कुमति सब यामैं जरै।
हिन्दी प्रदीप प्रकाशि मूरखातादि भारत तम हरै॥

हिन्दी प्रदीप की शुरुआती अंकों को पढ़ने पर उसकी भाषा पर संस्कृत का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। पत्रिका में भी संस्कृत के श्लोक भरे पड़े रहते थे। अंग्रेजी में भी कहावतें उद्धृत की जाती थी। हालाँकि बाद के वर्षों (20वीं सदी में) भाषा में संस्कृत का प्रभाव कम होने लगा था परन्तु पूरबी बोलियों का प्रभाव इस भाषा पर है। उदाहरण के लिए हिन्दी प्रदीप के एक अंक से 'अवसर आलोचना' शीर्षक के तहत यह उद्धरण नीचे दिया जा रहा है –

"हमें चाहिए साधारण लोगों से भी बातचीत करते समय बड़ी सावधानी रखें मुख से कोई बात न निकलने पावे जो दूसरों का जी दुखाने का बाइस हो देखने में आया है कि इस तरह की असावधानी से बहुधा कितने अनर्थ हो गये हैं और अब तक होते जाते हैं मनुष्य की जीवन के सदृश बहुमूल्य पदार्थ और क्या होगा उसमें इस असावधानता के कारण अक्सर बाधा पहुँची है ..."

गौरतलब है कि पूर्ण विराम का इस्तेमाल इस उद्धरण में कहीं नहीं हुआ है। साथ ही पावे, बाइस जैसे प्रयोग भी हैं। व्याकरण की त्रुटियों के बाबजूद इस उद्धरण की भाषा में हिन्दी पत्रकारिता का एक व्यावहारिक रूप मिलता है जो सरल और सहज है।

समाचार सुधावर्षण के बाद कालाकांकर का हिन्दोस्थान और कोलकाता का भारतमित्र ने दैनिक समाचार पत्रों की परम्परा को कायम रखा। बीसवीं सदी में इसी क्रम में प्रताप (1913), आज (1920) सैनिक (1935) आदि प्रमुख अख़बारों का उल्लेख होता है।

1.3.4. 20वीं सदी में हिन्दी पत्रकारिता की भाषा

20वीं सदी देश की आजादी के लिए संघर्ष की गाथा है जिसे हम हिन्दी पत्रकारिता के द्विवेदी युग (1900-1920) और गाँधी युग (1920-47) में विभक्त कर सकते हैं। भारतेन्दु और उनके सहयोगी पत्रकार-साहित्यकार मित्रों ने हिन्दी को भले ही साहित्यिक और व्यावहारिक भाषा बनाया परन्तु अभी भी हिन्दी को परिनिष्ठित गद्य की भाषा नहीं बनाया जा सका था, जिसे सरस्वती पत्रिका (1900) के सम्पादक (1903-1920) के रूप में महावीरप्रसाद द्विवेदी ने पूरा किया। साथ ही द्विवेदी के समकालीन पत्रकार बालमुकुन्द गुप्त ने भी भारतमित्र पत्रिका के माध्यम से हिन्दी का प्रचार किया, उसके गद्य को सँवारा था और हिन्दी क्षेत्र में राजनैतिक चेतना का प्रसार किया। वे 1899 में इस पत्रिका के सम्पादक बने।

1.3.4.1. भारतमित्र एवं सरस्वती

21अक्टूबर 1905 को भारतमित्र में बंगविच्छेद शीर्षक से प्रकाशित लेख का एक अंश यहाँ प्रस्तुत है –

“आपके शासनकाल में बंगविच्छेद इस देश के लिए अन्तिम विषाद और आपके लिए अन्तिम हर्ष है। ... यह बंगविच्छेद बंग का विच्छेद नहीं। बंग निवासी इससे विच्छिन्न नहीं हुए, वरंच और युक्त हो गये। ... बहुत काल के पश्चात् भारत सन्तान को होश हुआ कि भारत की मट्टी वन्दना के योग्य है। इसी से वह एक स्वर से ‘वन्देमातरम्’ कह कर चिल्ला उठे।”

छोटे-छोटे, सहज वाक्यों में भावों की अभिव्यक्ति, सूचना के प्रसार की यह शैली बाद के दिनों में हिन्दी के पत्रकारों ने अपनाया। पत्रकारिता की वाक्य रचना और पद विन्यास को द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से दुरुस्त किया।

इसी दौर में भाषा की परिनिष्ठता और शुद्ध रूप को लेकर साहित्यकारों और पत्रकारों के बीच विमर्श भी शुरू हो गया था। कृष्ण बिहारी मिश्र (2004: 273) लिखते हैं – “अनिस्थिरता शब्द को लेकर द्विवेदीजी और गुप्तजी में जो वाद-विवाद हुआ वह हिन्दी साहित्य का ऐतिहासिक वाद-विवाद है जिसकी शुरुआत द्विवेदी के ‘भाषा और व्याकरण’ शीर्षक के उस लेख से हुई जो सरस्वती के 11 नवंबर 1905 ई. के अंक में प्रकाशित हुआ था। इस लेख में द्विवेदीजी ने भारतेन्दु तथा भारतेन्दु-मण्डल के अनेक लेखकों की भाषा की अशुद्धियाँ दिखायीं।” हिन्दी पत्रकारिता में महावीरप्रसाद द्विवेदी को भाषा-परिष्कारक सम्पादक के रूप में जाना जाता है। हिन्दी की अभिव्यंजना में इस दौर में काफी वृद्धि हुई। पत्र-पत्रिकाओं में साहित्य के अलावे नये विषयों-धर्म, संस्मरण, राजनीति, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे आदि का समावेश हुआ। हालाँकि इस दौर में भी हिन्दी भाषा पर संस्कृत का काफी प्रभाव है। भाषा की सम्प्रेषणीयता को बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार अंग्रेजी के शब्दों, जैसे – म्युनिसिपैलिटी, चेयरमैन, गवर्नमेंट, पोएट्री, सर्टिफिकेट आदि का इस्तेमाल किया जाने लगा था। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी प्रसंगवश होने लगा था। लोक में प्रचलित विदेशी शब्दों जैसे, कद्र, खुशामद, बेख़बर, कबूल, मौजूद का भी वाक्य में प्रयोग किया जाने लगा था।

1.3.4.1.1. गाँधीयुग की पत्रकारिता

20वीं सदी के दूसरे दशक में गाँधी का भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन में प्रवेश एक युगान्तकारी घटना थी जिसका असर राजनीति, समाज, साहित्य, पत्रकारिता पर भी खूब पड़ा। साहित्य और राजनैतिक पत्रकारिता में विभेद शुरू हुआ। हिन्दी पत्रकारिता की मूल प्रवृत्ति साहित्य से राजनीति की ओर अग्रसर हुई। पत्र-पत्रिकाओं में जोर विचार के बदले ख़बरों के प्रसार पर बढ़ा। गाँधी खुद भी एक कुशल पत्रकार थे और हिन्दुस्तानी भाषा के पक्षधर थे जिससे अपनी बात को वे आम जनता तक पहुँचा सकें। गाँधी के विचारों का असर हिन्दी पत्रकारिता पर खूब पड़ा। उस दौर में गणेश शंकर 'विद्यार्थी', विष्णु पराड़कर जैसे पत्रकार स्वतन्त्रता सेनानी भी थे। आज के प्रकाशन से पहले हिन्दी पत्रकारिता में जोर साप्ताहिक पत्रों का ज्यादा था और उनका प्रसार भी कम था। आज के प्रकाशन के साथ हिन्दी पत्रकारिता एक नये युग में प्रवेश करती है और सही मायनों में जन से जुड़ती है और इस क्रम में पत्रकारिता की भाषा में भी स्पष्ट परिवर्तन दिखाई पड़ता है। दैनिक पत्रों की भाषा साप्ताहिक पत्रों से भिन्न होती है क्योंकि दैनिक पत्रों में भाषा का जो स्वरूप होता है उसका ध्येय कम समय में तेजी से ख़बरों को प्रकाशित-प्रसारित करना होता है। यहाँ साज-सज्जा पर कम ध्यान दिया जाता है।

1.3.4.2. आज

वर्ष 1920 में बनारस के शिवप्रसाद गुप्त के द्वारा आज अख़बार का प्रकाशन शुरू किया गया जिसके सम्पादक विष्णु पराड़कर थे। उन्होंने पहले अंक में लिखा – "हमारा उद्देश्य अपने देश के लिए सब प्रकार से स्वातन्त्र्य उपार्जन है। हम हर बात में स्वतन्त्र होना चाहते हैं।" आज के अतिरिक्त इसी वर्ष सात दैनिक और निकले जिसमें कोलकाता से निकलने वाला 'स्वतन्त्र' और दिल्ली से 'स्वराज्य' प्रमुख था। हिन्दी अख़बार अब विभिन्न केन्द्रों से निकलने लगे थे। इन अख़बारों ने और खास तौर पर आज ने हिन्दी समाज और लोगों से जुड़ी ख़बरों-विश्लेषणों के द्वारा हिन्दी की सार्वजनिक दुनिया (पब्लिक स्फीयर) का विस्तार किया। 1920-21 के दौरान आज के पहले पन्ने पर लगातार प्रकाशित होने वाले एक विज्ञापन की भाषा यहाँ प्रस्तुत है – "ज्ञान मण्डल-ग्रन्थमाला का चौथा ग्रन्थ, इटली के विधायक, महात्मागण पराधीनता के पंक से इटली का उद्धार करने वाले जगद्विख्यात महापुरुषों का आदर्श चरित्र। यूरोप की राजनैतिक चालों का वर्णन। भारत की बहुत-सी राजनैतिक उलझनें इस चरित्रों के अध्ययन से सुलझ सकती हैं।" साथ ही 'कांग्रेस का विशेष अधिवेशन – प्रथम दिन का वर्णन' शीर्षक के तहत यह रिपोर्ट जो आज में प्रकाशित हुई थी, द्रष्टव्य है – "इस बार कांग्रेस में स्त्रियाँ भी बहुत अधिक आयी थी। कुछ प्रतिनिधि और कुछ दर्शक थीं। भारत के समस्त प्रान्तों से मुसलमान डेलिगेट भी अबकी बहुत आये थे। इनका भी जोश हिन्दुओं से कम नहीं था।" स्पष्टतः रिपोर्ट सहज और छोटे-छोटे वाक्यों में लिखी गई है। इस दौर के अख़बार में-भावपूर्ण एक वक्तृता दी थी, आत्मा आनन्द होती होगी, ज्ञानवृक्ष का सिंचन करना चाहिए, सुशासन का स्मारक आदि जैसे प्रयोग भी दिखाई देते हैं। आज अख़बार की यह भाषा आगामी वर्षों में हिन्दी पत्रकारिता में उत्तरोत्तर निखरती गई, जिसे हम आगे देखेंगे।

1.3.5. स्वातन्त्र्योत्रर भारत में हिन्दी पत्रकारिता की भाषा

15 अगस्त 1947 को सम्पादक बाबूराव विष्णु पराड़कर ने आज में लिखा – "भारत आज नवयुग में प्रवेश कर रहा है। भारतमाता की पराधीनता की शृंखला टूट चुकी और आज प्रत्येक भारतवासी अपने को स्वतन्त्र अनुभव कर रहा है। इस शुभ अवसर पर केवल हम भारतवासी ही प्रसन्न नहीं है, सारा विश्व प्रसन्न है।" निस्सन्देह हिन्दी गद्य की भाषा के प्रयोग में 1947 तक आते-आते काफी विश्वास आ गया था जो पराड़कर जैसे पत्रकारों की भाषा में स्पष्ट झलकता है। आज अख़बार में आर्थिक जगत् की ख़बरों, अन्तर्राष्ट्रीय-राष्ट्रीय ख़बरों, साहित्य (कविता), विभिन्न सामाजिक-राजनैतिक मुद्दों पर विश्लेषण-टिप्पणी आदि को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाने लगा। 22 सितम्बर 1947 और 24 सितम्बर 1947 को आज में पहले पन्ने पर प्रकाशित सुर्खियों के माध्यम से अख़बार की भाषा को हम परखने की कोशिश करेंगे –

22 सितम्बर 1947

जिन्ना अल्पसंख्यकों की रक्षा में असमर्थ

20 हजार शरणार्थी प्रतिदिन हटेंगे

संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व खतरे मेंघोषणा में परिवर्तन की बात असामयिक

राज-द्रोही पाकिस्तान का मार्ग पकड़ें

* * *

24 सितम्बर 1947

भारतवर्ष की असफलता से पूरे एशिया का मरण

पश्चिमी संयुक्तप्रान्त में भीषण आतंक

दंगों के लिए एकांगी प्रचार ही दायी

साम्राज्यवादियों को चुनौती

ऊपर दिये गये सुर्खियों की भाषा ख़बरों को प्रेषित करने में सक्षम है। फिर भी प्रतिदिन, मार्ग, असामयिक, मरण जैसे शब्दों का प्रयोग जारी था जिसके बदले क्रमशः रोज़, रास्ता नापें, मौजू नहीं, मौत ज्यादा सहज रहता। मरण, भीषण, एकांगी जैसे शब्द सुर्खियों के लिए सहज नहीं कहे जा सकते। इस तरह की भाषा पर संस्कृत का स्पष्ट प्रभाव है। इसी प्रकार आज, 23 सितम्बर 1947 में प्रकाशित यह रिपोर्ट-दिल्ली में दंगा, राजधानी पर

अधिकार की चेष्टा (विशेष संवाददाता द्वारा) द्रष्टव्य है – "दिल्ली में जो कुछ हुआ, वह केवल साम्प्रदायिक उपद्रव मात्र नहीं था। उसके पीछे अनेक राजनैतिक प्रेरणाएँ काम कर रही थी। हमारे विशेष प्रतिनिधि ने सारी स्थिति के इस विश्लेषण में ऐसे रहस्यों को उद्घाटित किया है जो आश्चर्यजनक है।" यह लिखित भाषा सहज-साफ है पर औपचारिक है जो जनसंचार के लिए सटीक नहीं की जा सकती। यह कृत्रिम हिन्दी है, जिसका प्रयोग आकाशवाणी और दूरदर्शन में हो रहा था और हिन्दी पत्रकारिता के सम्पादक भी कमोबेश इस मानसिकता से पीड़ित रही। हिन्दी को आजादी के बाद शासक वर्ग की राजभाषा बनाने का जो उपक्रम शासन व्यवस्था के द्वारा चल रहा था उसमें हिन्दी पत्रकारिता अपना सहयोग दे रही थी, जो अगले दशकों में भी जारी रहा।

1.3.5.1. हिन्दुस्तान

भारत की आजादी के बाद नई दुनिया (इंदौर), नवभारत टाइम्स (दिल्ली), अमर उजाला (उत्तरप्रदेश), पंजाब केसरी (पंजाब), दैनिक भास्कर (मध्यप्रदेश) जैसे अख़बार प्रकाशित हुए। इससे पहले उत्तरप्रदेश से दैनिक जागरण (1942) और राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली से हिन्दुस्तान (1936) अख़बार का प्रकाशन हो रहा था जिनका आजादी के बाद और विस्तार हुआ। आजादी के बाद के दशकों में जब हम हिन्दी अख़बारों की भाषा पर ध्यान देते हैं तो लगता है कि हिन्दी के अख़बार एक खास मध्यम वर्ग को लक्षित हैं। भाषा में कोई खास प्रयोग पाठकों को लक्ष्य कर नहीं किये जा रहे हैं। इस दौर में भी संस्कृत धातु, प्रत्यय और उपसर्गों से हिन्दी पत्रकारिता में भाषा को तैयार किया गया जिसका समाज के एक बड़े तबके से कोई लेना देना नहीं रहा। हिन्दी पत्रकारिता में अंग्रेजी के शब्दों का संस्कृतनिष्ठ अनुवाद कर ठूंसा गया। ऐसी आम-फहम, बोलचाल, जनसंचार की भाषा का प्रयोग नहीं किया जा रहा था जो पाठकों को लुभाए। हिन्दी के अख़बारों की पाठक संख्या भी अंग्रेजीअख़बारों के मुकाबले कम थीं। उदाहरण के लिए हम 27 अप्रैल 1970 और 28 अप्रैल 1970 को प्रकाशित हिन्दुस्तान, दिल्ली अख़बार की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं–

27 अप्रैल 1970

भूटान हिमालय महासंघ बनाने के खिलाफ

विश्व बैंक भारत की कई परियोजनाओं के लिए मदद देने को तैयार

गोहत्या पर रोके के लिए देश में पुनः आन्दोलन होगा

दिल्ली व पड़ोसी राज्यों में लू की लहर

रामचंदर की तूफानी कुश्ती

*   *   *

28 अप्रैल 1970

सरकार से अणु बम नीति बदलने की माँग

दल बदल पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग

नक्सलपंथियों ने पुलिस पर बम फेंके

प्रबन्ध में कर्मचारियों की साझेदारी पर प्रस्ताव शीघ्र

साथ ही अख़बार में मूँगफली गोला व अलसी के तेलों में तेजी : कागजी बदाम में गिरावट, कटान से चाँदी डिलीवरी टूटी : स्टैंडर्ड सोना दृढ़, नई पूछताछ के अभाव में औद्योगिकी में और गिरावट जैसे शीर्षक आर्थिक समाचारों में दिखते हैं।

यहाँ पर 29 अप्रैल 1970 को हिन्दुस्तान के पहले पन्ने पर चीन उपग्रह के दूरगामी परिणाम शीर्षक के तहत प्रकाशित इस ख़बर की भाषा के प्रसंग में यह उदाहरण द्रष्टव्य है – "क्या भारत भी अणु हथियारों के निर्माण की होड़ में शामिल हो जाएगा ? रूस तथा पश्चिमी राष्ट्रों के बीच आणविक हथियारों पर रोक लगाने के लिए जो वार्ता चल रही है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? चीन द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला उपग्रह छोड़े जाने पर उक्त दो सवाल उठ खड़े हुए हैं।" ऊपर के उदाहरणों में जहाँ सुर्खियों की भाषा स्पष्ट, अभिधापरक और संक्षिप्त है वहीं ख़बरों में निर्माण, वार्ता, उक्त जैसे प्रयोग आम बोलचाल की भाषा के निकट नहीं कहा जा सकता, जिस पर जोर हिन्दी में बाद के दशक में राजेन्द्र माथुर (नई दुनिया, नवभारत टाइम्स), प्रभाष जोशी (जनसत्ता) जैसे सम्पादकों ने दिया।

1.3.5.2. जनसत्ता

19वीं सदी में जो पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुए मसलन, समाचार चन्द्रिका (250 प्रतियाँ), समाचार दर्पण (298 प्रतियाँ), बंगदूत (70 से भी कम) उनकी पहुँच बेहद सीमित थी (आलोक मेहता: 2008)। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों भी हिन्दी पत्रकारिता का प्रसार एक खास तबके तक ही था। सही मायनों में हिन्दी पत्रकारिता पहली बार आजादी के बाद प्रचार और प्रसार में अखिल भारतीय हुई। 1979 में सभी भाषाओं (अंग्रेजी समेत) में प्रकाशित अख़बारों को पछाड़ते हुए सबसे ज्यादा प्रसार संख्या वाले अख़बार हिन्दी में छपने लगे जो आज तक कायम है। हिन्दी अख़बारों की प्रसार लाखों में पहुँच गई और पाठक करोड़ में। वर्तमान में दस सबसे ज्यादा देश में प्रसार संख्या वाले अख़बारों में हिन्दी के पाँच अख़बार शामिल हैं। निस्सन्देह इन अख़बारों का प्रसार बढ़ाने में अख़बारों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का भी महत्त्वपूर्ण योगदान है।

आजादी के बाद हिन्दी क्षेत्र में हुए समाजिक-आर्थिक परिवर्तन, संचार तकनीक का विकास, ग्रामीण इलाकों, कस्बों से पलायन और शहरों में पुर्नवास आदि ने हिन्दी भाषा के स्वरूप में आमूलचूल बदलाव लेकर

आया। आधुनिक हिन्दी साहित्य इस बात की तस्दीक करता है। हालाँकि हिन्दी पत्रकारिता की भाषा में एक बड़ा बदलाव शुरुआती दशकों में नहीं बल्कि 80-90 के दशक में देखने को मिलता है जब राजेन्द्र माथुर, प्रभाष जोशी जैसे पत्रकार नई दुनिया, नवभारत टाइम्स और जनसत्ता जैसे अख़बारों के सम्पादक बने। इससे पहले रविवार और धर्मयुग जैसी चर्चित पत्रिकाएँ सुरेन्द्र प्रताप सिंह और धर्मवीर भारती जैसे कुशल सम्पादक के नेतृत्व में भाषा को एक तेवर देने में लगे थे, हालाँकि ये साप्ताहिक प्रकाशित होते थे। हिन्दी अख़बारों के मालिक-सम्पादकों में पहली बार एक बड़े पाठक वर्ग के पास अख़बार पहुँचाने की ललक बढ़ी, फलतः सामान्य बोलचाल की भाषा में खबरें, विश्लेषण, फ़ीचर आदि लिखे जाने लगे। यहाँ जनसत्ता अख़बार की भाषा के माध्यम से हिन्दी पत्रकारिता की भाषा में आए बदलाव को हम देखेंगे।

प्रभाष जोशी ने नवंबर 1983 में जब अपने सम्पादन में जनसत्ता का प्रकाशन शुरू किया तब पहली बार हिन्दी पत्रकारिता की भाषा पाठकों, लोक के करीब हुई। जनसत्ता की भाषा नीति का खुलासा उनके लेख 'सावधान, पुलिया संकीर्ण है' में मिलता है, जहाँ वे हिन्दी को लोक भाषाओं से जुड़ने, आम बोलचाल की भाषा के पत्रकारिता में इस्तेमाल की वकालत करते हैं। उदाहरण के लिए हम 9 फरवरी 1993 को जनसत्ता में प्रकाशित सुर्खियों पर नजर डालते हैं –

साथी रिहा न किये तो अगवा लोगों की हत्या

नाखुश इंकाइयों को राज्यपाल बनाने की तैयारी

वीपी और मुलायम एक मंच पर आने को तैयार

मेवात में हालात काबू में

अमेरिका इसरो वो ग्लावकासमोस पर स्थायी रोक लगाएगा

भाजपा को अछूत करार देने से ही ये हालात बने : वाजपेयी

प्रभाष जोशी, राजेन्द्र माथुर ऐसे पत्रकार-सम्पादक थे जो साहित्यकार नहीं थे, हालाँकि भारतीय साहित्य और संस्कृति की खूब समझ उन्हें थी जो उनकी पत्रकारिता में झलकती है। जनसत्ता की भाषा अनौपचारिक और लोगों के करीब हुई। इन पंक्तियों के लेखक से प्रभाष जोशी ने 2008 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था (अरविन्द दास : 2013: 59) – "हमारी इंटरवेंशन से हिन्दी अख़बारों की भाषा अनौपचारिक, सीधी, लोगों के सरोकार और भावनाओं तो ढूँढ़ने वाली भाषा बनी। हमने इसके लिए बोलियों, लोक साहित्य का इस्तेमाल किया।" जनसत्ता अख़बार पर एक नजर डालने पर डेरा डाले हुए हैं, फौरी समस्या, फालोआन के बाद, ग्राहकों से लूट-खसोट, गुटबाजी, सट्टेबाजी, सटोरिया, इंकाई, अपीलीय पंचाट, एटमी सन्धि, नतीजन, आलाकमान जैसे प्रयोग दिखाई देते हैं।

साथ ही, लालू ने मुसलमानों से कहा– वे आगे न आएँ, हम ही काफी है, जमना पार की बिसात पर दोनों 'वजीर आमने सामने, स्लम के अँधेरे में रोशनी की तलाश, हौसले बुलन्द हों तो मंजिल दूर नहीं, गरमा गये हैं शेयर बाज़ार, स्कूल से टपके, ट्यूशन में अटके, आह आस्कर, वाह आस्कर, आस्था के फूल और उन्माद की आग, जैसी सुर्खियाँ लिखी जाने लगी जो आकर्षक और काव्यात्मक हैं। ऐसा नहीं कि इन सुर्खियों और ख़बरों में देशज शब्दों पर जोर है और विदेशी शब्दों से परहेज। अंग्रेजी के ऐसे शब्द जो सहज हैं और पंक्तियों के अर्थ ग्रहण में बाँधा नहीं, जैसे – स्टीरियो, माफिया, सेल, रेड अलर्ट, केस, ट्यूशन आदि भी मिलते हैं। खुद प्रभाष जोशी के कॉलम – कागद कारे में हिन्दी भाषा में देशज मुहावरे, लोकोक्तियाँ का खूब प्रयोग है। उदाहरण के लिए 'म्हारो हेलो सुणोजी रामापीर' (21 फरवरी 1993), अपने आँगन में फूला टेसू (28 फरवरी 1993), हेव फन लेडीज ! थैंक्यू !! (14 फरवरी 1993) आदि देखे जा सकते हैं। यहाँ प्रभाष जोशी के प्रवाहमयी गद्य का एक उदाहरण प्रस्तुत है, जेआरडी की आँखों में (कागद कारे, 7 फरवरी 1993) – "फिर लम्बी साँस खींच कर जेआरडी ने कहा- भविष्य के सपने के लिए दूरदृष्टि वाली आँखों की ज़रूरत होती है जॉर्ज ! जमशेदजी टाटा में ऐसी दृष्टि थी। पिछली सदी में कोई सौ साल पहले जब अंग्रेजों से आजादी का संग्राम चल ही रहा था और कोई नहीं जानता था कि हम कब आजाद होंगे तब जमशेदजी को लगा कि भारत आजाद होगा तो उसे वैज्ञानिक शिक्षा, बिजली और इस्पात की ज़रूरत होगी।" प्रभाष जोशी ने हिन्दी पत्रकारिता मे खेल पत्रकारिता पर विशेष जोर दिया था और खेल पत्रकारिता को एक नयी भाषा दी जो उनके लेखों में भी दिखता है। हालाँकि अभय कुमार दुबे (2002: 56-70) ने अपने एक लेख – 'हिन्दी में कवर ड्राइव' में दिखाया है कि किस तरह प्रभाष जोशी की भाषा 90 के दशक में कई बार क्रिकेट के ऊपर, खास कर भारत-पाकिस्तान के बीच मैच के बारे में लिखते हुए उग्र, आक्रामक और क्रिकेटीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति करती नजर आती है। साथ ही जनसत्ता के रविवारी पेज पर साहित्य, फ़िल्म, संस्कृति, कला पर विशेष जोर प्रभाष जोशी देते थे और उसकी भाषा अलहदा होती थी जो साहित्यकारों को भी भाषा का संस्कार देती रही। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि जनसत्ता के आने से हिन्दी पत्रकारिता की भाषा नई चाल में ढलने लगी जिसका अनुसरण राष्ट्रीय और क्षेत्रीय अख़बारों ने भी किया।

1.3.5.3. नवभारत टाइम्स

ऐसी ही भाषा 80 और 90 के दशक में नवभारत टाइम्स की भी होती थी जिसे बनाने में राजेन्द्र माथुर के साथ-साथ सुरेन्द्र प्रताप सिंह, विष्णु खरे, विष्णु नागर जैसे पत्रकारों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। मसलन, वर्ष, 1986 में नवभारत भारत टाइम्स, दिल्ली की इन सुर्खियों पर नजर डालने पर भाषा के रूप के बारे में स्पष्ट जानकारी मिलती है – सरकार झुकी, बढ़ी कीमतों में कुछ कमी, स्वीडन के प्रधानमंत्री की हत्या, अमरीका और लीबिया में जबरदस्त टकराव, शर्म भी है और ज़रूरत भी, बजट पर फूल और पत्थर भी आदि।

इन सुर्खियों की भाषा सरल, सहज और बोधगम्य है। नवभारत टाइम्स की ख़बरों के लेखन में तत्सम के उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल है जो भाव-सम्प्रेषण में बाधा नहीं बनते; जैसे - रोष, गृह, हस्तक्षेप, विपक्ष आदि। 16 फरवरी 1986, नवभारत टाइम्स की यह रिपोर्ट आर्थिक समाचार की भाषा का एक उदाहरण है – "नई सरकार की नई आर्थिक नीतियाँ उदार ज्यादा और उत्पादक कम दीखने लगी हैं। आयात बढ़ रहा है किन्तु निर्यात घट गया

है। उद्योगों को करों में बहुत राहत मिली है किन्तु पूँजी निवेश के विस्तार की गति धीमी है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की दर लगभग छह प्रतिशत अनुमानित है। कोयला और पन बिजली का उत्पादन घट गया है।" हिन्दी पत्रकारिता इस दौर में आर्थिक समाचार के लिए एक अलग भाषा विकसित कर रही थी जो अंग्रेजी से अनुवाद किये जाने के बाद भी बोझिल नहीं है। नभाटा और जनसत्ता में बिकवाल (बिकवाली), लिवाल जैसे शब्द बेचने और खरीदने वालों के लिए प्रयोग होने लगे थे। गेंहूँ व चने में तेजी, चाँदी तेजाबी में तेजी : सोना खामोश, जैसे शीर्षक दिखाई पड़ते थे, लेकिन बाद के दशक में भूमण्डलीकरण के बाद इस भाषा को आगे नहीं ले जाया जा सका और उसमें अंग्रेजी के शब्दों का जबरन प्रयोग किया जाने लगा जिसे हम आगे देखेंगे।

1.3.6. भूमण्डलीकरण के दौर में हिन्दी पत्रकारिता की भाषा

भारत सरकार ने 1991 में निजीकरण और उदारीकरण की नीति अपनाई और जिसके सहारे भूमण्डलीकरण का रथ भारत में उतरा। निजीकरण-उदारीकरण-भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया अपने साथ समाज में नयी तकनीकी लेकर आई। नयी तकनीकी का लाभ हिन्दी पत्रकारिता को भी खूब मिला जिसके सहारे हिन्दी अख़बारों के एक साथ कई संस्करण प्रकाशित होने लगे। भारत में संचार क्रान्ति का रास्ता खुला। महानगरों के अलावा छोटे शहरों, कस्बों से भी हिन्दी के अख़बार प्रकाशित होने लगे। दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, अमर उजाला आदि हिन्दी के सबसे ज्यादा पढ़े और वितरित किये जाने वाले अख़बार में शुमार होने लगे। इन सबने हिन्दी की सार्वजनिक दुनिया को पुनर्परिभाषित किया। अख़बारों के स्थानीय संस्करणों में क्षेत्र विशेष की बोलियों का खूब प्रयोग होने लगा।

प्रभाष जोशी, राजेन्द्र माथुर और सुरेन्द्र प्रताप सिंह जैसे पत्रकारों ने 80 के दशक में ऐसी भाषा का प्रयोग शुरू किया जिसकी पहुँच हिन्दी के बहुसंख्य पाठकों तक थी। इन पत्रकारों ने बोलियों और लोक से जुड़ी हुई भाषा का इस्तेमाल किया जिससे अख़बार की भाषा लोगों के सरोकारों से जुड़ी, पर बाद के दशक में हिन्दी में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल बढ़ने लगा और एक नये उभर रहे मध्यम वर्ग को लक्ष्य करती हुई भाषा अपनाई जाने लगी। हिन्दी पत्रकारिता में इसका अगुआ नवभारत टाइम्स रहा। नवभारत टाइम्स के सहायक सम्पादक बालमुकुन्द ने 2006 के अपने एक लेख – 'यही लैंग्वेज है नये भारत की' में लिखा – "किसी भाषा को बनाने का काम पूरा समाज करता है और उसकी शक्ल बदलने में कई-कई पीढ़ियाँ लग जाती लेकिन इस बात का श्रेय नवभारत टाइम्स को ज़रूर मिलना चाहिए कि उसने उस बदलाव को सबसे पहले देखा और पहचाना, जो पाठकों की दुनिया में आ रहा है। दूसरे अख़बारों को उस बदलान की वजह से नवभारत टाइम्स के रास्ते पर चलना पड़ा, यह उनके लिए चॉइस की बात नहीं थी।"। यह सही है कि भाषा बनाने का काम पूरा समाज करता है परन्तु नवभारत टाइम्स जिस भाषा को अपनाया उसे पूरे समाज और जनसंचार में समक्ष भाषा नहीं कही जा सकती। यह बाज़ार के द्वारा थोपी गई विज्ञापन की भाषा है, जैसे – 'ठंडा मतलब कोका कोला', 'यही है राइट च्वाइस बेबी' आदि। परन्तु ख़बरों के प्रसार-प्रसार के लिए माकूल नहीं है। उदाहरण के लिए 27 फरवरी 2005 और 28 फरवरी 2005 को नवभारत टाइम्स में प्रकाशित इन सुर्खियों पर गौर करते हैं –

27 फरवरी 2005, नवभारत टाइम्स

गड्डी जांदी ए छलांगा मार दी, कदी डिग ना जाए

मैं एक्टिंग का शाह, तू अभिनय की रानी

कैसा होता है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन !

लालू की रेल ने तोड़ा सेफ्टी का रेड सिग्नल

* * *

28 फरवरी 2005, नवभारत टाइम्स

समोसे में कम पड़ा आलू, खिचड़ी पकनी चालू

वन टू का फोर, फोर टू का वन

गुरु गुड़ रह गया, मुंडा चीनी हो गया

हरियाणा में चोटाला को चोट, कांग्रेस को वोट

एनडीए व यूपीए दो-दो हाथ को तैयार

... और अब किस्सा कुर्सी का

जहाँ पहले सुर्खियों की भाषा से ख़बरों का पता अच्छी तरह चल जाता है वहीं वर्तमान में इस तरह की शीर्षकों से ख़बरों की प्रकृति का पता लगाना मुश्किल है। निस्सन्देह यह भाषा अनौपचारिक है परन्तु वन टू का फोर, फोर टू का वन, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन, सेफ्टी का रेड सिग्नल जैसी पंक्तियाँ कोड मिक्सिंग, जहाँ दो या दो से अधिक भाषा को मिलाकर वाक्य बनाया जाता है, का अच्छा उदाहरण नहीं कहा जा सकता।

यह भाषा चौंकाने वाली है जैसे खबरिया चैनलों की भाषा होती है। यह भाषा चुटीली और लक्षणा-व्यंजना प्रधान है जबकि पहले अभिधापरक और वस्तुनिष्ठ भाषा पर ज्यादा जोर होता था। ऐसी भाषा राजनैतिक, आर्थिक और खेलपरक ख़बरों सबमें प्रयुक्त होने लगी है। उदाहरण के लिए यहाँ 3 फरवरी 2005 के नवभारत टाइम्स में ‘स्माइल प्लीज ! 36 आईपीओ आपके इंतजार में’ शीर्षक के तहत प्रकाशित यह रिपोर्ट प्रस्तुत है – इस दरियादिली को नोट किया जाए। जिस शेयर बाज़ार ने यूपीए ने गद्दी सँभालते ही 800 अंक की डुबकी लगाकर नयी सरकार को झटका दिया था, उसी शेयर बाज़ार के वारे-न्यारे के लिए सरकार अपने खजाने का मुँह खोलने की

तैयारी कर रही है।" दरियादिली, वारे-न्यारे, डुबकी लगाकर, मुँह खोलने की तैयारी जैसे प्रयोग इस ओर इंगित करते हैं। सुर्खियों में कैश लिमिट, मर्डर, डील, बॉयकाट, नोटिस जैसे अंग्रेजी के शब्द (9 फरवरी 2017, नवभारत टाइम्स) धड़ल्ले से इस्तेमाल किये जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हिन्दी में इसके लिए शब्दों का अभाव हो ! इतना ही नहीं नवभारत टाइम्स के सम्पादकीय (9 फरवरी 2017) में भी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, अकोमोडेटिव, न्यूट्रल, कॉरपोरेट जैसे कठिन शब्द अँटे परे हैं जिसे समझने में हिन्दी के पाठकों को शब्दकोषों का सहारा लेना पड़ता है।

हिन्दी के क्षेत्रीय अख़बारों पर वहाँ की बोलियों का असर है। उदाहरण के लिए, अमर उजाला पर ब्रज का, राजस्थान पत्रिका पर मारवाड़ी / मेवाती का, नई दुनिया पर मालवी का प्रभाव मिलता है परन्तु इन अख़बारों में भी अंग्रेजी के शब्दों को अपनाने की होड़ लगी है। अंग्रेजीमिश्रित हिन्दी भाषा एक-दो अख़बार (जैसे जनसत्ता) को छोड़कर सभी अख़बारों के लिए मान्य हो गये हैं। यहाँ दैनिक भास्कर, राजस्थान (नागौर) के पहले पन्ने पर 19 फरवरी 2017 को '5290 फर्जी कंपनियाँ बनाईं, शेयर के दाम बढ़वाए और किया ₹ 3800 करोड़ का कालाधन सफेद' शीर्षक के तहत प्रकाशित इस ख़बर को हम देखते हैं: जोधपुर में ब्यूटी पार्लर की छोटी-सी दुकान पर इनकमटैक्स की डीजी इन्वेस्टिगेशन टीम के छापे ने पूरे देश को चौंका दिया। यह दुकानदार भी कोलकाता में चल रहे पैनी स्टॉक्स व बोगस शेयर ट्रेडिंग के सिंडीकेट की कड़ियों में से एक था। जिसके पैन नंबर पर एक कागजी कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड तो थे लेकिन इस कंपनी का कारोबार कुछ नहीं था।" इस तरह का वाक्य विन्यास, शब्दों के प्रयोग ऑन-लाइन वेबसाइटों पर लिखी जाने वाली ख़बरों से प्रभावित है। निस्सन्देह अंग्रेजी के बेधड़क इस्तेमाल की पहल जनसंचार के लिए सक्षम भाषा नहीं कही जा सकती। महानगरों से निकलने वाले अख़बारों की भाषा एक विशेष दायरे में स्थित पाठकों के लिए होती है जहाँ बोलचाल में लोग 'कोड मिक्सिंग / कोड स्वीचिंग' का सहारा अक्सर लेते हैं परन्तु नागौर, गोरखपुर या इंदौर से अख़बारों के संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं उनमें इस तरह की भाषा जबरन ठूँसी हुई लगती है जो जनसंचार के उद्देश्य के करीब कहीं से नहीं है। इससे सूचना का प्रचार-प्रसार बाधित होता है। यह भाषा एक खास शहरी नव धनाढ्य वर्ग की भाषा है जिसकी आय में भूमण्डलीकरण के बाद खूब बढ़ोतरी हुई है और जो इस तरह की भाषा में खुद को अभिव्यक्त करता है। इस भाषा का हिन्दी समाज के बहुसंख्यक किसान, मजदूर, स्त्री, दलित और आदिवासी से कोई लेना-देना नहीं है। यह भाषा हिन्दी की पहचान पर भी प्रश्न-चिह्न बन कर खड़ी है।

1.3.7. पाठ-सार

इस इकाई में हिन्दी पत्रकारिता की भाषा के क्रमिक विकास को प्रस्तुत किया गया है। वैसे तो हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं सदी के दूसरे दशके में ही हो गई थी परन्तु सही मायनों में 20वीं सदी के दूसरे दशक से हिन्दी पत्रकारिता अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़ी हो गई। इन वर्षों में हिन्दी भाषा के कई रूपों के दर्शन होते हैं जो हिन्दी की अभिव्यंजना में सहायक सिद्ध हुए।

हिन्दी पत्रकारिता के उद्भव काल में हिन्दी पर संस्कृत और ब्रजभाषा का स्पष्ट प्रभाव रहा। देश में आपातकाल (1975-77) के बाद पहली बार 1979 में सबसे ज्यादा प्रसार संख्या को पाने में हिन्दी के अख़बार

सफल हुए। नयी तकनीक का लाभ उठाते हुए हिन्दी अख़बार महानगरों से इतर छोटे शहरों-कस्बों से भी प्रकाशित होने लगे। इसी क्रम में जहाँ 80-90 के दशक में हिन्दी को बोलियों और लोक के करीब ले जाने की कोशिश हुई, वहीं भूमण्डलीकरण के बाद इंटरनेट, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से जो एक नयी हिन्दी-हिंग्लिश, गढ़ी जा रही है, जिसका असर हिन्दी पत्रकारिता की भाषा पर भी दिखता है। इस भाषा में बोलचाल तो सम्भव है परन्तु गम्भीर विमर्श मुश्किल है।

जनसंचार में वही भाषा सक्षम है जो जनसामान्य के बोलचाल की भाषा के करीब हो परन्तु समकालीन हिन्दी पत्रकारिता की भाषा संस्कृत के जाल से निकल कर अंग्रेजी के भँवर में फँसी हुई दिख रही है। यह एक खिचड़ी भाषा है जिसमें हिन्दी की पहचान खो रही है।

1.3.8. बोध प्रश्न

1. हिन्दी पत्रकारिता की भाषा के विकास के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कीजिए।
2. 'हिन्दी पत्रकारिता की भाषा नई चाल में ढली' से क्या तात्पर्य है ?
3. भूमण्डलीकरण के दौर में हिन्दी पर अंग्रेजी के प्रभाव को रेखांकित कीजिए।
4. "आमफहम और बोलचाल की भाषा की जनसंचार की भाषा है।" इस कथन की व्याख्या कीजिए।

1.3.9. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

01. चतुर्वेदी, जगदीश प्रसाद (2004). हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास. दिल्ली. प्रभात प्रकाशन
02. जोशी, प्रभाष (2004). सावधान, पुलिया संकीर्ण है. सं. : राजकिशोर. समकालीन पत्रकारिता मूल्यांकन और मुद्दे. दिल्ली. वाणी प्रकाशन
03. तलवार, वीर भारत (2002). रस्साकशी : 19वीं सदी का नवजागरण और पश्चिमोत्तर प्रान्त. सारांश प्रकाशन. दिल्ली-हैदराबाद
04. तिवारी, रामचन्द्र (1999). हिन्दी का गद्य साहित्य. वाराणसी. विश्वविद्यालय प्रकाशन
05. दास, अरविन्द (2013). हिन्दी में समाचार : राज्य, समाज और भूमण्डलीकरण. अंतिका प्रकाशन. दिल्ली
06. दुबे, अभय कुमार (2002). 'हिन्दी में कवर ड्राइव : भूमण्डलीकरण के दौर में युयुत्सु क्रिकेटीय राष्ट्रवाद. सं. : रविकान्त. दीवान-ए-सराय 01, मीडिया विमर्श : / हिन्दी में जनपद में संगृहीत. वाणी प्रकाशन. दिल्ली
07. धर्मवीर (1987). हिन्दी की आत्मा. दिल्ली. समता प्रकाशन
08. मिश्र, कृष्णबिहारी (2004). हिन्दी पत्रकारिता : जातीय चेतना और खड़ीबोली साहित्य की निर्माण-भूमि. दिल्ली. भारतीय ज्ञानपीठ
09. मेहता, आलोक (2008). भारत में पत्रकारिता. दिल्ली. नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया

10. मृगेश, माणिक (2006). समाचार पत्रों की भाषा. दिल्ली. वाणी प्रकाशन
11. वाजपेयी, अम्बिकाप्रसाद (संवत् 2010). समाचार पत्रों का इतिहास. बनारस. ज्ञानमण्डल लिमिटेड
12. शुक्ल, रामचन्द्र (संवत् 2054). हिन्दी साहित्य का इतिहास. वाराणसी. नागरीप्रचारिणी सभा, काशी
13. शुक्ल, रामचन्द्र. चिन्तामणि – 3, सं. : नामवर सिंह (1985). दिल्ली. राजकमल प्रकाशन
14. शर्मा, रामविलास (2002). भाषा और समाज. दिल्ली. राजकमल प्रकाशन
15. शम्भुनाथ, रामनिवास द्विवेदी (सं.) 2012. हिन्दी पत्रकारिता : हमारी विरासत. दिल्ली. वाणी प्रकाशन

उपयोगी इंटरनेट स्रोत :

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org

❖❖❖

खण्ड – 1 : हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप और प्रमुख प्रकार

इकाई – 4 : पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य

इकाई की रूपरेखा

1.4.00. उद्देश्य कथन
1.4.01. प्रस्तावना
1.4.02. छापेखानों और पत्रों की शुरुआत
1.4.03. हिन्दी गद्य का निर्माण
1.4.04. हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता
1.4.05. पत्रकारिता के माध्यम से साहित्य रचने वाले साहित्यकार
1.4.06. पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य का स्वरूप
1.4.07. हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता (कला और विज्ञान भी)
1.4.08. पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य का विकास
    1.4.08.1. भारतेन्दु-बालमुकुन्द गुप्त युग (1867-1902 ई.)
    1.4.08.2. द्विवेदी-प्रेमचंद युग(1900 -1935 ई.)
    1.4.08.3. प्रगतिवादी युग (1936 -1950-53 ई.)
    1.4.08.4. प्रगति का द्वन्द्व तथा प्रगति-विरोधी विचारधाराओं का दौर (1947-1964 ई.)
    1.4.08.5. लघु-पत्रिका आन्दोलन का दौर (1964 -74 ई.)
    1.4.08.6. आपातकाल और परवर्ती दौर (1975 - 95 ई.)
    1.4.08.7. भूमण्डलीकरण और उसके प्रतिरोध का समकालीन दौर (1995 ई. से अब तक)
1.4.09. पाठ-सार
1.4.10. बोध प्रश्न
1.4.11. उपयोगी ग्रन्थ सूची

1.4.00. उद्देश्य कथन

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. पत्रकारिता के सन्दर्भ में हिन्दी गद्य के निर्माण को समझ सकेंगे।
ii. हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता का अध्ययन कर सकेंगे।
iii. पत्रकारिता के माध्यम से साहित्य रचनेवाले साहित्यकारों को जान सकेंगे।
iv. पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य के स्वरूप का अध्ययन कर सकेंगे।
v. पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य के काल-विभाजन का अध्ययन कर सकेंगे।

1.4.01. प्रस्तावना

पत्रकारिता केवल अपने समय का दर्पण ही नहीं होती जो परिवेश का सही चेहरा सामने लाए बल्कि वह सूर्य भी होती है जो अँधेरों में ढके काल के चेहरों को उजागर कर देती है। साहित्य केन्द्रित पत्रकारिता से आशय है – अपने समय के विस्तृत सांस्कृतिक परिदृश्य के बीच उन तत्त्वों की खोज करना जो बाह्य या भौतिक प्रभावों से बचकर लेखन को अपनी ज़मीन से जोड़ने में सहायक होता है। अपसंस्कृति और केवल भद्रजन के बीच कहीं साहित्य सिमट कर न रह जाए, इस दिशा में पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य की चिन्ता उसकी आत्मा को तेजवान् बनाती है। पत्रकारिता के माध्यम से साहित्य को खुला मंच प्रदान किया जाता है जहाँ अपनी ही बात नहीं, अपने विरोधियों की बात का भी सम्मान करना आवश्यक माना गया है।

समाज के विचारों और साहित्य की संवाहिका के रूप में पत्रकारिता का स्थान महत्त्वपूर्ण है। यह समाज और साहित्य के इतिहास में अपना एक स्थान तो रखता ही है और उसका निर्माण भी करती है। ग्रन्थों में समाहित साहित्य से जन-जागृति का जो कार्य नहीं हो पाया उसे पत्र-पत्रिकाओं के साहित्य ने सम्भव कर दिखलाया। स्वतन्त्रता-पूर्व की पत्र-पत्रिकाएँ राष्ट्रीय आन्दोलन के अस्त्र-शस्त्र थे। इन पत्र-पत्रिकाओं ने ब्रिटिश हुकूमत के कोपभाजन बनकर भी समाज को एक नयी दिशा प्रदान की। पत्रकार अपनी बात को प्रभावी ढंग से जनता तक सम्प्रेषित करने के लिए साहित्य का सहारा लेने लगा। 'प्रताप', 'रणभेरी', 'कर्मभूमि', 'यंग इंडिया', 'स्वदेश', 'आज', 'हरिजन' जैसे सैकड़ों पत्रों ने भारतीय जनता के मानस को प्रभावित कर स्वदेश-प्रेम के प्रति भाव जगाया। आज भी पत्रकार साहित्य के माध्यम से जनचेतना का कार्य कर रहे हैं। स्पष्टतया पत्रकारिता को साहित्यकार की पहली सीढ़ी कहा जाता है क्योंकि प्रारम्भ में साहित्यकार पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ता है। हिन्दी में साहित्य और पत्रकारिता का घनिष्ठ सम्बन्ध आधुनिककाल के प्रारम्भ से ही स्थापित हो गया था। हिन्दी के गद्य साहित्य और नवीन एवं मौलिक गद्य-विधाओं का उदय ही हिन्दी पत्रकारिता की सर्जनात्मक कोख से हुआ था। 30 मई 1826 को हिन्दी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र 'उदन्त मार्त्तण्ड' उदित हुआ। इसके सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक कानपुर निवासी पण्डित युगल किशोर सुकुल स्वयं एक साहित्यकार थे, अतः शुरू से ही इस पत्र का रुझान लगभग अर्द्ध-साहित्यिक था।

भारतेन्दु काल से ही प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण हिन्दी के साहित्यकार पत्रकारिता से गहरे रूप से जुड़े रहे। यह पत्रकारिता ही आरम्भिककालीन हिन्दी समाचार पत्रों के पृष्ठों पर धीरे-धीरे उभरने वाली अर्द्ध-साहित्यिक पत्रकारिता से क्रमशः विकसित होते हुए, भारतेन्दु युग में साहित्यिक पत्रकारिता के रूप में प्रस्फुटित हुई थी। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (1850-1885 ई.) की पत्रिकाएँ – कवि वचन सुधा (1867 ई.), हरिश्चन्द्र मैगज़ीन (1873 ई.) और हरिश्चन्द्र चन्द्रिका (1874 ई.) से ही हमें वास्तविक अर्थों में हिन्दी की पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य के दर्शन होते हैं और आज भी पत्रकार साहित्य की श्रीवृद्धि कर रहे हैं।

1.4.02. छापेखानों और पत्रों की शुरुआत

अट्ठारहवीं शताब्दी में पुनर्जागरण तब हुआ जब ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए छापेखाने खोले गए। भारत के कई नगरों गोवा, बम्बई, सूरत, कलकत्ता और मद्रास में कई छापेखाने (प्रिंटिंग प्रेस) लगाए गए। यों तो हॉलैंड में 1430 ई. में पहले प्रिंटिंग प्रेस के लगभग सवा सदी बाद गोआ में 1556 ई. में भारत का पहला प्रेस कायम हुआ था। परमेश्वर थंकप्पन् नायर के शब्दों में – "हिन्दी और उर्दू की पत्रकारिता का जन्म कलकत्ता में हुआ।" कलकत्ता को पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में पत्रकारिता की जन्मस्थली कहा जा सकता है क्योंकि कलकत्ता से ही 1765 ई. में एक डच विलियम बोल्ट ने पत्रकारिता के आरम्भिक प्रयास किए थे और अन्ततः 1766 ई. में अपना पहला 'नोटिस' छापा था। कुछ विद्वानों का मत है – "भारत में पत्रकारिता का आरम्भ 1774 ई. में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी की सरकार की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित कैलकेटा गज़ट से हुआ था।" इसे सही नहीं माना जाता क्योंकि यह स्वतन्त्र पत्रकारिता नहीं थी इसलिए अधिकांश विद्वानों का कहना है और यह प्रायः स्वीकार्य भी है कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत एक आयरिश जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 27 जून 1780 ई. को अंग्रेज़ी में 'बंगाल गज़ट ऑफ कैलकेटा एडवरटाइज़र्स' नामक साप्ताहिक पत्र निकाल कर की।

1.4.03. हिन्दी गद्य का निर्माण

हिन्दी आलोचक डॉ॰ नामवर सिंह के शब्दों में "हिन्दी गद्य का निर्माण स्वाधीनता-संग्राम के जुझारू और लड़ाकूपन के बीच हुआ। संघर्ष के हथियार के रूप में निस्सन्देह, साहित्य के पहले उसका यह रूप हिन्दी पत्रकारिता, सबसे पहले और सबसे ज़्यादा भारतेन्दु की पत्रकारिता में प्रस्फुटित और विकसित हुआ था।" आचार्य शुक्ल 1857 के प्रथम स्वतन्त्रता-संग्राम से गद्य-साहित्य की परम्परा का सम्बन्ध जोड़ते हुए 'इतिहास' में लिखते हैं – "गद्य-रचना की दृष्टि से संवत् 1914 (अर्थात् 1857 ई.) के बलवे (गदर) के पीछे ही हिन्दी गद्य-साहित्य की परम्परा अच्छी चली।" हिन्दी पत्रकारिता से ही साहित्यिक पत्रकारिता और गद्य साहित्य का विकास होता है और आरम्भिककाल से ही जुझारू गद्य-साहित्य और साहित्यिक पत्रकारिता का सम्बन्ध हमारे साम्राज्यवाद-विरोधी संग्राम से भी बड़ा प्रत्यक्ष और गहरा था। चाहे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की 'कवि वचन सुधा' हो, श्री बालकृष्ण भट्ट का 'हिन्दी प्रदीप' हो, श्री प्रतापनारायण मिश्र का 'ब्राह्मण' हो, श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी की 'सरस्वती' हो, प्रेमचंद का 'हंस' हो, नवलकिशोर प्रेस की 'माधुरी' और दुलारेलाल भार्गव की 'सुधा' हो, माखनलाल चतुर्वेदी की 'प्रभा' हो, मदनमोहन मालवीय का 'मर्यादा' हो अथवा रामरख सिंह सहगल का 'चाँद' हो, हिन्दी पत्रकारिता के माध्यम से हिन्दी गद्य के निर्माण में महती भूमिका निभायी। अशोक वाजपेयी भी कहते हैं, "गद्य के निर्माण में पत्रकारिता की भी भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है और यह पुराने जमाने से ही था, जो बहुत अच्छे गद्यकार थे, वे बहुत अच्छे पत्रकार भी थे इसलिए तो डॉ॰ रामविलास शर्मा लिखते हैं – "भारतेन्दु से लेकर प्रेमचंद तक हिन्दी साहित्य की परम्परा में यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्रायः सभी बड़े साहित्यकार पत्रकार भी थे। पत्रकारिता उनके जीवन में गहरे रूप से जुड़ा था। यह पत्रकारिता एक सजग और लड़ाकू किस्म की थी। प्रेमचंद भी एक सफल सम्पादक थे और हंस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने साहित्यकारों की एक नयी पीढ़ी को तैयार किया।" कहा जाता है कि साहित्यकारों ने पत्रकारिता के माध्यम से समाज को चेतस किया। भारतेन्दु, प्रेमचंद ही

नहीं अपितु महावीरप्रसाद द्विवेदी, निराला, मुक्तिबोध, यशपाल, हरिशंकर परसाई, नामवर सिंह, कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव जैसे कई साहित्यकारों के बारे में यह बात कही जा सकती है। साहित्य और पत्रकारिता के रिश्तों की पड़ताल करते हुए प्रो॰ सूर्यप्रसाद दीक्षित लिखते हैं – "हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास में पत्रकारिता की अनन्य देन रही है। पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से युग-प्रवृत्तियों का प्रवर्तन हुआ है, विभिन्न विचारधाराओं का उन्मेश हुआ है और विशिष्ट प्रतिभाओं की खोज हुई है।" वस्तुतः साहित्य और पत्रकारिता परस्पर पूरक और पर्याय जैसे हैं। शायद इसीलिए लोग पत्रकारिता को 'जल्दी में लिखा हुआ साहित्य' और साहित्य को 'पत्रकारिता का श्रेष्ठतम रूप' भी कहते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड द्वारा पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य (Journalism is the literature in hurry) कहा गया है। वस्तुतः साहित्यिक पत्रकारिता, जो आज साहित्य के इतिहास की स्रोत-सामग्री और कल का साहित्येतिहास है, दृढ़तापूर्वक अच्छी और बुरी रचनाओं, प्रवृत्तियों तथा साहित्यिक आन्दोलनों के बीच निर्णायक अन्तर को चिह्नित कर साहित्य के इतिहास के निर्माण में भी अपनी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो स्तरहीन रचनाओं से स्तरीय और अप्रासंगिक कृतियों से प्रासंगिक लेखन को अलग करती है। वस्तुतः युग-विशेष की साहित्यिक पत्रकारिता से ही उस युग के साहित्यिक आन्दोलनों, साहित्यिक समस्याओं, विमर्शों, प्रश्नों और चुनौतियों तथा इन सबके फलस्वरूप उस युग की नयी-से-नयी साहित्यिक प्रवृत्तियों के उभरने, उनके क्रमशः विकास तथा विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों के आपसी अन्तर्विरोधों और अन्तर्द्वन्द्वों का भी अंतरंग परिचय हम पा सकते हैं। यह युग-विशेष की साहित्यिक पत्रकारिता ही है जो हमारे समक्ष उस युग-विशेष का भरा-पूरा और कलात्मक प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करती है। इससे हमें अपनी समकालीन समस्याओं और चुनौतियों को समझने में मदद मिलती है तथा भविष्य के सर्जनात्मक संघर्षों की रूपरेखा भी।

1.4.04. हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता

पत्रकारिता की विधा को साहित्य के अन्तर्गत माना जाता है। पत्रकारिता को तात्कालिक साहित्य की भी संज्ञा दी गई है। यही कारण है कि समय-समय पर विभिन्न साहित्यकारों ने पत्रकारिता में अपना योगदान और पत्रकारों को मार्गदर्शन देने का कार्य किया। ज्यादातर पत्रकार साहित्यकार थे और ज्यादातर साहित्यकार पत्रकार। पत्रकारिता में प्रवेश की पहली शर्त ही यह हुआ करती थी कि उसकी देहरी में कदम रखने वाले व्यक्ति का रुझान साहित्य की ओर हो।

साहित्यिक पत्रकारिता और साहित्य की लोकरंजनकारी भूमिका के कारण ही सामान्य पत्र-पत्रिकाएँ भी साहित्यिक विषयों को बराबर स्थान देती हैं। यहाँ साहित्यिक पत्रकारिता का सामान्य पत्रकारिता में अन्तर करना समीचीन होगा कि समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, जहाँ सूचनाओं पर बल देते हुए सामान्य ज्ञान प्रेषित किया जाता है, वहीं साहित्यिक पत्रकारिता का उद्देश्य सांस्कृतिक चेतना से पाठक को सबल बनाना होता है इसलिए इस क्षेत्र में साहित्य-विवेक और विभिन्न साहित्यिक विधाओं के सूक्ष्म एवं अंतरंग परिचय की आवश्यकता होती है। साहित्य और पत्रकारिता के अन्तर को स्पष्ट करते हुए नेमिशरण मित्तल कहते हैं – "साहित्य का मूल लक्षण उसका शाश्वत स्वरूप तथा चिरन्तन तत्त्व है किन्तु पत्रकारिता तात्कालिकता, सामयिकता और क्षणभंगुरता के आयामों में कैद होती है। वैसे तो साहित्य में भी सरसता और सुबोधता पर बल दिया जाता है लेकिन उसके परिशिष्ट कला-

चरित्र के कारण जटिलता तथा दुर्बोधता और अनेकार्थकता को भी दुर्गुण नहीं माना जाता, साहित्यिक पत्रकारिता की भाषा-शैली पर इसका कुछ-न-कुछ असर तो पड़ता ही है।" अतएव हम कह सकते हैं कि सामान्य पत्रकारिता जहाँ लोकमत निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम होती है, वहीं साहित्यिक पत्रकारिता लोकरंजन, लोक-शिक्षण और जनरुचि द्वारा सूचना सम्प्रेषित करने का प्रयास करती है इसीलिए उसका स्वरूप वैचारिक, संवेदनात्मक और मनोरंजनपरक होता है।

आजादी से पहले हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता के तीन चेहरे थे, पहला – आजादी की लड़ाई को समर्पित, दूसरा – साहित्यिक उत्थान को समर्पित और तीसरा – समाज-सुधार को समर्पित, जिसका विराट् लक्ष्य था आजादी प्राप्त करना; इसलिए साहित्यिक पत्रकारिता भी यदि राजनैतिक विचारों से ओत प्रोत थी तो राजनैतिक पत्रकारिता में भी साहित्य की अन्तःसलिला बहा करती थी। तीनों धाराओं का संगम हमें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र सम्पादित 'कवि वचन सुधा' में देखने को मिलता है। 1868 में जब यह पत्रिका निकली थी तब इसका कलेवर सिर्फ साहित्यिक था। बल्कि यह पत्रिका काव्य और काव्य-चर्चा को समर्पित थी लेकिन धीरे-धीरे इसमें राजनैतिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विचार भी छपने लगे। इस पत्रिका ने हिन्दी प्रदेश को निद्रा से जगाने का काम किया था।

आजादी से पूर्व हिन्दी पत्रकारिता में साहित्य का महत्त्वपूर्ण स्थान था ही, आजादी के बाद भी यह रिश्ता कायम रहा। आजादी के उपरान्त जहाँ हिन्दी की दैनिक पत्रकारिता कोई खास असर नहीं दिखा पाई वहीं साप्ताहिक या मासिक पत्रकारिता ने हिन्दी साहित्य को समृद्ध किया। विशाल भारत, धर्मयुग, कल्पना, सारिका, ज्ञानोदय, नवनीत, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, कादम्बिनी, नन्दन, पराग, रविवार और दिनमान जैसी पत्रिकाओं ने आजादी से पहले की हिन्दी पत्रकारिता की साहित्यिक परम्परा को जीवित रखा। यहाँ यह कहा जा सकता है कि साहित्यिक पत्र-पत्रिकाएँ तो मूलतः साहित्य के प्रति समर्पित होती ही हैं, जिसमें किसी-न-किसी रूप में साहित्य के लिए स्थान सुरक्षित किया जाता है। यानी कविता, कहानी, आत्मकथा, ग़ज़ल, गीत, निबन्ध, नाटक, संस्मरण, शब्दचित्र, रिपोर्ताज़, पुस्तक-समीक्षा, आलोचना, उपन्यास अंश आदि प्रायः सभी पत्र-पत्रिकाओं में छपता रहा है। यह भी गौर करने की बात है कि जिन गैर साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं का गम्भीर साहित्य की ओर रुझान नहीं था, वे भी खासकर दैनिक और साप्ताहिक या पाक्षिक अख़बार और पत्रिकाएँ भी 'फिलर' के रूप में साहित्य सामग्री को छापते रहे हैं। पत्रिकाओं में प्रकाशित अच्छे साहित्य ने पाठकों को आकर्षित किया। धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, अज्ञेय, कमलेश्वर, मनोहर श्याम जोशी, नारायण दत्त, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार जैसे सुधी साहित्यकारों ने आज़ादी के बाद की हिन्दी पत्रकारिता को अपनी साहित्यिक सूझ-बूझ से सिंचित किया। यह क्रम अस्सी के दशक तक लगभग बना रहा। अस्सी के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था ने नयी उड़ान भरनी शुरू की, राजनीति और समाज के स्तर पर बदलाव आने लगे, जिसका सीधा असर हिन्दी की पाठकीयता पर पड़ा। साहित्य के लिहाज से हिन्दी की श्रेष्ठ पत्रिकाओं का स्तर उच्च कोटि का था लेकिन उनका प्रसार धीरे-धीरे घटने लगा। नब्बे के दशक में हिन्दी की कई बड़ी पत्रिकाएँ बन्द होने के कगार पर पहुँच गई। धर्मयुग, दिनमान और सारिका जैसी टाइम्स समूह की पत्रिकाएँ बन्द हुईं और साप्ताहिक हिन्दुस्तान, रविवार, अवकाश जैसी पत्रिकाएँ भी। नब्बे के दौर

में शुरू हुए संडे मेल, संडे ऑब्जर्वर, चौथी दुनिया, दिनमान टाइम्स जैसे ब्रॉडशीट साप्ताहिक भी जल्दी ही बन्द हो गए।

वर्ष 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों ने साहित्य और मीडिया के रिश्तों को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। देश में सेटेलाइट के ज़रिये विदेशी धरती पर तैयार हुए टेलीविजन कार्यक्रम दिखाए जाने लगे। विदेशी चैनल भारत में प्रसारित होने लगे। न्यू मीडिया उभरकर आया जो विषय सामग्री पत्रिकाओं में एक सप्ताह के बाद प्राप्त होती थी, वह टी.वी. पर तत्क्षण दिखाई देने लगी इसलिए साप्ताहिक परिशिष्टों में छपने वाली सामग्री दैनिक के पन्नों पर छपने लगी। बहरहाल साप्ताहिक पत्रिकाएँ दम तोड़ने लगीं और उनके सामने यह संकट उत्पन्न हुआ कि वे क्या छापें! सबसे बड़ी समस्या हिन्दी साहित्य की उन विधाओं के साथ हुई, जो स्तरीय पत्रिकाओं में छपा करती थीं। रिपोर्ताज, संस्मरण, रेखाचित्र, ललित निबन्ध, यात्रा वृत्तान्त, भेंटवार्ता, समीक्षा जैसी अनेक विधाएँ, जो साप्ताहिक पत्रिकाओं की शान हुआ करती थीं, धीरे-धीरे दम तोड़ने लगीं। जब छपनी ही बन्द हो गईं, तो लिखी भी नहीं जाने लगीं यानी आर्थिक सुधारों के बाद पत्रकारिता का जो नया रूप उभरा, उसने पत्रकारिता का विस्तार तो बहुत किया लेकिन बाज़ारवादी होड़ में साहित्य सामग्री की कृपणता देखने को मिली। हालाँकि कुछ लघु पत्रिकाओं ने साहित्य की मशाल ज़रूर जलाए रखी। पहल, तद्भव, नया ज्ञानोदय, समकालीन भारतीय साहित्य, इंडिया टुडे, आउटलुक, आजकल, समयान्तर जैसी कुछ पत्रिकाएँ अपने कलेवर और विषयवस्तु में कुछ भिन्न होते हुए भी कुछ हद तक साहित्य की परम्परा को बचाए हुए हैं।

कहना न होगा कि हिन्दी गद्य भाषा की निर्मिति, नियमन और परिमार्जन साहित्यिक पत्रकारिता का उज्ज्वल एवं गौरवशाली इतिहास रहा है। स्वातन्त्र्योत्तर काल में हिन्दी के साहित्यिक आन्दोलनों, वादों आदि की स्थापना और उनके प्रचार-प्रसार में कई साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं की सक्रिय भूमिका रही है। नई धारा, आजकल, कहानी, कल्पना, प्रतीक, ज्ञानोदय, साहित्य, धर्मयुग, दिनमान, सारिका, समीक्षा जैसी कई सरकारी, गैर-सरकारी, व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक पत्र-पत्रिकाओं ने हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किए। इनके माध्यम से अनेक विषयों से सम्बन्धित उच्च कोटि के विशेषांक प्रकाशित हुए।

1.4.05. पत्रकारिता के माध्यम से साहित्य रचने वाले साहित्यकार

स्वतन्त्रता से पूर्व कई साहित्यकारों ने पत्रकारिता के माध्यम से समाज को चेतस किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (कवि वचन सुधा, हरिश्चन्द्र चन्द्रिका), बालकृष्ण भट्ट (हिन्दी प्रदीप), छोटूलाल मिश्र (भारतमित्र), सदानन्द मिश्र (सारसुधानिधि), दुर्गाप्रसाद मिश्र (उचित वक्ता), देवकीनन्दन तिवारी (प्रयाग समाचार), राजा रामपाल सिंह (दैनिक हिन्दोस्थान), योगेन्द्रचन्द्र बसु (हिन्दी बंगवासी), लाल बलदेव सिंह (भारत भ्राता), मदनमोहन भट्ट (बिहारबन्धु), महावीरप्रसाद द्विवेदी (सरस्वती), गणेश शंकर 'विद्यार्थी' (प्रताप), माखनलाल चतुर्वेदी (प्रभा), रुद्रदत्त शर्मा (हितवार्ता), महात्मा गाँधी (हरिजन, नवजीवन), पण्डित मदनमोहन मालवीय (अभ्युदय, मर्यादा), लाला हरदयाल (गदर), अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी (स्वतन्त्र), बाबूराव विष्णु पराड़कर (आज), हरिश्चन्द्र विद्यालंकर (विजय), सुन्दरलाल (भविष्य), माधवराव सप्रे (कर्मवीर), रामरखसिंह सहगल (चाँद), रूपनारायण पाण्डे (माधुरी),

महादेवप्रसाद सेठ (मतवाला), रामानन्द चट्टोपाध्याय (विशाल भारत) आदि ने साहित्य रचकर समाज को एक नयी दिशा दी। स्वातन्त्र्योत्तर काल में भी कई साहित्यकार सम्पादन-कार्य से जुड़े रहे। रामवृक्ष बेनीपुरी (नई धारा), शिवपूजन सहाय (हिमालय), रामविलास शर्मा (आलोचक), नलिन विलोचन शर्मा (साहित्य), शमशेर, मुक्तिबोध (हम), नामवर सिंह (आलोचना), बालकृष्ण राव (माध्यम, कादम्बिनी), कमलेश्वर (माया, नई कहानियाँ, सारिका), अज्ञेय (प्रतीक, दिनमान), रमेश बक्षी (ज्ञानोदय), शिवचन्द्र शर्मा (स्थापना), अशोक वाजपेयी (पूर्वग्रह), सोमदत्त (साक्षात्कार), पण्डित विद्यानिवास मिश्र (साहित्य अमृत), नन्ददुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, विजयदेव नारायण साही आदि का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है जिन्होंने पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य रचने में अपनी महती भूमिका निभायी।

1.4.06. पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य का स्वरूप

पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य के चरित्र-निरूपण और उसके स्वरूप पर विचार करते हुए हमें गम्भीर साहित्यिक पत्रिकाओं को फ़िल्म, संगीत, राजनीति और धर्म आदि की तरह 'साहित्य' का भी धंधा करने वाली व्यावसायिक पत्रिकाओं से अलगा कर देखना चाहिए। यह अन्तर आज़ादी के पहले से रहा है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि ऐसा अन्तर साहित्यिक पत्रकारिता के जन्म के समय से ही रहा है। शुरू से ही साहित्यिक पत्रिकाएँ सदैव सत्ता-तन्त्र और व्यवसाय-तन्त्र से जुड़ी या उनकी हितपोषक प्रतिष्ठानी और सेठाश्रित पत्रिकाओं से अलग, बल्कि विरोधी रही हैं, भले ही इस विरोध तथा प्रतिरोध की शैली एवं उसका स्वरूप कितना ही भिन्न-भिन्न क्यों न हो। यह अन्तर 'उदन्त मार्त्तण्ड', 'सुधाकर', 'प्रजाहितैशी', 'पयाम-ए-आज़ादी', 'बनारस अख़बार' जैसे पत्रों से साफ परिलक्षित होता है। यह अन्तर भारतेन्दु की 'कवि वचन सुधा', महावीरप्रसाद द्विवेदी की 'सरस्वती', 'माधुरी', 'मतवाला', 'सुधा', 'चाँद', प्रेमचंद के 'हंस', 'विप्लव', 'नया साहित्य' जैसी कई छोटी-बड़ी साहित्यिक पत्रिकाओं तथा बाज़ारू और व्यावसायिक पत्रिकाओं के बीच सदैव रहा है। आज़ादी के बाद यह अन्तर 'कल्पना', (बदरी विशाल पित्ती एवं अन्य), 'समालोचक' (रामविलास शर्मा), 'प्रतीक' (अज्ञेय), 'वसुधा' (हरिशंकर परसाई), 'कहानी' (श्रीपत राय), 'नया पथ' (यशपाल एवं अन्य), 'कृति' (श्रीकान्त वर्मा), 'आलोचना' (नामवर सिंह), 'लहर' (प्रकाश जैन और मनमोहिनी) और 'नई कहानियाँ' (कमलेश्वर, फिर भीष्म साहनी) जैसी श्रेष्ठ साहित्यिक पत्रिकाओं तथा व्यावसायिक घरानों की प्रतिष्ठानी और सेठाश्रयी पत्रिकाओं – 'धर्मयुग', 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान', 'ज्ञानोदय', 'सारिका', 'निहारिका' और 'कादम्बिनी' आदि के बीच बड़ा अन्तर रहा है। विषयवस्तु, भाषा और कलेवर के दृष्टिकोण से यह अन्तर साहित्यिक पत्रिकाओं और राजसत्ता की हितपोषक प्रतिष्ठानी पत्रिकाओं के बीच में रहा है।

1.4.07. हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता (कला और विज्ञान भी)

साहित्यिक पत्रकारिता मात्र तकनीक नहीं बल्कि भाषिक और विचारधारात्मक चेतना भी है। भाषिक संवेदना और वैचारिक चेतना के साथ ही वह साहित्य और अन्य ललित कलाओं की तरह खुद भी एक सर्जनात्मक और कलात्मक रूप है। इस सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि साहित्यिक पत्रकारिता एक कला है –

एक ऐसी कला जो अपने सर्वोच्च स्तरों पर सर्जनात्मक साहित्य से होड़ करती है। कला और सर्जनात्मक संगठन का समन्वित प्रयास लेखक अगर लिख कर सृजन करता है, तो एक श्रेष्ठ साहित्यिक पत्रकार अपने कौशल ज्ञान, संगठनात्मक क्षमता, सम्पादन सामर्थ्य और वस्तुनिष्ठ आलोचनात्मक विवेक से साहित्य को कलात्मक गतिशील रूप, नवोन्मेश की चेतना और लोकोन्मुख प्रगतिशील दिशा दे सकता है। पत्रकार द्वारा अपनाए गए इन कलात्मक और संगठनात्मक साहित्यिक प्रयासों को व्यापक अर्थ में सर्जनात्मक ही कहा जाएगा। इस दृष्टि से भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महावीरप्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, निराला, रामविलास शर्मा, यशपाल, हरिशंकर परसाई, कमलेश्वर आदि की साहित्यिक पत्रकारिता किस लेखक के सर्जनात्मक और कलात्मक प्रयासों से कम है। इसीलिए, और ठीक इन्हीं अर्थों में, श्रेष्ठ साहित्यिक पत्रकारिता एक विज्ञान भी है। कहना न होगा कि अपने खास अर्थों में आज के संचार क्रान्ति के उत्तर-औद्योगिक परिदृश्य में साहित्यिक पत्रकारिता भी – सामाजिक चेतना को एक सुनिश्चित रूप एवं दिशा देने में तथा साथ ही लोकमत की सूक्ष्म प्रक्रिया को प्रभावित करने में अपना विशेष योगदान देती है। सामान्य पत्रकारिता की तुलना में साहित्य और साहित्यिक पत्रकारिता की यह भूमिका, प्रक्रिया के स्तर पर अधिक जटिल एवं सूक्ष्म तथा प्रभाव की दृष्टि से अधिक स्थायी किन्तु लगभग अदृश्य होती है। साहित्यिक पत्रकारिता लोकमत-निर्माण और लोक-शिक्षण का कार्य भी परोक्ष ढंग से करती है। इस प्रकार वह समाज की विचार-चेतना के विकास में और व्यापक सांस्कृतिक एवं सामाजिक जनरुचि के परिष्कार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है और वह भी संचार-क्रान्ति की कार्य-प्रणाली और नियमों-अवधारणाओं का कमोबेश अनुसरण करती है।

एक सामान्य पत्रकार और सम्पादक की तरह साहित्यिक पत्रकार और सम्पादक को भी आज की अधुनातन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, कलात्मक रूप-सज्जा और मूल्यांकन में वैज्ञानिक वस्तुपरकता का ज्ञान तथा विज्ञान की जानकारी से लैस होना चाहिए। एक कुशल साहित्य सम्पादक और साहित्यिक पत्रकार के पास वैज्ञानिक की वस्तुनिष्ठता और सर्जक कलाकार की अन्तर्दृष्टि, दोनों होना ज़रूरी है।

1.4.08. पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य का विकास

पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य का इतिहास हमारे साहित्य के इतिहास का अभिन्न पहलू है और साहित्य का इतिहास हमारे समग्र सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास का अंग भी। इनमें उठने वाली परिवर्तन की लहरें सदैव एक-दूसरे से प्रभावित होती हैं और परस्पर एक-दूसरे को प्रभावित भी करती हैं लेकिन साहित्य के इतिहास की कुछ धीमी गति की तुलना में साहित्यिक पत्रकारिता के इतिहास की गति कुछ तीव्रतर होती है। पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य में तात्कालिकता और एक हद तक समसामयिक दबावों का तुलनात्मक रूप से अधिक प्रभाव दिखता है, फिर भी अपने खास चरित्र के कारण साहित्यिक पत्रकारिता के इतिहास, उसके काल-विभाजन, भाषा-शैलीगत विविध परिवर्तनों और प्रवृत्तियों के टकराव या सामंजस्य आदि का अपना वैशिष्ट्य तो होता ही है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालमुकुन्द गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, महावीरप्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, निराला, पंत, मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, नामवर सिंह सरीखे साहित्यकारों ने पत्रकार के रूप कार्य करते हुए साहित्य को समृद्ध किया है। अतएव पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्यिक कृति पर नज़र दौड़ाएँ तो इसे निम्नलिखित विभाजित रूपों में देख सकते हैं –

1.4.08.1. भारतेन्दु-बालमुकुन्द गुप्त युग(1867-1902 ई.)

यह युग देश और समाज दोनों के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुआ। इस समय जहाँ एक ओर विज्ञान की अकल्पनीय प्रगति हुई वहीं दूसरी ओर साम्राज्यवाद के विस्तार में भारत का अंग्रेजी शासन की गुलामी, साथ ही भारतीय समाज में सामन्ती मनोवृत्ति, सामाजिक रूढ़ियाँ, आर्थिक पिछड़ापन, अशिक्षा, जातिप्रथा का दुश्चक्र, अन्धविश्वास आदि एक ऐसा वातावरण निर्मित कर रहा था जिसमें भारतीय जन को चारों ओर अन्धकार ही दिखाई दे रहा था। ऐसे समय में भारतेन्दु और तमाम साहित्यकारों ने समाज में पत्रकारिता के माध्यम से समाज को चेतस किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा निकाले गए 'कवि वचन सुधा' को हिन्दी साहित्य और हिन्दी पत्रकारिता का प्रस्थान बिन्दु कहा जाता है। इसके माध्यम से हिन्दी गद्य-पद्य दोनों का विकास हुआ और जो बातें उस समय हिन्दी पाठक को ज्ञात नहीं थीं, वे भी ज्ञात हुईं। भारतेन्दु ने एक ऐसे लेखक और पत्रकार की पीढ़ी को तैयार की जिसने देशभर के विविध भाषा-भाषी प्रान्तों में पत्र-पत्रिकाएँ निकालने और उनमें लिखने के लिए प्रेरित किया। भारतेन्दु स्वयं साहित्यकार थे उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं यथा – कविता, नाटक, अनुवाद आदि क्षेत्रों में साहित्य रचा। उनका अधिकांश लेखन पत्रकारिता के माध्यम से ही हुआ। भारतेन्दु को इसका भी श्रेय है कि सबसे पहले उन्होंने हिन्दीभाषियों को नहीं बल्कि सभी भाषा-भाषियों को अपनी भाषा से उत्कट प्रेम का पाठ पढ़ाया। उनका कहना था – "निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल।" हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता के जनक भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपनी आँखों से सन् 1857 का 'गदर', उसके असफल रहने पर उन प्रथम स्वाधीनता-संग्रामियों का निर्मम नरसंहार और सामान्य भारतवासियों के नृशंस दमन को देखकर साहित्य रचा। भारतेन्दु द्वारा सम्पादित 'कवि वचन सुधा' 15 अगस्त 1867 में मासिक निकलने लगी। प्रकाशन के दूसरे वर्ष से वह पाक्षिक, फिर 5 सितंबर 1873 से साप्ताहिक रूप में निकलने लगी थी। कवि वचन सुधा में चंदबरदाई का 'रासो', कबीर की 'साखी', जायसी का 'पद्मावत' और बिहारी के दोहे भी प्रकाशित हुए।

'कवि वचन सुधा' से हिन्दी साहित्यिक पत्रकारिता का सूत्रपात करते हुए, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' निकालकर हिन्दी को एक नयी शैली प्रदान की। उन्होंने 15 अक्टूबर 1873 से पाक्षिक 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन' का प्रकाशन शुरू किया, 8 अंकों के बाद जनवरी 1874 से उसका नाम 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' हो गया। यह मासिक पत्र था जिसमें उपन्यास, कविता, राजनीति, साहित्य और दर्शन से सम्बन्धित लेख, कहानियाँ और व्यंग्य प्रकाशित होती थी। भारतेन्दु ने स्त्रियों के लिए भी एक पत्रिका 'बाला बोधिनी' निकाली थी। डॉ॰ रामविलास शर्मा ने 'कवि वचन सुधा' को 'एक युग का सजीव इतिहास' और 'भारतेन्दु युग का दर्पण' निरूपित करते हुए लिखा है कि वह सच्चे अर्थों में 'जनता के हितों के लिए लड़ने वाले निर्मम सैनिक की तरह थी।' यह कहा जाता है कि 'कवि वचन सुधा' के बाद यही काम 'मैगज़ीन' और 'चन्द्रिका' ने किया। हिन्दी साहित्य की प्रायः सभी गद्य-विधाएँ इस युग में लिखी गईं। डॉ॰ रामविलास शर्मा के शब्दों में – "भारतेन्दु की पत्रिकाओं का मूल स्वर देशोन्नति और अंग्रेज़ी शासन से मुक्ति का था और उन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक विषयों को एक ही जगह समेटकर पत्रिका की ऐसी पद्धति चलाई जिसका अनुसरण आगे चलकर हिन्दी की अधिकांश पत्रिकाएँ करती रहीं।" भारतेन्दु की पत्रिकाओं के अलावा 'आनन्द कादम्बिनी' (प्रेमघन), 'भारतेन्दु' (राधाचरण गोस्वामी), 'ब्राह्मण'

(प्रतापनारायण मिश्र), 'हिन्दी प्रदीप' (बालकृष्ण भट्ट), 'सारसुधानिधि' (दुर्गाप्रसाद मिश्र और सदानन्द मिश्र) तथा 'भारतमित्र' (बालमुकुन्द गुप्त) आदि इस युग के प्रतिनिधि पत्र-पत्रिकाएँ और उनके यशस्वी सम्पादक हैं, जो भारतेन्दु की इस राह पर दृढ़तापूर्वक जीवनपर्यन्त चले कि "कभी भी परदेशी वस्तुओं और परदेशी भाषाओं का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा से प्यार करते हुए साहित्य सृजन करो।"

पण्डित बालकृष्ण भट्ट, जिन्हें हम हिन्दी के शुरुआती निबन्धकार के रूप में जानते हैं, महावीरप्रसाद द्विवेदी के समकालीन थे। डॉ॰ रामविलास शर्मा कहते हैं कि वे भारतेन्दु युग के ऐसे सिपाही थे, जिन्होंने हरिश्चन्द्र की मृत्यु के बाद सेनापति की कमान सँभाली। 'भारतमित्र' के साथ गुप्तजी का नाम वैसे ही जुड़ा है जैसे 'सरस्वती' के साथ द्विवेदीजी का। बालमुकुन्द गुप्त के सम्पादन में निकलने वाले पत्र 'हिन्दी प्रदीप' में कविता प्रकाशित हुई 'यह बम क्या चीज है ?' और इसी वजह से पत्र को अकाल मृत्यु का भाजन बनना पड़ा। उचित वक्ता, भारतमित्र, हिन्दी बंगवासी, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सरस्वती, चाँद, मतवाला, सैनिक, हंस, वीणा, सुधा, शक्ति, कर्मवीर, प्रताप, माधुरी, आज आदि को भी इसी नज़र से देखा जा सकता है। 1857 ई. की सैनिक-क्रान्ति की विफलता के बाद 'हिन्दी प्रदीप' हिन्दी का पहला मासिक पत्र था जिसने साहित्य को प्रखर राष्ट्रीय चेतना से जोड़ते हुए बड़ी निर्भीकता से जन-जागरणोन्मुख बनाया था और जिसे अपने तीखे राजनैतिक तेवर के कारण कई बार तत्कालीन ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन भी बनना पड़ा था। अतएव हम कह सकते हैं कि हिन्दी प्रदीप के सम्पादक पण्डित बालकृष्ण भट्ट हिन्दी की राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रकारिता के सच्चे प्रवर्त्तक थे।

वस्तुतः भारतेन्दु-युग की श्रेष्ठ साहित्यिक पत्रकारिता ने लोगों की रुचि पढ़ने की ओर अधिकाधिक मोड़ते हुए उन्हें हिन्दी साहित्य का जागरूक पाठक बनाया, लोगों में गम्भीर साहित्य पढ़ने की रुचि पैदा हुई, उन्हें टीका-टिप्पणी करने की ओर प्रेरित करके सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक रूप से जागरूक बनाया।

1.4.08.2. द्विवेदी-प्रेमचंद युग (1900 -1935 ई.)

साहित्य, समाज और राजनीति का बेहतरीन उदाहरण निस्सन्देह महावीरप्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका ही थी जिसने हिन्दी भाषा, साहित्य और पत्रकारिता के एक नए युग को निर्मित किया। सरस्वती सिर्फ एक साहित्यिक पत्रिका ही नहीं थी बल्कि समय की ज़रूरत के मुताबिक हर प्रकार की सामग्री उसमें प्रकाशित होती थी। दुनिया भर के श्रेष्ठ साहित्य को उसमें स्थान दिया जाता था। द्विवेदीजी स्वयं कई नामों से विविध विषयों पर लिखा करते थे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि एक सम्पादक के नाम पर हिन्दी साहित्य के एक युग का नामकरण हुआ। अपनी पत्रिका के ज़रिये उन्होंने हिन्दी के उन्नयन के लिए साहित्यकारों की नयी पीढ़ी तैयार की। महावीरप्रसाद द्विवेदी और उनकी 'सरस्वती' का महत्त्व यह है कि उन्होंने हिन्दी नवजागरण की बिखरी हुई असंगठित शक्ति को एक जगह एकताबद्ध और संगठित किया। यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि 'सरस्वती' द्वारा द्विवेदीजी के सम्पादन में 1903 ई. से ऐतिहासिक युगान्तर शुरू करने से पहले यह भूमिका माधवराव सप्रे के सम्पादन में 'छत्तीसगढ़ मित्र' (1900 ई.) से आरम्भ हो चुका था। महावीरप्रसाद द्विवेदी, पण्डित श्रीधर पाठक, पण्डित जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल, पण्डित कामताप्रसाद गुरु, पण्डित गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, पण्डित रामदास गौड़ तथा

पण्डित नागेश्वर मिश्र प्रभुत जैसे कई लेखक ऐसे थे जिनकी प्रारम्भिक रचनाओं को 'छत्तीसगढ़ मित्र' ने बड़े ही उत्साह से प्रकाशित किया। पण्डित माधवराव सप्रे बाद में भी 'सरस्वती' में द्विवेदीजी के एक नियमित सहयोगी लेखक के रूप में हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता और हिन्दी नवजागरण में अपना बहुमूल्य योगदान देते रहे। आलोचक रामचन्द्र शुक्ल का 'इतिहास' और उपन्यासकार, पत्रकार प्रेमचंद तथा हिन्दी कविता में छायावाद, नए यथार्थवाद और छन्द-मुक्त प्रगतिवादी नयी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर तथा पत्रकार सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' इसी युग की देन हैं। प्रेमचंद के सम्पादनकाल की 'माधुरी' भी इस हिन्दी नवजागरण के 'ज्ञानकाण्ड' में 'सरस्वती' और 'छत्तीसगढ़ मित्र' की सहोदर पत्र-पत्रिकाएँ थीं। इनके अलावा, इस युग की अन्य महत्त्वपूर्ण पत्रिकाओं में चन्द्रधर शर्मा गुलेरी का अल्पायु 'समालोचक', जयशंकर प्रसाद की 'इन्दु', माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर 'विद्यार्थी' व बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के सम्पादन में निकलने वाली 'प्रभा', रामरख सहगल की क्रान्तिकारी पत्रिका 'चाँद' (जिसमें छह नामों से भगतसिंह लिखते थे और जिसके जब्तशुदा 'फाँसी' अंक को उन्होंने ही तैयार किया था), 'साहित्य समालोचक', अल्पायु 'साहित्य', 'श्रीशारदा' और 'वीणा' के नाम उल्लेखनीय हैं। इन साहित्यिक पत्रकारों-लेखकों के अलावा दैनिक 'वर्तमान' के सम्पादक रमाशंकर अवस्थी, शिवपूजन सहाय, सत्यभक्त, राधा मोहन गोकुल, इतिहासज्ञ काशीप्रसाद जायसवाल, श्यामाचरण राय, जनार्दन भट्ट, डॉ० बेनीप्रसाद, बैरिस्टर मन्निलाल, रामनारायण शर्मा, ईश्वरदास मारवाड़ी, नाथूराम प्रेमी, कृष्णानन्द जोशी, गंगाधर पंत, देवीप्रसाद गुप्त, शिवप्रसाद गुप्त, त्रिमूर्ति शर्मा, गिरिजाप्रसाद द्विवेदी, सुन्दरराज, सत्यदेव, जगन्नाथ खन्ना, गिरीन्द्र मोहन मिश्र, मधुसूदन शर्मा, वीरसेन सिंह, सीताराम सिंह, बदरीदत्त पाण्डे, संतराम, शिवप्रसाद शर्मा, धनीराम बख्शी, पृथ्वीपाल सिंह, द्वारिकानाथ, सिद्धेश्वर शर्मा, प्रेमवल्लभ जोशी, गुलजारीलाल चतुर्वेदी, श्यामसुन्दर वर्मा, रामनारायण मिश्र, कामताप्रसाद गुरु और मिश्र बन्धु के नाम उल्लेखनीय हैं। डॉ० बेनीप्रसाद और राधामोहन गोकुल अपने नामों के अलावा 'सत्यशोधक' और 'प्रत्यक्षदर्शी' के नामों से भी लिखते थे।

1.4.08.3. प्रगतिवादी युग (1936 -1950-53 ई.)

साहित्य के इतिहास में 1936 से 1953 ई. तक के काल को प्रगतिवादी युग माना जाता है। इसका आधार प्रेमचंद की अध्यक्षता में 9-10 अप्रैल 1936 को लखनऊ में सम्पन्न प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेस) का स्थापना सम्मेलन है। कुछ लोग 1949-50 ई. तक तो कुछ 1953 ई. तक इसकी कालावधि मानते हैं। इस युग में पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य का सबसे क्रान्तिकारी विचारधारा, प्रगतिशील दृष्टिकोण वाली पत्र-पत्रिकाओं और उनके लेखकों-सम्पादकों के कृतित्व में ही नज़र आता है। इनका मुख्य विषय ब्रिटिश उपनिवेशवाद की गुलामी से मुक्ति दिलाकर एक समतामूलक समाज के निर्माण से सम्बद्धरहा है। देश की आज़ादी और स्वतन्त्र भारत को एक जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणतन्त्र बनाने के उद्देश्य से मज़दूरों, किसानों, तमाम मेहनतकशों से प्रतिबद्धता तथा उनकी समस्याओं से रू-ब-रू होते हुए समाधान निकालना प्रगतिवादी साहित्यकारों का मकसद रहा है और साथ ही शोषणविहीन समाज के स्वप्न तथा हर प्रकार के शोषण-दमन का यथार्थ चित्रण करते हुए उसका प्रतिरोध, फासीवाद एवं युद्ध के विरोध में शान्ति, सोवियत संघ का समर्थन आदि 'प्रगतिवादी' साहित्य तथा पत्रकारिता का मूल उद्देश्य रहा है। इस दृष्टि से जिन महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का नामोल्लेख किया जा

सकता है, उनमें प्रमुख हैं – प्रेमचंद तथा अमृतराय द्वारा सम्पादित 'हंस', यशपाल द्वारा सम्पादित 'विप्लव', पंत द्वारा सम्पादित 'रूपाम', 'नया साहित्य', 'लोकयुद्ध', 'जनयुग', (तीनों कम्युनिस्ट पार्टी), अमृतलाल नागर द्वारा सम्पादित 'चकल्लस' तथा 'उच्छृंखल', यशपाल द्वारा सम्पादित 'नया पथ', रामविलास शर्मा द्वारा सम्पादित 'समालोचक', परसाई द्वारा सम्पादित 'वसुधा', 'जनता', 'संघर्ष', 'नया सवेरा', 'उदयन' और मुक्तिबोध के सम्पादन में साप्ताहिक 'नया खून' आदि प्रमुख हैं। ये सभी पत्र-पत्रिकाएँ प्रगतिवादी विचारों से लैस थीं।

1.4.08.4. प्रगति का द्वन्द्व तथा प्रगति-विरोधी विचारधाराओं का दौर (1947-1964 ई.)

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप और अमेरिका में अंध-कम्युनिस्ट विरोध के साथ ही अस्तित्ववाद, संरचनावाद, आधुनिकतावाद और ऐसी ही तरह-तरह की दार्शनिक, साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आज़ादी के बाद इन आन्दोलनों और विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई देने लगा था। साहित्य और साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में 'प्रगति' और 'प्रयोग' का द्वन्द्व तो 1943 में अज्ञेय के सम्पादन में 'तारसप्तक' के प्रकाशन से ही परिलक्षित होने लगा था लेकिन 1947 से अज्ञेय के 'प्रतीक' के प्रकाशन के साथ ही इस संघर्ष का स्वरूप भी बदलने लगा था। पहले जहाँ ('तारसप्तक' और कुछ बाद तक) एक ही प्रगतिवादी परिधि में दो विरोधी दृष्टिकोणों में टकराव होने लगा, जिसे 'प्रगति' बनाम 'प्रयोग' के द्वन्द्व नाम से जाना गया। इस टकराव के केन्द्र में था आलोचना और कविता और बाद में नयी कहानी भी शामिल हो गई। एक ही प्रगतिशील धारा के अन्तर्गत एक ओर जहाँ रामविलास शर्मा, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन आदि थे तो वहीं दूसरी ओर 'प्रगतिवाद' की रूढ़ समझ के विरोध में मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, हरिशंकर परसाई और नामवर सिंह थे, जो नए-नए प्रयोगों की ज़ोरदार वकालत करते हुए पत्रकारिता के माध्यम से साहित्य सृजन करते थे।

यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि आज़ादी के बाद सच्चिदानन्द हीरानन्द, वात्स्यायन 'अज्ञेय' ने 'दूसरा सप्तक' और 'तीसरा सप्तक' के माध्यम से नए 'प्रयोगों' की वकालत को खींचकर 'प्रयोगवाद' के सिद्धान्तों को आन्दोलन में बदल दिया। दुनिया भर में जिस शीत युद्ध की अंध-कम्युनिस्ट-विरोधी लहर का प्रभाव छाने लगा था, हिन्दी में भी 'कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम' के प्रवक्ता के बतौर 'प्रतीक' और 'अज्ञेय' के नेतृत्व में इसकी गोलबन्दी होने लगी। जल्दी ही 'नयी कविता' पत्रिका (सम्पादक जगदीश गुप्त) और 'परिमल' संस्था (अज्ञेय, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकान्त वर्मा, विजयदेव नारायण साही आदि) भी इस मोर्चे में शामिल हो गए और इन सभी ने मिलकर ज़ोरदार प्रगति-विरोधी अभियान छेड़ दिया।

प्रगतिशील लेखक संघ (प्रलेस), उसकी विचारधारा से जुड़े मंचों, पत्र-पत्रिकाओं के अवसान के बाद इन प्रगति-विरोधियों को खुला मैदान मिल गया। राजनैतिक सत्ता और धनसत्ता के परोक्ष और प्रत्यक्ष समर्थन तथा तमाम प्रतिष्ठानी सेठाश्रयी पत्र-पत्रिकाओं के विशाल मंच उपलब्ध होने पर एकबारगी तो साहित्यिक पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्रों में इनकी ही सर्वत्र विजय-पताका लहराने लगी।

1.4.08.5. लघु-पत्रिका आन्दोलन का दौर (1964 -74 ई.)

भारत पर सन् 1962 में चीन के हमले और 1964 ई. में नेहरू के निधनोपरान्त एक ओर जहाँ हरेक क्षेत्र में स्वतन्त्र्योत्तर मोह-भंग हो रहा था, वहीं दूसरी ओर नेहरूवादी एकछत्र सत्ता के बुर्जुआ लोकतन्त्र में अन्तर्विरोध और दरारें उभरने लगी थीं तथा समाजवाद, लोकतन्त्र और धर्मनिरपेक्षता विरोधी तमाम तरह की दक्षिणपंथी और मध्यममार्गी-अवसरवादी ताकतें, मुख्य रूप से साम्प्रदायिक और हिन्दुत्ववादी-दक्षिणपन्थी शक्तियाँ गोलबन्द होकर शक्तिशाली हो रही थीं। उन्हें अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों, उनकी बहुराष्ट्रीय पूँजी तथा देशी इज़ारेदार पूँजीपति घरानों और उनकी पत्र-पत्रिकाओं का भरपूर समर्थन था। इसका असर तमाम सांस्कृतिक क्षेत्रों और साहित्यिक पत्रकारिता पर भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और प्रतिष्ठानी पत्र-पत्रिकाओं के साथ ही 'धर्मयुग', 'सारिका', 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान', 'ज्ञानोदय' जैसी सेठाश्रयी पत्रिकाओं ने प्रगतिशील सोच के लेखकों, विशेष रूप से नए लेखकों के लिए प्रकाशन के अपने सभी दरवाज़े बन्द कर दिए। इसी के विरोध में हिन्दी सहित सभी भारतीय भाषाओं में 1964-65 ई. से जबर्दस्त लघु-पत्रिका आन्दोलन चला। लेखकों के समूह छोटे-छोटे आयोजन कर अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया तथा नवोदित लेखकों को भी उसमें स्थान दिया जाने लगा। कई पत्र निकलने लगे। आकण्ठ, सुमनलिपि, यू.एस.एम. पत्रिका का लघुकथा विशेषांक, नाट्य विद्या विशेषांक, लोकनाट्यरंग विशेषांक, कविता विशेषांक आदि ने साहित्य को समृद्ध किया। वस्तुतः इस दौर में खास बात यह हुई कि 1967 ई. में नक्सलवादी आन्दोलन के सांस्कृतिक क्षेत्रों खासकर साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उसका जबर्दस्त असर देखा गया। लघु-पत्रिकाओं का खासा बड़ा हिस्सा तथा नौजवान लेखकों-संस्कृतिकर्मियों का बहुमत इस ओर आकर्षित होने लगा। उधर कम्युनिस्ट पार्टी में 1964 में विभाजन के बाद माकपा और भाकपा से जुड़े लेखकों-पत्रकारों की पत्र-पत्रिकाओं ने भी नए सिरे से अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया। फलस्वरूप 1969-70 से लघु-पत्रिका आन्दोलन ने जोर पकड़ा। इस दौर की परिणति मई 1975 में गया में 'राष्ट्रीय प्रगतिशील लेखक महासंघ' के नाम से देश की सभी भाषाओं के प्रगतिशील लेखकों के मंच का पुनर्गठन हुआ। इसके बाद 1995 तक या यों कहें कि 2000 ई. तक साहित्यिक पत्रकारिता में मार्क्सवादी विचारधारा तथा व्यापक तथा प्रगतिशील और वामपंथी दृष्टिकोण से प्रतिबद्ध लेखकों, सम्पादकों तथा पत्र-पत्रिकाओं का ही वर्चस्व कायम रहा। सत्तर और अस्सी के दशकों में प्रगतिशील और वामपंथी रुख़ के कारण एक ओर जहाँ कई प्रतिष्ठानी पत्रिकाएँ या तो बन्द हो गई अथवा अप्रासंगिक होकर अपना प्रभाव खो चुकी थीं, वहीं 'आलोचना' (नामवर सिंह एवं नन्दकिशोर नवल) के अलावा 'पहल' (ज्ञानरंजन), 'लहर' (प्रकाश जैन और मनमोहिनी), 'प्रगतिशील वसुधा' (कमला प्रसाद), 'उत्तरार्द्ध' (सव्यसाची), 'कथा' (मार्कण्डेय), 'कलम' (चन्द्रबली सिंह), 'क्यों' (मोहन श्रोत्रिय और स्वयं प्रकाश), 'आरम्भ' (नरेश सक्सेना और विनोद भारद्वाज), 'इसलिए' (राजेश जोशी), 'धरातल', 'कसौटी' (नन्दकिशोर नवल), और 'समारम्भ' (भैरवप्रसाद गुप्त) – जैसी श्रेष्ठ साहित्यिक पत्रिकाएँ अपने दौर की साहित्यिक पत्रकारिता का प्रतिनिधित्व करती हैं।

1.4.08.6. आपातकाल और परवर्ती दौर (1975 - 95 ई.)

जून 1975 में भारत में लगे आपातकाल के दौरान कठोर सेंसरशिप लागू होने के बाद हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता ने एक बार फिर भारतेन्दुयुगीन पत्रकारिता की कलात्मक संकेतधर्मिता, प्रतीकवाद और कूटनीति का सहारा लिया । इसमें भी मुख्यतः तीन धाराएँ दृष्टिगोचर होती हैं । जहाँ एक ओर उन दक्षिणपंथी-साम्प्रदायिक पक्ष के लेखकों-पत्रकारों की धारा जो आपातकाल, सेंसरशिप और इंदिरा-विरोध के तेवरों के साथ मुख्यतः अंध-कम्युनिस्ट विरोध और सोवियत-विरोध की नीतियों की प्रचारक थी । वहीं दूसरी धारा कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े लेखकों, पत्रकारों और सम्पादकों की थी जो आपातकाल, सेंसरशिप और तत्कालीन सत्ता के विरोध के साथ ही दक्षिणपंथी, साम्प्रदायिक और सत्तालोलुप फासिस्ट शक्तियों को भी बेनकाब कर रही थी लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद उन अवसरवादी लेखकों-पत्रकारों और साहित्यिक पत्रिकाओं की थी जो सत्ता की चापलूसी और जी-हज़ूरी में लगी हुई थीं । तमाम प्रतिष्ठानी और सेठाश्रयी पत्र-पत्रिकाएँ इसी रीढ़विहीन तीसरी धारा में थीं । उनके लेखकों में भी ऐसे ही अवसरवादी तत्त्वों का बहुमत था । हर तरफ से चौतरफा हमलों की शिकार भाकपा से जुड़ी पत्रिका 'पहल' से ही हुई उधर 'जनयुग' ने 'प्री-सेंसरशिप' को मानने से इनकार कर दिया तथा सेंसरशिप के विरोध में कोरे पृष्ठों और काली पट्टियों के साथ सारिका छापने की वजह से भाकपा से जुड़े सम्पादक कमलेश्वर को टाइम्स ऑफ इंडिया ने बर्खास्त कर दिया । यही नहीं, इससे कुछ समय पहले, प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा भाकपा से जुड़े महान् व्यंग्यकार और पत्रकार हरिशंकर परसाई पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिन्दुत्व सैनिकों ने उनके घर में घुसकर दिन-दहाड़े लाठियों से हमला किया था । इस प्रकार हम देखते हैं कि तमाम तरह के अवसरवादियों, पाखण्डी कायरों और नकली शहादत का मुखौटा पहनने वाले नौटंकीबाज़ लेखक-पत्रकारों तथा साहित्यिक पत्रिकाओं के विपरीत, वामपंथी और प्रगतिशील क्षेत्रों की साहित्यिक पत्रकारिता ने ही, इस दौर में भी अपनी सच्ची संघर्षशील भूमिका निभायी ।

1.4.08.7. भूमण्डलीकरण और उसके प्रतिरोध का समकालीन दौर (1995 ई. से अब तक)

नौवें दशक में पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य नाममात्र ही छपने लगा फिर भी पत्रकारिता के तेवर में साहित्य विधाओं के दर्शन तो होते ही हैं । आज पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य प्रकाशित करने वाली पत्रिकाओं में प्रमुख हैं – पहल, आजकल, इन्द्रप्रस्थ भारती, आलोचना, नया पथ, संवेद, अलाव, अक्षरा, नया ज्ञानोदय, हंस, कथन, समकालीन भारतीय साहित्य, समयान्तर, कथादेश, पूर्वग्रह, मधुमती, कथा-बिंब आदि । वर्तमान भूमण्डलीकरण के दौर में पत्रकारिता के तेवर में बदलाव देखने को मिलता है । हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ सूचना का प्रवाह अति तीव्र गति से जारी है । यहाँ मनुष्य एक श्रोता या पाठक से बदलकर उपभोक्ता मात्र हो गया है और साथ ही स्वयं उपभोग की 'वस्तु' में तब्दील हो चुका है । अब संस्कृति की जगह पतित अपसंस्कृति ने ले ली है और ज्ञान की जगह 'सूचना' मात्र ने इसमें भी वही सूचना जो दुनिया में 'सूचना-नियन्त्रण' करने वाली बहुराष्ट्रीय सूचना-सत्ताएँ तय करती हैं । दूसरे, सूचना की जगह 'गलत सूचना', दुष्प्रचार तथा प्रायोजित आम-राय और विश्व-अभिमत से इस तरह अब व्यक्ति के मस्तिष्क को और विचारों को भी नियन्त्रित किया जा रहा है तथा अश्लील तथा फूहड़ मनोरंजन की आदत डाली जा रही है, ऐसा वातावरण निर्मित किया जा रहा है जिससे हम धीरे-धीरे एक

अपढ़ समाज की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में साहित्यिक पत्रकारिता के समक्ष आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह लोगों में सांस्कृतिक विवेक, स्वतन्त्र कला-चेतना और विचारोत्तेजक किन्तु संवेदनात्मक साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करें। इसके लिए वह प्रिंट ही नहीं बल्कि 'इलेक्ट्रॉनिक' विशेष रूप से 'न्यू मीडिया' के वैकल्पिक साधनों के प्रयोगात्मक अवसर तलाश करें। भूमण्डलीकरण और बाज़ारवाद के वर्तमान परिदृश्य में पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्यक को भी संगठित और व्यापक वैकल्पिक शक्ति व प्रतिरोधों का शस्त्र बनकर एक नए नवजागरण का लोकप्रिय अग्रदूत बनना चाहिए।

1.4.09. पाठ-सार

पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य समकालीन रचनाशीलता को अधिक गतिशील बनाने में सहायक होती है। यह तो सत्य ही है कि हिन्दी के उन्नायक प्रथमतः पत्रकार थे, बाद में वे उत्कृष्ट साहित्यकार हुए। साहित्यकारों ने पत्रकार के रूप में और पत्रकारों ने साहित्यकार के रूप में भूमिका निभाते हुए हिन्दी गद्यकाल को निबन्ध, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, डायरी, आलोचना, समीक्षा, साक्षात्कार आदि विधाओं के माध्यम से पल्लवित-पुष्पित किया है। हिन्दी की आरम्भकालीन साहित्यिक पत्रकारिता से ही हिन्दी गद्य का रूप निखर कर सामने आया। भारतेन्दु युग से गद्य-विधा और गद्य साहित्य की परम्परा विकसित हुई। इस दौर के पत्रकारों ने पत्रकारिता के माध्यम से जनचेतना के लिए साहित्य-रचा। मौटे तौर पर देखा जाए तो इसकी परिधि में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के तत्त्व शामिल हैं तथा विविध रूपों में जनचेतना की अभिव्यक्ति साहित्य में देखने को मिलती है।

1.4.10. बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. हिन्दी के पहले साप्ताहिक समाचार पत्र 'उदन्त मार्त्तण्ड' की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई ?

(क) 30 अप्रैल 1826
(ख) 30 जून 1826
(ग) 30 मई 1826
(घ) 30 जुलाई 1826

सही उत्तर : (ग) 30 मई 1826

2. भारतेन्दु-बालमुकुन्द गुप्त युग की अवधि है –

(क) 1867 - 1902
(ख) 1869 - 1904
(ग) 1868 - 1903
(घ) 1870 - 1905

सही उत्तर : (क) 1867-1902

3. कवि वचन सुधा के सम्पादक थे –

(क) बालकृष्ण भट्ट

(ख) भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

(ग) दुर्गाप्रसाद मिश्र

(घ) प्रतापनारायण मिश्र

सही उत्तर : (ख) भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

4. प्रतीक के सम्पादक थे –

(क) अज्ञेय

(ख) मुक्तिबोध

(ग) निराला

(घ) शमशेर बहादुर सिंह

सही उत्तर : (क) अज्ञेय

5. लघु पत्रिका आन्दोलन का दौर चला –

(क) 1954 - 64 ई.

(ख) 1974 - 84 ई.

(ग) 1964 - 74 ई.

(घ) 1984 - 94 ई.

सही उत्तर : (ग) 1964-74 ई.

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. "हिन्दी की साहित्यिक पत्रकारिता कला और विज्ञान भी है।" स्पष्ट कीजिए।
2. पत्रकारिता के माध्यम से साहित्य रचने वाले साहित्यकारों के नाम बताइए।
3. लघु पत्रिका आन्दोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. स्वतन्त्रता-पूर्व की पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य पर प्रकाश डालिए।
2. स्वातन्त्र्योत्तर साहित्यिक पत्रकारिता पर प्रकाश डालिए।
3. पत्रकारिता-केन्द्रित साहित्य रचने वाले साहित्यकारों की सूची बनाइए।

1.4.11. उपयोगी ग्रन्थ सूची

1. चतुर्वेदी, जगदीश प्रसाद, (2009). 'हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास', नयी दिल्ली : प्रभात प्रकाशन।

2. गुप्त, धर्मेन्द्र, (2000). 'लघु पत्रिकाएँ और साहित्यिक पत्रकारिता', नयी दिल्ली : तक्षशिला प्रकाशन।
3. तिवारी, अर्जुन, (2007). 'हिन्दी पत्रकारिता का बृहत् इतिहास', नयी दिल्ली : वाणी प्रकाशन।
4. गौतम, सुरेश, गौतम, वीणा, (2001). 'हिन्दी पत्रकारिता कल, आज और कल', दिल्ली : सत्साहित्य प्रकाशन।

उपयोगी वेब लिंक

1. http://www.newswriters.in/2017/03/01/literary-journalism-in-hindi/
2. http://www.abhivyakti-hindi.org/parikrama/delhi/2012/05_21_12.html
3. journalism/http://asbmassindia.blogspot.in/2016/03/blog-post_13.html
4. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
5. http://www.hindisamay.com/
6. http://hindinest.com/
7. http://www.dli.ernet.in/
8. http://www.archive.org

❖❖❖

खण्ड – 1 : हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप और प्रमुख प्रकार

इकाई – 5 : हिन्दी और आंचलिक पत्रकारिता

इकाई की रूपरेखा

1.5.00. उद्देश्य कथन
1.5.01. प्रस्तावना
1.5.02. आंचलिक पत्रकारिता की अवधारणा
    1.5.02.1. आंचलिक पत्रकारिता का अर्थ और आशय
    1.5.02.2. आंचलिक पत्रकारिता की परिभाषा
    1.5.02.3. आंचलिक पत्रकारिता की उपयोगिता एवं महत्त्व
    1.5.02.4. आंचलिक पत्रकारिता की सीमाएँ
1.5.03. आंचलिक पत्रकारिता के विविध स्वरूप
    1.5.03.1. स्थानीय परिदृश्य आधारित पत्रकारिता
    1.5.03.2. आंचलिक कला, साहित्य व संस्कृति आधारित पत्रकारिता
    1.5.03.3. जनपदीय समाजशास्त्र आधारित पत्रकारिता
    1.5.03.4. आंचलिक अर्थशास्त्र आधारित पत्रकारिता
    1.5.03.5. विकास पत्रकारिता
    1.5.03.6. खेल पत्रकारिता
1.5.04. आंचलिक पत्रकारिता का वर्तमान सन्दर्भ व चुनौतियाँ
1.5.05. आंचलिक पत्रकारिता का दायित्व
1.5.06. हिन्दी की प्रमुख आंचलिक पत्र-पत्रिकाएँ
1.5.07. पाठ-सार
1.5.08. शब्दावली
1.5.09. बोध प्रश्न
1.5.10. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

1.5.00. उद्देश्य कथन

यह इकाई मुख्यतः हिन्दी और आंचलिक पत्रकारिता पर केन्द्रित है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के बावजूद आधुनिक जनमाध्यमों के विकेन्द्रीकरण का मुद्दा अभी पूरी तरह से अकादमिक विमर्श व विकास का विषय नहीं बन सका है। इसके अभाव में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की सफलता भी आंशिक ही रहेगी। मीडिया विकेन्द्रीकरण के निमित्त भारतीय सन्दर्भ में हिन्दी और आंचलिक पत्रकारिता की उपादेयता सहज ही अनुभूत है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप –

i. आंचलिक पत्रकारिता की अवधारणात्मक पहलुओं क्रम में आंचलिक पत्रकारिता का अर्थ और आशय, आंचलिक पत्रकारिता की परिभाषा, आंचलिक पत्रकारिता की उपयोगिता एवं महत्त्व तथा आंचलिक पत्रकारिता की सीमाओं को समझ सकेंगे।
ii. आंचलिक पत्रकारिता के विविध स्वरूप पर प्रकाश डाल सकेंगे।
iii. आंचलिक पत्रकारिता के वर्तमान सन्दर्भ व चुनौतियों रेखांकित करसकेंगे।
iv. आंचलिक पत्रकारिता के दायित्वों की व्याख्या कर सकेंगे।
v. हिन्दी की प्रमुख आंचलिक पत्र-पत्रिकाओं के विशिष्ट स्थान को रेखांकित कर सकेंगे।

1.5.01. प्रस्तावना

समकालीन बहुआयामी और उपभोक्तावादी मीडिया युग में सामाजिक सरोकार के निमित्त आंचलिक पत्रकारिता का विशिष्ट महत्त्व है। हिन्दी पत्रकारिता की सुदीर्घ परम्परा व विकास में आंचलिक पत्रकारिता कोई नवीन विधा नहीं है। एक समय था जब आंचलिक पत्रकारिता और पत्रकार को भारतीय पत्रकारिता के मूल आधारों में से एक माना माना जाता था। उल्लेखनीय है कि आज भी कहीं-न-कहीं मुख्य धारा की पत्रकारिता आंचलिक पत्रकारिता से ही ऊर्जा प्राप्त किया करती है। ऐतिहासिक सन्दर्भ में भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम को हिन्दी और आंचलिक पत्रकारिता ने न केवल व्यापकता प्रदान की अपितु राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय विशेषकर ग्रामीण स्तरीय स्वतन्त्रता संघर्षों के बीच सेतु की भूमिका निभायी और आजादी के बाद भी आंचलिक पत्रकारिता की उपयोगिता कम नहीं हुई। सूचना क्रान्ति के वर्तमान दौर में विकास और निर्माण कार्य को गति देने के लिए आंचलिक पत्रकारिता की उपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि ग्रामीण अंचलों में लोकतन्त्र का अलख जगाए बिना सशक्त व विकसित भारत का निर्माण सम्भव नहीं है।

निस्सन्देह आज राष्ट्रीय पत्रकारिता की अवधारणा के समक्ष प्रश्न-चिह्न खड़ा हुआ है क्योंकि यह निर्विवाद है कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं का प्रभाव महानगरों, उपमहानगरों और प्रदेश की राजधानियों तक ही सीमित रहता है। मुख्यधारा की पत्रकारिता से देश के सुदूर अंचल प्रायः अप्रभावित रहते हैं। पिछले दो दशक में तथाकथित राष्ट्रीय प्रेस की सीमाएँ पहले से अधिक उजागर हुई हैं और इसके कारण बहुत स्पष्ट हैं। क्षेत्रीय और आंचलिक समस्याओं को उठाने में आंचलिक पत्रकारों ने अभूतपूर्व सक्रियता एवं उल्लेखनीय साहस का परिचय दिया है। उदाहरण के तौर पर चिपको आन्दोलन, नर्मदा बचाओ आन्दोलन, जल बचाव आन्दोलन, सूचना का अधिकार आन्दोलन, भँवरीबाई आन्दोलन, भ्रष्टाचार मिटाओ आन्दोलन, अन्ना आन्दोलन आदि की राष्ट्रीय स्तर पर गूँज हुई। इस प्रकार आंचलिक पत्रकारिता ने इन आन्दोलन के सन्दर्भ व उपयोगिताओं को समझा तथा अनुभव-पीड़ा एवं संवेदनशीलता के साथ इन्हें आमजन के बीच राष्ट्रीय परिदृश्य में रखने का प्रयास किया।

1.5.02. आंचलिक पत्रकारिता की अवधारणा

वर्तमान समय में सूचना की महत्ता बढ़ती जा रही है। नव-मीडिया के आगमन से इसका दायरा और बढ़ गया है। इस कारण ऐसे समय में पत्रकारिता और एक पत्रकार की जवाबदेही और ज्यादा बढ़ा गई है। इस सन्दर्भ में आंचलिक पत्रकारिता आरम्भ से ही अपने महान् लक्ष्यों, शिक्षित करने, जागरूक करने एवं सूचना देने का काम करती आ रही है। आज अनेकों अख़बार, पत्रिकाएँ और ढेर सारे अन्य जनमाध्यमों द्वारा आंचलिक पत्रकारिता ने समाज को नयी दिशा देने का काम किया है।

आधुनिक युग पत्रपत्रिकाओं के सन्दर्भ से निरन्तर प्रगति के सोपानों की ओर बढ़ रहा है, यह अप्रत्याशित नहीं है क्योंकि प्रत्येक युग का अपना धर्म और कर्म होता है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, उसमें आंचलिक पत्रकारिता हमें विविध स्थितियों से जोड़ती हुई सामाजिक, सांस्कृतिक और स्थानीय गतिविधियों से अवगत कराने का एक सशक्ति माध्यम बन गई है।

1.5.02.1. आंचलिक पत्रकारिता का अर्थ और आशय

आंचलिक पत्रकारिता एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो हमारे जीवन की विविधताओं, नित्य नवीनताओं और दैनिक घटनावलियों को आंचलिकता में शीघ्र प्रस्तुत करने की अतुल क्षमता रखता है। इक्कीसवीं शताब्दी का जीवन जितना घटना – बहुल और वैचित्र्य-विरोधमूलक है, उसे सही रूप में प्रस्तुत, पुर्नप्रस्तुत और समासित करने के लिए आंचलिक पत्रकारिता एक अचूक और जीवन्त माध्यम हैं। यह वही माध्यम है जिसके अन्तर्गत हम आत्मीयता का अनुभव करते हैं। इस प्रकार आंचलिक पत्रकारिता आधुनिक पत्रकारिता की एक विशिष्ट उपलब्धि है। अकादमिक सन्दर्भ में पत्रकारिता का सामान्य अर्थ है – पत्रकार का काम या व्यवसाय और पत्रकारिता का यह भाव आंचलिक पत्रकारिता में भी निहित है। यह देश की जनता की चित्तवृत्तियों, अनुभूतियों और आत्मा से साक्षात्कार करती हुई मानव मात्र को जीने की कला सीखाती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि आंचलिक पत्रकारिता मुख्यधारा की पत्रकारिता की भाँति कतिपय मूल विशिष्टताओं को अपने में समाहित करता है –

i. पत्रकार होने की अवस्था
ii. पत्रकार का काम
iii. वह विधा जिसमें पत्रकार के कार्यों, दायित्वों, उद्देश्यों आदि का विवेचन होता है।

इस प्रकार आंचलिक पत्रकारिता प्रत्यक्षतः आंचलिक व स्थानीय जनजीवन से जुड़ी हुई है। यह एक ऐसी शक्ति है जो आंचलिक विकृतियों को दूर करके जन साधारण में मंगलकारी सुधारों और निर्माणकारी तत्त्वों व मूल्यों की प्रतिष्ठा करती है। जे. वी. मैकी ने ठीक ही कहा है कि 'एक सच्चा पत्रकार अपने कर्त्तव्यों व दायित्वों को पूरी अनुभव करता है और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता है। उसकी सबसे बड़ी चिन्ता यही होती है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित हो। साथ ही यह समय और समाज के सन्दर्भ में हमेशा सजग होकर

नागरिकों में दायित्व एवं अधिकार का बोध कराने वाली वह कला है जिसमें समाज के व्यापक हित में किये गये सम्यक् प्रकाशन का भाव सदैव समाहित रहता है।

1.5.02.2. आंचलिक पत्रकारिता की परिभाषा

पत्रकारिता वस्तुतः दैनिक जीवन की घटनाओं और उसके आधार पर प्रकाशित पत्रों की संवाहिका होती है, इसमें घटनाओं, तथ्यों, व्यवस्थापरकता के साथ-साथ राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और कलात्मक सन्दर्भों की प्रस्तुति होती है । इस सन्दर्भ में आंचलिक पत्रकारिता मूल्यों एवं आदर्शों से प्रेरित है । इसकी परिभाषा विशेषज्ञों ने अलग-अलग प्रकार से दी है –

"आंचलिक पत्रकारिता हिन्दी पत्रकारिता की साधना का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आयाम है जहाँ जनता के करीब के शासकीय पायदानों जैसे पंचायतों, नगर पंचायतों, गाँवों तथा कस्बों की घटनाओं, परिघटनाओं, रीति-रिवाजों, परम्पराओं और व्यवहारों का संवेदनशीलता के साथ उद्घाटन होता है।"

– डॉ॰ वेदप्रताप वैदिक

"अंचल का शाब्दिक अर्थ होता है, 'जनपद' या 'क्षेत्र' । अतः किसी जनपद या क्षेत्र से जुड़ी पत्रकारिता को हम आंचलिक पत्रकारिता की संज्ञा दे सकते हैं।"

– मधुकर खेर

"आंचलिक पत्रकारिता भी पत्रकारिता की तरह असहायों को सम्बल, पीड़ितों को राहत, अज्ञानियों को ज्ञान ज्योति एवं मदोन्मत्त शासक को सद्बुद्धि देने वाली विधा है। फर्क केवल इतना है कि इसमें आंचलिकता का पुट ज्यादा होता है।"

– डॉ॰ अर्जुन तिवारी

"आंचलिक पत्रकारिता में एक अंचल विशेष की संस्कृति, भाषा, बोली, रीति-रिवाज, रहन-सहन, लोकजीवन, धार्मिक विश्वास आदि का चित्रण मुख्य रूप से होता है।"

– डॉ॰ प्रवीण दीक्षित

"आंचलिक पत्रकारिता केवल ग्रामीण अंचल से ही सम्बन्धित नहीं होते अपितु नगर जीवन से भी सम्बन्धित हो सकते हैं।"

– सुरेश पण्डित

"आंचलिक पत्रकारिता वस्तुतः एक अंचल विशेष की परिस्थितियों में तथ्यपरक चित्रण है ।"

– प्रो॰ शम्भुनाथ

"अंचल की राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति व व्यवहार से जुड़ी हुई पत्रकारिता ही आंचलिक पत्रकारिता है।"

– प्रो॰ कान्तिलाल जैन

"पत्रकारिता विशिष्ट देशकाल, परिस्थितिगत तथ्यों को अमूर्त्त, परोक्ष, मूल्यों के सन्दर्भ और आलोक में उपस्थित करती है ।"

– डॉ॰ प्रेमनाथ चतुर्वेदी

सारतः आंचलिक पत्रकारिता समाज और संस्कृति के साथ सीधा संवाद और विचारों का सार्थक सम्प्रेषण है । यह कोई पेशा नहीं अपितु जनसेवा का माध्यम है । लोकतान्त्रिक परम्पराओं की रक्षा करने में तथा शान्ति और भाईचारे की भावना को बढ़ाने में इसकी विशिष्ट भूमिका होती है । संस्कृति, समाज, सभ्यता और स्वतन्त्रता की वाणी होने के साथ ही यह स्थानीय जीवन व व्यवहार में अभूतपूर्व क्रान्ति की अग्रदूतिका भी है ।

1.5.02.3. आंचलिक पत्रकारिता की उपयोगिता एवं महत्त्व

आंचलिक पत्रकारिता आदर्श और यथार्थ के सम्बन्ध पर आधारित होती है । समाज में मानवीय मूल्यों की स्थापना के साथ जन-जीवन को विकासोन्मुख बनाना आंचलिक पत्रकारिता का मूल दायित्व है । समाचार पत्र का सम्पादकीय विभाग 'आदर्श' और प्रबन्धन विभाग 'यथार्थ' का प्रतीक होता है । इसलिए पत्रकारिता को 'आदर्शोन्मुख' यथार्थवाद के रूप में देखने की परम्परा है । इसे कला और विज्ञान दोनों की संगमस्थली भी कहा जा सकता है । साथ ही आंचलिक पत्रकारिता की अन्तर्वस्तु 'सत्यं, शिवं, सुन्दरम्' से बँधी होती है । संक्षेप में, आंचलिक पत्रकारिता की उपयोगिता एवं महत्त्व निम्नलिखित हैं –

i. ज्ञान का प्रचार-प्रसार
ii. आंचलिक जनमत को प्रकट करना
iii. सामान्य जन को उनकी ही भाषा में उनके कर्त्तव्याधिकार समझाना
iv. राजनैतिक चेतना का विकास
v. सामाजिक विकास
vi. स्वास्थ्य और परिवार-कल्याण के प्रति नागरिकों को सचेत करना
vii. आर्थिक प्रगति का संवाहक
viii. आंचलिक कला व साहित्य का संरक्षण एवं विकास

ix. स्वस्थ मनोरंजक सामग्री देना
x. नैतिक मूल्यों व आदर्शों का विकास

इस प्रकार आंचलिक पत्रकारिता सूचना, शिक्षा व मनोरंजन प्रदान करने वाली एक ऐसी व्यवस्था के रूप में विकसित हो रही है जिसके क्षेत्रों की व्यापकता का अनुमान लगा पाना आसान नहीं रह गया है। यह केवल अब जनपदीय राजनैतिक, प्रशासनिक या आर्थिक जगत् तक ही सिमट कर नहीं रह गई है। कहने का आशय यह है कि आंचलिक पत्रकारिता ने लोगों को अपने आस-पास की घटनाओं, परिघटनाओं व हलचलों के प्रति अति संवेदनशील बना दिया है।

1.5.02.4. आंचलिक पत्रकारिता की सीमाएँ

आंचलिक पत्रकारिता एक तरह से अपने केन्द्र में अपने समाचार पत्र की आँख तथा कान है, चाहे उसका केन्द्र गाँव या कस्बा हो। राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक राजधानियों व महानगरों के महत्त्वपूर्ण समाचारों को कवर करने के लिए तो मुख्यधारा की मीडिया में सदैव होड़ लगी रहती है। ऐसे में आंचलिक पत्रकारिता करते समय हमें जनपद या क्षेत्र विशेष की घटनाओं व परिघटनाओं को लेकर किसी पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। हालाँकि आंचलिक ख़बरों की प्रस्तुति में कभी-कभी स्थानीयता का पुट हावी रहता है जिसके कारण ख़बरों की उपयोगिता एवं महत्त्व राष्ट्रीय होते हुए भी एक समुदाय या क्षेत्र विशेष तक परिसीमित हो जाता है। एक आंचलिक पत्रकार को इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। यही कारण है कि वर्तमान सन्दर्भ में आंचलिक पत्रकारिता की बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण समुचित प्रशिक्षण आवश्यक हो गया है।

1.5.03. आंचलिक पत्रकारिता के विविध स्वरूप

वस्तुतः घटनाओं को जानने की उत्सुकता और घटनाओं का विवरण दूसरों तक पहुँचाने की इच्छा ने पत्रकारिता को जन्म दिया। जीवन की विविधता और जनसंचार माध्यमों की प्रचुरता ने पत्रकारिता को बहुआयामी बना दिया है। सम्प्रति जीवन के प्रत्येक पक्ष को पत्रकारिता ने प्रभावित किया है। एक ओर जहाँ समेकित पत्रकारिता के साथ सामान्य पत्रकारिता आरम्भ से चली आ रही है, वहीं दूसरी ओर विषय व क्षेत्र विशेष को लेकर अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन बड़ी संख्या में हो रहा है। आज का पाठक अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक समाचारों के साथ-साथ अपने तथा पड़ोसी अंचल की घटनाओं के विषय में भी जानना चाहता है। उसकी इस जिज्ञासा की पूर्ति आंचलिक पत्रकारिता के माध्यम से हो सकती है।

आंचलिक पत्रकारिता वस्तुतः अपनी प्रकृति में अर्द्धएक्टीविस्ट स्वरूप का होता है। इसका सामाजिक सरोकार महानगरीय पत्रकारिता की तुलना में अधिक संवेदनशील, गहरा और स्पष्ट है। इस प्रकार सामाजिक सरोकारों से जुड़े बिना एक समर्पित व कर्त्तव्यनिष्ठ आंचलिक पत्रकार की भूमिका नहीं निभायी जा सकती। क्योंकि, आंचलिक पत्रकार को अपने अंचल की भूमि से जुड़ना ही पड़ता है इसलिए आंचलिक पत्रकारिता में सम्बन्धित जनपद, क्षेत्र या अंचल की मिट्टी की सौंध आनी ही चाहिए। यह तभी सम्भव है जब आंचलिक

पत्रकारिता अपने को केवल रिपोर्टिंग तक ही सीमित न रखे। आंचलिक पत्रकारिता की विषयवस्तु में विविधता के परिणामस्वरूप हमारे जीवन में ऐसे अवसरों का पैदा होना स्वाभाविक है जब हम स्वयं को चारों ओर की घटनाओं से खुद को घिरा पाते हैं।

आंचलिक पत्रकारिता के विविध स्वरूप एवं विकास को लेकर मशहूर पत्रकार हरवंश का मानना है– "आज से दो-तीन दशक पहले क्षेत्रीय समाचार पत्रों में राष्ट्रीय ख़बरों को प्रथम लीड बनाने का आम चलन था। अपने गाँव, शहर, मोहल्ले की खबरें अन्दर के पृष्ठों पर ड़ेढ़-दो कॉलम में सिमट कर रह जाती थीं। पाठकों में किसी जागरूकता की कल्पना मीडिया की दुनिया में जोखिम या बेकार-सी चीज समझी जाती थी। आंचलिक ख़बरों को प्रमुखता देने से अख़बार की गरिमा घटने का बोध होता था लेकिन 'प्रभात ख़बर' ने इस चलन को बदला। स्थानीय ख़बरों में भी किसे लीड बनाना है, इस पर हम भरपूर बहस की कोशिश करते हैं। आज राँची ही नहीं, देश के कितने अख़बार हैं जो 'प्रभात ख़बर' द्वारा आरम्भ किये गये इस चलन पर चल रहे हैं।" आंचलिक ख़बरों और मानवीय घटनाओं को लीड बनाने की परम्परा ही आंचलिक पत्रकारिता को मुख्यधारा की पत्रकारिता से एक अलग खास पहचान दी है। इस आलोक में आंचलिक पत्रकारिता के विविध स्वरूपों का विवेचन महत्त्वपूर्ण हो जाता है–

1.5.03.1. स्थानीय परिदृश्य आधारित पत्रकारिता

भारत गाँवों का देश है। इसलिए ग्रामीण जनता को ध्यान में रखकर स्थानीय खेती, बागवानी, पशुपालन, ग्रामोद्योग, ग्रामीण प्रशासन, ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण व्यवस्था आदि को केन्द्र में रखकर ख़बरों का चयन आंचलिक पत्रकारिता को एक विशेष स्वरूप व उपयोगिता प्रदान करता है।

1.5.03.2. आंचलिक कला, साहित्य व संस्कृति आधारित पत्रकारिता

भाषा, साहित्य और समाज के विकास में पत्रकारिता की भूमिका अद्वितीय है। वस्तुतः कला, साहित्य और पत्रकारिता परस्पर पूरक एवं पर्याय हैं। इन दिनों आंचलिक साहित्य में पठनीयता का दिनोंदिन गिरता ग्राफ संकट का सूचक है। आंचलिक कलाओं में भी मुख्यधारा की मीडिया की कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ऐसी स्थिति में आंचलिक पत्रकारिता न केवल आंचलिक कला, साहित्य एवं संस्कृति को जीवन्त बनाए रखा है, बल्कि उनके प्रचार व प्रसार को भी विस्तार दिया है।

1.5.03.3. जनपदीय समाजशास्त्र आधारित पत्रकारिता

स्थानीय क्षेत्रों में स्थायी और घुमन्तू अनेक जातियाँ व उपजातियाँ हैं। जनपदीय जनता अभी भी पर्दा प्रथा, छूआछूत, सतीप्रथा, नशाखोरी, अन्धविश्वास आदि कुरीतियों से ग्रस्त हैं। स्त्री-उत्पीड़न व श्रमिक शोषण वहाँ ज्यादा है। बालविवाह, अनमेल विवाह, जाति-पाँति, मजहब आदि कुप्रवृत्तियों में अपेक्षित गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में आंचलिक पत्रकारिता जनपदीय समाजशास्त्र को संवेदना के स्तर पर प्रभावित किया है।

आज ख़बर महत्त्वपूर्ण है चाहे वह महानगरीय हो या आंचलिक । मूल्य-आधारित पत्रकारिता की कसौटी पर आंचलिक पत्रकारिता की अन्तर्वस्तु ने मीडिया जगत् को खास प्रभावित किया है।

1.5.03.4. आंचलिक अर्थशास्त्र आधारित पत्रकारिता

गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, सूदखोरी निश्चय ही एक अंचल विशेष की मूल समस्याएँ हैं । भारतीय परिदृश्य में आज भी आंचलिक अर्थव्यवस्था का मूल आधार है – कृषि और पशुपालन । कृषि व पशुपालन से सम्बन्धित ख़बरों का प्रकाशन, लघु एवं कुटीर उद्योग की जानकारी, सहकारी कार्यक्रमों की सूचना आदि द्वारा आज आंचलिक पत्रकारिता ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है । उदाहरण के तौर पर पशुपालन आधारित गौपालन (दरभंगा, 1936), दुग्ध उत्पादक (दिल्ली, 1967), गोधूली (पटना, 1975), डेरी समाचार (करनाल, 1971) आदि पत्रिकाएँ इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय हैं।

1.5.03.5. विकास पत्रकारिता

शुरू-शुरू में लोगों के बीच यह धारणा विद्यमान थी कि आंचलिक पत्रकारिता का सम्बन्ध तो मात्र स्थानीय मुद्दों से है तथा कवरेज में क्षेत्रीयता का पुट अधिक होता है । हालाँकि कालान्तर में यह भ्रम दूर हुआ । क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया की भाँति आंचलिक पत्रकारिता का भी लक्ष्य है – विकास । व्यवहार में आंचलिक पत्रकारिता का ध्यान समग्र विकास पर केन्द्रित होता है चाहे वह शिक्षा, उद्योग, कृषि, ऊर्जा, चिकित्सा, यातायात, सुरक्षा, नियोजन आदि किसी से सम्बद्ध हो । इसमें समस्याओं के साथ-साथ उसके समाधान भी सुझाए जाते हैं।

1.5.03.6. खेल पत्रकारिता

वर्तमान समय में खेल काफी लोकप्रिय हुए हैं । खेलों के प्रति स्थानीय स्तरों पर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है । प्रायः आए दिन ग्रामीण स्तरों पर किसी-न-किसी खेल का आयोजन होता रहता है । इस सन्दर्भ में आंचलिक खेल पत्रकारिता के अन्तर्गत विविध खेलों से सम्बद्ध स्थानीय ख़बर छापे जाते हैं । खेल सम्बन्ध में अग्रिम और चल दो प्रकार के संवाद लिखे जाने की परम्परा है । इसके अन्तर्गत अंचल विशेष में खेल की पृष्ठभूमि, खेल में शामिल होने वाली टीमें, खिलाड़ियों के नाम तथा खेल व्यवस्था के सहारे अग्रिम संवाद की रचना होती है । चल (Running) संवाद में चल रहे खेल की निष्पक्ष समीक्षा और विश्लेषण किया जाता है । खेल पत्रकार तथ्यों, आलंकारिक उक्तियों, टिप्पणियों, मानवीय अभिरुचियों एवं प्रतियोगिताओं की पृष्ठिभूमि को रोचक एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है।

समवेततः पत्रकारिता समाज की गतिविधियों का दर्पण है चाहे वह मुख्यधारा की मीडिया से सम्बन्धित हो या आंचलिक पत्रकारिता से । चूँकि, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अतः जिस समाज में मनुष्य रहता है उस समाज के बारे में वह अधिक-अधिक से जानकारी प्राप्त करना चाहता है । समाज में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या हो रहा है, ये सब जानने का एकमात्र साधन पत्रकारिता है । साथ ही समाज में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता

है उसका विश्लेषण करती हुई समाज की भविष्य दृष्टा बन जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में आंचलिक पत्रकारिता अंचल विशेष की सीमाओं पर पड़ने वाली वह चैतन्य किरण है जो अपने प्रकाश से सामाजिक-आंचलिक अस्त-व्यस्तता और विशृंखलता को समाप्त करती हुई प्रकाश फैलाती है और यही प्रकाश सामाजिक जीवन में प्रवेश करता हुआ अन्तस् में छिपे अन्धकार की परतों को काट देता है।

1.5.04. आंचलिक पत्रकारिता का वर्तमान सन्दर्भ व चुनौतियाँ

समकालीन दौर में गाँव, कस्बों और छोटे शहरों से समाचार एकत्र कर मीडिया के विभिन्न प्रकाशन एवं प्रसारण केन्द्रों तक पहुँचाने के लिए काफी बड़ी संख्या में पत्रकारों की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि यह काम बड़े शहरों या राजधानियों में कार्यरत प्रतिनिधि नहीं कर सकते अथवा तत्काल नहीं कर सकते इसलिए मीडिया को आंचलिक पत्रकारों पर निर्भर रहना पड़ता है। हर जगह सुशिक्षित व पत्रकारिता में प्रशिक्षित व्यक्ति मिल जाए यह सम्भव नहीं है। चूँकि, शहरों में रहने वाले पत्रकार गाँवों में जाकर काम करने को तैयार नहीं होते हैं इसलिए आंचलिक पत्रकारों के बिना काम चलाना मुश्किल होता है।

आंचलिक पत्रकारिता करने वाले मीडियाकर्मी प्रायः अंशकालिक होते हैं जो इस काम के साथ अन्य काम भी करते हैं ताकि अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें। इस अर्थ में आंचलिक पत्रकारिता को कहीं-न-कहीं, किसी-न-किसी रूप में आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

अल्पकालिक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था और अभिनव कार्यक्रमों का आयोजन कब और कैसे हो, वर्तमान समय में यह आंचलिक पत्रकारिता की एक उल्लेखनीय चुनौती है। हालाँकि पत्रकारिता के प्रशिक्षण के लिए बने कुछ संस्थान एवं व विश्वविद्यालय इस आवश्यकता एवं चुनौती को ध्यानमें रखते हुए अपने पाठ्यक्रमों में आंचलिक पत्रकारिता को एक विषय के रूप में ले रहे हैं। लेकिन आंचलिक पत्रकारिता पर केन्द्रित अल्पकालीन प्रशिक्षणों की सुविधा अभी तक नगण्यप्राय है। अस्तु, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ-साथ मीडिया के विभिन्न अंगों को भी इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। मीडिया के हर अंग के लिए एक अलग तरह की पत्रकारिता की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसका अपना एक खास चरित्र होता है और उसी के अनुरूप उसे सामग्री की आवश्यकता होती है। वह सामग्री उसे वही पत्रकार उपलब्ध करवा सकता है जो उस विधा व प्रारूप का जानकार होने के साथ-साथ संवेदनशील भी हो।

आंचलिक पत्रकारिता में स्थानीय पत्रकारों से अपेक्षाएँ बहुत होती हैं। इस आलोक में शहरी पत्रकारों की तुलना में आंचलिक पत्रकारों की कठिनाइयाँ भी बहुत होती हैं। जहाँ एक ओर आंचलिक पत्रकारिता में ग्लैमर का प्रभाव नहीं दिखता, वहीं दूसरी ओर जोखिम अधिक होती है। क्योंकि, गाँव या जनपद भी अब पहले की तरह शान्त, सद्भावनापूर्ण और शहरी प्रदूषण से मुक्त नहीं रहे हैं। सत्ता के विकेन्द्रीकरण और पंचायतीराज के आगमन ने आंचलिक माहौल को न केवल गरमाया है बल्कि राजनैतिक द्वन्द्व का केन्द्र भी बना दिया है। अब वहाँ जाति, धर्म वे राजनीति के आधार पर गुटबाजियाँ हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने व पछाड़ने की साजिशें हैं। स्थिति

ऐसी है कि आज गाँव में निष्पक्ष होकर रहना महानगरों की तुलना में कठिन है इसलिए आंचलिक पत्रकार लोगों में रहकर भी उनसे अलग, उनके राग-द्वेष से अछूता दिखाई देने की महती आवश्यकता है। ऐसा होने पर ही वह घटनाओं का निष्पक्ष ब्यौरा दे सकेगा।

आजकल मीडिया उन्हीं समाचारों को महत्त्व देता है जो नकारात्मक प्रकृति के होते हैं और मुख्यधारा की मीडिया में तो यह आम प्रवृत्ति-सी बन गई है। उदाहरण के तौर पर कहीं कोई अच्छा काम हो रहा है या कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम कर रहा है तो ऐसी बातों का कोई समाचार नहीं बनता। इसके विपरीत भ्रष्टाचार, घोटाले, प्रशासनिक कमजोरियाँ, राजनैतिक विकृतियाँ आदि की खबरें अख़बारों में भरी रहती हैं। ऐसा होने से आम पाठकों के दिमाग में यह बात घर कर जाती है कि दुनिया में हर जगह बुरा ही बुरा हो रहा है और बुराई को समाज से मिटाया नहीं जा सकता। ऐसे हालात में आंचलिक पत्रकारिता से हमारी अपेक्षाएँ और भी बढ़ जाती हैं। इसलिए आंचलिक पत्रकारों को सकारात्मक व विकासात्मक घटनाओं पर अधिक फोकस होने की आवश्यकता है और उन्हें लोगों के समक्ष ऐसी सामग्री रखनी चाहिए जिससे समाज में सकारात्मक प्रवृत्तियों का विकास हो। इस तरह आज अपने आदर्शों और वर्तमान की वास्तविकताओं को समझते हुए उनके बीच समन्वय स्थापित करना आंचलिक पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती है।

1.5.05. आंचलिक पत्रकारिता का दायित्व

भारत गाँवों में बसा हुआ है। शिक्षा व जन-जागरण के साथ-साथ लोगों में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा लगातार बढ़ती जा रही है। इस सन्दर्भ में सबसे रोचक तथ्य यह है कि ग्रामीण अंचलों के बारे में भी बाहर के लोग जानना चाहते हैं। आंचलिक पत्र-पत्रिकाओं की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। इसलिए अब आंचलिक पत्रकारिता का महत्त्व और दायित्व दोनों बढ़ गये हैं। वस्तुतः आंचलिक पत्रकारिता का मुख्य दायित्व अंचल विशेष के कोने-कोने में जागरण, नवस्फूर्ति और नव निर्माण के मन्त्र को फूँकना है। चूँकि यह एक रचनाशील विधा है इसलिए इसके द्वारा समाज का आमूल-चूल परिवर्तन सम्भव है। समुदाय व समाज में जाग्रत् लाने और नवनिर्माण करने में आंचलिक पत्रकारिता का दायित्व अपेक्षाकृत बढ़ जाता है। संक्षेप में आंचलिक पत्रकारिता के दायित्वों का विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है –

01. लोगों को सूचित करना
02. लोगों को शिक्षित करना
03. समाज का उचित दिशा में मार्गदर्शन
04. जनता और पाठकों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना
05. सामाजिक-आंचलिक जनमत को अभिव्यक्त करना
06. सांस्कृतिक और धार्मिक पक्षों का दो टूक विवेचन करना
07. आंचलिक-सामाजिक कुरीतियों जैसे विधवा उपेक्षा, बहूहत्या, दहेज प्रथा, बालविवाह, वेश्यावृत्ति, अन्धविश्वास आदि के उन्मूलन की दिशा में प्रभावी कदम उठाना

08. सरकार की नीतियों का विश्लेषण व प्रसारण करना
09. आंचलिक बोली व भाषा में ही सामान्य जन को उनके कर्त्तव्याधिकार समझाना
10. कृषि, पशुपालन, लघु व कुटीर उद्योग, महिला व बाल विकास, स्थानीय कला, साहित्य व संस्कृति आदि सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना
11. स्वास्थ्य व परिवार-कल्याण के प्रति नागरिकों को सचेत करना
12. मानवीय व सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा
13. 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना का प्रचार-प्रसार करना
14. आपातकालीन स्थितियों में मनोबल को बनाए रखना
15. अन्याय का प्रतिरोध

अस्तु, आंचलिक पत्रकारों ने समय-समय पर अपनी पत्रकारिता में उपर्युक्त दायित्वों व कर्त्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। आंचलिक पत्रकारिता को पत्रकारों ने आज मिशन के रूप में अपनाया है।

1.5.06. हिन्दी की प्रमुख आंचलिक पत्र-पत्रिकाएँ

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद बड़ी तीव्र गति से आंचलिक पत्र-पत्रिकाओं का विकास हुआ। वस्तुतः इस प्रचार और विकास के मूल में परिवर्तित परिस्थितियाँ, आंचलिक परिवेश और अभिव्यक्ति की स्वाधीनता के मनोभाव प्रबल रहे हैं। आज आंचलिक पत्रकारिता का स्वरूप चार-पाँच दशक पहले की आंचलिक पत्रकारिता के स्वरूप से नितान्त भिन्न व सकारात्मक है। साक्षरता दर में वृद्धि, लोगों की क्रयशक्ति में बढ़ोतरी, नयी मुद्रण तकनीकी, लोगों में स्थानीय ख़बरों की जिज्ञासा आदि कारणों ने विगत दशकों में आंचलिक पत्रकारिता के विकास के लिए उर्वर भूमि तैयार की है।

एक ओर जहाँ दैनिक समाचार पत्रों में हिन्दुस्तान (पटना, पूर्वी उत्तरप्रदेश), अमर उजाला (पश्चिमी उत्तरप्रदेश), दैनिक जागरण (कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, मेरठ, बरेली, नयी दिल्ली), पंजाब केसरी (जालन्धर), सन्मार्ग (वाराणसी), विश्वमित्र (कोलकाता), नई दुनिया (रायपुर, जबलपुर, इंदौर), नवभारत (नागपुर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, बिलासपुर, रायपुर), स्वदेश (इंदौर), राजस्थान पत्रिका (जयपुर), दैनिक नवज्योति (अजमेर), जलतेदीप (जोधपुर), जननायक (कोटा), वीर अर्जुन (दिल्ली), स्वतन्त्र भारत (लखनऊ), युगधर्म (नागपुर), आज (कानपुर, गोरखपुर, राँची, आगरा, ग्वालियर, जमशेदपुर, वाराणसी, पटना), प्रभात ख़बर (राँची, पटना), नवजीवन (लखनऊ), प्रदीप (पटना), वीर प्रताप (पंजाब), तरुण भारत (लखनऊ), देशबन्धु (रायपुर, जबलपुर और भोपाल), मतवाला (आगरा), हिन्द केसरी (झाँसी), जीवन (झाँसी), अधिकार (फतेहगढ़), रामराज्य (कानपुर), स्वदेश (अलीगढ़) आदि समाचार पत्रों ने ज़मीन से जुड़ी पत्रकारिता की अहमियत समझते हुए आंचलिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, वहीं दूसरी ओर साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्र-पत्रिकाओं में धर्मयुग (मुंबई), कल्याण (गोरखपुर), नवनीत (मुंबई), अखण्ड ज्योति (मथुरा), सुषमा (दिल्ली), पदचाप (सागर), धर्म प्रचारक, गौसेवक, सनातन धर्म (काशी), आरोग्य सन्देश (दिल्ली), आरोग्य (गोरखपुर),

सत्यकथा (इलाहाबाद), लोकसंस्कृति (जोधपुर), पुराकल्पई (वाराणसी), ग्रामश्री (मुंबई), भावताव (इंदौर), वानर (इलाहाबाद), हिमाचल कृषि सूचना (शिमला) आदि ने जनसरोकार व जनअभिरुचि के निहितार्थ आंचलिक घटनाओं व परिघटनाओं पर आधारित सम्पादकीय नीति अपनाकर विकास और विस्तार की नयी इबारत लिखी है।

1.5.07. पाठ-सार

आंचलिक हिन्दी पत्रकारिता के समग्र मूल्यांकन के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि वर्तमान भौतिक और वैज्ञानिक जगत् इतना अधिक विस्तृत और अनुसन्धान बाहुल्य हो गया है कि विश्व ही नहीं अपितु एक अंचल विशेष की घटनाओं-परिघटनाओं को पत्रकारिता के अभाव में समझा और जाना नहीं जा सकता है। वास्तविकता यह है कि आंचलिक पत्रकारिता न केवल वैचारिक सम्प्रेषण का माध्यम है बल्कि दिन-प्रतिदिन घटित होने वाली स्थितियों और परिस्थितियों से उत्पन्न सन्दर्भों का सम्प्रेषण है। यही कारण है कि इसने समस्त देश को उसके विभिन्न दूरवर्ती भागों को एक-दूसरे से जोड़ दिया है। यदि आंचलिक पत्रकारिता न होती अथवा मुख्यधारा की मीडिया का सम्पूरक होते हुए उसका इतना विकास न हुआ होता तो हम अपने देश में घटित घटनाओं, अनुसन्धानों, सामाजिक व सांस्कृतिक सन्दर्भों से वंचित रह गये होते। निश्चय ही यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसने सामाजिक-सांस्कृतिक सम्बन्धों के निर्धारण में बहुत बड़ी भूमिका निभायी है। अतीत आज हमारे सामने नहीं है और भविष्य हमारे लिए अनजान है। फिर भी यह बात जोर देकर कही जा सकती है कि मनुष्य जैसे स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है वैसे ही आंचलिक पत्रकारिता भी अपने भविष्य की निर्मात्री हो सकती है और आंचलिक पत्रकारिता को भविष्य की निर्मात्री माना जा सकता है जबकि वह कलात्मक रूप से विकसित हो, सांस्कृतिक अभिरुचियों को विकसित करें, वास्तविकता का सम्यक् उद्‌घाटन करती रहे और वैज्ञानिक तथा तार्किक शिल्पी को अपनाकर सतत् प्रगतिशील व सत्यान्वेषणी बनी रहे। कुल मिलाकर वर्तमान में आंचलिक पत्रकारिता का जो स्वरूप है, वह हमें विश्वास दिलाता है कि आंचलिक पत्रकारिता तमसावृत नहीं है, एक ज्योतिमान किरण दिखाई दे रही है जो हिन्दी पत्रकारिता के प्रति आशा जगाती है।

1.5.08. शब्दावली

जैकेट	:	कवर पेज / मुखपृष्ठ / आवरण पृष्ठ
अंचल	:	जनपद या क्षेत्र
पत्रकारिता	:	समाचार संकलन, सम्पादन, लेखन कार्य
लीड	:	किसी समाचार पत्र के मुख पृष्ठ का सबसे महत्त्वपूर्ण समाचार
शीर्षक	:	किसी भी समाचार को संक्षिप्त रूप देना
अन्तर्वस्तु	:	समाचार पत्रों की आवश्यक सामग्री
प्रगतिशील	:	विकासपरक
तमसावृत	:	अन्धकारमय

1.5.09. बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. आंचलिक पत्रकारिता के महत्त्व को आँका जाता है –
(क) ख़बर की विश्वसनीयता पर
(ख) अख़बार में प्रकाशित विज्ञापन पर
(ग) सनसनीखेज ख़बरों के प्रकाशन पर
(घ) उपर्युक्त सभी

2. आंचलिक पत्रकारिता में पत्रकार–
(क) महानगरीय सूचनाओं की रिर्पोटिंग करते हैं।
(ख) स्थानीय सूचनाओं की रिर्पोटिंग करते हैं।
(ग) संसदीय कार्रवाई की रिर्पोटिंग करते हैं।
(घ) इनमें से कोई नहीं।

3. आंचलिक पत्रकारिता का दायित्व है –
(क) सरकारी नीतियों का विश्लेषण करना
(ख) समाज का उचित मार्गदर्शन
(ग) साहित्य, कला व संस्कृति का संरक्षण
(घ) उपर्युक्त सभी

4. अंचल विशेष की विभिन्न समस्याओं को प्रकट करती है –
(क) आंचलिक पत्रकारिता
(ख) आर्थिक पत्रकारिता
(ग) खेल पत्रकारिता
(घ) संसदीय पत्रकारिता

5. 'गोधूलि' का प्रकाशन होता है –
(क) पटना से
(ख) रायपुर से
(ग) मथुरा से
(घ) जबलपुर से

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. आंचलिक पत्रकारिता क्या है ? स्पष्ट कीजिए।
2. आंचलिक पत्रकारों के दायित्व पर प्रकाश डालिए।
3. आंचलिक पत्रकारिता के वैशिष्ट्यकी विवेचना कीजिए।
4. आंचलिक पत्रकारिता की सीमाओं को स्पष्ट कीजिए।
5. हिन्दी की प्रमुख आंचलिक पत्र-पत्रिकाओं का उल्लेख कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. आंचलिक पत्रकारिता के विविध स्वरूपों की चर्चा कीजिए।
2. आंचलिक पत्रकारिता के वर्तमान सन्दर्भ व चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।

1.5.10. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

1. दीक्षित, प्रो॰ सूर्यप्रसाद (2009), जनसंचार प्रकृति और परम्परा, दिल्ली, ट्राइडैंट पब्लिशर्स, ISBN : 978-81904819-2-2.
2. वैदिक, डॉ॰ वेदप्रताप (2006), हिन्दी पत्रकारिता : विविध आयाम, नयी दिल्ली, हिन्दी बुक सेंटर, ISBN : 81-85244-28-6.
3. मिश्र, अच्युतानन्द, (2010), हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएँ (4), नयी दिल्ली, सामयिक प्रकाशन, ISBN : 978-81-7138-212-5 (Vol.4).
4. पीतलिया, रामशरण, (2005), हिन्दी की कीर्तिशेष पत्र-पत्रिकाएँ , जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, ISBN : 81-7137-338-0.
5. गोदरे, विनोद (2008), हिन्दी पत्रकारिता : स्वरूप एवं सन्दर्भ, नयी दिल्ली, वाणी प्रकाशन.

उपयोगी इंटरनेट स्रोत :

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org

❖❖❖

खण्ड – 2 : हिन्दी पत्रकारिता का उदय और विकास

इकाई – 1 : उद्बोधन काल

इकाई की रूपरेखा

2.1.01. प्रस्तावना
2.1.02. पत्रकारिता की पृष्ठभूमि
2.1.03. उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय समाचार-पत्र
2.1.04. राजा राममोहन राय का पदार्पण
2.1.05. हिन्दी पत्रकारिता का काल-विभाजन
2.1.05.1. उद्बोधन काल (1826 ई. से 1900 ई. तक)
2.1.05.1.1. प्रारम्भिक युग (1826 ई. से 1867 ई. तक)
2.1.05.1.2. भारतेन्दु युग (1867 ई. से 1900 ई. तक)
2.1.05.1.2.01. प्रेस की आजादी के लिए संघर्ष
2.1.05.1.2.02. सेंसरशिप अधिनियम 1799
2.1.05.1.2.03. प्रथम प्रेस अधिनियम व जॉन एडम
2.1.05.1.2.04. जेम्स बंकिंघम का 'कैलकटा जनरल'
2.1.05.1.2.05. लार्ड विलियम बैंटिक
2.1.05.1.2.06. भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता मेटकॉफ
2.1.05.1.2.07. गलाघोट प्रेस अधिनियम 1857
2.1.05.1.2.08. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878
2.1.05.1.2.09. राजद्रोह
2.1.05.1.2.10. मानहानि
2.1.05.1.2.10.1. मानहानि के रूप
2.1.05.1.2.10.2. मानहानि के अपवाद
2.1.05.1.2.10.3. धारा 500
2.1.05.1.2.10.4. धारा 501
2.1.05.1.2.10.5. धारा 502
2.1.06. पाठ-सार
2.1.07. कठिन शब्दावली
2.1.08. बोध प्रश्न
2.1.09. व्यवहार
2.1.10. उपयोगी ग्रन्थ-सूची
2.1.11. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

2.1.01. प्रस्तावना

पत्रकारिता के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि आधुनिक जन-जीवन में साहित्य और पत्रकारिता का विशिष्ट स्थान है। मीडिया का उद्देश्य जीवन के विविध पहलुओं पर एक स्वस्थ्य जनमानस का निर्माण करना है। पण्डित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी ने लिखा है कि "प्रेस और पत्र का चोली दामन का सम्बन्ध है।" अंग्रेजों के आगमन के पूर्व पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहला प्रेस सन् 1557 ई. में गोवा में लगाया। भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का प्रयत्न ईस्ट इंडिया कंपनी के एक असंतुष्ट अधिकारी विलियम बोल्ट ने किया। उन्होंने इसकी शुरुआत भित्ति पत्रिका से की। फलस्वरूप उन्हें अंग्रेजों के कोप भाजन का शिकार होना पड़ा, उन्हें देश-निकाला की सजा से दण्डित किया गया। उस समय समाचार पत्र या पत्रिका निकालने वाले जिससे कि राष्ट्रीय चेतना जाग्रत् होती हो सरकार के कट्टर दुश्मन माने जाते थे। स्वतन्त्रता के समय समाचार पत्रों में सामग्री को मिशन के तौर पर परोसकर राष्ट्रीय चेतना का बिगुल फूँका जा रहा था परन्तु आज मीडिया की क्या स्थिति है ! यह किसी से छुपी नहीं है। कहने के लिए तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका उसके बाद ख़बरपालिका अर्थात् लोकतन्त्र के चौथे आधार स्तम्भ के रूप में है यह पत्रकारिता। अतः ख़बरपालिका या प्रेस के इतिहास पर एक बार झाँक लेना आवश्यक होगा।

2.1.02. पत्रकारिता की पृष्ठभूमि

पत्रकारिता का विकास मानव विकास के इतिहास में एक नवीन परिघटना है। छापाखाना का आविष्कार जॉन गुटेनबर्ग द्वारा 1450 ई. में किया गया जिससे कि जनसंचार के माध्यमों का विकास मार्ग प्रशस्त हुआ। इस छापेखाने के आविष्कार ने एक अभूतपूर्व क्रान्ति का सूत्रपात किया जिसे औद्योगिक क्रान्ति ने काफी तीव्र गति से बढ़ाया। औद्योगिक क्रान्ति से उत्पन्न पूँजीवादी व्यवस्था में इस तकनीक का व्यावसायिक इस्तेमाल उस समय की माँग बन गई। जे.बी. प्रिमरोज के अनुसार भारत में प्रथम छापेखाने की स्थापना गोवा के 'सन्त पॉल कॉलेज' में नवंबर 1556 ई. में की गई थी। यह अविसीनियन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। यहीं से भारत में मुद्रण का आरम्भ माना जा सकता है। सन् 1557 में गोवा में स्थापित छापाखाने में पहली पुस्तक के रूप में सेंट फ्रांसिस सैक्वीयर लिखित 'ईसाई धर्म की पुस्तकें' मलयालम भाषा में प्रकाशित हुई। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत में पत्रकारिता के प्रारम्भ होने में अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों का बहुत बड़ा योगदान है। यूरोपियनों द्वारा छापेखाने की स्थापना का प्रारम्भिक उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करना था लेकिन जैसे-जैसे वे व्यापारी से शासक के रूप में तब्दील होने लगे, उनके कार्यक्षेत्र में विस्तार होता गया। दूसरा प्रेस सन् 1578 में तमिलनाडु के तिनेवेली जिले के पौरीकील नामक स्थान पर लगाया गया। तीसरा प्रेस मालाबार के विपिकोटा में पादरियों ने सन् 1602 में स्थापित किया। सन् 1616 में जब अंग्रेज भारत आए तो पुर्तगालियों ने बम्बई में प्रेस लगाया। ईसाई पादरियों से उत्साहित और प्रेरित होकर कुछ भारतीयों ने अपने धर्म-ग्रन्थ मुद्रित और प्रकाशित करने का साहस किया। काठियावाड़ के 'भीमजी पारख' ने सन् 1662 में बम्बई में छापाखाना स्थापित किया।

"कंपनी द्वारा 1674 ई. में ही बंबई में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो गई थी और उसे काफी मात्रा में टाइप और कागज की आपूर्ति की जाती थी। एक दूसरा प्रेस मद्रास में 1772 ई. में स्थापित किया गया और एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1779 ई. में कलकत्ता में की गई।"[1] कंपनी के पास प्रिंटिंग प्रेस तो था लेकिन वे समाचार पत्र निकालने के पक्षधर नहीं थे। "इस सन्दर्भ में यह बात महत्त्वपूर्ण है कि समाचार पत्र शुरू करने का पहला प्रयास कलकत्ता में ही 1776 ई. में विलियम बोल्ट्स द्वारा किया गया, जिसने उसी वर्ष कुछ समय पहले कंपनी के प्राधिकार के तहत निजी व्यापार करने पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिए जाने के बाद कंपनी की सेवा से त्यागपत्र दे दिया था।"[2] लेकिन उसके इरादों को जानकर कंपनी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उसे वापस यूरोप भेज दिया गया।

इसके बाद जेम्स आगस्टस हिकी (जो अपने आपको कंपनी का पूर्व मुलाजिम घोषित करता था) ने 30 जनवरी 1780 को 'बंगाल गजट' या 'कलकत्ता जनरल एडवरटाइजर' नाम के समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। यह समाचार पत्र मूलतः कम्पनी के कर्मचारियों के निजी जीवन को सार्वजनिक करने का कार्य करती थी। "उसकी बौद्धिक उपलब्धि सम्बन्धी कोई महत्त्वाकांक्षा नहीं थी और उसके दो पन्नों के अख़बार में खुद गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स सहित कंपनी के कर्मचारियों के निजी जीवन पर फूहड़ और उपहासजनक टिप्पणियों को खासा स्थान दिया जाता था।"[3] उनके द्वारा किये जा रहे इन कार्यों के कारण सन् 1782 में छापाखाना एवं सम्पत्ति जब्त कर ली गई। इससे उन्हें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उनके समाचार पत्र को जनरल पोस्ट ऑफिस से वितरित करने की सुविधा से भी वंचित कर दिया गया। एक मामले में जून 1781 में उन पर एक वर्ष की सजा एवं 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया लेकिन इसके बावजूद भी वे विचलित नहीं हुए। हिकी को गिरफ्तार किया गया परन्तु वे निर्भीक् की भाँति जेल से पत्र का सम्पादन करते रहे। हिकी का यह वक्तव्य कि "अपने मन और आत्मा की स्वतन्त्रता के लिए अपने शरीर को बन्धन में डालने में मुझे आनन्द आता है।" पत्रकारों के लिए आज भी प्रेरणाप्रद है। अपने पत्र की नीति के बारे में उन्होंने लिखा था – "यह राजनैतिक और व्यापारिक पत्र खुला तो सबके लिए है परन्तु प्रभावित किसी से नहीं।" भारत में प्रेस को जन्म देने का श्रेय हिकी को ही है। सरकार द्वारा लगातार असहयोग के कारण "धीरे-धीरे वह गरीबी से परेशान होता गया जिसने आखिरकर उसे तोड़कर रख दिया।"[4]

हिकी के इस प्रयास से सबक लेते हुए हेस्टिंग्स समर्थित समाचार पत्र 1780 ई. में मेसर्स बी. मेसनिक और पीटर रीड ने 'इंडिया गजट' का प्रकाशन शुरू किया। "उन्होंने पहले पहल गवर्नर जनरल की सहमति प्राप्त कर ली और उसके बाद लिखित रूप से यह आश्वासन देते हुए कि वे उनके द्वारा निर्धारित किसी भी नियम का अनुपालन करेंगे, डाक सम्बन्धी छूट प्रदान करने और कलकत्ता में कंपनी का मुद्रक नियुक्त किये जाने की कृपा करने का अनुरोध किया।"[5] इसमें मुख्य रूप से कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों से सम्बन्धित समाचारों को स्थान दिया जाता था। 1784 ई. में 'कलकत्ता गजट' का प्रकाशन सीधे सरकार के संरक्षण में शुरू हुआ। 1785 में 'बंगाल जर्नल' और मासिक पत्र 'ओरिएंटल मैगजिन आफ कलकत्ता एम्यूजमेंट' प्रकाशित हुए। "हिकी की तरह 'बंगाल जनरल' के सम्पादक विलियम डुएन ने कंपनी की कारगुजारियों के विरुद्ध अभियान चलाने का प्रयास किया

लेकिन कंपनी की ताकत भारी पड़ी और उसे अपनी सम्पत्ति छोड़कर भारत से जाना पड़ा।"[6] इसी दौरान मद्रास में सबसे पहला समाचार पत्र 1785 में 'मद्रास कूरियर' नाम से और 1791 में 'हरकारू' के नाम से प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशक रिचर्ड जौनसन एक सरकारी मुद्रक था। मुम्बई से 1789 में 'बम्बई हेराल्ड' का प्रकाशन शुरू हुआ। "मुम्बई और मद्रास के समाचार पत्रों का स्वर सरकार की कृपा प्राप्त करने का था जबकि बंगाल के समाचार पत्र सरकार विरोधी थे।"[7]

2.1.03. उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय समाचार-पत्र

भारतीय भाषाई समाचार पत्रों का दौर सन् 1816 से प्रारम्भ हुआ। इससे पूर्व जो भी समाचार पत्र प्रकाशित हुए उनके सम्पादक और प्रकाशक यूरोपीय ही थे। इस वर्ष पहला भारतीय समाचार पत्र 'बंगाल गजट' के नाम से अस्तित्व में आया। इसे 'गंगाधर भट्टाचार्य' ने प्रगतिवादी हिन्दुत्व धर्म के प्रतिपादन के लिए निकालना शुरू किया था लेकिन यह एक वर्ष में ही बन्द हो गया। वस्तुतः इस समय देश में ऐसे शिक्षित वर्ग का उदय होने लगा था जो देश की बदहाली, सामाजिक पिछड़ेपन और सांस्कृतिक हीनताबोध के मूलभूत कारणों को समझने लगे थे और इन्हें दूर करने के लिए प्रयासरत भी थे। इसी बीच सेरामपुर के ईसाई मिशनरियों ने अपने धार्मिक विश्वासों के प्रचार के लिए तीन पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया – 'दिग्दर्शन' नाम से बांग्ला भाषा की मासिक पत्रिका, 'समाचार दर्पण' नाम से बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र और 'फ्रेंड ऑफ इंडिया' नाम से अंग्रेजी मासिक पत्रिका।

2.1.04. राजा राममोहन राय का पदार्पण

ब्रितानी हुकूमत के दौरान भारतीय पत्रकारिता जगत् में दो विशिष्ट व्यक्तियों का पदार्पण हुआ – जेम्स सिल्क बकिंघम और राजा राममोहन राय। इन दोनों ने प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए चल रहे संघर्ष में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। जेम्स सिल्क बकिंघम ने आठ पृष्ठों का सप्ताह में दो बार प्रकाशित होने वाला 'कलकत्ता जर्नल' शुरू किया। उसने बताया कि सम्पादक का काम गवर्नरों को उनके व्यक्तित्व की याद दिलाना, उनके द्वारा की जाने वाली गलतियों के लिए उनकी भर्त्सना करना और असहमतिजनक सत्य भी बोलना है। उसके द्वारा किया गया सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य था कि उसने अपने अख़बार के कुछ कॉलम आम लोगों के लिए खोल दिया। जिन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी या कष्ट हो, वे अपनी समस्याओं को सार्वजनिक कर सकते थे। इन सब बातों से कलकत्ता में पहले से मौजूद समाचार पत्रों में खलबली मच गई। 1823 ई. में देश से निर्वासित किये जाने तक सम्पादकों ने निर्भयतापूर्वक सम्पादन करना जारी रखा।

दूसरी ओर राजा राममोहन राय (जो कि प्रखर सामाजिक और धार्मिक सुधारक थे) ने भारतीय भाषाई पत्रकारिता की नींव रखी। उन्होंने बांग्ला में 'संवाद कौमुदी', फारसी में 'मिरात-उल-अख़बार' तथा अंग्रेजी में 'दि ब्राह्मणिकल मैगजीन' का प्रकाशन किया। इनके प्रकाशन का उद्देश्य सत्य का प्रचार एवं लोकसंवाद के आलोक में परीक्षण करने का माध्यम था। श्रीमती बर्न्स ने अपनी पुस्तक 'दि इंडियन प्रेस' में लिखा है कि 'संवाद कौमुदी'

समाचार पत्र की स्थापना दिसंबर 1820 ई. में भगवतीचरण बनर्जी ने की और बाद में इसे राजा राममोहन राय निकालने लगे । इसके माध्यम से उन्होंने सती-प्रथा पर रोक लगाने के लिए सामाजिक वातावरण का निर्माण किया । “राजा राममोहन राय पर यूरोप की लोकतान्त्रिक चेतना का गहरा प्रभाव था । आधुनिक भारत के सामाजिक विकास का परिप्रेक्ष्य तैयार करने में उनकी महान् भूमिका थी ।”[8]

राजा राममोहन राय ने भारतीय पत्रकारिता की नींव ऐसे समय में रखी जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी तानाशाही को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में मूर्त रूप प्रदान कर रही थी । भारतीय समाज का ताना-बाना नष्ट होने लगा था । पारम्परिक स्वावलम्बी कृषि व्यवस्था और वस्त्र व्यापार को ख़त्म करने के प्रयास चल रहे थे और नयी शोषक, साम्राज्यवाद का पोषण करने वाली व्यवस्था लाद दी गई थी । ऐसे में राजा राममोहन राय ने सांस्कृतिक हमले के विरुद्ध संघर्ष की नींव रखी । उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से समाज में व्याप्त समस्याओं के समाधान करने का प्रयास किया और वे कुछ हद तक इसमें सफल भी हुए । उन्होंने सती-प्रथा का अन्त करने के लिए अभियान चलाया फलस्वरूप लार्ड विलियम बेंटिक ने 14 जनवरी 1830 को इसे समाप्त करने के लिए विधेयक पारित किया । इसके विपरीत पुरातनपंथीसमाचार पत्र ‘समाचार चन्द्रिका’ समाज-सुधार के प्रत्येक कदम का विरोध करता था । यहाँ पर राजा राममोहन राय कमजोर पड़ने लगते हैं । “फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सेरामपुर के ईसाई मिशनरियों द्वारा किये जा रहे तेज आक्रमण से हिन्दूवाद की रक्षा राममोहन राय के कारण ही सम्भव हुई ।”[9]

2.1.05. हिन्दी पत्रकारिता का काल-विभाजन

हिन्दी पत्रकारिता इतिहास का काल-विभाजन सर्वसम्मत नहीं हैं । इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के मत भिन्न-भिन्न हैं । डॉ॰ कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपने शोध प्रबन्ध ‘हिन्दी पत्रकारिता’ में काल-विभाजन इस प्रकार किया है – (i) भारतीय नवजागरण और हिन्दी – पत्रकारिता का उदय (1826-1867), (ii) राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति – दूसरे दौर की हिन्दी पत्रकारिता (1867-1900) तथा (iii) बीसवीं शताब्दी का आरम्भ – हिन्दी पत्रकारिता का तीसरा दौर । डॉ॰ रामचन्द्र तिवारी ने अपनी पुस्तक ‘पत्रकारिता के विविध रूप’ में हिन्दी पत्रकारिता का काल-विभाजन इस प्रकार किया है – उदय काल (1825-1867), भारतेन्दु युग (1867-1900), तिलक या द्विवेदी युग (1900-1920), गाँधी युग (1920-1947) और स्वातन्त्र्योत्तर युग । हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि हिन्दी पत्रकारिता का काल निम्नलिखित तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है – (i) उद्‌बोधन काल (1826 ई. से 1900 ई. तक), (ii) स्वातन्त्र्य संघर्ष काल (1900 ई. से 1947 ई. तक) तथा (iii) स्वातन्त्र्योत्तर काल (1947 ई. से आज तक) ।

उद्‌बोधन काल को पुनः दो चरणों में विभक्त किया जा सकता है – (i) प्रारम्भिक युग (1826 ई. से 1867 ई. तक) तथा (ii) भारतेन्दु युग (1867 ई. से 1900 ई. तक) । इसी प्रकार स्वातन्त्र्य संघर्ष काल को भी दो चरणों में विभक्त किया जा सकता है – (i) द्विवेदी युग (1900 ई. से 1920 ई. तक) तथा (ii) गाँधी युग (1920 ई. से

1947 ई. तक) । प्रस्तुत पाठ में 'उद्‌बोधन काल' का विवेचन अपेक्षित है । 'स्वातन्त्र्य संघर्ष काल' तथा 'स्वातन्त्र्योत्तर काल' की चर्चा क्रमशः अगली दो इकाइयों में की जाएगी ।

2.1.05.1. उद्‌बोधन काल (1826 ई. से 1900 ई. तक)

2.1.05.1.1. प्रारम्भिक युग (1826 ई. से 1867 ई. तक)

इस समय देश में हिन्दी पत्रकारिता की नींव रखी जा रही थी । पण्डित युगल किशोर सुकुल ने 'उदन्त मार्त्तण्ड' का घोषणापत्र 9 फरवरी 1826 को कलकत्ता में सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया । 30 मई 1826 को 'उदन्त मार्त्तण्ड' पहली बार प्रकाशित हुआ । यह हिन्दी का प्रथम समाचार पत्र था । पण्डित युगल किशोर सुकुल कानपुर के मूल निवासी थे और कलकत्ता में प्रवासी रहकर सदर दीवानी अदालत में क्लर्क के पेशे से जुड़े थे । सुकुलजी अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, ब्रजभाषा और खड़ी बोली के निष्णात विद्वान थे । 'उदन्त मार्त्तण्ड' भाषा और समाचार दोनों प्रकार से सुसम्पादित पत्र था । इसकी रिपोर्ट देश-विदेश के समाचार, अग्रलेख आदि को पाठक खूब पसन्द करते थे ।"[10] इस पत्र को निकालने के पीछे उनका उद्देश्य भारतीयों का हित करना एवं हिन्दी प्रेम भी था । अपनी भाषा में अपने भावों को अभिव्यक्ति मिले और अपनी भाषा में समाचार ज्ञात हो, यही उनका मुख्य उद्देश्य था । 'उदन्त मार्त्तण्ड' ने निर्भीक् नीति अपनाने के साथ-साथ सरकारी सहायता के लिए अपना हाथ फैलाया । बावजूद इसके इसके बंगाल में हिन्दी का प्रचार न होने, विज्ञापन न मिलने एवं अन्य आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह पत्र मात्र 19 महीने ही प्रकाशित हो सका । इसके मात्र 79 अंक ही प्रकाशित हो पाए। 11 दिसंबर 1827 के अन्तिम अंक में 'उदन्त मार्त्तण्ड' की यात्रा की पीड़ा इन शब्दों में रेखांकित की गई है –

आज दिवस लौं उग चुक्यो मार्त्तण्ड उदन्त ।
अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अन्त ॥[11]

हिन्दी के पहले समाचार पत्र से हिन्दी पत्रकारिता को सत्य, संकल्प एवं सही दिशा मिली । इसके बाद राजा राममोहन राय ने अपने अंग्रेजी के पत्र 'हिन्दू हेराल्ड' को अपने विचारों के प्रसार हेतु 10 मई 1829 को हिन्दी में 'बंगदूत' प्रकाशित किया । इसके प्रथम सम्पादक नीलरतन हालदार थे । काशी से 'बनारस अख़बार' पहला साप्ताहिक हिन्दी पत्र था जो जनवरी 1845 में प्रकाशित हुआ । इसे काशी से राजा शिवप्रसाद 'सितारेहिन्द' ने निकाला । इसके सम्पादक पण्डित गोविन्द रघुनाथ थत्ते थे । यह पत्र हिन्दी लिपि में था लेकिन इसमें उर्दू शब्दों की भरमार रहती थी । 11 जून 1846 को कलकत्ता से 'इंडियन सन' पाँच भाषाओं (हिन्दी, फारसी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू) में निकला । इसके हिन्दी संस्करण मार्त्तण्ड नाम से प्रकाशित होता था । 1848 में 'मालवा' साप्ताहिक हिन्दी और उर्दू में निकला और 1849 में कलकत्ता से 'जगदीप भास्कर' नामक पत्र बांग्ला व हिन्दी में निकला ।

1850 ई. के दौरान हिन्दी पत्रकारिता का तीव्र गति से विकास हुआ । 1850 में बनारस से तारामोहन मैत्रेय ने 'सुधाकर' निकाला जो पहले द्विभाषी बांग्ला एवं हिन्दी में था फिर 1853 में हिन्दी में निकलने लगा । 1854 ई. में श्यामसुन्दर सेन के सम्पादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित 'समाचार सुधावर्षण' हिन्दी का पहला

दैनिक पत्र था। सन् 1857 के प्रथम स्वाधीनता-संग्राम में इसका महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। 8 फरवरी 1857 में दिल्ली से प्रकाशित 'पयामे आजादी' हिन्दी पत्रकारिता में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इस पत्र के प्रवर्तक 'अजीमुल्ला ख़ाँ' स्वयं स्वतन्त्रता सेनानी थे। अब लोगों में विभिन्न प्रदेशों के समाचारों को जानने की इच्छा पैदा हो चुकी थी ताकि वे समकालीन स्थितियों को समझ सकें। इस संग्राम के बाद सत्ता तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश सत्ता संरचना के अधीन आ गई लेकिन सत्ता के मूल चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया। "सरकार की व्यावहारिक नीति पूर्ववत् बनी रही। पहले जैसी ही लूट और शोषण जारी रहा।"[12] यूरोप में हुए औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त माल का उत्पादन सम्भव हो गया था लेकिन इसके लिए कच्चे माल एवं बिक्री के लिए बाज़ार की आवश्यकता थी। भारत इन दोनों के लिए उपयुक्त था। ब्रिटिशों ने अपने व्यापार-विस्तार के लिए यहाँ की अर्थव्यवस्था के संतुलन को समाप्त कर दिया। इन औपनिवेशिक नीतियों का दुष्परिणाम यह हुआ कि यहाँ के लोग अकाल, भूखमरी और बेरोजगारी के शिकार होने लगे।

2.1.05.1.2. भारतेन्दु युग (1867 ई. से 1900 ई. तक)

हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में 1867 ई. से 1900 ई. तक के काल को भारतेन्दु युग के नाम से जाना जाता है। 1857 ई. के बाद प्रकाशित होने वाले हिन्दी समाचार पत्रों में देश की बदहाली को बार-बार रेखांकित किया गया। "सन् 1854 में कलकत्ता से प्रकाशित प्रथम हिन्दी दैनिक 'समाचार सुधावर्षण' को अपनी निर्भीकता और प्रगतिशीलता के कारण ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा।"[13] लेकिन यही समय हिन्दी पत्रकारिता के विकास और विस्तार का भी है। "हिन्दी में पत्र-पत्रिकाओं की कोई जीवित परम्परा न थी परन्तु एकाएक उत्तर भारत में न जाने कितने नगरों से पत्रों की एक बाढ़-सी आ गई। इसमें से बहुत-से कुछ महीने या कुछ वर्ष चलकर ठप हो गये; कुछ दीर्घकाल तक हिन्दी की सेवा करते रहे। लाहौर, बम्बई और कलकत्ता को यदि तीन सीधी रेखाओं में मिला दिया जाय तो जो त्रिकोण बनेगा, उसके भीतर देश का वह भाग आ जाएगा, जहाँ से इस प्रकार के पत्र निकले थे।"[14] 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में हिन्दी पत्रकारिता ने अपना विस्तार बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और पंजाब तक किया जहाँ से अनेक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होने लगीं। सन् 1874 में कलकत्ता से 'बिहार बन्धु', अलीगढ़ से 'भारत बन्धु', मेरठ से 'नागरी प्रकाश', जबलपुर से 'जबलपुर समाचार' और दिल्ली से 'सदादर्श' एवं 'पयामे आजादी' का प्रकाशन शुरू हुआ।

सन् 1857 के बाद के भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य को नयी दिशा प्रदान की जिसके कारण इसे भारतेन्दु युग भी कहा जाता है। उन्होंने साहित्यकारों और पत्रकारों के एक ऐसे नये वर्ग को उभारा जिन्होंने साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में नयी पहचान बनाई। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 15 अगस्त 1867 को 'कवि वचन सुधा' का प्रकाशन किया। उन्होंने 'हरिश्चन्द्र मैगजीन', 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' तथा 'बालबोधिनी' का सम्पादन व प्रकाशन भी किया। भारतेन्दु का हिन्दी पत्रकारिता में वही स्थान है जो बांग्ला पत्रकारिता में राजा राममोहन राय का है। इस काल के दौरान पण्डित बालकृष्ण भट्ट ने सितंबर 1877 में प्रयाग से 'हिन्दी प्रदीप' मासिक निकाला। इस युग में पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र के सम्पादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले तीन प्रमुख पत्र थे – 'भारतमित्र' (1878), 'सार सुधानिधि' (1879) और 'उचित वक्ता' (1880)। 'उचित वक्ता' ने

वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का खुलकर विरोध किया । सन् 1885 में कालाकांकर से राजा रामपाल सिंह द्वारा प्रकाशित 'हिन्दोस्थान' हिन्दी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला सम्पूर्ण हिन्दी दैनिक पत्र था । पण्डित मदनमोहन मालवीय इसके सम्पादक थे । बालमुकुन्द गुप्त, महामना मदनमोहन मालवीय तथा प्रतापनारायण मिश्र जैसे प्रतिभाशाली लेखकों के सम्पादन में इसकी भूमिका मर्यादित, राष्ट्रवादी, जागरूक प्रहरी और सांस्कृतिक संरक्षण की रही। "हिन्दोस्थान' हिन्दी भाषा और उदार विचारों का समर्थक था ।"[15] हिन्दी दैनिकों का प्रारम्भ भारतेन्दु युग में होने लगा था ।

भारतेन्दु-युग की हिन्दी पत्रकारिता में देशभक्ति के साथ-साथ राजभक्ति भी थी क्योंकि अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए यह आवश्यक था । "उस समय के अनेक पत्रों की यह विशेषता थी कि वे अपने पाठकों को सभी विषयों से थोड़ा-बहुत परिचित कराना चाहते थे ।"[16] इस काल में पत्रकारिता के कर्म को समाज-सुधार का अंग माना जाता था । इसके द्वारा समाज की अनेक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया, साथ ही राजनैतिक उदारवाद की वकालत भी की । "भारतेन्दु-युग के सम्पादक उच्च आदर्शों से युक्त थे । विपरीत परिस्थितियाँ भी उन्हें अपने लक्ष्य से च्युत नहीं कर सकीं । उन्होंने देश-दशा के यथार्थ चित्र खींचे और ब्रिटिश सरकार की कारगुजारियों की ओर जनता का ध्यान खींचा ।"[17] इसी समय दूसरी भाषाओं में महादेव गोविन्द रानाडे, बाल गंगाधर तिलक तथा गोखले ने समाज-सुधार पर ज्यादा जोर दिया । तिलक ने अपने द्वारा सम्पादित 'केसरी' और 'मराठा' अख़बारों के द्वारा समाज-सुधार के कार्यों को बढ़ावा दिया । उनका जनता में अटूट विश्वास था । "वह जनता को जाग्रत् कर एक शक्ति के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे ताकि राष्ट्रीय आन्दोलन सशक्त बन सके ।"[18] इस युग में अकाल, महामारी और किसानों की बदहाली एवं स्वदेशी इन समाचार पत्रों के महत्त्वपूर्ण विषय थे । साम्राज्यवादी शोषण के भयावह चेहरे को भी इस युग के पत्रकारों ने उजागर किया । इस युग में पत्रकारिता और समाज-सुधार को एक दूसरे का पूरक माना जाता था । "पत्रकारिता ने ही देशप्रेम, समाज-सुधार और जनजागरण को मध्यमवर्ग की चेतना और चिन्ता का अनिवार्य हिस्सा बना दिया ।"[19] सन् 1857 की असफल क्रान्ति ने लोगों में एक जागरूकता का संचार किया जिसके कारण वे देश और दुनिया का हाल जानने के लिए उत्सुक हुए। वे जानना चाहते थे कि देश की इतनी बुरी अवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है ? साम्राज्यवादी शोषण के कारण किसान, मजदूर और शिल्पकारों की अवस्था धीरे-धीरे खराब होने लगी । अकाल, भूखमरी और महामारी ने आम जन-जीवन की समस्याओं को और बढ़ा दिया था । इनके कारण देश में एक ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग उत्पन्न हो गया था जो इन परिस्थितियों से अत्यन्त खिन्न था । धार्मिक अन्धविश्वासों और सामाजिक रूढ़ियों ने उसकी चिन्ता को और बढ़ा दिया था । इस बुद्धिजीवी वर्ग ने राजनैतिक शोषण, सामाजिक-राजनैतिक रूढ़ियों के विरोध में जनता को जागरूक करने का कार्य किया । हिन्दी अख़बारों ने इस पुनर्जागरण में महत्त्वपूर्ण योगदान किया । वे इसके लिए ऐसे ख़बरों को प्रकाशित करने लगे जो शोषण और उत्पीड़न से सम्बन्धित थे । 'कवि वचन सुधा' से भारतेन्दु ने स्वदेशी की नींव रख दी थी । "साम्राज्यवाद की लूट के कारण कैसे देशी पूँजी बाहर चली जाती है, कैसे देशी पूँजी और जीवन की रक्षा के लिए स्वदेशी का होना अनिवार्य है, इस सार को भारतेन्दु और उसके समकालीनों ने अच्छी तरह समझ लिया था ।"[20]

वर्णाश्रम में विभाजित समाज में अस्पृश्यों के लिए कई प्रकार की बंदिशें थीं। छुआछूत का प्रभाव सारे देश में व्याप्त था। ऐसे समय में दलित चिन्तक के रूप में उभरे महात्मा फुले, उन्होंने स्त्री व अस्पृश्यों के लिए शिक्षा सम्बन्धी महती कार्य कर समाज के नवनिर्माण में महती भूमिका निभायी। ज्योतिबा फुले ने अपने अल्प साधनों से 17 जनवरी 1877 को 'दीनबन्धु' नामक साप्ताहिक पत्र की नींव डालकर दलित पत्रकारिता को सशक्त प्रेरणा देने का महती कार्य सम्पादित किया। उनके योगदान की रचनात्मक छाप अम्बेडकर सहित अन्य दलित चिन्तकों पर साफ रूप से दिखाई पड़ती है। ज्योतिबा फुले के शिष्य बलंकर ने 1888 ई. में 'अस्पृश्यता विन्ध्यवासिनी' नामक पत्र पुणे से प्रकाशित किया।

2.1.05.1.2.01. प्रेस की आजादी के लिए संघर्ष

पत्रकारिता के माध्यम से समाज में चेतना की लहरें सर्वव्याप्त होने लगी थी। मानवाधिकारों और विशेष रूप से प्रेस की आजादी के सवाल को गम्भीरता के साथ महसूस किया जाने लगा। ब्रिटानी हुकूमत प्रेस को अपने लिए रोड़ा समझती थी। उन्होंने प्रेस पर नियन्त्रण स्थापित करने लिए कानून बनाया। सेंसरशिप लागू करने की शुरुआत 1795 ई. में मद्रास से हुई। 'मद्रास गजट' को सरकार के सारे आम आदेश प्रकाशन से पूर्व सेना सचिव के समक्ष जाँच के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया।

2.1.05.1.2.02. सेंसरशिप अधिनियम 1799

लार्ड वैलेजली ने भारत का प्रेस से सम्बन्धित पहला संवैधानिक विनियम 13 मई 1799 को जारी किया। इस विनियम से पत्रों पर प्रकाशन पूर्व सेंसरशिप लगा दिया। इसके अनुसार–

(1) समाचार पत्र को सम्पादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था।
(2) सम्पादक और संचालक के निवास स्थान का पूरा पता सरकार के सेक्रेटरी को लिखकर भेजना पड़ता था।
(3) रविवार को कोई पत्र प्रकाशित न हो।
(4) जब तक सरकार का सचिव निरीक्षण न कर ले तब तक कोई पत्र प्रकाशित न किया जाय।
(5) जो उपयुक्त नियमों की अवहेलना करेगा उसे तत्काल देश से निष्कासित कर दिया जाएगा।

इस प्रकार से लार्ड वेलेजली के समय में सबसे पहले समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाया गया। सन् 1813 में लार्ड हेस्टिंग्स की नियुक्ति गर्वनर जनरल के रूप में हुई वह अपने पूर्ववर्ती गर्वनर जनरलों की अपेक्षा प्रेस के प्रति अधिक उदार और सहृदय थे।

2.1.05.1.2.03. प्रथम प्रेस अधिनियम व जॉन एडम

सन् 1823 में जॉन एडम स्थानापन्न गर्वनर जनरल बने। इससे पूर्व वे सरकार के मुख्य सेंसर अधिकारी भी रह चुके थे। "भारत में प्रथम प्रेस अधिनियम जारी करने का श्रेय जॉन एडम को ही है। वे प्रेस की स्वतन्त्रता को कंपनी के शासन के लिए खतरा मानते थे।"[21] उन्होंने 1823 में प्रेस अध्यादेश जारी करके अख़बारों पर लाइसेंस प्रणाली लागू कर दी। इसके अनुसार –

(1) मुद्रक तथा प्रकाशक को मुद्रणालय स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना होगा,
(2) लाइसेंस के बिना किसी भी साहित्य को मुद्रित अथवा प्रकाशित करने पर 400 रुपये जुर्माना अथवा उसके बदले कारावास का दण्ड होगा और मजिस्ट्रेटों को अनुमति थी कि बिना लाइसेंस के मुद्रणालय भी जब्त कर ले।
(3) गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह किसी लाइसेंस को रद्द कर दे अथवा नया प्रार्थनापत्र माँग ले।
(4) प्रकाशन सम्बन्धी सरकारी लाइसेंस के लिए प्रार्थना पत्र देते समय एक हलफनामा देना भी आवश्यक कर दिया गया जिसमें पत्रिका, समाचार पत्र या पुस्तिका के प्रकाशक का नाम तथा पूरा पता दिया गया हो। मालिकों की संख्या यदि दो से अधिक हो तो उसमें बड़े हिस्सेदार का पूरा ब्यौरा देना ज़रूरी कर दिया। साथ ही यह भी कहा गया कि जिस मकान में समाचार पत्र अथवा अन्य प्रकाशन होता हो उसका विस्तृत विवरण और स्वरूप अंकित किया जाय।

इस कानून का विरोध राजा राममोहन राय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर किया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राजा राममोहन राय, द्वारकानाथ ठाकुर और तीन अन्य व्यक्तियों ने इन कानूनों के विरुद्ध आपत्ति प्रकट करते हुए एक याचिका प्रस्तुत की। "कुमार सोफिया कालेट ने इस याचिका को 'भारतीय पत्रकारिता की एरियोपेगीटिका' कहा है।"[22] ब्रिटिश सरकार ने इससे क्षुब्ध होकर 04 अप्रैल 1823 को 'मिरात-उल-अख़बार' को बन्द कर दिया।

2.1.05.1.2.04. जेम्स बकिंघम का 'कैलकटा जनरल'

जेम्स बकिंघम ने प्रेस के प्रति उदारनीति अपनाते हुए 'कैलकटा जनरल' नामक पत्र निकाला। सप्ताह में दो बार प्रकाशित होने वाले आठ पृष्ठों के पत्र की नीति के बारे में जेम्स बकिंघम का मत था – "सम्पादक के कार्य सरकार को उसकी भूलें बताकर कर्त्तव्य की ओर प्रेरित करना है और इस आशय से कुछ अरुचिकर सत्य कहना अनिवार्य है। कोई भी अपने विचार सम्पादक के पास लिखकर भेज सकता है जिसे 'सम्पादक के नाम पत्र' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित किया जायेगा।"[23] यही कारण है कि पत्र में स्वस्थ्य आलोचना को भी स्थान दिया जाने लगा। लार्ड हेस्टिंग्स की उदारनीति ने बकिंघम के पत्र का विकास अवरुद्ध नहीं हुआ। हेस्टिंग्स ने तो एक नया समाचार पत्र 'वुल इन द ईस्ट' निकाला। जॉन हेस्टिंग्स के भारत से चले जाने के बाद जॉन एडम कार्यवाहक गर्वनर बने। वे प्रेस की स्वतन्त्रता के कट्टर विरोधी थे और जेम्स बकिंघम को वह प्रेस की स्वतन्त्रता के प्रतीक मानते थे।

1823 ई. में बकिंघम को देश-निकाला की सजा दी गई और इस प्रकार से प्रेस की इज्जत करने वाले यहाँ से चले गये। हालाँकि उन्होंने इंग्लैंड जाकर 'ओरिएन्टल हेराल्ड' नामक पत्र निकाला, जिसमें वह भारतीयों पर अंग्रेजों द्वारा किये जा रहे ज़ुल्म और कम्पनी के हाथों में भारत का शासन बनाए रखने के विरुद्ध लगातार अभियान की तरह प्रमुखता से प्रकाशित करते रहे। संक्षेप में कहा जाय तो भारत में प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए किये जाने वाले संघर्षों में जेम्स बकिंघम का नाम सर्वोच्च है।

2.1.05.1.2.05. लार्ड विलियम बैंटिक

लार्ड विलियम बैंटिक ने गर्वनर जनरल का पदभार सँभालते ही यहाँ सामाजिक विकास के लिए अपना भरपूर योगदान देते हुए प्रेस से उदारता की नीति अपनायी। उनका कहना था – "मैं समाचार पत्रों को अपना मित्र मानता हूँ और सुशासन में सहायक समझता हूँ।"[24] उनके उदारनीति का ही परिणाम था कि "राजा राममोहन राय ने पहले अंग्रेजी में 'बंगाल हेराल्ड' के साथ ही देशी भाषाओं का एक पत्र 'बंगदूत' भी प्रकाशित किया जो बांग्ला, हिन्दी और फारसी तीन भाषाओं में निकलता था। उनके शासन के दौरान ही सन् 1831 में ईश्वरचन्द्र गुप्त ने 'संवाद प्रभाकर' निकाला जो सन् 1836 में द्विदैनिक तथा सन् 1839 में दैनिक हो गया। यह बांग्ला का प्रथम दैनिक था। सन् 1830 में केवल बंगाल में भारतीय भाषाओं के 16 तथा अंग्रेजी के 33 समाचार पत्र तथा पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही थीं। 1831 ई. से 1833 ई. के मध्य भारतीय भाषाओं के तथा अंग्रेजी के 19 नये समाचार पत्र प्रकाशित होना प्रारम्भ हुए।"[25]

2.1.05.1.2.06. भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता मेटकॉफ

लार्ड विलियम बैंटिक के बाद मेटकॉफ गवर्नर जनरल बने और उन्होंने प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए विशेष ध्यान दिया। 15 सितंबर 1835 को उसने समाचार पत्र की लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर समाचार पत्रों के स्वतन्त्र विकास एवं प्रचार-प्रसार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इस नये कानून से अनुमति पत्र लेने की प्रथा समाप्त हो गई। प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए वे मील के पत्थर माने जाते थे। इस सन्दर्भ में डॉ॰ रामरतन भटनागर ने लिखा है – "भारतीय पत्रकारिता के पूरे इतिहास में पत्रों की स्वतन्त्रता के लिए अथक परिश्रम करने वाला मेटकॉफ के समान ईमानदार कोई अंग्रेज नहीं मिलेगा। उन्होंने बैंटिक के विरुद्ध मत प्रकट किया और पत्रों सम्बन्धी उसकी नीति का बड़े ही जोश से विरोध किया।"[26] "सर चार्ल्स मेटकॉफ ने अख़बारों पर से पाबन्दियाँ हटा लीं। फिर लार्ड लिटन के वाइसराय होने तक अख़बार ऐसे ही आजादी में रहे सिर्फ 1857 के गदर के जमाने को छोड़कर।"[27]

मेटकॉफ ने प्रेस सम्बन्धी कानून बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कानून के प्रस्ताव पर विचार करते हुए ये माना था कि "समाचार पत्र स्वतन्त्र होने चाहिए जब तक कि शासन को उनसे खतरा न हो और मैं समझता हूँ कि शासन को स्वतन्त्र प्रेस से खतरा नहीं हो सकता। यदि आवश्यकता पड़े तो भी परिषद् के पास पर्याप्त शक्ति है।"

दूसरी बात मेटकॉफ ने यह कहा कि व्यवहार में प्रेस स्वतन्त्र है और हमारी इच्छा अंकुश का प्रयोग करने का नहीं है इसलिए यह भ्रान्ति बनाए रखना कि एडम कानूनों के कारण प्रेस स्वतन्त्र नहीं है, असंगत है। अंकुश का उपयोग तब ही है जब उसका प्रयोग किया जाए।

तीसरी बात एडम कानूनों के अधीन अंकुश का प्रयोग बहुत अंशों तक सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है इसलिए विभिन्न प्रान्तों में समाचार पत्रों के प्रति एक-सी नीति नहीं है। कार्यकारिणी में मैकाले के कानून पर बहस होते समय प्रिन्सेप और मौरिसन ने इसका विरोध किया और अंकुश बनाये रखने की नीति का समर्थन किया परन्तु मैटकॉफ ने बड़ी दृढ़ता से यह बात दोहरायी कि कोई भी कानून यूरोपीयन और भारतीयों में भेदभाव की नीति पर आधारित नहीं होना चाहिए। प्रस्तुत कानून सरकार के प्रति विश्वास, सहनशीलता और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और इसके परिणाम अच्छे होंगे, इसमें सन्देह नहीं। हमें भारतीयों को यह अनुभव नहीं होने देना चाहिए कि हम उनके विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता से डरते हैं, अथवा उनकी राजभक्ति पर सन्देह करते हैं। भारतीय पत्रों ने अपनी स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं किया। असन्तोष एवं विद्रोह दूसरे कारणों से भड़क सकता है, स्वतन्त्र समाचार पत्रों से नहीं इसलिए भारतीय पत्रों पर भी अंकुश उससे अधिक नहीं होना चाहिए जितना यूरोपीय पत्रों पर। अन्त में मेटकॉफ ने कहा – "कोई भी शासन जनमत और विचार-विनिमय के साधनों पर अंकुश रखकर अधिक समय तक नहीं टिक सकता क्योंकि इस प्रकार स्थायित्व सड़ा-गला होगा और ऐसे प्रयत्न कभी सफल नहीं हो सकते।"[28] उनके शासनकाल के दौरान उर्दू का सबसे पहला अख़बार 'सैयद-उल-अख़बार' देहली से 1837 में, मराठी का पहला पत्र 1840 में 'मुम्बई समाचार', 'जवदत्त-उल-अख़बार' (1833), 'सदर-उल-अख़बार' (1846), 'जामे-जमशेद' आदि का प्रकाशन हुआ।

2.1.05.1.2.07. गलाघोट प्रेस अधिनियम 1857

लार्ड केनिंग ने 13 जून 1857 को एक नया प्रेस अधिनियम लागू किया। 1857 ई. के विद्रोह से उत्पन्न हुई आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए लाइसेंस व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई। लार्ड केनिंग का प्रेस एक्ट, 1857 गलाघोट कानून के नाम से प्रसिद्ध है। इस एक्ट के माध्यम से सरकार किसी भी समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य मुद्रित सामग्री के प्रकाशन या प्रसार को प्रतिबन्धित कर सकती थी। सरकार को यह अधिकार था कि वह अपने विवेक से लाइसेंस जारी व रद्द करें। लार्ड केनिंग ने प्रेस का समर्थन जुटाने और अपनी बात जनता तक पहुँचाने के लिए 'पत्रकार कक्ष' (Editor's Room) की स्थापना की। 1857 ई. से 1867 ई. के मध्य में कुछ प्रमुख समचारपत्रों की शुरुआत हुई, यथा – बम्बई से प्रकाशित होने वाले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' का प्रकाशन सन् 1861 में, 1865 में इलाहाबाद से 'पायोनियर', शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के प्रयासों से बांग्ला भाषा में सन् 1868 में साप्ताहिक पत्र 'अमृत बाज़ार पत्रिका' का प्रकाशन हुआ। कलकत्ते से प्रसिद्ध समाचार पत्र 'स्टेट्समैन' का प्रकाशन 1875 ई. में हुआ जबकि 1853 ई. में गिरीशचन्द्र घोष ने 'हिन्दू पेट्रियट', ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने 'सोमप्रकाश', 'नील दर्पण', 'इंडियन मिरर' 'सुलभ समाचार', 1877 में 'ट्रिब्यून' आदि पत्रों का प्रकाशन किया।

2.1.05.1.2.08. वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878

भारत के वायसराय लार्ड लिटन ने 1 मार्च 1878 ई. को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया । इस अधिनियम के अनुसार सरकार को उन समाचार पत्रों पर कठोर नियन्त्रण एवं दण्डित करने का अधिकार प्राप्त हो गया जो ब्रिटिश सरकार के प्रति राजद्रोह एवं भड़काने वाले लेख लिखा करते थे । इस कानून के अनुसार जिलाधीशों और पुलिस कमिश्नरों को यह अधिकार दिया गया कि वे अपने क्षेत्रों से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के प्रकाशकों, सम्पादकों या मुद्रकों से यह माँग कर सकते थे कि वे एक अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर यह आश्वासन दें कि वे ऐसा कोई समाचार प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार के प्रति असन्तोष की भावना पैदा होती हो ।

लार्ड लिटन ने सरकार की नीति समाचार पत्रों को बताने के लिए ‘प्रेस ब्यूरो’ की स्थापना की और राबर्ट बकलैंड को सबसे पहला प्रेस कमिश्नर नियुक्त किया । इस अधिनियम के अन्तर्गत सबसे पहले द्वारकानाथ भूषण के ‘सोम प्रकाश’ के विरुद्ध 1879 ई. में कार्रवाई की गई । बांग्ला भाषा की अमृत बाज़ार पत्रिका इस अधिनियम से बचने के लिए रातोंरात अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगी । इस एक्ट का दूसरा नाम ‘देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 है । इस अधिनियम के तहत नारा दिया गया कि ‘नो अपील, नो वकील, नो दलील ।’ अर्थात् आप न तो अपील कर सकते हैं, अपना पक्ष रखने के लिए न ही कोई वकील और न ही कोई दलील दे सकते हैं ।

1880 ई. में लार्ड रिपन भारत के वायसराय बनने के बाद 7 दिसंबर 1881 को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया । इसके पश्चात् 18 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। इसमें अधिकांशतः समाचार पत्रों के सम्पादक थे । रस्ट गुफ्टार के दादा भाई नौरोजी, इंदु प्रकाश के महादेव गोविन्द रानाडे, इंडियन मिरर के नरेन्द्र सेन, हिन्दु के जी. सुब्रमण्यम् अय्यर व कई अन्य सम्पादक शामिल थे । इन लोगों ने सरकार का जमकर विरोध किया । “भारतीय कांग्रेस की स्थापना के उपरान्त इलबर्ट बिल के अलावा एक विवादास्पद मुद्दा था, ‘एज ऑफ कंसंट बिल’ (1891) का । इस बिल के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ सहवास को प्रतिबन्धित कर दिया । ‘केसरी’ ने इस बिल को हिन्दुओं की धार्मिक परम्पराओं में हस्तक्षेप बताया । ‘अमृत बाज़ार पत्रिका’ ने भी इस बिल का विरोध किया जबकि ‘इंडियन मिरर’ आदि कुछ समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया ।”[29]

1896-97 ई. के अकाल में सरकार विरोधी बातें ‘केसरी’ में लिखने के कारण तिलक को डेढ़ वर्ष कारावास की सजा दी गई । लार्ड एलगिन ने समाचार पत्रों से तथा बढ़ती हुई हिंसा से निपटने के लिए भारतीय दण्ड संहिता में नयी धाराएँ जोड़ीं । “ब्रिटिश सरकार ने 1898 में भारतीय दण्ड संहिता के अनुभाग 124 अ में संशोधन किया और इसमें अनुभाग 153 अ को जोड़ दिया । इसी के तहत भारतीय दण्ड संहिता का अनुभाग 505 संशोधित किया गया जिसके द्वारा सरकार को यह शक्ति प्राप्त हो गई कि अगर कोई समाचार पत्र या लेख या भाषण प्रकाशित करता है जिससे भारतीय सेना में अशान्ति फैले या लोग सरकार के विरुद्ध कोई हिंसात्मक कार्रवाई करें तो ऐसे समाचार पत्रों के सम्पादकों को दण्डित या उन पर जुर्माना दोनों किये जा सकते थे । इन धाराओं की गिरफ्त

में आनेवाले पत्रों में 'मराठा' व 'केसरी' प्रमुख थे।"[30] के.सी. राय ने 1905 ई. में भारत में एसोसिएटेड प्रेस की स्थापना कर पत्रकारिता को एक नयी दिशा दी।

2.1.05.1.2.09. राजद्रोह

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 124 में राजद्रोह का उल्लेख मिलता है। धारा 124 'अ' में, जो कोई बोले गये या लिखे गये शब्दों के द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। राजद्रोह के सन्दर्भ में दो बातें निम्नलिखित हैं –

(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करना या पैदा करने का प्रयत्न करना या अप्रीति करने का प्रयत्न करना। वस्तुतः राजद्रोह अपराध का मूलतत्त्व हिंसा का उकसाना है।

(ii) ऐसे कार्य अथवा प्रयत्न जो (क) बोले गये या लिखे गये शब्दों द्वारा या (ख) संकेतों द्वारा (ग) दृश्य रूपणों द्वारा। वस्तुतः सम्पादक, मुद्रक व प्रकाशक अपने पत्र में प्रकाशित हर सामग्री के लिए उत्तरदायी होते हैं।

2.1.05.1.2.10. मानहानि

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 499 से 502 में मानहानि का ज़िक्र है। धारा 499 में निहित है कि जो कोई बोले गये या पढ़े जाने के लिए आशायित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की मानहानि होगी तो इसे मानहानि करना कहा जाएगा। मानहानि के तौर पर दीवानी या फौजदारी मुकदमे चलाए जा सकते हैं – दोषी पाये जाने पर दो वर्ष की साधारण कैद अथवा जुर्माना या दोनों सजाएँ दी जा सकती हैं। स्पष्टीकरण –

(i) किसी मृत व्यक्ति को कोई लांछन लगाना मानहानि की श्रेणी में आ सकता है यदि वह व्यक्ति उस व्यक्ति के जीवित होने पर उसकी ख्याति में अपहानि करता है।

(ii) किसी संस्था या कंपनी या व्यक्ति समूह के सम्बन्ध में ऐसा आरोप लगाना जो उनका अपयश करता हो, मानहानि की कोटि में आएगा।

(iii) व्यंग्योक्ति के रूप में आरोप लगाना भी मानहानि की कोटि में आ सकता है, यदि उस व्यंग्योक्ति से व्यक्ति की वास्तविक मानहानि होती हो।

(iv) कोई लांछन किसी व्यक्ति की ख्याति की अपहानि करने वाला नहीं कहा जाता जब तक कि वह लांछन दूसरों की दृष्टि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हेय न करे या उस व्यक्ति की जाति के या उसकी आजीविका के सम्बन्ध में उसके शील को हेय न

करे या उस व्यक्ति की साख को नीचे न गिराए या वह विश्वास न कराए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणोत्पादक दशा में है या ऐसी दशा में है जो साधारण रूप से निकृष्ट समझी जाती है।

2.1.05.1.2.10.1. मानहानि के रूप

(i) लिखित रूप में अपलेख – यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध लिखित या प्रकाशित रूप में मिथ्या आरोप लगाया जाता है तथा उसका अपमान किया जाता है तो यह अपलेख होता है। यह व्यक्ति के सम्मान व प्रतिष्ठा पर स्थायी प्रहार हो सकता है।

(ii) मौखिक रूप में अपवचन – जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपमानजनक कथन या भाषण किया जाता है जिसे लोगों के मन में व्यक्ति विशेष के प्रति घृणा या अपमान का भाव उत्पन्न हो तो यह अपवचन कहलाता है।

2.1.05.1.2.10.2. मानहानि के अपवाद

i. सत्य बात का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोककल्याण के लिए अपेक्षित है। सत्य समाचार लोककल्याण के लिए छापना मानहानि नहीं होती है।

ii. लोकसेवकों का लोकाचरण (A Public conduct of Public servent)

iii. न्यायालयों की कार्रवाईयों की रिपोर्टों का प्रकाशन बिना तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करना, मानहानि नहीं होगी (ज्यों का त्यों छापना जो कि कोर्ट में कहा गया है)।

iv. शिक्षक का विद्यार्थियों को डाँटना, पिता द्वारा अपने बेटों को भरे बाज़ार में डाँटना, अफसरों के द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों के उपर डाँट-फटकार, ऐसी परनिन्दा मानहानि के अन्तर्गत नहीं आता है।

2.1.05.1.2.10.3. धारा 500

इसके तहत सजा का प्रावधान है कि जो कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की मानहानि करेगा वह सादा कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दण्डित किया जाएगा।

2.1.05.1.2.10.4. धारा 501

(मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना) जो कोई किसी बात को यह जानते हुए या विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसी बात किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है, मुद्रित करेगा या उत्कीर्ण करेगा वह सादा कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

2.1.05.1.2.10.5. धारा 502

मानहानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्कीर्ण पदार्थ को बेचने पर दण्डित किया जा सकेगा।

2.1.06. पाठ-सार

हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। वस्तुतः इसका कारण पत्रकारिता का तेवर और सम्पादकों की पाठकों के प्रति प्रतिबद्धता है। इसके साथ पत्रकारिता ने 'स्व' के चिन्तन को रेखांकित किया और आत्मगौरव को जाग्रत् करने के लिए जन को प्रेरित करने का काम बखूबी निभाया। इसके चलते समाचार पत्रों ने विश्वसनीयता का पर्याय बन गये। अपने आरम्भिक काल से विश्वसनीयता का आवरण मजबूत कर लेने के कारण समाचार पत्रों ने आज तक पाठकों को आकर्षित करने की क्षमता बरकरार रखी है। प्रस्तुत पाठ में हिन्दी पत्रकारिता के इन्हीं पहलुओं को विभिन्न तथ्यों के माध्यम से बताया गया है। विद्यार्थी को हिन्दी पत्रकारिता के शुरुआती दौर का संज्ञान हो सके, समाचार पत्रों की विकासयात्रा का रास्ता पता हो सके इसके लिए पाठ को कई उप इकाइयों में विभाजित किया गया है।

2.1.07. कठिन शब्दावली

अपवचन : यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध लिखित या प्रकाशित रूप में मिथ्या आरोप लगाया जाता है तथा उसका अपमान किया जाता है तो यह अपलेख होता है। यह व्यक्ति के सम्मान व प्रतिष्ठा पर स्थायी प्रहार हो सकता है।

अपलेख : जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपमानजनक कथन या भाषण किया जाता है, जिसे लोगों के मन में व्यक्ति विशेष के प्रति घृणा या अपमान का भाव उत्पन्न हो तो यह अपलेख कहलाता है।

2.1.08. बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. 'उदन्त मार्त्तण्ड' सबसे पहले कब निकला ?

(क) 18 मई 1826
(ख) 18 मई 1836
(ग) 30 मई 1826
(घ) 30 मई 1836

सही उत्तर : (ग) 30 मई 1826

2. 'संवाद कौमुदी' किस भाषा में प्रकाशित होता था ?

(क) हिन्दी
(ख) संस्कृत
(ग) बांग्ला
(घ) फारसी

सही उत्तर : (ग) बांग्ला

3. हिन्दी पत्रकारिता के काल-विभाजन के अनुसार भारतेन्दु युग माना जाता है –

(क) 1826 से 1867

(ख) 1867 से 1900

(ग) 1900 से 1920

(घ) 1920 से 1947

सही उत्तर : (क) 1826 से 1867

4. 'समाचार सुधावर्षण' के सम्पादक थे –

(क) भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

(ख) श्यामसुन्दर सेन

(ग) नीलरतन हालदार

(घ) पण्डित गोविन्द रघुनाथ

सही उत्तर : (ख) श्यामसुन्दर सेन

5. 'हिन्दी प्रदीप' का सम्पादन करते थे –

(क) प्रतापनारायण मिश्र

(ख) बालमुकुन्द गुप्त

(ग) पण्डित बालकृष्ण भट्ट

(घ) महामना मदनमोहन मालवीय

सही उत्तर : (ग) पण्डित बालकृष्ण भट्ट

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के नाम लिखिए।
2. गैर-हिन्दीभाषी प्रदेशों से प्रकाशित हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के नाम लिखिए।
3. 'उदन्त मार्त्तण्ड' पर टिप्पणी लिखिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. हिन्दी पत्रकारिता में भारतेन्दु युग की पत्रकारिता के योगदान पर प्रकाश डालिए।
2. पुनर्जागरण में हिन्दी अख़बारों के योगदान पर चर्चा कीजिए।

2.1.09. व्यवहार

1. हिन्दी के अख़बार, प्रकाशन-स्थल और सम्पादकों का नाम कालखण्ड के अनुसार चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए।
2. भारतेन्दु युग की पत्रकारिता पर प्रस्तुतीकरण 'पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन' तैयार कीजिए।

2.1.10. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

01. नटराजन्, जे., (2002). 'भारतीय पत्रकारिता का इतिहास', नयी दिल्ली : प्रकाशन विभाग
02. जैन, रमेश, (2003). 'जनसंचार एवं पत्रकारिता', जयपुर : मंगलदीप पब्लिकेशन्स
03. तिवारी, अर्जुन, (2007). 'सम्पूर्ण पत्रकारिता', वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन
04. तिवारी, सुनील कुमार, (2003). 'हिन्दी पत्रकारिता का आदिकाल', दिल्ली : साहित्य सहकार
05. तिवारी, अर्जुन, (2002). 'हिन्दी पत्रकारिता का बृहत् इतिहास', नयी दिल्ली : वाणी प्रकाशन
06. सिंह, मीनाक्षी, (2009). 'हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास', नयी दिल्ली : ओमेगा पब्लिकेशन
07. मिश्रा, चेतन अरविन्द, (2010). 'हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास', दिल्ली : मिश्रा पब्लिसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स
08. Kumar, keval j., (2004). 'Mass Communication in India', Mumbai : Jaico Publishing House
09. Desai, Amit, 'Journalism and Mass Communication', New Delhi : Reference Press
10. Aggrawal, V.B., (2006). 'Essentilas of Practical Journalism', New Delhi : Concept Publishing Company

2.1.11. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

01. भारतीय पत्रकारिता का इतिहास, जे. नटराजन्, पृ. 6
02. वही
03. वही
04. वही, पृ. 7
05. वही, पृ. 8
06. हिन्दी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास, रमेश जैन, पृ. 17
07. हिन्दी पत्रकारिता और भूमण्डलीकरण, बिजेन्द्र कुमार, पृ. 52
08. हिन्दी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास, रमेश जैन, पृ. 82
09. भारतीय पत्रकारिता का इतिहास, जे. नटराजन्, पृ. 20
10. हिन्दी की कीर्तिशेष पत्र-पत्रिकाएँ, रामशरण पीतलिया, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पृ. 1
11. वही
12. हिन्दी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास, रमेश जैन, पृ. 81
13. हिन्दी पत्रकारिता और भूमण्डलीकरण, बिजेन्द्र कुमार, पृ. 54
14. भारतेन्दु-युग और हिन्दी भाषा की विकास-परम्परा, रामविलास शर्मा, पृ.23
15. वही, पृ. 26
16. वही, पृ. 24

17. हिन्दी पत्रकारिता और भूमण्डलीकरण, बिजेन्द्र कुमार, पृ. 56
18. भारतीय पत्रकारिता का इतिहास, जे. नटराजन्, पृ. 178
19. पत्रकारिता और साहित्य, क्षमा शर्मा, पृ. 21
20. वही, पृ. 26
21. जैन, प्रो॰ रमेश, 'जनसंचार एवं पत्रकारिता', मंगलदीप पब्लिकेशन्स, दुगड़ बिल्डिंग, एम.आई. रोड, जयपुर-302001, प्रथम संस्करण 2003, पृ. 4
22. वही, पृ. 43
23. वही, पृ. 45
24. वही, पृ. 46
25. समाचार पत्र, चेलपतिराव, पृ.सं. 49
26. दि राइज एंड ग्रॉथ ऑफ हिन्दी जर्नलिज़्म, रामरतन भटनागर
27. कांग्रेस का इतिहास, भाग-9, डॉ. पट्टाभि सीतारमैया
28. हिस्ट्री ऑफ इण्डियन जर्नलिज़्म, जे. नटराजन्
29. जैन, प्रो॰ रमेश, 'जनसंचार एवं पत्रकारिता', मंगलदीप पब्लिकेशन्स, दुगड़ बिल्डिंग, एम.आई. रोड, जयपुर-302001, प्रथम संस्करण 2003, पृ. 53
30. वही

उपयोगी इंटरनेट स्रोत :

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org

❖❖❖

खण्ड – 2 : हिन्दी पत्रकारिता का उदय और विकास

इकाई – 2 : स्वातन्त्र्य संघर्ष काल

इकाई की रूपरेखा

2.2.0. उद्देश्य कथन
2.2.1. स्वातन्त्र्य संघर्ष काल (1900 ई. से 1947 ई. तक)
    2.2.1.1. द्विवेदी युग (1900 ई. से 1920 ई. तक)
    2.2.1.2. गाँधी युग (1920 ई. से 1947 ई. तक)
2.2.2. प्रेस एवं कानून
    2.2.2.1. 1908 का समाचार पत्र अधिनियम
    2.2.2.2. भारतीय मुद्रणालय अधिनियम-1910
    2.2.2.3. प्रिंस प्रोटेक्शन बिल-1922
    2.2.2.4. शासकीय गोपनीयता अधिनियम-1923
2.2.3. बोध प्रश्न
2.2.4. व्यवहार
2.2.5. उपयोगी ग्रन्थ-सूची
2.2.6. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

2.2.0. उद्देश्य कथन

प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. स्वतन्त्रता-आन्दोलन की पृष्ठभूमि को निर्मित करने में द्विवेदीयुगीन पत्रकारिता के योगदान को समझ सकेंगे।
ii. महात्मा गाँधी महान् संचारक / सम्प्रेषक के रूप में विख्यात हैं। उनकी पत्रकारिता के वैशिष्ट्य से अवगत हो सकेंगे।
iii. स्वतन्त्रता-आन्दोलन के दौरान निकलने वाले हिन्दी अख़बारों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
iv. स्वतन्त्रता-आन्दोलन के दौरान प्रेस से सम्बन्धित कानूनों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

2.2.1. स्वातन्त्र्य संघर्ष काल (1900 ई. से 1947 ई. तक)

हिन्दी पत्रकारिता में सन् 1900 से 1947 ई. तक के काल को स्वातन्त्र्य संघर्ष काल कहा जाता है। इस काल में सन् 1900 से 1920 ई. तक की पत्रकारिता को द्विवेदी युग तथा सन् 1920 से 1947 ई. तक के काल को गाँधी युग के नाम से जाना जाता है।

2.2.1.1. द्विवेदी युग (1900 ई. से 1920 ई. तक)

हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में सन् 1900 ई. से 1920 ई. तक के काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। हिन्दी पत्रकारिता की दृष्टि से बीसवीं शताब्दी का श्रीगणेश गौरवपूर्ण ढंग से हुआ। 20वीं सदी का शुरुआती दशक पत्रकारिता और राजनीति में अनेक परिवर्तनों एवं हलचलों से भरा था। इस युग में एक ओर 'भारतमित्र' कलकत्ता से प्रकाशित होकर सम्पूर्ण जगत् को आलोकित कर रहा था तो दूसरी ओर प्रयाग से पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी के सम्पादन में 'सरस्वती' का उदय हुआ। द्विवेदीजी सन् 1903 में जब 'सरस्वती' के सम्पादक बने तब उन्होंने 'सरस्वती' को हिन्दी पत्रकारिता का 'सरस्वती' बना दिया। 'सरस्वती' के उद्देश्यों की चर्चा करते हुए डॉ॰ हरप्रकाश गौड़ ने लिखा है – " 'सरस्वती' का उद्देश्य हिन्दीभाषी क्षेत्र में सांस्कृतिक जागरण करना था, राष्ट्रीय जागरण तो उसका अंग था।" सन् 1906 से 1919 तक की अवधि को 'स्वराज काल' के नाम से भी पुकारा जा सकता है। 1905 ई. में बंग-भंग आन्दोलन हुआ और 1907 में ही सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभक्त हो गये। 'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' जन-जन में व्याप्त हो गया। लाला लाजपत राय, विपिन चन्द्र पाल जैसे राष्ट्रनायकों ने स्वतन्त्रता को अवश्यम्भावी बतलाया। इतना ही नहीं भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद, वीर सावरकर जैसे क्रान्तिकारियों ने देश को आजाद कराने का अपना मौलिक कर्त्तव्य समझा। ऐसी राजनैतिक परिस्थितियों में हिन्दी पत्रों ने सिंहनाद किया और राष्ट्रभक्तों की एक लम्बी फौज तैयार हो गई।

इस युग में दलितों की आवाज बने डॉ॰ बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने अपने विचारों एवं कार्यों से हिन्दू धर्म की तमाम रूढ़ियों, मान्यताओं एवं परम्पराओं को नकारते हुए उसका एक मजबूत प्रतिपक्ष समाज के समक्ष प्रस्तुत किया। पत्रकारिता में डॉ॰ अम्बेडकर के आगमन के साथ इस दिशा में क्रान्तिकारी युग परिवर्तन हुआ। अम्बेडकर युग में 'दीनमित्र', 'जागरूक', 'विजयी मराठा', 'ज्ञान प्रकाश', 'हिन्द नागरिक', 'सुबोध पत्रिका' आदि ऐसे पत्र थे जिन्होंने अपने विचारोत्तेजक लेखन से दलित समाज में चेतना का संचार कर उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए प्रेरित किया। डॉ॰ अम्बेडकर ने अपने सार्वजनिक जीवन में पाँच पत्रों को जन्म दिया। सन् 1920 में 'मूक नायक', 03 अप्रैल 1927 को 'बहिष्कृत भारत', 04 सितंबर 1927 को 'समता', 24 नवंबर 1930 को 'जनता' और 01 मार्च 1958 को 'प्रबुद्ध भारत' जैसे प्रबोधनकारी पत्र निकालकर आम जनों को राष्ट्रीय चेतना के प्रति सचेत किया।

द्विवेदी युग में कलकत्ता से 'नृसिंह' (1907), 'देवनार' (1907), 'कलकत्ता समाचार' (1914), 'विश्वमित्र' (1916) और 'स्वतन्त्र' (1920) आदि पत्र प्रकाशित हुए। यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि 1885 ई. में कांग्रेस की स्थापना के बाद देश की राजनीति गतिविधियाँ जोर पकड़ने लगी थी। देश में एक नया राजनैतिक नेतृत्व उभर रहा था जो कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं से अलग विचार रखता था। वह राजभक्ति का चोला नहीं ओढ़ना चाहता था बल्कि नरमपंथियों से अलग उग्र तेवर अपनाने का हिमायती था। आर्थिक दृष्टि से साम्राज्यवाद ने भारत को आयात की मंडी बना दिया था। भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के महत्त्वपूर्ण परिणामों में से एक था, भारतीय कस्बों की हस्तकलाओं और ग्रामों के हस्तशिल्प उद्योगों के क्रमशः बढ़ते क्षय और विध्वंस के

फलस्वरूप कृषि और उद्योग व्यवसायों के सदियों के ऐक्य का छिन्न-भिन्न होना । यातायात व संचार सुविधाएँ आर्थिक शोषण को व्यवस्थित और मजबूत बनाने के लिए देश भर में फैला दी गई थी । देशी पूँजीपति वर्ग के लिए उद्योग और व्यापार की सम्भावनाएँ अत्यन्त सिकुड़ गई थी फिर भी इस समय देशी पूँजीपति वर्ग इस सीमित दायरे में ही निरन्तर ताकत बटोर रहा था और देशी राजनीति को अपने हित पोषण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने लगा था । स्वतन्त्रता-संघर्ष को दिशा प्रदान करने में इस वर्ग की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही । हिन्दी पत्रकारिता के विकास में इसके महत्त्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है । सन् 1905 तक आते-आते भारतीय मध्यमवर्ग ने अपनी पूँजी और उत्पादन की ताकत से अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनता को प्रेरित करना शुरू किया । इसी समय अंग्रेजों द्वारा बंगाल के विभाजन का निर्णय लोगों में एक क्रान्ति का लहर पैदा कर गई । अब ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था के प्रति लोगों का मोह भंग होने लगा था । “बंगाल के विभाजन की घोषणा सम्बन्धी सरकार की जुलाई 1905 ई. की अधिसूचना से, जो उसी वर्ष 14 अक्टूबर को प्रभावी हुई, व्यापक पैमाने पर अशान्ति फैल गई थी । पंजाब में उपनिवेश विधेयक तथा राजकीय गोपनीयता अधिनियम, प्रेस नियन्त्रण अधिनियम एवं सम्पूर्ण देश के लिए विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करने जैसे अन्य उपाय किये गये थे ।” इस समय देश में पत्रकारिता की दो धाराएँ चल रही थी । एक धारा साम्राज्यवादी व्यवस्था की पक्षधर थी या पूरी तरह से तटस्थ जबकि दूसरी धारा राष्ट्रीय विचारधारा से प्रेरित एवं संचालित हो रही थी । “महावीरप्रसाद द्विवेदी इस युग की पत्रकारिता के केन्द्र बिन्दु थे । उन्होंने आगे आने वाली पत्रकारिता के दो मूलभूत तत्त्वों का खुलासा कर दिया था । एक, विचार-प्रधानता ताकि लोगों में जनजागरण हो, उनमें बौद्धिक ऊर्जा पनप सके । दूसरे, जनरुचि को जानना ।”[1]

इस समय देश में विरोध के स्वर मुखर होने लगे थे । इससे निपटने के लिए लार्ड मिंटो ने वायसराय का पद ग्रहण करने के बाद राजकीय गोपनीयता अधिनियम, सार्वजनिक सभा अधिनियम, प्रेस अधिनियम, राजद्रोह कानून, विस्फोटक सामग्री अधिनियम और राजद्रोहात्मक सभा अधिनियम के क्षेत्र में विस्तार किया । साथ ही अनेक अध्यादेश जारी किये गये ताकि भाषण देने के अधिकार एवं स्वतन्त्र आलोचना करने के अधिकार पर नियन्त्रण लगाया जा सके लेकिन इन नियन्त्रणों के बावजूद देश की राजनीति में उबाल आता गया और इस दौरान अनेक बम काण्ड हुए जिनके निशाने पर अंग्रेज अधिकारी थे । “इस तरह के उग्र तेवर की राजनीति के कारण लोगों में इसे जानने की उत्सुकता पैदा हुई और इसके लिए वे समाचार पत्रों से जुड़ने लगे । इस कारण समाचार पत्रों का व्यापक विस्तार हुआ । पत्रकारिता अब देश-सेवा और स्वाधीनता-संग्राम का पर्याय बन गई थी ।”[2] इस समय की पत्रकारिता मिशनरी भावना से ओत प्रोत थी और सम्पादकों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं काम करता था ।

“सन् 1905 से 1918 तक आते-आते हिन्दी पत्रकारिता घुटनों चलने लगी थी । वित्तीय पूँजीवाद के इस दौर में भारत पर शोषण का शिकंजा और कस गया था । प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा जिसने देश के आर्थिक आधार की नींव हिला दी । हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं ने उपनिवेशवादी शासन के इस दोहरे चरित्र को बखूबी उजागर किया कि साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए भारतीय संसाधनों का इस महायुद्ध में ब्रिटिश शासन ने कितना दुरुपयोग किया ।”[3] इस काल की हिन्दी पत्रकारिता की मूल विषय-वस्तु

सामाजिक या धार्मिक ही थी। इस समय के पत्र-पत्रिकाओं में 'सरस्वती' (1900), 'देवनागर' (1907), 'नृसिंह' (1907), 'कलकत्ता समाचार' (1914), 'विश्वमित्र' (1916) आदि प्रमुख थे। 'सरस्वती' जिसके सम्पादक महावीरप्रसाद द्विवेदी थे, ने भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कार्य किया। राजनैतिक अख़बारों में 'हिन्दी प्रदीप' सबसे पुराना अख़बार था। लोकमान्य बी.जी. तिलक के सन्देशों को जन-जन तक प्रसारित करने के उद्देश्य से पुणे से 'केसरी' के हिन्दी संस्करण को पण्डित माधवराव सप्रे ने 13 अप्रैल 1907 को नागपुर से निकाला। मराठी 'केसरी' के कई लेखों के हिन्दी अनुवाद को छापकर उग्र विचारधारा का पोषण किया। 'सरकार की दमननीति और भारतमाता' और 'कालापानी' इन दो सम्पादकीय लेखों तथा 'बाम्ब गोलयाचे रहस्य' एवं देशचादुर्देव के हिन्दी अनुवाद के प्रकाशित होते ही 23 अगस्त 1908 को पण्डित माधवराव सप्रे को भारतीय दण्ड संहिता 124 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। 1907 में ही इलाहाबाद से 'स्वराज्य' नाम साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ। इलाहाबाद राष्ट्रीय आन्दोलन का एक प्रमुख स्थान बन चुका था। यहीं से 1907 में बसन्त पंचमी के दिन पण्डित मदनमोहन मालवीय ने 'अभ्युदय' साप्ताहिक पत्र निकाला। सरदार भगतसिंह की फाँसी के बाद इस पत्र ने 'फाँसी' अंक निकालकर राष्ट्रवादियों में क्रान्ति का बिगुल फूँक दिया। पण्डित मदनमोहन मालवीय की प्रेरणा से ही 'लीडर' का प्रकाशन हुआ जिसने स्वतन्त्रता-आन्दोलन को गति प्रदान की। इसके अलावा 1910 में प्रकाशित 'कर्मयोगी', 1913 में प्रकाशित 'प्रताप' और 1916 में प्रकाशित 'ज्ञान शक्ति' आदि समाचार पत्रों ने स्वाधीनता-आन्दोलन के लिए एक पृष्ठभूमि निर्मित की।

2.2.1.2. गाँधी युग (1920 ई. से 1947 ई. तक)

हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में 1920 ई. से 1947 ई. तक के काल को गाँधी युग के नाम से जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियाँवाला बाग में सभा कर रहे भारतीयों पर जनरल डायर ने गोलियाँ बरसाने के आदेश दिए। इसमें सैकड़ों लोग मारे गये। जो घायल थे और बच गये थे उनके लिए मृतकों को देखना एक खौफनाक मंजर था। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश भड़का। अब वे स्वतन्त्र होने के लिए नयी किरण की आस देख रहे थे। ऐसे ही समय में महात्मा गाँधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश 1920 ई. में हुआ। उनके प्रभाव के कारण भारतीय राजनीति में व्यापक बदलाव आया। अब स्वतन्त्रता-आन्दोलन के केन्द्र में महात्मा गाँधी थे। उन्होंने उग्र तेवर अपनाने के बदले रचनात्मक तेवर अपनाये और ब्रिटिश सत्ता से विरोध दर्ज कराने के लिए सत्याग्रह, असहयोग आन्दोलन एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलनों का सहारा लिया। उनके कुशल नेतृत्व में स्वाधीनता-आन्दोलन चलाया गया। इन आन्दोलनों में उन्होंने पत्रकारिता को एक हथियार बनाया। उन्होंने गुजराती 'नवजीवन' का हिन्दी रूपान्तर 'हिन्दी नवजीवन' 1921 ई. में और 1933 ई. में 'हरिजन सेवक' हिन्दी में निकाला। अपनी बातों को जनता तक पहुँचाने के लिए गाँधीजी ने 'यंग इंडिया' के सम्पादन का कार्य 8 अक्टूबर 1919 ई. से प्रारम्भ किया। "इसके साथ-साथ उन्होंने 'नवजीवन' का सम्पादन-कार्य भी शुरू कर दिया जिसे उन्होंने गुजराती मासिक पत्र से एक साप्ताहिक पत्र में परिवर्तित कर दिया था।"[4] बाद में गाँधीजी ने महादेव देसाई के सम्पादन में 'हरिजन' का प्रकाशन भी शुरू किया जिसके ज्यादातर लेख गाँधीजी ही लिखा करते थे। बाद में 1933 ई. में उन्होंने 'हरिजन सेवक' हिन्दी में निकाला। "गाँधीजी अपनी आत्मकथा में पत्रकारिता के

उद्देश्यों को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करते हैं – "किसी समाचार पत्र का पहला उद्देश्य सार्वजनिक संवेदना को समझना तथा उसे अभिव्यक्ति प्रदान करना, दूसरा उद्देश्य लोगों में वांछनीय भावनाएँ जाग्रत् करना तथा तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों का निडर होकर पर्दाफाश करना होता है।"[5]

भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आया। सन् 1924 में सी. आर. दास और पण्डित मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 'स्वराज पार्टी' बनायी जिसका मकसद था विधान सभाओं में अंग्रेज सरकार के कार्यों में रोड़े अटकाना। 1924 में ही साइमन कमीशन के विरोध में चल रहे आन्दोलन के दौरान पुलिस की बर्बरता से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ऐसे ही उग्र राजनैतिक परिस्थितियों में 'युगान्तर', 'वन्दे मातरम्', 'नवशक्ति' तथा 'सन्ध्या' जैसे चेतनाकारी पत्र निकले। इतना ही नहीं 'अभ्युदय', 'कर्मयोगी', 'मर्यादा', 'आज', 'प्रताप', 'स्वतन्त्र अर्जुन', 'कर्मवीर', 'हिन्दू पंच', 'सुधा', 'विशाल भारत', 'वर्तमान' जैसे पत्रों के प्रकाशन से राष्ट्रीय चेतना का नवोन्मेष हुआ। स्वतन्त्रता-आन्दोलन में जान डालने में कानपुर के 'प्रताप' कार्यालय का योगदान महती है। गणेश शंकर 'विद्यार्थी' जैसे पत्रकार न सिर्फ स्वतन्त्रता-संग्राम सेनानी थे अपितु उन्होंने समाज के लोगों को भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के लिए एकजुट भी किया। उन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्र हित में सर्वस्व गँवा देने के निमित्त जोश भरता था। पराधीन भारत माता की करुण पुकार, स्वदेशाभिमान, अत्याचार-शोषण के प्रति रोष, राष्ट्र-सेवा के प्रति निष्ठा से प्रेरित होकर गणेश शंकर 'विद्यार्थी' ने 'प्रताप' का अविस्मरणीय अंक निकालते रहे। गणेश शंकर 'विद्यार्थी' के सहयोगी माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर जैसी कालजयी पत्र का सम्पादन किया। स्वतन्त्रता-आन्दोलन के दौरान 12 बार जेल की यात्रा करने वाले चतुर्वेदीजी ने हिन्दी पत्रकारिता को नया आयाम दिया, वे कहते हैं –

मुझे तोड़ लेना वन माली उस पथ पर तुम देना फेंक।
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएँ वीर अनेक॥

गणेश शंकर 'विद्यार्थी' 'प्रताप' में अपने विचारों की प्रताप दे रहे थे। उनके द्वारा प्रशिक्षित पण्डित दशरथप्रसाद द्विवेदी ने 'प्रताप' के जैसा ही स्वराष्ट्र प्रेम की भावना को पूर्वांचल में प्रसारित करने के उद्देश्य से 1919 में 'स्वदेश' का प्रकाशन किया जिसमें स्वतन्त्रता-आन्दोलन की ज्वाला धधकती थी। यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि स्वतन्त्रता-आन्दोलन के दौरान गाँधीजी ने पत्रकारिता को प्रमुख स्थान दिया। गाँधीजी के प्रभाव में आकर हिन्दी पत्रकारिता में भी एक नयी ऊर्जा का प्रवाह हुआ। "उनके रचनात्मक कार्यक्रम और असहयोग आन्दोलन के प्रचार के लिए देश में अनेक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रों का प्रकाशन हिन्दी में हुआ।"[6] "गाँधीजी राजनीति को जनता के करीब ले जाना चाहते थे अतः वे अंग्रेजी के बजाय मातृभाषा में काम करने की वकालत करते थे क्योंकि एक प्रतिशत से भी कम लोग अंग्रेजी जानते थे। इसके अलावा अंग्रेजी का विरोध साम्राज्यवाद की जंजीरों को तोड़ने का भी प्रतीक था। गाँधीजी ने सम्पर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर 'हिन्दुस्तानी' को आगे बढ़ाया। यह उत्तर भारत की आमफहम की भाषा थी जिसमें विविध भाषाओं और क्षेत्रों के शब्द भी शामिल थे।"[7] इस प्रकार के विचारों के कारण हिन्दी के समाचार पत्रों के विकास में प्रेरक के रूप में कार्य किया। इन समाचार पत्रों ने आजादी के आन्दोलन को जन-जन तक पहुँचाने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान

दिया। इसके कारण इन्हें अनेक दमनात्मक कार्रवाईयों का सामना करना पड़ा। "समय-समय पर प्रकाशित सरकारी रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि अनायास ही सम्पादकों को चेतावनी देना, पत्रों को जब्त कर लेना या प्रेस को तहस-नहस कर देना उच्च अधिकारियों की हॉबी थी फिर भी हिन्दी पत्रकारिता के कर्णधार हार स्वीकारने को तैयार नहीं थे।"[8] इन स्थितियों में भी सम्पादकों-पत्रकारों ने अपने कर्म के प्रति निष्ठा का पालन किया और अनेक आर्थिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अख़बार निकाले। 1925 ई. में वृन्दावन साहित्य सम्मेलन के अन्तर्गत आयोजित प्रथम सम्मेलन में प्रख्यात सम्पादक बाबूराव विष्णु पराड़कर ने कहा था – "हमारे समाचार-पत्रों की वर्तमान अवस्था अभी सन्तोषजनक नहीं है परन्तु भविष्य उज्ज्वल है। ... पहले पत्रों के प्रसार अधिक न होने के कारणों पर विचार करना आवश्यक है।"

(1) पत्रों का समाज के प्रतिबिम्ब न होना,
(2) धनाभाव और जनता में विशेषकर हिन्दीभाषियों में साक्षरता का अल्प प्रसार।

अस्तु, कहने का तात्पर्य यह है कि पत्रों की उन्नति के साथ-साथ पत्रों पर धनिकों का प्रभाव अधिकाधिक परिमाण में अवश्य पड़ेगा। अभी तो धनी अपने अप्रत्यक्ष स्वार्थ से अथवा कवचित शुद्ध देश भक्ति से प्रेरित होकर इस काम में धन लगाते हैं।

1920 ई. में अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी द्वारा 'स्वतन्त्र' नामक अख़बार निकाला गया जो गाँधीजी के असहयोग आन्दोलन को समर्थन देने एवं 1930 ई. में सरकार द्वारा जमानत-राशि के रूप में जमा करने के निर्देश के बाद बहुत जल्द ही लोकप्रिय हो गया। 1920 ई. में ही बनारस से 'आज' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जो आज भी प्रकाशित हो रहा और हिन्दी का एक महत्त्वपूर्ण अख़बार है। इसके प्रथम सम्पादक श्रीप्रकाश थे और बाबूराव विष्णु पराड़कर उनके सहायक थे। 1923 ई. में बाबूराव विष्णु पराड़कर स्वयं सम्पादक बन गये और लगातार 30 वर्षों तक इसका सम्पादन-कार्य (बीच के चार वर्ष को छोड़कर) किया एवं इस अख़बार को पत्रकारिता जगत् में नयी ऊँचाइयों तक पहुँचाया। "सन् 1923 ई. में घनश्यामदास बिड़ला ने दिल्ली से 'अर्जुन' नामक अख़बार का प्रकाशन शुरू किया लेकिन कुछ ही समय बाद सम्पादक को जेल हो गई और कुछ महीनों बाद प्रेस अधिनियम के तहत अख़बार को 10,000 रुपये जमानत-राशि के रूप में जमा करने को कहा गया। इसके बाद अख़बार निकलना बन्द हो गया और फिर जमानत-राशि घटकर 4,000 रुपए किये जाने के बाद ही यह निकल पाया।"[9]

बीसवीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में जैसे-जैसे भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन तेज हुआ, हिन्दी में अनेक अख़बार निकले और उन्होंने इसमें अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। उग्र राष्ट्रीय विचारों के लिए ही मदनमोहन मालवीय ने 1907 ई. में 'अभ्युदय', गणेशशंकर 'विद्यार्थी' ने 1913 में 'प्रताप', शिवप्रसाद गुप्त और बाबूराव विष्णु पराड़कर ने 1920 में 'आज', आचार्य नरेन्द्र देव ने 1937 में 'संघर्ष', कमलापति त्रिपाठी ने 1944 में 'संसार', कृष्णदत्त पालीवाल ने 1925 में 'सैनिक' जैसे महत्त्वपूर्ण पत्रों का प्रकाशन किया। आचार्य नरेन्द्रदेव व बाबूराव विष्णु पराड़कर ने 'रणभेरी' नामक भूमिगत पत्र के द्वारा स्वाधीनता-आन्दोलन के अलख को जलाए रखा। इसी प्रकार मध्यप्रदेश से भी अनेक पत्र निकले। माधवराव सप्रे का 'छत्तीसगढ़ मित्र' (1902), माखनलाल

चतुर्वेदी का 'कर्मवीर' (1919), सिद्धनाथ माधव आगरकर का 'स्वराज्य', पण्डित द्वारिकाप्रसाद मिश्र के 'लोकमत' (14 फरवरी 1930) और 'सारथी' (1941) आदि का स्वतन्त्रता-आन्दोलन में महती भूमिका रही। आजादी आन्दोलन के दौरान जो अख़बार ज्यादा महत्त्वपूर्ण रहे वे क्रमिक रूप से निम्नलिखित हैं – "सैनिक (आगरा, 1928), शक्ति (लाहौर, 1930), प्रताप (कानपुर), नवयुग (दिल्ली), नवराष्ट्र (बंबई), भारत (इलाहाबाद, 1933), लोकमत (नागपुर, 1931), लोकमान्य (कलकत्ता, 1930), वर्तमान (कानपुर, 1920), विश्वमित्र (कलकत्ता, 1917; बंबई, 1941, नयी दिल्ली, 1942), नवभारत (नागपुर, 1934), अधिकार (लखनऊ, 1938), अग्रगामी (काशी, 1938), उजाला (आगरा, 1940), आर्यावर्त (पटना, 1942), इंदौर समाचार (इंदौर, 1943), राष्ट्रवाणी (पटना, 1942), संसार (काशी, 1943), नया हिन्दुस्तान (दिल्ली, 1944), जयहिन्द (जबलपुर, 1946) और सन्मार्ग (काशी व कलकत्ता, 1946)।

सामान्य रूप से महत्त्वपूर्ण अन्य पत्र थे – अर्जुन (1923), वीर अर्जुन (दिल्ली, 1934), हिन्दुस्तान (दिल्ली, 1934), मजदूर समाचार (1934), कांग्रेस (दिल्ली, 1940), हिन्दी मिलाप (लाहौर, 1930), हिन्दी स्वराज (मध्य प्रान्त 1930) और हिन्दू संसार (दिल्ली)।" इस समय की हिन्दी पत्रिकाओं 'माधुरी' (1923), 'चाँद' (1922), 'हंस' (1930), 'कल्याण' (1926), 'त्यागभूमि' (1928), 'मतवाला' (1923), 'सेनापति' (1926), 'सरोज' (1928), 'वाणी' (1930), 'नालन्दा' (1935) आदि ने भी साहित्यिक जगत् में अपने को स्थापित किया एवं साथ-ही-साथ स्वाधीनता-आन्दोलन को आगे बढ़ाने में भी योगदान दिया। 1938 ई. में गाँधीजी के विचारों का समर्थन करते हुए रामगोपाल माहेश्वरी ने 'नवभारत' का प्रकाशन शुरू किया। इस युग में पत्रकारिता वृति से नहीं व्रत की भावना से की जाती थी। इस युग में व्यावसायिकता तो थी ज़रूर परन्तु नैतिकता का आवरण भी निहित था। फलस्वरूप पत्रकार समाज के विकास को अपनी जिम्मेदारी मानते थे।

2.2.2. प्रेस एवं कानून

2.2.2.1. 1908 का समाचार पत्र अधिनियम

जून 1908 ई. में लॉर्ड मिंटो ने समाचार पत्र अधिनियम अपराधों को भड़काने वाला (Newspaper Incitement to offence Act) पारित किया जिससे सम्पादकों को सीधे जेल में ठूँसने का प्रावधान किया गया। जिसके कारण युगान्तर, संध्या, वन्दे मातरम् आदि का प्रकाशन बन्द करना पड़ा था।

2.2.2.2. भारतीय मुद्रणालय अधिनियम-1910

1910 ई. के भारतीय मुद्रणालय अधिनियम (The Indian Press Act 1910) ने प्रेस की स्वतन्त्रता को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वह कम से कम एक हजार रुपये की जमानत समाचार पत्रों के मुद्रणालयों के मुद्रकों तथाप्रकाशकों से घोषणापत्र भरते समय ले। उन्हें यह भी अधिकार दिया गया कि वह किसी जमानत के जमा करने के सम्बन्ध में उचित कार्रवाई कर सके अथवा इस सम्बन्ध में पूर्व प्रकाशित किसी आदेश को किन्हीं विशेष कारणों से रद्द तथा परिवर्तित कर सके। इस अधिनियम

का प्रभाव अमृत बाज़ार पत्रिका, बॉम्बे क्रॉनिकल, हिन्दु, ट्रिब्यून, पंजाबी, हिन्दवासी आदि पर पड़ा। बाल गंगाधर तिलक पर 'केसरी' में प्रकाशित एक लेख के आधार पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें छह वर्ष के कारावास की सजा हुई। तेज बहादूर सप्रू की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर सन् 1922 में भारतीय मुद्रणालय अधिनियम-1910 को समाप्त कर दिया गया।

2.2.2.3. प्रिंस प्रोटेक्शन बिल-1922

1910 ई. के भारतीय मुद्रणालय बिल को समाप्त कर 1922 ई. में प्रिंस प्रोटेक्शन बिल पारित किया गया। इसमें पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा अन्य दस्तावेजों को छापने की अनुमति प्राप्त हुई। सितम्बर 1931 में भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन अधिकार (The Indian Press Emergency Power Act) अधिनियम स्वीकृत हुआ। इसमें जुर्माना और सजाओं को कठोर कर दिया गया।

2.2.2.4. शासकीय गोपनीयता अधिनियम-1923

राष्ट्र की आन्तरिक सुरक्षा और प्रतिरक्षा के मामले में प्रजातान्त्रिक सरकार को भी पर्याप्त गोपनीयता बरतने का अधिकार है क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। वह किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी, मीडिया की स्वतन्त्रता और मानवाधिकार से ऊपर है। इस अधिनियम के तहत –

(1) किसी दुश्मन देश द्वारा अपने देश में की जानेवाली अशंकित गुप्तचरी के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश और प्रावधान है।
(2) ऐसे शासकीय तथ्य, जिन्हें जनहित में सरकार गुप्त और गोपनीय रखना चाहती है।

प्रावधान –

i. राष्ट्रीय हित और सुरक्षा की दृष्टि से निषिद्ध स्थलों पर पूर्वानुमति के बिना प्रवेश करना और उनके सन्दर्भ में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की जानकारी, किसी भी माध्यम द्वारा शत्रु पक्ष को देना, इस कानून की अवहेलना माना जाएगा।
ii. निषिद्ध स्थल पर जाकर वहाँ के रेखाचित्र, योजना प्रारूप या चित्र बिना पूर्वानुमति के न तो लिए जा सकते हैं और न ही उन्हें प्रकाशित / प्रसारित किया जा सकता है।
iii. भारतीय गणतन्त्र की सम्प्रभुता, अखण्डता तथा सार्वभौमिकता को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास, इस अधिनियम के तहत अपराध है।
iv. विदेशी एजेंटों से सम्पर्क का प्रयास करना अवैध माना गया है।
v. सरकारी मुहरों, चित्रों और गुप्त योजनाओं को किसी अनाधिकृत व्यक्ति को सौंपना या प्रकाशित / प्रसारित करना अपराध है।
vi. राजकीय चिह्नों व मुहरों का गैर कानूनी निर्माण तथा उनके विक्रय का प्रयास दण्डनीय है।

इस कानून का दोषी पाये जाने पर धारा-5 के तहत दोषी व्यक्ति को अधिकतम तीन वर्ष का कारावास से या जुर्माने से अथवा दोनों सजाएँ दी जा सकती हैं।

2.2.3. बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित में से 'सरस्वती' पत्रिका के सम्पादक हैं –

(क) आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी

(ख) माखनलाल चतुर्वेदी

(ग) प्रतापनारायण मिश्र

(घ) पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी

सही उत्तर : (घ) पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी

2. 'अभ्युदय' पत्रिका के सम्पादक हैं –

(क) पण्डित मदनमोहन मालवीय

(ख) गणेश शंकर 'विद्यार्थी'

(ग) बाबूराव विष्णु पराड़कर

(घ) पण्डित माधवराव सप्रे

सही उत्तर : (क) पण्डित मदनमोहन मालवीय

3. 'स्वराज्य' नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती था ?

(क) पटना

(ख) इलाहाबाद

(ग) दिल्ली

(घ) लखनऊ

सही उत्तर : (ख) इलाहाबाद

4. 'प्रताप' के सम्पादक थे –

(क) बाबूराव विष्णु पराड़कर

(ख) पण्डित द्वारिकाप्रसाद मिश्र

(ग) कमलापति त्रिपाठी

(घ) गणेश शंकर 'विद्यार्थी'

सही उत्तर : (घ) गणेश शंकर 'विद्यार्थी'

5. 'हरिजन सेवक' का प्रकाशन वर्ष है –

(क) 1921 ई.

(ख) 1930 ई.

(ग) 1933 ई.

(घ) 1919 ई.

सही उत्तर : (ग) 1933 ई.

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. दलित चेतना जाग्रत् करने में डॉ० बाबासाहेब अम्बेडकर के योगदान पर प्रकाश डालिए।
2. भारतीय मुद्रणालय अधिनियम, 1910 पर टिप्पणी लिखिए।
3. राष्ट्रीय चेतना जाग्रत् करने वाली किन्हीं चार पत्र-पत्रिकाओं पर प्रकाश डालिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. हिन्दी पत्रकारिता में गाँधीजी के योगदान की चर्चा कीजिए।
2. शासकीय गोपनीयता अधिनियम पर प्रकाश डालिए।

2.2.4. व्यवहार

1. स्वाधीनता-संग्राम के दौरान प्रकाशित होने वाले हिन्दी के समाचार पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन स्थल और सम्पादकों का नाम कालखण्ड के अनुसार चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए।
2. द्विवेदी युग की पत्रकारिता पर 'पावर प्वाइंट प्रेज़ेंटेशन' तैयार कीजिए।

2.2.5. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

1. नटराजन्, जे., (2002). 'भारतीय पत्रकारिता का इतिहास', नयी दिल्ली : प्रकाशन विभाग
2. जैन, रमेश, (2003). 'जनसंचार एवं पत्रकारिता', जयपुर : मंगलदीप पब्लिकेशन्स
3. तिवारी, अर्जुन, (2007). 'सम्पूर्ण पत्रकारिता', वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन
4. तिवारी, सुनील कुमार, (2003). 'हिन्दी पत्रकारिता का आदिकाल', दिल्ली : साहित्य सहकार
5. तिवारी, अर्जुन, (2002). 'हिन्दी पत्रकारिता का बृहत् इतिहास', नयी दिल्ली : वाणी प्रकाशन
6. सिंह, मीनाक्षी, (2009). 'हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास', नयी दिल्ली : ओमेगा पब्लिकेशन
7. मिश्रा, चेतन अरविन्द, (2010). 'हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास', दिल्ली : मिश्रा पब्लिसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स
8. Kumar, keval j., (2004). 'Mass Communication in India', Mumbai : Jaico Publishing House.
9. Desai, Amit, 'Journalism and Mass Communication', New Delhi : Reference Press.

2.2.6. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. हिन्दी पत्रकारिता और भूमण्डलीकरण, बिजेन्द्र कुमार, पृ. 58
2. पत्रकारिता और साहित्य, क्षमा शर्मा, पृ. 47
3. हिन्दी पत्रकारिता और भूमण्डलीकरण, बिजेन्द्र कुमार, पृ. 58
4. भारतीय पत्रकारिता का इतिहास, जे. नटराजन्, पृ. 206
5. वही, पृ. 207
6. हिन्दी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास, रमेश जैन, पृ. 51
7. भारत की समाचार पत्र क्रान्ति, रॉबिन जेफ्री, पृ. 23
8. हिन्दी पत्रकारिता और भूमण्डलीकरण, बिजेन्द्र कुमार, पृ. 59
9. भारतीय पत्रकारिता का इतिहास, जे. नटराजन्, पृ. 251

उपयोगी इंटरनेट स्रोत :

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org

❖❖❖

खण्ड – 2 : हिन्दी पत्रकारिता का उदय और विकास

इकाई – 3 : स्वातन्त्र्योत्तर हिन्दी पत्रकारिता

इकाई की रूपरेखा

2.3.01. प्रस्तावना
2.3.02. स्वातन्त्र्योत्तर काल (1947 ई. से आज तक)
2.3.03. प्रमुख हिन्दी समाचार पत्र
2.3.03.1. साहित्यिक पत्रिकाएँ
2.3.03.2. शिक्षा सम्बन्धी पत्रिकाएँ
2.3.03.3. कृषि पत्रिकाएँ
2.3.03.4. स्वास्थ्य सम्बन्धी पत्रिकाएँ
2.3.03.5. सांस्कृतिक पत्रिकाएँ
2.3.03.6. धार्मिक पत्रिकाएँ
2.3.03.7. महिला सम्बन्धी पत्रिकाएँ
2.3.04. हिन्दी समाचार पत्र और राजनीति
2.3.05. हिन्दी समाचार पत्र और एकाधिकार
2.3.05.1. हिन्दी पत्रकारिता और डिजिटल माध्यम
2.3.05.2. श्रव्य माध्यम – आकाशवाणी (रेडियो) की विकास-यात्रा
2.3.05.2.1. दृश्य-श्रव्य माध्यम (टेलीविजन) का विकास
2.3.05.2.2. टेलीविजन का आरम्भिक काल (1959 ई. से 1974 ई. तक)
2.3.05.2.3. प्रयोग के वर्ष (1975-1981)
2.3.06. वैकल्पिक मीडिया के रूप में इंटरनेट
2.3.06.1. वैकल्पिक मीडिया के रूप में इंटरनेट का इतिहास
2.3.07. मीडिया और भूमण्डलीकरण
2.3.07.1. भारतीय संविधान में मीडिया
2.3.07.2. प्रथम प्रेस आयोग
2.3.07.3. न्यायालय अवमानना (1971) और प्रेस
2.3.07.4. अश्लीलता
2.3.07.5. प्रसार भारती अधिनियम 1990
2.3.08. पाठ-सार
2.3.09. कठिन शब्दावली
2.3.10. बोध प्रश्न
2.3.11. व्यवहार
2.3.12. उपयोगी ग्रन्थ-सूची
2.3.13. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

2.3.01. प्रस्तावना

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद पत्रकारिता के लक्ष्यों में अचानक परिवर्तन आ गया। आजादी से पहले जो समाचार पत्र अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपना झंडा बुलंद कर रहे थे, वो सभी अचानक विद्रोह का स्वर ख़त्म कर विकास की तरफदारी में जा खड़े हुए। शत्रु का खात्मा होते ही समाचार पत्रों ने जनता के विकास के लिए सरकार से पैरोकारी करने का काम शुरू कर दिया। समाचार पत्रों के बारे में यह धारणा तैयार की गई कि वे जनता का पैरोकार और शासन के लिए आँख-नाक-कान का काम करेंगे। साल दर साल बीतते, पंचवर्षीय योजनाओं के साथ आगे बढ़ते भारतीय समाज में जैसे-जैसे बाज़ार ने प्रवेश करना शुरू किया अख़बारों और जनसंचार के अन्य माध्यमों ने भी उत्पाद का स्वरूप धारण कर लिया। नतीजन इक्कीसवीं सदी के शुरू होने के एक दशक पहले ही अख़बारों ने बाकायदा व्यापार का स्वरूप धारण कर लिया और ख़बरों को उत्पाद के रूप में समझने-समझाने का दौर शुरू कर दिया। तकनीकी विकास ने सूचना संचरण की गति को और तेज किया है और सूचनाओं के पृथक्करण की प्रक्रिया और ज्यादा स्पष्ट हो गई है। विज्ञापनों का वर्चस्व बढ़ता गया। कहीं-कहीं सूचनाओं को मनोरंजन के कलेवर में भी पेश किया जाने लगा है। इसे इन्फोटेनमेंट का नाम दिया गया है। सोशल मीडिया ने समाचारों की तमाम उन बंदिशों को भी तोड़ दिया है जिसके सहारे ख़बरों के सेंसर हो जाने का खतरा होता था। अख़बारों ने इंटरनेट पर जगह बना ली है और प्रेस का काम पूरी तरह से डिजीटल हो चुका है। ट्वीटर पर प्रेस कांफ्रेंस और समाचारों को वायरल कर अपने लक्षित समूह तक बात पहुँचाने का चलन जोर पकड़ रहा है। वैचारिक द्वन्द्व भी खुद को मजबूत करने के लिए तकनीकी का सहारा लेने पर मजबूर हो गये हैं।

2.3.02. स्वातन्त्र्योत्तर काल (1947 ई. से आज तक)

देश की स्वतन्त्रता के बाद हिन्दी समाचार-पत्रों में उत्साह की एक नयी लहर आयी। यह सम्पादकों का स्वर्णिम काल भी था, जहाँ अब वे अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त थे वहीं आर्थिक रूप से भी ज्यादा सबलथे। अब इसका लक्ष्य आर्थिक हितों को साधना भी बनने लगा था। इस दौर में हिन्दी पत्रों ने तमाम क्षेत्रों में अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण किया।

देश की आजादी के बाद भारतीय मीडिया को सही दिशा प्रदान करने एवं इसका लोकतान्त्रिक व्यवस्था में बेहतर योगदान के लिए 1952 ई. में जी.एस. राजध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1954 ई. में सौंपी। आयोग ने कहा कि देश में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के दैनिक समाचार-पत्रों की संख्या और प्रसार संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसी आयोग की सिफारिश पर समाचार-पत्रों के पंजीयक (आर.एन.आई) का गठन 1956 में किया गया। आर.एन.आई. के आँकड़े के अनुसार 1956 ई. में दैनिक समाचार-पत्रों की 29.08 लाख प्रतियाँ छपने लगी थी जो क्रमशः बढ़ते हुए 1966 ई. में 63.20 लाख, 1976 में 94.61 लाख, 1986 में 218.49 लाख, 1993 ई. में 588.04 लाख हो गई। ये आँकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि दैनिक समाचार-पत्रों ने प्रसार में तीव्र वृद्धि दर्ज की है।

2.3.03. प्रमुख हिन्दी समाचार पत्र

भारत की स्वाधीनता के पश्चात् दैनिक पत्रों के प्रकाशन एवं प्रसार संख्या में वृद्धि हुई। इस दौरान जो प्रमुख हिन्दी समाचार-पत्र निकले उनमें 'नवभारत टाइम्स' (दिल्ली, 1947), 'प्रदीप' (पटना, 1947), 'नई दुनिया' (इंदौर, 1947), 'स्वतन्त्र भारत' (लखनऊ, 1947), 'जागरण' (कानपुर, 1947), 'नवजीवन' (लखनऊ, 1947), 'सन्मार्ग' (कलकत्ता, 1948), 'नवप्रभात' (ग्वालियर, 1948), 'अमर उजाला' (आगरा, 1948), 'दैनिक जागरण' (1950), 'युगधर्म' (नागपुर, 1951), 'वीर प्रताप' (जालन्धर), 'राजदूत' (जयपुर, 1951), 'वीर अर्जुन' (दिल्ली, 1954), 'नवयुग दैनिक' (जयपुर), 'राजस्थान पत्रिका' (जयपुर, 1956), 'देशबन्धु' (रायपुर, 1956), 'भास्कर' (ग्वालियर, 1958), 'नवीन दुनिया' (जबलपुर, 1956), 'पंजाब केसरी' (जालन्धर, 1964), 'स्वदेश' (इन्दौर, ग्वालियर, 1966) आदि प्रमुख हैं। इन समाचार पत्रों ने नवयुग की चेतना का संचार किया। इसी दौरान धर्मयुग (1950), साप्ताहिक हिन्दुस्तान (1950), दिनमान (1965) जैसे कई साप्ताहिक पत्रों के अलावा हजारों पाक्षिक और मासिक पत्रिकाएँ अलग-अलग विषयों पर निकलने लगे। भारत में साहित्य, राजनीति, कृषि, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, खेल, फ़िल्म, कला, संस्कृति, धर्म आदि पर पत्रिकाओं ने अपने विचार से पाठकों को प्रेरित किया। यहाँ पर कुछ का उल्लेख करना प्रासंगिक है –

2.3.03.1. साहित्यिक पत्रिकाएँ

साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज हित के लिए ही साहित्यिक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। ये पत्रिकाएँ राजनीति के क्षुब्ध और उत्तेजित वातावरण से ऊपर उठकर पाठकों को रसास्वादन करती हैं। साहित्यिक पत्रिकाओं में भी अलग-अलग विधा पर केन्द्रित निकल रही हैं। साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रमुख हैं – हंस, आलोचना, कहानी, समकालीन भारतीय साहित्य, वागर्थ, आलोचना, सारिका आदि।

2.3.03.2. शिक्षा सम्बन्धी पत्रिकाएँ

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त तत्कालीन सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लोगों में जनजागृति लाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम चलाए। नया शिक्षक, नयी तालीम, प्रौढ़ शिक्षा, नयी शिक्षा, भारतीय विद्या, भारती आदि शिक्षा सम्बन्धी पत्रिकाएँ निकलीं।

2.3.03.3. कृषि पत्रिकाएँ

कृषि जगत् के नये अनुसन्धान को पत्रों द्वारा किसानों तक पहुँचाया गया। कृषि बीज, कीटनाशक दवाएँ, परिवार नियोजन, समाज शिक्षा से जुड़े पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले पत्रों में युवा रश्मि, खेती-किसानी, कृषि-सुधार, कृषि-दर्शन, कृषि-क्रान्ति आदि प्रमुख हैं।

2.3.03.4.स्वास्थ्य सम्बन्धी पत्रिकाएँ

आपका स्वास्थ्य, आरोग्य सन्देश, धन्वन्तरि, स्वास्थ्य जीवन आदि पत्रिकाओं ने स्वास्थ्य के विविध पहलुओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया।

2.3.03.5.सांस्कृतिक पत्रिकाएँ

कला, संस्कृति से सम्बद्ध पत्रिकाओं का प्रकाशन हिन्दी जगत् में हुआ। पुराकल्प, लोक-संस्कृति, संस्कृति, कला सुमन जैसे पत्रों ने संस्कृति की उदारता, व्यापकता और सर्वजन कल्याण की भावना को उजागर किया।

2.3.03.6.धार्मिक पत्रिकाएँ

भारत एक धर्मपरायण देश है। धार्मिक सन्देशों के प्रसारण के लिए कई पत्रिकाएँ प्रकाशित हुईं। कल्याण, अखण्ड ज्योति, अध्यात्म आदि कई पत्रिकाओं ने 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' की भावना को मुखरित किया है।

2.3.03.7.महिला सम्बन्धी पत्रिकाएँ

'आधी आबादी' आज भी शोषित व दमित हैं। स्त्रियाँ अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर संघर्ष कर रही हैं। आजादी के उपरान्त स्त्री विमर्श के लिए कई पत्रिकाएँ निकली। इनमें प्रमुख हैं – उषा, मनोरमा, वामा, गृहशोभा, स्त्रीकाल आदि।

2.3.04. हिन्दी समाचार पत्र और राजनीति

हिन्दी पत्रकारिता पर राजनीति के साथ-साथ धीरे-धीरे व्यावसायिकता ने भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया जिसका परिणाम हुआ कि राजनैतिक ख़बरों की प्रधानता के साथ ही सनसनीखेज ख़बरों के चयन का प्रचलन बढ़ने लगा और यह बड़े शहरों तक ही सीमित होने लगा। "इस काल की पत्रकारिता के आर्थिक चरित्र में झाँकना भी उपयोगी रहेगा। नयी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख दैनिक 'नवभारत टाइम्स' और दैनिक 'हिन्दुस्तान' मूलतः एकाधिकारवादी पूँजी 'मोनापोली कैपिटल' के ही हिस्से थे। नवभारत टाइम्स का सम्बन्ध टाइम्स ग्रुप यानी डालमिया एवं शान्तिप्रसाद जैन के घराने से था जबकि देश के प्रमुख उद्योगपति बिड़ला परिवार द्वारा नियन्त्रित हिन्दुस्तान टाइम्स का प्रकाशन दैनिक हिन्दुस्तान था। यद्यपि ये दोनों हिन्दी दैनिक बड़ी पूँजी का प्रतिनिधित्व करते थे लेकिन मैं इन्हें अंग्रेजी दैनिकों का 'उपांग' (अपेंडेज) के रूप में ही देखता हूँ।"[1] ग्रामीण क्षेत्रों की खबरें धीरे-धीरे कम होने लगी। "गाँव में जो सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं, दलित चेतना उत्पन्न हो रही है, या जातीय संघर्ष चल रहा है उसके बारे में ठीक से खबरें नहीं छपतीं। यह सब हिन्दी पत्रकारिता में बड़ी पूँजी के प्रवेश का परिणाम था कि अख़बार उसी तरह की खबरें देने लगे जो उनके पाठक समुदाय से जुड़ी थीं। चूँकि गाँव या

दूरदराज के क्षेत्रों में अभी वह पाठक वर्ग नहीं बना था और और न ही अभी उस क्षेत्र में बाज़ार बनने की सम्भावना थी ताकि वहाँ से विज्ञापन समाचार-पत्र उद्योग को मिल सके। साक्षरता का अभाव होने के कारण अख़बारों की पाठक व प्रसार संख्या अभी शहरों व कस्बों तक सीमित थी और वहीं की खबरें भी उनमें स्थान पाती थीं।"[2]

लेकिन इस दौर में भी अनेक सम्पादकों एवं पत्रकारों ने पत्रकारिता की गरिमा के अनुरूप कार्य किया और विरोध के स्वर को जिन्दा रखा। इनमें राजेन्द्र माथुर, प्रभाष जोशी, गिरधर राठी, कमलेश शुक्ल आदि को शामिल किया जाता है। आपातकाल के बाद बनी जनता पार्टी सरकार के समय कुछ पत्रकारों ने सरकार का साथ दिया और बदले में अनेक प्रकार के लाभ उठाए। आपातकाल के दौरान हिन्दी की क्षेत्रीय पत्रकारिता का तीव्र गति से विस्तार हुआ और इनके प्रसार की व्यापक सम्भावना थी। इसी दौरान हिन्दी में राजनैतिक विश्लेषणों की प्रधानता वाली साप्ताहिकों का भी तेजी से प्रसार बढ़ा। 'रविवार' इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

2.3.05. हिन्दी समाचार पत्र और एकाधिकार

1980 ई. के बाद हिन्दी समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापनों के साथ-साथ निजी कम्पनियों से भी विज्ञापन मिलने लगे क्योंकि सरकार ने अर्थव्यवस्था को निजी क्षेत्र के लिए खोलना प्रारम्भ कर दिया था। बाज़ार के विस्तार की इस सम्भावना को व्यावसायिक अवसर के रूप में देखते हुए हिन्दी समाचार पत्रों का व्यापक विस्तार होने के साथ ही इसकी व्यवस्था में प्रबन्धन का महत्त्व बढ़ने लगा और मशीनों का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाने लगा ताकि प्रसार संख्या के अनुरूप उत्पादन किया जा सके। हिन्दी अख़बारों के नये संस्करण भी प्रकाशित होने लगे। "पत्रकारिता के विस्तार के लिए पूँजी और संसाधनों की ज़रूरत ने पूँजीपति और सरकार के बीच के सम्बन्धों का स्वरूप बदल दिया। दोनों वर्गों ने एक-दूसरे को उपकृत करने की ठान ली। राजीव गाँधी के शासनकाल में मालिकों ने व्यावसायिकता के नाम पर सरकार से छूट लेने की हर सम्भव कोशिश की। इसके लिए वे सरकारी तन्त्र पर अधिकाधिक निर्भर होते चले गये। इसके साथ पत्रकारों के फिसलन की शुरुआत भी होती है।"[3] तत्कालीन सरकार द्वारा नीतियों में किये जाने वाले बदलावों के कारण देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ने लगी। हालाँकि यह जुड़ाव सीमित क्षेत्रों से ही प्रारम्भ हुआ था। हिन्दी समाचार पत्रों ने भी अपने को इस स्थिति के अनुरूप तैयार किया और राजनीति में क्षेत्रीयता का प्रभाव बढ़ने के कारण इसने अंग्रेजी के समाचार पत्रों को पीछे छोड़ दिया। यह वस्तुतः एक ऐसा बदलाव था जिसने हिन्दी पत्रकारिता की भविष्य को स्पष्ट कर दिया। यहाँ से हिन्दी समाचार पत्रों ने तो आज तक यह बढ़त बनाए रखी है। हिन्दी अख़बारों ने खुले व्यापार की सम्भावनाओं को देखकर आए बहुराष्ट्रीय निगमों और बड़ी कम्पनियों की आवश्यकताओं के अनुरूप जिसमें वे शहरों के अतिरिक्त कस्बों में भी अपना बाज़ार विस्तार करना चाहते थे, के लिए अख़बारों को कस्बों और गाँवों तक पहुँचाना शुरू किया। इस समय भारत के कस्बों और गाँवों में एक ऐसा शिक्षित वर्ग उभर रहा था जो न केवल शिक्षित था बल्कि सम्पन्न भी था और उपभोक्ता बनने की चाहत भी रखता था। विदेशी वस्तुओं और सेवाओं के प्रति इस वर्ग में विशेष लालसा थी। भूमण्डलीकरण ने उन्हें यह अवसर दिया और समाचार पत्रों ने उन्हें जानकारियाँ दी। यह वर्ग बड़ी कम्पनियों के उत्पाद एवं अख़बारों के विस्तार के लिए भी अनुकूल था। क्षेत्रीय दैनिक जिनकी प्रसार संख्या पहले सीमित थी एवं जो आवश्यक वस्तुओं के विज्ञापन ही देते

थे, का स्थान उपभोक्ता वस्तुओं के विज्ञापनों ने ले लिया और अब टी.वी., फ्रिज, मोटरसाइकिल आदि के विज्ञापन राष्ट्रीय अख़बारों के साथ-साथ क्षेत्रीय अख़बारों में भी आने लगे। हिन्दी के अख़बारों ने इन विज्ञापनों को घरों तक पहुँचाने का कार्य किया और इससे उसने अपनी प्रसार संख्या बढ़ाने के साथ ही लाभ को भी बढ़ाया। विज्ञापनों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाचार पत्रों ने अपने को आधुनिक बनाया ताकि रंगीन विज्ञापन प्रकाशित किये जा सके जो अधिक आकर्षक एवं अधिक प्रभावी था।

2.3.05.1. हिन्दी पत्रकारिता और डिजिटल माध्यम

तकनीकी विकास के साथ-साथ जनसंचार माध्यमों यथा हिन्दी पत्रकारिता के रुख़ में तेजी से परिवर्तन देखने को मिला है। तकनीकी के विस्तार से हिन्दी पत्रकारिता के विस्तार में मदद मिली है। हिन्दी समाचार चैनल, समाचार पत्रों के साथ-साथ हिन्दी में समाचार वेबसाइट के कारण हिन्दी पत्रकारिता का दायरा बढ़ा है। हिन्दी पत्रकारिता को व्यावसायिक कलेवर में ढाला जा चुका है वहीं तमाम समानान्तर माध्यम भी कार्य कर रहे हैं जो व्यावसायिकता से अभी तक परे हैं। यह समय के साथ लगातार विकसित हो रहा है। तकनीकी के कारण सूचनाओं पर लगने वाली बंदिशें कम हुई हैं और लोगों तक अबाध सूचना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन सबके चलते हिन्दी पत्रकारिता ने नये दौर में भी प्रवेश किया है। मौजूदा दौर सूचनाओं में सत्यता और विश्वसनीयता की परख के रूप में देखा जा रहा है आने वाले दिनों में इसमें और भी पैनापन आने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है।

2.3.05.2. श्रव्य माध्यम – आकाशवाणी (रेडियो) की विकास-यात्रा

नवंबर 1923 में कलकत्ता स्थित रेडियो क्लब ऑफ बंगाल को अस्थायी तौर पर रेडियो प्रसारण की अनुमति दे दी गई। अगले वर्ष जून 1924 में बॉम्बे रेडियो क्लब ने भी अपना प्रसारण शुरू किया। इसके चंद दिनों बाद मद्रास में 31 जुलाई को रेडियो प्रसारण की औपचारिक शुरुआत हुई। 20 मार्च 1925 को उद्योग एवं श्रम विभाग द्वारा शिमला के मैटकैफ हाऊस में आयोजित बैठक में हुए निर्णय के बाद समिति द्वारा 'ब्रॉडकास्टिंग इन ब्रिटिश इंडिया' नाम से एक नोट जारी कर सिफारिश की गई कि रेडियो प्रसारण के लिए कंपनी को दस साल के लिए लाइसेंस दिया जाए। 31 मार्च 1926 को रेडियो प्रसारण के लिए एक अलग कंपनी (इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी) का कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकरण करवाया गया। इसी वर्ष 13 सितम्बर को रेडियो प्रसारण के समझौते पर कंपनी ने सरकार के साथ हस्ताक्षर किये। 23 जुलाई 1927 को सन्ध्या 6 बजे लार्ड इरविन ने बंबई स्टेशन का उद्घाटन किया। 1 अप्रैल 1930 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का नाम बदलकर इंडियन स्टेट्स ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (आई.एस.बी.एस.) कर दिया गया। मई 1932 में सरकार ने इंडियन स्टेट्स ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को सरकारी प्रबन्धन के तहत चलाने का निर्णय लिया। 30 अगस्त 1935 को बी.बी.सी. से आए लियोनल फिल्डन ने देश के पहले प्रसारण नियन्त्रक का पदभार सँभाला।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त सरदार पटेल देश के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। सरकार ने आकाशवाणी के चहुँमुखी विकास की बृहत् योजना बनायी। "इसे 'पायलेट प्रोजेक्ट' के नाम से जाना जाता है।

देश के सभी हिस्सों में रेडियो स्टेशन और स्टूडियो स्थापित करने की योजना बनाई गई। सबसे पहले जालन्धर में 1 नवंबर 1947 को रेडियो स्टेशन खोला गया; क्योंकि पंजाब में बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आना जारी था और उनकी व्यवस्था के लिए रेडियो सही सूचनाओं को प्रसारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। एक महीने बाद ही 1 दिसंबर 1947 को जम्मू में रेडियो स्टेशन ने काम करना आरम्भ कर दिया। अगले साल पटना, कटक, गुवाहाटी, नागपुर, विजयवाड़ा, श्रीनगर में एक के बाद एक नये रेडियो स्टेशन खोले गये। सन् 1949 में इलाहाबाद और अहमदाबाद में रेडियो स्टेशनों ने काम करना प्रारम्भ कर दिया तो 1950 में धारवाड़ और कोझीकोड में रेडियो स्टेशन खोले गये।"[4] रेडियो जनमानस के लिए मनोरंजन का एक प्रमुख जरिया बन चुकी थी। रेडियो सीलोन की लोकप्रियता का मुकाबला करने के लिए 3 अक्टूबर 1957 को आकाशवाणी ने अपनी 'विविध भारती' सेवा प्रारम्भ की। सन् 1956 में यूनेस्को ने भारत को अपने रेडियो रूरल फोरम्स प्रोजेक्ट के लिए चुना। इस प्रोजेक्ट के तहत पुणे के 144 गाँवों को चुनकर रेडियो रूरल फोरम बनाए गये और आकाशवाणी द्वारा कार्यक्रम प्रसारित करने के बाद वहाँ ग्रामीणों के साथ वार्तालाप किया गया। "इस परियोजना का नारा था – सुनो, चर्चा करो और उसके बाद उसे लागू करो।"[5] रेडियो के विकास के लिए 4 दिसंबर 1964 को गठित चन्दा कमिटी ने 18 अप्रैल 1966 को अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा कि अगर आकाशवाणी का विकास अधिक व्यावसायिक ढंग से करना है तो इसे एक स्वायत्त निगम के हवाले कर देना चाहिए। आकाशवाणी और दूरदर्शन को अलग-अलग कर दिया जाए। विज्ञान और कृषि से जुड़े कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए। चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) के दौरान 1967 ई. में आकाशवाणी ने व्यावसायिक सेवा आरम्भ की। अब विविध भारती सेवा के प्रसारण में विज्ञापन प्रसारित किये जाने लगे। "सन् 1967 में स्थानीय केन्द्रों के लिए नौ बिन्दुओं की एक प्रसारण आचार संहिता उस समय बनाई गई जब कलकत्ता के आकाशवाणी केन्द्र पर वामपंथी साझा सरकार के श्रममंत्री सुबोध बनर्जी के प्रसारित किये जाने वाले एक भाषण पर केन्द्र निदेशक पी. सी. चटर्जी ने आपत्ति उठाई। इस विवाद के बाद संसद में स्थानीय केन्द्रों के लिए एक आचार संहिता बनाई गई।"[6]

आपातकाल के दौरान सरकारी माध्यमों की स्वायत्तता का मुद्दा जोर-शोर से उठा। आपातकाल के हटते ही जनता पार्टी की सरकार ने 17 अगस्त 1977 को हिन्दुस्तान टाइम्स के पूर्व सम्पादक बी.जी. वर्गीज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने 24 फरवरी 1978 को अपनी रिपोर्ट में 'आकाश भारती' राष्ट्रीय प्रसारण न्यास बनाना, शैक्षणिक चैनल खोलने के लिए निजी कम्पनियों को आमन्त्रित करने आदि का सुझाव दिया। सरकार ने 1976 में चन्दा कमिटी की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए आकाशवाणी से दूरदर्शन को अलग कर दिया। सन् 1977 में देश में पहला एफ.एम. प्रसारण मद्रास से आरम्भ हुआ। 15 अगस्त 1993 से दिल्ली और मुम्बई में निजी रेडियो चैनल खोला। 1994 ई. में आकाशवाणी की उपग्रह सेवा स्काई रेडियो आरम्भ की गई तथा 1995 ई. में रेडियो पेजिंग की शुरुआत हुई। 1996 ई. में आकाशवाणी के कार्यक्रम इंटरनेट पर उपलब्ध होने लगे। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती अधिनियम लागू होने के बाद आकाशवाणी को प्रसार भारती निगम के अन्तर्गत लाया गया। "अप्रैल 1998 में आकाशवाणी द्वारा निजी निर्माताओं से कार्यक्रम बनवाने पर रोक लगा दी। इसके बाद एक बार फिर सारे कार्यक्रम आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा ही बनाए जाने लगे लेकिन इस बार निजी एफ.एम. चैनलों को अनुमति देने पर सरकार ने गम्भीरता से विचार किया और सन् 1999 में अन्ततः

केन्द्र सरकार ने नीतिगत निर्णय लेते हुए एफ.एम. तरंगों को निजी कम्पनियों के लिए खोल दिया क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सन् 1995 में अपने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में रेडियो तरंगों को सार्वजनिक सम्पत्ति घोषित किया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल मामले में फैसला देते हुए न्यायालय ने रेडियो तरंगों पर सरकार के एकाधिकार को सही नहीं बताया था। न्यायालय ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चत करना चाहिए कि रेडियो तरंगों का जनहित में व्यापक इस्तेमाल किया जाए ताकि देश में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का सही उपयोग हो सके।"[7] सन् 2003 में आकाशवाणी ने दिल्ली के एफ.एम.-1 को एफ.एम. 'गोल्ड' और एफ.एम.-2 को एफ.एम. 'रेनबो' नाम दे दिया। अब गोल्ड पर पुराने फ़िल्मी गीत तथा रेनबो पर नये व अंग्रेजी गाने भी प्रसारित होने लगे। रेडियो के सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि जहाँ सामुदायिक रेडियो से समाज के विकास की संकल्पना को साकार होते हम देख पा रहे हैं वहीं नये, पुराने गीत, रेडियो जॉकी तथा घण्टे-घण्टे समाचार से यह आम दिलों पर राज कर रहा है।

2.3.05.2.1. दृश्य-श्रव्य माध्यम (टेलीविजन) का विकास

दूर-दर्शन (Television) आज हमारे जीवन का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जब हम 'दूर-दर्शन' लिखते हैं तो हमारा आशय Television या T.V. से होता है लेकिन जब हम 'दूरदर्शन' लिखते हैं तो इसका अर्थ है – भारत का सरकारी टेलीविजन केन्द्र और चैनल, जिसे अंग्रेजी में Doordarshan के रूप में जाना जाता है। टेलीविजन ग्रीक एवं लैटिन भाषा से लिया गया एक संयुक्त शब्दहै। टेली ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है, 'दूरी' और विजन लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है, 'देखना'। टेलीविजन दर्शकों को सुदूरवर्ती स्थानों पर घटने वाली घटनाओं का प्रत्यक्षदर्शी गवाह बनने में मदद करता है। सन् 1925 में जे.एल. बेयर्ड ने ब्रिटेन में टेलीविजन का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था। यूनेस्को ने टेलीविजन प्रसारण आरम्भ करने के लिए भारत के सामने मदद का प्रस्ताव दिया। सरकार दूरदर्शन केन्द्र लगाने में आर्थिक स्थिति के कारण पशोपेश में थी। इसी दौरान 1957 ई. में दिल्ली के प्रगति मैदान में औद्योगिक व्यापार मेला लगा। इधर फिलिप्स कंपनी औद्योगिक व्यापार मेले में अपने साथ लाए टेलीविजन उपकरण को बेचने का प्रस्ताव सरकार को दिया। "टेलीविजन ट्रांसमीटर इत्यादि खरीदने के लिए 40 लाख रुपये की राशि का प्रावधान कर दिया गया।" आकाशवाणी भवन में अप्रैल 1958 में प्रयोग के रूप में टेलीविजन ट्रांसमीटर लगाए गए।

2.3.05.2.2. टेलीविजन का आरम्भिक काल (1959 ई. से 1974 ई. तक)

15 सितंबर 1959 को राजधानी दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट में आकाशवाणी भवन से देश का पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर काम करना शुरू किया। दूरदर्शन नामक इस टेलीविजन सेवा का उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद ने किया। करीब 25 किमी की रेंज के इस ट्रांसमीटर से सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शुक्रवार को कुल 60 मिनट के कार्यक्रम प्रसारित किये जाते थे जिसमें 40 मिनट सूचनात्मक तथा 20 मिनट मनोरंजनात्मक कार्यक्रम होते थे। 'सोशल एजुकेशन प्रोजेक्ट' के तहत प्रायोगिक प्रसारण के रूप में ये कार्यक्रम आस-पास के क्षेत्र के 21 सामुदायिक टेलीविजन सेटों पर देखे जाते थे। "सन् 1961 में दूरदर्शन की प्रायोगिक

सेवा को नियमित करके पी. वी. कृष्णामूर्ति को इसका पहला निदेशक बनाया गया। इसी दौरान जनवरी से मार्च 1960 के दौरान प्रायोगिक रूप में टेलीविजन पर शाम को 3 से 4 बजे तक स्कूली बच्चों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किये गये। बच्चे नियमित टेलीविजन देख पाएँ, इसके लिए दिल्ली सरकार ने स्कूलों से बच्चों को टेली-क्लबों तक लाने की व्यवस्था कर दी।"[8] इसके विस्तार स्वरूप 23 अक्टूबर 1961 को आकाशवाणी ने अमेरिका के फोर्ड फाऊंडेशन के साथ एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसके अन्तर्गत चार साल तक दिल्ली के स्कूलों में शैक्षणिक प्रसारण किया जाना था। समझौते के अनुसार अमेरिका के विशेषज्ञ भारत आए और दिल्ली के माध्यमिक स्कूलों में 600 टेलीविजन सेट स्थापित किये गये। बाद में ट्रांसमीटर की प्रसारण क्षमता को भी बढ़ाकर 5 किलोवाट कर दिया गया। 15 अगस्त 1965 को भारतीय टेलीविजन पर रोजाना समाचार बुलेटिन की शुरुआत हुई। उस समय टेलीविजन आकाशवाणी का एक अंग था। जाहिर है कि टेलीविजन समाचार भी आकाशवाणी की समाचार इकाई पर पूरी तरह निर्भर था। समाचारों में स्थिर चित्रों को दिखाया जाता था। सन् 1960 ई. का दशक भारत में हरित क्रान्ति का दौर था। हरित क्रान्ति के जनक डॉ० एम. एस. स्वामीनाथन् और सुविख्यात वैज्ञानिक डॉ० विक्रम साराभाई की पहल पर 26 जनवरी 1967 से 'कृषि दर्शन' का प्रसारण शुरू किया गया। सप्ताह के बुधवार व शुक्रवार के 20 मिनट के कार्यक्रम में किसानों को नये खाद, बीज और उत्तम खेती के बारे में बताकर जनजाग्रति फैलाई जाने लगी।

2.3.05.2.3. प्रयोग के वर्ष (1975-1981)

सन् 1975 भारतीय टेलीविजन के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि इसी साल भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार उपग्रह प्रसारण शुरू किया। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरीमेंट (SITE) नामक इस परियोजना के तहत अमेरिकी सैटेलाइट ATS-6 को एक साल के लिए किराए पर लिया गया। प्रायोगिक तौर पर देश के छह राज्यों (बिहार, उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक) के 2400 सबसे पिछड़े गाँवों में उपग्रह के ज़रिये एक साल (1 अगस्त 1975 से 31 जुलाई 1976) का प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, कृषि, परिवार नियोजन, राष्ट्रीय एकता, संस्कृति आदि के मसलों पर ज्ञानात्मक जानकारियाँ दी जाने लगी। ये कार्यक्रम हिन्दी, उड़िया, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में प्रसारित किये जाते थे। रोजाना चार घण्टे के कार्यक्रम में सुबह 90 मिनट शैक्षणिक और शाम को 150 मिनट अन्य विषयों पर प्रसारण होता था। साइट के कार्यक्रम समाज को दिशा देने में महती भूमिका अदा की।

1 जनवरी 1976 को दूरदर्शन पर पहली बार विज्ञापनों का प्रसारण शुरू हुआ। इसी वर्ष 1अप्रैल को दूर्शन को आकाशवाणी से अलग कर दिया गया। "इस दिन को विशिष्ट बनाने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने देश के नाम सन्देश भी दिया। यह विशेष प्रसारण साइट परियोजना के 2400 गाँवों में भी उपग्रह के ज़रिये प्रसारित किया गया। अलग होने के बाद दूरदर्शन के पहले महानिदेशक पी.वी. कृष्णमूर्ति बनाए गये और दिल्ली के मण्डी हाऊस में दूरदर्शन का मुख्य कार्यालय बनाया गया। दूरदर्शन का अपना मोनोग्राम और संकेतधुन भी बनाई गई।"[9]

1980 के दशक में दूरदर्शन के विकास में चार चाँद लगा। 10 अप्रैल 1982 को अमेरिका के केप कैनेडी से देश का पहला संचार सैटेलाइट इनसेट 1-ए छोड़ा गया लेकिन यह उपग्रह अधिक दिनों तक काम नहीं कर पाया लेकिन इसी वर्ष 30 अगस्त को एक और उपग्रह इनसेट-1 बी छोड़ा गया तदुपरान्त देशभर के टेलीविजन केन्द्रों को उपग्रह से जोड़ दिया गया। सन् 1982 में 19 नवंबर से 4 दिसंबर को हुए एशियाई खेलों का मनोरंजन दूरदर्शन के माध्यम से भारत सहित अन्य देशों के दर्शकों ने उठाया। स्वतन्त्रता दिवस 15 अगस्त 1982 के दिन लाल किले पर ध्वजारोहण के सीधे प्रसारण के साथ दूरदर्शन ने अपना रंगीन प्रसारण की शुरुआत की। संचार माध्यमों द्वारा विकसित राष्ट्रों के कार्यक्रमों को अधिकाधिक दिखाने के कारण पिछड़े देशों में सांस्कृतिक पहचान का संकट पैदा होने लगा था तो इसी दौरान वैश्विक मीडिया परिदृश्य में बनाए गये मैकब्राइड कमीशन की तर्ज पर भारत में मार्च 1983 में पी.सी. जोशी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने 2 अप्रैल 1984 को अपनी रिपोर्ट (An Indian Personality for Television Report of the Working Group on Software for Doordarshan) में दूरदर्शन के कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए विस्तृत सुझाव दिया। जोशी कमेटी के नाम से इस समिति ने भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप देशज कार्यक्रम बनाने पर बल दिया। खास देशज संस्कृति पर केन्द्रित कार्यक्रम बनने लगे। 15 जुलाई 1984 को देश का पहला प्रायोजित धारावाहिक 'हमलोग' शुरू किया गया। हमलोग की सफलता के बाद तमस, बुनियाद, खानदान, कक्काजी कहिन, भारत एक खोज जैसे धारावाहिकों के प्रसारण से दूरदर्शन की लोकप्रियता बढ़ी। राजीव गाँधी के प्रधानमंत्री बनते ही समाज के विकास के लिए दूरदर्शन को अनिवार्य अंग माना। यही कारण है कि सन् 1987 में रामानन्द सागर द्वारा निर्मित 'रामायण', 1988 में बी.आर. चोपड़ा द्वारा बनाए गये 'महाभारत' और श्याम बेनेगल द्वारा बनाई गई 'भारत एक खोज' जैसे बड़े धारावाहिकों को राजीव गाँधी के निजी रुचि के फलस्वरूप हम देख पाए। सन् 1984 में डी.डी.-2 नाम से दूरदर्शन का दूसरा चैनल शुरू किया गया। इसी वर्ष शैक्षणिक प्रसार के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कंट्रीवाइड क्लास रूम का प्रसारण शुरू किया। 1987 ई. में 'रामायण' धारावाहिक को दूरदर्शन पर दिखाये जाने से अपनी लोकप्रियता के सारे रिकार्ड तोड़ दिए। इसके बाद 'महाभारत' के प्रसारण को भी लोगों ने खूब सराहा। कहा जाता है कि 'रामायण' और 'महाभारत' जैसे धारावाहिकों ने टी.वी. को घर-घर पहुँचा दिया।

1990 के दशक में खासकर जब भूमण्डलीकरण का दौर शुरू हो रहा था। बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने उत्पादों को ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए टी.वी. विज्ञापनों को एक अच्छा माध्यम समझने लगी तो ऐसे ही दौर में सन् 1992 में देश का पहला निजी टेलीविजन चैनल जी टी.वी. को हरियाणा के उद्योगपति सुभाषचन्द्र ने शुरू किया। अब चौबीसों घण्टे समाचार, मनोरंजन के चैनलों की भरमार हो गई है।

2.3.06. वैकल्पिक मीडिया के रूप में इंटरनेट

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिस नवीनतम माध्यम ने क्रान्ति उपस्थित की है, वह है 'इंटरनेट'। आज इंटरनेट ग्लोबल है, इसके सभी विधा रूप ग्लोबल हैं। इसकी तेज गति इसे अन्य माध्यमों से गुणात्मक तौर पर अलग करती है। यह दुनिया को वैश्विक ग्राम का वासी होने का अवसर मुहैया कराता है। कोई भी इंटरनेट प्रयोगकर्त्ता यह कह सकता है कि अब तक जितने माध्यम विकसित हुए हैं उनमें इंटरनेट सबसे ज्यादा ताकतवर है।

वस्तुतः यह हाई-टेक का पर्याय है और सूचना क्रान्ति का संवाहक भी। अब तक ईजाद हुए माध्यमों में यह एक माध्यम नहीं है बल्कि माध्यमों का पितामह है। यह अपने आप में स्वतन्त्र कोई आविष्कार नहीं है बल्कि यह कंप्यूटर और टेलीफोन से मिलाकर किया गया एक अभिनव प्रयोग के तौर पर सूचनाओं को बड़ी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाने की युक्ति है। "इसे कुछ लोग वर्ल्ड वाइड वेब यानी विश्वव्यापी तरंग कहते हैं किन्तु इंटरनेट विशेषज्ञ इस नाम से सहमत नहीं हैं। वे इसके कई और भी नाम देते हैं, जैसे – साइबर स्पेस, सुपर हाइवे, इन्फोर्मेशन सुपर हाइवे, द नेट या ऑन-लाइन आदि।"[10] नये माध्यम के रूप में लोग ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक, ह्वाट्सएप आदि माध्यमों के द्वारा अपनी सूचनाओं का प्रसार कर रहे हैं।

2.3.06.1. वैकल्पिक मीडिया के रूप में इंटरनेट का इतिहास

1990 के दशक में इंटरनेट की तेजी से प्रगति हुई। इसके विकास पर नज़र डालें तो हम पाते हैं कि अमेरिका के पेंटागन एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी (ए.आर.पी.ए) ने 1969 में एआरपीएनेट के रूप में इसकी शुरुआत की थी। इसका मूल उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में फैली सैनिक छावनियों के बीच आपसी सम्पर्क स्थापित करना था। आपसी संवाद के लिए एआरपीएनेट कम्प्यूटरों को आपस में जोड़ने और डेटा भेजने हेतु विकसित की गई प्रक्रिया को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकोल / इंटरनेट प्रोटोकोल (टीपीसी / आई.पी.) कहा गया। "अमेरिका में सैनिक मुख्यालयों में कार्यरत वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने इस एआरपीएनेट का उपयोग रक्षा सम्बन्धी सूचनाओं के आदान-प्रदान करने के लिए भी करना शुरू किया। इसके अगले कथन के रूप में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मेल का तरीका भी विकसित किया जिसे 'ई-मेल' की संज्ञा दी गई।"[11] इंटरनेट की उपयोगिता को देखते हुए करीब दस वर्षों के उपरान्त 1979 ई. में एक शैक्षणिक नेटवर्क 'यूजनेट न्यूज' के रूप में इसका पहला सार्वजनिक विस्तार हुआ। इंटरनेट की लोकप्रियता के कारण यह अब सरकारी नियन्त्रण से बाहर आकर आम जनता के लिए सुलभ हो गया है। भारत में इसकी शुरुआत सर्वप्रथम सैनिक अनुसन्धान नेटवर्क (ईआर नेट) ने रक्षा और अनुसन्धान क्षेत्रों के लिए उसका उपयोग शुरू किया। यह ईआरनेट भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग तथा यूनाईटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक संयुक्त उपक्रम था। इसके उपरान्त संचार के माध्यम के रूप में एक बूम आयी और लोग इसको पसन्द करने लगे। इंटरनेट के उपयोग के मुख्य पाँच क्षेत्र हैं, यथा – ई-मेल, बातचीत (चैटिंग), ई-बैंकिंग, ई-कामर्स, ई-प्रशासन आदि। आज इंटरनेट पर अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बना है, 'ब्लॉग'। जहाँ कि कोई सम्पादकीय कैंची नहीं चलती, अपने मन की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इंटरनेट स्वभावतः सामाजिक है। यह प्रत्येक को समान अवसर देता है। इसका साझा क्षेत्र है सार्वजनिक स्थान। अन्ना आन्दोलन हो या मिश्र में हुए जनान्दोलन में इंटरनेट के सोशल मीडिया नेटवर्कों की अहम भूमिका रही है। इंटरनेट ने प्रिंट समर्थित एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ऐसे में कहा जा सकता है कि मौजूदा दौर मीडिया का नहीं बल्कि साइबर मीडिया का है।

2.3.07. मीडिया और भूमण्डलीकरण

भूमण्डलीकरण के बाद के दो दशकों में भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में व्यापक बदलाव आ चुका है। भारतीय मीडिया तो इससे व्यापक स्तर पर प्रभावित हुई है। यह प्रभाव उसके ढाँचागत स्तर से लेकर समाचारों के चयन, प्रस्तुतीकरण तक में देखने को मिल रहा है। इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के बढ़ते प्रभाव के बावजूद समाचार-पत्रों का महत्त्व बढ़ा है। अब हिन्दी के अख़बार पूँजी, तकनीक, प्रस्तुतीकरण, प्रसार और कलेवर की दृष्टि से ज्यादा सम्पन्न हुए हैं। व्यावसायिकता के बढ़ते प्रभाव ने इसे पूर्णतः व्यवसाय में तब्दील कर दिया है। सरकार भी इसे व्यवसाय ही मानने लगी है और इसमें पूँजी लगाने वाले भी इसे तीव्र गति से विकसित होने वाला एवं बेहद लाभकारी व्यवसाय मानने लगे हैं। कॉरपोरेटीकरण का हावी होना इसे एक शुद्ध उत्पाद के रूप में बदल चुका है लेकिन इस उत्पाद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अपने लागत मूल्य से कम लागत में बिकता है। लागत और कम मूल्य के इस अन्तर को विज्ञापनों द्वारा पूरा किया जाता है। विज्ञापनों पर समाचार-पत्रों की निर्भरता इस हद तक है कि बिना विज्ञापन के अख़बार निकालना लगभग असम्भव माना जाता है। ये विज्ञापन भूमण्डलीकरण के विस्तार में मीडिया के महत्त्व को स्थापित करता है क्योंकि ये विज्ञापन ही बाज़ारवादी व्यवस्था के वाहक का कार्य करते हैं। समाचार-पत्रों के प्रकाशन लागत में वृद्धि ने विज्ञापनों की महत्ता और बढ़ा दी है। इस प्रतिस्पर्धी वातावरण में हिन्दी अख़बारों ने अपने को मजबूती के साथ स्थापित किया है। "व्यापार और उद्योग का प्रबन्धन व व्यावसायिक कौशल हिन्दी पत्रकारिता में बखूबी लागू किया जा रहा है। जाहिर है वैश्वीकरण में पुरानी पद्धति अपनाकर होड़ में पीछे रहने का खतरा कोई नहीं उठाना चाहता। निस्सन्देह आज हिन्दी अख़बार प्रतिस्पर्धी हुए हैं। वे विज्ञापन और विक्रय के गणित से चलने लगे हैं। वे किसी एक विचार की ओर बहुत देर झुकने की जगह फ्री मार्केट में अपने पाठक बनाने के लिए इनामी योजनाएँ तक चलाने लगे हैं। जितने पाठक, उतने उपभोक्ता, उतने विज्ञापन, जितने विज्ञापन, उतनी आमदनी। बाज़ार का ये नियम हिन्दी अख़बारों और चैनलों ने भी अपना लिया है। बाज़ारवादी व्यवस्था का नियम है कि कोई भी उत्पाद लम्बे समय तक बाज़ार में तभी टिक सकता है जब तक उसमें मुनाफे की सम्भावना बनी रहती है। मुनाफा ख़त्म होने पर उत्पाद बाज़ार से बाहर हो जाता है।"[12] इस सिद्धान्त को अपनाने के बाद अब हिन्दी अख़बारों के प्रसार संख्या को किसी भी भाषा का अख़बार टक्कर देने की स्थिति में नहीं है।

भूमण्डलीकरण के इस दौर में बाज़ार के नियमों के अनुसार ही समाचार पत्रों को ढलना पड़ा है। अब सम्पादक की महत्ता कम हो गई है और प्रबन्ध सम्पादक जो कि सीधे प्रबन्धन की पढ़ाई करके आता है और जिसका पत्रकारिता या सामाजिक सरोकारों से कोई लेना-देना नहीं होता है, अख़बार का नियन्ता बन चुका है। ये मुख्यतः अमेरिकी-यूरोपीय व्यावसायिकता से प्रभावित होते हैं और उसी के अनुरूप भारतीय अख़बारों को भी बनाने के लिए आतुर दिखते हैं। यह पीढ़ी पत्रकारिता को व्यवसाय और अख़बार को उत्पाद मानकर चलती है। इन्हें इसे अधिक से अधिक मात्रा में बेचने और उससे लाभ हासिल करने में किसी भी प्रकार के हथकंडे अपनाने से कोई गुरेज नहीं है।

2.3.07.1. भारतीय संविधान में मीडिया

प्रेस लोकतन्त्र का चौथा स्तम्भ है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान के लागू होते ही भारत एक सार्वभौम पूर्णसत्ता सम्पन्न गणराज्य बन गया। श्रेष्ठतम भावनाओं पर आधारित भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व और न्याय का लिखित आश्वासन दिया और इसी के साथ आम जनता को मिला 'अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार'।

भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतन्त्रता का अलग से ज़िक्र नहीं किया गया है परन्तु रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य और ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य के मामले में यह निर्धारित कर दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 19 1.(क) में उल्लिखित अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में प्रेस की स्वतन्त्रता भी शामिल है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जहाँ अमेरिका के संविधान में वाक् और प्रेस की स्वतन्त्रता का उल्लेख किया गया है वहीं भारतीय संविधान में वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का उल्लेख है। वस्तुतः 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के भाग-3, अनुच्छेद 12 से 35 में छह मूल अधिकारों की चर्चा की गई है जिसमें 18 से 22 तक में स्वतन्त्रता के अधिकारों का उल्लेख है। इस मूल अधिकार में बोलने व विचार करने की स्वतन्त्रता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। 19 वें अनुच्छेद में छह प्रकार के अधिकारों का वर्णन है, यथा – अनुच्छेद 19-क. अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता (Freedom of Speech and Expression), संगठन बनाने की स्वतन्त्रता (Freedom to form Association), हथियारों के बिना शान्तिपूर्वक एकत्रित होने की स्वतन्त्रता (Freedom of assembly peaceably and without arms), देश के भीतर निर्बाध कहीं भी आने-जाने की स्वतन्त्रता (Freedom to move), देश के भीतर कहीं भी निवास करने की स्वतन्त्रता (Freedom to reside and settle in any part of country), कोई भी व्यवसाय करने की स्वतन्त्रता (Freedom to practice any profession)।

अर्थात् अनुच्छेद 19 (क) में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का ज़िक्र है। भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के सम्बन्ध में विस्तृत व्यवस्था का वर्णन किया है परन्तु लोकतन्त्र के चौथे स्तम्भ प्रेस के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्था में मीडिया की स्वतन्त्रता की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। भारत में प्रेस की आवश्यकता पर बल देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित नेहरू ने कहा था – "व्यापक अर्थ में समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता केवल एक नारा नहीं किन्तु जनतान्त्रिक प्रक्रिया की एक आवश्यक विशेषता है। मैं दबे हुए या नियन्त्रित समाचार पत्रों के बजाय स्वतन्त्रता के दुरुपयोग के सभी खतरों से युक्त पूर्णतः स्वतन्त्र समाचार पत्र अधिक पसन्द करूँगा।" सर्वप्रथम लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से 19 वें अनुच्छेद में वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का प्रावधान है अर्थात् प्रत्येक नागरिक को बोलने व अभिव्यक्ति करने की आजादी है।

वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अर्थ है – शब्दों, लेखों, मुद्रणों या चिह्नों या किसी अन्य प्रकार से अपने विचारों को व्यक्त करना। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में किसी व्यक्ति के विचारों को किसी ऐसे माध्यम से अभिव्यक्त करना शामिल है, जिससे वह दूसरों तक उन्हें सम्प्रेषित कर सके। इस प्रकार इसमें संकेतों, चिह्नों, अंकों तथा ऐसी ही अन्य क्रियाओं द्वारा किसी व्यक्ति के विचारों की अभिव्यक्ति सम्मिलित है। यहाँ अभिव्यक्ति शब्द इसके क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर देता है। विचारों को व्यक्त करने के जितने भी माध्यम हैं इस शब्द के अन्तर्गत आते हैं, यह भाषण द्वारा अथवा समाचार पत्र, रेडियो, टी.वी. द्वारा सम्भव हैं। इस प्रकार वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का कानूनी अभिप्राय इस प्रकार है – समाचारों और विचारों का मुद्रण एवं प्रकाशन, मुद्रित सामग्री का जनता में प्रसारण, सार्वजनिक विषयों पर खुली बहस, सरकार लोकसेवकों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के कार्यों की समीक्षा और आलोचना, सरकार के एकाधिकरण व नियन्त्रण से मुक्त होकर विभिन्न और परस्पर सूत्रों से तथा स्पर्धा के आधार पर सूचनाएँ एकत्रित करना, सरकारी निर्देश से मुक्त होकर प्रकाशन सामग्री का चयन, पत्र का प्रसार और मूल्य निर्धारण आदि करना, पत्रकारों व प्रेस में सम्बद्ध अन्य कर्मचारियों का किसी बाहरी निर्देशन या नियन्त्रण के बिना चयन करना, प्रेस की स्वतन्त्रता में पुस्तिकाएँ, पत्रक और सूचना तथा विचारों के संवाहक हर प्रकार के प्रकाशन शामिल हैं।

2.3.07.2. प्रथम प्रेस आयोग

भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने 12-13 अप्रैल 1952 को कलकत्ता अधिवेशन में प्रेस आयोग की माँग की। स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के लिए प्रेस को एक महत्त्वपूर्ण अंग मानते थे, यही कारण है कि प्रेस आयोग के गठन हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए वे इसे ब्रिटेन के रायल कमीशन की भाँति बनाना चाहते थे। हालाँकि पण्डित नेहरू प्रथम संविधान संशोधन विधेयक, 1951 पर संसद में बहस के दौरान प्रेस की स्थिति पर विचार करने के लिए एक समिति या आयोग के गठन की इच्छा व्यक्त की थी। 16 मई 1952 को प्रथम राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद ने प्रेस की समस्याओं पर विचार करने के लिए शीघ्र ही बैठक बुलाकर इसकी सहमति जतायी। 23 सितंबर 1952 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रेस आयोग की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी की। 03 अक्टूबर 1952 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद प्रेस आयोग के गठन की विधिवत घोषणा हुई।

23 सितंबर 1952 को भारत सरकार ने जी.एस. राजाध्यक्ष को प्रेस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस आयोग में निम्नलिखित सदस्य नियुक्त किये गये – (1) जी.एस. राजाध्यक्ष (अध्यक्ष) व सदस्य के रूप में (2) डॉ॰ सी.पी. रामास्वामी, (3) आचार्य नरेन्द्र देव, (4) जाकिर हुसैन, (5) डॉ॰वी.के.आर.वी राव, (6) पी.एच. पटवर्धन, (7) त्रिभुवन नारायण सिंह, (8) जयपाल सिंह, (9) जे. नटराजन्, (10) ए.आर.भट्ट, (11) एम. चलपति राव। (नोट – ए.डी. मणि को सदस्य बनाना था पर उनके विदेश में होने के कारण जे. नटराजन् को सदस्य बनाया गया। मुरारीलाल चावला प्रेस आयोग के प्रथम सचिव थे। 19 फरवरी को चावला का निधन होने से एस. गोपालन् को सचिव नियुक्त किया गया।)

प्रेस आयोग की रिपोर्ट –

प्रेस आयोग की पहली बैठक 11-12 अक्टूबर 1952 को नयी दिल्ली में हुई। 150 दिनों में 13 बैठकें हुई जिसमें 1200 लोगों से प्रेस के कामकाज हेतु लिखित प्रस्ताव माँगा गया लेकिन 739 लोगों ने ही उत्तर दिए। 14 जुलाई 1954 को बम्बई में सम्पन्न बैठक में प्रेस आयोग के मसौदे को सार्वजनिक किया गया। 1294 पृष्ठों के प्रतिवेदन तीन खण्डों में थे। ये खण्ड निम्नलिखित हैं –

(i) प्रेस जगत् की जाँच और सुझाव,
(ii) भारतीय पत्रकारिता का इतिहास,
(iii) प्रश्नावलियाँ, परिशिष्ट, ज्ञापन तथा सर्वेक्षण।

प्रेस आयोग की स्वीकृत सिफारिशें –

प्रेस आयोग की स्वीकृत सिफारिशें निम्नलिखित हैं –

i. समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार की स्थापना जुलाई 1956 ई. में हुई। इसी के माध्यम से 1957 ई. से अखबारी कागज आबंटित होने लगे।
ii. 1966 ई. में भारतीय प्रेस परिषद् गठित की गई।
iii. श्रमजीवी पत्रकार कानून 20 जनवरी 1955 ई. से लागू किया गया इसमें पत्रकारों के कार्य के घण्टे, वेतन और सेवाशर्तों का प्रावधान है।
iv. पृष्ठानुसार मूल्य निगम 1956 में लागू हुआ किन्तु न्यायालय ने 25 सितम्बर 1961 ई. को अमान्य ठहरा दिया।
v. प्रेस सलाहकार समिति का गठन 1962 ई. में किया गया जो 1964 ई. में समाप्त हो गया।
vi. छोटे समाचार पत्रों के विकास तथा उनकी जाँच के लिए सरकार ने आर. आर. दिवाकर की अध्यक्षता में एक जाँच समिति गठित की गयी।

2.3.07.3. न्यायालय अवमानना (1971) और प्रेस

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय को तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय घोषित करके उन्हें उनका अवमान करनेवालों को दण्डित करने का अधिकार दिया गया है। न्यायालय अवमानना दो प्रकार से हो सकता है –

(i) दीवानी न्यायालय अवमानना : दीवानी न्यायालय अवमानना का तात्पर्य है, 'जानबूझकर अदालत के निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य अदालती प्रक्रिया की अवज्ञा या अदालत में दी गई शपथ का उलंघन किया जाए।' (धारा 2 ख)।

(ii) फौजदारी न्यायालय अवमानना : न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2 (ग) के अन्तर्गत फौजदारी अवमानना से तात्पर्य ऐसे प्रकाशन (जो शब्दों द्वारा बोले गये या लिखे गये या संकेतों द्वारा दृश्य निरूपणों द्वारा या अन्य किसी प्रकार से है) जो

i. अदालत की विश्वनीयता पर आघात पहुँचाए या आघात पहुँचाने की प्रवृति हो,

ii. न्यायिक प्रक्रिया के प्रति पूर्वग्रह उत्पन्न करे, हस्तक्षेप करने की प्रवृति हो अथवा

iii. न्यायालय प्रशासन में बाधा पहुँचाते हों या बाधा पहुँचाने की प्रवृति हो, जिससे न्यायालय की प्रतिष्ठा और गरिमा पर प्रतिकुल प्रभाव पड़े तो धारा 12 के अन्तर्गत दण्डित करने का प्रावधान है। अवमानना का दोषी पाये जाने पर छह माह की साधारण कैद अथवा दो हजार रुपये का जुर्माना अथवा दोनों सजाएँ दी जा सकती हैं। यदि न्यायालय सन्तुष्ट हो जाए तो अभियुक्त द्वारा माफी माँगे जाने पर उसे क्षमा किया जा सकता है अथवा दण्ड में कुछ छूट भी दी जा सकती है।

केरल के मुख्यमंत्री नम्बूदरीपाद ने प्रेस कान्फ्रेंस में न्यायपालिका को अत्याचार का उपकरण बताया और कहा कि जज, वर्ग स्वार्थ, वर्ग पूर्वाग्रह, वर्ग घृणा से प्रेरित होते हैं। इस वक्तव्य पर उच्च न्यायालय ने नम्बूदरीपाद पर एक हजार रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर एक माह की सजा हुई थी। हाल ही में 05 मार्च 2002 को सुप्रसिद्ध लेखिका अरुन्धति राय पर न्यायालय अवमानना करने का दोषी पाये जाने पर न्यायालय ने एक दिन का कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।

2.3.07.4. अश्लीलता

अश्लीलता कामुकता के प्रति निमन्त्रण है इसके अन्तर्गत मानवीय स्वभाव का काम पक्ष चित्ताकर्षित किया जाता है। काम के प्रति ऐसा निमन्त्रण अश्लीलता तथा शालीनता के प्रति अपराध है। जैसे – (i) कामोद्दीपक, (ii) कामुक रुचियों और विचारों को उभारने वाली तथा (iii) अश्लील वस्तुओं को पढ़ने, देखने, सुनने वाले व्यक्तियों को हीन एवं भ्रष्ट करने की प्रवृति वाली।

अश्लील शब्द पर व्यापक विचार रनजीत डी. उड़ेसी बनाम स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाद में किया गया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 292 अश्लील लेखन की बिक्री को अपराध बताता है। इसके प्रावधानों के उल्लंघन के अपराधी को प्रथम बार दोष सिद्ध होने पर दो वर्ष तक का कारावास और दो हजार रुपये तक का जुर्माना तथा पुनः दोष सिद्ध होने पर पाँच वर्ष का कारावास और पाँच हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है।

धारा 292 उपधारा 1 –

किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण, आकृति या अन्य वस्तुओं को अश्लील समझा जाएगा यदि वह कामोद्दीपक है या कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है या उसके प्रभाव समग्र रूप से विचार करने पर, ऐसा है जो उन व्यक्तियों को दुराचारी तथा भ्रष्ट बनाए जिनके द्वारा उसमें अन्तर्विष्ट या सन्निविष्ट विषय को पढ़ा जाना।

धारा 292 उपधारा 2 क.

किसी अश्लील पुस्तक, पुस्तिका, कागज, रेखाचित्र, रंगचित्र रूपणों या आकृति या किसी भी अन्य अश्लील वस्तु को चाहे वह कुछ भी हो, बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, लोक-प्रदर्शित करेगा या उनको किसी भी प्रकार से परिचालित करेगा या उसे विक्रय भाड़े, वितरण, लोक-प्रदर्शन या परिचालन के प्रयोजनों के लिए रखेगा, उत्पादित करेगा या अपने कब्जे में रखेगा।

धारा 292 उपधारा 2 ख.

अश्लील सामग्री के क्रय में लिप्त-अपवाद कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति –

(i) जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या उपयोग में लायी जाती है।

(ii) जिसका प्रकाशन लोकहित में होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो गया है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य या साहित्य, कला या विचार या वर्जन सम्बन्धी अन्य उद्देश्य के हित में है।

(iii) कोई ऐसा रूपण-प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अर्थ में प्राचीन संस्मारक पर या उसमें अथवा किसी मन्दिर पर या उसमें या मूर्तियों के प्रवहण के उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी अन्य उत्कीर्ण रंगचित्रित या अन्यथा रूपित हो।

(iv) अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।

2.3.07.5. प्रसार भारती अधिनियम 1990

प्रसार भारती बिल 1989 ई. में संसद में पेश किया गया। इसे प्रस्तुत करते हुए तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री पी. उपेन्द्र ने कहा कि इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकारी नियन्त्रण से मुक्त हो जाएगा तथा सही अर्थों में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व स्वर बनेगी। 1989 ई. में लाया गया प्रसार भारती बिल मुख्यतः 1978 ई. की वर्गीज कमिटी पर ही आधारित था। हालाँकि दोनों में कई अन्तर भी थे। आकाश भारती प्रसारण की स्वायत्ता के लिए वैधानिक प्रावधान की बात करता है वहीं प्रसार भारती बिल संसद की स्वीकृति की बात करता है। वर्गीज रिपोर्ट में जोर इस बात पर था कि व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे भविष्य में संचार माध्यमों का दुरुपयोग न हो सके।

प्रसार भारती बिल के आधार पर बने निगम को वैसी वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। प्रसार भारती बिल के अनुसार निगम के लिए बताये गये उद्देश्य वर्गीज रिपोर्ट की तरह है परन्तु वर्गीज समिति की रिपोर्ट में मंत्रालय

को प्रसारण के उत्तरदायित्वों में मुक्त कर दिया गया था। प्रसार भारती बिल के आधार पर बने निगम ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि निगम का सदस्य होगा।

वर्गीज समिति की रिपोर्ट में विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया गया था तथा क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर कुछ अधिकारों एवं शक्तियों को हस्तान्तरित करने की बात कही गई थी। वर्गीज समिति द्वारा चयन प्रक्रिया के बारे में की गई अनुशंसा में भी परिवर्तन कियागया। प्रसार भारती बिल के अनुसार नामित सदस्यों के चयन हेतु समिति में राज्यसभा के अध्यक्ष अर्थात् उपराष्ट्रपति, प्रेस कौंसिल के अध्यक्ष तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक सदस्य होगा।

प्रसार भारती बिल 1990 ई. में पारित किया गया लेकिन इसे लागू करने से पूर्व ही सरकार गिर गई इसके लम्बे अन्तराल के बाद 1997 ई. में प्रसार भारती कानून लागू हुआ। प्रसार भारती अधिनियम के अनुसार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे – अध्यक्ष - एक, कार्यकारी सदस्य - एक, सदस्य वित्त - एक, सदस्य कार्मिक - एक, अंशकालिक सदस्य - छह, महानिदेशक आकाशवाणी पदेन - एक, आकाशवाणी दूरदर्शन पदेन - एक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नामित मंत्रालय का प्रतिनिधि - एक, निगम के कर्मचारियों के प्रतिनिधि जिसमें से एक इंजीनियरिंग स्टाफ से तथा दूसरा प्रतिनिधि शेष कर्मचारियों में से दो।

नियुक्ति –

सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा, भारतीय प्रेस परिषद् का अध्यक्ष व भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति करता है। प्रसार भारती के अनुसार राज्यसभा के सभापति इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

कार्यकाल –

अध्यक्ष तथा अंशकालिक सदस्यों का कार्यकाल छह वर्षों का होगा किन्तु एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष निवृत हो जाएँगे।

प्रसार भारती की त्रिस्तरीय व्यवस्था –

प्रसार भारती बोर्ड, ब्राडकास्टिंग कौंसिल, संसदीय समिति।

अध्यक्ष का चुनाव –

भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। समिति में निम्नलिखित होंगे – राज्यसभा का सभापति, प्रेस परिषद् का अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति का नामित एक व्यक्ति।

2.3.08. पाठ-सार

साठ के दशक में देश में विकास की एक नयी लहर दौड़ रही थी जिसमें नेहरू की सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाकर देश का विकास करना सुनिश्चित किया। आजाद भारत में हिन्दी समाचार-पत्रों की महत्ता और भी बढ़ गई कि वह सरकार की योजनाओं को लोगों तक सही रूप में पहुँचाए लेकिन व्यावसायिक हितों को साधने के प्रयास में हिन्दी समाचार-पत्रों को दोतरफा तनाव झेलना पड़ रहा था। "फिर भी हिन्दी पत्रकारिता ने आजादी के बाद समस्याओं को उभारने, उनकी ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने तथा उनका समाधान करने का प्रयास किया।" साथ ही कमजोर विपक्ष की पूर्ति इसने अपनी सशक्त भूमिका से की। इसे हिन्दी पत्रकारिता में विकास पत्रकारिता का दौर कहा जा सकता है लेकिन इसके साथ-साथ एक बदलाव और आया कि पत्रकारिता और राजनीति के सम्बन्ध मजबूत होने लगे। आजादी के पहले के जो सम्बन्ध परस्पर सहयोगी और देश की आजादी के लिए थे, वे अब राजनीति का पत्रकारिता पर हावी होने वाले हो गये। दो दशकों में ही पंचवर्षीय योजनाओं से लोगों का मोहभंग होने लगा। भारतीय समाचार-पत्रों में यह बदलाव मिशनरी भूमिका के बदले व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रभाव में वृद्धि के रूप में सामने आया।

प्रस्तुत पाठ में स्वतन्त्रता के बाद की परिस्थितियाँ और इन परिस्थितियों के बीच स्थापित नये समाचार पत्रों के बारे में चर्चा की गई है। प्रस्तुत पाठ इस बात पर पाठकों को जानकारी देने का प्रयास करता है कि स्वतन्त्रता से पूर्व स्थापित समाचार पत्र किस प्रकार आजादी के बाद भी संचालित होते रहे और उनमें कौन-कौन से परिवर्तन हुए। समाचार पत्रों के व्यावसायिक दृष्टिकोण और उससे पैदा हुई परिस्थितियों पर भी यह पाठ चर्चा करता है। इसके अलावा भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के तहत तय किये गये पत्रकारिता के मानकों और उनके अनुपालन की शर्तों पर भी चर्चा की गई है। प्रेस परिषद् और प्रेस आयोग की ज़रूरतों और इनकी सिफारिशों के बारे में भी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही प्रस्तुत पाठ में प्रसारण के नये माध्यमों की स्थापना, नियामक इकाइयों जैसे प्रसार भारती आदि के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया गया है। प्रसारण माध्यमों में तकनीकी विकास और दृश्य-श्रव्य माध्यमों के विकास और उनके प्रसार पर भी चर्चा की गई है। संचार के नये डिजिटल माध्यमों, यथा – इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग आदि के बारे में भी जानकारी दी गई है। प्रसार भारती अधिनियम आदि के ज़रिये भारतीय प्रसारण व्यवस्था के नियमन की प्रक्रिया को समझने की भी कोशिश की गई है।

2.3.09. कठिन शब्दावली

एकाधिकारवादी पूँजी : 'मोनापोली कैपिटल' ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हो।

अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता : भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19-क में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का ज़िक्र है।

2.3.10. बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. समाचार पत्रों के पंजीयन यानी आरएनआई की स्थापना के लिए सिफारिश की गई –

(क) प्रथम प्रेस आयोग द्वारा

(ख) द्वितीय प्रेस आयोग द्वारा

(ग) मजीठिया आयोग द्वारा

(घ) चन्दा कमेटी द्वारा

सही उत्तर : (क) प्रथम प्रेस आयोग द्वारा

2. रेडियो प्रसारण के शुरुआती दिनों में किस अख़बार ने डाक विभाग के साथ कार्य किया –

(क) टाइम्स ऑफ इंडिया

(ख) इंडियन एक्सप्रेस

(ग) द हिन्दू

(घ) मिरर

सही उत्तर : (क) टाइम्स ऑफ इंडिया

3. संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है –

(क) अनुच्छेद 19 - ।

(ख) अनुच्छेद 20 – ठ

(ग) अनुच्छेद 21 - ।

(घ) अनुच्छेद 19 – क

सही उत्तर : (क) अनुच्छेद 19 - ।

4. शासकीय गोपनीयता अधिनियम किस वर्ष से सम्बन्धित है –

(क) 1910

(ख) 1930

(ग) 1923

(घ) 1943

सही उत्तर : (ग) 1923

5. प्रसार भारती अधिनियम 1990 किस कमेटी पर आधारित है –

(क) चन्दा कमेटी पर

(ख) वर्गीज कमेटी पर

(ग) राजाध्यक्ष कमेटी पर

(घ) मैकब्राइट कमीशन पर

सही उत्तर : (क) चन्दा कमेटी पर

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. प्रथम प्रेस आयोग के सिफारिशों पर प्रकाश डालिए।
2. प्रसार भारती के गठन की संरचना के बारे में बताइए।
3. डिजीटल प्रसारण माध्यमों के लिए नियामक संस्थाएँ कौन-सी हैं ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भूमण्डलीकरण से मीडिया के चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ा है ?
2. डिजीटल संचार के साधनों के बारे में बताइए।

2.3.11. व्यवहार

1. स्वतन्त्रता के बाद प्रकाशित किन्ही पाँच हिन्दी अख़बारों और सम्पादकों के नाम और संक्षिप्त इतिहास पर 'पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन' बनाइए।
2. हिन्दी के दस समाचार चैनल, दस-दस वेबसाइट के नाम लिखकर कालक्रम में चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए।

2.3.12. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

01. सिंह, देवव्रत, (2007). 'भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया', नयी दिल्ली : प्रभात प्रकाशन
02. नटराजन्, जे., (2002). 'भारतीय पत्रकारिता का इतिहास', नयी दिल्ली : प्रकाशन विभाग
03. बिजेन्द्र, कुमार, 'हिन्दी पत्रकारिता और भूमण्डलीकरण', दिल्ली : श्री नटराज प्रकाशन
04. जैन, रमेश, (2003). 'जनसंचार एवं पत्रकारिता', जयपुर : मंगलदीप पब्लिकेशन्स
05. मोहन, सुमित, (2005). 'मीडिया लेखन', नयी दिल्ली : वाणी प्रकाशन
06. जोशी, रामशरण, 'मीडिया : मिशन से बाजारीकरण तक'
07. तिवारी, अर्जुन, (2007). 'सम्पूर्ण पत्रकारिता', वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन
08. तिवारी, सुनील कुमार, (2003). 'हिन्दी पत्रकारिता का आदिकाल', दिल्ली : साहित्य सहकार
09. तिवारी, अर्जुन, (2002). 'हिन्दी पत्रकारिता का बृहत् इतिहास', नयी दिल्ली : वाणी प्रकाशन
10. सिंह, मीनाक्षी, (2009). 'हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास', नयी दिल्ली : ओमेगा पब्लिकेशन
11. मिश्रा, चेतन अरविन्द, (2010). 'हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास', दिल्ली : मिश्रा पब्लिसर्स एंड डिस्ट्रीरब्यूटर्स
12. Kumar, keval j., (2004). 'Mass Communication in India', Mumbai : Jaico Publishing House.

13. दीक्षित, हरबंश, 'प्रेस विधि एवं अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य', नयी दिल्ली : वाणी प्रकाशन
14. चतुर्वेदी, जगदीश्वर, सिंह, सुधा, 'भूमण्डलीकरण और ग्लोबल मीडिया', नयी दिल्ली : अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स
15. Desai, Amit, 'Journalism and Mass Communication', New Delhi : Reference Press.
16. मैक्चेस्नी, राबर्ट डब्ल्यू. इलेन मिक्सिन्स वुड, जॉन बेलेमी फॉस्टर, अनुवादक : शर्मा, राजेन्द्र, 'पूँजीवाद और सूचना का युग', दिल्ली : ग्रन्थ शिल्पी प्रकाशन
17. मिश्र, चन्द्रप्रकाश, 'मीडिया लेखन (सिद्धान्त और व्यवहार)', नयी दिल्ली : संजय प्रकाशन
18. पचौरी, सुधीश, 'दूरदर्शन दशा और दिशा', नयी दिल्ली : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
19. पारख, जवरीमल्ल, (2000). 'जनसंचार माध्यमों का वैचारिक परिप्रेक्ष्य', दिल्ली : ग्रन्थ शिल्पी प्रकाशन
20. हरिमोहन, 'सूचना प्रौद्योगिकी और जन-माध्यम', नयी दिल्ली : तक्षशिला प्रकाशन
21. शिलर, हरबर्ट आई., अनुवादक – सिंह, राम कवींद्र, 'संचार माध्यम और सांस्कृतिक वर्चस्व', दिल्ली : ग्रन्थ शिल्पी प्रकाशन
22. सिंह, श्रीकान्त, 'जनमाध्यम : कानून एवं उत्तरदायित्व', नयी दिल्ली : सत्यम पब्लिशिंग हाऊस

2.3.13. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

01. मीडिया : मिशन से बाजारीकरण तक, रामशरण जोशी, पृ. 18
02. हिन्दी पत्रकारिता और भूमण्डलीकरण, बिजेन्द्र कुमार, पृ. 63
03. वही, पृ. 67
04. सिंह, देवव्रत, 'भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया', प्रभात प्रकाशन, पृ. 39
05. Indian Broadcasting (1986), H.R. Luthara, Publication Division, Govt. of India.
06. वही
07. जस्टिस पी.बी. सावंत और एस. मोहन, ए.आई.आर., 1995, सर्वोच्च न्यायालय, 1236
08. सिंह, देवव्रत, 'भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया', प्रभात प्रकाशन, पृ. 151
09. वही, पृ. 158
10. मोहन, सुमित, 'मीडिया लेखन', वाणी प्रकाशन, पृ. 04
11. कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा, 'जनसंचार के सिद्धान्त', 4, पृ. 6
12. हिन्दी पत्रकारिता और भूमण्डलीकरण, बिजेन्द्र कुमार, पृ. 71

❖❖❖

खण्ड – 3 : हिन्दी पत्रकारिता का विस्तार

इकाई – 1 : हिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी पत्रकारिता

इकाई की रूपरेखा

3.1.0. उद्देश्य कथन
3.1.1. प्रस्तावना
3.1.2. भारत की भाषाई विविधता
3.1.3. भाषाई पत्रकारिता : एक विवेचन
3.1.3.1. भाषाई पत्रकारिता की आवश्यकता एवं महत्त्व
3.1.3.2. भाषाई पत्रकारिता और जनमत
3.1.3.3. भाषाई पत्रकारिता को प्रभावित करने वाले कारक
3.1.4. हिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप एवं विकास
3.1.4.1. दिल्ली
3.1.4.2. हिमाचल प्रदेश
3.1.4.3. हरियाणा
3.1.4.4. राजस्थान
3.1.4.5. उत्तरप्रदेश (अविभाजित)
3.1.4.6. बिहार (अविभाजित)
3.1.4.7. मध्यप्रदेश (अविभाजित)
3.1.5. पाठ-सार
3.1.6. शब्दावली
3.1.7. बोध प्रश्न
3.1.8. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

3.1.0. उद्देश्य कथन

यह इकाई हिन्दी पत्रकारिता के विस्तार पर आधारित है। आरम्भ से ही हिन्दी पत्रकारिता की एक विकसित परम्परा रही है। प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत हिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी पत्रकारिता के विकास व स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप –

i. भारत की भाषिक विविधता को जान सकेंगे।
ii. भाषाई पत्रकारिता का विवेचन कर सकेंगे।
iii. हिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी पत्रकारिता के स्वरूप, विकास एवं महत्त्व को रेखांकित कर सकेंगे।
iv. हिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी पत्रकारिता के भविष्य एवं चुनौतियों का विश्लेषण कर सकेंगे।

3.1.1. प्रस्तावना

पत्रकारिता जीवन की विविधात्मक, तथ्यात्मक और यथार्थपरक स्थितियों का जनसामान्य तक सम्प्रेषित करने का सशक्त माध्यम है। वर्तमान जीवन में जहाँ एक ओर वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार से जीवनव्यापी दूरियाँ समाप्त हो रही हैं और मनुष्य राष्ट्रीय स्तर से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक की स्थितियों से अवगत होने के लिए जिज्ञासु हो उठा है, ऐसे स्थिति में पत्रकारिता अपरिहार्य आवश्यकता हो गई है। वर्तमान जगत् में जहाँ अनेक साधन उपलब्ध हैं; पत्रकारिता का स्वरूप न केवल अख़बार तक सीमित है अपितु वह जीवन की प्रयोगशाला में घटित स्थितियों का आलेख भी प्रस्तुत करता है।

अपने क्रमिक विकास की प्रक्रिया में हिन्दी पत्रकारिता के उत्कर्ष का समय आजादी के बाद आया। 1947 में देश को आजादी मिली। लोगों में नवीन स्फूर्ति आई और उनका मनोमस्तिष्क विकसित हुआ। औद्योगिक विकास के साथ-साथ मुद्रण-कला का भी विकास हुआ। परिणामस्वरूप समाचार पत्र-पत्रिकाओं का संगठन पक्ष काफी मजबूत हुआ। संक्षेप में, हिन्दी पत्रकारिता के विकास व विस्तार के मूल में निम्नलिखित कारक उल्लेखनीय हैं, यथा –

i. आजादी को हासिल करके गुलामी से त्रस्त आम जनमानस निश्चित हुआ और जवाबदेह नागरिकों के रूप में नवजीवन व नयी चेतना का संचार हुआ। नवीन चेतना से समाज में जाग्रति, जीवनदायी मूल्य व आदर्श विकसित हुए।
ii. औद्योगिक विकास के साथ-साथ मुद्रण-कला भी विकसित हुई। इससे प्रेस और प्रकाशन की सुविधाएँ बढ़ीं।
iii. पत्रकारिता जीवन के वृहत्तर मूल्यों के विकास, प्रसार और स्थापन हेतु माध्यम बनी। वह सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक जगत् का प्रतिरूप बनकर सामने आई।

हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में समय-समय पर अनेक मोड़ भी आए हैं। आरम्भ में पत्रकारिता को स्थापित होने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी समस्याओं को निवारित करते हुई हिन्दी पत्रकारिता निरन्तर विकसित होती रही है और आज हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप पूरी तरह परिवर्तित हो गया है तथा यह वर्तमान समाज तथा जीवन की साँस बन गई है।

3.1.2. भारत की भाषाई विविधता

भाषा के अध्ययन की एक दिशा है और वह दिशा उसके अपने ही केन्द्र पर भाषा का विज्ञान, उसका व्याकरण और अनुशासन तथा वाक् पद्धतियों को विश्लेषित करने का है। दूसरी भाषा और संस्कृति के आधारभूत तत्त्व के रूप में भाषा, एक समुदाय, क्षेत्र अथवा देश की संस्कृति रचना का माध्यम भी होती है। मानव समाज में भाषा सम्प्रेषण का सशक्त माध्यम भी होती है, उससे समाज जुड़ जाता है। जहाँ एक ओर भाषा की परम्परा विरासत की तरह आती है और उसमें प्रत्येक समय और पीढ़ी दर पीढ़ी के कुछ नये शब्द और भंगिमाएँ जोड़कर

उसे अधिक समृद्ध और अर्थ व्यापक कर देती है तो दूसरी ओर भाषा रचना और सम्प्रेषण का माध्यम बनकर एक विकसित राष्ट्रीय सांस्कृतिक परम्परा का निर्माण करती है। भाषा की इस सृजनात्मक भूमिका का सम्प्रेषण के सामाजिक आधार से गहरा सम्बन्ध होता है। इस आलोक में भाषाओं में विविधता के दर्शन होते हैं। भारतीय भाषाएँ हमारी सामाजिक सांस्कृातिक रचना का आधार भी हैं और स्वयं संस्कृति रचना से प्रतिकृत होकर उसकी अभिव्यक्तियाँ विभिन्न अर्थों और छवियों, माध्यमों तथा रूपों में स्वयं को विस्तारित और गहन भी करती हैं।

हमारा देश विभिन्न भाषाओं का देश है। इसमें क्षेत्रीय संगठनों के आधार पर अलग-अलग भाषाएँ जन मानस के हृदय का हार बनकर नयी भावनाएँ और चेतनाएँ प्रदान करती हैं। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। यह सभी भाषाओं की जननी है। वैदिक काल में संस्कृत सामान्य जन की भाषा थी। धीरे-धीरे वातावरण में बदलाव आया और विद्वानों ने संस्कृत भाषा को अपनाया। इसके बाद जनसाधारण की भाषा पाली की उत्पत्ति हुई। पाली से प्राकृत भाषा और प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा का जन्म हुआ। ग्यारहवीं सदी के आस-पास हिन्दी की उत्पत्ति इसी अपभ्रंश से हुई।

भाषा वैज्ञानिक भारतीय भाषाओं को छह भाषा परिवारों में विभाजित करते हैं – (i) नीग्रो भाषा परिवार (ii) ऑस्ट्रिक भाषा परिवार (iii) चीनी-तिब्बती भाषा परिवार (iv) द्रविड़ भाषा परिवार (v) भारतीय आर्य भाषा परिवार (vi) अन्य भाषाएँ।

इन भाषा परिवारों में द्रविड़ भाषा परिवार और भारतीय आर्य भाषा परिवार प्रमुख हैं और भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 99 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं का प्रयोग करता है। इन भाषा परिवारों की भाषाएँ आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। भाषा भाव एवं विचार विनिमय का साधन है। प्रारम्भिक अवस्था में विचार-शक्ति के अविकसित होने के कारण भावों एवं विचारों का आदान-प्रदान संकेतों, इंगितों और ध्वनियों से किया जाता था। ज्ञान-विज्ञान तथा सभ्यता की प्रगति के साथ साथ मानव की प्रगति हुई और भाषा का उद्भव हुआ। भाषा मनुष्य की जाति, धर्म, संस्कृति एवं संस्कार है। प्रत्येक भाषिक समाज का एक अपना विशिष्ट भाषिक संस्कार होता है। ये भाषिक संस्कार उस समाज के प्रत्येक सदस्य के मस्तिष्क में समान रूप से उपस्थित रहते हैं। हिन्दीभाषी व्यक्ति अपनी बात कहते समय जाने अनजाने हिन्दीभाषी समाज के संस्कारों का पालन करता है। ठीक इसी प्रकार कोई व्यक्ति तमिल में संवाद करता है तो उसे तमिलभाषी समाज के नियमों और संस्कारों को अर्जित करना पड़ता है। यह भाषाई प्रकृति एवं संस्कृति की अनिवार्यता को दर्शाता है।

3.1.3. भाषाई पत्रकारिता : एक विवेचन

मनुष्य स्वभाव से ही एक जिज्ञासु प्राणी है। वह हर पल कुछ-न-कुछ जानना चाहता है इसलिए वह जिज्ञासु होने के साथ-साथ विचारशील प्राणी भी माना जाता है। ज्ञान का अर्जन कर मनुष्य अपनी जिज्ञासा शान्त करता है और जैसे ही किसी विषय की जानकारी होती है, ज्ञान होता है, वह उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहता

है। यह ज्ञान सूचना, तथ्य, विचार या अनुभव किसी भी रूप में हो सकता है। अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने की प्रक्रिया ही संवाद है जो पत्रकारिता के मूल में है।

शहीद भगतसिंह ने 'भाषा और लिपि की समस्या' शीर्षक लेख में लिखा है – "किसी समाज अथवा देश को पहचानने के लिए उस समाज अथवा देश की भाषा से परिचित होने की परमावश्यकता होती है क्योंकि समाज के प्राणों की चेतना उस समाज की भाषा में प्रतिच्छवित हुआ करती है।" भारत में वस्तुतः भाषाई पत्रकारिता का विकास अंग्रेजों द्वारा भारत को अपनी सांस्कृतिक और राजनैतिक उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया के विरोध में उत्पन्न भारतीयों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया का परिणाम है।

3.1.3.1. भाषाई पत्रकारिता की आवश्यकता एवं महत्त्व

भाषा और संस्कृति पत्रकारिता के आलोक में पृथक्-पृथक् न होकर एक-दूसरे के पूरक होते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक संस्कृति होती है और निश्चय ही प्रत्येक भाषा के निर्माण में उसकी भाषाई पत्रकारिता की खास भूमिका होती है। भाषाई पत्रकारिता वस्तुतः अत्यन्त व्यापक आशय बोधक शब्द है जिससे सम्बन्धित सम्पूर्ण मानव समाज का अतीत, वर्तमान और भविष्य जुड़ा होता है। इसके अन्तर्गत इतिहास, भूगोल, धर्म, पुरातत्त्व, साहित्य, कला, वाणिज्य आदि सभी तत्त्व अपनी समग्रता में सहज ही समाविष्ट हो जाते हैं और भाषाई पत्रकारिता संस्कृति व समाज को वाणी तो देती ही है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिव्यक्ति, संवाद और सामाजिक सरोकारों में महत्त्वपूर्ण संसाधन भी प्रदान करती है। इस सन्दर्भ में वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि "भाषाई पत्रकारिता हमारे जीवन का महासमुद्र है जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य सबकुछ संचित रहता है। संक्षेप में भाषाई पत्रकारिता की आवश्यकता व महत्त्व इस प्रकार है –

(1) भाषाई पत्र-पत्रिकाओं में लोकसंवाद की विशिष्टता पाई जाती है।
(2) भाषाई पत्र-पत्रिकाएँ भारतीय समाज व संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
(3) भाषाई पत्रकारिता क्षेत्रीय, प्रान्तीय, आंचलिक हलचल, परम्परा, पर्व, त्योहार, उत्सव, विभिन्न रीतिरिवाजों लोकमान्यताओं आदि पर चर्चा करते हैं। अंग्रेजी के पत्र भारतीय जनमानस से उस प्रकार नहीं जुड़ सकते, क्योंकि स्वयं अंग्रेजी भाषा भारतीय संस्कारों से संपृक्त नहीं है।
(4) आज के सेटेलाइट युग में भी भाषाई समाचार पत्र-पत्रिकाएँ भारतीय कला, साहित्य एवं संस्कृति का संवर्द्धन कर भारत की आत्मा को पोषित कर रहे हैं।

3.1.3.2. भाषाई पत्रकारिता और जनमत

आज का समाज सूचना प्रधान है। भाषाई पत्र अंग्रेजी पत्रों की तुलना में आमलोगों की भावनाओं से सुदृढ़ता से जुड़े होते हैं इसलिए वे जनमत को प्रभावित करने में अधिक समर्थ होते हैं। स्वाधीनता-आन्दोलन के दौरान भाषाई पत्र-पत्रिकाओं ने आमजनों में पथ-प्रदर्शक की भूमिका निभायी थी। स्वतन्त्रता के बाद भाषाई पत्रकारिता और अधिक समर्थ हुई, खासकर जनमत निर्माण की दिशा में। आज भाषाई पत्रकारिता का स्वरूप

पाँच-छह दशक पहले की भाषाई पत्रकारिता के स्वरूप से नितान्त भिन्न है। वस्तुतः सामाजिक समस्याओं, गतिविधियों और विविध घटना-प्रसंगों के सम्प्रेषण के लिए भाषाई पत्रकारिता में जिन प्रवृत्तियों का चलन है, वह लोकोन्मुखी है। इसके अन्तर्गत अन्तर्वस्तु निर्धारण की प्रक्रिया में दूर-दूर तक संकीर्णता का कोई प्रभाव नहीं है। भाषाई पत्रकारिता जहाँ एक ओर समकालीन व्यस्त जीवन में हमारी सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा का कार्य करती है, वहीं दूसरी ओर आमलोगों के बीच प्रचलित मुहावरों व लोकोक्तियों का अनुप्रयोग कर पत्रकारिता को आम आदमी से जोड़ दिया है। विगत दशकों में अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं की तुलना में भाषाई पत्र-पत्रिकाओं में प्रसार की वृद्धि दर का अधिक होना इसका प्रमाण है। अस्तु, भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषाई पत्रकारिता ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वह न केवल अतीत की संरक्षिका तथा वर्तमान की विश्लेषिका है, अपितु भविष्य की नियामिका भी है।

3.1.3.3. भाषाई पत्रकारिता को प्रभावित करने वाले कारक

समकालीन भारत में भाषाई पत्र-पत्रिकाओं ने आश्चर्यजनक प्रगति की है। आधुनिक मुद्रण तकनीकी, समसामयिक समस्याओं पर आलेख, फ़ीचर, रंगीन साप्ताहिक संस्करण आदि के साथ-साथ रंगीन छायाचित्रों, रेखाचित्रों, ग्राफिक्सों, व्यंग्यचित्रों और चित्रकथाओं आदि का अनुप्रयोग कर इन्होंने प्रतिष्ठा अर्जित की है। साक्षरता दर में वृद्धि, लोगों की क्रयशक्ति में बढ़ोतरी, परिवहन और टेलीप्रिंटर लाइनों के संजाल में वृद्धि तथा लोगों में समाचारों में बढ़ती भूख ने भाषाई पत्रकारिता के विकास को गति प्रदान की है। हालाँकि पूर्ण साक्षरता के अभाव में भाषाई पत्र-पत्रिकाओं ने उपलब्ध संसाधनों को पूरी तरह से दोहन नहीं कर पाए हैं इसलिए जैसे-जैसे साक्षरता दर में सुधार होगा, वैसे-वैसे भाषाई पत्रों का विकास भी उसी अनुपात में होगा।

3.1.4. हिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी पत्रकारिता का स्वरूप एवं विकास

भाषा किसी भी देश की संस्कृति की पहचान होती है। समाज की चेतना सम्बन्धित समाज की भाषा में ही प्रतिध्वनित होती है। इस आलोक में हिन्दी भारत में लगभग 65 प्रतिशत लोगों द्वारा बोली व समझी जाती है। हिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास सम्पादकों तथा पत्रकारों के त्याग एवं कर्त्तव्यनिष्ठा का इतिहास रहा है। स्वतन्त्रता-आन्दोलन हो या समाज-सुधार, राष्ट्र नीति के निर्माण का प्रश्न हो या राष्ट्रभाषा के विकास का आन्दोलन, हिन्दी पत्रकारिता का सभी में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। चूँकि पत्रकारिता समाज की वाणी और मस्तिष्क है इसलिए यह सामाजिक विज्ञान का व्यवसाय है जिसमें तथ्यों की प्राप्ति, उसका मूल्यांकन एवं प्रस्तुतीकरण निहित होता है। गोया, असहायों को सम्बल, शोषितों को राहत, लोकतान्त्रिक व सामाजिक मूल्यों का विकास ही पत्रकारिता है और इस आधार पर जब हम हिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी पत्रकारिता के स्वरूप एवं विकास का मूल्यांकन करते हैं तो निराशा नहीं होती।

3.1.4.1. दिल्ली

दिल्ली में हिन्दी पत्रकारिता के विकास की एक सुदीर्घ एवं विकसित परम्परा रही है। भारतीय स्वतन्त्रता-संघर्ष के दौरान हिन्दी पूरे भारत को एकसूत्र में पिरोने का काम कर रही थी। उदाहरण के तौर पर 1857 ई. में अजीमुल्लान ख़ाँ द्वारा प्रकाशित उर्दू का अख़बार 'पयामे आजादी' का कुछ समय के बाद हिन्दी में निकलना एक उल्लेखनीय घटना थी, खासकर हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में। इस समाचार पत्र में राष्ट्र प्रेम सम्बन्धी विस्फोटक सामग्री हुआ करती थी। इसके प्रकाशक अजीमुल्ला ख़ाँ स्वयं स्वतन्त्रता सेनानी थे और नाना साहेब पेशवा के परामर्शदाताओं में से एक थे। हालाँकि यह समाचार पत्र विदेशी शासन का शिकार होकर शीघ्र ही बन्द हो गया।

उन्नीसवीं शताब्दी में दिल्ली से कोई दैनिक पत्र निकलने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आगे चलकर वर्ष 1919 में साप्ताहिक 'विजय' (हरिश्चन्द्र विद्यालंकार, वीरभद्र विद्यालंकार) निकला था और इसने दिल्ली में आधुनिक हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत की। हालाँकि यह समाचार पत्र भी अंग्रेजी शासन के कोपभाजन का शिकार बना। 1925 में रामचन्द्र शर्मा महारथी ने मासिक 'महारथी' का प्रकाशन किया। यह साहित्यिक पत्र काफी लोकप्रिय हुआ। इसी अनुक्रम में 'अर्जुन' के सम्पादन से भीमसेन विद्यालंकार जैसे पत्रकारों का जुड़ना एक महत्त्वपूर्ण प्रयास रहा। हालाँकि आजादी के पूर्व क्रूर सरकारी दमनचक्र की चपेट में अनेक समाचार पत्र-पत्रिकाएँ आ गये। 'महारथी' भी इस प्रकोप से अछूता नहीं रहा। फिर भी यह समाचार पत्र नौ महीने (बिना किसी घोषणापत्र के) सायंकालीन दैनिक के रूप में निकलता रहा। आजादी से पहले जहाँ दिल्ली की प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में सदादर्श, कवि वचन सुधा, वैश्य समाचार, हिन्दी समाचार, सत्यवादी, नवयुग, मजदूर समाचार, हिन्दुस्तान दैनिक, इन्द्रप्रस्थ प्रकाश, कामरेड और हमदर्द, साप्ताहिक 'संजीवन', महारथी, सचित्र दरबार, अमर उजाला, अदिति आदि उल्लेखनीय हैं, वहीं दूसरी ओर आजादी के बाद दिल्ली से अनेक प्रातःकालीन और सायंकालीन हिन्दी दैनिक पत्र निकलने लगे। आज देश के लगभग सभी हिन्दी अख़बारों का मुख्य कार्यालय या ब्यूरो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मौजूद है। इस सन्दर्भ में सबसे खास बात यह है कि दिल्ली केवल हमारे देश की राजधानी ही नहीं है बल्कि देश-विदेश की तमाम ख़बरों का महत्त्वपूर्ण स्रोत बनकर सूचना केन्द्र के रूप में स्थापित हो चुका है। दैनिक हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, अमर उजाला, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा आदि दिल्ली से निकलने वाले प्रमुख दैनिक समाचार पत्र हैं। दूर सन्देश, विश्वेही, युगांचल, जगत टाइम्स, सांध्य टाइम्स आदि दिल्ली से निकलने वाले सांध्य दैनिक हैं।

दिल्ली की हिन्दी पत्रकारिता का क्षेत्र न केवल विविधात्मक है अपितु व्यापक भी है। जीवन का कोई भी विषय, कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो पत्रकारिता से अछूता न हो। आज लगभग हर विषय से सम्बन्धित हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ दिल्ली में उपलब्ध हैं।

3.1.4.2. हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश भारत का एक प्रमुख हिन्दीभाषी राज्य है। यह मूलतः पहाड़ी प्रदेश है। प्राचीन काल में भौगोलिक दृष्टि से जिस क्षेत्र को 'जालन्धर' कहा जाता था, प्रायः वही भू-भाग आज हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत आता है। यहाँ हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय पत्रकार शेख अब्दुल्ला को दिया जाता है। उन्होंने 1848 ई. में शिमला से 'शिमला अख़बार' निकाला जो कई वर्षों तक सफलतापूर्वक प्रकाशित हुआ। यह आमजन, सरकार, नौकरशाही तथा राजशाही के समाचार और अन्य सामग्री 'लीथो-ग्राफ' पद्धति से प्रकाशित करता था। वैसे तो 1849 में बन्द होकर यह फिर से निकलने लगा लेकिन आगे चलकर बहुत जल्दी ही यह फिर से बन्द हो गया। छपने वाली सामग्री के स्तर पर इसका सम्पादन सराहनीय और संग्रह करने योग्य होता था। हिमाचल की हिन्दी पत्रकारिता के विकास व विस्तार के क्रमिक चरण में कुछ समय बाद शिमला शहर से ही 'फौजी अख़बार' निकला जिसका बाद में नाम बदलकर 'सैनिक समाचार' हो गया और हिमाचल प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में इन पत्रों से पहले का समाचार पत्र उपलब्ध नहीं है। हालाँकि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् अन्य प्रान्तों की तरह हिमाचल में भी हिन्दी पत्रकारिता का व्यापक विस्तार हुआ। आज हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों से दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी आदि जैसे कई राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण सफलतापूर्वक निकल रहे हैं। स्थानीय समाचार पत्रों में दिव्य हिमाचल, हिमाचल दस्तक, दैनिक सवेरा, हिमदूत, विजय, भावना, प्रजामण्डल आदि हिन्दी के लोकप्रिय दैनिक हैं।

इस प्रकार हिमाचल प्रदेश हिन्दी पत्रकारिता यानी वर्तमान हिन्दी समाचार पत्र-पत्रिकाओं के सन्दर्भ से निरन्तर प्रगति के सोपानों की ओर बढ़ रहा है, वह अप्रत्याशित नहीं है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, उसमें हिमाचल की हिन्दी पत्रकारिता, खासकर 'सामाजिक-सांस्कृतिक पत्रकारिता' पाठकों को विविध स्थितियों से जोड़ती हुई सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक गतिविधियों से अवगत कराने का सशक्त माध्यम बन गई है।

3.1.4.3. हरियाणा

पूर्व में हरियाणा संयुक्त प्रान्त पंजाब का हिस्सा था। उर्दू-अंग्रेजी का बोलबाला था। ऐसे में हिन्दी पत्रकारिता साहस का काम था। फिर भी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता-संघर्ष के दौरान अखिल भारतीय सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी की पहचान एवं उपयोगिता स्थापित हो चुकी थी। यही कारण है कि आजादी से पहले भी हरियाणा में हिन्दी पत्रकारिता की विकसित परम्परा रही है।

हरियाणा में हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत जियालाल जैन ने की थी जिन्होंने 'जैन प्रकाश (14 नवंबर 1884)' 'श्री जैन प्रकाश हिन्दुस्तान' मासिक समाचार पत्र फर्रूखनगर से निकाले। इन पत्रों के सन्दर्भ में 'जैन प्रकाश' के सम्पादक डॉ॰ केशवानन्द ममगाई के अनुसार – "सुन्दर छपाई, प्रभावी भाषा शैली और संक्षिप्त समाचारों को देखकर व पढ़कर सुखद विस्मय एवं आनन्द का अनुभव होता है। खड़ीबोली का साफ-सुथरा रूप इन पत्रों की अपनी विशेषता है। उस जमाने में जियालाल जैन ने बड़े साहस और निष्ठा का परिचय देकर हरियाणा

में हिन्दी पत्रकारिता का श्रीगणेश करने का श्रेय प्राप्त किया।" हरियाणा की प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में हिसार से ज्ञानोदय (1948), अमर ज्योति (1950), वक्त की आवाज (1953), मातृभूमि; रेवाड़ी से कृष्ण सन्देश (1952), हरियाणा सन्देश; झज्झर से सुधाकर (1953); करनाल से जन्मभूमि; फर्रूखनगर से जैन प्रकाश (1884), जियालाल प्रकाश (1884), श्री जैन प्रकाश हिन्दुस्तान (1884); रोहतक से साहित्यानुशीलन, मासिकागद तथा अम्बाला से आर्य उल्लेखनीय है।

समग्रतः हरियाणा से अनेक दैनिक समय-समय पर प्रकाशित हुए हैं और हिन्दी मुद्रण तकनीकी में विकास की बदौलत आधुनिक हरियाणा में भी हिन्दी पत्रकारिता का व्यापक विस्तार हुआ है। उदाहरण के तौर पर पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि जैसे राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण भी सामाजिक सरोकार से जुड़कर हरियाणा की हिन्दी पत्रकारिता को खास लोकप्रियता प्रदान की है। साथ ही आंचलिक पत्रकारिता के दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर हरियाणा की हिन्दी पत्रकारिता विशेषकर खेल, कला व संस्कृति के क्षेत्र एवं महत्त्व की शृंखला में एक मजबूत कड़ी के रूप में स्थापित हो चुकी है।

3.1.4.4. राजस्थान

राजस्थान में हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास विस्तृत एवं व्यापक है। वस्तुतः राजस्थान के प्रारम्भिक पत्रों का इतिहास 'राज्याश्रित पत्रकारिता' का इतिहास है और तत्कालीन हिन्दी पत्रकारिता में भी यह प्रवृत्ति विद्यमान रही। इस परिप्रेक्ष्य' में 'मजहरूल सरूर' का प्रकाशन ध्यातव्य है। भरतपुर शासन की ओर से द्विभाषी 'मजहरूल सरूर' (उर्दू-हिन्दी) 1849 में मासिक पत्र के रूप में प्रकाशित होता था। उसके बाद 1856 ई. में मास्टर कन्हैया लाल ने जयपुर से 'रोजतुल तालीम' का सम्पादन-प्रकाशन किया। बूँदी के महाराज की छत्रछाया में 1890 ई. में 'सर्वहित' के प्रकाशन से पहले 1866 ई. में जोधपुर से 'मरूधर मित्र' नामक दो कॉलम का समाचार पत्र प्रकाशित होने का साक्ष्य उपलब्ध है जिसमें साधारण समाचार और लेखादि प्रकाशित होते थे। उसी वर्ष जोधपुर से ही 'मारवाड़ गजट' का प्रकाशन आरम्भ हुआ जिसमें हिन्दी तथा उर्दू में रियासत की आज्ञा से, राज्य में आन्तरिक एवं बाह्य समाचार आदि प्रकाशित होते थे। ये समाचार पत्र शासन की रीति-नीति के प्रचारक थे। स्वामी दयानन्द की प्रेरणा से 'अनाथ रक्षक' और 'परोपकारी' का प्रकाशन इसी दौरान अजमेर से हुआ। हालाँकि राजस्थान की पत्रकारिता का ऐतिहासिक विवेचन करते हुए इतिहासकार तासी ने राजस्थान का पहला अख़बार अजमेर के 'जगलाभ चिन्तक' (1861) को माना है। 'राजस्थान पत्रिका' के मुख्य सम्पादक गुलाब कोठारी जैसे मीडिया विशेषज्ञ इसे 'खैरख्वाहे खलक' (उर्दू – मोहनलाल, अयोध्याप्रसाद) का हिन्दी संस्करण स्वीकार करते हैं।

कालान्तर में राजस्थान के लोकप्रिय साप्ताहिक 'राजस्थान समाचार' (मनीष समर्थदान) का प्रकाशन 1889 ई. में हुआ जो आगे चलकर 1922 में दैनिक रूप में भी निकला। अन्तर्वस्तु-विश्लेषण के स्तर पर इसमें देश-विदेश के समाचार, पुस्तक-समीक्षा, विचारों आदि का प्रकाशन होता था। एक प्रकार से यह समाचार पत्र जन चेतना का वाहक और सामाजिक सरोकार का पक्षधर था।

1890 ई. में बूँदी से 'सर्वहित' का प्रकाशन होता था। यह सरकारी गजट होते हुए भी जनोपयोगी, सुरुचिकर और साहित्यिक पत्र भी था। वैसे सरकारी गजट में यह नूतन प्रयोग था। साथ ही रामप्रताप शर्मा, लज्जाराम शर्मा आदि जैसे सम्पादकों के नेतृत्व में इस पत्र का व्यापक विस्तार हुआ। राजस्थान के अलावा भारत के अन्य शहरों जैसे सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता आदि शहरों से भी इसके संस्करण निकलते हैं। इस पत्र को श्रेष्ठ छपाई के लिए एशिया-स्तरीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसके समाचार और अन्य सामग्री की पठनीयता भी उल्लेखनीय है।

स्वतन्त्रता-संग्राम के दौरान राष्ट्रीय एकता व अखण्डता के निहितार्थ राजस्थान की हिन्दी पत्रकारिता ने आमजनों को एक सूत्र में पिरोने का उल्लेखनीय कार्य किया। इस आलोक में राजपूताना गजट, देश हितैषी, जयपुर गजट, समालोचक, उदयपुर गजट, बालहित, दैनिक नवज्योति, बालपत्र 'खिलौना', बालवाटिका आदि आजादी पूर्व राजस्थान की प्रमुख हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ थीं जो कहीं-न-कहीं राष्ट्रीय पुनर्जागरण, सामाजिक चेतना और स्वाधीनता संघर्ष से अभिप्रेरित रही। राष्ट्रीय-सांस्कृतिक नवोत्थान व बौद्धिक चेतना के विकास में समाचार पत्र-पत्रिकाओं व पत्रकारों का जो योगदान रहा है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। आजादी के बाद जहाँ एक ओर राजस्थान पत्रिका, दैनिक नवयुग, इतवारी पत्रिका, राष्ट्रदूत, जलते दीप, जननायक, शिविरा (शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार), बालपत्र 'बानर', बालहंस आदि जैसे उल्लेखनीय पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन महत्त्वपूर्ण है, वहीं दूसरी दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि जैसे कई राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण राजस्थान की हिन्दी पत्रकारिता में चार चाँद लगा रहे हैं।

3.1.4.5. उत्तरप्रदेश (अविभाजित)

उत्तरप्रदेश में पहला हिन्दी पत्र 'बनारस अख़बार' 1845 ई. में उर्दू सम्पादक राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द द्वारा काशी से प्रकाशित किया गया था परन्तु डॉ॰ कृष्ण बिहारी मिश्र ने इस पत्र का प्रकाशन 1844 ई. में आरम्भ होना बताया है। उर्दू सम्पादक द्वारा निकाले जाने के कारण इसकी भाषा भी उर्दूबहुल हिन्दी रही। इसका सम्पादन गोविन्द रघुनाथ थत्ते करते थे। वैसे इसे उत्तरप्रदेश का प्रथम साप्ताहिक हिन्दी समाचार पत्र होने का श्रेय प्राप्त है। तुलनात्मक सन्दर्भ में उत्तरप्रदेश में हिन्दी पत्रकारिता की गति बंगाल की अपेक्षा धीमी रही। फिर भी उत्तरप्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को आरम्भ में ही भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जैसे साहित्यकार का नेतृत्व मिला जहाँ प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट जैसे साहित्यकारों की पत्रकारिता का सहयोग मिला। कालान्तर में बद्रीदत्त पाण्डेय ने 1871 ई. में अल्मोड़ा से अपने पत्रों (अल्मोड़ा अख़बार, शक्ति,) में साहित्य, समाज-सेवा और राजनीति का अभूतपूर्व समन्वय किया। इस अवधि की पत्रकारिता को लेकर लक्ष्मीशंकर व्यास का मानना है कि तत्युगीन हिन्दी पत्रकारिता में साहित्य एवं राजनीति सम्बन्धी गम्भीर लेख प्रकाशित होते थे जिनमें अत्यन्त चुटीले व्यंग्यों का प्रयोग होता था। उदाहरण के तौर पर राजभक्ति की आड़ में विदेशी शासन और मानसिकता की विवेकहीनता पर हिन्दी पत्रकारिता में गहरी चोट की जाती थी। इसी अनुक्रम में 1885 में मदनमोहन मालवीय के सम्पादन में राजा रामपाल सिंह द्वारा 'हिन्दोस्तान' पत्र का प्रकाशन ध्यातव्य है जो उत्तरप्रदेश (अविभाजित) का पहला हिन्दी दैनिक था। चूँकि, उत्तरप्रदेश भारत का प्रमुख हिन्दीभाषी राज्य है इसलिए वहाँ आजादी के बाद हिन्दी पत्रकारिता का अतुलनीय

विकास एवं व्यापक विस्तार हुआ। वैसे आजादी के पहले की पत्र-पत्रिकाओं में कवि वचन सुधा, हरिश्चन्द्र चन्द्रिका, कालिदास, हिन्द केसरी, भारतबन्धु, हिन्दी प्रदीप, सरस्वती, अभ्युदय, बुंदेलखंड अख़बार, ब्राह्मण, प्रताप, कर्मयोगी, स्वराज्य आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हालाँकि इन पत्रों पर विदेशी शासन का प्रकोप निरन्तर जारी रहा और विदेशी सरकार ने 'वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1878' लागू करके तथा भारतीय दण्ड संहिता में प्रेस विषयक कठोर प्रावधान करके देशी पत्र-पत्रिकाओं का भारी दमन किया। परिणामस्वरूप कई समाचार पत्र तो बन्द ही हो गये। फिर भी साहसी हिन्दी पत्रकारों ने पत्रकारिता की मशाल को नहीं बुझने दिया।

इसका प्रभाव यह हुआ कि इस भू-भाग की हिन्दी पत्रकारिता में जन-जाग्रति और स्वतन्त्रता के स्वर को दबाया नहीं जा सका। आजादी के बाद उत्तरप्रदेश में बड़ी तीव्र गति से हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का विकास और प्रचार हुआ। इस प्रचार और विकास के मूल में परिवर्तित परिस्थितियाँ, स्वातन्त्र्य भावना और अभिव्यक्ति की स्वाधीनता के मनोभाव प्रबल रहे हैं। ऐसे में दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, सन्मार्ग, स्वतन्त्र भारत, नवजीवन, तरुण भारत, राष्ट्रीय सहारा आदि समाचार पत्रों का प्रकाशन सराहनीय है।

3.1.4.6. बिहार (अविभाजित)

बिहार भारत का एक प्रमुख हिन्दीभाषी राज्य है। सम्पूर्ण बिहार की संचार भाषा हिन्दी है। हालाँकि इसके अलग-अलग भागों में में भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका, संथाली, मुंडारी आदि बोलियाँ प्रमुखता से बोली जाती हैं। प्रमुख हिन्दीभाषी राज्य के तौर पर हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में बिहार की भूमिका अत्यन्त उल्लेखनीय है। बिहार का पहला अख़बार 'बिहार बन्धु' शुरू में कलकता से निकला था। इसके प्रकाशन में मदनमोहन भट्ट और केशवराम भट्ट जैसे लोगों का काफी सहयोग रहा। 1874 में यह पटना से निकलने लगा। इस पत्र ने बिहार की उल्लेखनीय सेवा की। इसने एक ओर आंचलिक पत्रकारिता तो दूसरी ओर जन-जागरण का कार्य करते हुए ब्रिटिश शासन से लोहा भी लिया। खड्गविलास प्रेस भी अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। रामदीन सिंह के सहयोग से शिक्षा, क्षत्रिय पत्रिका, हरिश्चन्द्र मैगजीन आदि का प्रकाशन हुआ। मोतीचूर, विद्यार्थी, हिन्दी-गजट आदि का प्रकाशन भी काफी सराहनीय रहा लेकिन स्वाधीनता-आन्दोलन के दौरान सरकार ने पत्र-पत्रिकाओं पर अत्यन्त कठोर प्रतिबन्ध लगाए। उदाहरण के लिए 'सर्चलाइट' ने सरकारी कार्रवाइयों के विरोध में प्रकाशन बन्द कर दिया। इस तरह बिहार में उस समय कुछ दिनों के लिए एक भी अख़बार नहीं रह गया।

आजादी से पहले निकलने वाले समाचार पत्र-पत्रिकाओं में 'मुंगेर समाचार पत्र' नामक एक साप्ताहिक पत्र भी काफी चर्चित रहा। साथ ही किसान सभा के मुखपत्र 'हुंकार' अपने सम्पादकीय और संवाददाताओं की रिपोर्टें सरकार से दिखा लिया करते थे। भारत रक्षा अधिनियम के तहत पटना का सरस्वती प्रेस सरकारी आदेश से बन्द कर दिया गया था। इसी कड़ी में 16 दिसंबर 1942 को मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण प्रेस पर छापा मारकर पुलिस ने प्रेस को जब्त कर लिया। इस तरह स्वतन्त्रता-पूर्व बिहार की भी हिन्दी पत्रकारिता अन्य प्रान्तों की तरह सरकारी दमन चक्र का शिकार रही। आजादी के पहले की पत्र-पत्रिकाओं में धर्मनीति, मगहियाभाई, धर्म सभा, आर्यावर्त,

विद्याविनोद, सर्वहितैषी, नवशक्ति, हिमालय गंगा, हिन्दी समाचार गंगा, भारत पंचामृत, सत्संग, चम्पारण, हितकारी, किसान सेवक, विद्याधर्म दीपिका, प्रजा तथा सेवक, जगमोहन समाचार, छोटानागपुर दूत पत्रिका, चिंगारी, त्रिलोचन, साहित्यमाला, कृष्ण आदि उल्लेखनीय हैं।

स्वतन्त्रता के बाद बिहार की हिन्दी दैनिक समाचार पत्र-पत्रिकाओं में आज, हिन्दुस्तान, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स, विश्व बन्धु, आत्मकथा, राँची एक्सप्रेस, प्रभात ख़बर, आवाज, जनमत, उदित वाणी आदि पत्रकारिता के क्षेत्र में लोकप्रिय हैं।

3.1.4.7. मध्यप्रदेश (अविभाजित)

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता-आन्दोलन व जन-जागरण से लेकर वर्तमान की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व स्थानीय मुद्दों तक लगभग सभी क्षेत्रों में हिन्दी पत्रकारिता व उसके प्रभाव की अमिट छाप सहज ही परिलक्षित होती है। इस आलोक में मध्यप्रदेश का पहला अख़बार 'ग्वालियर अख़बार' खैराती लाल के सम्पादन में 1840 ई. में प्रकाशित हुआ। वैसे इसकी प्रति तो उपलब्ध नहीं है लेकिन वैंकेटलाल ओझा जैसे कई विद्वानों ने इसका उल्लेख किया है। इसी कड़ी में 'जयाजी प्रताप' मध्यप्रदेश का एकमात्र शतजीवी समाचार पत्र था। मध्यप्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता अपनी प्रारम्भिक अवस्था में रियासती प्रभाव में अधिक थी फिर भी 'भारतभ्राता' (1887) ने रियासती प्रभाव से बचकर और जनता से जुड़कर राजनैतिक पत्रकारिता की। यह युगान्तर था।

विजयदत्त श्रीधर मध्यप्रदेश में हिन्दी पत्रकारिता का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि 19वीं सदी के अन्त तक मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों से लगभग एक सौ पत्र-पत्रिकाएँ निकल चुके थे किन्तु एक दो को छोड़कर 20वीं शताबदी का सवेरा नहीं देख पाए। उनका मानना है कि 1840-1900 ई. का कालखण्ड मध्यप्रदेश में पत्रकारिता का उद्भव काल माना जा सकता है। इस अवधि में प्रबुद्ध वर्ग और शासन दोनों ने ही पत्रकारिता की सामाजिक-राजनैतिक चेतना की शक्ति पहचान ली थी। बीसवीं सदी के शुरू होने से लेकर आजादी तक का समय मध्यप्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता के लिए काफी कष्टमय रहा, चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि अंग्रेजी शासन का प्रकोप अपने चरम पर था। इसके बावजूद हिन्दी पत्रकारिता अपने लक्ष्य पर अडिग रही और आगे चलकर आज अन्य, प्रान्तों की तरह मध्यप्रदेश में भी हिन्दी पत्रकारिता का विस्तृत एवं व्यापक विस्तार हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में मालवा अख़बार, भारतीय आदर्श, पूर्ण चन्द्रोदय, नवजीवन, ग्वालियर गजट, नई शह, दैनिक स्वदेश, दैनिक भास्कर, दैनिक मध्यप्रदेश, महाकोशल (छत्तीरसगढ़ का पहला हिन्दी दैनिक), सांध्य प्रकाश, दैनिक आलोक, दैनिक देशबन्धु, आंचलिक पत्रकार, धर्मयुग, नई शिक्षा, बिलासपुर टाइम्स, लोक स्वर, विंध्याचल, प्रभा, मध्य भारत, नई दुनिया आदि जैसे समाचार पत्र मध्यप्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता के मजबूत स्तम्भ कहे जा सकते हैं।

3.1.5. पाठ-सार

समवेततः हिन्दीभाषी क्षेत्रों में हिन्दी पत्रकारिता केवल राजनैतिक घटना चक्र तक ही सीमित नहीं रही, उसका विकास साहित्य, विज्ञान, मनोविज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, इतिहास, भूगोल, खेलकूद, संगीत, सिनेमा, नाटक, कृषि, उद्योग आदि क्षेत्रों तक हुआ है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् हिन्दी पत्रकारिता जिस दिशा में अग्रसर हुई है, वह दिशा क्षेत्रीय विशेष तक सीमित न होकर बहुआयामी व बहुक्षेत्रीय है। देश की आजादी के बाद हिन्दी पत्रकारिता ने राष्ट्रीयता, नव जाग्रति का जो अभूतपूर्व प्रयास किया है, वह अतुलनीय है। समकालीन हिन्दी पत्रकारिता की उपादेयता को इस सन्दर्भ में समझा जा सकता है कि इसने लगभग सम्पूर्ण देश की घटनाओं को आमजन से जोड़ दिया है। यह पत्रकारिता की ही देन है कि आज हम अपने शासन प्रणाली, प्रशासनिक प्रणाली एवं सामाजिक व्यवस्था व व्यवहारों से अच्छी तरह परिचित हैं। सामाजिक समस्याओं, गतिविधियों और विविध घटना-प्रसंगों के सम्प्रेषण के लिए हिन्दी पत्रकारिता ने जिस शैली को अपनाया है, वह लोकोन्मुखी है। भाषा के तौर पर आमजन में प्रचलित शब्दावली का प्रयोग और वह भी कतिपय बहुप्रचलित मुहावरों व लोकोक्तियों के साथ करके हिन्दी पत्रकारों ने पत्रकारिता को आम आदमी से जोड़ दिया है। भाषा का सरलीकृत रूप, वाक्यों की स्पष्टरता और शैली की रवानगी के कारण हिन्दीभाषी क्षेत्रों की हिन्दी पत्रकारिता की भाषा-शैली सुगम्य और सुबोध है। 'ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन' की एक रिपोर्ट (जुलाई-दिसंबर 2015) के अनुसार देश में हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का कुल वितरण 2,55, 98,277 है जो हिन्दी पत्रकारिता की लोकप्रियता व व्यापक विस्तार का सशक्त प्रमाण है। वैसे उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार प्रान्त का विभाजन होने के बाद उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड में हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास व विकास की जानकारी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गई है। कुल मिलाकर विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि हिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी पत्रकारिता किसी वाद या पूर्वाग्रह से आवृत नहीं है तथा समेकित भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक एकता के निहितार्थ एक अलौकिक किरण दिखाई दे रही है जो हिन्दी पत्रकारिता व उसकी गरिमामय उपस्थिति को आलोकित कर रही है।

3.1.6. शब्दावली

पत्रकारिता	:	समाचार संकलन, सम्पादन, लेखन कार्य
प्रकाशन समूह	:	जब कोई कंपनी एक से ज्यादा समाचार पत्र या पत्रिका प्रकाशित करती है।
अन्तर्वस्तु	:	समाचार पत्रों की आवश्यक सामग्री
वर्गीकरण	:	समाचार पत्रों में श्रेणियों का विभाजन
समेकित संस्कृति	:	मिली-जुली संस्कृति
संचार	:	सूचनाओं, तथ्यों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान
कॉलम	:	समाचार पत्र पत्र के एक पृष्ठ पर दो रूलों (खड़ी रेखा) के मध्य जो आठ भाग खड़े होते हैं, उन्हें कॉलम कहते हैं।

3.1.7. बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. उत्तरप्रदेश से प्रकाशित पहला हिन्दी समाचार पत्र है –

(क) भविष्य

(ख) कर्मवीर

(ग) सैनिक

(घ) बनारस अख़बार

2. 'प्रभात ख़बर' का प्रकाशन होता है –

(क) राँची से

(ख) कोलकाता से

(ग) दिल्ली से

(घ) भोपाल से

3. झारखण्ड में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला हिन्दी दैनिक है –

(क) प्रभात ख़बर

(ख) हिन्दुस्तान

(ग) दैनिक जागरण

(घ) उपर्युक्त सभी

4. मध्यप्रदेश का पहला हिन्दी अख़बार है –

(क) ग्वालियर अख़बार

(ख) धर्मयुग

(ग) दैनिक भास्कर

(घ) नई दुनिया

5. 'आज' का प्रकाशन होता है –

(क) बनारस से

(ख) रायपुर से

(ग) मथुरा से

(घ) जबलपुर से

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. भाषाई पत्रकारिता क्या है ? स्पष्ट कीजिए।
2. हिन्दी पत्रकारिता के स्वरूप पर प्रकाश डालिए।
3. भाषाई पत्रकारिता के सन्दर्भ में हिन्दी पत्रकारिता के वैशिष्ट्य की विवेचना कीजिए।
4. मध्यप्रदेश में हिन्दी पत्रकारिता के विस्तार पर चर्चा कीजिए।
5. हिन्दी की प्रमुख राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं का उल्लेख कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भारतीय स्वतन्त्रता-संघर्ष में हिन्दी पत्रकारिता के विविध योगदान पर प्रकाश डालिए।
2. समकालीन हिन्दी पत्रकारिता के वर्तमान सन्दर्भ व उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए।

3.1.8. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

1. लाल, वंशीधर, भारतेन्दुयुगीन हिन्दी पत्रकारिता
2. वैदिक, डॉ॰ वेदप्रताप, हिन्दी का सम्पूर्ण समाचार पत्र कैसा हो; प्रवीण प्रकाशन, नयी दिल्ली
3. जैन, रमेश कुमार, हिन्दी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास, हंसा प्रकाशन, जयपुर
4. दीक्षित, प्रो॰ सूर्यप्रसाद (2009), जनसंचार प्रकृति और परम्परा, दिल्ली, ट्राइडैंट पब्लिशर्स, ISBN : 978-81904819-2-2
5. वैदिक, डॉ॰ वेदप्रताप (2006), हिन्दी पत्रकारिता : विविध आयाम, नयी दिल्ली, हिन्दी बुक सेंटर, ISBN : 81-85244-28-6
6. मिश्र, अच्युतानन्द, (2010), हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएँ (4), नयी दिल्ली, सामयिक प्रकाशन, ISBN : 978-81-7138-212-5 (Vol.4)
7. पीतलिया, रामशरण, (2005), हिन्दी की कीर्तिशेष पत्र-पत्रिकाएँ, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, ISBN : 81-7137-338-0
8. गोदरे, विनोद (2008), हिन्दी पत्रकारिता : स्वरूप एवं सन्दर्भ, नयी दिल्ली, वाणी प्रकाशन
9. सिंह, बच्चन, हिन्दी पत्रकारिता के नये प्रतिमान, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी

उपयोगी इंटरनेट स्रोत :

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/

❖❖❖

खण्ड – 3 : हिन्दी पत्रकारिता का विस्तार

इकाई – 2 : गैर-हिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी पत्रकारिता

इकाई की रूपरेखा

3.2.0. उदेश्य कथन
3.2.1. प्रस्तावना
3.2.2. हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत
3.2.3. हिन्दी पत्रकारिता के विकास के महत्त्वपूर्ण बिन्दु
3.2.3.01. पश्चिम बंगाल की हिन्दी पत्रकारिता
3.2.3.02. हिन्दी पत्रकारिता में कलकत्ता का योगदान
3.2.3.03. पूर्वोत्तर राज्य की हिन्दी पत्रकारिता
3.2.3.04. दक्षिण भारत की हिन्दी पत्रकारिता
3.2.3.05. पुदुच्चेरी की हिन्दी पत्रकारिता
3.2.3.06. केरल की हिन्दी पत्रकारिता
3.2.3.07. आंध्रप्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता
3.2.3.08. पंजाब की हिन्दी पत्रकारिता
3.2.3.09. महाराष्ट्र की हिन्दी पत्रकारिता
3.2.3.10. गुजरात की हिन्दी पत्रकारिता
3.2.4. पाठ-सार
3.2.5. बोध प्रश्न
3.2.6. उपयोगी ग्रन्थ-सूची
3.2.7. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

3.2.0. उदेश्य कथन

इस पाठ का उदेश्य गैर हिन्दीभाषी क्षेत्र में हिन्दी पत्रकारिता की स्थिति पर विचार करना है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान सकेंगे –

i. गैर हिन्दीभाषी राज्यों में हो रहे हिन्दी के पत्र-पत्रिकाओं के प्रचार-प्रसार को समझा जा सकेगा।
ii. आज हिन्दी विश्वभाषा के रूप में अपना नाम दर्ज करा रही है, इसकी रूपरेखा को समझा जा सकेगा।
iii. पहले की अपेक्षा वर्तमान क्षेत्रीय पटल पर गैर हिन्दीभाषी पत्रकारिता के महत्त्व एवं स्वरूप को समझा जा सकेगा।
iv. भारत के गैर हिन्दीभाषी राज्यों में हिन्दी पत्रकारिता की कहाँ तक पहुँच है इसको समझा जा सकेगा।

3.2.1. प्रस्तावना

हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत ही गैर हिन्दीभाषी राज्य बंगाल से हुआ है और इसका श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। भारत में अनेक समृद्ध भाषाएँ हैं। इन भाषाओं में हिन्दी एकता की कड़ी है। हमारे सन्तों, समाज-सुधारकों और राष्ट्रनायकों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिन्दी को अपनाया। यही एक भाषा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान से असम तक समान रूप से समझी जाती है। हिन्दी ही एकमात्र भाषा है जो समस्त भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने का कार्य करती है। आज देश में प्रायः सभी जगह हिन्दी व्यापक स्तर पर बोली और समझी जा रही है। दक्षिण भारत हो या पूर्वोत्तर भारत हर जगह हिन्दी का सहज व्यवहार हो रहा है। भाषाओं के लम्बे इतिहास में ऐसी बहुरूपी भाषा का अस्तित्व और कहीं नहीं मिलता। 2016 के आँकड़ों के अनुसार हिन्दी बोलनेवाले लोगों की संख्या एक अरब तीस करोड़ है। जनसंख्या की दृष्टि से हिन्दी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। दुनिया में शायद ही किसी भाषा का इतना तीव्र विकास और व्यापक फैलाव हुआ होगा। हिन्दी को पल्लवित-पुष्पित करने में मीडिया की महती भूमिका रही है। हिन्दी जैसी सरल और उदार भाषा शायद ही कोई हो। हिन्दी सबको अपनाती रही है, सबका यथोचित स्वागत करती रही है। किसी भी भाषा के शब्द को अपने अन्दर समाहित करने में गुरेज नहीं किया। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, फ्रांसीसी आदि विदेशी शब्द हिन्दी के शब्दकोश में मिल जाएँगे। जो भी इसके समीप आया इसने सबको अपना लिया। हिन्दी भाषा बड़े सहज भाव से धारण करती है।

इन सारी बोलियों के समूह और संश्लेषण को पहले भी हिन्दी, हिन्दवी, हिन्दई कहा जाता था, और आज हिन्दी कहा जाता है। हिन्दुस्तान के बँटवारे से पहले समूचे पाकिस्तान में पंजाब से लेकर सिन्ध तक हिन्दी की बोली समझी जाती थी। लाहौर हिन्दी का गढ़ था। वहाँ हिन्दी के कई बड़े प्रकाशन भी थे। बँटवारे के बाद हिन्दी की अनदेखी की गई लेकिन हिन्दी फ़िल्मों और भारतीय टी.वी. चैनलों के मनोरंजक कार्यक्रमों, धारावाहिकों के कारण वहाँ हिन्दी का प्रभाव फिर बढ़ रहा है। नेपाल और बांग्लादेश में भी हिन्दी का प्रभाव है। आज तकरीबन 50 देशों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है। 500 से ज्यादा संस्थानों में हिन्दी का पठन-पाठन होता है। अमेरिका से लेकर चीन तक कई विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, मॉरीशस, युगांडा, गुयाना, फिजी, नीदरलैंड, सिंगापुर, त्रिनिदाद, टोबैगो और खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में हिन्दीभाषी हैं। दुबई जैसे शहरों में हिन्दी बोलचाल की भाषा बन गयी है।

3.2.2. हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत

निर्विवाद तथ्य है कि खड़ी बोली ही आज की हिन्दी है। भारत के हिन्दी पत्रकारिता की भाषा भी यही है, पत्र-पत्रिकाओं की भी और टेलीविजन और फ़िल्मों की भी। हिन्दी भाषा का निर्माण और आगे बढ़ाने का कार्य मीडिया ने किया है। राजा राममोहन राय ने ही सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा। भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक हितों का समर्थन किया। समाज में व्याप्त अन्धविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार किये और अपने पत्रों के ज़रिये जनता में जागरूकता पैदा की। राममोहन राय ने कई पत्र शुरू किये जिसमें

महत्त्वपूर्ण है, साल 1816 में प्रकाशित 'बंगाल गजट'। बंगाल गजट भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र के सम्पादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने मिरात-उल अख़बार, संवाद कौमुदी, बंगाल हैराल्ड पत्र भी निकाले और लोगों में चेतना फैलाई। 30 मई 1826 को कलकत्ता से पण्डित युगल किशोर सुकुल के सम्पादन में निकलने वाले 'उदन्त मार्त्तण्ड' को हिन्दी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। 1873 ई. में भारतेन्दु ने 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' की स्थापना की। एक वर्ष बाद यह पत्र 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे भारतेन्दु का 'कवि वचन सुधा' पत्र 1867 में ही सामने आ गया था और उसने पत्रकारिता के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया परन्तु नयी भाषा-शैली का प्रवर्तन 1873 में 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' से ही हुआ। भारतेन्दु के बाद इस क्षेत्र में जो पत्रकार आए उनमें प्रमुख थे पण्डित रुद्रदत्त शर्मा, बालकृष्ण भट्ट, दुर्गाप्रसाद मिश्र, पण्डित सदानन्द मिश्र, पण्डित वंशीधर, बद्रीनारायण, देवकी नन्दन त्रिपाठी, राधाचरण गोस्वामी, पण्डित गौरीदत्त, राज रामपाल सिंह, प्रतापनारायण मिश्र, अम्बिकादत्त व्यास, बाबूरामकृष्ण वर्मा, पण्डित रामगुलाम अवस्थी, योगेशचन्द्र वसु, पण्डित कुन्दनलाल और बाबू देवकीनन्दन खत्री एवं बाबू जगन्नाथ दास। 1895 ई. में 'नागरीप्रचारिणीपत्रिका' का प्रकाशन आरम्भ हुआ। इस पत्रिका से गम्भीर साहित्य समीक्षा का आरम्भ हुआ और इसलिए हम इसे एक निश्चित प्रकाश-स्तम्भ मान सकते हैं। सन् 1900 में 'सरस्वती' और 'सुदर्शन' के अवतरण के साथ हिन्दी पत्रकारिता के इस दूसरे युग पर पटाक्षेप हो जाता है। इन वर्षों में हिन्दी पत्रकारिता अनेक दिशाओं में विकसित हुई।

सन् 1880 से लेकर, सदी के अन्त तक लखनऊ, प्रयाग, मिर्जापुर, वृन्दावन, मुंबई, कोलकाता जैसे दूरदराज क्षेत्रों से पत्र निकलते रहे। सन् 1900 का वर्ष हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में महत्त्वपूर्ण है। 1900 में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका अपने समय की युगान्तरकारी पत्रिका रही है। वह अपनी छपाई, सफाई, कागज और चित्रों के कारण शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। उसी वर्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर-रायपुर से 'छत्तीसगढ़ मित्र' का प्रकाशन शुरू होता है। 'सरस्वती' के ख्यात सम्पादक आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी और 'छत्तीसगढ़ मित्र' के सम्पादक पण्डित माधवराव सप्रे थे।

पत्रकारिता का यह काल बहुमुखी सांस्कृतिक नवजागरण का है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और राजनैतिक लेखन की परम्परा की शुरुआत होती है। इस दौर में साहित्यिक लेखन और पत्रकारिता के सरोकारों को अलग नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक जागरण, राजनैतिक चेतना, साहित्यिक सरोकार और दमन का प्रतिकार इन चार पहियों के द्वारा हिन्दी पत्रकारिता अग्रसर हुई। माधवराव सप्रे ने लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी को 'हिन्द केसरी' के रूप में छापना शुरू किया। समाचार सुधा वर्षण, अभ्युदय, शंखनाद, हलधर, सत्याग्रह समाचार, युद्धवीर, क्रान्तिवीर, स्वदेश, नया हिन्दुस्तान, कल्याण, हिन्दी प्रदीप, ब्राह्मण, बुन्देलखण्ड केसरी, मतवाला सरस्वती, विप्लव, अलंकार, चाँद, हंस, प्रताप, सैनिक, क्रान्ति, बलिदान, वालिंट्यर आदि जनवादी पत्रिकाओं ने आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में सोये हुए देशभक्ति के जज्बे को जगाया और क्रान्ति का आह्वान किया।

भारत के स्वाधीनता संघर्ष में पत्र-पत्रिकाओं की अहम भूमिका रही है। राजा राममोहन राय, महात्मा गाँधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक, पण्डित मदनमोहन मालवीय, बाबा साहब अम्बेडकर, यशपाल जैसे आला दर्जे के नेता सीधे-सीधे तौर पर पत्र-पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे और नियमित तौर पर लिख रहे थे जिसका असर देश के दूर-सुदूर गाँवों में रहने वाले देशवासियों पर पड़ रहा था। सत्याग्रह, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रचार-प्रसार और उन आन्दोलनों की कामयाबी में समाचार पत्रों की अहम भूमिका रही। कई पत्रों ने स्वाधीनता-आन्दोलन में प्रवक्ता की भूमिका निभायी। हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रेमचंद, निराला, बनारसीदास चतुर्वेदी, पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र, शिवपूजन सहाय आदि की उपस्थिति 'जागरण', 'हंस', 'माधुरी', 'अभ्युदय', 'मतवाला', 'विशाल भारत' आदि के रूप में दर्ज है।

भारत का पहला अख़बार बंगाल से 'बंगाल-गजट' के नाम से वायसराय हिक्की द्वारा सन् 1780 में निकाला गया था। आरम्भ में अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए अख़बारों का इस्तेमाल किया, चूँकि सारे अख़बार अँग्रेजी में ही निकल रहे थे इसलिए बहुसंख्यक लोगों तक खबरें और सूचनाएँ पहुँच नहीं पाती थीं। इस दौरान भारत में 'द हिन्दुस्तान टाइम्स', 'नेशनल हेराल्ड', 'पायनियर', 'मुंबई-मिरर' जैसे अख़बार अंग्रेजी में निकलते थे जिसमें उन अत्याचारों का दूर-दूर तक उल्लेख नहीं रहता था। इन अंग्रेजी पत्रों के अतिरिक्त बांग्ला, उर्दू आदि में पत्रों का प्रकाशन तो होता रहा लेकिन उसका दायरा सीमित था। उसे कोई बांग्ला पढ़ने वाला या उर्दू जानने वाला ही समझ सकता था। ऐसे में पहली बार 30 मई 1826 को हिन्दी का प्रथम पत्र 'उदन्त मार्त्तण्ड' का पहला अंक प्रकाशित हुआ।

'उदन्त मार्त्तण्ड' के सम्पादन से प्रारम्भ हिन्दी पत्रकारिता की विकास-यात्रा कहीं थमी और कहीं ठहरी नहीं है। पण्डित युगल किशोर सुकुल के सम्पादन में प्रकाशित इस समाचार पत्र ने हालाँकि आर्थिक अभावों के कारण जल्द ही दम तोड़ दिया परन्तु इसने हिन्दी अख़बारों के प्रकाशन का जो शुभारम्भ किया वह कारवाँ निरन्तर आगे बढ़ा है। साथ ही हिन्दी का प्रथम पत्र होने के बावजूद यह भाषा, विचार एवं प्रस्तुति के लिहाज से महत्त्वपूर्ण बन गया। अपने क्रमिक विकास में हिन्दी पत्रकारिता के उत्कर्ष का समय आजादी के बाद आया। 1947 में देश को आजादी मिली। लोगों में नयी उत्सुकता का संचार हुआ। औद्योगिक विकास के साथ-साथ मुद्रण कला भी विकसित हुई जिससे पत्रों का संगठन पक्ष सुदृढ़ हुआ। हिन्दी पत्रों ने जहाँ एक ओर बहुमुखी विकास का मार्गप्रशस्त्र किया वहीं राष्ट्रभाषा को सर्वाधिक उपयोगी बनाने का सफल प्रयास किया। पत्रकारिता की शुरुआत एक मिशन के रूप में हुई थी। स्वतन्त्रता की पृष्ठभूमि यहाँ के पत्रों एवं पत्रकारों ने ही तैयार की थी। आजादी की लड़ाई में पत्रकारिता देशभक्ति और समग्र राष्ट्रीय चेतना के साथ जुड़ी रही। इसमें देशभक्ति के अलावा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना भी शामिल है। स्वाधीनता से पहले देश के लिए संघर्ष का समय था। इस संघर्ष में जितना योगदान राजनेताओं का था उससे तनिक भी कम पत्रों एवं पत्रकारों का नहीं था। स्वतन्त्रता-पूर्व की पत्रकारिता का इतिहास तो स्वतन्त्रता-आन्दोलन का मुख्य हिस्सा ही है। तब पत्रकारिता घोर संघर्ष के बीच अपना अस्तित्व बचाये रखने के लिए प्रयत्नशील थी।

90 के दशक में भारतीय भाषाओं के अख़बारों, हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, प्रभात ख़बर आदि के नगरों-कस्बों से कई संस्करण निकलने शुरू हुए। जहाँ पहले महानगरों से अख़बार छपते थे, भूमण्डलीकरण के बाद आयी नयी तकनीक, बेहतर सड़क और यातायात के संसाधनों की सुलभता की वजह से छोटे शहरों, कस्बों से भी नगर संस्करण का छपना आसान हो गया। साथ ही इन दशकों में ग्रामीण इलाकों, कस्बों में फैलते बाज़ार में नयी वस्तुओं के लिए नये उपभोक्ताओं की तलाश भी शुरू हुई। हिन्दी के अख़बार इन वस्तुओं के प्रचार-प्रसार का एक जरिया बन कर उभरा है। साथ ही साथ अख़बारों के इन संस्करणों में स्थानीय ख़बरों को प्रमुखता से छापा जाता है। इससे अख़बारों के पाठकों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। पिछले कुछ सालों में हिन्दी मीडिया ने अभूतपूर्व सफलता अर्जित की है। प्रिंट मीडिया को ही लें, 'आई.आर.एस रिपोर्ट' देखें तो उसमें ऊपर के पाँच अख़बार हिन्दी के हैं। हिन्दी अख़बारों और पत्रिकाओं का प्रसार लगातार बढ़ रहा है। नयी तकनीक और प्रौद्योगिकी ने अख़बारों की ताकत और ऊर्जा का व्यापक विस्तार किया है।

किसी भी देश के विकास का सम्बन्ध भाषा से है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आजकल राजभाषा हिन्दी अपनी सीमाओं से बाहर आ चुकी है। यह विकास, बाज़ार और मीडिया की भाषा भी बन रही है। पूरे भारत और भारत के बाहर हिन्दी के तीव्र प्रचार-प्रसार और विकास का श्रेय मनोरंजन चैनल, समाचार चैनल, खेल चैनल और कई धार्मिक चैनल को दिया जा सकता है। अगर किसी भी देशी-विदेशी कम्पनी को अपना उत्पाद बाज़ार में उतारना होता है तो उसकी पहली नजर हिन्दी क्षेत्र पर पड़ती है क्योंकि उपभोक्ता शक्ति का वृहत्तम अंश हिन्दी क्षेत्र में ही निहित है इसलिए उसका विज्ञापन कर्म हिन्दी में ही होता है। दुनिया की एक बड़ी आबादी तक पहुँचने के लिए हिन्दी की ज़रूरत पड़ेगी ही। हिन्दी अख़बारों, हिन्दी पत्रिकाओं, हिन्दी चैनलों, हिन्दी रेडियो और हिन्दी फ़िल्मों की ज़रूरत पड़ेगी ही। हिन्दी माध्यमों का विकास होगा तो निस्सन्देह हिन्दी का भी विकास होगा। बाज़ार और मीडिया का विस्तार होगा तो हिन्दी भी फैलेगी और जब तक बाज़ार और मीडिया है तब तक हिन्दी मौजूद रहेगी। बाज़ार और मीडिया ने हिन्दी जानने वालों को बाकी दुनिया से जुड़ने के नये विकल्प खोल दिये हैं। फ़िल्म, टी.वी., विज्ञापन और समाचार हर जगह हिन्दी का वर्चस्व है।

वर्तमान युग हिन्दी मीडिया का युग है। हिन्दी भाषा का निर्माण और आगे बढ़ाने का कार्य मीडिया ने किया है। इंटरनेट और मोबाइल ने हिन्दी को और विस्तार दिया। हिन्दी में सम्प्रेषण की ताकत है। हिन्दी यूनिकोड हुई तो ब्लॉगिंग में बहार आ गई। चिट्ठा लिखने वालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। गूगल का मोबाइल और वेब विज्ञापन नेटवर्क एडसेंस हिन्दी को सपोर्ट कर रहा है। इंटरनेट पर 15 से ज्यादा हिन्दी सर्च इंजन मौजूद हैं। सोशल साइट में हिन्दी छायी हुई है। 21 फीसदी भारतीय हिन्दी में इंटरनेट का उपयोग करते हैं। हिन्दी राजभाषा के बाद अब वैश्विक भाषा बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल दुनिया में हिन्दी की माँग अंग्रेजी की तुलना में पाँच गुना तेज है। हिन्दी मातृभाषा और राजभाषा से एक नयी वैश्विक भाषा के रूप में हिन्दी बदल रही है। वह नयी प्रौद्योगिकी, वैश्विक विपणन तन्त्र और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की भाषा बन रही है। आज

मोबाइल की पहुँच ने गाँव-गाँव के कोने-कोने में संवाद और सम्पर्क को आसान बना दिया है। इस वजह से बाज़ार में आ रहे नित नवीन मोबाइल उपकरण हर सुविधा हिन्दी में देने के लिए बाध्य हैं।

3.2.3. हिन्दी पत्रकारिता के विकास के महत्त्वपूर्ण बिन्दु

i. हिन्दी पत्रकारिता का आरम्भ भारत के उन क्षेत्रों से हुआ जो हिन्दी-भाषी नहीं थे / हैं (कोलकाता, लाहौर आदि)।

ii. हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का आन्दोलन अहिन्दीभाषियों (महात्मा गाँधी, दयानन्द सरस्वती आदि) ने आरम्भ किया।

iii. हिन्दी भाषा सदा से उत्तर-दक्षिण के भेद से परे व्यावहारिक होती चली आई है। उदाहरण के लिये दक्षिण के प्रमुख सन्तों वल्लभाचार्य, विट्ठल, रामानुज, रामानन्द आदि महाराष्ट्र के नामदेव तथा सन्त ज्ञानेश्वर, गुजरात के नरसी मेहता, राजस्थान के दादू, रज्जब, मीराबाई, पंजाब के गुरु नानक, असम के शंकर देव, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु तथा सूफ़ी सन्तों ने अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार हिन्दी में ही किया है। इन्होंने एक मात्र सशक्त साधन हिन्दी को ही माना था।

iv. हिन्दी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है।

v. हिन्दी का सबसे तेज विकास उस दौर में हुआ जब हिन्दी अंग्रेजी-शासन का मुखर विरोध कर रही थी। जब-जब हिन्दी भाषा पर दबाव पड़ा, वह अधिक शक्तिशाली होकर उभरी है।

vi. जब बंगाल, उड़ीसा, गुजरात तथा महाराष्ट्र में उनकी अपनी भाषाएँ राजकाज तथा न्यायालयों की भाषा बन चुकी थी उस समय भी संयुक्त प्रान्त (वर्तमान उत्तरप्रदेश) की भाषा हिन्दुस्तानी थी (और उर्दू को ही हिन्दुस्तानी माना जाता था जो फारसी लिपि में लिखी जाती थी)।

vii. 19वीं शताब्दी तक उत्तरप्रदेश की राजभाषा के रूप में हिन्दी का कोई स्थान नहीं था परन्तु 20वीं सदी के मध्यकाल तक इसे भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव दिया गया।

viii. हिन्दी के विकास में पहले साधु-सन्त एवं धार्मिक नेताओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद हिन्दी पत्रकारिता एवं स्वतन्त्रता-संग्राम से बहुत मदद मिली; फिर बंबइया फ़िल्मों से सहायता मिली और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टी.वी.) के कारण हिन्दी समझने-बोलने वालों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

3.2.3.01. पश्चिम बंगाल की हिन्दी पत्रकारिता

हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत ही गैर-हिन्दीभाषी क्षेत्र बंगाल से हुई और इसका श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। राजा राममोहन राय ने ही सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा। भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक हितों का समर्थन किया। समाज में व्याप्त अन्धविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार किये और अपने पत्रों के ज़रिये जनता में जागरूकता पैदा की। राममोहन राय ने कई पत्र शुरू किये जिसमें अहम है, साल 1816 में प्रकाशित 'बंगाल गजट'। बंगाल गजट भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र है।[1] इस

समाचार पत्र के सम्पादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। इसके अलावा राजाराममोहन राय ने मिरात-उल अख़बार, संवाद कौमुदी, बंगाल हैराल्ड पत्र भी निकाले और पत्रों के माध्यम से लोगों में चेतना फैलायी। ऐसे में पहली बार 30 मई 1826 को हिन्दी का प्रथम पत्र 'उदन्त मार्त्तण्ड' का पहला अंक प्रकाशित हुआ।[2] यह पत्र साप्ताहिक था। 'उदन्त-मार्त्तण्ड' की शुरुआत ने भाषाई स्तर पर लोगों को एक सूत्र में बाँधने का प्रयास किया। यह केवल एक पत्र नहीं था बल्कि उन हजारों लोगों की जुबान था जो अब तक खामोश और भयभीत थे। हिन्दी में पत्रों की शुरुआत से देश में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। इससे पहले आजादी की जंग को काफी तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत किया जाता था ताकि ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों की खबरें दबी रह जाएँ। ब्रिटिश सिपाही किसी भी क्षेत्र में घुसकर मनमाना व्यवहार करते थे। लूट, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएँ आम होती थीं जो लोगों तक देश के कोने-कोने में घट रही घटनाओं की जानकारी पहुँचने लगी लेकिन कुछ ही समय बाद इस पत्र के सम्पादक युगल किशोर सुकुल को सहायता के अभाव में 11 दिसंबर 1827 को पत्र बन्द करना पड़ा इसके अन्तिम अंक में लिखा है – उदन्त मार्त्तण्ड की यात्रा – मिति पौष बदी 1 भौम संवत् 1884 तारीख दिसंबर सन् 1827।

आज दिवस लौं उग चुक्यौ मार्त्तण्ड उदन्त।
अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अन्त॥[3]

10 मई 1829 को बंगाल से हिन्दी अख़बार 'बंगदूत' का प्रकाशन हुआ। यह पत्र भी लोगों की आवाज बना और उन्हें जोड़े रखने का माध्यम। इसके बाद जुलाई 1854 में श्यामसुन्दर सेन ने कलकत्ता से 'समाचार सुधा वर्षण' का प्रकाशन किया। उस दौरान जिन भी अख़बारों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई भी ख़बर या आलेख छपा, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ी। अख़बारों को प्रतिबन्धित कर दिया जाता था। उसकी प्रतियाँ जलवायी जाती थीं, उसके प्रकाशकों, सम्पादकों, लेखकों को दण्ड दिया जाता था। उन पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाता था, ताकि वो दुबारा फिर उठने की हिम्मत न जुटा पाएँ। 'उदन्त मार्त्तण्ड' के बाद प्रमुख पत्र हैं – बंगदूत (1829), प्रजामित्र (1834), बनारस अख़बार (1845), मार्त्तण्डपंचभाषीय (1846), ज्ञानदीप (1846), मालवा अख़बार (1849), जगद्दीप भास्कर (1849), सुधाकर (1850), साम्यदण्ड मार्त्तण्ड (1850), मजहरुलसरूर (1850), बुद्धिप्रकाश (1852), ग्वालियर गजेट (1853), समाचार सुधावर्षण (1854), दैनिक कलकत्ता,

प्रजाहितैषी (1855), सर्वहितकारक (1855), सूरज प्रकाश (1861), जगलाभचिन्तक (1861), सर्वोपकारक (1861), प्रजाहित (1861), लोकमित्र (1835), भारतखण्डामृत (1864), तत्त्वबोधिनी पत्रिका (1865), ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका (1866), सोमप्रकाश (1866), सत्यदीपक (1866), वृत्तान्तविलास (1867), ज्ञानदीपक (1867), कवि वचन सुधा (1867), धर्मप्रकाश (1867), विद्याविलास (1867), वृत्तान्तदर्पण (1867), विद्यादर्श (1869), ब्रह्मज्ञानप्रकाश (1869), अलमोड़ा अख़बार (1870), आगरा अख़बार (1870), बुद्धिविलास (1870), हिन्दू प्रकाश (1871), प्रयागदूत (1871), बुंदेलखंड अख़बार (1871), प्रेमपत्र (1872) और बोध समाचार (1872)।[4]

इन पत्रों में से कुछ मासिक थे, कुछ साप्ताहिक दैनिक पत्र केवल एक था 'समाचार सुधावर्षण' जो द्विभाषीय (बांग्ला हिन्दी) था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था।

आजादी की लहर जिस तरह पूरे देश में फैल रही थी, अख़बार भी अत्याचारों को सहकर और मुखर हो रहे थे। यही वजह थी कि बंगाल विभाजन के उपरान्त हिन्दी पत्रों की आवाज और बुलन्द हो गई। उत्तर भारत में आजादी की जंग में जान फूँकने के लिए गणेश शंकर 'विद्यार्थी' ने 1913 में कानपुर से साप्ताहिक पत्र 'प्रताप' का प्रकाशन आरम्भ किया। इसमें देश के हर हिस्से में हो रहे अत्याचारों के बारे में जानकारियाँ प्रकाशित होती थीं। इससे लोगों में आक्रोश भड़कने लगा था और वे ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए और भी उत्साहित हो उठे थे। इसकी आक्रामकता को देखते हुए अंग्रेज प्रशासन ने इसके लेखकों, सम्पादकों को तरह-तरह की प्रताड़नाएँ दीं लेकिन यह पत्र अपने लक्ष्य पर डटा रहा।

इसी प्रकार बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से पत्रों का प्रकाशन होता रहा। उन पत्रों ने लोगों में स्वतन्त्रता को पाने की ललक और जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। अगर यह कहा जाए कि स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए ये अख़बार किसी हथियार से कमतर नहीं थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

कलकत्ता से 30 मई 1826 को 'उदन्त मार्त्तण्ड' के सम्पादन से प्रारम्भ हिन्दी पत्रकारिता की विकास-यात्रा कहीं थमी और कहीं ठहरी नहीं है। पण्डित युगल किशोर सुकुल के सम्पादन में प्रकाशित इस समाचार पत्र ने हालाँकि आर्थिक अभावों के कारण जल्द ही दम तोड़ दिया परन्तु इसने हिन्दी अख़बारों के प्रकाशन का जो शुभारम्भ किया वह कारवाँ निरन्तर आगे बढ़ता रहा। साथ ही हिन्दी का प्रथम पत्र होने के बावजूद यह भाषा, विचार एवं प्रस्तुति के लिहाज से काफी महत्त्वपूर्ण बन गया।

3.2.3.02. हिन्दी पत्रकारिता में कलकत्ता का योगदान

हिन्दी पत्रकारिता जगत् में कलकत्ता का बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रशासनिक, वाणिज्य तथा शैक्षिक दृष्टि से कलकत्ता का उन दिनों विशेष महत्त्व था। यहीं से 10 मई 1829 को राजा राममोहन राय ने 'बंगदूत' समाचार पत्र निकाला जो बांग्ला, फ़ारसी, अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में प्रकाशित हुआ। बांग्ला पत्र 'समाचार दर्पण' के 21 जून 1834 के अंक 'प्रजामित्र' नामक हिन्दी पत्र के कलकत्ता से प्रकाशित होने की सूचना मिलती

है लेकिन अपने शोध ग्रन्थ में डॉ० रामरतन भटनागर ने उसके प्रकाशन को संदिग्ध माना है। 'बंगदूत' के बन्द होने के बाद 15 सालों तक हिन्दी में कोई पत्र न निकला।

RNI (Registrear of Newspapers for India) की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में पश्चिम बंगाल से हिन्दी में प्रकाशित होने वाले पत्र-पत्रिकाओं की कुल संख्या 557 है।

3.2.3.03. पूर्वोत्तर राज्य की हिन्दी पत्रकारिता

आमतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों की गणना गैर-हिन्दी प्रदेशों में होती है। समय-समय पर असम व मणिपुर में हिन्दीभाषियों की हत्याएँ इस मान्यता को और भी बलवती करती हैं। फिर भी पूर्वोत्तर भारत के लोग जब अपने किसी पड़ोसी राज्य के लोगों से मिलते हैं तो उनकी सम्पर्क भाषा हिन्दी होती है। उनके लिए हिन्दी विचारों के आदान-प्रदान के लिए सबसे आसान माध्यम है। इस मामले में अंग्रेजी अब तक हिन्दी की बराबरी नहीं कर पाई है। आज भी यहाँ असमिया या बांग्ला भाषा एक-दूसरे के लिए सम्पर्क की कड़ी नहीं बन पाई हैं जबकि हिन्दी उनके लिए सेतु का कार्य करती है।

पूर्वोत्तर के मणिपुर राज्य में हिन्दी की पहली पत्रिका द्वितीय विश्व युद्ध के अन्तिम दिनों में प्रकाश में आई। यह हस्तलिखित रूप में प्रारम्भ हुई थी। दुर्भाग्य का विषय है कि वर्षों की श्रमसाध्य खोज के पश्चात् भी न तो इस पत्रिका का पता चल सका और न इसके सम्पादक का नाम ज्ञात हो सका। विश्व युद्ध के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था, अतः सैकड़ों घटनाओं के ठोस प्रमाण और संस्थाओं के पुराने अभिलेख पूरी तरह नष्ट हो गए। उन्हीं में इस प्रथम हिन्दी पत्रिका के अंक भी हमेशा के लिए काल के गर्भ में समा गए।

मणिपुर से दूसरी हिन्दी पत्रिका सन् 1954 -55 में साइक्लोस्टाइल्ड रूप में प्रकाशित हुई। इसके प्रकाशन का श्रेय श्री मोहन बिहारी, श्री सिद्धनाथ प्रसाद, श्री रामनाथ प्रसाद और झाबरमल जैन को है।

वर्तमान में पूरे पूर्वोत्तर राज्य में गुवाहाटी ऐसा शहर है जहाँ से हिन्दी के अख़बार प्रकाशित होते हैं। सेंटिनेल असम का पुराना और प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इसका हिन्दी संस्करण सेंटिनेल नाम से ही प्रकाशित होता है। तो पूर्वांचल प्रहरी दूसरा प्रमुख हिन्दी अख़बार है। इसके मालिक जी.एल. अग्रवाल हैं। वर्तमान में गुवाहाटी शहर में 'प्रातः ख़बर' और 'पूर्वोदय टाइम्स' जैसे दो नए हिन्दी के अख़बार शुरू हो चुके हैं जिन्होंने दोनों पुराने अख़बारों को चुनौती दी है। सबसे महँगे हिन्दी अख़बार गुवाहाटी में बिकते है। गुवाहाटी से प्रकाशित होने वाले सभी हिन्दी के अख़बार काफी महँगे हैं। एक कॉपी की कीमत 7 रुपये हो चुकी है तो वहीं नागालैंड में कोई हिन्दी का अख़बार नहीं पहुँचता परन्तु इंफाल में कोलकाता का सन्मार्ग दिखाई देता है। इसी तरह त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में कोलकाता का विश्वमित्र पहुँचता हैं। पूरे नार्थ ईस्ट में कोलकाता से प्रकाशित 'द हिन्दू' की माँग है।

RNI NO. ASSHIN/2005/15049 वर्ष : ९, अंक : २०८, गुवाहाटी, रविवार, ८ दिसंबर २०१३, विक्रम संवत २०७०, शक १९३५, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष–६, PRATAH KHABAR, Guwahati, Sunday, 8 December, 2013

प्रातःखबर

सुप्रभात

साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत –से लोगों का निर्माण करते हैं।
– अब्राहम लिंकन

...क्रामक गेंदबाजी करेंगे पेज–१०

नये साल में 23 दिन शेष

अंसारी बंधुओं पर सपा ने डाले डोरे

प्रीमियर स्कूल प्रदर्शनी में उमड़ी भीड़

❑ देश भर के बाईस स्कूल ले रहे हैं भाग

गुवाहाटी, ७ दिसंबर (ख.सं)। देश के विभिन्न स्थानों से आये करीब २२ स्कूल नगर के बी. बरुवा रोड स्थित तरुण राम फुकन इंडोर स्टेडियम में आयोजित दो दिनी प्रिमियर स्कूल प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी सुबह ११ बजे से शाम ६ बजे तक चलेगी। इस संदर्भ में आयोजक प्रमुख विवेक शुक्ला ने बताया कि यह पांचवां वर्ष है और प्रदर्शनी को छात्र–छात्राओं के साथ–साथ उनके अभिभावक भी काफी पसंद कर रहे हैं। खासकर इससे अच्छे स्कूल में नामांकन को लेकर चिंतित अभिभावक को एक छत के नीचे स्कूल के पाठ्यक्रम, पढ़ाई की व्यवस्था, ढांचागत सुविधाएं एवं फीस से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल हो जाती है। कौन–सी स्कूल बच्चों को क्या सुविधाएं दे रही है, इसके बारे में भी वे अवगत हो पाते हैं। उनका कहना है कि इस वर्ष मेले में दिल्ली के अलावा, देहरादुन, जयपुर, बेंगलूर आदि से स्कूलों के प्रतिनिधि यहां आये हुए हैं। अभिभावकों की बढ़ती भीड़ से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रदर्शनी बच्चों के साथ अभिभावकों के लिए सार्थक सिद्ध हो रही है।

वर्तमान में RNI की रिपोर्ट के अनुसार असम 35, मिजोरम से 2, अरुणाचल प्रदेश से 3 तथा मणिपुर से 6 हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है।

3.2.3.04. दक्षिण भारत की हिन्दी पत्रकारिता

दक्षिण भारत में हिन्दी पत्रकारिता का उदय विगत शताब्दी के आरम्भिक दशकों में हुआ। हिन्दी प्रचार आन्दोलन के आरम्भ हो जाने से हिन्दी पत्रकारिता की वृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। दक्षिण भारत में हिन्दी पत्रकारिता के उदय एवं विकास सम्बन्धी तथ्यों का आकलन स्वातन्त्र्य-पूर्व तथा स्वातन्त्र्योत्तर युगों के परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है। भारत में जब औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा गया और स्वाधीनता हासिल करने हेतु आन्दोलन का सूत्रपात हुआ, उन्हीं दिनों में जन-जाग्रति पैदा करने की दृष्टि से अनेक देश-भक्तों ने देश के विभिन्न प्रान्तों से भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों के प्रकाशन आरम्भ किए। इसी दौर में दक्षिण भारत में भी आज़ादी आन्दोलन की गतिविधियों में तेजी लाने के लिए जहाँ एक ओर स्थानीयभाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन आरम्भ हुआ, वहीं दूसरी ओर आन्दोलन की सफलता के लिए भारत की जनता में भावात्मक एकता जगाने की अनिवार्यता को महसूस करते हुए दक्षिण में हिन्दी भाषा प्रचार की आवश्यकता भी महसूस की गई तथा तत्परता से इस कार्य की रूपरेखा भी बनाई गई। दक्षिण में हिन्दी प्रचार की गतिविधियों के परिणामस्वरूप हिन्दी पत्रकारिता का उद्भव एवं कालान्तर में विकास भी सम्भव हो पाया।

स्वाधीनता-पूर्व युग में भारतीय पत्रकारिता का उदय शासकों द्वारा प्रशासन की सुविधा हेतु स्थापित प्रेसिडेंसी केन्द्रों में हुआ था। दक्षिण भारत में मद्रास महानगर भी ऐसा एक प्रेसिडेंसी केन्द्र था, जहाँ अंग्रेज़ी के अलावा तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं में पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ हुआ था। स्वाधीनता-आन्दोलन के तिलक तथा गाँधी युगों के दौर में मद्रास को केन्द्र बनाकर हिन्दी प्रचार की गतिविधियाँ आरम्भ होने के साथ ही दक्षिण भारत की हिन्दी पत्रकारिता का उदय हुआ। सर्वप्रथम तमिल के सुप्रसिद्ध कवि सुब्रह्मण्यम् भारती ने अपनी

तमिल पत्रिका 'इंडिया' के माध्यम से तमिलभाषियों से अपील की थी कि वे राष्ट्रीयता के हित में हिन्दी सीखें। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने अपनी पत्रिका में हिन्दी की सामग्री के प्रकाशन के लिए भी कुछ पृष्ठ सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया था। महाकवि भारती ने अपने तमिल पत्र के माध्यम से हिन्दी भाषाई प्रेम एवं हिन्दी पत्रकारिता की नींव डाली थी। मद्रास (चेन्नई) से ही दक्षिण भारत के प्रथम हिन्दी पत्र का प्रकाशन हुआ। सन् 1921 में इस पत्र के उदय के समय तक हिन्दी प्रचार का व्यवस्थित आन्दोलन भी शुरू हो चुका था और आन्दोलन के कार्यकर्त्ता के रूप में उत्तर भारत से आगत श्री क्षेमानन्द राहत के प्रयासों से साप्ताहिक 'भारत तिलक' के प्रकाशन के साथ ही दक्षिण भारत में हिन्दी पत्रकारिता का उदय हुआ। पूर्णतः हिन्दी में प्रकाशित दक्षिण भारत का पहला पत्र होने कारण 'भारत तिलक' को ही दक्षिण भारत की हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में दक्षिण भारत की प्रथम हिन्दी पत्र के रूप में स्थान मिलना समीचीन होगा। लगभग उन्हीं दिनों में हिन्दुस्तानी सेवा दल के मद्रास केन्द्र की ओर से डॉ॰ एस.एन. हार्डिकर के सम्पादन में 'स्वयं सेवक' के नाम से एक अंग्रेजी-हिन्दी द्विभाषी पत्रिका का प्रकाशन भी आरम्भ भी हुआ था। 1923 में हिन्दी प्रचार आन्दोलन की मुख पत्रिका के रूप में 'हिन्दी प्रचारक' का प्रकाशन दक्षिण में हिन्दी प्रचार आन्दोलन की गति सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। हिन्दी प्रचार आन्दोलन की पत्रकारिता का उदय भी सन् 1928 'हिन्दी प्रचारक' से ही माना जा सकता है।

मद्रास प्रेसिडेंसी केन्द्र से हिन्दी पत्रकारिता के उदय के लगभग एक दशक के बाद क्रमशः आन्ध्र, पुदुच्चेरी तथा केरल से हिन्दी पत्रकारिता का उदय हुआ। कर्नाटक प्रान्त में हिन्दी पत्रकारिता का उदय स्वाधीनता प्राप्ति के बाद ही सम्भव हो पाया। इन प्रदेशों में हिन्दी पत्रकारिता के उदय के कारण तथा परिस्थितियों में विविधता व भिन्नता भी नज़र आती है। आंध्र में मुख्यतः हैदराबाद व उसके आस-पास के प्रान्त निज़ाम रियासत के रूप में मुसलमान शासकों के अधीन था। आरम्भ से हैदराबाद का शासन विवादों से मुक्त आदर्श प्रदेश के रूप में जाना जाता था किन्तु निज़ाम स्वभावतः अंग्रेज़ों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाए रखते हुए उनकी अधीनता को स्वीकार कर चुके थे। इसी दौर में हैदराबाद रियासत में साम्प्रदायिक विद्वेश की भावनाएँ फैल गई। इतिहास से इस बात की भी जानकारी मिलती है कि निज़ाम शासकों के सहयोग से इस्लामी उग्रपन्थियों ने हिन्दुओं को यातनाएँ देते हुए धर्म परिवर्तन के लिए उन दबाव डालना भी शुरू कर दिया था। सनातन धर्मियों के समक्ष उपस्थित खतरे को दूर करने, धर्म प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से 1931 में श्री अर्जुन प्रसाद मिश्र कंटक के प्रयासों से मासिक हिन्दी पत्रिका 'भाग्योदय' के प्रकाशन से आंध्र प्रान्त में हिन्दी पत्रकारिता का उदय हुआ। आंध्र प्रान्त से आरम्भिक दिनों में प्रकाशित लगभग सभी हिन्दी की पत्र-पत्रिकाएँ धार्मिक-राष्ट्रीय चेतना के परिणामस्वरूप ही प्रकाशित हुई थीं। आर्य समाजीय हिन्दी पत्रकारिता का उद्देश्य भी राष्ट्रीय चेतना का प्रसारण ही रहा है।

पण्डित हरिकेश शर्मा –

ये दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास की पत्रिका 'हिन्दी प्रचारक' के प्रथम सम्पादक बनकर मध्यप्रदेश से मद्रास आए। इन्होंने सन् 1923 से 1926 तक इसका सफल सम्पादन किया।

मोटूरी सत्यनारायण –

इन्होंने सन् 1928 से हिन्दी प्रचारक का सम्पादन का भार अपने कन्धों पर लिया हिन्दी के प्रबल पक्षधर मोटूरी नेहरूजी के मित्र तथा उनके साथ सांसद रहे है। इन्हें भारत सरकार ने इनकी पद्मभूषण से सम्मानित किया गया।

रामानन्द शर्मा –

मद्रास सरकार की पत्रिका 'दक्खिनी हिन्दी' के प्रधान सम्पादक रामानन्द शर्मा ने सन् 1947 से 1952 तक सफलतापूर्वक सम्पादन किया।

प्रो॰ बालशौरि रेड्डी –

इन्होंने कई वर्षों तक 'चन्दामामा', 'नवता', 'फाल्कन' तथा 'अकन' का सम्पादन किया। ये लेखक तथा प्रसिद्ध अनुवादक तथा हिन्दी सेवी रहे हैं। आंध्र रत्न से सम्मानित बाल शौरी रेड्डी को अनेक राज्यों की सरकारों व केन्द्र सरकार के द्वारा कई बार पुरस्कृत किया जा चुका है।

आरिगपुडि रमेश चौधरी –

'दक्षिण भारत', 'चन्दामामा' तथा 'इंडियन रिपब्लिक' के सम्पादक रहे। हिन्दी पत्रकारिता में इनका विशेष योगदान है। इन्होंने हिन्दी के कई ग्रन्थों का सम्पादन किया तथा एक दर्जन से अधिक मौलिक हिन्दी उपन्यास रचकर दक्षिण के विशिष्ट लेखक बन गए है।

बी. नागि रेड्डी –

ये 'चन्दामामा' मासिक (12 भाषाओं) के प्रकाशक रहे हैं। 'नवात' तथा 'फाल्कन' का भी प्रकाशन इनके द्वारा ही हुआ। बाल पत्रकारिता में इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता।

विश्वनाथ केडिया –

'निर्मला' साप्ताहिक के सम्पादक थे। चेन्नई (मद्रास) नगर के हिन्दी पत्रकारिता में 'निर्मला' के माध्यम से इन्होंने हिन्दी के क्षेत्र में विस्तार किया।

3.2.3.05. पुदुच्चेरी (पहले पोंडिचेरी) की हिन्दी पत्रकारिता

पुदुच्चेरी प्रदेश में स्वाधीनता-आन्दोलन के आध्यात्मिक नेता महात्मा श्री अरविन्द के आश्रम से चौथे दशक में हिन्दी पत्रिका 'अदिति' के प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्रकारिता का उदय हुआ। राष्ट्रीयता के आराधक

श्री अरविन्द की विचारधाराओं के प्रचार-प्रसार हेतु 'अदिति' का प्रकाशन हुआ था। राष्ट्रीय विचारधारा को बल प्रदान करने में 'अदिति' की अग्रणी भूमिका रही।

3.2.3.06. केरल की हिन्दी पत्रकारिता

केरल की हिन्दी पत्रकारिता के उदय का मूल कारण हिन्दी प्रचार आन्दोलन ही रहा। हिन्दी प्रचार की गतिविधियों में संलग्न मलयालमभाषी हिन्दी प्रेमी एवं हिन्दी प्रचार आन्दोलन के कर्मठ कार्यकर्त्ता श्री नीलकण्ठन् नायर के प्रयासों से प्रकाशित 'हिन्दी मित्र' से केरल की हिन्दी पत्रकारिता का उदय माना जा सकता है। 'हिन्दी मित्र' के प्रकाशन के बाद ही केरल से अन्य हिन्दी पत्रकाओं का प्रकाशन आरम्भ हुआ। हिन्दी प्रचार सम्बन्धी राष्ट्रीय महत्त्व के कार्य में हाथ बँटाने के उद्देश्य से केरल की मलयालम पत्रकारिता ने भी साप्ताहिक हिन्दी परिशिष्ट प्रकाशित करना शुरू किया। कर्नाटक में भले ही हिन्दी प्रचार आन्दोलन का सूत्रपात स्वाधीनता-पूर्व युग में ही हुआ था, किन्तु कोई पत्र-पत्रिकाएँ उक्त अवधि में वहाँ से हिन्दी में प्रकाशित नहीं हो पाई।

हिन्दी प्रचारार्थ स्थापित एक संस्था की मुख पत्रिका के रूप में 1954 में प्रकाशित 'हिन्दी वाणी' से कर्नाटक में हिन्दी पत्रकारिता का उदय हुआ था। दक्षिण के सभी प्रदेशों में हिन्दी पत्रकारिता के उदय के कारणों एवं प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के उद्देश्यों के अध्ययन से यह तथ्य उजागर हो जाता है कि राष्ट्रीयता की प्रबल भावनाओं से ही दक्षिण भारत में हिन्दी पत्रकारिता का उदय हुआ था। स्वाधीनता-आन्दोलन को अपेक्षित सम्बल प्रदान करने की दिशा में दक्षिण भारत की हिन्दी पत्रकारिता ने भी अग्रणी भूमिका निभायी थी। हिन्दी प्रचार आन्दोलन, धार्मिक जागरण जैसी जो भी घटनाएँ आज़ादी आन्दोलन के युग में दक्षिण में घटीं, उनका प्रमुख उद्देश्य यहाँ की जनता की सोच को उचित दिशा देकर राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति समर्पित होने के लिए अपेक्षित भाव-भूमि तैयार करने में तत्पर होने के लिए विवश करने का ही रहा है, इसमें दो राय नहीं हैं। राष्ट्रीय आन्दोलन के एक अभिन्न अंग के रूप में हिन्दी प्रचार एवं खादी प्रचार को अपना दैनिक कार्यक्रम मानते हुए अनुशासन बद्ध कार्यकर्त्ताओं ने गाँव-गाँव में पहुँचकर राष्ट्रभक्ति की भावनाएँ फैलायी थीं। इन आन्दोलनों को हिन्दी पत्रकारिता से अपेक्षित प्रेरणा एवं सम्बल भी मिला था।

दक्षिण भारत में हिन्दी पत्रकारिता के उदय से सम्बन्धित अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि राष्ट्रीयता के भावबोध एवं राष्ट्रीय आन्दोलन के अंग के रूप में हिन्दी पत्रकारिता का उदय हुआ था। हिन्दी पत्रकारिता की मूल चेतना राष्ट्रीयता की भावना ही रही है। स्वाधीनता-पूर्व युग में हिन्दी पत्रकारिता के उदय के दिनों से लेकर स्वाधीनता की प्राप्ति तक प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के उद्देश्य, उनमें प्रकाशित सामग्री तथा उन पत्र-पत्रिकाओं की देन को ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारत की स्वातन्त्र्यपूर्व हिन्दी पत्रकारिता की मूल चेतना को आँकने का प्रयास अगले अनुच्छेदों में किया जा रहा है।

दक्षिण भारत से विभिन्न केन्द्रों से 1921 से 1947 तक प्रकाशित हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं को समग्र रूप में स्वाधीनता-पूर्व की हिन्दी पत्रकारिता के रूप में मानकर यदि हम मूल्यांकन करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दक्षिण भारत की स्वाधीनता-पूर्व हिन्दी पत्रकारिता की चेतना के मूल में किस प्रकार की भावनाएँ थीं।

स्वाधीनता-पूर्व युग में दक्षिण भारत से लगभग डेढ़ दर्जन पत्र-पत्रिकाएँ हिन्दी में प्रकाशित हुई थीं। आधे दर्जन अन्य भाषा (तमिल एवं मलयालम) के समाचार पत्रों ने कुछ समय तक हिन्दी की समग्री को स्थान देकर भाषाई सद्भावना का उदाहरण उपस्थित किया था। तमिलनाडु से प्रकाशित हिन्दी पत्रिकाओं की मूल चेतना की ओर देखेंगे तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि तमिलनाडु में राष्ट्रीय भावनाओं के पोषणार्थ हिन्दी पत्रकारिता ने कार्य किया। तमिल की पत्र-पत्रिकाओं ने भी हिन्दी की सामग्री के प्रकाशन के साथ भाषाई सद्भावना दर्शायी थी। समाचार प्रकाशनार्थ प्रकाशित पत्रों के माध्यम से राजनैतिक चेतना जगाने की कोशिशें की गई थीं। हिन्दी प्रचार आन्दोलन को गति देने के उद्देश्य से दो-चार पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ जिनकी मूल चेतना भावात्मक एकता को दिशा देना था। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गरिमा को रेखांकित करने की दृष्टि से जहाँ एक ओर साहित्यिक पत्रकारिता का एक बड़ा योगदान रहा जबकि साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के प्रचारार्थ धार्मिक चेतना को जगाने की दृष्टि से भी दो पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई थीं। इस तथ्य से उद्घाटित होता है कि स्वाधीनता-पूर्व युग में तमिलनाडु से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं की समग्र चेतना से राष्ट्रीय आन्दोलन को बल मिला था। स्वाधीनता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा एवं निष्ठा भरने में इन पत्र-पत्रिकाओं ने अवश्य ही तत्परता दर्शायी थी।

3.2.3.07. आंध्रप्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता

आंध्रप्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता की पृष्ठभूमि तमिलनाडु की स्थितियों से भिन्नता रखती है। यहाँ धार्मिक चेतना जगाने, सनातन धर्म प्रचारार्थ, आर्य समाजीय वैचारिक मूल्यों के प्रसारार्थ पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई थीं। आर्य समाजीय पत्र-पत्रकाओं का लक्ष्य जन-जाग्रति भी था। इन्हीं दिनों में व्यापार की रीति-नीतियों पर केन्द्रित एक पत्रिका भी हैदराबाद से प्रकाशित हुई थी। हैदराबाद रियासत में इस्लाम धर्मी शासकों के दौर में जब अल्पसंख्यक कट्टरपंथियों द्वारा अधिसंख्य हिन्दू-धर्मियों पर खतरे के बादल मंडराने लगे तब व्यक्तिगत एवं संस्थागत प्रयासों से धार्मिक चेतना जगाकर जन-जाग्रति लाने, तद्वारा राष्ट्रीयता की भावनाओं को सींचने का प्रयास किया गया। आरम्भिक दिनों में जहाँ वैयक्तिक प्रयासों से सनातन धर्म प्रचारार्थ पत्रिकाएँ निकाली गईं, वहीं दूसरी ओर आर्यसमाज की ओर से जन-जाग्रति एवं जातीय चेतना को लक्ष्य में रखते हुए पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया। निज़ाम शासकों के विरुद्ध जनमत तैयार करने में संलग्न इन पत्र-पत्रिकाओं पर शासक पक्ष द्वारा रोक लगाए जाने के बावजूद इधर-उधर से प्रकाशित होते हुए अपने अस्तित्व को बरक़रार रखते हुए इन पत्रों ने जागरूकता पैदा की थी। आंध्र के इन सभी प्रयासों की समग्र चेतना भी अखण्ड राष्ट्र की संकल्पना हेतु धार्मिक चेतना जगाकर राष्ट्रीय चेतना में प्रवृत्त करने की थी।

केरल की हिन्दी पत्रकारिता का आदर्श हिन्दी प्रचार आन्दोलन को गति देने का रहा। व्यक्तिगत प्रयासों से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से भाषाई प्रेम, राष्ट्रीय एकता की भावनाओं का प्रचार किया गया था।

मलयालम की पत्र-पत्रिकाओं ने भी कुछ समय तक हिन्दी के परिशिष्ट छापकर भाषाई सद्भावना का श्रेष्ठ उदाहरण उपस्थित किया था।

पुदुच्चेरी (पहले पोंडिचेरी) की पत्रकारिता की मूल-प्रेरणा भी राष्ट्रीय चेतना से ओत प्रोत विराट् व्यक्तित्व महात्मा अरविन्द की रही है। दक्षिण भारत से स्वाधीनता-पूर्व प्रकाशित समस्त हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की मूल चेतना राष्ट्रीय आन्दोलन को बल देने की ही थी। राष्ट्रवादियों के चिन्तन को बौद्धिक एवं हृदयगत सम्बल देने की दिशा में अपने स्तर पर सम्भव योगदान इन पत्र-पत्रिकाओं ने सुनिश्चित किया था।

आइए, दक्षिण भारत में स्वातन्त्र्य-पूर्व युग में प्रकाशित हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं पर विचार करें।

सर्वप्रथम मद्रास से प्रकाशित 'भारत तिलक' में स्थानीय समाचार प्रकाशित होते थे। हिन्दी प्रचार आन्दोलन के सक्रिय कार्यकर्त्ता द्वारा सम्पादित होने के कारण हिन्दी का प्रचार-प्रसार भी इस पत्र का अभिन्न उद्देश्य बन गया था। हिन्दी प्रचार आन्दोलन को गति देन के उद्देश्य से हिन्दी प्रचार कार्य में संलग्न संस्थाओं की ओर से प्रकाशित मुख-पत्रिकाओं में हिन्दी प्रचार आन्दोलन की गतिविधियों की खबरें, अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ, लेख आदि प्रकाशित होते थे। ऐसी पत्रिकाओं में 'हिन्दी प्रचारक' प्रथम पत्र है जो कालान्तर में 'हिन्दी प्रचार समाचार' के नाम से प्रकाशित होने लगी थी और आज भी उसी नाम से प्रकाशित हो रही है। 'हिन्दी पत्रिका' के नाम से एक पत्रिका भी तमिलनाडु के तिरुच्चिरापल्ली से प्रकाशित हुई थी, जो अब भी प्रकाशित हो रही है। इन पत्रिकाओं की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हिन्दी प्रचार आन्दोलन के कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रेरक एवं उपयोगी लेख, हिन्दी प्रचार की गतिविधियों से सम्बन्धित खबरें व अन्य सामग्री प्रकाशित करने की रही हैं। उक्त पत्रिकाओं के अलावा हिन्दी साहित्यिक पत्रिकाएँ 'दक्षिण भारत' और 'दक्खिनी हिन्द' मद्रास से प्रकाशित हुई थीं। इनमें मौलिक एवं अनूदित रचनाओं के अलावा आलोचनात्मक लेख, तुलनात्मक आलेख आदि को स्थान दिया जा रहा था। हिन्दी प्रचार आन्दोलन में दीक्षित कार्यकर्त्ताओं द्वारा व्यक्तिगत प्रयासों से केरल में 'हिन्दी मित्र' तथा 'विश्व भारती' पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई थीं जिनके माध्यम से हिन्दी में मौलिकसर्जना को सम्बल देने का प्रयास किया गया था।

एक ओर जब हिन्दी प्रचार की गतिविधियों में तेजी थी, उन्हीं दिनों में दक्षिण भारत में धार्मिक जागरूकता हेतु भी कई प्रयास किए गए। मध्व सम्प्रदाय के प्रचारार्थ 'पूर्णबोध', द्वैत सिद्धान्तों के प्रचारार्थ 'नृसिंहप्रिय', सनातनधर्म के प्रचारार्थ 'भाग्योदय', दशनाम गोस्वामियों की परम्परा की पत्रिका के रूप में 'गोस्वामी पत्रिका', वैदिक सिद्धान्तों, आर्य समाजीय मूल्यों के प्रचारार्थ आर्यसमाज की ओर से कुछ पत्र-पत्रिकाएँ स्वाधीनता-पूर्व युग में प्रकाशित हुई थीं। सम्बद्ध धर्म, सम्प्रदाय के सिद्धान्तों पर केन्द्रित सामग्री प्रकाशित करना इन पत्रिकाओं की मूल-प्रवृत्ति थी। आर्यसमाज की पत्रकारिता ने राजनैतिक क्रान्ति की आवाज़ भी दी थी। स्वातन्त्र्यपूर्व युग में हिन्दुस्तानी सेवादल की ओर से एक मुख-पत्र अंग्रेज़ी में प्रकाशित होती थी जिसमें हिन्दी में भी कुछ सामग्री प्रकाशित की जाती थी जो मुख्यतः राजनैतिक चेतना के प्रसारण के लक्ष्य से प्रकाशित होती थी। निज़ाम रियासत में व्यापार विषयक एक पत्रिका भी प्रकाशित हुई थी जो स्वातन्त्र्यपूर्व युग में दक्षिण भारत की हिन्दी पत्रकारिता की विविधता को उजागर करती है।

दक्षिण भारत में हिन्दी पत्रकारिता के उद्गम के दिनों में प्रकाशित सभी पत्र-पत्रिकाओं के समग्र मूल्यांकन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आरम्भिक दशकों में ही पत्रकारिता के विविध आयामों का विकास हो पाया था। वर्तमान में 49 हिन्दी के पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन दक्षिण भारत से हो रहा है।

3.2.3.08. पंजाब की हिन्दी पत्रकारिता

हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में जिस पत्रिका ने पंजाब में सबसे अधिक प्रभाव डाला, वह थी 'पंचाल पण्डिता'। यह कन्या महाविद्यालय जालन्धर के संस्थापक लाला देवराज के सम्पादकत्व में सन् 1901 में केवल हिन्दी में निकालने लगी। इसके अतिरिक्त उन दिनों कई छोटी बड़ी पत्रिकाएँ नकलती रहीं। जैसे – 'भारत भगिनी', 'सुगृहिणी' आदि।

1903 के पश्चात् पंजाब में तो एक प्रकार से पत्रिकाओं की बाढ़ ही आ गयी जो पत्रिकाएँ उन दिनों प्रकाशित हुईं, उनमें 'आर्य प्रभा', 'चाँद', 'आर्य ग्रन्थावली', 'सुदेशबन्धु', 'भारतमित्र', 'रावी', 'प्रेमविलास', 'उषा', 'देशोपकारक', 'अमृत', 'आचार्य', 'ऋग्वेद संहिता', 'वैद्य अमृत', 'हितकारी', 'टेम्परेस मगजीन' 'शान्ति', 'वेदार्थ दीपिका', 'सेवक', 'रोडवंश', 'हिमलाप', 'व्यापार', और 'सेवक बन्धु' आदि प्रमुख हैं। यह क्रम 1920 तक चलता रहा। 1920 में जालन्धर से 'भारती' जिसके सम्पादक श्री शांताराम बी.ए. थे और लाहौर से 'ज्योति' जिसकी सम्पादिका कुमारी विद्यावती सेठ थी, शुरू हुई। कन्या महाविद्यालय से एक और पत्रिका 'जलविद सखा' 1922 से प्रारम्भ हुई। 'विधवा सहायक', 'रिसाला निरंकारी', 'आकाशवाणी', 'युगान्तर', और वीर सन्देश सब 1922-23 में लाहौर से प्रकाशित हुए। 1924 में लाला खुशहालचंद खुरसंद ने 'आर्य गजट' नामक पत्र लाहौर से प्रारम्भ किया और श्री शांताराम बी.ए. ने 'जलपात तोड़क'। 1928 में गुरुदत्त भवन लाहौर से आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का मासिक पत्र 'आर्य' प्रारम्भ हुआ। इन पत्र-पत्रिकाओं का क्रम 1929 तक चलता रहा।

11 सितंबर 1929 को खुशहालचंद खुरसंद ने श्री सुदर्शन के सम्पादकत्व में हिन्दी मिलाप प्रारम्भ किया। मार्च 1930 में चन्द्रगुप्त विद्यालंकार के सम्पादन में जन्मभूमि नाम का एक दैनिक पत्र प्रकाशित होना होना शुरू हुआ। 'दैनिक मिलाप' पंजाब में हिन्दी का पहला पत्र था या जन्मभूमि, यह विवादास्पद है। 1929 में श्रीमती शन्नोदेवी के सम्पादन में शक्ति नामक एक दैनिक पत्र लाहौर से प्रकाशित होना शुरू हुआ। 1938 से डॉ॰ जयनाथ 'नलिन' इसके सम्पादक हुए। 'शक्ति' के सम्पादक मण्डल में उपेन्द्रनाथ 'अश्क', सुरेन्द्र शर्मा, इन्द्रनाथ आनन्द आदि भी थे। 1936 में ही 'दैनिक प्रताप' के सम्पादक श्री महाशय कृष्णजी ने प्रभात नाम से दैनिक पत्र निकला। 1942 के अन्तिम दिनों में 'विश्वबन्धु' लाहौर से प्रारम्भ किया गया जिसके सम्पादक श्री वी. पी. माधव और संयुक्त सम्पादक डॉ॰ जयनाथ 'नलिन' थे। इसके सम्पादक मण्डल में जमनादास अख़्तर, मदनमोहन गोस्वामी, जगन्नाथ प्रभाकर, विश्वप्रकाश दीक्षित 'बटुक' आदि रह चुके हैं।

जब देश का विभाजन हुआ तो लाहौर से 'हिन्दी दैनिक मिलाप', 'शक्ति', 'विश्वबन्धु', 'जन्मभूमि' पत्र निकल रहे थे। इसके अतिरिक्त उन्हीं दिनों पंजाब से कई मासिक हिन्दी पत्र भी प्रकाशित हो रहे थे जिनमें से 'शान्ति" 'युगान्तर', हिन्दी-सन्देश', अलंकार भारती, आर्य, बलिदान दीपक विश्वबन्धु आर्य जगत् आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

पंजाब में हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत खुशहालचन्द्र खुसन्द ने दैनिक 'हिन्दी मिलाप' (1929), शन्नोदेवी ने दैनिक 'शक्ति', महाशय कृष्ण और वीरेन्द्र का 'प्रभात'(1936), वी. पी. माधव का 'विश्वबन्धु' (1942), सन्तराम बी.ए. का 'जात-पात तोड़क' (1924) तथा 'भारती'(1920), अविन्द्र कुमार विद्यालंकार का 'आर्य' (1929), भीमसेन विद्यालंकार का 'सत्यवादी'(1925), लाला लाजपत राय का 'पंजाब केसरी उल्लेखनीय अख़बार है। इन पत्रों और पत्रकारों का स्वाधीनता-संग्राम के संघर्ष, हिन्दी के प्रचार-प्रसार और समाज-सुधार के यज्ञ में उत्साहपूर्वक योगदान रहा है[5] और लाला लाजपत राय ने पंजाब से 'वन्दे मातरम्' पत्र निकाला।

हिन्दी मिलाप
धर्मनीति
मलफोर्ड ने कांग्रेस को कटघरे में खींचा
अपने ही बयान में घिरे दिग्गी राजा
संसदीय प्रणाली के भविष्य पर पीएम चिंतित
उप-मुख्यमंत्री का चुनाव उचित समय पर : किरण
STYLE STATEMENT
STATUS
Exclusive Homes For Elite
Nestled in lush greenery
10 landscaped parks with Huge central park
Ashoka A-la-maison KOMPALLY

1948 में पंजाब से 'प्रकाश' नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। लुधियाना से सन्तराम के सम्पादन में 1958 में 'शोभा' पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। 1958 में ही उमेश मल्होत्रा के सम्पादन में जालन्धर सिटी से 'नन्हें-मुन्ने' पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। वाराणसी से राजकुमार वहीं के सम्पादन में 1958 में 'राजा बेटा' का प्रकाशन शुरू हुआ। इसी वर्ष मुरादाबाद से शान्ति प्रसाद दीक्षित के सम्पादन में 'बालबन्धु' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। 1959 में 'मीनू-टीनू' पत्रिका रमाकान्त पाण्डेय के सम्पादन में चक्रधर (बिहार) से निकली। दयाशंकर मिश्र 'दद्दा' ने दिल्ली से 'राजा भैया' पत्रिका निकाली। अमृतसर से गुरसरण सिंह साखी से सम्पादन में 'बाल फुलवारी' का प्रकाशन हुआ। वर्तमान में कुल 636 हिन्दीभाषी अख़बारों का प्रकाशन पंजाब से होता है।

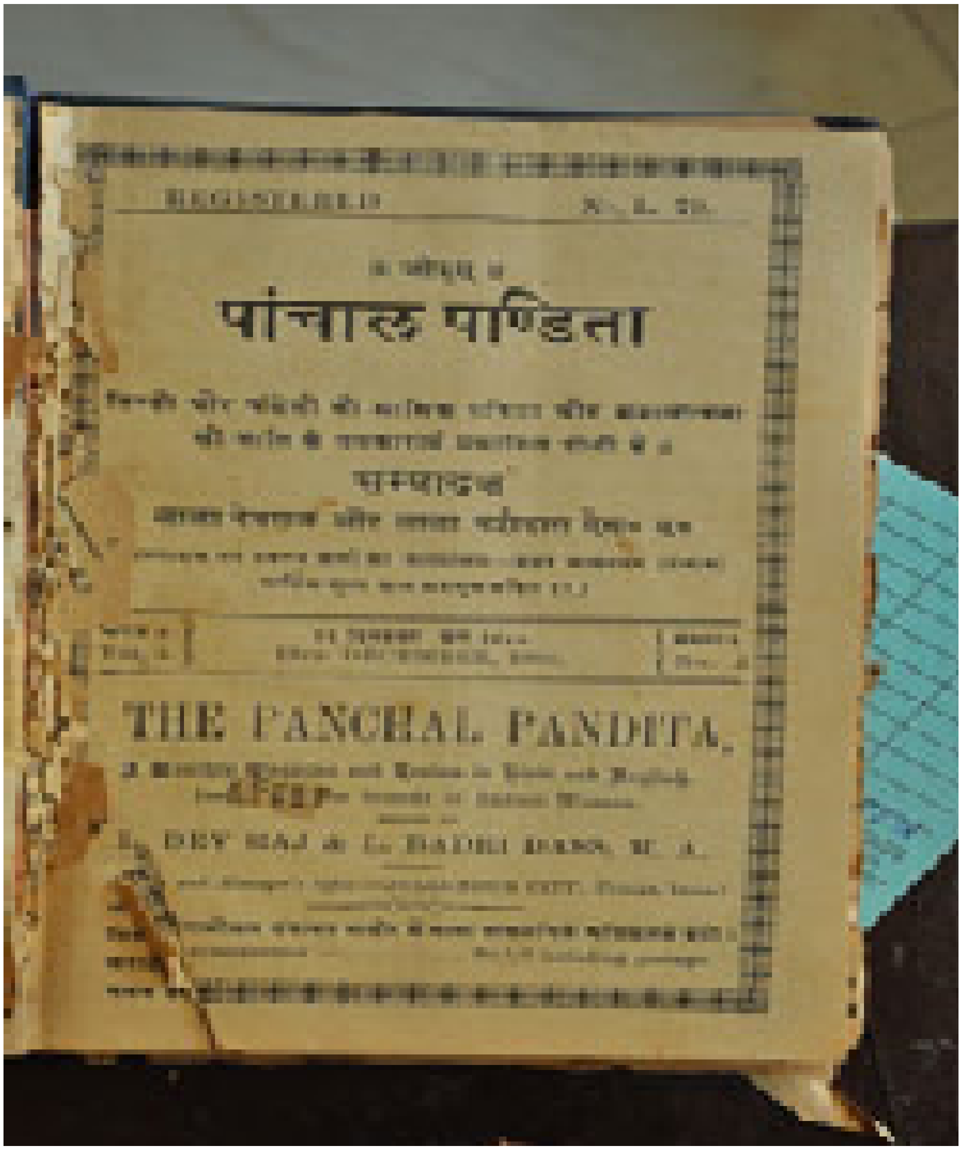

3.2.3.09. महाराष्ट्र की हिन्दी पत्रकारिता

महाराष्ट्र की हिन्दी पत्रकारिता के विकास में योगदान सिर्फ हिन्दीभाषियों ने ही नहीं दिया बल्कि अहिन्दीभाषी भी इसके सहयोगी रहे जो महाराष्ट्र में न रहते हुए भी हिन्दी पत्रकारिता की सेवा करते रहे। आज इसी वजह से महाराष्ट्र के निवासी श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर हिन्दी पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते हैं।

पण्डित माधवराव सप्रे (छत्तीसगढ मित्र, कर्मवीर) राष्ट्रीयता की प्रतिमूर्ति थे। उनकी हिन्दीनिष्ठा अपराजेय थी। उनका कहना था – “मैं महाराष्ट्रीय हूँ परन्तु हिन्दी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना किसी भी हिन्दीभाषी को हो सकता है।” माधवराव सप्रे ने ‘केसरी’ को नागपुर से निकाला लेकिन तिलक के उत्तेजक लेखों के कारण इस पत्र पर पाबन्दी लगा दी गई। इन पत्रों ने युवाओं को आजादी की लड़ाई में अधिक-से-अधिक सहयोग देने का आह्वान किया। इन पत्रों ने आजादी पाने का एक जज्बा पैदा कर दिया।

सन् 1870 में नागपुर से 'नागपुर गजट' नामक समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ। यह हिन्दी के साथ-ही-साथ उर्दू और मराठी में प्रकाशित होता था। इसका संचालन प्रादेशिक शिक्षा समिति करती थी। 'कवितेन्दु' नामक मासिक पत्र सन् 1881 में निकला जो कविता का पत्र था। 'कृषि कारक' अथवा 'शेतकरी' नामक किसानों का मासिक पत्र अमरावती से निकला यह किसी मराठी मासिक पत्र का हिन्दी भाषान्तरण था। सन् 1893 में बम्बई से बाबू गोपालराम गहमरी ने 'भारतभूषण' नाम का मासिक पत्र हिन्दी में निकला। यह जीवन चरित्र का मासिक पत्र था। सन् 1901 में 'भारतधर्म' पत्र बंबई से पण्डित शंकरदास शास्त्रिपदे ने हिन्दी, मराठी और गुजराती तीन भाषाओं में निकाला था। सन् 1905 में पण्डित माधवराव सप्रे ने मासिक पत्र के रूप में नागपुर में हिन्दी ग्रन्थ-माला की नींव डाली। इसी वर्ष लोकमान्य तिलक के 'केसरी' का हिन्दी संस्करण 'हिन्दी केसरी' नाम से नागपुर से प्रकाशित हुआ यह गरम दल का अख़बार था।

महाराष्ट्र में हिन्दी समाचार-पत्रों का आधुनिक युग नागपुर के 'नवभारत' के साथ प्रारम्भ होता है। सन् 1938 में श्री रामगोपाल महेश्वरी ने नागपुर से 'नवभारत' दैनिक पत्र प्रकाशित करना प्रारम्भ किया। सन् 1943 में महाराष्ट्र से एक भी पत्र हिन्दी में प्रकाशित नहीं हुआ।

सन् 1963 से 1974 ई. तक महाराष्ट्र में कई पत्र-पत्रिकाओं निकली परन्तु 1968 ई. तक का समय हिन्दी पत्रकारिता का मुख्य युग माना जाता है। सन् 1969 से अब तक निकली पत्रिकाओं में 'रविवारीय आनन्द' पुणे, रविभारत' बम्बई 'महाराष्ट्र ध्वनि' पुणे, 'हलकारा' बंबई का विशेष स्थान है। महाराष्ट्र में हिन्दी पत्रकारिता के अन्तर्गत सिर्फ समाचारों की दृष्टि से ही पत्र नहीं निकले। यहाँ पर खेती, आर्थिक, मार्केट, साहित्यिक तथा अन्य विषयों की पत्र-पत्रिकाएँ भी प्रकाशित होती रही हैं। श्री रामरिख 'मनहर' 'मंगलदीप', श्री उमाकान्त वाजपेयी 'आशीर्वाद' तथा श्री मुकुल उपाध्याय 'हास्यम्' नामक वार्षिक पत्रिकाएँ निकालते हैं। 2 अक्टूबर 1975 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा हिन्दी में एक मासिक पत्रिका 'महाराष्ट्र मानस' श्री का. रा. दुबे के सम्पादक में प्रकाशित की गयी है।

नवभारत
नहीं खुले कार्यालय

महाराष्ट्र में हिन्दी पत्रकारिता की स्थिति सन् 1960 से पहले एक विकासमान शिशु के सदृश थी परन्तु 1960 से अब तक उसका विकास तेजी से हुआ, इसी कारण उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता के बाद महाराष्ट्र की हिन्दी पत्रकारिता का देश में तीसरा क्रमांक लगता है। महाराष्ट्र में हिन्दी पत्रकारिता के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, 'अपर्याप्त वित्तीय साधन'। महाराष्ट्र में थोड़े ही समाचार पत्र ऐसे हैं जो किसी तरह अपना खर्च चला लेते हैं और दो-चार पत्र ही ऐसे हैं, जो ठीक से चल रहे हैं और इस अप्रिय स्थिति का ही यह परिणाम है कि पत्रकारों में स्थायी बेकारी या अर्द्ध बेकारी फैली रहती है। उन्हें इतना कम वेतन मिलता है कि जिसे लज्जास्पद ही कहा जा सकता है। उन्हें सुख-सुविधाएँ भी बहुत कम प्राप्त हैं। आज महाराष्ट्र के बहुत से लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से देश में राजनैतिक चेतना फैलती गयी, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और साक्षरता बढ़ी है, उस हिसाब से हिन्दी समाचार-पत्रों की संख्या में कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई।

3.2.3.10. गुजरात की हिन्दी पत्रकारिता

मेहता लज्जाराम शर्मा (सर्वहित, वेंकटेश्वर समाचार) गुजरातीभाषी थे लेकिन हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया था। उनका दृढ़ विश्वास था कि हिन्दी एक-न-एक दिन पूरे भारत की भाषा बन जाएगी।

गुजरात में हिन्दी पत्रकारिता को विकसित करने में महात्मा गाँधी का योगदान महत्त्वपूर्ण है। श्री जमनालाल बजाज की सलाह पर गाँधीजी ने 19 अगस्त 1921 से 'हिन्दी नवजीवन' का आरम्भ किया। यह पत्र सन् 1921 से 1932 ई. तक प्रकाशित हुआ। नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित यह हिन्दी साप्ताहिक हिन्दी पत्रकारिता में विशिष्ट स्थान रखता है। इस साप्ताहिक पत्र के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए गाँधीजी कहते हैं – "यद्यपि मुझे मालूम है कि 'नवजीवन' को हिन्दी में प्रकाशित करना बहुत कठिन काम है तथापि मित्रों के आग्रहवश होकर और साथियों के उत्साह से नवजीवन का हिन्दी अनुवाद निकालने की धृष्टता मैं करता हूँ। हिन्दुस्तानी के सिवा दूसरी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती, इसमें कुछ भी शक नहीं। जिस भाषा को करोड़ों हिन्दू-मुसलमान बोल सकते हैं वही अखिल भारतवर्ष की सामान्य भाषा हो सकती है और उसमें अब तक 'नवजीवन' न निकला गया तब तक मुझे दुःख था। हिन्दुस्तानी भाषानुरागी 'हिन्दी नवजीवन' में उत्तम प्रकार की भाषा की आशा न रखें। 'नवजीवन' और 'यंग इंडिया' का अनुवाद होना ही उसमें देना सम्भवनीय है। हिन्दुस्तानी भाषा का प्रचार इस साहस का मुख्य हेतु नहीं है। 'शान्तिमय असहयोग प्रचार' इसका उद्देश्य समझना चाहिए। हिन्दुस्तानी भाषा जानने वाले जब तक असहयोग और शान्ति के सिद्धान्त भली-भाँति न समझ लेंगे तब तक शान्तिमय असहयोग की सफलता असम्भव-सी है इसलिए हिन्दी नवजीवन की आवश्यकता है।" एक और लेख में उन्होंने मारवाड़ी भाइयों से अपील करते हुए कहा था – "स्वदेशी आन्दोलन को प्रबल बनाने के लिए समय में 'हिन्दी नवजीवन' का प्रकाशित होना उचित है।"

गाँधीजी ने हिन्दी नवजीवन का आरम्भ तो किया परन्तु इसकी आर्थिक स्थिति से वे चिन्तित रहते थे। ऐसी स्थिति प्रायः अनेक हिन्दी पत्रों की रही है। एक लेख में उन्होंने पाठकों को सम्बोधित करके लिखा – "मैं

देखता हूँ कि हिन्दी नवजीवन नुकसान में रहता है। एक समय उसके ग्राहक 12,000 थे, आज 14,00 हैं। 'हिन्दी नवजीवन' के स्वावलम्बी होने के लिए 4,000 ग्राहकों की आवश्यकता है। यदि इतने ग्राहक थोड़े समय में न हुएँ यो मेरा इरादा है कि हिन्दी नवजीवन बन्द कर दिया जाय। यदि हिन्दी नवजीवन को लाभ होगा तो तो दक्षिण के प्रान्तों में हिन्दी भाषा का प्रचार करने में व्यय किया जाएगा।" इस हिन्दी पत्र में गाँधीजी ने चरखे की महत्ता, हिन्दू मुस्लिम एकता, असहयोगी का कर्त्तव्य, अंग्रेजों को पूजाधिकार, नागपुर का सत्याग्रह, हमारी सभ्यता, क्षमा प्रार्थना, परेड की कुप्रथा, कांग्रेस किसकी, राक्षसी विवाह, वर्णधर्म और श्रम धर्म, मद्यपान निषेध, अहिंसा की विजय आदि शीर्षकों से जो सम्पादकीय लेख लिखे, वे काफी महत्त्व के हैं। जनवरी 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के असफल होने पर जैसे ही गाँधीजी बम्बई लौटे ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पकड़ लिया। सरकार ने 1932 में 'यंग इंडिया', 'नवजीवन', 'हिन्दी नवजीवन' (तीनों गाँधीजी द्वारा सम्पादित) पर प्रतिबन्ध लगा दिया।

23 फरवरी 1933 ई. को गाँधीजी की प्रेरणा से 'हरिजन सेवक' का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके प्रथम सम्पादक श्री वियोगी हरि थे और यह पत्र दिल्ली से प्रकशित होता था। बाद में इसके सम्पादक श्री प्यारेलाल, श्री किशोरलाल मशरूवाला व श्री मगन भाई देसाई रहे और यह अहमदाबाद से प्रकाशित होने लगा। गाँधीजी के आग्रह से यह पत्र 1 मई 1946 से उर्दू में भी प्रकाशित होने लगा परन्तु आर्थिक स्थिति से उर्दू हरिजन बहुत नुकसान में जाता था, इसकी कुल 250 प्रतियाँ खपती थी। विज्ञापन व इश्तहार छापकर इस नुकसान को पूरा किया जा सकता था, परन्तु वे इसके पक्ष में नहीं थे। वे दो लिपियों के समर्थक थे। इस बारे में उन्होंने श्री जीवनजी को स्पष्ट सलाह दी कि यदि इस पत्र को निकालना है तो दोनों लिपियों में निकाला जाय। "नागरी लिपि में 'हरिजन सेवक' निकलने का स्वतन्त्र धर्म मैं नहीं समझता।" अपनी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व उन्होंने स्पष्ट कहा– "मेरे विचार बदल नहीं सकते, खासकर हमारे इतिहास के इस अनोखे मौके पर, जो नागरी लिपि के अलावा उरु लिपि सिखाने की तकलीफ उठाएँगे, उन्हें कोई नुकसान पहुँचने वाला नहीं।" उन्हें विश्वास था कि देशवासी हिन्दी उर्दू-हरिजन को बन्द होने से बचा लेंगे।

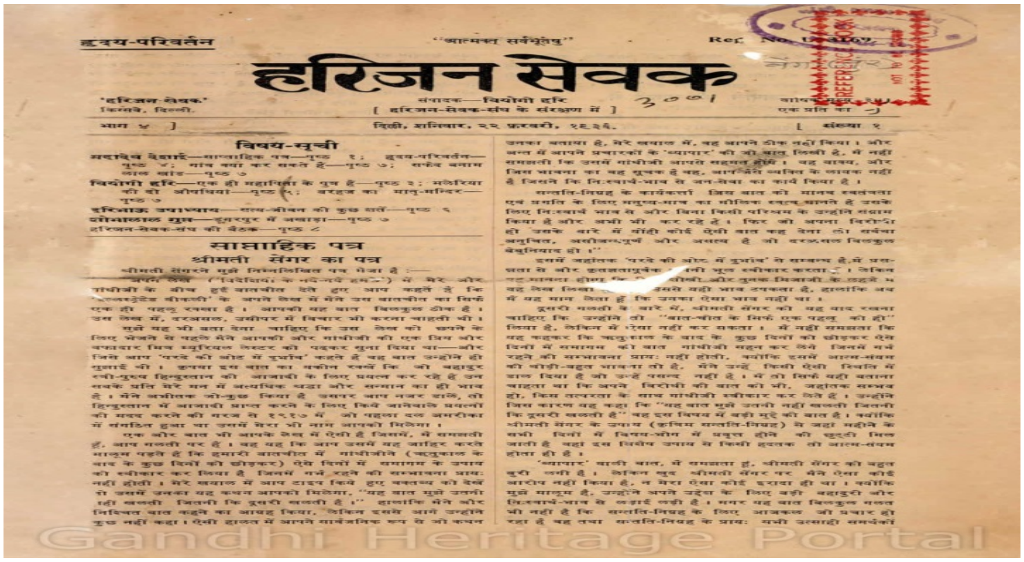

हृदय-परिवर्तन

"आत्मवत् सर्वभूतेषु"

हरिजन सेवक

संपादक—वियोगी हरि

[हरिजन-सेवक-संघ के संरक्षण में]

दिल्ली, शनिवार, २२ फ़रवरी, १९३६.

विषय-सूची

साप्ताहिक पत्र

श्रीमती सेंगर का पत्र

Gandhi Heritage Portal

'हरिजन सेवक' के आर्थिक संकट से भी वे चिन्तित थे – "आज तक लगभग 1,600 ग्राहक हुए हैं। स्वावलम्बी बनाने के लिए कम-से-कम 800 और चाहिए ही लेकिन आज जो मौजूद है वे भी न रहें तो गाँधीजी सिद्धान्तवादी थे, जिस सिद्धान्त को लेकर वे चलते, उसे छोड़ नहीं सकते थे। 'हरिजन सेवक' में हरिजन सेवक का धर्म, ब्राह्मण धर्म, शिमला में हरिजन सेवा, खादी, क्रान्तिकारी चरखा, कस्तूरबा स्मारक निधि, गरीब गाय, ग्राम विद्यापीठ, प्रौढ़-शिक्षण, नैसर्गिक उपचारगृह, पशुपालन, भंगी बस्ती में क्यों, नेताजी ज़िंदा हैं आदि सैकड़ों शीर्षकों से लिखे गए लेख उनके हिन्दी कृतित्व पर प्रकाश डालते हैं। काका कालेलकर ने गाँधीजी के हिन्दी और गुजराती सम्पादकीय लेखों का मूल्यांकन करते हुए कहा है– "इन लेखों को बिना पढ़े गाँधी विचार को समझना कठिन हैं। भारतीय जीवन-दर्शन की ज्यादा बातें उन्हें इनमें मिलेंगी।"

गुजरात की हिन्दी पत्रकारिता पर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, गाँधीवादी पत्रकारिता का सर्वाधिक प्रभाव है तथापि इस प्रान्त में विभिन्न धर्मों सम्प्रदायों, जातियों तथा व्यापार वाणिज्य के सम्बन्ध में पिछले 55 वर्षों से अनेक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई। इनमें से कुछ उल्लेखनीय पत्रिकाएँ इस प्रकार हैं – 'वैदिक धर्म (सं. वी. एस. सातवलेकर, पार्डी, 1919); 'दिगम्बर जैन' (सं. एम. के. कापड़िया, सूरत, 1920); 'जैन मित्र' (सं. एम. के. कापड़िया, सूरत 1920); 'श्रीमाली शुभेच्छुक'(सं. टी. एम. द्विवेदी, अहमदाबाद); 'जैन महिलादर्श' (सं. एम.के. कापडिया तथा पण्डित चन्द्रावती, सूरत, 1922); 'अनुग्रह' (सं. सी.एम. कांटवाला, बड़ौदा, 1940); 'हिंसा विरोध' (सं. बी.जी. शाह अहमदाबाद, 1950); 'अम्बर' (सं. मोहनभाई पारीख, अहमदाबाद, 1956); 'जन-जागरण' (सं. कृष्णा शर्मा, राजकोट, 1958); 'कांडला कामर्शियल' (एल.डी. लालवाणी, अदीपुर, 1959); 'अरविन्द' (अहमदाबाद, 1960); 'भक्ति भागीरथ' (सपा. बी.बी. सारण, अहमदाबाद, 1961); 'नाडियाद मार्केट रिपोर्ट' (सं. डी.एम. शाह, नदियाद, 1963); 'आयुर्वेद लोक' (सं. बी.एम. द्विवेदी, जामनगर 1963); 'ग्रेनरी व्यापार रिपोर्ट' एम. गिरिधरलाल, जामनगर 1954); 'गाँधीधाम समाचार' (सं. एह. दुख्वल, अदीपुर, 1965); 'राष्ट्रोत्थान' (सं. डी.ई. देशपाण्डे और वी.एस. सातवलेकर, पार्डी, 1965); 'आत्म ज्योति' (सं.वी. वेंकटेश्वर, अहमदाबाद, 1967); 'राष्ट्रवीणा' (सं. जेठालाल जोशी, अहमदाबाद); 'विद्यापीठ' (सं. आर.डी. परीख तथा एम.एस. पटेल, अहमदाबाद)। उक्त पत्र-पत्रिकाओं के अलावा भी गुजरात से कई पत्र निकले लेकिन कोई भी पत्र हजारों की संख्या में बिका ऐसा नहीं हुआ। इन पत्रों में से भी कई अब बन्द हो चुके हैं। इनमें से कई द्विभाषी थे और कुछ त्रिभाषी भी। इन पत्रों में 'राष्ट्रवाणी', 'सुधाबिन्दु' तथा 'विद्यापीठ' पत्रिका का स्तर भाषा एवं सामग्री दोनों दृष्टियों से ऊँचा रहा है।

'हिन्दुस्तान समाचार' (1960), और समाचार भारती (1966) नामक समाचार समितियाँ गुजरात प्रदेश के समाचार गुजराती से हिन्दी में करके, हिन्दी पत्रों को भेजकर और हिन्दी प्रदेशों के समाचार गुजराती में अनूदित करके काफी महत्त्वपूर्ण कार्य करती है। प्रान्त इस दिशा में उन्होंने कोई विशेष सिद्धि नहीं प्राप्त की। श्री वसुदेव व्यास के निरन्तर प्रयास के बावजूद इनका कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित रहा है। 1956 से लेकर 1975 तक गुजरात में हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में रिक्तता आ गयी थी। सन् 1970 में सम्पूर्ण भारत में हिन्दी में प्रकाशित होने वाले पत्रों की कुल संख्या 2,694 और 1971 में 3116 थी। पश्चिम बंगाल में प्रकाशित हिन्दी पत्रों की संख्या 99 थी जबकि

गुजरात में कुल छह थी। 1971 में भारत में हिन्दी पत्रों की प्रमाणित बिक्री 60,43,00 थी जबकि गुजरात में कुल पाँच हजार थी। गुजरात में 1971 में 45 दैनिक पत्र, 144 साप्ताहिक पत्र, 358 अन्य सभी प्रकार के पत्र (कुल 547) प्रकाशित हुए। 547 में से 458 (83.7 प्रतिशत) पत्र गुजराती में 37 अंग्रेजी में शेष 52 पत्र अन्य सभी भाषाओं में थे। 1971 में गुजरात दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा इतर पत्र-पत्रिकाओं की प्रमाणिक बिक्री 12,30,000 और गुजरात में प्रकाशित अंग्रेजी पत्रों की बिक्री 78,000 थी। उपर्युक्त आँकड़ों की तुलना में हिन्दी के छह पत्र उनकी पाँच हजार प्रतियाँ गुजरात में हिन्दी पत्रकरिता की क्षीण स्थिति अंकित करते हैं। इस स्थिति के कई कारण हैं। गुजरात में हिन्दीभाषी नागरिकों की संख्या सात लाख से अधिक होते हुए भी अधिकाश नागरिकों का शैक्षणिक स्तर सामान्य है। उनमें हिन्दी पत्रों को पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न करने की दिशा में भी कुछ नहीं किया गया। एक अच्छी बात यह भी है कि हिन्दीभाषी नागरिक गुजरात के सांस्कृतिक जीवन के अंग बन चुके हैं। धीरे-धीरे वे भी गुजराती पत्रों को पढ़ने लगे हैं। हिन्दी पत्रों के प्रकाशन में साहस का भी अभाव है। छोटे-मोटे हिन्दी मासिक पत्रों के निष्फल जाने के कारण कोई भी व्यक्ति इस कार्य में अपनी पूँजी नहीं लगाना चाहता एक दो प्रेसों को छोड़कर। हिन्दी के मुद्रण में भी कठिनाई होती है। गुजरात में हिन्दी पत्रों के अभाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि हिन्दीभाषी शिक्षित समुदाय इस दायित्व के प्रति सर्वथा उदासीन रहा है। एक सामान्य कारण यह भी है कि महाराष्ट्र में प्रकाशित हिन्दी पत्रों का लाभ भी गुजरात को मिलता रहा है।

इन सब सीमाओं के बावजूद गुजरात में हिन्दी पत्रकारिता के विकास की कई संभावनाएँ हैं। गुजरात में उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश आदि के लाखों लोग अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट जामनगर आदि शहरों में शाब्दियों से रहते है। केन्द्रीय कार्यालयों – रेलवे, पोस्ट ऑफिस, आकाशवाणी आदि में हिन्दी का प्रसार हुआ है। बाज़ार में व्यापारी और दुकानदार भी अपने ग्राहकों के साथ हिन्दी भाषा का काफी प्रयोग करते हैं। चातुर्मास की कथाएँ तथा धार्मिक प्रवचन भी हिन्दी में काफी होते हैं। हिन्दी के इस वातावारण को देखते हुए यह निश्चित ही है कि गुजरात में एक दो साप्ताहिक व कुछ मासिक पत्रों की अच्छी खपत होती है। ये पत्र ऐसे होने चाहिए जो गुजरात की आशाओं, आकांक्षाओं, यहाँ के विकास, आर्थिक, सामाजिक, ग्रामीण और औद्यागीकरण को संसार के सम्मुख रख सकेंऔर सभी क्षेत्रों का स्पर्श कर सकें। आरम्भ में हानि उठाकर भी यह काम पूर्ण करना होगा। यदि इन पत्रों की भाषा सरल हो और प्रकाशन सुरुचिपूर्ण हो तो ये पत्र गुजराती पाठकों को भी अपनी ओर आकृष्ठ कर सकेंगे और शीघ्र ही स्वावलम्बी भी बन जाएँगे। बच्चों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए स्वतन्त्र पत्रों की भी आवश्यकता है। हमें गाँधीजी से प्रेरणा लेकर पुनः एक साप्ताहिक पत्र से इस कार्य का श्री गणेश करना चाहिए।

3.2.4. पाठ-सार

हिन्दी पत्रकारिता के ज़िक्र के बिना भारतीय समाचार-पत्रों के विकास का ब्यौरा अधूरा रहेगा। हिन्दी समाचार-पत्रों का जनमत बनाने एवं पत्रकारिता के दायित्व निर्वाह में उल्लेखनीय योगदान रहा है। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय हिन्दी के पत्रों का दृष्टिकोण देश-भक्ति की भावना से ओत प्रोत रहा। उस समय की साहसिक पत्रकारिता के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। 30 मई 1826 को पण्डित युगल किशोर सुकुल ने देवनागरी में हिन्दी

का पहला पत्र 'उदन्त मार्त्तण्ड' प्रारम्भ किया। 'बंगदूत' ठीक उसके बाद 10 मई 1829 को प्रकाशित हुआ। 1854 में कलकत्ता से एक दैनिक प्रकाशित हुआ जिसका नाम था – 'समाचार सुधावर्षण'। इस प्रकार 1868 तक अनेक हिन्दी पत्र प्रकाशित होने लगे थे। यथा – 'बनारस अख़बार', 'मार्त्तण्ड', 'ज्ञानदीप', 'मालवा अख़बार', जगद्दीपक भास्कर', 'साम्यदण्ड', 'सुधाकर', 'बुद्धिप्रकाश', 'प्रजाहितैषी' और 'कवि वचन सुधा' आदि। 'कवि वचन सुधा' का सम्पादन भारतेन्दु हरिश्चन्द्र किया करते थे। तुलनाप्रेमी उन्हें भारतीय पत्रकारिता के राजा राममोहन राय कहते हैं। 'सरस्वती' को वर्तमान शताब्दी की अत्यधिक महत्त्वपूर्ण पत्रिका माना जाता है जो 1900 में प्रारम्भ हुई और उन दिनों पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा सम्पादित की जाती थी।

आजादी के बाद हिन्दी के दैनिकों, साप्ताहिकों और मासिकों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। एक-दो अपवादों को छोड़कर हर हिन्दी प्रान्त से हिन्दी के सशक्त दैनिक प्रकाशित हो रहे है। हिन्दी के पाठकों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई है कि दिल्ली, इंदौर, लखनऊ, बनारस, पटना, जयपुर आदि शहरों से कई-कई दैनिक एक साथ निकल रहे हैं। इसी प्रकार ज्ञान-विज्ञान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दी पत्रकारिता प्रभावशाली ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सन् 1972 में भारतवर्ष में प्रकाशित होने वाले कुल समाचार-पत्रों की संख्या 11926 थी। इनमें से सब से अधिक पत्र हिन्दी में छपते हैं। उस वर्ष उनकी संख्या 3093 थी। दैनिकों में भी हिन्दी में सर्वाधिक पत्र प्रकाशित होते हैं। 1972 में कुल 793 में से उनकी संख्या 225 थी। उसके बाद तमिलभाषी दैनिकों (102) का नम्बर आता है। यद्यपि भारत का सर्वाधिक प्रसारित दैनिक बांग्ला का पत्र 'आनन्द बाज़ार पत्रिका' (31024) है तथापि हिन्दी के सर्वाधिक प्रसारित पत्र 'नवभारत टाइम्स' (दिल्ली) की प्रसार संख्या अधुनातन आँकड़ों के अनुसार, बढ़कर दो लाख से भी उपर पहुँच गयी है। उसके रविवारीय अंक की विक्रय संख्या तीन लाख से भी ऊपर है। बंबई और दिल्ली के संस्करणों को मिलाकर इसकी संख्या लगभग चार लाख तक पहुँच जाती है। साक्षरता की अभिवृद्धि के साथ समाचार-पत्र के पाठकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। हिन्दी क्षेत्रों में साक्षरता का विकास जितनी तेजी से होगा, हिन्दी पत्रकारिता भी उतनी ही गति से आगे बढ़ेगी। आज भारत में लगभग 70 हजार से ज्यादा समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि हिन्दी पत्रकारिता का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है।

3.2.5. बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत में सबसे पहले हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ से हुई थी ?

(क) उत्तरप्रदेश

(ख) बिहार

(ग) पश्चिम बंगाल

(घ) महाराष्ट्र

सही उत्तर (ग) पश्चिम बंगाल

2. हिन्दी में प्रकाशित होने वाला पहला पत्र कौन-सा है ?

(क) उदन्त मार्त्तण्ड

(ख) बंगाल हैराल्ड

(ग) हरिश्चन्द्र चन्द्रिका

(घ) बांग्ला गजट

सही उत्तर (क) उदन्त मार्त्तण्ड

3. 'हिन्दी नवजीवन' का आरम्भ कब हुआ ?

(क) 19 अगस्त 1921

(ख) 19 सितंबर 1921

(ग) 19 अगस्त 1932

(घ) 19 सितंबर 1947

सही उत्तर (क) 19 अगस्त 1921

4. 'यंग इंडिया' के सम्पादक कौन थे ?

(क) महात्मा गाँधी

(ख) राजा राममोहन राय

(ग) पण्डित युगल किशोर सुकुल

(घ) विष्णुराव पराड़कर

सही उत्तर (क) महात्मा गाँधी

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत कब और कहाँ से हुई ?
2. महाराष्ट्र की हिन्दी पत्रकारिता में बाबूराव विष्णु पराड़कर की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।
3. दक्षिण भारत के प्रमुख हिन्दी पत्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. दक्षिण भारत से प्रकाशित हिन्दी अख़बारों / पत्रिकाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
2. गुजरात से प्रकाशित हिन्दी अख़बारों का वर्णन कीजिए।
3. पूर्वोत्तर भारत में हिन्दी पत्रकारिता के विकास का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

3.2.6. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

01. वैदिक, डॉ॰ वेदप्रताप. (सं.) (2006). हिन्दी पत्रकारिता के विभिन्न आयाम. (भाग एक). दिल्ली : हिन्दी बुक सेंटर

02. वैदिक, डॉ॰ वेदप्रताप. (सं.) (2002). हिन्दी पत्रकारिता के विभिन्न आयाम. (भाग दो). दिल्ली : हिन्दी बुक सेंटर
03. नटराजन्, जे. (2002). भारतीय पत्रकारिता का इतिहास. नयी दिल्ली : प्रकाशन विभाग
04. पचौरी, सुधीश. (2004). भूमण्डलीकरण बाज़ार और हिन्दी. दिल्ली : अनुराग प्रकाशन
05. पचौरी, सुधीश. (2009). जनसंचार माध्यम भाषा और साहित्य. नयी दिल्ली : श्री नटराज प्रकाशन
06. हिन्दी पत्रकारिता का विकास, एन.सी. पंत
07. हिन्दी पत्रकारिता का विकास, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी
08. समाचार पत्रों का इतिहास, अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी
09. स्वतन्त्रता-आन्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता, अर्जुन तिवारी
10. हिन्दी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी
11. साहित्यिक पत्रकारिता, ज्योतिष जोशी
12. हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
13. हिन्दी-पत्रकारिता : स्वरूप एवं प्रकार, डॉ॰ अर्जुन प्रताप सिंह
14. माध्यम, अंक-1, वर्ष-1, मई-1964
15. उदन्त मार्त्तण्ड, अंक 4, दिसंबर 1827

3.2.7. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1. हिन्दी पत्रकारिता का विकास, एन.सी.पंत, पृ. 19
2. हिन्दी पत्रकारिता का विकास, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी, पृ. 32
3. उदन्त मार्त्तण्ड, अंक 4 दिसंबर 1827
4. समाचार पत्रों का इतिहास, अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, पृ. 79
5. स्वतन्त्रता आन्दोलन और हिन्दी पत्रकारिता, अर्जुन तिवारी, पृ. 170

उपयोगी इंटरनेट स्रोत :

1. https://doosariaawaz.Wordpress.com
2. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
3. http://www.hindisamay.com/
4. http://hindinest.com/
5. http://www.dli.ernet.in/
6. http://www.archive.org

❖❖❖

खण्ड – 3 : हिन्दी पत्रकारिता का विस्तार

इकाई – 3 : वैश्विक परिदृश्य में हिन्दी पत्रकारिता

इकाई की रूपरेखा

3.3.00. उद्देश्य कथन
3.3.01. प्रस्तावना
3.3.02. एशिया महाद्वीप में हिन्दी पत्रकारिता
  3.3.02.1. भारत और पड़ोसी देशों में हिन्दी पत्रकारिता
    3.3.02.1.1. पाकिस्तान
    3.3.02.1.2. बांग्लादेश
    3.3.02.1.3. नेपाल
    3.3.02.1.4. श्रीलंका
    3.3.02.1.5. म्यांमार (बर्मा)
    3.3.02.1.6. चीन
  3.3.02.2. अरब जगत् के देशों में हिन्दी पत्रकारिता
  3.3.02.3. एशिया महाद्वीप के अन्य देशों में हिन्दी पत्रकारिता
    3.3.02.3.1. जापान
3.3.03. अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देशों में हिन्दी पत्रकारिता
  3.3.03.1. मॉरीशस
  3.3.03.2. दक्षिण अफ्रीका
3.3.04. यूरोपीय देशों में हिन्दी पत्रकारिता
  3.3.04.1. इंग्लैंड (यू.के.)
  3.3.04.2. हॉलैंड
  3.3.04.3. जर्मनी
  3.3.04.4. रूस
3.3.05. उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हिन्दी पत्रकारिता
  3.3.05.1. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यू.एस.ए.)
  3.3.05.2. कनाडा
3.3.06. दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ देशों में हिन्दी पत्रकारिता
  3.3.06.1. गयाना
  3.3.06.2. सूरीनाम
  3.3.06.3. त्रिनिदाद और टोबैगो
3.3.07. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हिन्दी पत्रकारिता
  3.3.07.1. ऑस्ट्रेलिया
  3.3.07.2. न्यूजीलैंड
  3.3.07.3. फिजी

3.3.08. पाठ-सार
3.3.09. बोध प्रश्न
3.1.10. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

3.3.00. उद्देश्य कथन

इस पाठ का उद्देश्य, वैश्वीकरण के इस वर्तमान समय में हिन्दी पत्रकारिता की स्थिति पर विचार करना है। इस पाठ के अध्ययन के बाद आपको निम्नलिखित बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त होगी –

i. हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के विदेशों में हो रहे प्रचार-प्रसार को समझा जा सकेगा।
ii. आज हिन्दी विश्वभाषा के रूप में अपने आप को स्थापित करने में कुछ कदम आगे बढ़ी है, इसकी रूपरेखा स्पष्ट होगी।
iii. पहले की अपेक्षा वर्तमान वैश्विक पटल पर हिन्दी पत्रकारिता का महत्त्व और बढ़ा है इसको समझा जा सकेगा।
iv. गिरमिटिया देशों में हिन्दी पत्रकारिता की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा।
v. विभिन्न देशों में हिन्दी पत्रकारिता कहाँ-कहाँ अपने आप को विकसित या स्थापित कर चुकी है, या इस हेतु प्रयासरत है, इसे समझा जा सकेगा।
vi. दुनिया के मानचित्र में महाद्वीपीय स्तर पर हिन्दी पत्रकारिता के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

इस पाठ का मुख्य उद्देश्य नीचे दिये गए मानचित्र पर वैश्वीकरण के इस युग में हिन्दी पत्रकारिता के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर इस पर अनेक दृष्टिकोण से समझ विकसित करना है।

विदेशों में हिन्दी पत्रकारिता के बारे में अब तक जितनी जानकारी उपलब्ध है उन सब में कुछ-न-कुछ कमियाँ है, वहीं उनका महाद्वीपीय स्तर पर वर्गीकरण भी नहीं किया गया है। हालाँकि इस पाठ में इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है लेकिन सम्भव है कि कुछ त्रुटि शेष रह जाये क्योंकि सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है।

3.3.01. प्रस्तावना

वैश्वीकरण परिदृश्य में हिन्दी पत्रकारिता पर विचार करने से पहले वैश्वीकरण को समझना आवश्यक है। वैश्वीकरण एक व्यापक शब्द है और इसका अर्थ भी निस्सन्देह व्यापक है। वैश्वीकरण के विचार में समस्त विश्व एक गाँव में बदल रहा है यानी विश्वग्राम में तब्दील हो रहा है। विश्वग्राम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद के मण्डल एक, सूक्त 114 में मिलता है जो अपने आप में अत्यन्त व्यापक अर्थ लिए हुए है और जो अत्यन्त सार्थक भी है। इसके अर्थ में सर्वथा विश्वकल्याण की भावना, जिसमें हार्दिकता, निश्छलता, संवेदनशीलता, परोपकारिता, सेवाभाव और अतिशय उदार दृष्टिकोण समाहित है और इस विश्वग्राम से तात्पर्य है संसार के समस्त प्राणियों का पारस्परिक सौहार्दपूर्ण अनन्त तथा विकसित जीवन व्यतीत करना जिसमें न तो शोषण की समस्या हो और न कोई भेदभाव की सम्भावना, अर्थात् इस भव्य विश्वग्राम में सभी लोगों का एक दूसरे के प्रति परम हितैषी होने का विचार व्याप्त हैं।

वैश्वीकरण पर इस सदी के प्रमुख विचारक नोम चोम्सकी का कहना है – “सैद्धान्तिक रूप से वैश्वीकरण शब्द का उपयोग आर्थिक वैश्वीकरण के नव उदार रूप का वर्णन करने से है।” वर्तमान में निजीकरण, उदारीकरण और विकसित देशों की भेदभावपूर्ण नीति ने वैश्वीकरण के अर्थ को संकुचित-सा कर दिया है। हालाँकि सूचना प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण को एक अलग आयाम प्रदान किया है जिसमें न केवल वस्तुओं के उत्पादन-वितरण और विपणन का मार्ग विस्तृत हुआ है बल्कि भाषा के प्रयोग में भी विविधता के दर्शन हो रहें हैं इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वैश्वीकरण ने भी भारत और भारत के बाहर हिन्दी पत्रकारिता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, भले ही यह स्वार्थवश व्यापार हेतु किया गया हो लेकिन कहीं-न-कहीं इसके फलस्वरूप हिन्दी पत्रकारिता का वैश्विक विस्तार हो रहा है।

आज हिन्दी एक देशीय नहीं अपितु बहुदेशीय भाषा का रूप ले चुकी है। इस समय भारत से बाहर सौ से अधिक संस्थानों में हिन्दी का पठन-पाठन इस बात का द्योतक है कि हिन्दी मात्र साहित्य की चीज नहीं वरन वह हृदयों को जोड़ने वाली ऊर्जा भी है और प्रेम की गंगा भी। वर्तमान समय में हिन्दी का लेखन एवं प्रचार-प्रसार प्रायः दो रूपों में हो रहा है। इसके अन्तर्गत प्रथम वे देश आते हैं जहाँ के लोग हिन्दी को एक विश्व भाषा के रूप में ‘स्वान्तः सुखाय’ सीखते, पढ़ते और पढ़ाते हैं जिनके अन्तर्गत रूस, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, चीन, जापान, नार्वे, ऑस्ट्रेलिया आदि देश आते हैं, वहीं दूसरे के अन्तर्गत वे देश आते हैं जहाँ भारत से जाने वाले प्रवासी भारतीय और भारतवंशी लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं और जिनकी मातृभाषा हिन्दी रही है जो कि आजकल मॉरीशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, ट्रिनीडाड एंड टुबैगो, बर्मा, थाइलैंड, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया,

दक्षिणी अफ्रीका आदि देशों में रह रहे हैं। इन्हें हिन्दी अपनी पैतृक-सम्पत्ति के रूप में मिली। इन दोनों प्रकार के देशों में हिन्दी का रचना संसार बहुत ही विपुल एवं समृद्ध है। वहीं अपनी भाषा में अपने आप को अभिव्यक्त करने और उसका प्रचार-प्रसार करने की इच्छा ने विदेशों में बसे इन दोनों प्रकार के भारतवंशी लोगों को हिन्दी पत्रकारिता की ओर उन्मुख किया है इसलिए आज भारत के बाहर विदेशों में कई हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है जो हिन्दीभाषी भारतीयों और हिन्दी प्रेमियों के बीच बहुत लोकप्रिय है। कुछ देशों, विशेष रूप से जापान में उस देश के मूल निवासियों में से कुछ हिन्दी प्रेमियों और हिन्दी शिक्षकों ने भी हिन्दी में पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया है। भले ही ऐसा प्रयास कम हुआ है लेकिन इनके महत्त्व को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। आज यूनेस्को में हिन्दी एक स्वीकृत भाषा है। 1967 से ही यूनेस्को कूरियर पत्रिका के हिन्दी संस्करण का प्रकाशन हो रहा है जिससे हिन्दी पत्रकारिता के महत्त्व को बखूबी समझा जा सकता है।

3.3.02. एशिया महाद्वीप में हिन्दी पत्रकारिता

एशिया महाद्वीप में हिन्दी पत्रकारिता पर नज़र डालने के लिए इसे तीन भागों में बाँटकर विचार प्रस्तुत किया गया है। पहले भाग में भारत और इसके पड़ोसी देशों में हिन्दी पत्रकारिता पर विचार किया गया है, दूसरे भाग में अरब जगत् में हिन्दी पत्रकारिता को ध्यान में रखा गया है और तीसरे और अन्तिम भाग में एशिया के अन्य देशों पर बात की गई है।

एशिया महाद्वीप का मानचित्र (साभार विकिपीडिया)

3.3.02.1. भारत और पड़ोसी देशों में हिन्दी पत्रकारिता

भारत के पड़ोसी देशों में हिन्दी पत्रकारिता पर नज़र डालने से पहले एक सरसरी निगाह भारत में हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों पर डालते हैं जिससे वैश्विक परिदृश्य में हिन्दी पत्रकारिता को समझने में आसानी होगी। केएमपीजी, 2016 की रिपोर्ट के अनुसार नीचे दिए गये ग्राफ से स्पष्ट होता है की अंग्रेजी मीडिया के बाज़ार की 4.9% की तुलना में हिन्दी मीडिया का बाज़ार 9.4% यानी करीब दुगुनी गति से आगे बढ़ रहा है जो वैश्वीकरण का परिणाम कहा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि भारत में हिन्दी पत्रकारिता का विकास तेज़ी से हो रहा है।

Print media language market mix

INR billion	2011	2012	2013	2014	2015	Growth in 2015	2016P	2017P	2018P	2019P	2020P	CAGR (2015-2020)
English market	83	86	91	96	101	4.9%	105	109	113	117	121	3.8%
Advertising	57	59	62	65	69	4.7%	72	75	79	82	86	4.6%
Circulation	26	27	29	31	32	5.2%	33	34	34	35	36	2.0%
Hindi market	62	68	75	83	91	9.4%	101	111	122	133	145	9.6%
Advertising	41	45	50	54	59	8.2%	64	71	79	87	95	10.2%
Circulation	22	24	26	29	32	11.7%	36	40	43	46	49	8.7%
Vernacular market	63	69	76	84	91	9.0%	100	110	121	133	146	9.9%
Advertising	42	46	51	57	62	9.5%	68	76	85	94	105	11.1%
Circulation	21	24	26	27	29	8.0%	32	34	37	39	42	7.3%
Total print market	209	224	243	263	283	7.6%	305	330	356	384	412	7.8%

Source: KPMG in India analysis, Industry discussions conducted by KPMG in India.

यदि पंजीकृत प्रकाशनों को देखा जाए तो वर्ष 2016 के जनवरी से जून तक की ऑडिट रिपोर्ट में हिन्दी के प्रकाशनों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है, इस आँकड़े से भी वर्तमान में हिन्दी पत्रकारिता के महत्त्व को समझा जा सकता है। नीचे दिये गये सर्कुलेशन चार्ट में यह स्पष्ट अवलोकित हो रहा है –

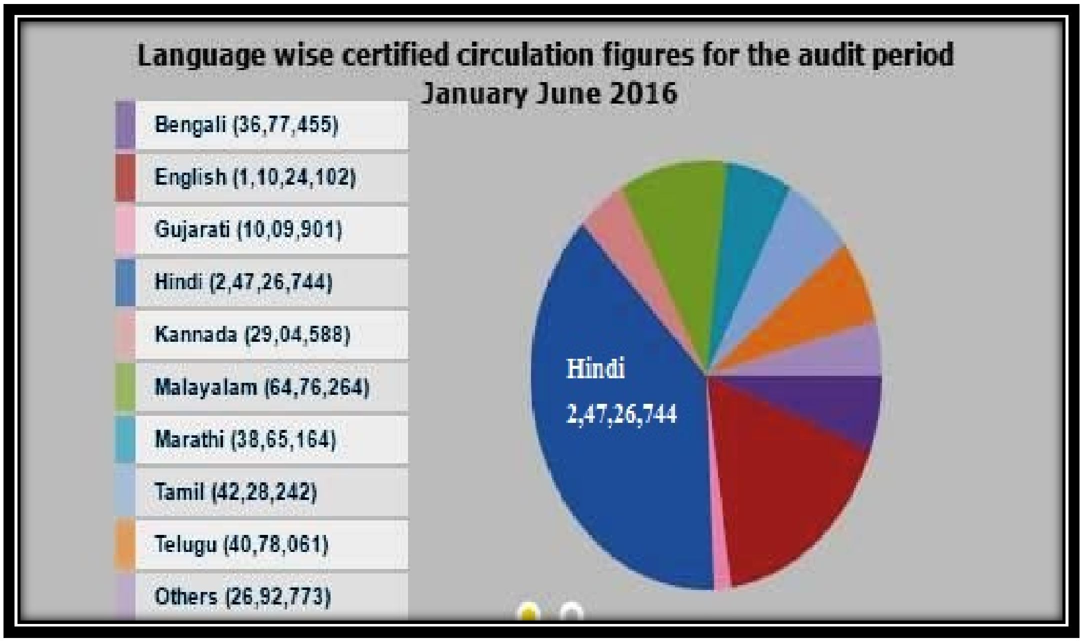

आज भारत में हिन्दी पत्रों का प्रसार सबसे ज्यादा है। अगर भारत में प्रकाशित सभी दैनिक पत्रों की संख्या को सम्मिलित करके देखा जाए तो हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की प्रसार संख्या बहुत अधिक कही जा सकती हैं। अगले पृष्ठ पर दिये गये चित्र सारणी में पाँच सबसे ज्यादा प्रसार वाले पत्र में चार हिन्दी के समाचार पत्र को देख कर इस बात को समझा जा सकता है।

AUDIT BUREAU OF CIRCULATIONS

Highest Circulated amongst ABC Member Publications (across languages)

Sr. No.	Title	Language	Average Qualifying Sales Jan - Jun 2016	Average Qualifying Sales Jul - Dec 2015
Daily Newspapers (amongst member publications)				
1	Dainik Bhaskar	Hindi	3,812,599	3,818,477
2	Dainik Jagran	Hindi	3,632,383	3,307,517
3	Amar Ujala	Hindi	2,938,173	2,935,111
4	The Times of India	English	2,731,334	3,057,678
5	Hindustan	Hindi	2,399,086	2,409,604

प्रस्तुत आँकड़ों पर दृष्टिपात करने के बाद भारत के पड़ोसी देशों में हिन्दी पत्रकारिता की स्थिति का अवलोकन करना उचित होगा। भारत एशिया का एक प्रमुख देश है जिसके पड़ोस में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल,भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और चीन प्रमुख देश हैं। इन सात देशों से भारत कीसीमाएँ भी मिलती हैं।

3.3.02.1.1. पाकिस्तान

यह एक तथ्य है कि अंग्रेजों ने भारत को दो टुकड़ों में बाँटकर पाकिस्तान का निर्माण किया था लेकिन पाकिस्तान के निर्माण से पहले लाहौर हिन्दी साहित्य और हिन्दी पत्रकारिता का केन्द्र हुआ करता था। 'प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ' पुस्तक का प्रकाशन सन् 1934 में चन्द्रगुप्त विद्यालंकार ने किया था लेकिन पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही वैमनस्यता इतनी बढ़ी कि पाकिस्तान में हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास की खोज के रास्ते हमेशा के लिए बन्द हो गये। विभाजन के बाद वाघा पार का क्षेत्र पंजाब चला गया और भारत में पंजाब केवल दिल्ली से वाघा तक ही रह गया। हिन्दी पत्रकारिता वास्तव में उसी पंजाब में प्रारम्भ हुई थी जो आज पाकिस्तानी पंजाब कहा जाता है। 3 अगस्त 1947 को वहाँ के हिन्दू कहे जाने वाले समाचार पत्रों के कार्यालयों को इस आशा के साथ बन्द किये गये थे कि 19 अगस्त को यह फिर खोले जाएँगे लेकिन वह तारीख आज तक नहीं आयी और अब सम्भवतः कभी नहीं आएगी।

3.3.02.1.2. बांग्लादेश

सन् 1971 में भारत के सहयोग से एक रक्तरंजित युद्ध के बाद स्वाधीन राष्ट्र बांग्लादेश का उदय हुआ। बांग्लादेश विश्व की सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। बांग्लादेश में ढाका हिन्दी पत्रकारिता का केन्द्र रहा है। उल्लेख मिलता है कि यहाँ 1880 में 'धर्मनीतितत्त्व', 1888 में 'विद्याधर्म दीपिका'तथा 1889 में 'द्विज' पाक्षिक का प्रकाशन हुआ। हिन्दी पत्र-पत्रिका प्रकाशन की यह परम्परा उन्नीसवीं शताब्दी में भी दिखती है जब 1905 में जब ढाका से हिन्दी की महत्त्वपूर्ण पत्रिका 'नागरी हितैषी' का प्रकाशन हुआ। फिर 1911 में 'तत्त्व दर्शन' और 1939 में 'मेल-मिलाप' नामक मसिक पत्रों का प्रकाशन हुआ।

मासिक पत्रिकाओं में सर्वाधिक प्राचीन पत्रिका 'बिहार बन्धु' है जिसका प्रकाशन 1871 के आसपास हुआ, इसका उल्लेख डॉ० रमेश कुमार जैन ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी पत्रकारिता का तुलनात्मक इतिहास' के पृष्ठ 68 पर किया है।

3.3.02.1.3. नेपाल

भौगोलिक और राजनैतिक दृष्टि से भारत और नेपाल सम्प्रभु राष्ट्र है, दोनों देशों के बीच पौराणिक काल से सम्बन्ध चला आ रहा है। खुली सीमाएँ , तीज-त्योहार, धार्मिक पर्व-समारोह तथा इन्हें मनाने की शैली और पद्धति की समानता के अतिरिक्त नेपाल में हिन्दी-प्रेम, हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए काफी है। नेपाली भाषा हिन्दीभाषी पाठकों लिए सुबोध है। यदि इसमें कोई अन्तर है तो लिप्यन्तरण का है। प्राचीन काल में नेपाली में

संस्कृत की प्रधानता थी। हिन्दी और नेपाली दोनों भाषाओं में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों की प्रचुरता और इनके उदार प्रयोग के अतिरिक्त नेपाली भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी एवं कई अन्य विदेशी शब्दों का हिन्दी के समान ही प्रयोग हिन्दी और नेपालीभाषी जनता को एक दूसरे की भाषा समझने में सहायक रहा है। प्रारम्भिक दिनों में नेपाल के तराई क्षेत्रों में स्कूलों में तो शिक्षा का माध्यम हिन्दी बना। काठमांडू से हिन्दी में पत्र-पत्रिका का प्रकाशन होता है। प्रख्यात नेपाली लेखक, कहानीकार एवं उपन्यासकार डॉ० भवानी भिक्षु ने तो अपने लेखन कार्य का श्रीगणेश हिन्दी से ही किया। गिरीश वल्लभ जोशी, रुद्रराज पाण्डे, मोहन बहादुर मल्ल, हृदयचन्द्र सिंह प्रधान आदि की एक न एक कृति हिन्दी में ही है।

हिमालय की तराई में बसे नेपाल की राष्ट्रभाषा नेपाली है जो हिन्दी के समान ही देवनागरी लिपि में लिखी जाती है जिस पर ब्रज, मैथिली आदि का पर्याप्त प्रभाव है, नेपाली भाषा हिन्दी के बहुत निकट है। नेपाल न केवल सांस्कृतिक दृष्टि से बल्कि भाषा और साहित्य की दृष्टि से भी भारत से बहुत प्रभावित रहा है। हिन्दी और नेपाली क्षेत्र भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेपाल मे पत्रकारिता का प्रारम्भ 1883 के लगभग हुआ। उस समय पण्डित मोती राम भट्ट ने नेपाल में प्रेस और पत्रकारिता का सूत्रपात किया था।

नेपाल की राजधानी काठमांडू से 'नेपाली' हिन्दी दैनिक का प्रकाशन होता है, इस पत्र में राजनैतिक समाचारों का बाहुल्य होता है, कभी-कभी इसमें हिन्दी की रचनाएँ भी प्रकाशित होती है। इसके अलावा त्रिभुवन विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग से सन् 1980 से 'साहित्य लोक' नाम से एक त्रैमासिक पत्र प्रकाशित होता है जो पूर्ण साहित्यिक पत्र है इसके अलावा 'चर्चा' और 'आरोहण' नामक लघु पत्र भी कभी कभी प्रकाशित हो जाते हैं।

इस सन्दर्भ में नेपाल-सन्देश पत्रिका का नेपाल-भारत मैत्री विशेषांक महत्त्वपूर्ण है जो 1 जनवरी 1967 में प्रकाशित हुआ था जिसकी पृष्ठ संख्या सौ से अधिक थी। जनचेतना नामक पत्र का प्रकाशन भी काठमांडू से होता है जिसका उल्लेख हिन्दी समाचार पत्र निर्देशिका के पृष्ठ 194 पर विदेशों में हिन्दी पत्र शीर्षक के अन्तर्गत हुआ है। डॉ० सुरेन्द्र प्रताप सिंह के अनुसार, "फ़िल्म की तुलना में नेपाली पत्र-पत्रिकाओं की स्थिति थोड़ी बेहतर है फिर भी अभी तक उनका वो स्तर नहीं बन पाया है जो हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का है, फलस्वरूप हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ भी नेपाल में खूब पढ़ी जाती है। नेपाल में हिन्दी के प्रचलन का एक प्रमुख कारण फ़िल्म और पत्रिकाएँ हैं।

3.3.02.1.4. श्रीलंका

श्रीलंका में भारतीय रस्म-रिवाज, धार्मिक कहानियाँ जैसे जातक कथा का भण्डार आज भी सुरक्षित है। श्रीलंका की संस्कृति वही है जो भारत की है। वहाँ हिन्दी का प्रचार अत्यन्त सुचारु एवं सुव्यवस्थित ढंग से होता रहा है। यहाँ फ़िल्म प्रदर्शन, भाषण, विचार गोष्ठी आदि का आयोजन होता रहता है। भारत से आयी पत्र-पत्रिकाओं जैसे बाल भारती, चन्दा मामा, सरिता आदि श्रीलंका में बड़े चाव से पढ़ी जाती हैं। श्रीलंका रेडियो पर भारतीय शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। यहाँ विश्वविद्यालय में भी हिन्दी पढ़ाई जा रही है। श्रीलंका

में मुख्यतः तीन भाषा सिंहल, तमिल और अंग्रेजी भाषा में पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, हालाँकि हिन्दी समाचार पत्र सूची भाग-1 में श्री बंकटलाल ओझा ने हिन्दी में प्रकाशित सुगृहिणी मासिक पत्रिका का उल्लेख पृष्ठ 68 पर किया है। यह पत्रिका सन् 1881 में श्रीमती हेमन्त कुमारी के सम्पादन में श्रीलंका में प्रकाशित होता था।

3.3.02.1.5. म्यांमार (बर्मा)

पूर्व बर्मा और अब म्यांमार से भी समय-समय पर हिन्दी की अनेक पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती रही है। इनमें 'प्राची प्रकाश' 'जाग्रति' तथा 'ब्रह्म भूमि' विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जानकारी के मुताबिक यहाँ 'प्राची प्रकाश' दैनिक पत्र रंगून से प्रकाशित होता है। यह बर्मा से हिन्दी में प्रकाशित होने वाला दैनिक पत्र है।

बर्मा में सबसे पहले श्री लाठिया ने 'बर्मा समाचार' का प्रकाशन कर हिन्दी पत्रकारिता की नीव रखी। इसके बाद 'प्राची कलश' मासिक पत्र भी कुछ वर्ष तक प्रकाशित होकर बन्द हो गया। सन् 1934 में 'प्राची प्रकाश' पत्र हिन्दी दैनिक के रूप में रंगून से प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक अनन्तराम मिश्र और सम्पादक श्यामाचरण मिश्र थे। सन् 1951 में राम प्रसाद वर्मा ने 'नवजीवन' दैनिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया किन्तु आर्थिक कठिनाई के कारण दोनों पत्र बन्द हो गये। सन् 1953 में 'ब्रह्मभूमि' मासिक पत्र का प्रकाशन श्री ब्रह्मानन्द द्वारा किया गया जिसके सम्पादक रामप्रसाद वर्मा थे, यह पत्र रंगून से प्रकाशित होना शुरू हुआ। वहीं 'जाग्रति' पत्र और 'आर्य युवक जाग्रति' पत्रिका का प्रकाशन भी बर्मा से हुआ है। डॉ० कामता कमलेश ने उक्त पत्र-पत्रिकाओं की पुष्टि गणनांचल में प्रकाशित अपने लेख 'हिन्दी की विश्व यात्रा और उसका साहित्य' में की है।

3.3.02.1.6. चीन

चीन विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश है। यहाँ हिन्दी का प्रचार-प्रसार तो नहीं लेकिन चीन सम्बन्धी जानकारी विभिन्न देशों को देने के लिए वहाँ से 'चीन सचित्र' नामक एक हिन्दी मासिक पत्र निकलता है। यह विश्व की 19 भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होता है। हिन्दी में इसके 326 अंक अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। इसका मुद्रण एवं प्रकाशन बीजिंग से होता है।

चूँकि तिब्बत इस समय राजनैतिक दृष्टि से चीन के अनुसार उसका भू-भाग है लेकिन तिब्बत को लेकर भारत का विचार चीन से कुछ अलग है। इस बात का उल्लेख करना यहाँ ज़रूरी हो जाता है क्योंकि तिब्बत से प्रकाशित हिन्दी पत्रिका 'तिब्बत बुलेटिन' का मुख्य स्वर तिब्बत की स्वतन्त्रता है, इस पत्रिका का प्रकाशन 1988 में डिपार्टमेन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन्स, केन्द्रीय तिब्बत सचिवालय, गंगचेन किशोंग धर्मशाला से प्रारम्भ हुआ, इसके मुख्य सम्पादक अर्नेस्ट एल्बर्ट थे। इसका प्रकाशन धर्मशाला से होता था।

3.3.02.2. अरब जगत् के देशों में हिन्दी पत्रकारिता

संयुक्त अरब अमीरात, यमन, सऊदी अरब, क़तर, ओमान आदि देशों में हिन्दी और उर्दू का काफी प्रचलन है। इन देशों में भारतीयों का प्रतिशत भी उल्लेखनीय है इसलिए यहाँ हिन्दी मुख्य रूप से दिखाई देती है। संयुक्त अरब अमीरात में हिन्दी बहुत लोकप्रिय है। संयुक्त अरब अमीरात(यू.ए.ई.) देश की पहचान सिटी ऑफ गोल्ड दुबई से है। यूएई में एफ. एम. रेडियो के कम से कम तीन ऐसे चैनल हैं, जहाँ आप चौबीसों घण्टे नये अथवा पुराने हिन्दी फ़िल्मों के गीत सुन सकते हैं। दुबई में पिछले अनेक वर्षों से इंडो-पाक मुशायरे का आयोजन होता रहा है जिसमें हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के चुनिंदा कवि और शायर भाग लेते रहे हैं। हिन्दी के क्षेत्र में खाड़ी देशों की एक बड़ी उपलब्धि है, दो हिन्दी (नेट) पत्रिकाएँ जो विश्व में प्रतिमाह 6,000 से अधिक लोगों द्वारा 120 देशों में पढी ज़ाती हैं। अभिव्यक्ति व अनुभूति www.abhivykti-hindi.org तथा www.anubhuti-hindi.org के पते पर विश्वजाल (इंटरनेट) पर मुफ्त उपलब्ध हैं। इन पत्रिकाओं की संरचना सही अर्थों में अन्तर्राष्ट्रीय है क्योंकि इनका प्रकाशन और सम्पादन संयुक्त अरब अमीरात से, टंकण कुवैत से, साहित्य संयोजन इलाहाबाद से और योजना व प्रबन्धन कनाडा से होता है।

3.3.02.3. एशिया महाद्वीप के अन्य देशों में हिन्दी पत्रकारिता

जापान के अलावा एशियाई महाद्वीप के कई देशों जिनमें मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया इत्यादि में पर्यटन, व्यवसाय और सांस्कृतिक निकटता के फलस्वरूप हिन्दी समझी जाती है। वैश्वीकरण ने भारत को एक बड़े बाज़ार के रूप में पेश किया है और इस बाज़ार में यदि कोई भी उत्पाद बेचना हो तो हिन्दी भाषा को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है।

लेकिन जापान इन देशों से कुछ अलग है यह एक हिन्दी प्रेमी देश के रूप में हमारे सामने आता है, चूँकि जापान एक बुद्धधर्मी देश है इसलिए वहाँ से लोग धार्मिक अध्ययन के लिए भारत आते रहते हैं, जिस कारण हिन्दी से इनकी खास निकटता को समझा जा सकता है। इसलिए जापान में हिन्दी पत्रकारिता के बारे में आगे अलग से चर्चा की जायेगी।

3.3.02.3.1. जापान

जापान से प्रकाशित हिन्दी पत्रों में 'सर्वोदय' का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वस्तुतः यह धार्मिक पत्र है किन्तु इसमें हिन्दी सम्बन्धी सामग्री रहती है, यथार्थ में ये सभी पत्र जापानी से अनुदित होकर प्रकाशित होते हैं। जापान से ही एक अन्य हिन्दी पत्रिका 'ज्वालामुखी' शीर्षक से भी प्रकाशित होती है। इसकी विशेषता यह है कि यह जापानी नागरिकों द्वारा ही सम्पादित की जाती है और इसमें उन्हीं के द्वारा हिन्दी में लिखे लेख प्रकाशित होते हैं, इसे जापान का प्रथम हिन्दी पत्र माना जाता है जिसका प्रथम अंक सितंबर 1980 में टोकियो में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकाशन के बारे में सम्पादक का प्रथम अंक में मत है कि हिन्दी के माध्यम से जापानी साहित्य का परिचय, जापानी साहित्य का अनुवाद, जापानी संस्कृति का परिचय आदि करने से भारत के लोगों को भी इसका

लाभ मिलेगा । इस पत्रिका का नामकरण फुजी पर्वत की भव्यता को लेकर किया गया है । ज्वालामुखी की तरह हम भी क्रियाशील रहें इसलिए इस शीर्षक की सार्थकता है । ज्वालामुखी नामक पत्रिका टोक्यो, जापान से प्रकाशित होता है जिसका सम्पादन हिन्दी और जापानी भाषा के सुप्रसिद्ध विद्वान योशिआकि सुजुकि ने किया था लेकिन इस पत्रिका के सिर्फ दो ही अंक निकल सके थे ।

3.3.03. अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देशों में हिन्दी पत्रकारिता

आज हिन्दी का फैलाव पूरे विश्व में होने का मुख्य कारण गिरमिटिया मजदूर हैं जो भारत से मजदूरी या व्यवसाय करने के लिए अंग्रेजों के नये-नये उपनिवेशों में ले जाये गये । अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से मॉरीशस और दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी पत्रकारिता की जड़ें काफी गहरी हैं । मॉरीशस में भारत के लोग मजदूर के रूप में गये थे जहाँ आधी से अधिक आबादी भारतीय मूल के लोगों की है इसलिए वहाँ हिन्दी से अपनापन होना लाज़मी है ।

अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र (साभार विकिपीडिया)

3.3.03.1. मॉरीशस

मॉरीशस में भारतीय मूल के लोगों की जनसंख्या कुल आबादी की आधे से अधिक है । मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी है और फ्रेंच का लोक-प्रेम है । फ्रेंच के बाद हिन्दी ही एक ऐसी महत्त्वपूर्ण एवं सशक्त भाषा है जिसमें पत्र-पत्रिकाओं तथा साहित्य का प्रकाशन होता है । मॉरिशस में भारतीय प्रवासियों का विधिवत आगमन चीनी उद्योग के बचाव तथा उसके विकास हेतु 1834 में शुरू हुआ था । यूरोप में चीनी की बढ़ती माँग को ध्यान में

रखकर तत्कालीन प्रशासकों ने भारतीयों को सशर्त यहाँ लाकर स्थायी रूप से बसने का प्रावधान किया। मॉरिशस में भारतीय प्रवासी वर्ष 1834 से बंधुआ मजूदरों के रूप में आने लगे थे। ये लोग अधिकांशतः भारत के बिहार प्रदेश के छपरा, आरा और उत्तरप्रदेश के गाजीपुर, बलिया, गोंडा आदि जिलों के थे। भारतीय श्रमिकों ने विकट परिस्थितियों से गुजरते हुए भी अपनी संस्कृति एवं भाषा का पस्यिाग नहीं किया। अपने प्रवासकाल में महात्मा गाँधी जब 1901 में मॉरिशस आए तो उन्होंने भारतीयों को शिक्षा तथा राजनैतिक क्षेत्रों में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हिन्दी प्रचार कार्य में हिन्दुस्तानी पत्र का योगदान महत्त्वपूर्ण है।

धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाओं के उदय होने से यहाँ हिन्दी को व्यापक बल मिला। वर्ष 1935 में भारतीय आगमन शताब्दी समारोह मनाया गया। उस समय यहाँ से हिन्दी के कई समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, जिनमें आर्यवीर, जाग्रति आदि उल्लेखनीय है। वर्ष 1941 में हिन्दी प्रचारिणी सभा ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन तथा हिन्दी पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया। 1943 में हिन्दू महायज्ञ का सफल आयोजन कियागया। 1948 में जनता के प्रकाशन के माध्यम से दर्जनों नवोदित हिन्दी लेखक साहित्य सृजन क्षेत्र में आए। वर्ष 1950 में यहाँ हिन्दी अध्यापकों का प्रशिक्षण प्रारम्भ हुआ और 1954 से भारतीय भाषाओं की विधिवत पढ़ाई शुरू हुई। मॉरिशस सरकार ने स्कूलों में छठी कक्षा तक हिन्दी पढाने की व्यवस्था की। वर्ष 1961 में मॉरिशस हिन्दी लेखक संघ की स्थापना हुई। यह संघ प्रतिवर्ष साहित्यिक प्रतियोगिताओं, कवि सम्मेलनों, साहित्यकारों की जयन्तियाँ आदि का आयोजन करता है। मॉरिशस में हिन्दी भाषा का स्तर ऊँचा उठाने में हिन्दी प्रचारिणी सभा का योगदान अतुलनीय है। यह संस्था हिन्दी साहित्य सम्मेलन (प्रयाग) की परीक्षाओं का प्रमुख केन्द्र है। औपनिवेशिक शोषण और संकट के समय 1914 में हिन्दुस्तानी, 1920 में टाइम्स और 1924 में मॉरिशस मित्र दैनिक पत्र थे। आज मॉरिशस में वसन्त, रिमझिम, पंकज, आक्रोश, इन्द्रधनुष, जनवाणी एवं आर्योदय हिन्दी में प्रकाशित होते हैं। वर्ष 2001 में विश्व हिन्दी सचिवालय की स्थापना भी मॉरिशस में हो चुकी है।

हिन्दी पत्रकारिता की दृष्टि से मॉरीशस में सर्वप्रथम 15 मार्च 1909 को 'हिन्दुस्तानी' साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। यह पत्र हिन्दी, अंग्रेजी तथा गुजराती में एक साथ प्रकाशित होता था। इसके प्रथम सम्पादक डॉ॰ मणिलाल थे। इस पत्र के माध्यम से ही वहाँ के लोगों में सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना का उदय होने के साथ-साथ निज भाषा का भी अनुभव किया लेकिन डॉ॰ मणिलाल के भारत आने के बाद इस पत्र का प्रकाशन बन्द हो गया। सन् 1910 में डॉ॰ मणिलाल ने वहाँ आर्यसमाज की स्थापना की और एक प्रेस भी खोला। यहीं से सन् 1911 में 'मॉरीशस आर्य पत्रिका' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, यह एक साप्ताहिक पत्र था। पहले यह पत्र आर्य सभा के पदाधिकारियों की देख रेख में चला। फिर सन् 1916 में पण्डित काशीनाथ किष्टो इसके सम्पादक बने जिन्होंने बड़ी लगन और निष्ठा से इसे कई वर्षों तक जीवित रखा। इसमें आर्यसमाज की शिक्षा के साथ-साथ वैदिक धर्म को भी प्रधान स्थान मिलता था। इसी वर्ष श्री रामलाल के सम्पादन में 'ओरिंटल गज़ेट' नाम का एक और पत्र प्रकाशित हुआ। इसमें भारतीयों के बारे में प्रचुर सामग्री छपती थी। सन् 1920 में इंडो-मॉरीशस संघ के तत्त्वावधान में 'मारिशस टाइम्स' का प्रकाशन हुआ। सन् 1924 में गजाधर राजकुमार के सम्पादन में 'मॉरिशस मित्र' नाम का एक पत्र निकला जिसमें अधिकतर सामाजिक सुधार तथा भ्रातृत्व भावना के

लेख छपते थे। फिर सन् 1929 में 'आर्य वीर' नाम का एक द्विभाषिक पत्र निकला। यह एक साप्ताहिक पत्र था जिसके प्रथम सम्पादक पण्डित काशीनाथ किष्ठो ही हुए। इसमें आर्यसमाज के विचारों का बाहुल्य रहता था।

सन् 1933 में सनातन धर्मावलम्बियों में श्री रामासामी नरसीमुलु (नरसिंह दास) के सम्पादन में 'सनातन धर्मांक' पत्र निकला जिसमें हिन्दू धर्म और रीति रिवाजों पर विपुल सामग्री दी जाती थी। यह एक द्विभाषिक पत्र था। मॉरीशस के भारतवंशियों में सांस्कृतिक चेतना जाग्रत् करने के उद्देश्य से सन् 1936 में इंडियन कल्चरल एशोशिएशन की स्थापना हुई। इस संस्था ने 'इंडियन कल्चरल रिव्यू' नाम का एक पत्र निकाला जिसके प्रथम सम्पादक डॉ॰ के. हजारी सिंह थे जो मोक स्थित महात्मा गाँधी के वर्तमान निदेशक हैं। इसी संस्थान में द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन सन् 1976 में हुआ था। सन् 1936 में रिव्यू के एक पूरक हिन्दी पत्र 'वसन्त' का प्रकाशन हुआ जिसके सम्पादक थे पण्डित गिरजानन उमाशंकर। कुछ वर्ष प्रकाशित होने के बाद यह पत्र बन्द हो गया। पाँच वर्ष पूर्व 'वसन्त' का पुनर्जन्म हुआ और इसके वर्तमान सम्पादक हैं मारिशस के प्रसिद्ध लेखक श्री अभिमन्यु अनन्त। यह एक मासिक पत्र है तथा महात्मा गाँधी संस्थान के तत्त्वावधान में प्रकाशित हो रहा है, यह पूर्ण साहित्यिक धारा पत्र है। इसमें नवोदित रचनाकारों को अधिक स्थान मिलता है। इसका कहानी विशेषांक काफ़ी ख्याति अर्जित कर चुका है। विदेशी हिन्दी पत्रों में वसन्त का स्थान सर्वोपरि माना जा सकता है तथा इसका स्तर भी भारतीय श्रेष्ठ पत्रों के समान ही है।

सन् 1942 में पब्लिक रिलेशंस ऑफिस से 'मासिक चिट्ठी' नाम से एक लघु पत्र निकला जो सूचनात्मक अधिक था। सन् 1945 में 'आर्यवीर जाग्रति' नाम से एक दैनिक पत्र निकला जिसके सम्पादक थे प्रो॰ विष्णुदयाल वासुदेव। इसने भी पर्याप्त ख्याति अर्जित की थी परन्तु कुछ वर्षों के बाद इसे बन्द होना पड़ा। सन् 1948 में 'जनता' पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इसके प्रथम सम्पादक हुए श्री जयनारायण राय। इसमें साहित्यिक और हिन्दी के लिए समर्पित भाव को स्थान मिला। बाद में इसको कुछ समय के लिए बन्द होना पड़ा परन्तु पुनः सन् 1974 में इसका पुनर्प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इस समय 'जनता' मॉरीशस का सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक माना जाता है। तथा इसके वर्तमान सम्पादक हैं श्री राजेन्द्र अरुण। द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के समय इसने हिन्दी प्रचार-प्रसार के लिए उत्कृष्टतम भूमिका निभायी थी। सन् 1948 में ही एक और पत्र 'जमाना' भी विष्णुदयाल बन्धु के सम्पादन में निकला। यह मॉरीशस के हिन्दी लेखकों का सहयोगी पत्र था और इसमें अधिकतर हिन्दी की रचनाओं को स्थान दिया जाता था। अब यह पत्र कभी-कभार ही निकल पाता है। इसके उपरान्त आर्य सभा मॉरीशस ने पुनः 'आर्योदय' नाम का एक और पत्र निकाला। यह पत्र आज भी वैदिक धर्म और हिन्दी की सेवा बड़ी निष्ठा से कर रहा है। सन् 1953 में मॉरीशस आमाल गामटेड के तत्त्वावधान में 'मज़दूर' का प्रकाशन हुआ जिसमें प्रवासी भारतीयों के समाचारों को प्रमुखता से छापा जाता था। सन् 1959 में श्री भगतसुरज मंगर और श्री रामलाल विक्रम के सम्पादन में 'नवजीवन' का प्रकाशन हुआ। फिर सन् 1960 में मॉरीशस हिन्दी परिषद् का त्रैमासिक पत्र 'अनुराग' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इस पत्रिका को सम्पूर्ण मॉरीशसीय लेखकों का सहयोग प्राप्त था। इसके प्रथम सम्पादक थे पण्डित दौलत शर्मा। इसमें कविताएँ, कहानी, नाटक, संस्मरण, भेंटवार्ता तथा निबन्ध को भरपूर स्थान दिया जाता है। यह पत्र इस समय मॉरीशस का एकमात्र त्रैमासिक साहित्यिक पत्र है।

सम्प्रति इसके सम्पादक हैं मारिशस के सर्वश्रेष्ठ हिन्दी कवि और लेखक श्री सोमदत्त बखौरी । इसी वर्ष 'समाजवाद' पत्र का भी प्रकाशन हुआ जो थोड़े दिनों बाद बन्द हो गया। हिन्दू मॉरीशस कांग्रेस ने 'कांग्रेस' नाम से तथा प्रशिक्षण महाविद्यालय ने 'प्रकाश' नाम से सन् 1964 में अपने-अपने पत्र निकाले। प्रकाशन में वहाँ के प्रशिक्षणार्थियों की रचनाओं का बाहुल्य होता है। यह पत्र अब भी वार्षिक अंक के रूप में प्रकाशित हो जाता है। प्रो० रामप्रकाश इसके सम्पादक हैं। सन् 1965 में मॉरीशस में सर्वप्रथम एक बाल पत्रिका का प्रकाशन हुआ जिसका नाम था 'बाल सखा'। यह पत्रिका हिन्दी लेखक संघ के तत्त्वावधान में प्रकाशित हुई।

सन् 1970 में मॉरीशस के प्रसिद्ध आर्य नेता श्री मोहनलाल मोहित के सम्पादन में 'आर्यसमाज' का हीरक जयन्ती विशेषांक प्रकाशित हुआ तथा सन् 1973 में 'वैदिक जरनल' का प्रकाशन। इन दोनों पत्रों का संकल्प हिन्दी भाषा को सुदृढ़ बनाना था। सन् 1974 में त्रियोले से 'आभा' दर्पण' नाम के दो विशुद्ध साहित्यिक पत्र निकले। ये मासिक पत्र थे। 'आभा' के सम्पादक हैं मारिशस के उदीयमान कवि तथा कहानीकार श्री महेश रामजियावन। 'आभा' का कहानी विशेषांक पाठकों में काफ़ी चर्चित रह चुका है। इसी के साथ द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष दयानन्दलाल वसन्तराय के सम्पादन में 'शिवरात्रि' वार्षिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। यह पत्र आज भी अपनी गरिमा और गौरवमयी परम्परा के साथ प्रकाशित होता है। इसमे भी हिन्दी साहित्य को प्रचुर स्थान दिया जाता है तथा संस्कृत शिक्षा के लिए भी कभी-कभार अच्छे लेख प्रकाशित होते हैं। सन् 1975 में हिन्दी सरस्वती संघ, त्रियोले की त्रैमासिक पत्रिका 'रणभेरी' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जिसमें वहाँ के हिन्दी रचनाकारों को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने का संकल्प है। इस प्रकार मॉरीशस में हिन्दी पत्रों की एक लम्बी शृंखला समय के साथ निरन्तर बढ़ती जा रही है जो कि विश्व हिन्दी साहित्य के लिए एक शुभ लक्षण है।

3.3.03.2. दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के बीच से ही महात्मा गाँधी का राजनैतिक जीवन प्रारम्भ हुआ था। वहाँ प्रवासी भारतीयों की संख्या अधिक थी। यहाँ से सर्वप्रथम 1903 में 'इंडियन ओपीनियन' साप्ताहिक का हिन्दी संस्करण प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम सम्पादक श्री मनसुखलाल नाजर थे। यह डरबन से 13 मील दूर फिनिक्स आश्रम से प्रकाशित होता था और श्री मदनजीत के प्रेस में मुद्रित होता था। गाँधीजी की इस पर बड़ी कृपा थी। नाजर की मृत्यु के बाद गाँधीजी के अंग्रेज मित्र श्री हर्बर्ट किचन एवं उनके अनन्तर हेनरी एस. एल. पोलक इसके सम्पादक बने। अब यह पत्र बन्द हो चुका है। इस पत्र के माध्यम से वहाँ के प्रवासी भारतीयों में नयी चेतना का उदय हुआ था। इसके बाद 5 मई 1922 को 'हिन्दी' नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकला जिसके आद्य सम्पादक थे पण्डित भवानीदयाल संन्यासी। इससे भी हिन्दी को बढ़ावा मिला। इस प्रकार वहाँ आज तक हिन्दी की धारा प्रवाहमान है।

3.3.04. यूरोपीय देशों में हिन्दी पत्रकारिता

यूरोपीय देश ब्रिटेन का शासन भारत पर दो सौ वर्षों से अधिक का रहा। आज़ादी के बाद भी भारत का ब्रिटेन से राजनैतिक और व्यापारिक सम्बन्ध रहा है। ईसाई मिशनरियों ने भारत में हिन्दी का अध्ययन किया और हिन्दी पुस्तकों का अंग्रेजी में व अंग्रेजी पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद किया। आज इंग्लैंड में भारतीय लोगों की अच्छी ख़ासी आबादी रहती है। वहीं भारतीय सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं यूरोप के अधिकांश देश में प्रवास कर रहे हैं, इन देशों में फ्रांस, डेनमार्क, आस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, नार्वे इत्यादि प्रमुख है जहाँ हिन्दी एक विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है लेकिन ब्रिटेन, हॉलैंड, जर्मनी और यूरेशिया के देश कहे जाने वाले रूस में हिन्दी पत्रकारिता की रौशनी देखी गई है जिस पर आगे चर्चा की जाएगी।

यूरोपीय महाद्वीप का मानचित्र (साभार विकिपीडिया)

3.3.04.1. इंग्लैंड (यू.के.)

ब्रिटेनवासियों ने हिन्दी के प्रति बहुत पहले से रुचि लेनी आरम्भ कर दी थी। गिलक्राइस्ट, फोवर्स-प्लेट्स, मोनियर विलियम्स, केलाग होर्ली, शोलबर्ग ग्राहमवेली तथा ग्रियर्सन जैसे विद्वानों ने हिन्दीकोष व्याकरण और भाषिक विवेचन के ग्रन्थ लिखे हैं। लंदन, कैंब्रिज तथा यार्क विश्वविद्यालयों में हिन्दी पठन-पाठन की व्यवस्था है। यहाँ से प्रवासिनी, अमरदीप तथा भारत भवन जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। बीबीसी से हिन्दी कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं।

इंग्लैंड ही विश्व का पहला राष्ट्र है जहाँ से सर्वप्रथम 1883 में कालाकांकर नरेश के सम्पादन में 'हिन्दोस्थान' पत्र का प्रकाशन हुआ जिसने भारतीय स्वतन्त्रता में अभूतपूर्व योगदान दिया था। इसके बाद 'वैदिक पब्लिकेशन्स' का प्रकाशन हुआ। इसका मुद्रण ऑफसेट प्रणाली से होता था इसमें सामाजिक चेतना की ध्वनि अधिक थी। इसके बाद लंदन में हिन्दी प्रचार परिषद् की स्थापना हुई और फिर उसी परिषद् के मुखपत्र के रूप में सन् 1964 में एक हिन्दी त्रैमासिकी 'प्रवासिनी' का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जिसके सम्पादक थे धर्मेन्द्र गौतम। इस पत्र के कई विशेषांक निकले जिसमें श्री गोपाल कृष्ण विशेषांक सर्वाधिक चर्चित रहा। हिन्दी एवं राष्ट्रीय चेतना का यह पत्र आज भी प्रकाशित हो रहा है।

3.3.04.2. हॉलैंड

पिछले कुछ वर्षों से सूरीनाम से आए हुए लाखों प्रवासी भारतीयों ने हालैंड में हिन्दी की दीपशिखा प्रज्वलित कर अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। यहाँ भारतीय संस्कृति की अनेक संस्थाएँ हैं जिनके अन्तर्गत हिन्दी शिक्षण एवं प्रकाशन होता है। 'लल्ला रूख' भारतवंशियों की प्रमुख संस्था है। इसी नाम से एक लघु पत्रिका का प्रकाशन होता है जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक तथा धार्मिक बातों की सूचनाएँ ही छपती हैं। डॉ॰ जे.पी. कौलेश्वर सुकुल इस पत्र के माध्यम से हिन्दी की सेवा कर रहे हैं।

3.3.04.3. जर्मनी

जर्मनी में भारतीय भाषाओं, संस्कृति तथा हिन्दी के प्रति बहुत आकर्षण है। जर्मन दार्शनिक गेटे 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' को पढ़कर झूम उठे थे। स्वतन्त्रता-संग्राम में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मदद करने वाले जर्मन नागरिक ही थे। जर्मनी के हिन्दी लेखकों में लाला हरदयाल, प्रो॰ हेलमूत फॉन, ग्लाजेप, प्रो॰ श्पीस, इत्यादि उल्लेखनीय हैं। हिन्दी-जर्मन शब्दकोश का निर्माण श्रीमती एरिका ने किया है। जर्मनी के कई विश्वविद्यालयों में हिन्दी अध्यापन कार्य जारी है, वहीं रेडियो से हिन्दी कार्यक्रमों का प्रसारण भी होता है।

3.3.04.4. रूस

रूस में अन्य देशों की अपेक्षा हिन्दी का अध्ययन-अध्यापन एवं प्रचार अधिक हुआ है। रूस ही ऐसा देश है जिसने हिन्दी को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया है। रूस से हिन्दी के स्तरीय प्रकाशन हुए हैं तथा मास्को में एक हिन्दी प्रकाशन गृह भी स्थापित है। यहीं से सोवियत संघ नाम का एक हिन्दी मासिक पत्र प्रकाशित होता है। यह सचित्र पत्र है तथा सोवियत सम्बन्धों पर आधारित अनेक लेख इसमें प्रकाशित होते रहते हैं। यह पत्र हिन्दी के अतिरिक्त संसार की अन्य 20 भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होता है। इसके प्रधान सम्पादक हैं श्री निकोलाई ग्रिवाचोव। मास्को से दूसरा हिन्दी पत्र है 'सोवियत नारीष्', यह एक मासिक पत्र है तथा इसकी प्रधान सम्पादिका हैं – फेदोतोवा तथा हिन्दी संस्करण के सम्पादक हैं – ई. पा. गोलुबेन। यह भी संसार की लगभग 20 भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होता है। इसमें सोवियत नारी जीवन का सचित्र चित्रण होता है।

3.3.05. उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हिन्दी पत्रकारिता

हिन्दी विश्व के प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण देशों के विश्वविद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन में भागीदार है। अकेले अमेरिका में ही लगभग एक सौ पचास से ज्यादा शैक्षणिक संस्थानों में हिन्दी का पठन-पाठन हो रहा है। आज जब 21वीं सदी में वैश्वीकरण के दबावों के चलते विश्व की तमाम संस्कृतियाँ एवं भाषाएँ आदानप्रदान व संवाद की प्रक्रिया से गुजर रही हैं तो हिन्दी इस दिशा में विश्व मनुष्यता को निकट लाने के लिए सेतु का कार्य कर सकती है।

उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का मानचित्र (साभार विकिपीडिया)

3.3.05.1. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (यू.एस.ए.)

अमेरिका में हिन्दी पत्रकारिता किसी व्यावसायिक उद्देश्य से परिचालित नहीं है यह भारतीयों में देश-प्रेम तथा अस्मिता का बोध जगाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। इन भारतवंशियों के लिए हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ अपनी आशा-आकांक्षा को वाणी देने, नयी पीढ़ी में भारतीय संस्कार स्थापित करने, भारतीय संस्कृति के ऊँचे मूल्यों का संवर्धन करने, अंग्रेजी के समानान्तर हिन्दी को प्रतिष्ठापित करने तथा हिन्दी भाषा में उच्चस्तरीय वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय सामग्री उपलब्ध कराने के प्रयास की अभिव्यक्ति है। विश्व हिन्दी न्यास, भारतीय विद्याभवन न्यूयार्क जैसे संस्थान इनके माध्यम से हिन्दी को संयुक्त राष्ट्रसंघ की भाषा बनाने के लिए भी कृतसंकल्प हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में येल विश्वविद्यालय में 1815 से ही हिन्दी की व्यवस्था है। वहाँ आज 30 से अधिक विश्वविद्यालयों तथा अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा हिन्दी में पाठ्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं।

अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने सबसे पहले वहाँ हिन्दी पत्रकारिता का प्रकाशन प्रारम्भ किया। डॉ॰ कुँवर चन्द्र प्रकाश सिंह ने 18 अक्टूबर 1980 को अमेरिका में अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी समिति की स्थापना की और इसी वर्ष से 'विश्वा' त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। 'विश्वा' एक साहित्यिक पत्रिका है जो लगातार अपने स्तर को बनाए हुए है। 'विश्वा' के अप्रैल 1998 के अंक में गुलाब खण्डेलवाल ने अपने सम्पादकीय में लिखा है – "अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी समिति भारतीय संस्कृति की ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सचेष्ट है ... ।" वहीं रामेश्वर अशान्त ने विश्व हिन्दी समिति की स्थापना की और 'सौरभ' त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 'सौरभ' का पहला अंक दीपावली पर वर्ष 1992 में निकला था, इसके पहले सम्पादक रामेश्वर अशान्त ने लिखा है – "वे भारत को इंडिया के जाल से मुक्त करना चाहते है।" रामेश्वर अशान्त अपने सम्पादकीय में महात्मा गाँधी के स्वतन्त्रता-आन्दोलन, अंग्रेज़ और अंग्रेज़ियत के लिए भारत छोड़ो आन्दोलन, स्वदेशी वस्तुओं और स्वदेशी भाषा को अपनाने के संकल्प की प्रशंसा करते हैं औरपण्डित जवाहरलाल नेहरू के अंग्रेजी प्रेम तथा आधुनिकीकरण की आलोचना करते हुए लिखते हैं – "गाँधी का स्वदेशीकरण नेहरू के आधुनिकीकरण के नीचे दफन हो गया।" सौरभ का प्रकाशन रामेश्वर अशान्त के देहान्त तक निरन्तर होता रहा। सौरभ का प्रकाशन एक आश्चर्यजनक घटना माना जाता है कि एक भारतीय द्वारा इतनी सुन्दर पत्रिका का प्रकाशन किया गया जिसमें सभी विधाओं की रचनाएँ दी गईं, वहीं इसकी साज-सज्जा एवं मुद्रण भी स्तरीय था।

अमेरिका में ही गणित के एक प्रोफेसर डॉ॰ भूदेव शर्मा ने 'विश्व विवेक' त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन करके 'सौरभ' जैसा ही चमत्कार किया था। इस पत्रिका के माध्यम से डॉ॰ भूदेव शर्मा ने अमेरिका में भारतीयों के बीच भाषा, धर्म-संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान और परम्पराओं को जीवित रखने का एक सार्थक प्रयास किया है जिसकी सराहना भारत में भी हुई है। इसके अलावा भी अमेरिका से कई हिन्दी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है, वहीं वर्तमान में हिन्दी वेब पत्रकारिता ने भी हिन्दी के महत्त्व को बढ़ाने का कार्य किया है।

3.3.05.2. कनाडा

भारत की स्वतन्त्रता के बाद कनाडा में प्रवासी भारतीयों की संख्या में अपार वृद्धि हुई, जिससे वहाँ हिन्दी का प्रसार स्वतः हो रहा है। टोरंटो से एक मासिक पत्र 'भारती' का प्रकाशन त्रिलोचन सिंह गिल ने 1975 में किया। फोटोस्टेट पद्धति से इस पत्र का मुद्रण होता है तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सामग्री होती है। इसके अतिरिक्त श्री रघुवीर सिंह के सम्पादन में 'विश्व भारत' पाक्षिक पत्र का भी प्रकाशन होता है। कनाडा में 'विश्वभारत' राष्ट्रभाषा हिन्दी एवं भारतीय संस्कृति की संवाहिका के रूप में विख्यातहै। टोरंटो से ही एक नया मासिक पत्र 'जीवन ज्योति' नयी आशा व उमंग एवं पवित्र लक्ष्य के साथनवंबर 1982 से प्रकाशित हो रहा है। इसके सम्पादक प्रवासी हिन्दी कवि व संगीतज्ञ प्रो॰ हरिशंकर आदेश हैं। इन्होंने ट्रिनिडाड में भी हिन्दी का अलख जगा रखा है। अतः 'जीवन ज्योति' से कनाडा में हिन्दी और भारतीय संस्कृति का गौरवमय प्रकाशन हो रहा है।

3.3.06. दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ देशों में हिन्दी पत्रकारिता

दक्षिण अमेरिका के गिरमिटिया देशों में गयाना, सूरीनाम एवं त्रिनिदाद और टोबैगो का नाम प्रमुख हैं जहाँ भारतीय मजदूरों को मजदूरी और कुलीगिरी के लिए ले जाया गया था।

दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का मानचित्र (साभार विकिपीडिया)

3.3.06.1. गयाना

यह राष्ट्र भी दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है और यहाँ भी काफ़ी संख्या में प्रवासी भारतीय रहते हैं। हिन्दी और भारतीय संस्कृति यहाँ के जन-जीवन में सर्वत्र फैली है। यहाँ सर्वप्रथम हिन्दी पत्र का प्रकाशन एक रविवारीय परिशिष्ट के अंग के रूप में हुआ। यहाँ से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक पत्र 'आर्गोसी' के रविवारीय अंक में एक पृष्ठ हिन्दी का रहा करता था जिसमें धार्मिक एवं सामाजिक समाचार ही प्रकाशित होते थे परन्तु पाँच वर्षों तक अविरल प्रकाशित होने के बाद यह पृष्ठ बन्द हो गया। अन्य देशों की भाँति यहाँ भी आर्यसमाज द्वारा 'आर्य ज्योति' का प्रकाशन होता है जिसमें आर्यसमाज के सिद्धान्तों तथा वैदिक धर्म के समाचारों को ही स्थान मिलता है। इसके अतिरिक्त सनातन धर्म सभा द्वारा 'अमर ज्योति' नाम का एक पत्र प्रकाशित होता है। पण्डित रामलाल का हिन्दी पत्रकारिता एवं हिन्दी शिक्षण से अधिक लगाव होने से वहाँ हिन्दी की ज्योति जल रही है। गुयाना का एकमात्र उत्कृष्ट पत्र 'ज्ञानदा' है। यह एक मासिक पत्र है जिसके सम्पादक श्री योगीराज शर्मा हैं। यह पूर्ण साहित्यिक पत्र है तथा इसका आवरण मुद्रित एवं शेष सामग्री साइक्लोस्टाइल पद्धति से छपती है। श्री शर्माजी ने

इसके अस्तित्व के लिए बहुत श्रम किया और गुयाना में हिन्दी पत्रकारिता को अक्षुण्ण रखा। इस प्रकार गुयाना में हिन्दी पत्रों की अस्मिता प्रेस की असुविधाओं के होते हुए भी सुरक्षित है।

3.3.06.2. सूरीनाम

दक्षिणी अमेरिका स्थित सूरीनाम एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ प्रवासी भारतीयों की विपुल संख्या है। हिन्दी का पठन-पाठन तथा तथा भारतीय संस्कृति यहाँ की अधिकांश जनता में रची बसी है। यहाँ सर्वप्रथम सन् 1964 में 'आर्य दिवाकर' नाम से एक पत्र आर्यसमाज द्वारा प्रकाशित किया गया। यह पत्र आज भी अविरल प्रकाशित हो रहा है। इसमें आर्यसमाज से सम्बन्धित सामग्री तो होती ही है परन्तु कभी-कभी हिन्दी की विश्वजन पर भी लेख लिखे जाते हैं। इसी वर्ष पण्डित शिवरतनजी के सम्पादन में 'सरस्वती' मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। यह पूर्ण साहित्यिक पत्र है तथा वहाँ स्थापित सरस्वती प्रेस से प्रकाशित होता रहा है। 'सरस्वती' लघु पत्र होते हुए भी अपनी सही भूमिका निभा रहा है। सूरीनाम के निकेरी शहर से दूसरा 'भारतोदय' नाम का पत्र निकला और भारतोदय प्रेस की स्थापना भी हुई किन्तु आर्थिक कठिनाई के कारण प्रेस और पत्रिका दोनों को ही अकाल ही काल के गाल में जाना पड़ा। निकेरी में प्रवासी भारतीयों की संख्या सर्वाधिक है। सन् 1975 में डॉ॰ ज्ञान हंस 'अधीन' के सम्पादन में प्रकाश' और पण्डित शिवरतनजी के सम्पादन में 'वैदिक सन्देश' का एक साथ प्रकाशन हुआ किन्तु ये पत्र भी अधिक दिनों तक नहीं चल सके। डॉ॰ अधीन ने हिन्दी-डच कोश भी लिखा है। इन्होंने बनारस से हिन्दी की शिक्षा प्राप्त की है। इनके अथक प्रयास के बाद भी पत्रिका का प्रकाशन जारी न रह सका। इसके बाद एक अन्य हिन्दीसेवी भक्त कालपूजी ने अपने व्यय से हिन्दी शिक्षण रिकार्ड बनवाया और इसके माध्यम से हिन्दी शिक्षण को योग दिया। फलतः हिन्दी एक संचार साधन के रूप में विकसित हुई जिसका लोगों ने अतिशय स्वागत किया किन्तु कालान्तर में यह प्रयोग असफल हुआ।

प्रेमचंद के सम्पादन में 'प्रेम सन्देश' मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ जिसमें साहित्य की प्रायः सभी विधाओं को स्थान मिलता था। इसका प्रकाशन साइक्लोस्टाइल पद्धति से होता था किन्तु दो तीन वर्षों तक हिन्दी की सेवा कर इसका भी प्रकाशन बन्द हो गया। इसी प्रकार श्री महातमसिंह के सम्पादन में 'शांतिदूत' मासिक पत्र का प्रकाशन हुआ। उन्होंने इसकी रक्षा के लिए भरपूर साहस और लगन से कार्य किया किन्तु यह भी अन्ततः बन्द हो गया। कुछ दिनों तक यह सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र रहा। गाँधी सांस्कृतिक भवन के शान्तिदल द्वारा 'प्रकाश' नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकल रहा है। इसी के साथ एक अन्य पत्र 'विकास' का भी प्रकाशन हुआ है। हिन्दी प्रेस के अभाव में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी सूरीनाम में हिन्दी पत्रों का दीप जल रहा है।

3.3.06.3. त्रिनिदाद और टोबैगो

कैरिबियन समुद्र में स्थित त्रिनिदाद और टोबैगो जो वेस्टइंडीज के एक देश के रूप से भी जाना जाता है, भारतीयों की संख्या अच्छी ख़ासी है। यहाँ भी अन्य देशों की भाँति भारतीय मज़दूर शर्तनामा कुली के रूप में लाए गये थे। हिन्दी का लेखन, पाठन, वाचन अन्य देशों की भाँति यहाँ भी चल रहा है। यहाँ से सर्वप्रथम हिन्दी में

'कोहेनूर' अख़बार निकला जो अब बन्द हो गया है। इसमें धार्मिक सामग्री के अलावा कुछ स्थानीय समाचार भी प्रकाशित होते थे। यहाँ का सर्वाधिक लोकप्रिय पत्र 'ज्योति' है। यह एक मासिक पत्र है तथा इसका सर्वप्रथम प्रकाशन मार्च 1968 को हुआ था। इसके संस्थापक सम्पादक हैं प्रो० हरिशंकर आदेश। यह पत्र जीवन ज्योति प्रकाशन के अन्तर्गत प्रकाशित होता है। पहले यह पत्र हिन्दी शिक्षा संघ द्वारा प्रकाशित होता था परन्तु अब संघ के बन्द हो जाने पर यह भारतीय विद्या संस्थान के मुखपत्र के रूप में प्रकाशित होता है। यह प्रत्येक मास की सात तारीख को प्रकाशित होता है। प्रो० आदेश ने इसे साहित्यिक बनाने का भरसक प्रयास किया है जिसमें वे सफल भी हुए हैं। हिन्दी-अंग्रेजीमिश्रित इस पत्र में संगीत की तकनीकी शिक्षा के लिए भी लेख छपते हैं। नवोदित हिन्दी लेखकों को इससे काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। त्रिनिदाद में हिन्दी प्रेस के अभाव में हिन्दी प्रकाशन को पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समय वहाँ स्व. पण्डित काशीप्रसाद मिश्र का एक ही प्रेस है जिसमें पर्याप्त टाइप न होने से मुद्रण में अप्रत्याशित संघर्ष उठाना पड़ता है। अतः ज्योति का प्रकाशन लीथो एवं आफसेट प्रणाली से होता है। फिर भी प्रो० आदेश वहाँ हिन्दी पत्रकारिता का दीप जलाए हुए हैं।

3.3.07. ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हिन्दी पत्रकारिता

वैसे आस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश आस्ट्रेलिया में बहुत संख्या में भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं लेकिन इस महाद्वीप का फिजी संसार का दूसरा ऐसा देश है जहाँ हिन्दीभाषी लोगों का बाहुल्य है और इस कारण यहाँ हिन्दी पत्रकारिता भी फल-फूल रही है।

आस्ट्रेलिया महाद्वीप का मानचित्र (साभार विकिपीडिया)

3.3.07.1. ऑस्ट्रेलिया

आस्ट्रेलिया के मेलबोर्न यूनिवर्सिटी, आस्ट्रेलिया नेशनल कैनबरा इत्यादि में हिन्दी का अध्यापन और अनुसन्धान कार्य होता है। यहाँ भी भारतीयों की संख्या उल्लेखनीय है। डॉ॰ रिचर्ड के बार्ज हिन्दी-उर्दू के ज्ञाता तथा भाषा वैज्ञानिक के रूप में ख्याति प्राप्त हैं, वे कैनबरा में हिन्दी प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुके हैं। हिन्दी अध्ययन की सुविधा मेलबोर्न, कैनबरा के साथ साथ सिडनी में भी है लेकिन यहाँ हिन्दी पत्रकारिता का वैसा विकास नहीं देखा गया है जैसा कि यूरोपीय देशों में देखा गया है।

3.3.07.2. न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड में हिन्दी के अनेक पत्र-पत्रिकाएँ समय-समय पर प्रकाशित होती रही हैं। सबसे पहला प्रकाशित पत्र था 'आर्योदय' जिसके सम्पादक थे श्री जे.के. नातली, उप सम्पादक थे श्री पी वी पटेल व प्रकाशक थे श्री रणछोड़ के पटेल। भारतीयों का यह पहला पत्र 1921 में प्रकाशित हुआ था परन्तु यह जल्दी ही बन्द हो गया। एक बार फिर 1935 में 'उदय' नामक पत्रिका श्री प्रभु पटेल के सम्पादन में आरम्भ हुई जिसका सह-सम्पादन किया था कुशल मधु ने। पहले पत्र की भाँति इस पत्रिका को भी भारतीय समाज का अधिक सहयोग नहीं मिला और पत्रिका को बन्द कर देना पड़ा।

उपर्युक्त दो प्रकाशनों के पश्चात् लम्बे अन्तराल तक किसी अन्य भारतीय पत्र-पत्रिका का प्रकाशन नहीं हुआ। 90 के दशक में पुनः सन्देश नामक पत्र अँग्रेज़ी में प्रकाशित हुआ व कुछ अंकों के प्रकाशन के बाद बन्द हो गया। इसके बाद द इंडियन टाइम्स, इंडियन पोस्ट, पेस्फिक स्टार, ईस्टएंडर और द फीजी-इंडिया एक्सप्रेस का प्रकाशन हुआ किन्तु एक के बाद एक बन्द होते गये।

90 के दशक में प्रकाशित लगभग सभी पत्र-पत्रिकाओं में से अधिकतर बन्द हो गये। न्यूजीलैंड की भारतीय पत्रकारिता में हिन्दी का अध्याय 1996 में 'भारत-दर्शन' पत्रिका के प्रकाशन से आरम्भ माना जा सकता है। 1921 से 90 के दशक का न्यूजीलैंड भारतीय पत्रकारिता के इतिहास का गहन अध्ययन करने के पश्चात् पुनः एक हिन्दी लेखक व पत्रकार ने 'भारत-दर्शन' पत्रिका के प्रकाशन व सम्पादन का बीड़ा उठाया। न्यूजीलैंड भारतीय पत्रकारिता में हिन्दी प्रकाशन का अध्याय यद्यपि द इंडियन टाइम्स में 1993 में हस्तलिखित हिन्दी रिर्पोटों के प्रकाशन से आरम्भ होता है तथापि वास्तविक हिन्दी प्रकाशन का श्रेय 'भारत-दर्शन' पत्रिका को जाता है चूँकि यही पत्रिका पूर्ण रूप से न्यूजीलैंड का पहला हिन्दी प्रकाशन कहा जा सकता है। हिन्दी भाषा का प्रेम व भारतीय समाज की आवश्यकताओं हेतु यह नन्हीं-सी पत्रिका निरन्तर प्रयासरत रहती है। बिना किसी सरकारी या गैर-सरकारी आर्थिक सहायता के पत्रिका का प्रकाशन यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है लेकिन हिन्दी प्रेमियों का स्नेह हर दिन नयी ऊर्जा उत्पन्न करता रहा है। 1996 में 'भारत-दर्शन' का इंटरनेट संस्करण उपलब्ध करवाया गया, इसके साथ ही पत्रिका को 'इंटरनेट पर विश्व की पहली हिन्दी साहित्यिक पत्रिका' होने का गौरव प्राप्त हुआ और विश्वभर में फैले भारतीयों ने 'भारत-दर्शन' की हिन्दी सेवा की सराहना की है।

3.3.07.3. फिजी

प्रशान्त महासागर में स्थित फिजी में भी भारतीय श्रमिक कुली के रूप में लाए गये थे। वे अपनी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से हिन्दी का अलख जगाए हुए हैं। यह संसार में दूसरा विदेशी राष्ट्र है जहाँ हिन्दी का बाहुल्य है। फिजी में सर्वप्रथम सन् 1913 में पण्डित शिवदत्त शर्मा की देखरेख में डॉ० मणिलाल द्वारा सम्पादित पत्र 'सेटलर' का हिन्दी अनुवाद साइक्लोस्टाइल रूप में प्रकाशित हुआ था। इसका लोगों ने भरपूर स्वागत किया। फिर सन् 1923 में 'फिजी समाचार' का प्रकाशन हुआ। यह साप्ताहिक पत्र था इसके प्रथम सम्पादक थे बाबूराम सिंह और अन्तिम चन्द्रदेव सिंह थे। यह पत्र कुछ वर्षों तक प्रकाशित होकर बन्द हो गया। इसी समय 'भारत पुत्र', 'बुद्धि' तथा 'बुद्धिवाणी' आदि पत्रों का प्रकाशन हुआ जो अधिक दिन न चल सके और शीघ्र ही इतिहास की एक घटना बन कर रह गये। सन् 1930-40 के मध्य दो मासिक पत्र और निकले, एक पण्डित श्री कृष्ण शर्मा के सम्पादन में 'वैदिक सन्देश' तथा दूसरा 'सनातन धर्म'। किन्तु दोनों पत्र पारस्परिक आलोचना प्रत्यालोचना के शिकार हुए और अकाल ही काल-कवलित हो गये।

सन् 1935 में 'शान्तिदूत' साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। पण्डित गुरुदयाल शर्मा इसके संस्थापक सम्पादक थे। अब श्री जगनरायण शर्मा सम्पादक तथा श्रीमती निर्मला पथिक सह-सम्पादिका हैं। यह फिजी का सर्वाधिक प्रसार वाला हिन्दी पत्र है तथा फिजी टाइम्स समूह प्रकाशन से सम्बन्धित है। इसमें साहित्यिक और राजनैतिक विषयों पर भरपूर सामग्री रहती है। इसका प्रकाशन स्तर भारतीय पत्रों के समान ही है। सन् 1940 के आस-पास फिजी में कई हिन्दी पत्र उदित हुए, जैसे – पण्डित वी.डी. लक्ष्मण के सम्पादन में 'किसान' अखिल फिजी कृषक महासंघ के तत्त्वावधान में 'दीनबन्धु' श्री ज्ञानीदास के सम्पादन में 'ज्ञान' और 'तारा', आर्य पुस्तकालय के अन्तर्गत 'पुस्तकालय', श्री काशीराम कुमुद के सम्पादन में 'प्रवासिनी' तथा श्री राम खेलावन के सम्पादन में 'प्रकाश' आदि। इन सभी पत्रों में हिन्दी लेखन और साहित्य के अलावा फिजी में प्रवासी भारतीयों की दशा का भी चित्रण होता था। ये सभी पत्र अधिक दिनों तक प्रकाशित न रह सके और एक-एक कर सभी बन्द हो गये। फिर भी फिजी में हिन्दी पत्रकारिता में इनका योगदान सराहनीय रहा। इसी प्रकार 'जंजाल', 'सनातन प्रकाश' और 'मज़दूर' पत्र भी हैं जो दो चार अंकों के बाद अपने अस्तित्व की रक्षा न कर सके।

इसके बाद पण्डित राघवानन्द शर्मा के कुशल सम्पादन में 'जाग्रति' पत्र का प्रकाशन हुआ जिसने काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त की। पहले यह पत्र अर्द्ध साप्ताहिक था। कालान्तर में साप्ताहिक हो गया। इसमें किसानों से सम्बन्धित समाचार अधिक रहते थे। कुछ वर्ष पहले ही इसका प्रकाशन बन्द हुआ है। सन् 1953 में 'आवाज' नाम का एक साप्ताहिक पत्र निकला जिसमें राजनैतिक चेतना के स्वर अधिक थे। श्री ज्ञानदास के सम्पादन में 'झंकार' साप्ताहिक का प्रकाशन भी हुआ। इसका प्रकाशन बड़े उत्साह के साथ हुआ। इसमें सिने समाचारों का बाहुल्य होने से इसे शीघ्र ही लोकप्रियता मिली परन्तु सन् 1958 में इसका प्रकाशन बन्द हो गया।

सन् 1960 में 'जय फ़िजी' पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इसके सम्पादक पण्डित कमलाप्रसाद मिश्र थे। यह फिजी का अति लोकप्रिय पत्र है तथा साप्ताहिक रूप में अब भी प्रकाशित हो रहा है। इसका मुद्रण फोटो सेट

विधि से होता है। इस पत्र के सम्पादक पण्डित कमला प्रसाद मिश्र की हिन्दी सेवा और उनका फिजी में हिन्दी पत्रकारिता में योगदान के आधार पर भारत सरकार ने उन्हें 'विदेशी हिन्दी सेवी' पुरस्कार से भी पुरष्कृत किया। स्व. नन्दकिशोर के सम्पादन में 'फिजी सन्देश' का भी प्रकाशन हुआ। इनमें स्थानीय लेखकों को बहुत प्रोत्साहन मिलता था फिर भी ये अधिक लोकप्रिय नहीं हुए और बन्द हो गये। सन् 1974 में पण्डित विवेकानन्द शर्मा के कुशल सम्पादन में 'सनातन सन्देश' का प्रकाशन हुआ। यह मासिक पत्र था। यह फिजी की सनातन धर्म सभा का प्रमुख पत्र था। श्री शर्मा के अथक प्रयासों के बाद भी इसका प्रकाशन अधिक वर्षों तक न हो सका। इसके अतिरिक्त 1926 में 'राजदूत' पत्र का राजकीय प्रकाशन हुआ जिसमें राजकीय बातों को ही प्रश्रय दिया जाता था। इसी प्रकार 'विजय' के भी कुछ अंक निकले परन्तु विजय भी अपनी रक्षा न कर सका और समय के हाथों पराजय को प्राप्त हुआ। फिजी के सूचना मंत्रालय द्वारा 'फिजी वृत्तान्त' और 'शंख' के भी प्रकाशन हुए जिनमें वहाँ के जन-जीवन की चर्चाएँ प्रधान होती थीं। इस प्रकार विश्व हिन्दी पत्रकारिता में फिजी के हिन्दी पत्रों की अनवरत यात्रा चली आ रही है।

3.3.08. पाठ-सार

भारत ही नहीं दुनियाभर में हिन्दी का प्रभाव बढ़ रहा है। वैश्विक परिदृश्य में हिन्दी पत्रकारिता की स्थिति पर नज़र डालने की बाद हिन्दी की महत्ता को बखूबी समझा जा सकता है। भले ही हिन्दी भारत में भेदभाव का शिकार रही हो लेकिन वैश्विक माहौल में हिन्दी और हिन्दी पत्रकारिता का निरन्तर विकास हो रहा है। वहीं हिन्दी प्रेमी प्रवासी भारतीयों के प्रेम ने इसे दुनिया के अधिकांश देशों तक पहुँचा दिया है। पिछले 8 वर्षों में विश्वभर में हिन्दी बोलने वालों की संख्या में 9 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है जबकि भारत में हिन्दीभाषियों की संख्या में 10 करोड़ का इजाफा हुआ है। हाल ही में प्रकाशित किताब 'हिन्दी का विश्व सन्दर्भ' के नवीनतम संस्करण में यह दावा किया गया है। भारत के अलावा दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहाँ हिन्दी जानने वालों की संख्या 50 फीसदी तक है। इस किताब के लेखक मुंबई विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉ॰ करुणाशंकर उपाध्याय बताते हैं कि इस पुस्तक का पहला संस्करण 2008 में आया था। अब 2016 में प्रकाशित इसके नये संस्करण के लिए मैंने फिर से आँकड़े जुटाए। इससे पता चला कि पिछले 8 वर्षों में विश्व भर में हिन्दी जानने-समझने वालों की संख्या में 19 करोड़ का इजाफा हुआ है। इस प्रकार अलग-अलग देशों में हिन्दी पत्रकारिता के योगदान को इस सम्पूर्ण पाठ के जरिये बखूबी समझा जा सकता है।

3.3.09. बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत के बाहर सबसे पहले हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ हुई थी ?

(क) इंग्लैंड

(ख) जर्मनी

(ग) मॉरीशस

(घ) फिजी

सही उत्तर (क) इंग्लैंड

2. हिन्दी बाहुल्य सूरीनाम और गयाना देश किस महाद्वीप के अन्तर्गत आते हैं ?

(क) एशिया

(ख) अफ्रीका

(ग) दक्षिण अमेरिका

(घ) उत्तरी अमेरिका

सही उत्तर (ग) दक्षिण अमेरिका

3. इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला हिन्दी का सबसे पहला कौन-सा पत्र था ?

(क) सौरभ

(ख) हिन्दोस्थान

(ग) विश्वभारती

(घ) राजदूत

सही उत्तर (ख) हिन्दोस्थान

4. 'सौरभ' पत्रिका के पहले अंक के सम्पादक कौन थे ?

(क) पण्डित कमलाप्रसाद मिश्र

(ख) डॉ॰ भूदेव शर्मा

(ग) रामेश्वर अशान्त

(घ) गुलाब खंडेलवाल

सही उत्तर (ग) रामेश्वर अशान्त

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. आस्ट्रेलियन महाद्वीपीय देश फिजी में हिन्दी पत्रकारिता का बाहुल्य क्यों है ?
2. भारत के बाहर अन्य देशों से प्रकाशित दो हिन्दीभाषी पत्रिकाओं का परिचय दीजिए।
3. दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम में हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास के बारे में बताइए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. अमेरिका में सौरभ और इसके जैसी अन्य पत्रिकाओं के प्रकाशन पर प्रकाश डालिए।
2. मॉरीशस में हिन्दी पत्रकारिता का विस्तार से परिचय दीजिए।
3. वैश्वीकरण में हिन्दी पत्रकारिता की विकास-यात्रा की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।

3.1.10. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

1. कुमार, केवल जे., मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, जाइको पब्लिकेशन, मुंबई, 2014
2. हरि मोहन, आधुनिक जनसंचार और हिन्दी, तक्षशिला प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2008
3. जेफ्री, रॉबिन, इंडियाज़ न्यूज़पेपर रिवोल्यूशन, ऑक्सफोर्ड, लंदन, 2000
4. पचौरी, सुधीश, जनसंचार माध्यम भाषा और साहित्य, श्री नटराज प्रकाशन, नयी दिल्ली, 2009
5. उपाध्याय, करुणाशंकर, हिन्दी का विश्व सन्दर्भ, 2016
6. स्मारिका, दशवाँ विश्व हिन्दी सम्मेलन, भोपाल, 2015

उपयोगी इंटरनेट स्रोत :

01. http://www.bharatdarshan.co.nz
02. http://www.journalistcafe.com
03. http://www.bharatdiscovery.org
04. http://www.dw.com/hi
05. http://www.bbc.com/hindi
06. https://www.wikipedia.org
07. http://www.mapsofindia.com
08. Audit Bureau of Circulations, "Submission of circulation figures for the audit period January-June 2016"
09. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
10. http://www.hindisamay.com/
11. http://hindinest.com/
12. http://www.dli.ernet.in/
13. http://www.archive.org

❖❖❖

खण्ड – 4 : जनमाध्यम और हिन्दी पत्रकारिता

इकाई – 1 : रेडियो और हिन्दी पत्रकारिता

इकाई की रूपरेखा

4.1.0. उद्देश्य कथन
4.1.1. प्रस्तावना
4.1.2. रेडियो का उद्भव एवं विकास : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
    4.1.2.1. वैश्विक सन्दर्भ
    4.1.2.2. भारतीय सन्दर्भ
4.1.3. रेडियो पत्रकारिता के विविध आयाम
    4.1.3.1. समाचार
    4.1.3.2. फ़ीचर
    4.1.3.3. साक्षात्कार
    4.1.3.4. नाटक
    4.1.3.5. विज्ञापन
4.1.4. हिन्दी पत्रकारिता और रेडियो के विविध कार्यक्रम
    4.1.4.1. प्रायोजित कार्यक्रम
    4.1.4.2. विशेष श्रोता कार्यक्रम
    4.1.4.3. शैक्षिक कार्यक्रम
    4.1.4.4. संगीत कार्यक्रम
    4.1.4.5. अन्य कार्यक्रम
4.1.5. रेडियो प्रसारण की तकनीकी एवं विकास
    4.1.5.1. रेडियो प्रसारण के प्रमुख घटक
    4.1.5.2. आकाशवाणी प्रसारण
    4.1.5.3. प्रसार भारती
4.1.6. पाठ-सार
4.1.7. शब्दावली
4.1.8. बोध प्रश्न
4.1.9. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

4.1.0. उद्देश्य कथन

प्रस्तुत इकाई 'रेडियो और हिन्दी पत्रकारिता' की परस्परता पर केन्द्रित है। हिन्दी पत्रकारिता के सन्दर्भ में रेडियो पत्रकारिता एक विशिष्ट कला है। हमारे देश में रेडियो को एक लोकप्रिय जनमाध्यम के रूप में देखा जाता रहा है और इस माध्यम की सरलता व सहजता ने ही इसे बहुत पहले सामान्य जन का माध्यम बना दिया है। विगत

कुछ वर्षों में रेडियो नए रूप-रंग में भारतीय समाज में अवतरित हुआ है। प्रस्तुत इकाई को पढ़ने के बाद आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रेडियो के उद्भव एवं विकास को जान सकेंगे और साथ-ही-साथ आप –

i. समाचार, फ़ीचर, साक्षात्कार, नाटक, धारावाहिक, रूपान्तरण और विज्ञापन के रूप में रेडियो के विविध आयामों से परिचित हो सकेंगे।
ii. हिन्दी पत्रकारिता के सन्दर्भ में रेडियो के विविध कार्यक्रमों पर प्रकाश डाल सकेंगे।
iii. रेडियो प्रसारण की तकनीकी व विकास-प्रकिया को समझ सकेंगे।

4.1.1. प्रस्तावना

मानव सभ्यता के विकास में रेडियो संचार तकनीकी की खोज एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। आज रेडियो सूचना, शिक्षा व मनोरंजन का एक उल्लेखनीय माध्यम बन गया है। यह स्थानीय स्तर से लेकर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक के प्रसारणों के द्वारा मानव समाज की महत्त्वपूर्ण सेवा कर रहा है। वस्तुतः समय के साथ विभिन्न प्रकार के प्रभावी एवं सुविधाजनक संचार तकनीकी का विकास होता जा रहा है। रेडियो तकनीकी एवं उसके प्रसारण शैली में भी उत्तरोत्तर सुधार होता रहा है जिसके कारण उसकी लोकप्रियता आज भी उसी रूप में बनी हुई है। कुछ मामलों में तो इसका महत्त्व पहले से कहीं अधिक हो गया है। रेडियो को वस्तुतः कान या श्रवण का माध्यम कहा जाता है और यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि रेडियो का सन्देश केवल कान के माध्यम से व्यक्ति तक पहुँचता है। आँख और कान के लिए अलग-अलग रूपों में भाषा प्रस्तुत की जाती है, ऐसा अख़बार पढ़कर और रेडियो सुनकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

अख़बार एवं टेलीविजन की तुलना में रेडियो माध्यम की भौगोलिक सीमाएँ काफी दूर-दूर तक फैली हुई हैं। इस प्रकार यह माध्यम जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ एवं अन्य उन सभी जगहों पर उपलब्ध है जहाँ सामान्य स्थिति में अख़बार और टेलीविजन की पहुँच बहुत मुश्किल होती है। परिणामस्वरूप रेडियो विकास और सामाजिक परिवर्तनशीलता का सर्वसुलभ व सशक्त माध्यम बन सकता है। रेडियो को महात्मा गाँधी ने एक शक्तिसत्ता का स्थान दिया है। उनके अनुसार रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसे श्रोता हर प्रकार के काम-काज करते हुए सुन सकता है। जनसंचार माध्यम के रूप में रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका लाभ साक्षर-निरक्षर सभी उठा सकते हैं।

4.1.2. रेडियो का उद्भव एवं विकास : ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

संचार प्रक्रिया जीवित प्राणियों के जीवन का एक प्रमुख कार्य व्यवहार है। मानव जीवन की तो समस्त गतिविधियाँ संचार के तौर-तरीके एवं उसके स्वरूप पर काफी हद तक निर्भर करती हैं। कहना सही होगा कि सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों व क्रिया-कलापों की पृष्ठभूमि में संचार ही होते हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि संचार का स्वरूप जितना बेहतर होगा, उसके अन्य क्रिया-कलापों का परिणाम भी बेहतर होगा। इस सन्दर्भ में मानव जीवन की उपयोगिता के अनुक्रम में ही रेडियो और हिन्दी पत्रकारिता का विस्तार एवं विकास होता गया है।

विज्ञान एवं तकनीकी विकास की बदौलत रेडियो ने मानवीय सन्देशों को अत्यन्त व्यापक क्षेत्र में पहुँचा देने की क्षमता हासिल कर ली है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रेडियो के उद्‌भव एवं विकास की कहानी काफी रोचक है।

वस्तुतः संचार व सम्प्रेषण प्रक्रिया में मुद्रित माध्यम की अपनी सीमाएँ हैं। चूँकि, मुद्रित माध्यम बोल नहीं सकता, उसे केवल पढ़ा जा सकता है इसलिए इस माध्यम में सन्देश ग्रहण करने के लिए व्यक्ति का पढ़ा-लिखा होना अनिवार्य है। साथ ही दूरस्थ गाँवों, घने जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और घाटियों में रहने वाली जनसंख्या तक समाचार पत्र-पत्रिकाओं को भेज पाना दुरूह कार्य है। निस्सन्देह इसी समस्या के निराकरण के लिए रेडियो का आविष्कार हुआ।

4.1.2.1. वैश्विक सन्दर्भ

रेडियो का विकास उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भिक दशक से शुरू हुआ। 1876 ई. में अमेरिका के एलेक्जेण्डर ग्राहम बेल ने ध्वनि की विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यमम से सन्देश-प्रणाली का विस्तार किया। इसी अनुक्रम में इटली के गुग्लियो मार्कोनी ने टेलीग्राफ के ज़रिये पहला सन्देश प्रसारित किया लेकिन रेडियो पर मनुष्य की आवाज पहली बार 1906 में सुनी गई, जब प्रयोग के तौर पर अमेरिका के ली डी फॉरेस्ट ने पहला प्रसारण किया। ध्वनि प्रसारण के क्षेत्र में आज भी निरन्तर विकास हो रहा है। साथ ही रेडियो तरंगों के माध्यम से इस क्षेत्र में निरन्तर विस्तार भी हुआ।

स्मरणीय है कि 02 नवंबर 1920 को विश्व का पहला व्यावसायिक प्रसारण केन्द्र पिट्सबर्ग में आरम्भ हुआ था और इसी वर्ष इंग्लैंड में भी मार्कोनी की कम्पनी ने चेम्सफोर्ड से रेडियो का प्रसारण किया। रेडियो के इतिहास में 1922 का साल अत्यन्त उल्लेखनीय है, क्योंकि इसी वर्ष ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी जो कि बी.बी.सी. के नाम से विख्यात है।

इस प्रकार वैश्विक संचार प्रणाली के इतिहास में रेडियो का एक व्यवस्थित इतिहास है और इसकी एक उल्लेखनीय विकास-यात्रा भी है। वैश्विक पटल पर रेडियो की विकास-यात्रा के महत्त्वपूर्ण चरणों की व्याख्या निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत कर सकते हैं, यथा –

01. उन्नीसवीं शताब्दी में माइकल फैराडे ने कहा था कि विद्युत तरंगे एक चुम्बकीय तरंग क्षेत्र का निर्माण करती हैं।
02. 1831 ई. में जोसेफ हेनरी द्वारा एक मील की दूरी तक सन्देश सम्प्रेषित किया गया।
03. 1864 ई. में कैम्ब्रिज के जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने चुम्बकीय विद्युत तरंगों का सिद्धान्त प्रतिपादित किया।
04. ग्राहम बेल ने 1876 ई. में ध्वनि की विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से सन्देश प्रणाली का विस्तार किया।
05. जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक हर्टज ने 1888 ई. में इस सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया कि विद्युत तरंगें एक सीधी रेखा में चलती हैं।

06. 1897 ई. में मार्कोनी ने इंग्लैंड में वायरलेस टेलीग्राफ एण्ड सिग्नल कम्पनी लिमिटेड की स्थापना की।
07. 12 दिसंबर 1901 को मार्कोनी द्वारा इंग्लैंड से अमेरिका के बीच (न्यू द फाउण्डलैंड) के बीच मोर्स कोड प्रेषित किया गया।
08. अमेरिका के ली डी फॉरेस्टा ने 1918 ई. में न्यूयॉर्क में विश्व का प्रथम रेडियो स्टेशन शुरू किया।
09. माइक्रोफोन से पहली रिकॉर्डिंग 1925 ई. में की गई।
10. वर्ष 1931 में बेल टेलीफोन प्रयोगशाला ने पहली बार स्टीरियो रिकॉर्डिंग की।
11. ट्रांजिस्टर की शुरुआत 1948 ई. में हुई।
12. वर्ष 1962 में विश्व का पहला स्टीरियो एफ. एम. रेडियो आरम्भ हुआ।
13. डिजिटल रिकार्डिंग की शुरुआत 1975 ई. में हुई।
14. प्रतिवर्ष 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाने की परम्परा है। वर्ष 2010 में स्पेन की रेडियो अकादमी ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड से अनुशंसा की कि रेडियो की उपयोगिता को देखते हुए 'रेडियो दिवस' मनाया जाए। यूनेस्को ने 03 नवंबर 2011 को घोषणा की कि हरेक साल 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाए क्योंकि इसी दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने रेडियो की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि10 दिसंबर 2012 को संयुक्तराष्ट्र संघ की महासभा ने विश्व रेडियो दिवस की घोषणा का समर्थन किया।

4.1.2.2. भारतीय सन्दर्भ

भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत बीसवीं सदी के तीसरे दशक में हुई। सर्वप्रथम मद्रास प्रेसीडेंसी क्लब ने हल्के-फुल्के ढंग से रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण 31 जुलाई 1924 से आरम्भ किया। उल्लेखनीय है कि इस प्रसारण के लिए मीडियम एवं शार्ट वेव मीटरों का इस्तेमाल किया गया था परन्तु आर्थिक कठिनाइयों की वजह से यह प्रसारण लम्बे समय तक जारी न रह सका। परिणामतः कुछ समय के उपरान्त इसे बन्द कर दिया गया। रेडियो प्रसारण में रुचि रखने वालों ने इसी बीच इंडियन ब्रॉडकास्ट कम्पनी लिमिटेड कम्पनी की स्थापना की। इस कम्पनी ने भारत सरकार से मुंबई (बंबई) एवं कलकत्ता (कोलकाता) में रेडियो प्रसारण के लिए लाइसेंस प्राप्त करके इन दोनों शहरों में डेढ़-डेढ़ किलोमीटर वाट की क्षमता वाले मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की स्थापना की। ध्यातव्य है कि इसके कार्यक्रम 55 किलोमीटर की परिधि में सुने जा सकते थे। बम्बई रेडियो प्रसारण केन्द्र का उद्घाटन 23 जुलाई 1927 को भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड इर्विन ने किया। उसी वर्ष यानी 1927 में ही 26 अगस्त को बंगाल के तत्कालीन गवर्नर सर स्टैनले जैक्सन ने कलकत्ता रेडियो प्रसारण केन्द्र का उद्घाटन किया। मार्च 1930 के आते-आते एक रोचक घटना यह घटी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कम्प्नी दिवालिया हो गई तथा औपनिवेशिक सरकार ने इस कम्पनी को अपने अधीन लेकर इसका नया नाम इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रख दिया। आगे चलकर वर्ष 1936 में एक बार फिर इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। भारत की आजादी के बाद यही ऑल इंडिया रेडियो 'आकाशवाणी' के नाम से भी जाना जाने लगा। भारतीय सन्दर्भ में रेडियो के उद्भव एवं विकास को निम्नलिखित बिन्दुओं से स्पष्ट किया जा सकता है –

01. भारत में मुकुल बोस ने सबसे पहले टू-वेब हैम रेडियो की शुरुआत 1922 ई. में की थी।

02. मद्रास प्रेसीडेंसी क्लब की स्थापना 1924 ई. में की गई तथा 16 मई 1928 को मद्रास में ही रेडियो क्लब की स्थापना हुई।
03. वर्ष 1930 में उद्योग एवं श्रम विभाग, औपनिवेशिक भारत सरकार ने रेडियो प्रसारण सेवा को अपने अधिकार में ले लिया।
04. 08 जून 1936 को लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर 'ऑल इंडिया रेडियो' कर दिया गया।
05. ऑल इंडिया रेडियो का प्रथम निदेशक 1936 ई. में मिस्टर गायडर को बनाया गया जो कि बी.बी.सी. के ब्रॉडकास्ट विशेषज्ञ थे।
06. वर्ष 1940 में ए. एस. बुखारी को ऑल इंडियारेडियो का प्रथम भारतीय निदेशक बनाया गया।
07. बॉम्बे टेक्नीकल इंस्टीट्यूट बायकुला के प्रिंसिपल नरीमन प्रिंटर ने 27 अगस्त 1942 को बम्बई से नेशनल कांग्रेस रेडियो (7.12 MHz) प्रसारण शुरू किया। उषा मेहता नेशनल कांग्रेस रेडियो की पहली उद्घोषिका थीं। हालाँकि, 12 नवंबर 1942 को नरीमन प्रिंटर तथा उषा मेहता की गिरफ्तारी के बाद नेशनल कांग्रेस का प्रसारण बन्द हो गया।
08. आजादी के समय ऑल इंडिया रेडियो के पास कुल 06 रेडियो स्टेशन थे तथा उसकी पहुँच देश के 11 प्रतिशत लोगों तक थी। स्वतन्त्रता के बाद रेडियो पूरी तरह से सरकारी संरक्षण में रहा।
09. शौकिया तौर पर पहले रेडियो क्लब की शुरुआत मऊ (मध्यप्रदेश) में 15 मई 1948 में हुई थी। आगे चलकर इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थानान्तरित कर दिया गया।
10. विविध भारती की स्थापना रेडियो सीलोन के प्रभाव को कम करने के लिए 03 अक्टूबर 1957 को की गई थी।
11. 21 जुलाई 1969 को 'युगवाणी' की शुरुआत की गई।
12. प्रायोगिक तौर पर पहली बार एफ. एम. प्रसारण 23 जुलाई 1977 को मद्रास में हुआ था।
13. 18 मई 1988 से 'रात्रिकालीन' सेवा की शुरुआत की गई।
14. वर्ष 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी एक ऐतिहासिक फैसले के तहत रेडियो तरंगों पर सरकार का एकाधिकार नहीं माना।
15. वर्गीज समिति की अनुशंसा के आधार पर 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन हुआ।
16. 01 सितम्बर 2001 में आकाशवाणी द्वारा इंफोटेनमेंट चैनल की शुरुआत की गई।
17. 12 नवंबर 2001 को रेडियो म्यूजियम का उद्घाटन और सार्वजनिक सेवा का दिन घोषित किया गया।
18. वर्ष 2002 में भारत सरकार ने शिक्षण संस्थानों को कैम्पस रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दी।
19. दिल्ली से 26 जनवरी 2004 को भाषा भारती ए. आई. आर. चैनल आरम्भ किया गया।
20. वर्ष 2005 में भारत सरकार ने शौकिया रेडियो सेटेलाइट 'हैमसेट' लांच किया। वस्तुतः 'हैम रेडियो' उपग्रह संचार प्रणाली पर आधारित होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब संचार प्रक्रिया बाधित हो जाती है तब 'हैम रेडियो' जनसंचार सुलभ कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं।
21. 16 नवंबर 2006 को भारत सरकार ने स्वयंसेवी संस्थानों को रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दी।

22. वर्तमान में रेडियो की पहुँच देश की 99.16 प्रतिशत जनसंख्या तक 233 स्टेशनों के साथ है।

4.1.3. रेडियो पत्रकारिता के विविध आयाम

रेडियो अपने विस्तार और अतिशीघ्र सन्देश प्रसारित करने की क्षमता के कारण सूचना सम्प्रेषण का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। रेडियो पत्रकारिता अपने आप में एक स्वतन्त्र और उपयोगी विधा है, क्योंकि रेडियो पर संगीत के अतिरिक्त जो कुछ भी प्रसारित किया जाता है, उसमें थोड़ा बहुत पत्रकारिता का पुट अवश्य होता है। विभिन्न विषयों पर वार्ताएँ, साक्षात्कार, फ़ीचर, समाचार, धारावाहिक, नाटक आदि में पत्रकारिता का ज्ञान बेहद आवश्यक है।

सामान्यतः समाचार पत्र-पत्रिकाओं की पत्रकारिता और रेडियो पत्रकारिता के मूलभूत सिद्धान्त तो एक ही हैं लेकिन इनमें सबसे बड़ा अन्तर होता है – लेखन शैली और प्रस्तुति का। रेडियो पत्रकारिता का सबसे महत्त्वपूर्ण आयाम समय और संक्षिप्तता है। उदाहरण के तौर पर प्राप्त समाचारों को उनके महत्त्व के आधार पर इस प्रकार क्रमबद्ध किया जाता है कि समाचार-वाचक उन्हें निर्धारित अवधि में पढ़ सके। हरेक पढ़े गए वाक्य को दूसरे वाक्यों से पृथक् करते हुए एक ऐसी शैली में समाचार वाचन किया जाता है कि सभी समाचार आसानी से श्रोताओं को समझ में आ सके। चूँकि, प्रसारण समय सीमित होता है इसलिए रेडियो कार्यक्रमों की प्रस्तुति में प्रायः विस्तृत विवरण या व्याख्या की गुंजाइश नहीं होती है अर्थात् समय और संक्षिप्तता के आवश्यक तत्त्वों को ध्यान में रखते हुए रेडियो पत्रकारिता की जाती है।

4.1.3.1. समाचार

रेडियो पर प्रसारित समाचार रेडियो की भाषा में 'बुलेटिन' कहलाते हैं। रेडियो समाचार पढ़कर या बोलकर सुनाये जाते हैं। इस दृष्टि से ऐसे समाचारों की लम्बाई, भाषा-शैली आदि बातें रेडियो माध्यम के गुण एवं इस पर समाचारों के लिए निर्धारित समय और श्रोताओं आदि पर निर्भर करते हैं। साथ ही बुलेटिन में समाचारों को उनकी महत्ता के आधार पर क्रमबद्ध करके प्रस्तुत किया जाता है। रेडियो समाचार को प्रायः आम बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मुद्रित माध्यमों के लिए समाचार प्रायः उल्टे पिरामिड के रूप में लिखे जाते हैं। रेडियो समाचार लेखन में इस परम्परा का पालन नहीं किया जाता है। रेडियो के लिए समाचार 'ब्रासलेट डायमंड' के आकार में लिखे और बोले जाते हैं यानी कि पहले घटना का मुख्य अंश, फिर विस्तृत विवरण और फिर मुख्य अंश। वस्तुतः अख़बारों में स्थान की कमी नहीं होती है इसलिए समाचार का विस्तृत विवरण दिया जा सकता है लेकिन रेडियो पर समय की सीमा होती है। एक समाचार को प्रायः 20-30 शब्दों में ही समेटना होता है और साथ ही शब्दों की इसी सीमित संख्या में छह ककारों (5W+1H) के सभी उत्तर देने पड़ते हैं। इसलिए रेडियो समाचार अत्यन्त कसा हुआ होना अपेक्षित है।

रेडियो समाचार विशाल जनसमूह को सम्बोधित करता है इसलिए रेडियो समाचार लेखन एवं प्रस्तुति के सन्दर्भ में कतिपय महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख किया जा सकता है, यथा –

01. समाचार शीर्षक में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं। इन्हें प्रायः अधूरे वाक्यों में लिखा जाता है। इसकी अवधि प्रायः 45 सेकेण्ड से लेकर एक मिनट होती है। समाचार प्रसारण में बीच-बीच में केवल समाचार शीर्षक होता है।

02. समाचार संक्षेप का प्रसारण उस समय किया जाता है जब प्राइम समय नहीं होता। ऐसे समय में चूँकि श्रोताओं की संख्या कम होती है इसलिए इसमें समाचारों को विस्तारपूर्वक न कहकर संक्षेप में कह दिया जाता है।

03. एकीकृत समाचार दिन में एक या दो बार प्रसारित किए जाते हैं। इसकी अवधि प्रायः आधे घण्टे की होती है। इसमें समाचार, साक्षात्कार, रिपोर्ट एवं विभिन्न घटनाओं पर कमेन्ट्री दी जाती है।

04. सरलता रेडियो समाचार लेखन का सूत्र वाक्य है। सरल शब्दों, सरल वाक्य, सरल प्रस्तुति रेडियो समाचार के लिए अत्यन्त आवश्यक है। रेडियो समाचार लेखन में सभी समाचारों के साथ-साथ 'आज' शब्द की बजाय 'आज सुबह', 'आज शाम', 'आज दोपहर' जैसे शब्दों को लिखा जाना अपेक्षित है।

05. रेडियो समाचारों की शुरुआत में समाचार से जुड़े मुख्य शब्दों को नहीं लिखा जाना चाहिए। इसके अन्तर्गत तिथि, दिन, नाम, संख्या, स्थान आदि नाम शामिल हैं। रेडियो समाचारों में जीवन्तता का एहसास कराने के लिए समाचार प्रसारण समय से कुछ ही समय पहले मिले समाचारों के सन्दर्भ में यह कहना अच्छा रहता है कि – "अभी-अभी समाचार मिला है कि ...।"

06. तात्कालिकता का परिचय रेडियो समाचारों के सन्दर्भ में विशेष महत्त्व रखता है। अतः उसको ध्यान में रखकर ही समाचार लेखन का कार्य किया जाना अपेक्षित है। यदि कोई घटना आज हो रही है तो उसकी प्रस्तुति में भविष्य काल का इस्तेमाल करने की बजाय वर्तमान काल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए सुबह के समाचार बुलेटिन में "फ्रांस के राष्ट्रपति आज दोपहर भारत पहुँचेंगे" की बजाय "फ्रांस के राष्ट्रपति आज दोपहर भारत पहुँच रहे हैं" कहना ज्यादा उपयुक्त होगा।

07. वर्तमान सन्दर्भ से जुड़ी तात्कालिक रूप में घटित घटनाओं को भूतकाल में न व्यक्त कर वर्तमान काल में व्यक्त करते हैं।

08. रेडियो समाचार लेखन में प्रश्नवाचक चिह्नों का प्रयोग बहुत ही कम होता है। अवतरण चिह्नों में आलेख में अर्द्धविराम एवं पूर्णविराम-चिह्नों का प्रयोग सर्वाधिक होता है।

09. रेडियो समाचार में किसी व्यक्ति का प्रथम बार नाम देने के बाद फिर उपनाम दिया जाता है। समाचार दिए जाने वाले व्यक्तियों के नाम के साथ-साथ उपयुक्त सम्मानजनक शब्द का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। जब किसी सन्दर्भ में कई नामों का ज़िक्र करना है तो उस समय प्रथम नाम से पहले 'सर्वश्री' लगाते हुए सभी नामों को पढ़ते हैं।

10. रेडियो समाचार में समय का उल्लेख आम बोलचाल की भाषा में किया जाता है। उदाहरण के लिए 'शाम पाँच बजकर पन्द्रह मिनट' को 'शाम सवा पाँच बजे' के रूप में व्यक्त किया जाना आवश्यक होता है।

4.1.3.2. फ़ीचर

रेडियो फ़ीचर को रेडियो रूपक भी कहते हैं। रेडियो फ़ीचर किसी भी विषय पर रोचक, मनोरंजक, मर्मस्पर्शी तरीके से दी जाने वाली जानकारी है। इसमें बातों को बिल्कुल सीधे-सीधे ढंग से प्रस्तुत करने के बजाय कुछ ऐसे कलात्मक तरीके अपनाए जाते हैं जो सुनने में श्रोताओं को अधिक रुचिकर एवं प्रभावी लगे। वैसे तो रेडियो फ़ीचर कुछ हद तक मुद्रित माध्यम में प्रस्तुत किए जाने वाले फ़ीचर से मिलता जुलता है। हालाँकि, अख़बारों में लिखे जाने वाले फ़ीचर के विपरीत रेडियो फ़ीचर ध्वनि माध्यम से प्रस्तुत किए जाने के कारण आवाज के साथ-साथ इसमें गीत, संगीत, ध्वनि प्रभाव आदि का इस्तेमाल किया जाता है।

अख़बारों के फ़ीचर की भाँति ही रेडियो फ़ीचर में भी विषय से लेकर प्रस्तुत करने की भाषा-शैली तक में काफी विविधता होती है। रोचकता रेडियो फ़ीचर कार्यक्रम की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें भावनात्मक पक्षों पर अधिक बल दिया जाता है।

फ़ीचर यद्यपि जानकारी एवं सूचनाप्रद कार्यक्रम है तथापि इसमें डॉक्यूमेंटरी की भाँति खोजी पत्रकारिता का पक्ष नहीं रहता है। साथ ही फ़ीचर में तथ्यों की भरमार भी नहीं होती। डॉक्यूमेंटरी में जहाँ 'साक्षात्कार' सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है वहीं रेडियो फ़ीचर में कमेंटरी अथवा नैरेशन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व होता है।

उल्लेखनीय है कि समाचार पत्र-पत्रिकाओं की तरह ही रेडियो फ़ीचर के स्वरूप को विभाजित किया जा सकता है और यह विभाजन वस्तुतः विषय-वस्तु के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर व्यक्तित्व आधारित फ़ीचर में सम्बन्धित व्यक्ति के जीवन की उन घटनाक्रमों पर विशेष रूप से चर्चा की जाती है जिसका सामना करते हुए वह आगे बढ़ा है। ठीक इसी प्रकार मानव अभिरुचि पर आधारित रेडियो फ़ीचर तैयार करने के लिए वे सभी घटनाक्रम अथवा व्यक्ति लिए जा सकते हैं जिसमें सामान्य मानव की रुचि होती है। इसके अन्तर्गत अति सामान्य विषय से लेकर विभिन्न प्रकार के रोचक विषय भी शामिल हो सकते हैं। सारतः रेडियो फ़ीचर की विषयवस्तु के लिए सामान्य से हटकर जो कुछ भी है, स्वाभाविक रूप से आकर्षण का केन्द्र और प्रस्तुति का आधार बनता है।

4.1.3.3. साक्षात्कार

साक्षात्कार वस्तुतः साक्षात्कारकर्त्ता और उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका मूल उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना व जानकारी प्राप्त करना होता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत व्यक्ति आमने-सामने होकर संचार करते हैं। वैसे संचार तकनीकी की उपलब्धता के परिणामस्वरूप व्यक्ति दूर रहकर भी आपस में बातचीत कर सकते हैं। रेडियो साक्षात्कार को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत साक्षात्कार के विषय, सूचनादाताओं की संख्या, कार्यक्रम का निर्धारण व प्रसारण, साक्षात्कार की आवृत्ति, साक्षात्कार के उद्देश्य, स्थान, सम्पर्क, समय आदि जैसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जा सकता है।

रेडियो साक्षात्कार कार्यक्रम प्रायः प्रश्नोत्तर रूप में प्रस्तुत किया जाता है किन्तु यह हमेशा आवश्यक नहीं है कि उत्तरदाता से केवल प्रश्नोत्तर शैली में ही बातचीत की गई हो। साक्षात्कार को एक रिपोर्ट के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। वस्तुतः साक्षात्कार लेने के पश्चात् सम्पादन के दौरान कार्यक्रम प्रस्तुतकर्त्ता इसे विभिन्न तरीके से प्रस्तुत कर सकता है। फिर भी उचित सम्पादन के उपरान्त प्रश्नोत्तर रूप में साक्षात्कार को प्रस्तुत करना सर्वाधिक प्रचलित तरीका है। रेडियो साक्षात्कार के दौरान कतिपय महत्त्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है, यथा – (i) सामान्य शिष्टाचार, (ii) उचित एवं स्पष्ट आवाज में बातचीत, (iii) उचित प्रतिपुष्टि, (iv) विवाद निषेध, (v) निरन्तरता का पालन तथा (vi) आवश्यकतानुसार बातों की पुनरावृत्ति।

4.1.3.4. नाटक

किसी भी नाटक या एकांकी लिखे जाने का एक निश्चित उद्देश्य होता है। वार्ता, फ़ीचर, साक्षात्कार, परिचर्चा आदि की तरह रेडियो नाटक भी अभिव्यक्ति का तरीका है। रेडियो नाटक लिखने के लिए विषय चयन में लेखक की रुचि एवं विषय की उपयोगिता काफी महत्त्वपूर्ण होती है। साथ ही लेखक को समस्या या कहानी का रेडियो नाट्य रूपान्तरण करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहानी के घटनाक्रम कितने हैं यानी उसकी लम्बाई कितनी है। रेडियो नाटक की अवधि प्रायः आधे घण्टे से लेकर एक घण्टे तक की होती है। इसे प्रायः रेडियो नाटक के मूल तत्त्वों (कथावस्तु, समस्या, संघर्ष, अवरोध, चरित्र, संवाद और नैरेशन) के आलोक में ही समझा जा सकता है।

रेडियो नाटक की पटकथा अपने आप में मौलिक रूप से लिखा गया नाटक हो सकता है या फिर किसी कहानी, उपन्यास आदि पर आधारित नाटक भी हो सकता है। रेडियो नाट्य रूपान्तरण के अन्तर्गत कहानी में वर्णित घटनाओं को नाटकीय रूप देकर उसे संवाद, ध्वनि प्रभाव, संगीत, नैरेशन आदि का आपस में समुचित समन्वय कर इस अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है जिस रूप में वह घटित हुई होती है। रेडियो नाट्य रूपान्तरण करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो बातें मूल कहानी में बता दी गई होती है, उसका नाटक में शब्दचित्र न तो काफी लम्बा हो और न ही संक्षिप्त। उसे अपने आप में सन्तुलित होना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी कहानी का वाक्य "शाम के समय उसकी उदासी बढ़ गई" का रेडियो रूपान्तरण करते समय रूपान्तरकार अपनी समझ से शाम के दृश्य एवं पात्र के उदासी का मनोभावों को व्यक्त करने के लिए पूरी तरह से स्वतन्त्र है।

4.1.3.5. विज्ञापन

भारत में रेडियो पर विज्ञापनों का प्रसारण सत्तर के दशक में ही शुरू हो गया था। हालाँकि, नयी आर्थिक नीति के कारण उपभोक्तवादी वस्तुएँ शहरी सीमा को लाँघकर अब गाँव-देहात तक पहुँच गई हैं। ऐसी परिस्थिति में रेडियो विज्ञापनों का महत्त्व भी उल्लेखनीय ढंग से बढ़ गया है। रेडियो माध्यम के बारे में यह बात विशेष रूप से कही जाती है कि इसके कार्यक्रम गाँव-देहात के क्षेत्रों में अधिक सुने जाते हैं इसलिए भारतीय समाज के इस वर्ग

को ध्यान में रखकर विविध प्रकार के विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। रेडियो विज्ञापन लेखन के दौरान भाषा एवं प्रस्तुति में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं –

(i) विज्ञापन की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि जन सामान्य उसे अच्छी तरह से समझ सके।
(ii) रेडियो विज्ञापन में बहुत अधिक बातें नहीं कही जा सकती हैं। अतः मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही रेडियो विज्ञापन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(iii) विज्ञापन में दिया गया सन्देश श्रोताओं को सीधे अपील करते हुए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(iv) कभी भी कोई विज्ञापन भ्रामक अर्थों में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही विज्ञापन की भाषा शालीन एवं प्रभावी होनी चाहिए।
(v) स्लोगन और पंचलाइन तीव्र गति से प्रस्तुत किए गए विज्ञापनों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

4.1.4. हिन्दी पत्रकारिता और रेडियो के विविध कार्यक्रम

सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन के निहितार्थ भारतीय सन्दर्भ में रेडियो की भूमिका अतुलनीय है। आकाशवाणी (ऑल इंडिया रेडियो) के कार्यक्रम, विशेषकर हिन्दी भाषा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम, जहाँ एक ओर भारतीय समाज में वर्षों से सामाजिक, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना के संवाहक हैं तो दूसरी ओर मनोरंजन का लोकप्रिय साधन भी। आज की युवा पीढ़ी के लिए रेडियो के एफ.एम. संस्करण ने चलते-फिरते हर जगह एक ज्ञानवर्द्धक मनोरंजन को उपलब्ध कराया है परिणामस्वरूप आज रेडियो सुदूर गाँवों से लेकर बड़े शहरों, नगरों और महानगरों तक के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बनता जा रहा है।

4.1.4.1. प्रायोजित कार्यक्रम

रेडियो माध्यम पर प्रसारित किए जाने वाले अधिकतर कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में प्रसारित होने लगे हैं। इसके अन्तर्गत रेडियो के कार्यक्रमों के साथ प्रायोजित वस्तु या सेवा का विज्ञापन भी किया जाता है। प्रायोजक अपने मनपसन्द के कार्यक्रमों का चुनाव करता है और उसके विज्ञापन करने के एवज में प्रसारण केन्द्र द्वारा निर्धारित शुल्क प्रसारण केन्द्र को देना पड़ता है। आकाशवाणी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की शृंखला में प्रायः अधिकतर कार्यक्रम हिन्दी में ही होते हैं। निस्सन्देह हिन्दी पत्रकारिता के विस्तार एवं विकास में ऑल इंडिया रेडियो की भूमिका बेमिसाल है।

कार्यक्रमों के प्रायोजक मिल जाने से उसके स्वरूप में स्थिरता आ जाती है। इससे एक ओर जहाँ रेडियो कार्यक्रमों के निर्माण में सहुलियत मिलती है वहीं दूसरी ओर विज्ञापनदाताओं के लिए अपने उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में सरलता होती है। कहना गलत न होगा कि प्रायोजित कार्यक्रम में प्रायोजित वस्तु या सेवा एवं कार्यक्रम दोनों को एक दूसरे के माध्यम से उल्लेखनीय तथा विशिष्ट पहचान मिलती है। कार्यक्रम जितना ही अच्छा एवं लोकप्रिय होता है, उसी के अनुसार प्रायोजित वस्तु को भी पहचान मिलती है।

4.1.4.2. विशेष श्रोता कार्यक्रम

हिन्दी पत्रकारिता के आलोक में रेडियो कार्यक्रम के श्रोताओं को हम सामान्यतः दो प्रमुख भागों में विभाजित कर सकते हैं – (i) सामान्य श्रोता वर्ग और (ii) विशिष्ट श्रोता वर्ग। सामान्य श्रोता वर्ग के अन्तर्गत वे सभी श्रोता शामिल हैं जो किसी कार्यक्रम को विशिष्टता से परे होकर सुनते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे कार्यक्रम किसी खास या विशिष्ट श्रोता वर्ग को ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाते हैं और इन्हें कोई भी श्रोता अपनी रुचि के अनुसार सुन सकता है।

दूसरी ओर विशिष्ट श्रोता वर्ग के कार्यक्रम के अन्तशर्गत ऐसे कार्यक्रमों को शामिल किया जाता है जो किसी विशिष्ट श्रोता वर्ग को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। श्रोताओं की यह विशिष्टता उसके उम्र, व्यवसाय, लिंग, शिक्षा, समुदाय, क्षेत्र आदि के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है। युवाओं के लिए कार्यक्रम, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम, बच्चों के लिए कार्यक्रम, कृषि जगत् के लिए कार्यक्रम, सैनिकों के लिए कार्यक्रम आदि ऐसे ही रेडियो के विशेष श्रोता कार्यक्रम हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 1969 में दिल्ली रेडियो से 'युववाणी' कार्यक्रम का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने किया था। रेडियो विशेषज्ञों का मानना है कि 'युववाणी' कार्यक्रमों में नवीनता, ताजगी एवं गतिशीलता का जबरदस्त पुट होने के कारण विगत कई वर्षों से यह अपने विविध उद्देश्यों को पूरा करने में काफी हद तक सफल रहा है।

4.1.4.3. शैक्षिक कार्यक्रम

समाज को शिक्षित करना जनमाध्यमों का हमेशा से एक महत्त्वपूर्ण दायित्व रहा है। शुरूशुरू में यह कार्य मुख्यकतः मुद्रित माध्यमों के द्वारा ही किया जाता रहा लेकिन रेडियो, टेलीविजन और अन्य प्रकार के सूचना तकनीकों के आविष्कार के परिणामस्वरूप इन माध्यमों के द्वारा भी लोगों को औपचारिक और अनौपचारिक ढंग से शिक्षित करने का कार्य किया जाने लगा है।

इस सन्दर्भ में भारत में काफी समय पहले से रेडियो पर शैक्षणिक कार्यक्रम आरम्भ किए गए। वर्ष 1937 में दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में विद्यालय प्रसारण सेवा शुरू की गई। आरम्भ में इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं था किन्तु बाद में इसके लिए एक पाठ्यक्रम तैयार हुआ, हालाँकि विभिन्न कारणों से यह प्रसारण सफल नहीं रहा। वर्ष 1956 में प्रौढ़ शिक्षा एवं सामुदायिक विकास परियोजना में पुणे के पास 156 गाँवों में शुरू किया गया। इसमें कृषि एवं ग्रामीण विकास सम्बन्धी जानकारी आधे घण्टे के लिए प्रसारित की जाती थी। एक अन्य शैक्षिक कार्यक्रम किसानों को लक्ष्य करते हुए 1966 में 'फार्म एंड होम' नाम से शुरू किया गया। उच्च शिक्षा को लक्षित करते हुए 1956 में ही विश्वविद्यालय प्रसारण योजना का शुभारम्भ ध्यातव्य है। वर्ष 1992 में इग्नू के सहयोग से आकाशवाणी मुंबई, हैदराबाद एवं शिलांग केन्द्रों द्वारा ओपन एवं पारम्पकि विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी द्वारा 'ज्ञानवाणी' कार्यक्रम एफ.एम. चैनलों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कार्य है। यह अत्यन्त सस्ते में सभी लोगों के लिए शिक्षा

की उपलब्धता के सपने को साकार रूप प्रदान करता है। साथ ही साथ इसके माध्यम से विभिन्न विषयों की आधारभूत जानकारी देने के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के व्यावहारिक सामाजिक जागरूकता का कार्य भी किया जाता है। इस प्रकार रेडियो का शैक्षणिक कार्यक्रम हिन्दी पत्रकारिता के आलोक में आकाशवाणी का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बन चुका है।

4.1.4.4. संगीत कार्यक्रम

हमारे जीवन में संगीत का अत्यधिक महत्त्व है। इस सन्दर्भ में रेडियो संगीत का महत्त्व तो और अधिक है। रेडियो संगीत कार्यक्रम की अपनी विशेषताएँ ही उन्हें एक अलग महत्त्व प्रदान करती है। रेडियो संगीत के महत्त्व एवं उपयोगिता को निम्नलिखित रूपों में वर्णित किया जा सकता है –

(i) रेडियो संगीत कार्यक्रम सर्वसुलभ संगीत है। यह कार्यक्रम सभी के लिए उपलब्ध है।

(ii) यह अत्यन्त सस्ता माध्यम है। रेडियो समाज के सभी वर्ग के लिए भी आसानी से उपलब्ध है।

(iii) रेडियो संगीत कार्यक्रम में अत्यधिक विविधता होती है।

(iv) रेडियो संगीत का कार्यक्रमों का महत्त्व इस दृष्टि से भी है कि आजकल इसका सहारा लेकर बहुत से अन्य कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया जाने लगा है। इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य, पर्यावरण, विज्ञान, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि विषय शामिल हैं।

(v) रेडियो संगीत कार्यक्रम साहित्य एवं कला के प्रचार में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह गीत-संगीत के विभिन्न विधाओं को जन सामान्य तक पहुँचाकर उसे लोकप्रिय बनाने में निरन्तर प्रयत्नशील है।

4.1.4.5. अन्य कार्यक्रम

रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों को प्रायः दो भागों (समाचार आधारित कार्यक्रम और गैर-समाचार आधारित कार्यक्रम) में विभाजित किया जाता है। फिर भी वार्ता, परिचर्चा, कविता, कहानी, क्विज, फोन-इन-कार्यक्रम आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण भी काफी लोकप्रिय है। चूँकि, रेडियो पर अन्य प्रारूप में नए ढंग से कार्यक्रमों के निर्माण की सम्भावना लगातार बनी रहती है इसलिए हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ-साथ विश्व की अन्य प्रमुख भाषाओं में भी आकाशवाणी समय-समय पर अपने कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का प्रसारण करता रहता है।

4.1.5. रेडियो प्रसारण की तकनीकी एवं विकास

कई वर्षों से सूचना प्राप्त करने का रेडियो सबसे सस्ता और सुलभ माध्यम रहा है। शुरू-शुरू में रेडियो काफी बड़े आकार के हुआ करते थे लेकिन आज तकनीकी विकास की बदौलत हमें पोर्टेबल और छोटे आकार में रेडियो प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार रेडियो अपने विकासकाल से लेकर वर्तमान तक कभी भी अप्रासंगिक नहीं रहा।

रेडियो प्रसारण तकनीकी का सबसे ज्वलन्त उदाहरण एफ.एम. है जो आज हर संगीत प्रेमी के लिए वरदान साबित हो रहा है।

रेडियो के प्रसारण में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण आयाम ध्वनि एवं आवाज का सामंजस्य है। रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों में ध्वनि और आवाज का ही अस्तित्व है। कार्यक्रम की संवेदना, संगीत और मानवीय ध्वनि का समन्वय ही इसका मूल आधार है।

4.1.5.1. रेडियो प्रसारण के प्रमुख घटक

भारत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय रेडियो, फ़िल्म, प्रेस तथा मुद्रित जनमाध्यम, विज्ञापन और संचार के पारम्परिक तरीकों के ज़रिये जनसंचार के साथ-साथ सूचना प्रवाह का कार्य करता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार अपने चार प्रभागों (Wing) के द्वारा उपर्युक्त कार्यों को पूरा करता है – (i) सूचना प्रभाग, (ii) प्रसारण प्रभाग, (iii) फ़िल्म प्रभाग तथा (iv) एकीकृत वित्त प्रभाग।

4.1.5.2. आकाशवाणी प्रसारण

आकाशवाणी विश्व में सबसे बड़े प्रसारण नेटवर्कों में से एक है। यह अपने विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से जनता को सूचित करने, शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने में लगी है। यह देश भर के लोगों को सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में ध्वन्यात्मक प्रसारणों के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराती है। समग्र प्रशासन और पर्यवेक्षण के आलोक में समूचे आकाशवाणी प्रसारण के लिए महानिदेशक उत्तरदायी होता है जो निम्नलिखित प्रभागों की सहायता से कार्यक्रमों का प्रसारण करता है – (i) समाचार सेवा प्रभाग, (ii) विदेश सेवा प्रभाग और (iii) ट्रांसक्रिप्शन सेवा। ट्रांसक्रिप्शन सेवा 03 अप्रैल 1954 को शुरू की गई थी। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य महत्त्वपूर्ण पदाधिकारियों के भाषण का ट्रांसक्रिप्शन तैयार करना इस प्रभाग की मुख्य जिम्मेदारी है।

4.1.5.3. प्रसार भारती

प्रसार भारती देश में सार्वजनिक प्रसारण सेवा है। आकाशवाणी और दूरदर्शन इसके दो घटक हैं। लोगों को सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन प्रदान करने और रेडियो पर प्रसारण का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया। प्रसार भारती अधिनियम-1990 में वर्णित प्रसार भारती निगम के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं–

(i) देश की एकता एवं अखण्डता को बढ़ावा देना।
(ii) संविधान में वर्णित मूल्यों को बनाए रखना।
(iii) जनहित के सभी मामलों के बारे में जानकारी प्रदान करना।

(iv) शिक्षा एवं साक्षरता का प्रचार-प्रसार।

(v) समाज के ज़रूरतमन्द लोगों के हितों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

4.1.6. पाठ-सार

रेडियो आधुनिक जीवन की एक अनिवार्यता बन चुकी है। सूचना प्रौद्योगिकी की नयी क्रान्ति ने रेडियो की उपयोगिता और महत्त्व बढ़ा दी है जिससे इसके स्वरूप और प्रभाव दोनों में निरन्तर विस्तार होता जा रहा है। समाज और देश के सर्वांगीण विकास में हिन्दी पत्रकारिता ने जो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है उसमें रेडियो की सार्थकता एवं उपादेयता निर्विवाद है। भारत जैसे विशाल एवं लोकतान्त्रिक देश में सकारात्मक ढंग से सूचनाओं का प्रचार-प्रसार करके जनता को जागरूक नागरिक बनाने में रेडियो की अहम भूमिका है।

4.1.7. शब्दावली

बुलेटिन	:	रेडियो समाचार
हर्ट्ज़	:	आवाज आवृत्ति की माप
रेडियो क्लब	:	प्रारम्भिक प्रसारण इकाई
विविध भारती	:	आकाशवाणी की व्यापारिक सेवा का नाम

4.1.8. बोध प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. रेडियो है –

(क) दृश्य माध्यम

(ख) श्रव्य माध्यम

(ग) दृश्य-श्रव्य माध्यम

(घ) उपर्युक्त सभी

2. आकाशवाणी की स्थापना हुई थी –

(क) 1930 में

(ख) 1957 में

(ग) 1960 में

(घ) 1970 में

3. रेडियो का आविष्कार किया –

(क) न्यूटन
(ख) जेम्स वाट
(ग) मार्कोनी
(घ) इनमें से कोई नहीं

4. रेडियो संकेत मनुष्य की आवाज को परिवर्तित कर देते हैं –
(क) विद्युत चुम्बकीय तरंगों में
(ख) प्रकाश तरंगों में
(ग) समुद्री तरंगों में
(घ) उपर्युक्त सभी

5. भारत में रेडियो का प्रथम प्रसारण किया गया –
(क) बंगाल में
(ख) मुंबई में
(ग) मद्रास में
(घ) दिल्ली में

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. रेडियो समाचार के विविध रूपों का वर्णन कीजिए।
2. रेडियो बुलेटिन के लिए चार समाचार शीर्षक लिखिए।
3. रेडियो साक्षात्कार की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. रेडियो फ़ीचर किसे कहते हैं ? इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
2. समाज में रेडियो जनमाध्यम की प्रमुख भूमिकाओं का विवेचन कीजिए।

4.1.9. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

1. मिश्र, डॉ॰ चन्द्रप्रकाश, मीडिया लेखन : सिद्धान्त एवं व्यवहार, संजय प्रकाशन, नयी दिल्ली
2. भट्ट, एम. सी., ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, आनन्द पब्लिकेशन्स, नयी दिल्ली
3. राबर्ट, मैकलेविस, टेक्नीक ऑफ रेडियो प्रोडक्ट्स, फोकल प्रेस, लंदन
4. कुमार, केवल जे, मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, जैको पब्लिकेशन्स, नयी दिल्ली

❖❖❖

खण्ड – 4 : जनमाध्यम और हिन्दी पत्रकारिता

इकाई – 2 : टेलीविजन और हिन्दी पत्रकारिता

इकाई की रूपरेखा

4.2.0. उद्देश्य कथन
4.2.1. प्रस्तावना
4.2.2. टेलीविजन का विकास-क्रम
  4.2.2.1. विश्व में टेलीविजन का विकास
    4.2.2.1.1. ब्रिटेन में टेलीविजन का विकास
    4.2.2.1.2. ब्राजील में टेलीविजन का विकास
    4.2.2.1.3. दक्षिणी एशियाई देश में टेलीविजन का विकास
    4.2.2.1.4. नेपाल में टेलीविजन का विकास
    4.2.2.1.5. श्रीलंका में टेलीविजन का विकास
    4.2.2.1.6. पाकिस्तान में टेलीविजन का विकास
    4.2.2.1.7. बांग्लादेश में टेलीविजन का विकास
  4.2.2.2. भारत में टेलीविजन का विकास
  4.2.2.3. दूरदर्शन का विकास
    4.2.2.3.01. दूरदर्शन टी.वी. चैनल की महत्त्वपूर्ण तिथियाँ
    4.2.2.3.02. क्षेत्रीय भाषाओं के उपग्रह चैनल
      4.2.2.3.02.1. क्षेत्रीय राज्य नेटवर्क
    4.2.2.3.03. क्षेत्रीय चैनलों का कवरेज
    4.2.2.3.04. क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवा
    4.2.2.3.05. क्षेत्रीय राज्य नेटवर्क
    4.2.2.3.06. डीडी न्यूज़
    4.2.2.3.07. डीडी स्पोर्ट्स
    4.2.2.3.08. डीडी भारती
    4.2.2.3.09. डीडी इंडिया
    4.2.2.3.10. डीडी किसान
      4.2.2.3.10.1. डीडी किसान चैनल की शुरुआत
      4.2.2.3.10.2. डीडी किसान चैनल के उद्देश्य
    4.2.2.3.11. भारत में निजी चैनलों का आगमन
4.2.3. भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता का इतिहास
  4.2.3.1. आपातकाल में टेलीविजन और हिन्दी पत्रकारिता
  4.2.3.2. नए युग के आरम्भ में टेलीविजन और हिन्दी पत्रकारिता
  4.2.3.3. निजी निर्माता, टेलीविजन और हिन्दी पत्रकारिता
  4.2.3.4. हिन्दी टेलीविजन पत्रकारिता पर उदारीकरण का असर

4.2.4. टेलीविजन पत्रकारिता की कार्य-प्रणाली
4.2.4.1. समाचार चैनल
4.2.5. टेलीविजन समाचारों की भाषा
4.2.5.1. समाचार चैनलों की खिचड़ी भाषा
4.2.5.2. मिश्रित भाषा का प्रयोग
4.2.5.3. चैनल समाचारों में खेल की भाषा
4.2.5.4. काव्यात्मकता
4.2.5.5. प्रभावोत्पत्ति
4.2.5.6. समाचार चैनलों की आर्थिक भाषा
4.2.5.7. चैनल समाचारों की राजनैतिक भाषा
4.2.5.8. समाचार चैनलों में मनोरंजन की भाषा
4.2.5.9. समाचार चैनलों में भाषाई संकट
4.2.6. पाठ-सार
4.2.7. बोध प्रश्न
4.2.8. शब्दावली
4.2.9. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

4.2.0. उद्देश्य कथन

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से आप निम्नलिखित बिन्दुओं को समझ पाएँगे –

i. टेलीविजन के इतिहास से परिचित हो सकेंगे।
ii. टेलीविजन पर प्रदर्शित होने वाले हिन्दी कार्यक्रमों को जान सकेंगे।
iii. दृश्य माध्यम की प्रभावशीलता का अध्ययन कर सकेंगे।
iv. सरकारी और निजी क्षेत्रों के समाचार चैनलों का हिन्दी के विकास में योगदान समझ सकेंगे।

4.2.1. प्रस्तावना

टेलीविजन को एक दृश्य-श्रव्य माध्यम कहा जाता है। टेलीविजन का निर्माण ग्रीक भाषा के 'टेली' तथा लैटिन भाषा के 'विजन' शब्द से हुआ है। 'टेली' शब्द का अर्थ 'दूर' तथा 'विजन' शब्द का अर्थ 'देखना' इस प्रकार, 'टेलीविजन' शब्द का अर्थ 'दूर का देखना' हुआ है जिसको दूरदर्शन कहा जाता है ।

विश्व में सबसे पहले सन् 1875 में बोस्टन के जॉर्ज कैरे ने सुझाव दिया था कि तस्वीरों के सारे अवयवों या घटकों को एक साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जा सकता है। इसी विचार के सहारे सन् 1887 में एडवियर्ड मायब्रिज ने इंसान और जानवरों के हलचल की फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग की थी। रूसी वैज्ञानिक बोरिस रोसिंग ने सन् 1907 में पहले एक प्रयोगात्मक टेलीविजन प्रणाली के रिसीवर में एक सीआरटी का उपयोग किया और इससे टी.वी. को नया रूप मिला। इस तरह टी.वी. के आविष्कार में अनेक वैज्ञानिकों ने अपना-अपना रोल अदा किया।

मगर ब्लादीमीर ज्योरकिन को 'टी.वी. का पिता' कहा जाता है। उन्होंने सन् 1923 में आइकोनोस्कोप की खोज की। यह ऐसी ट्यूब थी, जो एक चित्र को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चित्र से जोड़ती है। इसकी मदद से उन्होंने एक स्क्वायर इंच का पहला टी.वी. बनाया। भारत में टेलीविजन प्रसारण का शुभारम्भ 15 सितम्बर 1959 को यूनेस्को की मदद से दिल्ली में प्रायोगिक रूप से हुई थी लेकिन इसका नियमित प्रसारण 01 नम्बर 1959 को प्रारम्भ किया गया था। सन् 1995 में दूरदर्शन के प्राइम टाइम में आधे घण्टे का समाचार बुलेटिन प्रसारित कर आज तक ने अपनी आधारशिला रखी। जिसकी अप्रत्याशित सफलता के कारण निजी क्षेत्र में टेलीविजन पत्रकारिता का जन्म हुआ।

4.2.2. टेलीविजन का विकास-क्रम

4.2.2.1. विश्व में टेलीविजन का विकास

टेलीविजन प्रसारण में बीबीसी ने पहला टी.वी. प्रसारण केन्द्र बनाते हुए सन् 1932 में अपनी सेवा की शुरुआत किया। 22 अगस्त 1932 को लंदन के ब्रॉडकास्ट हाउस से पहली बार टी.वी. का प्रायोगिक प्रसारण शुरू हुआ। बीबीसी ने एलेक्जेंडरा राजमहल से दुनिया का पहला नियमित टी.वी. चैनल का प्रसारण 2 नवंबर 1932 को शुरू कर दिया था। इसके पाँच साल बाद राजा जॉर्ज छठवें ने राज्याभिषेक समारोह को ब्रिटेन की जनता तक सीधे पहुँचाने के लिए पहली बार ओवी वैन का इस्तेमाल किया। उसके बाद 12 जून 1937 को पहली बार विम्बल्डन टेनिस का सीधा प्रसारण दिखाया गया था। 9 नवंबर 1947 को टेलीविजन के इतिहास में पहली बार टेली रिकार्डिंग कर उसी कार्यक्रम का रात में प्रसारण किया गया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में सन् 1946 में एबीसी टेलीविजन नेटवर्क का उदय हुआ। पहली बार रंगीन टेलीविजन का अविर्भाव 17 दिसंबर 1953 को अमेरिका में हुआ और विश्व का पहला रंगीन विज्ञापन कैप्सूल6 अगस्त 1953 को न्यूयॉर्क में प्रसारित हुआ। सन् 1967 में पूरी दुनिया की करोड़ों जनता ने अमेरिका की नेटवर्क टी.वी. के जरिये दोनों अन्तरिक्ष यात्रियों को चाँद पर उतरते देखा। इसके बाद सन् 1976 में पहली बार केबल नेटवर्क के जरिये टेलीविजन प्रसारण का इतिहास कायम किया गया। सन् 1979 में सिर्फ खेलकूद का विशेष टी.वी. नेटवर्क इएसपीएन स्थापित हुआ। टेलीविजन संचार का सबसे सशक्त माध्यम है। लोगों को दुनियाभर की जानकारी देने में टेलीविजन की अहम भूमिका को देखते हुए 17 दिसंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 नवंबर को हर वर्ष विश्व टेलीविजन दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया।

4.2.2.1.1. ब्रिटेन में टेलीविजन का विकास

दुनिया में सबसे पहले टेलीविजन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई आज भी ब्रिटेन टेलीविजन अपनी तकनीक और कार्यक्रमों के मामले में विश्व भर में मानक माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रिटेन में टेलीविजन काफी नियन्त्रित और सन्तुलित रुप से विकसित हुआ वर्तमान में बीबीसी के चार प्रमुख चैनलों में से तीन, BBC वन, BBC टू और चैनल फोर, जनहित में कार्यक्रमों को समर्पित है। BBC टू और चैनल फोर मूलतः अल्पसंख्यकों

और विशेष उद्देश्यों के लिए कार्यक्रम प्रसारित करते हैं जबकि आई.टी.वी., BSKY बी, ग्रेनेडा TV आदि व्यावसायिक चैनल हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कम्पनी नाम से BBC का गठन सन् 1922 में मारकोनी सहित ब्रिटेन के प्रमुख वायरलेस निर्माताओं ने किया था। इसी वर्ष 14 नवंबर को मारकोनी के लंदन स्थित पीटी स्टूडियो में बीबीसी रेडियो का पहला प्रसारण हुआ। BBC ने अपनी पहली टेलीविज़न सेवा 2 नवंबर 1936 को उत्तरी लंदन के एलेग्जेंडर से आरम्भ की थी। कुछ समय बाद एक टेलीविजन एंकर को इंडिपेंडेंट, आई.टी.वी., नामक विज्ञापन पोषित सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी। सितम्बर 1995 में शुरू हुई आई.टी.वी. ने बीबीसी को कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया। आई.टी.वी. विभिन्न कम्पनियों का मिला जुला चैनल था।

BBC ने अपना दूसरा चैनल BBC-2 21 अप्रैल 1967 को आरम्भ किया। 2 दिसंबर को पहली बार बीबीसी ने रंगीन प्रसारण शुरू किया। साठ का दशक ब्रिटेन में नए किस्म के टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। 70 के दशक को ब्रिटेन टेलीविजन का स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। इस दौरान टेलीविजन सेटों की संख्या तेजी से बढ़ी और इसी के साथ ही विज्ञापनों एवं लाइसेंस फीस से टेलीविजन व्यापार की आय में भी बढ़ोतरी हुई। इस दौर में अनेक हास्य फ़िल्मों, नाटकों, डॉक्यूमेंट्री, रियलिटी शो आदि का प्रसारण शानदार रूप से हो रहा था।

4.2.2.1.2. ब्राजील में टेलीविजन का विकास

अन्य विकासशील राष्ट्रों की तुलना में ब्राजील में टेलीविजन सबसे पहले लोकप्रिय हुआ। आज ब्राजील दुनिया में सबसे मजबूत टेलीविजन समाजों में से एक है। ब्राज़ील में टेलीविजन की शुरुआत सन् 1950 में हुई। उस समय टेलीविजन सेट काफी महँगे होते थे। यहाँ दो प्रमुख टेलीविजन चैनल टी.वी. टुपी और टी.वी. एक्सलसियर थे। शुरुआत में अन्य देशों की तरह ब्राजील में भी आयातित इन कार्यक्रमों का बोलबाला था लेकिन साठ के दशक में जब टेलीविजन निर्माताओं ने जनता की पसंद के आधार पर कुछ नए प्रयोग शुरू किए तो 'टेलीनोवेला' के रूप में ऐसे धारावाहिक सामने आए जो ब्राजील ही नहीं पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुए। सन् 1964 में यहाँ सैनिक सरकार का गठन हुआ। उसने जल्दी ही महसूस कर लिया था कि सारे ब्राजील में राजनैतिक सूचनाओं को नियन्त्रित करने का एक उपभोक्ता समाज बनाने एवं राष्ट्रीय पहचान मजबूत बनाने में टेलीविजन की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

सैनिक सरकार ने टेलीविज़न को दूरदराज के इलाकों में पहुँचाने के लिए देशभर में माइक्रोवेब एयरलाइन्स और सेटेलाइट के ज़रिये टेलीविजन सिग्नल उपलब्ध कराए। इसके अलावा टेलीविजन सेट खरीदने के लिए भी लोगों की आर्थिक मदद की गई। सन् 1964 में टी.वी. ग्लोबों का प्रसारण आरम्भा हुआ। जिस प्रकार सैनिक सरकार ने इस चैनल की परोक्ष रूप में मदद की उसी प्रकार टेलीविजन ग्लोबल ने भी सत्ता हासिल करने में सैनिक शासकों की भरपूर मदद की। इस दौरान टेलीविजन समाचारों पर कड़ी सेंसरशिप रहती थी। सरकार ने टेलीविजन नेटवर्क पर इस बात के लिए भी दबाव बनाया कि यह कार्यक्रमों का आयात करने की बजाए ब्राजील की संस्कृति पर आधारित देशज कार्यक्रमों का निर्माण करें। इनके अलावा ब्राजील में सोडी ऑडिटोरियो (Show de

auditoria) भी काफी लोकप्रिय रहे। यह एक प्रकार के वैरायटी शो थे जिसमें गेम शो, पहेलियाँ एवं संगीत कार्यक्रमों का मिश्रण होता था।

ब्राजील के टेलीविज़न का तेजी से अन्तर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। अपने धारावाहिकों का ब्राजील ने बड़ी संख्या में निर्यात किया है। टेलीविजन की ताकत को ब्राजील सरकार ने स्वीकारा। स्वायत्तता देने में सरकार कभी पीछे नहीं हटी इसलिए सारे संसार में टेलीविजन जगत् में ब्राजील का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।

4.2.2.1.3. दक्षिणी एशियाई देशों में टेलीविजन का विकास

दक्षिणी एशियाई के दो बड़े देश भारत और चीन में टेलीविजन की शुरुआत 50 के दशक में हो गई थी लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में टेलीविजन न केवल देरी से शुरू हुआ बल्कि यहाँ पर टेलीविजन के विकास की गति भी काफी धीमी रही। आर्थिक दृष्टि से काफी कमजोर होने के कारण इन देशों में टेलीविजन का जो भी विकास हुआ है उसमें या तो किसी विकसित देश या फिर किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की मदद या योगदान रहा है। इसमें यूनेस्को, चीन, जापान की मदद उल्लेखनीय है।

4.2.2.1.4. नेपाल में टेलीविजन का विकास

नेपाल में 80 के दशक में टेलीविजन की शुरुआत हुई। यहाँ के राजा जब भी दूसरे देशों की यात्रा पर जाते थे तो वहाँ के टेलीविजन पर अपनी यात्रा का विशेष कवरेज देखते थे, यहीं से उनके मन में अपने देश में भी टेलीविजन आरम्भ करने का विचार आया। नेपाल में सन् 1985 में दो घण्टे के नियमित प्रसारण की शुरुआत हुई। वर्तमान में देश की 62 प्रतिशत जनता पर नेपाल टेलीविजन की पहुँच है। नेपाल टेलीविजन के लोकप्रिय कार्यक्रमों में दिशा निर्देश (विजय कुमार पाण्डे) और हिजो आजको कु रा (संतोष पंत) प्रमुख हैं। 90 के दशक में चीनी मदद से नेपाल टेलीविजन ने अपना मेट्रो चैनल एन.टी.वी. मेट्रो भी आरम्भ किया। नेपाल में अपनी पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से जुलाई 2001 में यहाँ के टेलीविजन ने अपना प्रसारण उपग्रह से करना शुरू कर दिया। नेपाल में अन्य देशों के चैनल काफी देखे जाते हैं। यहाँ का प्रसारण टेलीविजन प्रसारण के कुछ मामलों में उदार है। अपनी उदारनीति के कारण टेलीविजन नेपाली जनता में अपनी गहरी पैठ बनाने की ओर अग्रसर है। भारत न्यूज़ के अनुसार यहाँ लगभग 7 लाख घरों में टेलीविजन सेट है। ऐसे 4 लाख घरों में केबल कनेक्शन है और नेपाली वन इन लोगों तक अपनी पहुँच बना कर विज्ञापन के ज़रिये अच्छी कमाई कर रहा है वहाँ के अनेक संगठनों ने इस चैनल पर रोक लगाने की माँग की है।

4.2.2.1.5. श्रीलंका में टेलीविजन का विकास

श्रीलंका में टेलीविजन की एक छोटी-सी शुरुआत 13 अप्रैल 1979 को कोलंबो से हुई। ब्लू वाटर ट्रांसमीटर फिट एंड टीना की मदद से यह टेलीविज़न सिग्नल कोलंबो और उसके 15 किलोमीटर के क्षेत्र में उपलब्ध हो पाए। इस चैनल को इंडिपेंडेंट टेलीविजन नेटवर्क (ITN) का नाम दिया गया। 5 जून 1979 को इस

कम्पनी को सरकार ने अपना लिया। बाद में सन् 1992 में इसे एक पब्लिक कम्पनी बना दिया गया। इस चैनल पर 18 घण्टे का नियमित प्रसारण होता है। पाँच ट्रांसमीटरों की मदद से यह चैनल पूरे श्रीलंका में दिखाई देता। आईपीएन शुरू होने के 3 वर्ष बाद ही जापान की मदद से शैक्षणिक देशों के द्वारा एक और चैनल शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया रूपवाहिनी। 15 फरवरी 1982 को आरम्भ हुए चैनल का कामकाज श्रीलंका रूपवाहिनी कारपोरेशन (SLRC) देखता है। कारपोरेशन का गठन सरकार द्वारा एक कानून बनाकर किया गया।

श्रीलंका में सन् 1992 में एक निजी व्यावसायिक चैनल महाराजा टेलीविजन (MTV) आरम्भ किया गया। इन सबके बावजूद श्रीलंका में टेलीविजन का विस्तार उस गति से नहीं हो पाया जैसे भारत में हुआ। इसका एक कारण धनाभाव और इसके प्रति राष्ट्रीय सरकार की अभिरुचि भी रही। श्रीलंका में तमिल भाषा के भारतीय चैनल खूब देखे जाते है। रूपवाहिनी न्यूज़ के अनुसारश्रीलंका में 3400000 टेलीविजन सेट है। यहाँ टेलीविजन दर्शकों की संख्या लगभग एक करोड़ 36 लाख है।

4.2.2.1.6. पाकिस्तान में टेलीविजन का विकास

पाकिस्तान में मीडिया का विस्तार भारत की तुलना में काफी धीमी गति से हुआ है। पाकिस्तान टेलीविजन की शुरुआत 80 के दशक में हुई। अपनी बात विश्व समुदाय में रखने के लिए 90 के दशक में पाकिस्तान टेलीविजन वर्ल्ड सर्विस (PTV WORD) शुरू हुई। सन् 2001 के बाद कुछ निजी चैनल भी शुरू किए गए। इनमें से इंडिपेंडेंट टेलीविजन नेटवर्क (ITV), जियो (GEO), आज (AAJ) टेलीविजन और शालीमार नेटवर्क (STV) प्रमुख हैं। इसके अलावा एक धार्मिक चैनल (QTV) प्रसारित किया जा रहा है।

4.2.2.1.7. बांग्लादेश में टेलीविजन का विकास

पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के रूप में बांग्लादेश टेलीविजन (BTV) का प्रारम्भ सन् 1990 में हुआ। यह बांग्लादेश का प्रमुख चैनल है। आर्थिक तंगी के कारण यहाँ भीटेलीविजन का आर्थिक विकास नहीं हुआ है। टेलीविजन पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। बांग्लादेश में दूरदर्शन का बांग्ला चैनल डीडी बांग्ला लोकप्रिय है। इसके अतिरिक्त यहाँ अल्फा बांग्ला स्टार सहित आज तक, स्टार प्लस, ज़ी टी.वी., सोनी टी.वी. आदि भारतीय निजी चैनल प्रमुखता से देखे जाते हैं।

4.2.2.2. भारत में टेलीविजन का विकास

भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितम्बर 1959 से हुई। राजधानी दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट ने देश के पहले टेलीविजन ट्रांसमीटर के तहत मात्र 25 सामुदायिक टेलीविजन सेट के माध्यम से अपना प्रसारण प्रारम्भ किया गया। आकाशवाणी भवन की पाँचवी मंजिल पर स्थित एक ऑडिटोरियम को टेलीविजन स्टूडियो के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। टेलीविजन सेवा का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था – "टेलीविजन के आगमन की सूचना से विषयवस्तु एवं कार्यक्रमों में एकरूपता आएगी। दृश्य एवं श्रव्य यन्त्र

होने से जनमानस में इसकी उपयोगिता सतत् बढ़ेगी । टेलीविजन से जानकारियों का दर्शकों पर गहरा प्रभाव होगा ।" 15 अगस्त 1965 को भारतीय टेलीविजन के रोजाना समाचार बुलेटिन की शुरुआत हुई । इस समय भी टेलीविज़न आकाशवाणी का एक अंश था । स्वाभाविक है कि टेलीविजन समाचार आकाशवाणी के समाचार इकाई पर ही निर्भर रहते थे । साठ का दशक भारत में हरित क्रान्ति के रूप में याद किया जाता है । यही वह दौर था जब टेलीविजन का देश के विकास में उपयोग करने पर चर्चा गरम थी । हरित क्रान्ति के जनक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन् और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की पहल पर देश के पहले किसी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई । 26 जनवरी 1967 को कृषि दर्शन का प्रसारण शुरू किया गया । कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों में नए खाद बीज और उत्तम खेती के तरीकों का प्रचार प्रसार करना था । 20 मिनट का यह कार्यक्रम बुधवार और शुक्रवार को प्रसारित किया जाता था । कृषि दर्शन सामुदायिक टेलीविजन सेटों की मदद से दिल्ली के साथ और निकटवर्ती हरियाणा के 20 गाँव में देखा गया ।

2 अक्टूबर 1972 को मुंबई में देश का दूसरा टेलीविजन स्टेशन शुरू किया गया । इसी तरह 8 अगस्त 1975 को कोलकाता, 15 अगस्त 1975 को मद्रास और 27 नवंबर 1975 को लखनऊ में भी टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना की गई । टेलीविजन केन्द्रों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ टेलीविजन सेट में भी लगातार वृद्धि हो रही थीं । जहाँ सन् 1969 में देशभर में केवल 12000 टेलीविजन सेट थे वहीं 1971 में यह संख्या बढ़कर 38,000 हो गई । सन् 1971 में इलेक्ट्रॉनिक कमीशन बनाया गया और भारत में टेलीविजन सेट के निर्माण को प्रोत्साहन दिया गया । इसका परिणाम यह हुआ किस सन् 1973 में टेलीविजन सेट की संख्या 160000 तक पहुँच गई । सन् 1975 भारतीय टेलीविजन के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ इस साल भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार उपग्रह प्रसारण शुरू किया ।

भारतीय टेलीविजन के इतिहास में 15 अगस्त 1982 का दिन सदैव स्मरण किया जाएगा । इस दिन श्वेत-श्याम के स्थान पर रंगीन टेलीविजन ने अपने राष्ट्रीय प्रसारण की शुरुआत की थी । दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के सीधे प्रसारण ने भारतीय इंजीनियरों को प्रसारण का एक अद्‌भुत अवसर प्रदान किया । दूरदर्शन के लगभग 900 लोगों की टीम ने नयी दिल्ली में आयोजित इन खेलों के सीधे प्रसारण की जिम्मेदारी सँभाली और दिल्ली मुख्यालय द्वारा टेलीविजन प्रसारण के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बनाया गया और इस प्रसारण को 21 देशों में देखा गया । रंगीन प्रसारण के उपरान्ते रंगीनटेलीविजन सेट की संख्या भी बढ़ने लगी । एक अनुमान के अनुसार सन् 1983-84 के दौरान लगभग 84 लाख टेलीविजन सेट का आयात किया गया । इसके अलावा सरकार ने जर्मनी और कोरिया से 90 हजार TV किटों का आयात भी किया जिन्हें जोड़कर टेलीविजन सेट बनाए गए ।

सन् 1984 में अक्टूबर माह के आखिरी दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी की हत्या हो गई । टेलीविजन ने राष्ट्र को इस घटना का सीधा प्रसारण दिखाया । उनके अन्तिम संस्कार का सीधा प्रसारण अनेक लोगों ने देखा । श्रीमती इन्दिरा गाँधी के पुत्र राजीव गाँधी ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद टेलीविजन में विशेष रुचि दिखाई । टेलीविजन के

तीव्र विकास के पीछे राजीव गाँधी की सक्रिय रुचि थी। यह इसके उपयोग को समझते थे और दुरुपयोग को भी। उन्होंने अपनी छवि के कारण टेलीविजन से ज्यादा अपेक्षा कर रखी थी।

भारत में सन् 1990 के दशक में टेलीविजन का तेजी से विकास हुआ। सन् 1990 का दशक टेलीविजन के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। खाड़ी युद्ध के बाद देश में निजीटेलीविजन चैनलों की शुरुआत हुई। वैश्वीकरण और उदारीकरण की आर्थिक नीति ने भी निजी चैनलों के लिए माहौल तैयार किया। सन् 1992 में देश का पहला निजी टेलीविजन ज़ी टी.वी. हरियाणा के उद्योगपति सुभाष चन्द्र ने शुरू किया। अनेक मनोरंजन कार्यक्रम प्रस्तुत करने से ज़ी टी.वी. अल्प समय में ही लोकप्रिय हो गया। उस समय 'तारा' धारावाहिक ने मध्यमवर्ग का भरपूर मनोरंजन किया। कुछ समय उपरान्त ज़ी सिनेमा, ज़ी न्यूज़, ज़ी टी.वी., ज़ी मराठी, ज़ी बांग्ला, ज़ी इंग्लिश, ज़ी बिजनेस, म्यूजिक एशिया जैसे लोकप्रिय चैनल ज़ी समूह ने प्रारम्भम किए।

भारत का पहला टेलीविजन चैनल अर्थात् दूरदर्शन का संचार माध्यम के रूप में उल्लेखनीय योगदान है। इसके बावजूद, इसे पत्रकारिता की दृष्टि से कभी निष्पक्ष माध्यम के रूप में मान्यता नहीं मिल सकी। इसका मुख्य कारण दूरदर्शन का लम्बे समय से सरकारी नियन्त्रण में रहना बताया जाता है जिससे दूरदर्शन में ताजगी का अभाव महसूस किया जाता है। भारत में टेलीविजन को वास्तविक विस्तार 90 के दशक में निजी चैनलों के आगमन से मिला। सन् 1991 में खाड़ी युद्ध के लाइव प्रसारण को दुनिया के लोगों ने केबल टेलीविजन की मदद से देखा। यह एक अलग तरह का अनुभव था। हालाँकि, बाद में कहा गया कि खाड़ी युद्ध को केवल अमेरिकी सेना नहीं लड़ रही थी बल्कि उसके साथ सी.एन.एन. केबल न्यूज़ नेटवर्क नामक टी.वी. चैनल भी लड़ रहा था। इस प्रसारण से भारत सरकार ने सबक लिया तथा अपने यहाँ विदेशी चैनलों के प्रसारण तथा निजी चैनल प्रारम्भ करने की अनुमति दे दी। परिणामतः भारतीयों को सी.एन.एन. (अमेरिका), बी.बी.सी. (ब्रिटेन) जैसे विदेशी चैनल देखने को मिलने लगे। पहली बार विदेशी चैनल स्टार टी.वी. ने भारत पर केन्द्रित समाचार चैनल प्रारम्भ किया। इसके बाद भारत में डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक जैसे शैक्षिक तथा एफ.टी.वी., एम.टी.वी. व वी.टी.वी. जैसे मनोरंजन चैनल भी दिखाई देने लगे। हालाँकि विदेशी मनोरंजन चैनलों का प्रारम्भ में भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति का हमला कहकर विरोध भी किया गया।

सन् 1995 में दूरदर्शन के प्राइम टाइम में आधे घण्टे का समाचार बुलेटिन प्रसारित कर 'आज तक' ने अपनी आधारशिला रखी जिसकी अप्रत्याशित सफलता के कारण निजी क्षेत्र में टेलीविजन पत्रकारिता का जन्म हुआ तथा ज़ी टी.वी. और स्टार टी.वी. ग्रुप ने भारत में अपने-अपने समाचार चैनल क्रमशः ज़ी न्यूज़ और स्टार न्यूज़ प्रारम्भ किया। इन चैनलों को कड़ी प्रतिस्पर्धा देते हुए 'आज तक' ने 31 दिसंबर 2000 को 24 घण्टे समाचार प्रसारित करने के लिए अपना स्वतन्त्र चैनल शुरू किया। 'आज तक' 24 घण्टे नामक इस चैनल को निजी क्षेत्र का पहला भारतीय समाचार चैनल कहलाने का गौरव प्राप्त है। वर्तमान समय में आज तक के अतिरिक्त एन.डी.टी.वी., आई.बी.एन.7, ए.बी.पी. न्यूज़, पी.7 न्यूज़, सहारा समय, न्यूज़ 24, इंडिया न्यूज़, ई.टी.वी., इंडिया विजन, इंडिया टी.वी, लाइव इंडिया, मनोरमा न्यूज़, न्यूज़ एक्स समेत 400 से अधिक चैनल सशक्त संचार माध्यम के रूप में कार्यरत है।

4.2.2.3. दूरदर्शन का विकास

सार्वजनिक सेवा प्रसारण दूरदर्शन विश्व के सबसे बड़े टेलीविजन नेटवर्क में से एक है। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितम्बर 1959 को प्रयोगात्मक आधार पर आधे घण्टे के लिए शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया।

आकाशवाणी के भाग के रूप में टेलीविजन सेवा की नियमित शुरुआत दिल्ली (1965), मुम्बई (1972), कोलकाता (1975) और चेन्नई (1975) में हुई। दूरदर्शन की स्थापना 15 सितम्बर 1976 को हुई। उसके बाद रंगीन प्रसारण की शुरुआत नयी दिल्ली में सन् 1982 के एशियाई खेलों के दौरान हुई जिसके फलस्वरूप देश में प्रसारण क्षेत्र में बड़ी क्रान्ति आ गई। इसके बाद दूरदर्शन का तेजी से विकास हुआ और सन् 1984 में देश में लगभग हर दिन एक ट्रांसमीटर लगाया गया।

4.2.2.3.01. दूरदर्शन टी.वी. चैनल की महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

दूरदर्शन टी.वी. चैनल की महत्त्वपूर्ण तिथियाँ निम्नलिखित हैं –

1. अन्तर्राष्ट्रीय चैनल डीडी इंडिया की शुरुआत : 14 मार्च 1995
2. प्रसार भारती का गठन (भारतीय प्रसारण निगम) : 23 नवंबर 1997
3. खेल चैनल डीडी स्पोर्ट्स की शुरुआत : 18 मार्च 1999
4. संवर्धन / सांस्कृतिक चैनल की शुरुआत : 26 जनवरी 2002
5. 24 घण्टे के समाचार चैनल डीडी न्यूज़ की शुरुआत : 03 नवंबर 2002
6. निःशुल्क डीटीएच सेवा डीडी डाइरेक्ट प्लस की शुरुआत : 16 दिसंबर 2004
7. लोकसभा चैनल की शुरुआत : 2004
8. राज्यसभा चैनल की शुरुआत : 26 अगस्त 2011
9. किसान चैनल की शुरुआत : 26 मई 2015

दूरदर्शन ने देश में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने और वैज्ञानिक सोच को गति प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। सार्वजनिक सेवा प्रसारक होने के नाते इसका उद्देश्य अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंख्या-नियन्त्रण और परिवार-कल्याण, पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन् महिलाओं, बच्चों और विशेषाधिकार रहित वर्ग के समाज-कल्याण के उपायों को रेखांकित करना है। इसका उद्देश्य क्रीड़ा और खेलों तथा देश की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना भी है।

4.2.2.3.02. क्षेत्रीय भाषाओं के उपग्रह चैनल

डीडी उत्तर पूर्व, डीडी बांग्ला, डीडी गुजराती, डीडी कन्नड़, डीडी कश्मीर, डीडी मलयालम, डीडी सह्याद्रि, डीडी उडिया, डीडी पंजाबी, डीडी पोधी गई और डीडी सप्तगिरी।

4.2.2.3.02.1. क्षेत्रीय राज्य नेटवर्क

बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और त्रिपुरा अन्तर्राष्ट्रीय चैनल, डीडी इंडिया।

4.2.2.3.03. क्षेत्रीय चैनलों का कवरेज

डीडी डायरेक्ट प्लस

दूरदर्शन की फ्री टु एयर डीटीएच सेवा डीडी डायरेक्ट प्लस का शुभारम्भ प्रधानमंत्री द्वारा 16 दिसंबर 2004 को किया गया। 33 टी.वी. चैनलों (दूरदर्शन / निजी) और 12 रेडियो (आकाशवाणी) चैनलों से शुरुआत हुई, इसकी सेवा क्षमता बढ़कर 36 टी.वी. चैनल और 20 रेडियो चैनल हो गई। अंडमान और निकोबार को छोड़कर इसके सिगनल पूरे भारत में एक रिसीवर प्रणाली से मिलते हैं। इस सेवा के ग्राहकों की संख्या50 लाख से अधिक है।

दूरदर्शन का डीडी-1

दूरदर्शन का डीडी-1 चैनल सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन, राष्ट्रीय, एकता, वैज्ञानिक रुचि, ज्ञान का प्रसारण, शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक जागरूकता, जनसंख्या-नियन्त्रण के उपाय, परिवार-कल्याण सन्देश, पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन, महिला कल्याण उपाय, बच्चे और कमजोर लोगों आदि के बारे में अपने कार्यक्रमों से महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह खेल और देश की कला और सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा देता है।

4.2.2.3.04. क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवा

क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवाएँ और क्षेत्रीय राज्य नेटवर्क विकासात्मक समाचार, धारावाहिक, वृत्तचित्र, समाचार और ताजा मामलों के कार्यक्रमों का प्रसारण लोगों की भाषा में संसूचित करने के लिए करते हैं। सामान्य सूचना, सामाजिक और फ़िल्म कार्यक्रम और अन्य बड़ी विधाओं के कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवाएँ इस प्रकार हैं –

डीडी मलयालम, डीडी सप्तगिरी (तेलुगु), डीडी बांग्ला, डीडी चन्दन (कन्नड़), डीडी उडिया, डीडी सह्याद्रि (मराठी), डीडी गुजराती, डीडी कश्मीर (कश्मीरी), डीडी पंजाबी, डीडी उत्तर पूर्व।

4.2.2.3.05. क्षेत्रीय राज्य नेटवर्क

क्षेत्रीय राज्य नेटवर्क हिन्दी क्षेत्र उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों की ज़रूरतें पूरी करता है। इस सेवा के कार्यक्रम विभिन्न राज्यों के राजधानी केन्द्रों से तैयार और 3.00 और 8.00 बजे के बीच प्रसारित किये जाते हैं। इनका प्रसारण राज्य के किसी भू ट्रांसमीटर रिले करते हैं।

4.2.2.3.06. डीडी न्यूज़

डीडी न्यूज़ चैनल देश का एकमात्र 24 घण्टे का स्थलीय समाचार चैनल है जिससे रोजाना हिन्दी और अंग्रेजी में 16 घण्टे से अधिक के समाचार बुलेटिनों का सीधा प्रसारण किया जाता है। हेडलाइंस, न्यूज़ अपडेट, स्क्रोजलर पर ब्रेकिंग न्यूज़ इस चैनल की विशेषताएँ हैं। रोजाना संस्कृत और उर्दू में समाचार बुलेटिन भी प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से जुड़ी क्षेत्रीय समाचार यूनिटें रोजाना क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न अवधि के समाचार बुलेटिन प्रसारित करती हैं। डीडी न्यूज हेडलाइंस अब एस.एम.एस से हासिल किए जा सकते हैं।

4.2.2.3.07. डीडी स्पोर्ट्स

यह देश का एकमात्र फ्री टु एयर स्पोर्ट्स चैनल है। यह क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी, टेनिस, कबड्डी, तीरंदाजी, एथलेटिक्स और अन्य देशी खेलों आदि का कवरेज करता है। डीडी स्पोर्ट्स पर गैर ओलम्पिक और परम्परागत खेलों के कवरेज के लिए एक नकद बाह्य प्रवाह प्रणाली की व्यवस्था भी की गई है। यह चैनल विभिन्न खेल फेडरेशनों और एसोसिएशनों द्वारा आयोजित खेल कार्यक्रमों को कवर करता है।

4.2.2.3.08. डीडी भारती

यह चैनल 26 जनवरी सन् 2002 को प्रारम्भ किया गया था। जोखिम, क्विज कांटेस्ट, ललित कला / पेंटिंग्स, शिल्प और डिजाइन, कार्टून, प्रतिभा खोज आदि के अलावा यह युवा लोगों के साथ एक घण्टे के कार्यक्रम 'मेरी बात' का सीधा प्रसारण करता है।

स्वस्थ जीवन शैली पर जोर देने वाले, इलाज की बजाय निवारण पर केन्द्रित चिकित्सा के आधुनिक और परम्परागत रूपों पर कार्यक्रमों का भी प्रसारण होता है। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के शीर्ष कलाकारों के शास्त्रीय नृत्य / संगीत कार्यक्रम इस चैनल पर दिखाए जाते हैं। इसके अलावा थिएटर, साहित्य, संगीत, पेंटिंग्स, मूर्तिकला और वास्तु शिल्प पर कार्यक्रम भी दिखाए जाते हैं।

चैनल आईजीएनसीए, सीईसी, इग्नू, पीएसबीटी, एनसीईआरटी और साहित्य अकादेमी जैसे संगठनों के सहयोग से भी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। चैनल आकाशवाणी संगीत सम्मेलनों का व्यापक कवरेज करता है। क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यक्रमों का सीधा रिकार्डेड प्रसारण होता है।

4.2.2.3.09. डीडी इंडिया

इस चैनल पर कार्यक्रम इस तरह किये जाते हैं कि विश्व खासकर भारतीय लोगों को भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक परिदृश्य देखने का प्राथमिक उद्देश्य पूरा हो सके। चैनल हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, मलयालम और तेलुगू में समाचार, सामयिक विषयों पर फ़ीचर, अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर चर्चाएँ प्रसारित करता है। यह मनोरंजक कार्यक्रम, धारावाहिक, थिएटर, संगीत और नृत्य के अलावा फ़िल्मों का प्रसारण भी करता है।

4.2.2.3.10. डीडी किसान

4.2.2.3.10.1. डीडी किसान चैनल की शुरुआत

भारत कृषिप्रधान देश है इसीलिए यहाँ प्रारम्भ से ही कृषकों को महत्त्व दिया जाता है। भारत को सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध एवं सम्पन्न बनाने में कृषि का विशेष महत्त्व है। देश के कई विद्वानों ने भी खेती के महत्त्व को समझा और इसे देश के बहुमुखी विकास का आधार बताया। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी ने भी इसी सोच को गहराई से समझते हुए 26 मई 2015 को देश के किसानों को समर्पित 'डीडी किसान' चैनल की शुरुआत की। यह चैनल पूरी तरह से देश के किसानों एवं ग्रामीणों को समर्पित है। आज के आधुनिक समाज में जहाँ शहरीकरण और औद्योगीकरण का बोलबाला है तो वहीं देश में डीडी किसान चैनल की शुरुआत एक ऐतिहासिक कदम है।

4.2.2.3.10.2. डीडी किसान चैनल के उद्देश्य

डीडी किसान चैनल की शुरुआत निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई है –

i. देश के किसानों, कारीगरों, बुनकरों, हस्तशिल्पकारों, दस्तकारों, बुनकरों, महिला किसानों की आवाज बनना।

ii. किसानों को कृषि लागत में कमी करने के उपाय, जैविक व पर्यावरण हितैषी खेती के साथ उन्नत तकनीकें नयी-नयी प्रासंगिक खोजों की जानकारी देना।

iii. मौसम की सामयिक जानकारी और मंडी के भाव पर भी नजर रखना।

iv. देश के किसानों खेत-मजदूरों कामगारों का मंच बनना और ग्रामीण भारत की सही तस्वीर पेश करना।

v. सरकारी नीतियों और ज़मीन पर हो रही कार्रवाई से तो अवगत कराना, साथ ही नीतियों की दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभाना।

vi. कमरतोड़ मेहनत के बदले अच्छे दाम मिलें इसकी सलाह देना तथा श्रम नियोजन के साथ मूल्य संवर्धित उत्पादों की जानकारी भी देना।

अर्थात् डीडी किसान चैनल ने खेती-किसानी विज्ञान, पर्यावरण, आर्थिकी, मनोरंजन के साथ ग्रामीण जीवन के उन पहलुओं को छुना है जो अब तक अनछुए रह गए हैं।

4.2.2.3.11. भारत में निजी चैनलों का आगमन

सन् 1991 के पश्चात् भारत में निजी चैनलों का आगमन होता है। इनमें प्रमुख चैनल निम्नलिखित हैं – ज़ी टी.वी. (1992), स्टार टी.वी. (1993), आज तक (1995), एन.डी.टी.वी. (2003), इंडिया टी.वी. (2004)।

4.2.3. भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता का इतिहास

भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत 15 सितम्बर 1959 को दिल्ली में हुई। इसी दिन आकाशवाणी की मदद से पहला समाचार टेलीविजन बुलेटिन भी प्रसारित किया गया। टेलीविजन समाचार की नियमित सेवा 15 अगस्त 1965 को शुरू हुई। भारतीय पत्रकारिता का यह प्रयोगवादी दौर था। कैमरामैन कम होने के कारण सभी समाचारों की घटनाओं की शूटिंग सम्भव नहीं हो पाती थी इसलिए अधिकतर समाचार बिना विजुअल के पढ़कर सुनाए जाते थे। धीरे-धीरे टेलीविजन समाचारों का विस्तार हुआ और अन्य भाषाओं में बुलेटिन की शुरुआत हुई। हिन्दी के बाद 3 दिसंबर 1971 में अंग्रेजी बुलेटिन आरम्भ हुआ। सन् 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के पाकिस्तानी प्रचार-तन्त्र का जवाब देने के लिए भारत ने लाहौर इस्लामाबाद के पाकिस्तानी टेलीविजन स्टेशनों के मुकाबले में अमृतसर और श्रीनगर में टेलीविजन स्टेशन स्थापित कर दिया। 1 जनवरी 1973 दूरदर्शन पर उर्दू और कश्मीरी भाषा में भी समाचार बुलेटिन आरम्भ किए गए। पश्चिम बंगाल में भी 8 अगस्त 1975 को जन स्टेशन की शुरुआत से बांग्ला भाषा में समाचार शुरू हो गए।टेलीविजन समाचार के तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण समाचार शाब्दिक अधिक, विजुअल कम होते थे।

4.2.3.1. आपातकाल में टेलीविजन और हिन्दी पत्रकारिता

सन् 1975 में आपातकाल के दौरान दूरदर्शन समाचार का भोंपू बन गया। आपातकाल भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता के लिए ही नहीं सारे मीडिया के लिए भी काला अध्याय साबित हुआ। तत्कालीन सरकार ने दूरदर्शन के समाचार सम्पादकों की आजादी का हनन किया और मनचाहे तरीके से सम्पादकीय टीम में फेरबदल की तथा आदेशों की अवहेलना करने वालों को सजा दी। आपातकाल के दौरान टेलीविजन के दुरुपयोग के कारण दूरदर्शन की स्वतन्त्रता एक राजनैतिक मुद्दा बन गया और जनता पार्टी ने अपने घोषणापत्र में दूरदर्शन को स्वच्छता देने का वादा किया। आपातकाल के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और वरिष्ठ पत्रकार बी.जी. वर्गीज की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में दूरदर्शन की स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने का सुझाव दिया। दूरदर्शन के समाचार राजनैतिक विवाद का कारण बनते हैं। सत्ताधारी दल अक्सर इसका उपयोग अपनी सरकार और पार्टी के हित साधने में करता है।

4.2.3.2. नए युग के आरम्भ में टेलीविजन और हिन्दी पत्रकारिता

एशियाई खेलों के समय भारत में रंगीन टेलीविजन शुरू हुआ। बड़े पैमाने पर आयोजित किए गए एशियाई खेल भारतीय टेलीविजन पत्रकारों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थे लेकिन फिर भी दूरदर्शन के इंजीनियरों ने प्रत्येक आयोजन की लगाकर रिपोर्टिंग की। हालाँकि अभी आधे घण्टे से भारतीय टेलीविजन समाचार में रोचकता का ज्यादा समावेश नहीं हुआ था। 80 दशक के शुरू में दूरदर्शन ने खूब विस्तार किया और इसकी पहुँच शहरों से चलकर गाँव तक हो गई। सन् 1984 में पहले धारावाहिक 'हम लोग' की शुरुआत हुई और दूरदर्शन पहले से अधिक मनोरंजक बन गया।

राष्ट्र की विविधता को दर्शाता दूरदर्शन समाचारों का 'मोटो' राष्ट्रीय एकता का संदेश देना था। जे.वी. रमण, सलमा सुल्तान, शम्मी नारंग, दीपक वोरा, मंजरी जोशी एवं सलमा माहेश्वरी जैसे समाचार वाचकों के नाम लोगों के जुबान पर थे। समाचार प्रस्तुति का तरीका हालाँकि परम्परागत था और साल-दर-साल कुछ ही समाचार वाचकों को देखते हुए लोग उनकी विशेष शैली को पहचानने लगे थे। उस समय समाचारों में अधिक सरकारी कार्यक्रमों की कवरेज हुआ करती थी। कुछ समाचार घोषणाओं और यात्राओं के होते थे। इन सबके बावजूद आम लोग दूरदर्शन समाचार के प्रति काफी उत्साहित रहते थे। समाचार का फॉर्मेट अभी ड्राइव एंकर रीड और एंकर ऑन विजुअल ही था।

वरिष्ठ पत्रकार एम.जे. अकबर द्वारा प्रस्तुत न्यूज़ लाइव भी उल्लेखनीय है। यह दूरदर्शन का पहला समसामयिक कार्यक्रम था। समसामयिक घटनाओं पर आधारित इस कार्यक्रम की खोजपरक रिपोर्टिंग ने उस समय कई राजनीतिज्ञों को हिलाकर रख दिया था। कार्यक्रम निर्माण में संतोष भारतीय और विनोद दुआ की विशेष भूमिका रही। प्रसिद्ध साहित्यकार कमलेश्वर निर्मित कार्यक्रम 'परिक्रमा' भी इस काल में काफी चर्चित रहा। इस कार्यक्रम में हिन्दी में फीचर पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। इसी सन्दर्भ में जनवाणी कार्यक्रम भी उल्लेखनीय है। इसके एंकर विनोद दुआ थे। इसके सम्बन्धित विषयों पर आम लोगों से सवाल माँगे जाते थे और उनका जवाब मन्त्रियों, मंत्रालय के अधिकारियों से मिलता था। यह भारतीय दूरदर्शन के इतिहास में एक नया प्रयोग था और उस समय सबसे अधिक देखा जाता था। बाद में राष्ट्र मोर्चा सरकार ने जनवाणी की तर्ज पर खुला मंच नामक एक कार्यक्रम बनाया।

4.2.3.3. निजी निर्माता, टेलीविजन और हिन्दी पत्रकारिता

80 के दशक के अन्त में टेलीविजन में कुछ निजी निर्माता भी अपना भाग्य आजमाने लगे। सन् 1988 में इंड्यिा टुडे समूह ने देश की पहली खोजी पत्रकारिता मैगजीन न्यूज़ ट्रैक शुरू की। न्यूज़ ट्रैक टीम में काम करने के अपने दिनों को याद करते हुए मनोज रघुवंशी बताते हैं – "वीडियो मैगजीन ने पहली बार आम लोगों को घटनाओं की ऐसी तस्वीरें दिखाई जो न केवल हैरत में डालने वाली थी बल्कि कड़वा सच बयान करती थी जैसे मण्डल आन्दोलन की तस्वीरें। वीडियो मैगजीन का कवर बड़ा ही आकर्षक होता था डेढ़ घण्टे के वीडियो टेप में 4 से 6 न्यूज़ स्टोरी होती थी। यूमैटिक लो बैंड वीडियो फॉर्मेट में शूटिंग होती थी।"

सन् 1988 में ही प्रणव राय ने अपना प्रोडक्शन हाउस न्यू दिल्ली टेलीविजन (NDTV) स्थापित किया। एनडीटीवी निर्मित 'द हेलो वर्ल्ड दिस वीक' समसामायिक कार्यक्रमों के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। यह दुनिया भर की ख़बरों को प्रस्तुत करने वाला एक साप्ताहिक कार्यक्रम था। हालाँकि यह एक अंग्रेजी कार्यक्रम था लेकिन पढ़े-लिखे शहरी मध्यम वर्ग ने इसे खूब पसन्द किया प्रणव राय की शानदार प्रस्तुति ने लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। इस तरह से टेलीविजन समाचार कार्यक्रमों के निर्माण पर दूरदर्शन का एकाधिकार समाप्त हो गया।

राजीव गाँधी के प्रधानमंत्रित्व काल में दूरदर्शन संचार एवं कंप्यूटर क्रान्ति की नींव रखी गई। उन्होंने अपने मित्र सैम पित्रोदा को भारत बुलाकर देश में इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का आधारभूत ढाँचा तैयार करने की योजना बनाई। इसका नतीजा 1988-89 के दौरान टेलीविजन के विकास में देखने को मिला। देश में सभी हिस्सों को माइक्रो लिंक से जोड़ दिया गया। अब कम से कम बड़े शहरों से विजुअल फीड दिल्ली पहुँचाना आसान हो गया। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय समाचारों में तस्वीरों की संख्या बढ़ी।

4.2.3.4. हिन्दी टेलीविजन पत्रकारिता पर उदारीकरण का असर

पिछली सदी का 9वाँ दशक टेलीविजन के इतिहास में विकास और विस्तार के लिए याद किया जाता है। इसकी शुरुआत खाड़ी युद्ध से हुई जब अमेरिकी चैनल सीएनएन खाड़ी युद्ध का सीधा प्रसारण करके दुनिया भर में चर्चित बना। खाड़ी युद्ध ने भारत में केबल टेलीविजन और सैटेलाइट प्रसारण की सम्भावनाओं का विस्तार किया और इसी के साथ देश में निजी चैनलों की शुरुआत हुई। दूरदर्शन को पहली बार प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। भारत में सुभाष गोयल और दक्षिण भारत में कलानिधि मारन ने सबसे पहले निजी टेलीविजन चैनल शुरू करने की पहल की। यह पहल अभी मनोरंजन कार्यक्रमों और चैनलों तक ही सीमित थी। सन् 1995 में दूरदर्शन के मेट्रो चैनल पर एनडीटीवी निर्मित 'द न्यूज़ टु नाइट' और इंडिया टुडे निर्मित 'आज तक' कार्यक्रम शुरु हुआ। इन दोनों कार्यक्रमों ने दर्शकों में अच्छी पहचान बनाई। 'आज तक' कार्यक्रम को गाँव और छोटे कस्बों में खूब सहारा गया। इसी के साथ टेलीविजन समाचार चैनलों का चेहरा निरन्तर बदलने लगा।

आज तक और द न्यूज़ टुनाइट ने पहली बार भारतीय दर्शकों के सामने विकल्प प्रस्तुत कर दिया। अब दूरदर्शन के अधिकारी भी ख़बरों की भाषा प्रस्तुति में परिवर्तन करने को विवश हुए। पहले केवल एंकर रीड और विजुअल ऑन एंकर की मदद से काम चला लिया जाता था लेकिन अब दूरदर्शन के रिपोर्ट भी न्यूज़ पैकेज बनाने लगे भाषा को पहले से अधिक बोलचाल की भाषा बनाया गया। ज़ी टी.वी. और स्टार प्लस पर भी एक-एक समाचार बुलेटिन प्रसारण आरम्भ हुआ। स्टार प्लस के लिए समाचार का निर्माण एनडीटीवी किया करता था।

4.2.4. टेलीविजन पत्रकारिता की कार्य-प्रणाली

आधुनिक समाज के निर्माण में संचार की अहम भूमिका है। सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रवृत्ति के साथ-साथ इसका दायरा बढ़ना भी विकास के आधारभूत तत्त्वों में से एक है। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का सूचना साझा करना भी संचार है किन्तु जब यही प्रवृत्ति एक व्यापक जनसमुदाय और विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार पाती है तब इसे जनसंचार कहा जाता है। संचार के विभिन्न साधनों का विकास मानव सभ्यता के विकास के समानान्तर चलता रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये दोनों बातें एक दूसरे की समानार्थी ही हैं। संचार के अभाव में सभ्यता के वर्तमान विकसित स्वरूप की कल्पना नहीं की जा सकती थी। सूचना के महत्त्व से मनुष्य समाज भली भाँति परिचित है और इन सूचनाओं का सम्प्रेषण ही उसे निरन्तर नए विचार की ओर अग्रसर करता है। हम यह कह सकते हैं कि आधुनिक सभ्यता में सूचना से अधिक शक्तिशाली कोई

परमाणु हथियार भी नहीं हो सकता। पुरानी व्यवस्थाओं को बदलने से लेकर नए-नए वैज्ञानिक आविष्कारों तक सभी प्रकार के परिवर्तनों में सूचनाओं के आदान-प्रदान का अहम स्थान है। सूचनाओं के आदान-प्रदान की इसी प्रक्रिया को संचार कहा गया है। अनेक माध्यमों से जब सूचनाओं के संचार का क्षेत्र व्यापक हो जाता है तो इसे जनसंचार कहा जाता है। जनसंचार के इस व्यापक उद्देश्य को प्राप्त करने में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का बड़ा योगदान है।

टेलीविज़न पत्रकारिता का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले एक समाचार चैनल की कार्यप्रणाली को समझना आवश्यक है। हमारे देश में टेलीविजन समाचार चैनलों का इतिहास बहुत पुराना नहीं है किन्तु फिर कम समय में चैनलों ने एक कारगर कार्यप्रणाली विकसित की है। किसी समाचार चैनल के निम्नलिखित विभाग होते हैं – (i) तकनीकी विभाग, (ii) विपणन विभाग, (iii) वितरण विभाग, (iv) मानव संसाधन एवं प्रशासन विभाग तथा (v) सम्पादकीय विभाग।

4.2.4.1. समाचार चैनल

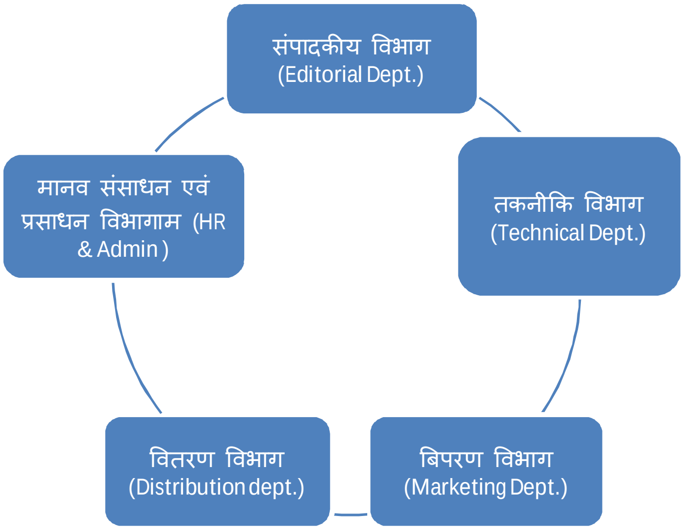

(i) तकनीकी विभाग : टेलीविज़न चैनल में समाचारों के लिए दृश्य सामग्री जुटाने के कार्य से लेकर इसके प्रसारण तक के कार्य में तमाम तरह के तकनीकी कार्य तथा इस प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की देखभाल का कार्य यह विभाग करता है। इसमें कैमरा, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, पीसीआर, एमसीआर, स्टूडियो ऑपरेशन्स, सरवर रूम, ओबी वैन जैसे अंग प्रमुख हैं। इस विभाग से सम्पादकीय विभाग का सीधा सम्बन्ध होता है।

(ii) विपणन विभाग : इस विभाग के अन्तर्गत चैनल के लिए विज्ञापन जुटाने का कार्य होता है। इसका सम्पादकीय विभाग से सीधा सीधा कोई सम्बन्ध नहीं होता है। चैनल में चलने वाले विज्ञापनों की दरें, समय और अवधि तय करने के अतिरिक्त इस विभाग का सम्पादकीय सामग्री के चयन के मामले में कोई दखल नहीं होता।

(iii) वितरण विभाग : किसी टेलीविज़न चैनल का यह महत्त्वपूर्ण विभाग होता है। टी.वी. चैनल को अधिकांश दर्शकों के घरों में दिखाने का दायित्व इस विभाग का होता है। इस विभाग के लोग केबल नेटवर्क और विभिन्न डीटीएच नेटवर्क के माध्यम से टी.वी. चैनल के प्रदर्शन को सुनिश्चित करते हैं।

(iv) मानव संसाधन एवं प्रशासन: मानव संसाधन विभाग चैनल में सभी विभागों में काम करने वाले लोगों की नियुक्तियों, इन्क्रीमेंट्स, छुट्टियों तथा निष्कासन आदि कार्य करता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के साथ संवाद, उनकी सुविधाओं और समस्याओं का ध्यान रखना भी मानव संसाधन विभाग के कामों में शामिल है। इसके अलावा प्रशासन के तहत कार्यालय में मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करना तथा किसी भी प्रकार के आयोजन के प्रबन्ध की जिम्मेदारी होती है।

(v) सम्पादकीय विभाग : सम्पादकीय विभाग को दो प्रमुख विभागों में बाँटा जा सकता है – इनपुट तथा आउटपुट। पूरा सम्पादकीय विभाग इनपुट और आउटपुट नामक स्तम्भों पर ही खड़ा होता है।

i. इनपुट : जैसा कि नाम से ही जाहिर है एक समाचार चैनल में प्रसारित की जाने वाली सामग्री का प्राथमिक स्वरूप में संग्रहण या संकलन करना इस विभाग का कार्य है। जैसे – किसी चैनल पर भूमि अधिग्रहण बिल पर आधे घण्टे का कार्यक्रम प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम में चलने वाली ख़बर, इस चर्चा में इस्तेमाल की गई शोधपरक जानकारियाँ और कार्यक्रम में चर्चा के लिए अतिथि तक सभी उपलब्ध करवाना इनपुट विभाग की जिम्मेदारी है।

ii. आउटपुट : सम्पादकीय विभाग का यह दूसरा स्तम्भ है। इनपुट विभाग से प्राप्त होने वाली प्राथमिक सामग्री (Primary content) को सम्पादन के ज़रिए प्रसारण के लिए उपयुक्त स्वरूप में तैयार करने का कार्य आउटपुट विभाग करता है। इस विभाग के भी विभिन्न अंग हैं।

4.2.5. टेलीविजन समाचारों की भाषा

भाषा विचारों के विनियम का सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त माध्यम है। मानवीय सृष्टि का प्रत्येक कार्य अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। हम वैश्वीकरण के जिस दौर में जी रहे हैं उसमें मीडिया सबसे शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभरा है। आज मीडिया हमारे समक्ष किसी-न-किसी रूप में उपलब्ध है, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इन दोनों में ही आज जिस प्रकार भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उसका सम्यक् अनुशीलन बाकी है। मुद्रित माध्यमों एवं इलेक्ट्रॉनिकी माध्यमों का प्रयोग कैसे एक दूसरे से भिन्न होता है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है।

मीडिया की भाषा बहुत सम्प्रेषणीय एवं प्रभावी है। मीडियाकर्मी अपने को अपेक्षाकृत ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए भाषा के मानक रूपों के साथ खिलवाड़ करते हैं, अपने अनुसार नए मुहावरों को गढ़ते हैं। साथ ही मीडिया में भाषा का कैसा प्रयोग करते हैं यह गम्भीर विमर्श की माँग करता है। वर्तमान में चैनलों की बढ़ती संख्या ने आपसी प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दिया है जिसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दी भाषा ने टी.वी. जगत् में नयी भाषा को जन्म दिया जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचारों की भाषा कहा जाने लगा है।

4.2.5.1. समाचार चैनलों की खिचड़ी भाषा

आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस हिन्दी भाषा का प्रयोग हो रहा है, वह काफी हद तक मिश्रित भाषा है, जिसमें अंग्रेजी भाषा के शब्दों का अनावश्यक प्रयोग दिखाई पड़ता है। हिन्दी और अंग्रेजी के इस मिले-जुले प्रयोग को एक नयी संज्ञा दी जा रही है, जिसे हम हिंग्लिश बोलते हैं। इस प्रकार की भाषा ने समाचारों की भाषा व शैली को पूरी तरह बदल दिया जिसमें एक नए बाज़ार का निर्माण किया गया। इसमें यह अवधारणा विकसित हुई कि समाचार भी बिक सकते हैं। ख़बर के लिए भी एक अच्छा बाज़ार है और लोगों को ख़बर एक नए तरीके से दी जा रही है। इसी तर्ज पर भारत में हिन्दी समाचार चैनल जी न्यूज़ का जन्म हुआ जिसकी भाषा हिंग्लिश थी। अर्थात् हिन्दी व अंग्रेजी का मिश्रित चैनल का मानना था कि उसका दर्शक मेट्रो शहरों का या खाड़ी के देशों का है जो थोड़ी बहुत हिन्दी जानता है अगर हिन्दी में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हो तो उसे आसानी से समझ आएगा परन्तु ज़ी-न्यूज़ का यह प्रयास असफल रहा। भारत में इस भाषा को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद 'आज तक' न्यूज़ चैनल द्वारा भारत पर प्रयोग किया गया इसने समाचारों में बातचीत की भाषा का प्रयोग किया। इस नये प्रयोग ने समाचार जगत् में तहलका मचा दिया जो दर्शकों द्वारा बेहद पसन्द किया जाने लगा। उसकी भाषा में गर्मजोशी थी, उसकी भाषा में ज़िंदादिली थी, उसकी भाषा सपाट बेजान नहीं थी इसलिए 'आज तक' को लोगों ने पसन्द किया।

4.2.5.2. मिश्रित भाषा का प्रयोग

"बंगाल के बारे में ख़बर थी कि प्रदेश भाजपा सैंतालीस सीटें माँग रही थी, तृणमूल कांग्रेस ने थर्टी नाइन सीट ही दिया है, अब प्रदेश भाजपा के नेता हाईकमान को कन्वींस करने के लिए दिल्ली कूच कर गए हैं।" इस प्रकार भाषा में अनावश्यक रूप से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हो रहा है। आज हिन्दी के अतिरिक्त देश में गुजराती, तमिल, मराठी कई भाषाएँ चल रही हैं। हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करती है। दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग किए बिना कोई भी भाषा जिन्दा नहीं रह सकती है। हिन्दी में तुर्की भाषा के हजारों शब्द हैं, अंग्रेजी के भी कई हजार शब्द हैं तथा अरबी एवं फारसी शब्दों का प्र्योग हिन्दी में होता है। प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार मिश्रित भाषा के प्रयोग का दायरा बढ़ता जा रहा है जिससे बच पाना मुश्किल है।

4.2.5.3. चैनल समाचारों में खेल की भाषा

खेल समाचारों की हिन्दी संस्कृत शब्दावली, सामान्य शब्दावली, हिन्दीतर शब्दावली, आंचलिक शब्दावली एवं विभिन्न शैली भंगिमाओं से संयुक्त कर उसे एक नया रूप प्रदान करती है। खेल समाचारों में सामान्यतः छोटे एवं सकारात्मक वाक्यों का प्रयोग अधिक होता है। खेल शब्दावली सामान्य भाषा से कुछ अलग होती है।

4.2.5.4. काव्यात्मकता

खेलों की भाषा में काव्यात्मकता का पुट भी दे दिया जाता है। काव्य भाषा में अनेक अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अलंकृत शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाता है।

4.2.5.5. प्रभावोत्पत्ति

खेल की भाषा में कई बार प्रभाव उत्पन्न करने के लिए निरर्थक शब्दों, विशिष्ट शब्दों तथा मुहावरों का भी प्रयोग किया जाता है।

हिन्दी शब्दों के आधार पर बने शब्द –

खेलों की भाषा में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द इस प्रकार हैं -

भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत आज

उपर्युक्त उदाहरण में भिड़ंत का मूल शब्द भिड़ना है जिसे भिड़ंत में परिवर्तित किया गया है।

धोनी की शतकीय पारी से भारत जीता

उपर्युक्त उदाहरण में शतकीय का मूल शब्द शतक है।

युवराज की तूफानी गेंदबाजी

सहवाग की धड़ल्लेदार बल्लेबाजी से भारत का बड़ा स्कोर

पाकिस्तान की धुआँधार पारी

उपर्युक्त उदाहरणों में तूफानी, धड़ल्लेदार तथा धुआँधार शब्द उस व्यक्ति विशेष या समूह की विशेषता को प्रकट करता है।

मुहावरों का प्रयोग –

रैना के शतक से भारत ने बाजी जीत ली

भारत इस सीरीज में बुरी तरह पिछड़ा

विशिष्ट शब्दों का प्रयोग –

वाटसन ने ठोंका शतक

अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग –

टेनिस स्टार हेविट पिता बने

नंबर वन बनना असम्भव नहीं – सायना

कामनवेल्थ गेम्स हेडक्वार्टर से डेटा चोरी

धोनी का किश्त प्लान

अलंकृत शब्दों का प्रयोग –

मोहाली में महाभारत

फ़िल्मी शब्दों का प्रयोग –

मोहाली में दबंगों की जंग

क्रिकेट का बिग बॉस कौन है

जनसामान्य में प्रचलित शब्द –

खेल समाचारों में उन शब्दों का प्रयोग अधिक होता जो जनसामान्य में प्रचलित होते हैं। जैसे – हैसियत, कायम, खिताब, खिलाफ, गोल्ड मेडल, गेम्स, ओपनिंग आदि। खेल समाचारों में मिश्रित भाषा का प्रयोग होता है साथ में ही आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है।

4.2.5.6. समाचार चैनलों की आर्थिक भाषा

आर्थिक समाचारों की भाषा अन्य समाचारों की भाषा से बिलकुल अलग होती है। आर्थिक समाचारों के लिए अलग शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक समाचारों की शब्दावली सीमित है तथा सभी शब्दों के विशिष्ट अर्थ हैं जिनमें अधिक बदलाव सम्भव नहीं है।

सामान्य शब्दों का विशिष्ट प्रयोग –

आर्थिक समाचारों की भाषा में प्रयोग किए जाने वाले इन तीनों प्रकार के शब्दों के निम्नलिखित उदाहरण हैं –

सेंसेक्स 484 अंक से लुढ़का

इस शब्द का प्रयोग विशिष्ट रूप से इसी भाषा में किया जाता है। अतः यह प्रथम शब्द है।

रसोई गैस 50 रु महंगी, पेट्रोल अपरिवर्तित

रसोई गैस 50 रु महंगी, पेट्रोल स्थिर

अपरिवर्तित व स्थिर शब्द सामान्य तथा आर्थिक भाषा दोनों में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं –

निफ्टी 18 अंक फिसला

अंग्रेजी प्रभाव वाले शब्द –

अंग्रेजी का प्रभाव सभी जगह स्पष्ट नज़र आता है। आर्थिक समाचारों की भाषा में भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक समाचारों के अवलोकन के बाद हम पाते हैं कि आर्थिक भाषा में तथ्यात्मकता अधिक पाई जाती है। अतः विशिष्ट समाचारों की उपयोगिता बढ़ाने के साथ ही उसकी ग्राह्यता को भी बढ़ाती है।

4.2.5.7. चैनल समाचारों की राजनैतिक भाषा

समाचार चैनलों में राजनैतिक समाचारों को सर्वाधिक स्थान दिया जाता है। राजनैतिक तथा मीडिया का गहरा सम्बन्ध देखा जाता है। राजनैतिक भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता है उन्हें उसी रूप में प्रयोग किया जाता है। कई ऐसे शब्द भी हैं जिन्हें परिवर्तित रूप में ही स्वीकार कर लिया गया है।

4.2.5.8. समाचार चैनलों में मनोरंजन की भाषा

वर्तमान समय में समाचार चैनलों में मनोरंजक समाचारों की बाढ़ आ गई है। मनोरंजक की भाषा सबसे प्रभावी है। जो दर्शक इसे सबसे अधिक देखना पसन्द करते हैं तथा प्रभावित भी होते हैं। वर्तमान समय में चैनलों में मनोरंजन की भाषा को लेकर प्रयोग हो रहे हैं। जैसे – बॉलीवुड, पार्टी, लॉन्च, म्युजिक, स्टार आदि।

शाहरुख़ का क्रिमिनल डांस

शाहिद सोनम का मिशन मौसम

4.2.5.9. समाचार चैनलों में भाषाई संकट

समाचार का सीधा सम्बन्ध सामान्य जनता से होता है इसलिए भाषा में परिवर्तन की ज़रूरत सबसे पहले चैनलों को महसूस हुई। भाषा की रचना में अक्सर ऐसा मोड़ आता है कि कुछ नए शब्द किसी खास घटना के सन्दर्भ में अस्तित्व में आते हैं किन्तु ज्यों ही घटना समाप्त होती है ये शब्द भी लुप्त हो जाते हैं। कुछ शब्द अल्पजीवी होते हैं तथा कुछ दीर्घजीवी होते हैं। कभी-कभी लुप्त शब्द भी अचानक अस्तित्व में आ जाते हैं। भाषाशास्त्रियों की धारणा है कि क्षेत्रों में प्रयोग के अनुसार भाषा का एक विशिष्ट स्वरूप निर्धारित होता है। समाचार चैनलों की मुख्य समस्या अनुवाद की है। अनुवाद भाषा में जब दोष उत्पन्न कर रहा है तो यह एक बड़ी चिन्ता का विषय बन जाता है। एजेंसियों से प्राप्त अंग्रेजी समाचारों को हिन्दी में अनुवाद कर प्रस्तुत करने में वे समाचार का मूल भाव ही समाप्त कर देते हैं। समाचार की भाषा में परिवर्तन आवश्यक है। बाज़ारवाद व पूँजीवाद ने मीडिया की शक्ल बदल दी है। मीडिया के लिए उसका दर्शक उपभोक्ता हो गया है व समाचार प्रोडक्ट के रूप में बेचे जा रहे हैं। समाचारों की बदलती अन्तर्वस्तु ने समाचारों की भाषा को भी बदल दिया है। यह उपभोक्तावादी समाज की भाषा है, उपभोक्ता क्रान्ति चूँकि ग्लोबल मुख्य बाज़ार की ज़रूरतों से जुड़ी है इसलिए उसके अनुरूप भाषा को बदला जा रहा है।

4.2.6. पाठ-सार

टेलीविजन और हिन्दी पत्रकारिता पर बात करते समय और इसके विभिन्न पक्षों पर दृष्टि डालने के बाद इसके महत्त्व को समझा जा सकता है। टेलीविजन एक दृश्य-श्रव्य माध्यम है और संचार का सबसे प्रबल माध्यम है। टेलीविजन तरंगों की सहायता से चित्रों व ध्वनियों को तीव्र गति से एक साथ आगे भेजता है। तीन दशक के रिसर्च के बाद टेलीविजन का अविष्कार विश्व में हो पाया। टेलीविजन का निर्माण ग्रीक भाषा के 'टेली' तथा लैटिन भाषा के 'विजन' शब्द के योग से हुआ है। 'टेली' शब्द का अर्थ 'दूर' तथा 'विजन' शब्द का अर्थ 'देखना' होता है। इस प्रकार 'टेलीविजन' शब्द का अर्थ 'दूर का देखना' हुआ है और यही इसकी ज़िम्मेदारी को और भी बढ़ा देता है। पत्रकारिता के तमाम माध्यमों में टेलीविजन सबसे लोकप्रिय और मजबूत माध्यम के रूप में सबके सामने विद्यमान है। भूमण्डलीकरण ने विगत दो दशकों में भारत जैसे महादेश के समक्ष जो नयी चुनौतियाँ खड़ी की हैं उनमें सूचना विस्फोट से उत्पन्न हुई अफ़रा-तफ़री और उसे सँभालने के लिए जनसंचार माध्यमों के पल-प्रतिपल बदलते रूपों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसमें सन्देह नहीं कि वर्तमान सन्दर्भ में भूमण्डलीकरण का अर्थ व्यापक तौर पर बाज़ारीकरण है और इसी बाज़ारीकरण ने टेलीविजन को भी जन्म दिया। टेलीविजन ने जहाँ संवेदनाओं को दृश्य रूप में प्रदर्शित किया तो वहीं क्षेत्रीय संस्कृति को राष्ट्रीय बना दिया। टेलीविजन ने भाषाओं के विकास में भी विस्तार का काम किया। हिन्दी के विकास और राष्ट्रीयकरण में टेलीविजन ने पत्रकारिता के माध्यम से इसका विकास किया। प्रस्तुत पाठ में टेलीविजन के इतिहास के साथ ही पत्रकारिता के विविध आयाम को समझाया गया है।

4.2.7. बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. विश्व में पहला टेलीविजन कब आया ?

(क) 1930

(ख) 1932

(ग) 1935

(घ) 1939

सही उत्तर (क) 1930

2. भारत में कलर टेलीविजन की शुरुआत कब हुई?

(क) एशियाई खेलों के समय

(ख) ओलम्पिक खेलों के समय

(ग) विश्वकप के समय

(घ) इनमें से कोई नहीं

सही उत्तर (ग) एशियाई खेलों के समय

अति लघु उत्तरीय प्रश्न

1. टेलीविजन समाचारों की भाषा पर टिप्पणी कीजिए।
2. टेलीविजन पर समाचारों समाचारों की शुरुआत पर टिप्पणी कीजिए।
3. डीडी किसान चैनल पर टिप्पणी कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. टेलीविजन को परिभाषित करते हुए इसके इतिहास पर प्रकाश डालिए।
2. टेलीविजन के विकास के विभिन्न चरण को विस्तार से समझाइए।
3. हिन्दी पत्रकारिता और टेलीविजन के आयाम पर प्रकाश डालिए।
4. टेलीविजन पत्रकारिता और दूरदर्शन के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डालिए।

4.2.8. शब्दावली

न्यूज़ रूम	:	जहाँ बैठ कर समाचार प्रस्तोता समाचार पढ़ता है
न्यूज़ रील	:	समाचारों का संग्रह एक स्थान पर
सोप ओपेरा	:	टेलीविजन कार्यक्रम
वाइंड अप	:	कार्यक्रम को ख़त्म या रोकने का आदेश

एंकर : समाचार प्रस्तोता, यह समाचार पढ़ता है

4.2.9. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

1. जनसंचारिकी : सिद्धान्त और अनुप्रयोग, डॉ॰ रामलखन मीणा, कल्पना प्रकाशन, दिल्ली
2. टेलीविजन की भाषा, हरीश चन्द्र बर्णवाल, राधाकृष्ण प्रकाशन, नवीन शहादरा, दिल्ली
3. टेलीविज़न पत्रकारिता संशोधन एवं परिवर्धित संस्कार, ओमकार चौधरी, हरियाणा साहित्य अकादेमी, पंचकूला
4. दूरदर्शन : दशा और दिशा, सुधीर पचौरी, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारणमंत्रालय
5. भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देवव्रत सिंह, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली

उपयोगी इंटरनेट स्रोत :

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org

❖❖❖

खण्ड – 4 : जनमाध्यम और हिन्दी पत्रकारिता

इकाई – 3 : सिनेमा और हिन्दी पत्रकारिता

इकाई की रूपरेखा

4.3.00. उद्देश्य कथन
4.3.01. प्रस्तावना
4.3.02. हिन्दी सिनेमा का इतिहास
4.3.03. हिन्दी सिनेमा के 100 वर्ष
- 4.3.03.01. सन् 1913 – 22 के दौरान की फ़िल्में
- 4.3.03.02. सन् 1923 – 32 के दौरान की फ़िल्में
- 4.3.03.03. सन् 1933 – 42 के दौरान की फ़िल्में
- 4.3.03.04. सन् 1943 – 52 के दौरान की फ़िल्में
- 4.3.03.05. सन् 1953 – 62 के दौरान की फ़िल्में
- 4.3.03.06. सन् 1963 – 72 के दौरान की फ़िल्में
- 4.3.03.07. सन् 1973 – 82 के दौरान की फ़िल्में
- 4.3.03.08. सन् 1983 – 92 के दौरान की फ़िल्में
- 4.3.03.09. सन् 1993 – 02 के दौरान की फ़िल्में
- 4.3.03.10. सन् 2003 – 12 के दौरान की फ़िल्में
- 4.3.03.11. वर्तमान सिनेमा

4.3.04. साहित्यिक कृतियों पर बनी फ़िल्में
- 4.3.04.01. देवदास, परिणिता, आनन्दमठ, दुर्गेश नन्दिनी, मिलन
- 4.3.04.02. मिल मजदूर, नवजीवन, सेवासदन, स्वामी, रंगभूमि
- 4.3.04.03. गाइड
- 4.3.04.04. साहिब, बीवी और ग़ुलाम
- 4.3.04.05. सरस्वतीचन्द्र, बदनाम बस्ती, डाक बंगला, आँधी, मौसम
- 4.3.04.06. शतरंज के खिलाड़ी
- 4.3.04.07. जुनून
- 4.3.04.08. मँझली दीदी, 1947 अर्थ, रजनीगन्धा
- 4.3.04.09. पिंजर
- 4.3.04.10. मकबूल, ओंकारा, हैदर, सात ख़ून माफ
- 4.3.04.11. थ्री इडियट्स, काय पो चे, हैलो

4.3.05. फ़िल्म पत्रकारिता का इतिहास
- 4.3.05.1. फ़िल्मी पत्रिकाओं का कालक्रम
  - 4.3.05.1.1. सन् 1920 – 30 के दौरान की फ़िल्मी पत्रिकाएँ
  - 4.3.05.1.2. सन् 1931 – 40 के दौरान की फ़िल्मी पत्रिकाएँ
  - 4.3.05.1.3. सन् 1941 – 50 के दौरान की फ़िल्मी पत्रिकाएँ

4.3.05.1.4. सन् 1951 – 60 के दौरान की फ़िल्मी पत्रिकाएँ
4.3.05.1.5. सन् 1961 – 70 के दौरान की फ़िल्मी पत्रिकाएँ
4.3.05.1.6. सन् 1971 – 80 के दौरान की फ़िल्मी पत्रिकाएँ
4.3.05.1.7. सन् 1981 – 90 के दौरान की फ़िल्मी पत्रिकाएँ
4.3.05.1.8. सन् 1991 – से अब तक की फ़िल्मी पत्रिकाएँ
4.3.06. प्रमुख पत्रिकाओं में फ़िल्म पत्रकारिता
4.3.06.1. फ़िल्मफेयर पत्रिका
4.3.06.1.1. फ़िल्मफेयर पत्रिका में नियमित विभाग
4.3.06.1.1.1. आई स्पाय
4.3.06.1.1.2. बिग टिकेट
4.3.06.1.1.3. फ़ैशन प्ले
4.3.06.1.1.4. फ़ोटो शूट्स
4.3.06.1.1.5. फ़्यूचर स्टॉक
4.3.06.1.1.6. जेन नेक्स्ट
4.3.06.2. स्टारडस्ट पत्रिका
4.3.06.3. मायापुरी पत्रिका
4.3.06.4. फ़िल्मी कलियाँ
4.3.07. प्रमुख दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में फ़िल्मी पृष्ठ
4.3.07.1. दैनिक भास्कर
4.3.07.2. लोकमत
4.3.07.3. हिन्दुस्तान
4.3.07.4. दैनिक जागरण
4.3.07.5. अमर उजाला
4.3.08. फ़िल्म-समीक्षा और समीक्षक
4.3.08.1. फ़िल्म-समीक्षा-लेखन
4.3.08.1.1. फ़िल्म-समीक्षा-लेखन के तत्त्व
4.3.08.1.2. समीक्षा रचना
4.3.08.2. प्रमुख हिन्दी फ़िल्म समीक्षक
4.3.09. पाठ-सार
4.3.10. बोध प्रश्न
4.3.11. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

4.3.00. उद्देश्य कथन

इस इकाई में सिनेमा और हिन्दी पत्रकारिता के विविध पक्षों का विवेचन किया जाएगा। प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप सिनेमा और हिन्दी पत्रकारिता से जुड़े निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे –

i. भारतीय सिनेमा का इतिहास।
ii. सामाजिक कुरीतियों पर बनी फ़िल्में।
iii. साहित्यिक कृतियों पर बनी फ़िल्मों का मूल्यांकनकरना।
iv. हिन्दी फ़िल्म पत्रकारिता की क्रमिक विकास-यात्रा।
v. फ़िल्म पत्रकारिता का वर्तमान स्वरूप।
vi. फ़िल्म-समीक्षा करने की पद्धति।
vii. प्रमुख हिन्दी फ़िल्म समीक्षक।

4.3.01. प्रस्तावना

भारत में जब सिनेमा की शुरुआत हुई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिनेमा मनोरंजन की दुनिया में नया चमत्कार साबित करेगा। आज भारतीय सिनेमा सफलता के जिस बुलंदियों तक पहुंचा है उसकेकेन्द्र में है आमदर्शक। आज फ़िल्में हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गई हैं। सिनेमा हमें सिर्फ चमक-दमक वाली दुनिया ही नहीं दिखती है बल्कि हमें ज़िंदगी की वास्तविक तस्वीर से भी रूबरू कराती हैं। भारतीय सिनेमा हमारे समाज का आईना है जो अपने सिनेमाई कला से पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बनायी है। भारत दुनिया का सबसे अधिक फ़िल्म बनाने वाला देश है। भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग पचीस भाषाओं में फ़िल्मों का निर्माण होता है। भारत में अब तक 50 से अधिक भाषाओं में फ़िल्मों का निर्माण हो चुका है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1200 फीचर फ़िल्में बनती हैं जिनमें हिन्दी फ़िल्मों की तादाद लगभग 200 होती है। बहुभाषी देश होने के कारण यहाँ सिनेमा का विकास भी क्षेत्रीय आधार पर हुआ है। भारत में बांग्ला, मलयालम, तमिल, तेलगु, कन्नड़, उड़िया, मराठी, असमिया, मणिपुरी आदि विभिन्न भाषाओं की फ़िल्मों का विकास काफी हद तक क्षेत्रीय विशिष्टताओं के साथ हुआ है। लेकिन यह बात हिन्दी के बारें में नहीं कही जा सकती। वस्तुतः जिसे हिन्दी सिनेमा कहा जा रहा है वह हिन्दी-उर्दू की नुमाइंदगी नहीं करता, न भाषिक विशिष्टता की दृष्टि से, न सांस्कृतिक पहचान की दृष्टि से। भाषा की दृष्टि से भले ही इसे हिन्दी सिनेमा कहा जाता रहा हो, लेकिन इसने भाषा की वह परम्परा अपनायी है जिसकी नींव पारसी थियेटर ने रखी थी और जिसके बारें में पारसी रंगमंच के नाटककार औरआरम्भिक फ़िल्मों के पटकथा लेखक और गीतकार नारायणप्रसाद 'बेताब' ने कहा था –

न ठेठ हिन्दी न ख़ालिस उर्दू, ज़बान गोया मिली जुली हो।
अलग रहे दूध से न मिश्री, डली डली दूध में घुली हो॥

भाषा का यही आदर्श हिन्दी सिनेमा ने अपनाया था और यही वजह है कि शुरुआत से ही हिन्दी सिनेमा के लिए संवाद और गीत लिखने के लिए उर्दू और हिन्दी दोनों भाषाओं के लेखकों का सहयोग मिलता रहा है। लेकिन दोनों ने कमोबेश वह भाषा लिखी जिसे न 'ठेठ हिन्दी' कहा जा सकता है और न 'ख़ालिस उर्दू' बल्कि उन्होंने बोलचाल की वह भाषा अपनायी जिसे हिन्दुस्तानी ज़बान के नाम से जाना जाता रहा है और इसी वजह से हिन्दी सिनेमा को 'हिन्दी सिनेमा' के बजाय 'हिन्दुस्तानी सिनेमा' कहना ज़्यादा सही है। न सिर्फ भाषा की दृष्टि से

बल्कि उस मिली-जुली संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने की वजह से जो किसी क्षेत्र विशेष की धरोहर नहीं है। यह कहना ज़्यादा सही होगा कि यह मिली-जुली संस्कृति पूरे दक्षिण एशिया की धरोहर है। इसलिए यहाँ हिन्दुस्तानी शब्द भी राष्ट्र के संकीर्ण अर्थ में नहीं वरन् दक्षिण एशियाई संस्कृति के व्यापक अर्थ में मौजूद है।

एक फ़िल्म चित्र है, फ़िल्म आन्दोलन है,
फ़िल्म शब्द है, फ़िल्म नाटक है,
फ़िल्म एक कहानी है, फ़िल्म संगीत है,
फ़िल्म हजारों अभिव्यक्ति श्रव्य तथा दृश्य आख्यान है।
– सत्यजित रे

सिनेमा एक लोकप्रिय जन माध्यम है। सिनेमा की प्रभावशीलता आम जनमानस में बहुत अधिक है। सिनेमा की प्रभावशीलता को देखते हुए हिन्दी पत्रकारिता ने भी इसको गम्भीरता से लिया। सवाक् फ़िल्मों के आने के बाद हिन्दी पत्रकारिता ने सिनेमा को सशक्त जनमाध्यम के रूप में पहचान लिया और इसे समाज के एक क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर इससे जुड़ी चीजों की ख़बर प्रस्तुत करने लगा। हिन्दी सिनेमा की सौ वर्ष की स्वर्णिम यात्रा में हिन्दी पत्रकारिता ने भी खूब साथ निभाया, जैसे-जैसे फ़िल्म का विकास हुआ वैसे-वैसे फ़िल्म पत्रकारिता का भी विकास हुआ। जहाँ फ़िल्मों ने थ्रीडी, ग्राफिक्स और वी.एफ.एक्स. के जरिये अपना रूप बदला वहीं फ़िल्म पत्रकारिता ने भी फ़िल्मी सपाट ख़बरों, साक्षात्कार, फ़िल्म-समीक्षा के रूप बदले स्टार-रेटिंग समीक्षा, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, दर्शकों की राय और फ़िल्म गॉसिप को फ़िल्म पत्रकारिता का नया मानक बनाया। फ़िल्म पत्रकारिता ने फ़िल्म और उससे जुड़े लोगों को जनता के और निकट किया, उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी छोटी-बड़ी सारी ख़बरों को जनता के सामने रखा। आज लगभग सभी हिन्दी समाचार-पत्र / पत्रिकाएँ नियमित रूप से फ़िल्म से जुड़ी ख़बरें प्रकाशित करती हैं। इससे साफ पता चलता है कि हिन्दी पत्रकारिता सिनेमा को कितना गम्भीर क्षेत्र मानता है। फ़िल्म समाज का दर्पण है तो पत्रकारिता दीपक है क्योंकि फ़िल्मों की समीक्षा से लेकर उसकी गम्भीर आलोचना तक का कार्य पत्रकारिता कर रही है जिससे यह स्पष्ट है कि फ़िल्म और हिन्दी पत्रकारिता का कितना गहरा और गम्भीर रिश्ता है।

4.3.02. हिन्दी सिनेमा का इतिहास

7 जुलाई 1896, बंबई का वाटसन थिएटर में लुमीयर ब्रादर्स नामक दो फ्रांसीसी अपनी फ़िल्में लेकर भारत आए। उक्त थिएटर में उनका प्रीमियर हुआ। प्रीमियर करीब 200 लोगों ने देखा और दो रुपये प्रति व्यक्ति फ़िल्म का टिकट था। यह उन दिनों एक बड़ी रकम थी। एक सप्ताह बाद इनकी ये फ़िल्में नावेल्टी थिएटर में प्रदर्शित की गईं। बंबई का यह थिएटर बाद में एक्सेल्सियर सिनेमा के नाम से मशहूर हुआ। रोज इन फ़िल्मों के दो से तीन शो किये जाते थे, दो आना से लेकर दो रुपये तक टिकट की दर थी। इनमें 12 लघु फ़िल्में दिखायी जाती थीं। इनमें 'अराइवल आफ ए ट्रेन', 'द सी बाथ' तथा 'लेडीज एंड सोल्जर्स आन ह्वील' प्रमुख थीं। लुमीयर बन्धुओं ने जब भारतीयों को पहली बार सिनेमा से परिचित कराया तो लोग बेजान तस्वीर को चलता-फिरता देख दंग रह गए। हालाँकि उन दिनों इन फ़िल्मों के लिए जो टिकट दर रखी गयी थी, वह काफी थी लेकिन फिर भी

लोगों ने इस अजूबे को अपार संख्या में देखा। पत्र-पत्रिकाओं ने भी इस नयी चीज की तारीफों के पुल बाँध दिये। एक बार इन फ़िल्मों को लोकप्रियता मिली, तो भारत में बाहर से फ़िल्में आने और प्रदर्शित होने लगीं। 1904 में मणि सेठ ने भारत का पहला सिनेमाघर बनाया, जो विशेष रूप से फ़िल्मों के प्रदर्शन के लिए ही बनाया गया था। इसमें नियमित फ़िल्मों का प्रदर्शन होने लगा उसमें सबसे पहले विदेश से आयी दो भागों मे बनी फ़िल्म 'द लाइफ आफ क्राइस्ट' प्रदर्शित की गई। यही वह फ़िल्म थी जिसने भारतीय सिनेमा के पितामाह दादा साहब फालके को भारत में सिनेमा की नींव रखने को प्रेरित किया।

हालाँकि स्वर्गीय दादा साहब फालके को भारतीय सिनेमा का जनक होने और पूरी लम्बाई के कथाचित्र बनाने का गौरव हासिल है लेकिन उनसे पहले भी महाराष्ट्र में फ़िल्म निर्माण के कई प्रयास हुए। लुमीयर बन्धुओं की फ़िल्मों के प्रदर्शन के एक वर्ष के भीतर सखाराम भाटवाडेकर उर्फ सवे दादा ने फ़िल्म बनाने की कोशिश की। उन्होंने पुंडलीक और कृष्ण नाहवी के बीच कुश्ती फिल्मायी थी। यह कुश्ती इसी उद्देश्य से विशेष रूप से बंबई के हैंगिंग गार्डन में आयोजित की गयी थी। शूटिंग के बादफ़िल्म को प्रोसेसिंग के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ से जब वह फ़िल्म प्रोसेस होकर आयी तो सवे दादा अपने काम का नतीजा देख कर बहुत खुश हुए। पहली बार यह फ़िल्म रात के वक्त बंबई के खुले मैदान में दिखायी गयी। उसके बाद उन्होंने अपनी यह फ़िल्म पेरी थिएटर में प्रदर्शित की। आठ आना से तीन रुपये तक। अक्सर हर शो में उनको 300 रुपये तक मिल जाते थे। उन्होंने भगवान् कृष्ण के जीवन पर भी एक फ़िल्म बनाने का निश्चय किया था लेकिन भाई की मौत ने उन्हें तोड़ दिया। उन्होंने अपना कैमरा बेच दिया और फ़िल्म निर्माण बंद कर दिया। इसके बाद 1911 में अनन्तराम परशुराम कशंडीकर, एस एन पाटंकर और वी पी दिवाकर ने यह कोशिश जारी रखी। 1920 में इन्होंने बालगंगाधर तिलक की अंत्येष्टि की फ़िल्म बनायी। 1912 में उन्होंने 1000 फुट की एक फ़िल्म 'सावित्री' बनायी। यह धार्मिक फ़िल्में बनाने की शुरुआत थी। नारायण गोविन्द चित्रे और आर. पी. टिपणीस ने दादा साहब तोर्ने के निर्देशन में नाटक 'पुंडलीक' फिल्मा डाला और इसे 1909 में कोरोनेशन थिएटर बंबई में प्रदर्शित किया गया। कलकत्ता में हीरालाल सेन, धीरेन गाँगुली, मद्रास में नटराज मुदलियार, महाराष्ट्र में बाबूराव पेंटर तथा अन्य लोग भी इस दिशा में सक्रिय थे।

'तस्वीरें चलती-फिरती हैं', 'हँसती तथा इशारे करती हैं', यह सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और न बोलने वाली उन तस्वीरों को देखने के लिए लोग उतावले हो उठे। पाँच दशक पूर्व 'टूरिंग टाकीज' यानी चलते-फिरते सिनेमा अधिक थे। किसी बड़ी आबादी वाले शहर या कस्बे में तंबू तान दिया, दीवार की जगह टीन लगा दी और सिनेमा शुरू। उस जमाने में एक ही प्रोजेक्टर होता था इसलिए फ़िल्म जितनी रीलों की होती थी, उतनी बार प्रोजेक्टर रोकना पड़ता था और उतने ही मध्यान्तर हुआ करते थे। परदे के पास बैठने वाले दर्शकों के लिए काठ की फोल्डिंग कुर्सियाँ हुआ करती थीं। फ़िल्म में आवाज के सिवा सब कुछ होता था – बातचीत का हावभाव, मारपीट, घुड़सवारी वगैरह। सिनेमा की लोकप्रियता बढ़ी, तो धीरे-धीरे कुछ सिनेमाघर भी बनने लगे। चूँकि वह अवाक फ़िल्मों का युग था इसलिए कहीं-कहीं पर सिनेमा प्रोजेक्टर का ऑपरेटर दर्शकों को समझाने के लिए फ़िल्म की कहानी उसी तरह बताता था, जिस तरह आजकल कमेंटेटर खेल का आँखों देखा हाल बताता है।

जब खलनायक के चंगुल में फँसी नायिका सहायता के लिए चिल्लाती और नायक घोड़ा दौड़ाता हुआ आता, तो ऑपरेटर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाते हुए बताता – "अब आ रहा है नायिका का बहादुर प्रेमी, जो खलनायक को मार-मार कर भुरता बना देगा।" कभी-कभी फ़िल्म के संवाद परदे पर लिखे दिखते थे। अगर फ़िल्म की कहानी आगे छलाँग लगवानी होती तो बीच की घटनाएँ लिखकर बता दी जाती थीं।

अवाक् फ़िल्मों के जमाने में लोग चलती-फिरती तस्वीरों का आनन्द लेने जाते थे। फ़िल्म में कौन काम कर रहा है, इसके प्रति उनका विशेष आकर्षण नहीं था। कलाकारों की लोकप्रियता तो तब बढ़ी, जब फ़िल्में बोलने लगीं। प्रारम्भ में धार्मिक फ़िल्में ही ज्यादा बनती थीं। भारत की पहली फ़िल्म 'राजा हरिश्चन्द्र' भी धार्मिक फ़िल्म थी। उस समय की कुछ प्रमुख अवाक् धार्मिक फ़िल्में थीं। फालके फ़िल्म कंपनी की राजा हरिश्चन्द्र, भस्मासुर मोहनी, सत्यवान-सावित्री और लंका दहन, हिन्दुस्तान फ़िल्म कंपनी की कृष्ण जन्म, कालिया मर्दन, बालि-सुग्रीव, नल-दमयन्ती, परशुराम, दक्ष प्रजापति, सत्यभामा विवाह, द्रौपदी वस्त्रहरण, जरासंध वध, शिशुपाल वध, लव-कुश, सती महानन्दा और सेतुबन्धन, महाराष्ट्र फ़िल्म कंपनी की वत्सला हरण, गज गौरी, कृष्णावतार, सती पद्मिनी, सावित्री, मुरलीवाला तथा लंका, प्रभात फ़िल्म कंपनी की गोपालकृष्ण। इसके अलावा कुछ और प्रयास हुए, जिनमें दादा साहब फालके की 1932 में बनी अवाक् फ़िल्म 'श्यामसुन्दर'।

उस वक्त धार्मिक फ़िल्मों की एक तरह से बाढ़ आ गयी थी। इसकी वजह यह थी कि उन दिनों भारतीय मानस में धर्म बड़े गहरे तक पैठा था और उसके प्रति लोगों में गहरी आस्था थी। नाटकों और रामलीला में धार्मिक कथाएँ दिखायी जाती थीं, धार्मिक कथाओं से लोगों ने एक तादात्म्य-सा स्थापित कर लिया था, इसलिए ऐसी फ़िल्में समझने में दिक्कत नहीं होती थी। उन दिनों धार्मिक-पौराणिक फ़िल्में कामयाब भी होती थीं। ऐसा नहीं है कि तब अन्य किस्म की फ़िल्में नहीं बनती थीं, लेकिन प्रधानता धार्मिक फ़िल्मों की थी। यहाँ यह ज़िक्र करना ज़रूरी है कि महिला पात्र की भूमिका निभाने के लिए महिलाएँ काफी अरसे तक नहीं मिलीं। हिन्दुस्तान फ़िल्म कंपनी की 'कीचक वध' तक यह स्थिति बरकरार रही। इस फ़िल्म में भी कीचक की पत्नी की भूमिका सखाराम जाधव नामक एक युवक ने की थी। इन सारी मुसीबतों और अड़चनों के बावजूद धार्मिक फ़िल्मों की यात्रा जारी रही और बोलती फ़िल्मों के युग तक इनका सिलसिला चलता रहा। इनके कथानक का आधार मूलतः रामायण व महाभारत जैसे महाकाव्य होते थे। राम-कृष्ण की जीवनलीला पर फ़िल्में बनीं, हनुमानजी पर और सन्तों-देवताओं पर फ़िल्में बनीं। बाद में माँ की भूमिकाओं के लिए मशहूर निरूपा राय कभी धार्मिक फ़िल्मों की मशहूर अभिनेत्री थीं। उन्होंने कुल मिला कर तकरीबन 40 धार्मिक-पौराणिक फ़िल्मों में काम किया। वे चार फ़िल्मों में पार्वती और तीन में सीता की भूमिका में आयी थीं। परदे की देवी के रूप में वे इतना ख्यात हो गयी थीं कि जब उन्होंने 'सिंदबाद द सेलर', 'चालबाज' और 'बाजीगर' जैसी स्टंट फ़िल्मों में काम किया, तो दर्शकों का उनकी इन फ़िल्मों के प्रति अच्छा रुख़ नहीं रहा। धार्मिक फ़िल्मों में उनकी कितनी धूम थी, इसका पता इससे चलता है कि लोग जिन सिनेमाघरों में उनकी धार्मिक फ़िल्में देखने जाते, वहाँ पूजा करते थे। उनकी धार्मिक फ़िल्में थीं – महासती सावित्री, सती मदालसा, नवरात्रि, चक्रधारी, रामस्वामी, वामन अवतार, गौरी पूजा, शेषनाग, अप्सरा, चण्डी पूजा, जय हनुमान, राम हनुमान युद्ध, नागमणि, श्री रामभक्त विभीषण, नरसी भगत, हर हर महादेव,

द्वारकाधीश आदि। इसके बाद उन्होंने कई सामाजिक फ़िल्मों में भूमिकाएँ निभायीं और बाद में चरित्र भूमिकाएँ करने लगीं। जयश्री गड़कर भी धार्मिक फ़िल्मों की हीरोइन के रूप में काफी ख्यात हुईं। अपने जमाने में शोभना समर्थ भी धार्मिक फ़िल्म 'रामराज्य' की सीता के रूप में बहुत ख्यात हुईं। बाद के दिनों में अनिता गुहा, कानन कौशल आदि काफी लोकप्रिय हुईं।

बहरहाल, फ़िल्मों के निर्माण के शुरू के दौर में 60 प्रतिशत से भी अधिक फ़िल्में धार्मिक-पौराणिक कथानक पर बनती थीं। बाद के वक्त में बेरोजगारी से पीड़ित युवा वर्ग की रुचि धर्म में नहीं रह गयी। वह रोजी-रोटी की जुगाड़ में तबाह रहने लगा। ऐसे में धार्मिक फंतासी से उसे खुशी नहीं मिलती थी। वह हलकी-फुलकी मनोरंजक फ़िल्मों की ओर मुड़ गया। धार्मिक फ़िल्मों से युवा वर्ग विमुख हुआ, तो ऐसी फ़िल्में महज पुरानी पीढ़ी के लोगों तक सीमित रह गईं।

धार्मिक फ़िल्मों के बाद ऐतिहासिक फ़िल्मों का दौर आया। यह भी काफी लम्बा खिंचा। रंजीत स्टूडियो ने 1934 में 'राजपूतानी' पेश की। इतिहास के प्रसिद्ध चरित्रों और घटनाओं पर फ़िल्में बनने लगीं। उस वक्त देश का माहौल ऐसा था, जिसमें ऐसी फ़िल्में महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ निभा सकती थीं। वी. शांताराम ने एक फ़िल्म निर्देशित की 'उदय काल' जिसका नाम उन्होंने 'फ्लैग आफ फ्रीडम' (स्वराज्य तोरण) रखा। भला अंग्रेज सरकार को यह नाम क्यों भाने लगा। इस नाम पर एतराज हुआ और यह फ़िल्म 'थंडर आफ हिल्स' बन गई। यह फ़िल्म वी. शांताराम ने प्रभात फ़िल्म कंपनी के बैनर में बनायी थी और इसमें उनकी शिवाजी की भूमिका की बड़ी प्रशंसा हुई थी। 18 नवंबर 1901 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मे वणकुद्रे शांताराम ने 12 वर्ष की अल्पायु में गन्धर्व नाटक मण्डली कोल्हापुर में छोटी-छोटी भूमिकाओं से अपना कैरियर शुरू किया। धीरे-धीरे अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते गए। 1929 में उन्होंने कोल्हापुर में प्रभात फ़िल्म कंपनी चार अन्य लोगों की मदद से स्थापित की। इसके अन्तर्गत उन्होंने 'माई क्वीन' (रानी साहिबा), 'फाइटिंग ब्लेड (खूनी खंजर), चन्द्रसेना और स्टोलन ब्राइड (ज़ुल्म) बनायी। उनकी ये सभी फ़िल्में अवाक् थीं। 1931 में 'आलमआरा' से नयी क्रान्ति आयी। फ़िल्मों ने बोलना सीख लिया। अब तक फ़िल्में शैशव को पीछे छोड़ किशोरावस्था में पहुँच चुकी थीं। बोलती फ़िल्मों का युग आया, तो शांताराम की फ़िल्मों का भी नया दौर आया। उनकी पहली बोलती फ़िल्म थी 'अयोध्या का राजा' (1932)। 1942 में उन्होंने बंबई में राजकमल कलामंदिरकी स्थापना की। प्रभात फ़िल्म कंपनी के बैनर में 'जलती निशानी', 'सैरंध्री', 'अमृत मंथन', 'धर्मात्मा', 'अमर ज्योति', के अलावा 'दुनिया न माने', 'आदमी' और 'पड़ोसी' जैसी सोद्देश्य फ़िल्में देने के बाद उन्होंने राजकमल कलामंदिर के बैनर तले 'शकुन्तला', 'माली', 'पर्वत पर अपना डेरा', 'डाक्टर कोटणीस की अमर कहानी', 'मतवाला शायर', 'अन्धों की दुनिया', 'बनवासी', 'भूल', 'अपना देश', 'दहेज', 'परछाई', 'अमर भोपाली', 'सुरंग', 'सुबह का तारा', 'झनक झनक पायल बाजे', 'तूफान और दिया', 'दो आँखें और बारह हाथ', 'नवरंग', 'फूल और कलियाँ', 'स्त्री', 'सेहरा', 'गीत गाया पत्थरों ने', 'लड़की सह्याद्री की','बूँद जो बन गयी मोती', 'जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली' बनायी। शांताराम की फ़िल्मों की एक विशेषता यह रही कि वे हर मायने में औरों से अलग होती थी। प्रस्तुतीकरण में नवीनता, संगीत में नवीनता और गायन में भी नवीनता।

4.3.03. हिन्दी सिनेमा के 100 वर्ष

4.3.03.01. सन् 1913 – 22 के दौरान की फ़िल्में

घुंडीराज गोविन्द फ़ालके ने जे.जे. स्कूल ऑफ़ आर्ट में पढ़ाई की और उसके बाद राजा रवि वर्मा के शिष्य बने। पहली बार फ़िल्म फ़िल्म 'द लाइफ़ ऑफ़ क्राइस्ट' देखकर तय कर लिया कि ऐसी फ़िल्म हमें भी बनानी है। उनके अथक संघर्ष का नतीजा था 'राजा हरिश्चन्द्र' जिसका पहली बार 03 मई 1913 में बम्बई के कोरोनेशन थियेटर में प्रदर्शन हुआ। राजा हरिश्चन्द्र पूरे तेईस दिन चली जो उन दिनों में रिकॉर्ड था। सिनेमा ने हिन्दुस्तानियों का मन मोह लिया था। शुरुआती सिनेमा की पृष्ठभूमि धार्मिक थी और उस पर पारसी थियेटर का गहरा प्रभाव था। जमशेदजी मदन, धीरेन गाँगुली तथा नितिन बोस इस दौर के अन्य फ़िल्मकार थे। यह वह दौर था जब सिनेमा को सभ्य लोगों का काम नहीं समझा जाता था और स्त्रियों को फ़िल्मों में काम करने की इजाज़त नहीं होती थी। इस दौर की उल्लेखनीय फ़िल्में हैं – राजा हरिश्चन्द्र, लंका दहन, बिलेत फ़ेरात।

4.3.03.02. सन् 1923 – 32 के दौरान की फ़िल्में

1931 में सामाजिक मुद्दे सिनेमा में आने लगे थे और बड़े व्यापारियों को इसमें व्यावसायिक सफ़लता की गुंजाइश दिखने लगी थी। सिनेमा का शास्त्र पलट रहा था। चित्रकार परिवार से आए बाबूराव पेंटर, धीरेन गाँगुली और चन्दूलाल शाह इस दौर के बड़े फ़िल्मकार हुए। दशक ख़त्म होते होते सिनेमा में आवाज़ आई और अर्देशिर ईरानी के निर्देशन में नायक राजकुमार और बंजारन नायिका की प्रेम कहानी 'आलम आरा' पहली बोलती फ़िल्म आयी। पारसी थियेटर की मैलोड्रामा शैली से प्रभावित 'आलम आरा' में सात गीत थे और यहीं से हिन्दी सिनेमा और गीतों का अटूट नाता शुरु हुआ जो आज तक बेरोकटोक जारी है। इसी दौर में वी. शांताराम ने 'माया मच्छिन्द्रा' (अलख निरंजन), 'अयोध्या का राजा' और 'चन्द्रसेना' जैसी फ़िल्में बनायीं। इस दौर की उल्लेखनीय फ़िल्में हैं – महारथी कर्ण, नल दमयन्ती, आलम आरा।

4.3.03.03. सन् 1933 – 42 के दौरान की फ़िल्में

यह हिन्दी सिनेमा का स्टूडियो एरा है। मुख्य रूप से तीन बड़े स्टूडियो इस दौर में सक्रिय रहे – वीरेन्द्रनाथ सरकार द्वारा स्थापित 'न्यू थियेटर्स', चार भागीदारों (शांताराम, दामले, फ़त्तेलाल, धायबर) द्वारा स्थापित 'प्रभात' स्टूडियो तथा हिमांशु राय का'बॉम्बे टाकीज़'। यहीं न्यू थियेटर्स की उर्वर ज़मीन से निकले प्रथमेश चन्द्र बरुआ का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने सन् 1935 में शरतचन्द्र के उपन्यास पर 'देवदास' फ़िल्म बनाकर सिनेमा को उसकी सबसे चहेती प्रेम और बिछोह की कथा दी। कुन्दनलाल सहगल उस दौर का सितारा थे और उनकी गायकी भविष्य की पीढ़ियों के लिए सदा उजला रास्ता बनी रही। देविका रानी सितारा नायिका थीं और उनका दामन थामे अशोक कुमार सिनेमा में आये। 1937 में अर्देशिर ईरानी द्वारा निर्मित और गिडवानी द्वारा निर्देशित फ़िल्म किसान कन्या आयी और इस फ़िल्म में रंग डालने का विचार अर्देशिर ईरानी के दिमाग में आया। फ़िल्म में रंग डालने का अर्देशिर ईरानीजी का प्रयोग सफल हो गया और बेरंग फ़िल्मी दुनियाँ में रंग बिखर गया हालाँकि 1933 में वी. शांताराम द्वारा 'सैरंध्री' एक मराठी फ़िल्म का निर्माण किया जा चुका था जिसमें रंग प्रयोग किया गया था लेकिन इसके प्रिंट्स जर्मनी में तैयार किए गए थे। 'किसान कन्या' भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फ़िल्म थी। सोहराब मोदी की 'सिकन्दर' ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की फ़िल्मों में मील का पत्थर थी तो महबूब ख़ान ने 1940 में वो 'औरत' बनाई जिसे आगे चलकर हिन्दी सिनेमा की सबसे महान् फ़िल्म (मदर इंडिया) की माँ बनना था। यह दौर गुलामी का था लेकिन सिनेमा धार्मिक कथाओं का दामन छोड़ अब सामाजिक मुद्दों का रुख़ करने लगा था। इस दौर की उल्लेखनीय फ़िल्में हैं – चण्डीदास, देवदास, किसान कन्या, अछूत कन्या।

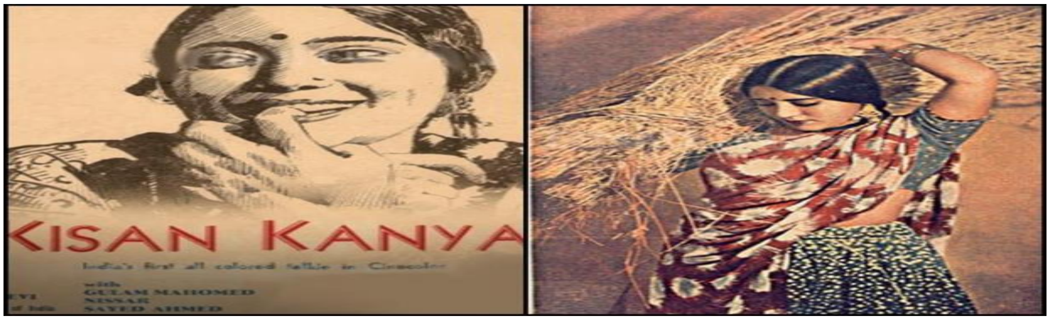

4.3.03.04. सन् 1943 – 52 के दौरान की फ़िल्में

अशोक कुमार इस दौर के बड़े नायक थे और उन्होंने इस दौर में 'हुमायूँ', 'किस्मत' और 'महल' जैसी भव्य फ़िल्में दीं। इस समय में हिन्दोस्तान के इतिहास की आज़ादी और बँटवारे जैसी बड़ी घटनाएँ हुईं। लेकिन उस दौर के सिनेमा में इनकी प्रत्यक्ष गूँज कम ही सुनाई देती है। 1947 में 'जुगनू' की सफ़लता के साथ दिलीप कुमार सिनेमा में आए और 1948 में 'आग' के साथ शोमैन राज कपूर ने अपनी निर्देशकीय पारी की शुरुआत की। 1949 में महबूब ख़ान ने इन दोनों सितारों को लेकर 'अन्दाज़' बनाई, नायिका थीं नर्गिस। 'आवारा' के साथ हिन्दी सिनेमा को राज कपूर में अपना चार्ली चैप्लिन मिल गया। शैलेन्द्र के लिखे और मुकेश के गाए गीतों की लोकप्रियता सात समन्दर पार रूस में जा पहुँची। राष्ट्र द्वारा देखा गया समाजवाद का स्वप्न सिनेमा का स्वप्न भी बन गया। इस दौर की उल्लेखनीय फ़िल्में हैं – किस्मत, महल, आवारा।

4.3.03.05. सन् 1953 – 62 के दौरान की फ़िल्में

इस दौरान सिनेमा का नया दौर आया। इस कालखण्ड में दिलीप कुमार, राज कपूर, और देवआनन्द की त्रिमूर्ति ने खूब धूम मचायी। इसी दौरान कान फ़िल्म फेस्टिवल में सत्यजीत राय की फ़िल्म 'पथेर पंचाली' को 'बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट' अवार्ड मिला जबकि 'मदर इंडिया' और मुगले आजम' को देशभर में खूब सराहा गया। राज कपूर की फ़िल्मों में जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का अक्स देखने को मिलता है। 'साथी हाथ बढ़ाना' हिन्दी सिनेमा के सुनहरे दशक का टेक बना। कहानियों के केन्द्र में शहरी सर्वहारा था और उसकी आँखों में आधुनिकता के दिखाए सपने थे। 'दो बीघा ज़मीन' का शम्भू महतो कलकत्ता की तपती सड़कों पर नंगे पैरों रिक्शागाड़ी खींचता शहर की यन्त्रणाओं और सामन्ती-पूँजीवादी व्यवस्था के गठजोड़ को हमारे सामने लाया। महबूब ख़ान की 'मदर इंडिया' में दुनिया ने भारत का समतावादी समाज का स्वप्न देखा। एक स्त्री के स्वाभिमान में एक मुल्क़ की उन्नति की दास्ताँ एकाकार हो गई। यहीं थे गुरुदत्त। एकाकी आवाज़ की तरह, तत्कालीन समाज और सिनेमा की ईमानदार आलोचना रचते। यह दशक था मुग़ल-ए-आज़म का। मधुबाला की अनन्य सुन्दरता का और दिलीप कुमार के अप्रतिम अभिनय का। सिनेमाई संगीत भी उन दिनों सुनहरा था। नौशाद ने 'ए मोहब्बत ज़िंदाबाद' में मोहम्मद रफ़ी के साथ सौ गायकों को कोरस में गवाया था। देवानन्द के सिनेमा में शहरी आधुनिकता का मोह था तो राज कपूर 'जिस देश में गंगा बहती है' और दिलीप कुमार 'नया दौर' जैसी फ़िल्मों के साथ वही आधुनिकता का स्वप्न गाँव-देहातों तक पहुँचा रहे थे। इस दौर की उल्लेखनीय फ़िल्में हैं – दो बीघा ज़मीन, मदर इंडिया, मुग़ल-ए-आज़म।

4.3.03.06. सन् 1963 – 72 के दौरान की फ़िल्में

इस दौरान हिन्दी सिनेमा को पूरी दुनिया देख रहा थी। 'जंगली' में शम्मी कपूर की 'याहू' के साथ नयी पीढ़ी परम्पराओं की जकड़ से आज़ाद हो जाना चाहती थी। 'आओ ट्विस्ट करें' की पदचाप में पश्चिमी चाल की आधुनिकताएँ सिनेमा में दिखने लगीं लेकिन एक अन्तर्द्वन्द्व भी था, आस्था और तर्क में, जो 'गाइड' जैसी फ़िल्म

में गहरे उभरकर सामने आया। राजेश खन्ना 1965 में फ़िल्मफ़ेयर की टैलेन्ट हंट में जीते थे और उनके साथ सिनेमा ने पहली बार 'आम आदमी' को सुपरस्टार बनते हुए देखा। ऋषिकेश मुखर्जी के ज़िंदादिल 'आनन्द' और 'बाबू मोशाय' की भूमिका में राजेश खन्ना ने अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। इस दौर की उल्लेखनीय फ़िल्में हैं – गाइड, तीसरी मंज़िल, भुवन शोम।

4.3.03.07. सन् 1973 – 82 के दौरान की फ़िल्में

यह दौर समान्तर सिनेमा का रहा। इस दौरान श्याम बेनेगल की फ़िल्म 'अंकुर' एम.एस. सथ्यू की 'गरम हवा' काफी चर्चा में रही। अमिताभ बच्चन एंग्री यंगमैन बनकर उभरे। धार्मिक फ़िल्म 'जय संतोषी माँ' जबरदस्त हिट रही। 'शोले' और 'बॉबी' भी सुपरहिट रहीं। अमिताभ बच्चन अपनी पहली फ़िल्म 'सात हिन्दुस्तानी' में वे एक बेचैन शायर थे, लेकिन उनके गुस्से को विहंगम आयाम अगले दशक में मिलना था और उसकी वजह दो जोड़ीदार पटकथाकार बने। सफ़लता के शुरुआती दिनों में 'सलीम-जावेद' खुद पेंट का डिब्बा हाथ में लेकर अपनी फ़िल्मों के पोस्टरों पर अपना नाम लिखा करते थे। सलीम-जावेद जिन्होंने एक सत्तालोलुप और भ्रष्ट समाज के प्रति आम इंसान के विद्रोह को सिनेमा में जीवन्त कर दिया। 'एंग्री यंग मैन' का जन्म समाज में दहकते नक्सलबाड़ी के अंगारों पर हुआ था और अमिताभ बच्चन के रूप में हिन्दी सिनेमा ने सदी के महानायक को पाया। इस दशक का रोमांस वो लैंप बुझाती जया भादुड़ी और माउथऑर्गन बजाते अमिताभ के अधूरे प्रेम मेंथा। उस समय अमिताभ दिन में 'शोले' की शूटिंग किया करते और मुम्बई की जागती रातोंमें 'दीवार' का क्लाइमैक्स फ़िल्माया जाता। लेकिन इसी दशक में समान्तर सिनेमा ने अपना स्वतन्त्र रास्ता तलाशा। श्याम बेनेगल की 'अंकुर' के साथ सफर शुरू हुआ। नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, स्मिता पाटिल, शबाना आज़मी जैसे कलाकारों को हिन्दी सिनेमा में लेकर आया। 1975 में संस्था एन.एफ.डी.सी. स्थापित हुई जिसने इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। खुद अमिताभ ने ऋषिकेश मुखर्जी की फ़िल्मों में अपने अभिनय के भिन्न आयाम दिखाये। गुलज़ार, बासु चटर्जी और ऋषिदा की फ़िल्में इस मोहभंग के दौर में उम्मीद का नवरस घोलती रहीं। इस दौर की उल्लेखनीय फ़िल्में हैं – दीवार, शोले, भूमिका।

4.3.03.08. सन् 1983 – 92 के दौरान की फ़िल्में

यह मुख्यधारा हिन्दी सिनेमा का रीतिकाल है। इस दौर में वीडियो पाइरेसी की शुरुआत हुई जिसके कारण फ़िल्में फ्लॉप भी हुई। इस दौरान अमिताभ बच्चन की 'मर्द', 'शहंशाह' और 'जादूगर' जैसी भौंडी फ़िल्में आयीं। बीच के कुछ साल अनिल कपूर ने सर्वोच्च स्टारडम देखा और 'तेज़ाब', 'परिन्दा', 'काला बाज़ार' जैसी फ़िल्मों के साथ आधुनिक शहर की अँधेरी गुफ़ाएँ सिनेमा में आने लगीं। लेकिन इस पतन का एक दूसरा पहलू भी था। यह हिन्दी सिनेमा की समान्तर धारा का काल भी था 'जाने भी दो यारों' ने समाजसत्ता की स्याह हक़ीक़त, 'अर्द्धसत्य' ने सड़ चुके सिस्टम के भीतर होने की यन्त्रणा और 'सलाम बॉम्बे' ने शहर के हाशिए को किसी मैग्नीफ़ाइंग ग्लास से देखा। लेकिन दशक बीतने न बीतते हिन्दी सिनेमा ने फिर पलटा खाया और भिन्न-भिन्न परिवारों और पृष्ठभूमियों से आए तीन ख़ान लड़के हिन्दी सिनेमा में युवता और प्रेम वापस लौटा लाये। 'कयामत

से कयामत तक' के साथ पूरी पीढ़ी जवान हुई और 'मैंने प्यार किया' युवा दोस्तियों की पैरोकार बनी। इस दौर की उल्लेखनीय फ़िल्में हैं – मिस्टर इंडिया, अर्द्धसत्य, मैंने प्यार किया।

4.3.03.09. सन् 1993 – 02 के दौरान की फ़िल्में

इस दौरान पारिवारिक फ़िल्मों का चलन तेजी से बढ़ा। 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे' ने नया चलन शुरू किया। इस दौर में हिन्दुस्तान बहुत तेज़ी से बदल रहा था। उदारीकरण ने देश के बाज़ारों को बदला और बाज़ार ने सिनेमा को। शाहरुख़ ख़ान एक ओर 'डर', 'बाज़ीगर' और 'अंजाम' के हिंस्र प्रतिनायक की भूमिका में, वहीं दूसरी ओर 'कभी हाँ कभी ना', 'राजू बन गया जेंटलमैन' और 'चमत्कार' जैसी फ़िल्मों में बगल के मुहल्ले में रहने वाले उस खिलंदड़ लड़के से दिखते है। बीते दौर के सर्वोच्च महानायकों दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन की तरह वे भी सिनेमा के लिए 'आउटसाइडर' थे और वंशानुगत पात्रताओं को सबसे ऊपर रखने वाले हिन्दी फ़िल्मोद्योग के लिए जैसे यही काव्यात्मक न्याय था। नयी सदी में सिनेमा का नया दौर आया रामगोपाल वर्मा ने इसका ढंग बदला तो मणिरत्नम् ने इसकी चाल 'दिल चाहता है' और 'सत्या' जैसी फ़िल्में अपने दौर की कल्ट क्लासिक बनीं और उन्होंने अपने आगे सिनेमा की नयी धाराएँ शुरू कीं। इस दौर की उल्लेखनीय फ़िल्में हैं – दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, सत्या, दिल चाहता है, लगान।

4.3.03.10. सन् 2003 – 12 के दौरान की फ़िल्में

इस दौरान बॉलीवुड का व्यवसायीकरण बहुत तेजी से हुआ। थिएएटर मल्टीप्लेक्स में बदल गया। क्षेत्रीय सिनेमा भी बढ़ने लगा। फ़िल्म जगत् के तीनों खान शाहरुख़, आमीर और सलमान पर्दे पर छा गए। इसी समय सत्ता का संतुलन बदल रहा था। फ़िल्म बनाना अब 'फ़ैमिली बिज़नस' नहीं रह गया था, इस दौर के फ़िल्मकार मायानगरी के लिए आउटसाइडर थे। वे गोरखपुर से आए थे या मेरठ से, जमशेदपुर से आए थे या नागपुर से और उन्होंने अपनी कंचन प्रतिभा के बलबूते इस उद्योग में पैठ बनाई। तकनीक ने सिनेमा को ज़्यादा सहज बनाया और सिनेमा को बड़े परदे से निकालकर आम आदमी के ड्राइंगरूम में ले आयी। इसी बीच मल्टीप्लैक्स आए और उनके साथ सिनेमा का दर्शक बदला, विषय भी बदले। अब सिनेमा में गाँव नहीं थे बल्कि स्याह शहरों की कथाएँ थीं जिन्हें 'ब्लैक फ्राइडे' में अनुराग कश्यप ने, 'मकबूल' में विशाल भारद्वाज ने और 'हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी' में सुधीर मिश्रा ने बड़े अदब से सुनाया।

आजादी के पहले भी हिन्दी सिनेमा इतना अधिक आत्मकेन्द्रित नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत के झंडे तले आजादी के पहले के फ़िल्मकार अपने समय की सच्चाइयों का सामना करते दिखते हैं। 'भारत विजय' और 'भक्त विदुर' जैसी फ़िल्में इसका जीता जागता उदाहरण हैं। आज तकनीकी रूप से सिनेमा बनाना आसान हो गया है लेकिन रचनात्मक रूप में काफी जटिल हो गया है। सिनेमा की पीठ पर सौ साल का विश्व सिनेमा का इतिहास है। सिनेमा से पहले की सभी कलाओं के पास हजारों साल का इतिहास है। कलाओं का इतिहास एक भौगोलिक,

सांस्कृतिक, राष्ट्र और समाजकृत सीमा से निबद्ध रहा है जबकि विश्व सिनेमा का इतिहास एक दूसरे से सम्बद्ध है। इस दौर की उल्लेखनीय फ़िल्में हैं – रंग दे बसंती, चक दे इंडिया, लगे रहो मुन्ना भाई, तारे ज़मीं पर, 3 इडियट्स।

4.3.03.11. वर्तमान सिनेमा

हिन्दी का वर्तमान सिनेमा शिल्प में जहाँ सशक्त हुआ है, वही कथ्य में अपने समय की सच्चाइयों से आँखें चुरा रहा है। दूसरी तरफ पुरानी फ़िल्मों के री-मेक और सिक्वल ये जाहिर कर रहे हैं कि हिन्दी का मेन स्ट्रीम सिनेमा पीछे की तरफ चल निकला है। फ़िल्म इंडस्ट्री की गाड़ी बैक गेयर में है इस वक्त के सितारे अपने बल पर एक नयी कहानी को नहीं खींच सकते तो इसलिए पिछले बड़ी हिट फ़िल्मों में शरण ले रहे हैं जबकि फ़िल्म मेकिंग या किसी भी आर्ट में हमारे देश में जितनी स्वतन्त्रता है उसका दो प्रतिशत भी आज के फ़िल्मकार प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। हिन्दी फ़िल्म इंडस्ट्री का यह निर्देशकीय युग होना चाहिए था लेकिन ये ठेकेदार युग में तब्दील हो गया। ऐसे में लेखक से गम्भीर पहल की उम्मीद की जानी चाहिए। दादा साहेब फाल्के ने पढ़े-लिखे युवाओं का आह्वान करते हुए कहा था – "पढ़े-लिखे लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में आएँ।"

4.3.04. साहित्यिक कृतियों पर बनी फ़िल्में

साहित्य और सिनेमा ऐसे माध्यम हैं जिसमें समाज को बदलने की ताकत सबसे अधिक होती है। कहना गलत न होगा कि सिनेमा, साहित्य से अधिक प्रभावशाली और आम जनता तक सरलता से पहुँचने वाला माध्यम है। जमाना बदलता रहेगा, फ़िल्मों में प्रयोग होते रहेंगे लेकिन फ़िल्मों में साहित्य का असर हमेशा प्रभावी रहेगा। चर्चित उपन्यासों और कालजयी रचनाओं पर आधारित फ़िल्में हर दौर में पसंद की जाती रही हैं। यही वजह है कि निर्देशक, निर्माता उपन्यासों को टटोलना और उन पर फ़िल्म बनाना पसंद करते हैं। यह सही भी है इससे वे दर्शक जिन्हें साहित्य की रचनाओं का ज्ञान नहीं है उन्हें जानकारी मिलती है। इसके अलावा वे दर्शक जो हमेशा से उपन्यासों को पढ़ना पसंद करते हैं वे बड़े पर्दे पर उस पर आधारित फ़िल्में देखकर आह्लादित होते हैं।

4.3.04.01. देवदास, परिणिता, आनन्दमठ, दुर्गेशनन्दिनी, मिलन

शरतचन्द्र के उपन्यास पर 'देवदास' के नाम से हिन्दी में 1925, 1955 और 2002 में फ़िल्में बनीं और तीनों बेहद सफल रहीं। यही हाल 'परिणिता' और 'मँझली दीदी' का भी रहा। बंकिम चटर्जी की कृतियों पर 'आनन्दमठ' और 'दुर्गेश नन्दिनी' जैसी सफल फ़िल्में बनीं। रवींद्रनाथ ठाकुर की कृति नौका डूबी पर 'मिलन' (1946), विमल मित्र के उपन्यास 'साहब बीबी और गुलाम' पर इसी नाम से बनी फ़िल्में बेहद सफल रहीं। यहाँ केवल कुछ ही फ़िल्मों का उल्लेख है जबकि इनकी संख्या इससे कहीं अधिक है। यह कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लाभाषी फ़िल्मकारों ने साबित कर दिया कि अगर फ़िल्मकार, पटकथा और संवाद लेखक साहित्यकार के मानसिक स्तर तक ख़ुद को ले जाने में सफल रहे तो रचना के साथ न्याय किया जा सकता है।

4.3.04.02. मिल मजदूर, नवजीवन, सेवासदन, स्वामी, रंगभूमि

वर्ष 1933 में हिन्दी के सर्वाधिक लोकप्रिय साहित्यकार प्रेमचंद की कहानी पर मोहन भावनानी के निर्देशन में फ़िल्म 'मिल मजदूर' बनी। निर्देशक ने मूल कहानी में कुछ बदलाव किए जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आए। 1934 में प्रेमचंद की ही कृतियों पर 'नवजीवन' और 'सेवासदन' बनी लेकिन और दोनों फ़िल्में फ्लॉप हो गई। 1941 में ए.आर. कारदार ने प्रेमचंद की कहानी 'त्रिया चरित्र' को आधार बना कर 'स्वामी' नाम की फ़िल्म बनाई जो चली नहीं। यही हाल 1946 में प्रेमचंद के उपन्यास 'रंगभूमि' पर इसी नाम से बनी फ़िल्म का हुआ। इस बीच उपेन्द्रनाथ अश्क़, अमृतलाल नागर, भगवतीचरण वर्मा और पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र' फ़िल्मों में हाथ आजमाने पहुँच चुके थे। फिल्मिस्तान में काम करते हुए अश्क़ और किशोर साहू के साथ लेखन करने वाले अमृतलाल नागर सिनेमा की आवश्यकताओं और सीमाओं को समझ चुके थे इसलिए वे कुछ समय तक वहाँ टिके रहे। हालाँकि इस दौरान उन्होंने किसी साहित्यिक कृति को सिनेमा में नहीं बदला बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की माँग के मुताबिक पटकथा और संवाद लिखते रहे। उग्र अपने विद्रोही और यायवरी मिजाज की वजह से बहुत जल्द मुंबई को अलविदा कह आए। भगवती चरण वर्मा भी साल भर में ही वापस लौट आए।

4.3.04.03. गाइड

आर. के. नारायण के उपन्यास 'गाइड' पर देवआनन्द के भाई विजयआनन्द ने गाइड नाम से ही फ़िल्म बनायी। 1965 में बनी इस फ़िल्म में देवआनन्द और वहीदा रहमान मुख्य भूमिका में थे। कई अवॉर्ड जीतने वाली यह फ़िल्म हिन्दी फ़िल्म इंडस्ट्री की बेहतरीन फ़िल्मों में से एक है। फ़िल्म में देवआनन्द राजू गाइड की भूमिका में थे, वहीं वहीदा रहमान एक कुशल नर्तकी और पति द्वारा उपेक्षित महिला रोजी की किरदार में थीं।

4.3.04.04. साहिब, बीवी और गुलाम

1962 में आयी फ़िल्म 'साहिब, बीवी और गुलाम' बांग्ला लेखक बिमल मित्रा के उपन्यास 'साहिब बीबी और गोलाम' पर आधारित थी। कोलकाता के ज़मींदार पृष्ठभूमि पर आधारित इस फ़िल्म को बेहद पसंद किया गया था। फ़िल्म के लिए मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस का फ़िल्मफेयर अवॉर्ड मिला था।

4.3.04.05. सरस्वतीचन्द्र, बदनाम बस्ती, डाक बंगला, आँधी, मौसम

गोवर्धनराम माधवराम त्रिपाठी द्वारा लिखित गुजराती उपन्यास सरस्वतीचन्द्र पर आधारित फ़िल्म 1968 में बनी थी। इसमें नूतन के साथ मनीष लीड रोल में थे। इस फ़िल्म का विषय जागीरदारी प्रथा पर बेस्ड था। फ़िल्म को म्यूजिक डायरेक्टर और सिनेमेटोग्राफी के लिए नैशनल अवॉर्ड भी मिला था। कमलेश्वर के उपन्यास 'एक सड़क सत्तावन गलियाँ' और 'डाक बांग्ला' पर क्रमशः 'बदनाम बस्ती' (1971) और 'डाक बंगला' (1974) बनीं लेकिन सफल नहीं हो सकीं। उनकी कहानी पर और भी फ़िल्में बनीं लेकिन जब गुलजार ने कमलेश्वर की कृति पर 'आँधी' और 'मौसम' बनाई तो दोनों फ़िल्में मील का पत्थर साबित हुई।

4.3.04.06. शतरंज के खिलाड़ी

1977 में बनी सत्यजीत रे निर्देशित फ़िल्म 'शतरंज के खिलाड़ी' प्रेमचंद की लघु कहानी पर आधारित थी। फ़िल्म 1857 की क्रान्ति के आसपास की दौर की कहानी कहती है। इसमें अमजद खान, संजीव कुमार, सईद जाफरी के साथ शबाना आजमी और टॉम ऑल्टर मुख्य भूमिका में थे।

4.3.04.07. जुनून

1978 में, 1857 की क्रान्ति पर आधारित एक और लेखक के उपन्यास पर फ़िल्म बनाई गई थी। लेखक रस्किन बॉन्ड की फिक्शनल किताब 'अ फ्लाइट ऑफ पीजंस' पर बेस्ड श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित 'जुनून' एक अवॉर्ड विनिंग फ़िल्म थी। शशि कपूर, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और नफीसा अली इसमें मुख्य किरदार में थे।

4.3.04.08. मँझली दीदी, 1947 अर्थ, रजनीगन्धा

ऋषिकेश मुखर्जी ने शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास मेजदीदी पर आधारित 1967 में फ़िल्म मँझली दीदी बनाई थी जिसमें धर्मेंद्र और मीना कुमारी लीड रोल में थे। दीपा मेहता की '1947 अर्थ' भी बापसी सिदवा की नॉवेल क्रैकिंग इंडिया पर आधारित थी। इसमें आमिर खान, राहुल खन्ना और नंदिता दास मुख्य किरदार में थे। बासु चटर्जी बांग्लाभाषी थे लेकिन उन्होंने हिन्दी साहित्य का गहरा अध्ययन किया था। राजेन्द्र यादव के उपन्यास 'सारा आकाश' पर उन्होंने फ़िल्म बनायी जो सफल नहीं हो सकी लेकिन मन्नू भंडारी की कहानी 'यही सच' पर जब उन्होंने 'रजनीगन्धा' बनाई तो वह फ़िल्म लोकप्रिय साबित हुई।

4.3.04.09. पिंजर

जानी-मानी लेखिका अमृता प्रीतम के उपन्यास पिंजर पर इसी नाम से फ़िल्म बनी। बँटवारे के दौरान हुए सामाजिक उथल-पुथल, प्यार और नफरत पर आधारित इस फ़िल्म को बेहद पसंद किया गया। निर्देशक थे चन्द्रप्रकाश द्विवेदी। वर्ष 2003 में बनी इस फ़िल्म को तीन भाषाओं हिन्दी, उर्दू और पंजाबी में बनाया गया। फ़िल्म के मुख्य कलाकार थे मनोज बाजपेयी, उर्मिला मार्तोंडकर और प्रियांशु चटर्जी।

4.3.04.10. मकबूल, ओंकारा, हैदर, सात ख़ून माफ

निर्देशक विशाल भारद्वाज की ज्यादा फ़िल्में उपन्यास आधारित रहीं। इसमें खासकर शेक्सपीयर और रस्किन बॉन्ड के उपन्यासों का इस्तेमाल हुआ। विशाल भारद्वाज की फ़िल्म 'मकबूल' शेक्सपीयर के नाटक मैकबेथ पर आधारित थी। वहीं 'ओंकारा', ऑथेलो पर बेस्ड थी और 'हैदर', हेमलेट पर आधारित थी। इसी तरह फ़िल्म 'सात ख़ून माफ' रस्किन बॉन्ड की कहानी 'सुजैनास सेवेन हस्बैंड' और 'द ब्लू अम्ब्रैला' भी रस्किन बॉन्ड की कहानी थी।

4.3.04.11. थ्री इडियट्स, काय पो चे, हैलो

युवाओं के पसंदीदा लेखक चेतन भगत के उपन्यासों को आज के निर्माता-निर्देशकों ने फ़िल्मों के ज़रिये खूब भुनानी की कोशिश की। फाइव पॉइंट समवन पर बेस्ड 'थ्री इडियट्स', थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ पर बेस्ड 'काय पो चे', वन नाइट ऐट कॉलसेंटर पर आधारित फ़िल्म 'हैलो' और टू स्टेट्स पर आधारित फ़िल्म बन चुकी है। इन दिनों उनकी लेटेस्ट नॉवेल 'हाफ गर्लफ्रेंड' पर भी फ़िल्म बन चुकी है।

4.3.05. फ़िल्म पत्रकारिता का इतिहास

भारतीय सिनेमा के प्रारम्भिक दौर में फ़िल्म निर्माण के दो प्रमुख केन्द्र थे – मुंबई और कोलकाता। लेकिन फ़िल्म पत्रकारिता के केन्द्र के रूप में दिल्ली उभरा। मुंबई, कोलकाता और लाहौर में भी फ़िल्म पत्रकारिता की शुरुआत हो गयी थी, पर अग्रणी कहलाने का श्रेय दिल्ली को ही मिला क्योंकि सर्वाधिक पत्रिकाएँ यहीं शुरू हुई थीं। मूक फ़िल्मों ने मनोरंजन के क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर ली थी, लेकिन सवाक् फ़िल्मों के आगमन ने फ़िल्मों की लोकप्रियता को तेज़ी से बढ़ा दिया। 1932 में मुंबई की इंपीरियलफ़िल्म कंपनी ने आलम आरा का निर्माण किया और गूँगे सिनेमा को आवाज दी। फ़िल्मों के सवाक् होने के बाद ही फ़िल्म पत्रकारिता की भी शुरुआत हुई। हिन्दी की पहली फ़िल्म पत्रिका 'रंगभूमि' (साप्ताहिक) का प्रकाशन 1931 में लेखराम ने दिल्ली से शुरू किया। रंगभूमि की लोकप्रियता को देख 1936 में दिल्ली से 'चित्रपट' नामक साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ जिसके सम्पादक मशहूर साहित्यकार श्री ऋषभ चरण जैन थे। उसके बाद भारत के विभिन्न केन्द्रों से नयी नयी फ़िल्म पत्रिका का प्रकाशन आरम्भ हो गया। दिल्ली से कौमुदी, रसभरी, फ़िल्म चित्र प्रकाशित हुए। लाहौर से रूप और कलकत्ता से अभिनय का आरम्भ हुआ। जिस समय देश आजाद हुआ, उस समय हिन्दी में एक दर्जन फ़िल्म पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही थीं। आजादी के बाद फ़िल्म पत्रिकाओं की संख्या तेजी से बढ़ी। जहाँ राज केशरी के सम्पादन में चित्रलेखा आरम्भ हुई, देवेन्द्र कुमार ने सबनम का प्रकाशन शुरू किया, नरेन्द्र कुमार के सम्पादन में फ़िल्मी दुनिया प्रारम्भ हुई, विजय दीवान ने फ़िल्मी कलियाँ शुरू की, प्रसिद्ध पत्रकार ख्वाजा अहमद ने सरगम का सम्पादन किया। इसमें आधी साहित्यिक रचनाएँ तथा आधी में सिनेमा सम्बन्धित सामग्री होती थी। सरगम मात्र तीन वर्ष ही चल सकी इसी से प्रेरित होकर बच्चन श्रीवास्तव ने दिल्ली से कल्पना मासिक का सम्पादन आरम्भ किया किन्तु वे कल्पना के मात्र तीन ही अंक निकाल पाये।

इसके अतिरिक्त विगत तीन दशक में कितने ही फ़िल्म साप्ताहिक और मासिक प्रकाशित हुये साप्ताहिक में दिल्ली में मायापुरी, मुंबई से रस नटराज, उर्वशी, कलकत्ता से स्क्रीन प्रमुख थे। मासिक में दादर, रजनीगन्धा, बायस्कोप मुंबई से प्रकाशित हुए। चित्रभारती, फ़िल्म संसार निकले गए। इसके अतिरिक्त जबलपुर से पूनम की रात तथा फ़िल्म किस्सा, लखनऊ से फ़िल्मीस्तान, लुधियाना से अभिनेत्री, महू से रजातपात, जोधपुर से प्रीति, इंदौर से सिने एक्सप्रेस का प्रकाशन हुआ। चित्रछाया, नवचित्रपट, दर्शना, इन्दुमति, मधुबाला, नीलकमल, नीलम, फ़िल्मयुग, फ़िल्म अप्सरा, बबीता, सिने पोस्ट, फ़िल्म रेखा, राधिका, फिल्मांजली, तारा, मनोरंजन, सिने हलचल, पालकी, बालीवुड सितारा टुडे का प्रकाशन राजधानी दिल्ली से हुआ। इनके अतिरिक्त फ़िल्मी रेखा, मेनका,

भारतीय फ़िल्म रिपोर्टर का प्रकाशन भी दिल्ली से हुआ। इन पत्रिकाओं को छोड़ शेष सभी या तो कुछ वर्ष में बंद हो गयी या फिर केवल कुछ अंक ही का जीवन देख सकी।

उन पत्रिकाओं में, जिनके बंद होने का दर्द हिन्दी फ़िल्म पत्रकारिता कभी नहीं बिसार सकेगी, उनमें सबसे प्रमुख माधुरी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस प्रकाशन का सम्पादन अरविन्द ने किया था। माधुरी जैसी पत्रिका ने फ़िल्म पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। एक नवीन और स्वस्थ स्वरूप प्रदान किया। सिनेमा जगत् की समस्याओं का गम्भीरता से विवेचन किया। अरविन्द कुमार के जाने के बाद माधुरी का स्टार गिरना आरम्भ हो गया। बिक्री बढ़ाने के मोह में इसमे स्कैंडल्स और चाशनी वाली सामग्री दी जाने लगी। फिर एक दिन प्रकाशकों ने फ़िल्मफेयर का हिन्दी संस्करण आरम्भ किया और माधुरी को उसमें समाहित कर माधुरी का प्रकाशन बंद कर दिया।

4.3.05.1. फ़िल्मी पत्रिकाओं का कालक्रम

4.3.05.1.1. सन् 1920 – 30 के दौरान की फ़िल्मी पत्रिकाएँ

'मूवी मिरर' मासिक (चेन्नई), 'चित्रपट' साप्ताहिक (मुंबई), 'मूविंग पिक्चर' मासिक (मुंबई), 'रंगमंच' साप्ताहिक (कोलकाता), 'साउंड एंड शैडो' मासिक (चेन्नई), 'बिजली' साप्ताहिक (कोलकाता), 'मौज मजाह' साप्ताहिक (मुंबई), 'बाइस्कोप' साप्ताहिक (कोलकाता)

4.3.05.1.2. सन् 1931 – 40 के दौरान की फ़िल्मी पत्रिकाएँ

'चित्रलेखा' साप्ताहिक (कोलकाता), 'रूपरेखा' साप्ताहिक (कोलकाता), 'फ़िल्म इंडिया' मासिक (मुंबई), 'इंडियन स्क्रीन गज़ट' मासिक (चेन्नई), 'रंगभूमि' साप्ताहिक (दिल्ली), 'मूवीज' साप्ताहिक (दिल्ली), 'सिनेमा संसार' मासिक (कोलकाता), 'चित्रपट' साप्ताहिक (दिल्ली), 'अभिनय' मासिक (कोलकाता), 'शमा' मासिक (दिल्ली)

4.3.05.1.3. सन् 1941 – 50 के दौरान की फ़िल्मी पत्रिकाएँ

'नव चित्रपट' मासिक (दिल्ली), 'टाकी' मासिक (चेन्नई), 'चाँदनी' मासिक (जयपुर), 'युगछाया' मासिक (दिल्ली), 'पिक्चर पोस्ट' मासिक (चेन्नई), 'रूपांजलि' साप्ताहिक (कोलकाता), 'सरगम' मासिक (मुंबई), 'कल्पना' मासिक (दिल्ली), 'शबनम' मासिक (दिल्ली)

4.3.05.1.4. सन् 1951 – 60 के दौरान की फ़िल्मी पत्रिकाएँ

'फ़िल्मफेयर' पाक्षिक (मुंबई), 'स्क्रीन' साप्ताहिक (दिल्ली), 'चित्र भारती' मासिक (कोलकाता), 'फ़िल्मी दुनिया' मासिक (दिल्ली), 'सिनेवाणी' साप्ताहिक (मुंबई), 'फ़िल्मीस्तान' मासिक (फिरोजपुर), 'फ़िल्मी दुनिया' मासिक (दिल्ली), 'चित्रावली' साप्ताहिक (मुंबई), 'पिक्चर पोस्ट' मासिक (चेन्नई)

4.3.05.1.5. सन् 1961 – 70 के दौरान की फ़िल्मी पत्रिकाएँ

'माधुरी' पाक्षिक (मुंबई), 'फ़िल्मी कलियाँ' मासिक (दिल्ली), 'राधिका' मासिक (दिल्ली), 'फ़िल्मलता' मासिक (दिल्ली)

4.3.05.1.6. सन् 1971 – 80 के दौरान की फ़िल्मी पत्रिकाएँ

'स्टारडस्ट' मासिक (मुंबई), 'पालकी' मासिक (दिल्ली), 'रजनीगन्धा' मासिक (मुंबई), 'आसपास' साप्ताहिक (दिल्ली), 'सिने हलचल' मासिक (दिल्ली), 'छायाकार' मासिक (मुंबई), 'सिने ब्लिट्ज़' मासिक (मुंबई), 'फ़िल्म वर्ल्ड' मासिक (मुंबई), 'मायापुरी' साप्ताहिक (दिल्ली)

4.3.05.1.7. सन् 1981 – 90 के दौरान की फ़िल्मी पत्रिकाएँ

'किंग स्टार' साप्ताहिक (मुंबई), 'शो टाइम' मासिक (मुंबई), 'मूवी' मासिक (मुंबई), 'पटकथा' द्वैमासिक (भोपाल), 'सिनेमा इन इंडिया' त्रैमासिक (मुंबई), 'सिनेमाया' मासिक (दिल्ली)

4.3.05.1.8. सन् 1991 – से अब तक की फ़िल्मी पत्रिकाएँ

'जी स्टार' पाक्षिक (मुंबई), 'जी प्रीमियर' मासिक (मुंबई), 'सिनेमा इंडिया इंटरनेशनल' मासिक (मुंबई), 'सारंगा स्वर' पाक्षिक (दिल्ली), 'फ़िल्म वर्ल्ड' साप्ताहिक (मुंबई), 'फ़िल्मफेयर' (हिन्दी) मासिक (मुंबई)

4.3.06. प्रमुख पत्रिकाओं में फ़िल्म पत्रकारिता

4.3.06.1. फ़िल्मफेयर पत्रिका

फ़िल्मफेयर का सर्वप्रथम प्रकाशन सन् 1952 में हुआ। फ़िल्मफ़ेयर भारतीय सिनेमा सम्बन्धी एक अंग्रेज़ी और हिन्दी पत्रिका है। वर्तमान में इसके सम्पादक जितेश पिल्लई है। फ़िल्म से जुड़ी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय ख़बरों के लिए फ़िल्मफेयर को जाना जाता है। मीडिया सेवाओं में कार्यरत भारत के सबसे बड़े समूह 'द टाइम्स ग्रूप', मुंबई (बंबई) इसका प्रकाशन करते हैं, बॉलीवुड फ़िल्मों की चटपटी ख़बरें और रोचक तस्वीरें इस पत्रिका की विशिष्टता है। यह भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय मनोरंजन पत्रिका है और दुनिया भर में बसे भारतीयों द्वारा पढ़ी जाती है।

यह पत्रिका 'फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड्स' और 'फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड्स साउथ' का आयोजन और प्रायोजन करती है। फ़िल्मफ़ेयर भारत की सबसे पुरानी फ़िल्म पत्रिका है और इसके द्वारा प्रायोजित अवॉर्ड्स भी सबसे पुराने पुरस्कार हैं। पहले यह मीडिया सेवाओं में कार्यरत भारत के सबसे बड़े समूह 'द टाइम्स ग्रुप' का ही एक हिस्सा थी, जो 'द टाईम्स ऑफ़ इंडिया', 'दि इकनॉमिक टाइम्स', 'नवभारत टाइम्स' और 'महाराष्ट्र टाइम्स' भी प्रकाशित करते हैं। 2005 में, फ़िल्मफ़ेयर और कुछ अन्य प्रकाशन, ख़ासकर फ़ेमिना का बँटवारा एक उप-कंपनी में हुआ। नयी कंपनी वर्ल्डवाइड मीडिया, टाइम्स समूह और बीबीसी वर्ल्डवाइड के प्रकाशन विभाग बीबीसी मैगेज़ींस के बीच 50:50 की साझेदारी से बनी संयुक्त कंपनीहै।

2008 के शुरुआत में पत्रिका ने अपने रूप-रंग और प्रकाशन की समय-सारिणी में परिवर्तन किया। फिर माह के हर 15 दिनों में फ़िल्मफ़ेयर का प्रकाशन होने लगा और श्री जितेश पिल्लई के सम्पादकत्व में इसकी पूरी रूपरेखा और नियमित विभागों का आधुनिकीकरण होता रहा है। आज भी इसमें तस्वीरों को व्यापक रूप से प्रस्तुत करने का काम जारी है। इसके लेखकगण में अनुराधा चौधरी, संगीता ऐंजेला कुमार और फ़हीम रूहानी शामिल हैं।

फ़िल्मफ़ेयर ने फ़िल्मों के लिए फ़िल्म-प्रेमियों की राय पर आधारित दो अवॉर्ड्स प्रस्तुत किये हैं। हिन्दी फ़िल्मों के लिए फ़िल्मफ़ेयर पुरस्कार और कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु भाषा की फ़िल्मों के लिए फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड्स साउथ।

4.3.06.1.1. फ़िल्मफेयर पत्रिका में नियमित विभाग

4.3.06.1.1.1. आई स्पाय

इस विभाग में हिन्दी फ़िल्म जगत् के अभिनेता / अभिनेत्रियों के बीच होते झगड़े, बहुचर्चित गपशप और छोटी-मोटी अफ़वाहें जैसी ताज़ा ख़बरों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाताहै।

4.3.06.1.1.2. बिग टिकेट

इस विभाग में आने वाली और रिलीज़ हुई फ़िल्मों की समीक्षा की जाती है और चूँकि फ़िल्म-प्रेमी और फ़िल्म-निर्माता दोनों ये जानने को उत्सुक रहते हैं कि यह दमदार पत्रिका उनकी फ़िल्मों के प्रति क्या राय रखती है इसलिए यह विभाग दोनों वर्गों में अत्यन्त लोकप्रिय है। बिलकुल अपनी शैली के अनुरूप, फ़िल्मफ़ेयर में छपने वाले पूर्वावलोकन व समीक्षाएँ संक्षिप्त और रोचक होतीं हैं, ताकि साथ छपी तस्वीरें ही सारी बातें ज़ाहिर कर सकें।

4.3.06.1.1.3. फ़ैशन प्ले

लेख-सम्पादिका संगीता ऐंजेला कुमार का कहना है कि फ़िल्म-जगत् के सभी सितारे इस विभाग को पढ़ते हैं क्योंकि इस विभाग में हिन्दी फ़िल्म की पलटन की फ़ैशन सम्बन्धी जानकारी का ताज़ा आकलन किया जाता

है। सितारों को फ़ैशन-सम्बन्धी उनकी अपनी समझ के मुताबिक़ बड़ी प्रमुखता से 'हॉट' या 'नहीं' घोषित किया जाता है।

4.3.06.1.1.4. फ़ोटो शूट्स

फ़िल्मफ़ेर के 'फ़ोटो शूट्स' विभाग में छपने वाली तस्वीरें मुन्ना एस., दब्बू रतनानी और अतुल कसबेकर इत्यादि फ़ोटोग्राफ़र्स द्वारा खींची हुई और अक्सर किसी ख़ास विषय पर आधारित होती हैं।

4.3.06.1.1.5. फ़्यूचर स्टॉक

इस विभाग में कलाकारों, संगीतकारों या निर्देशकों की नयी पीढ़ी के उभरते नन्हें सितारे और आगामी दिग्गजों की तक़दीर की भविष्यवाणी की जाती है।

4.3.06.1.1.6. जेन नेक्स्ट

इसमें आम तौर पर युवा पीढ़ी के सितारों के बारे में यहाँ-वहाँ से संगृहीत कुछ सच्ची-झूठी बातों का ख़ुलासा किया जाता है।

4.3.06.2. स्टारडस्ट पत्रिका

यह पत्रिका सन् 1971 में नारी हीरा द्वारा प्रकाशित की गई। स्टारडस्ट एक मासिक फ़िल्म पत्रिका है, जिसमें बालीवुड की ख़बर और गॉसिप होती है। इस पत्रिका की सम्पादक शोभा डे रह चुकी हैं। स्टारडस्ट पत्रिका स्टारडस्ट फ़िल्म पुरस्कार आयोजित और प्रायोजित भी करती है। यह पत्रिका अंग्रेजी और हिन्दी भाषा में प्रकाशित होती है। यह पत्रिका अभी भी प्रकाशित हो रही है और फ़िल्म से जुड़ी जानकारी के लिए महत्त्वपूर्ण है। इस पत्रिका का सर्कुलेशन 288000 है।

4.3.06.3. मायापुरी पत्रिका

मायापुरी एक साप्ताहिक फ़िल्म पत्रिका है। जिसकी शुरुआत सन् 1974 में मायापुरी ग्रुप्स द्वारा की गयी। जिसके संस्थापक श्री ए.पी. बजाज थे। मायापुरी पत्रिका के वर्तमान प्रधान सम्पादक पी. के. बजाज है। मायापुरी हिन्दी सिनेमा की सारी ख़बर और गॉसिप से परिपूर्ण पत्रिका है। मायापुरी का सर्कुलेशन प्रति सप्ताह 3,40,000 और रीडरशिप 30,60,000 है। मायापुरी पत्रिका हिन्दी पट्टी क्षेत्र में काफी लोकप्रिय फ़िल्म पत्रिका है। 40 पेज की इस पत्रिका में बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक की पूरी ख़बर होती है।

4.3.06.4. फ़िल्मी कलियाँ

फ़िल्मी कलियाँ पत्रिका बॉलीवुड से एक हिन्दी मासिक पत्रिका है। फ़िल्मी कलियाँ 25 रुपए मासिक की दर से फ़िल्मों की ख़बर देने वाली पत्रिका है। इस पत्रिका में फ़िल्म से जुड़ी ख़बर, साक्षात्कार, गॉसिप और स्टार के जीवनचर्या की ख़बर को गम्भीरता से रखा जाता है। फ़िल्मी कलियाँ बॉलीवुड के फ़ैशन शूट और फोटो शूट को भी प्रमुखता के साथ रखता है।

4.3.07. प्रमुख दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में फ़िल्मी पृष्ठ

जहाँ तक दैनिक समाचार पत्रों की बात है स्वाधीनता से पूर्व हिन्दी दैनिक पत्रों में या तो सिनेमा एकदम उपेक्षित था या फिर प्रदर्शित फ़िल्मों की समीक्षा प्रकाशित करना पर्याप्त समझा जाता था। हिन्दी दैनिक में सर्वप्रथम हिन्दुस्तान और नवभारत ने सिनेमा स्तम्भ आरम्भ किये। धीरे-धीरे सिनेमा के प्रति आग्रह इतना बढ़ गया कि फ़िल्म-समीक्षाओं के अतिरिक्त प्रायः सभी दैनिक समाचार-पत्र फ़िल्म परिशिष्ट प्रकाशित करने लगे।

4.3.07.1. दैनिक भास्कर

दैनिक भास्कर मुख्यधारा का हिन्दी दैनिक समाचार पत्र है। दैनिक भास्कर ने फ़िल्म पत्रकारिता को अपने समाचार पत्र में 4 पन्नों में साप्ताहिक और प्रतिदिन एक पेज पृष्ठ 8 पर ग्लेमर नाम से दिया जाता है। 'सप्तरंग' नामक फ़िल्मी पृष्ठ प्रत्येक शनिवार को दैनिक भास्कर द्वारा निकाला जाता है। जिसमें बॉलीवुड से जुड़ी ख़बर, गॉसिप और देश विदेश के सिनेमा की ख़बरों को प्रमुखतः से रखा जाता है।

4.3.07.2. लोकमत

लोकमत हिन्दी और मराठी दैनिक समाचार पत्र है। लोकमत समाचार-पत्र फ़िल्मी ख़बर के लिए प्रत्येक दिन अपने समाचार पत्र में पेज 8 पर नियमित रूप से निकलता है। लोकमत समाचार पत्र साप्ताहिक फ़िल्म विशेषांक शुक्रवार को चार पेज का 'रेनबो' नाम से निकलता है। जिसमें फ़िल्म से जुड़ी हस्तियों का साक्षात्कार, फ़िल्म-समीक्षा, व्यक्ति विशेष की सिने यात्रा, नवोदित फ़िल्म कलाकारों की फ़िल्मी भविष्यवाणी इत्यादि को शामिल किया जाता है।

4.3.07.3. हिन्दुस्तान

हिन्दुस्तान एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र है। हिन्दुस्तान के प्रधान सम्पादक श्री शशि शेखर है। हिन्दुस्तान समाचार पत्र भी फ़िल्मी ख़बरों को प्रत्येक रविवार को 'मूवी मैजिक' नाम से 4 पेजों में निकलता है। फ़िल्म से जुड़ी ख़बरों के साथ साथ इसमें छोटे पर्दे से भी जुड़ी ख़बरों को शामिल किया जाता है। हिन्दुस्तान समाचार पत्र फ़िल्म बिट की गम्भीरता को समझते हुए उसे अपने दैनिक में प्रमुखता के साथ रखता है। हिन्दुस्तान समाचार पत्र के फ़िल्मी पेज में अन्य दैनिक समाचार-पत्रों की तुलना में फोटोग्राफ का अधिक प्रयोग होता है।

4.3.07.4. दैनिक जागरण

दैनिक जागरण भारत में सर्कुलेशन के मामले में सबसे आगे है। दैनिक जागरण अपने राजनैतिक और आर्थिक पृष्ठों के कारण अधिक लोकप्रिय है। दैनिक जागरण समाचार-पत्र नियमित रूप से फ़िल्मी ख़बर के लिए पृष्ठ क्रमांक 18 को सुरक्षित रखा है। दैनिक जागरण समाचार पत्र साप्ताहिक फ़िल्म विशेषांक रविवार को झंकार नाम से चार पेजों में निकलता है। जिसमें फ़िल्म उद्योग से जुड़ी सारी ख़बरों का संकलन होता है।

4.3.07.5. अमर उजाला

अमर उजाला भी मुख्य हिन्दी समाचार पत्रों में से एक है। अमर उजाला अन्य हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों की तुलना में फ़िल्म पत्रकारिता को सबसे गम्भीरता से लेता है। अमर उजाला प्रत्येक रविवार को 'मनोरंजन' नाम से 4 पेज का फ़िल्मी विशेषांक निकलता है।

4.3.08. फ़िल्म-समीक्षा और समीक्षक

4.3.08.1. फ़िल्म-समीक्षा-लेखन

4.3.08.1.1. फ़िल्म-समीक्षा-लेखन के तत्त्व

फिल्म समीक्षा-लेखन के अनिवार्य तत्त्व निम्नलिखित हैं –

i. फ़िल्म का शीर्षक, और उसके रिलीज़ का साल।
ii. निर्देशक का नाम।
iii. प्रमुख अभिनेताओं के नाम।
iv. फ़िल्म की शैली।
v. निर्देशन : निर्देशन पर विचार कीजिए और बताइए कि उसने किस तरह कहानी में घटनाओं को चित्रित किया या उनकी व्याख्या की है। फ़िल्म धीमी थी, या उन चीजों को शामिल नहीं किया है जो आपको लगता है कि आवश्यक है तो आप निर्देशक को आरोपित कर सकते हैं। आपने एक ही व्यक्ति द्वारा निर्देशित अन्य फ़िल्मों को देखा है, तो आप उनकी तुलना कर सकते हैं और जो आपको सबसे अधिक पसंद है उसे निर्धारित कीजिए।
vi. छायांकन : सिनेमा को बनाने में किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया ? क्या फ़िल्म के सेट और पृष्ठभूमि ने एक निश्चित टोन देने में मदद की ?
vii. लेखन : संवाद और पात्र-वर्णन सहित स्क्रिप्ट का मूल्यांकन कीजिए। क्या आपने महसूस किया कि कहानी का विषय मौलिक और अप्रत्याशित था या उबाऊ और कमजोर था ? पात्रों के संवाद में आपको विश्वसनीयता लगी ?

viii. सम्पादन : फ़िल्म टुकड़े- टुकड़े सी थी या एक दृश्य से दुसरे दृश्य में सुचारु रूप से धारा-प्रवाह चल रहा था ? प्रकाश व्यवस्था और अन्य परिवेश के उपयोग का ध्यान रखिए। यदि सिनेमा में कंप्यूटर ग्राफ़िक्स का उपयोग हुआ है तो ध्यान दीजिए कि वह यथार्थवादी दिखता हो और इस फ़िल्म के बाकी भाग के साथ सम्बन्धित है या नहीं।

ix. कॉस्टयूम डिजाइन : क्या परिधान चुनाव फ़िल्म की शैली के अनुरूप था ? बजाय विषय से दूर रहने के क्या उन्होंने समग्र टोन में योगदान किया ?

x. डिजाइन सेट : विचार कीजिए किस तरह सेट ने फ़िल्म के अन्य तत्त्वों को प्रभावित किया। इसने आपके अनुभव में कुछ जोड़ा या घटाया ? यदि फ़िल्म असली स्थान पर फिल्मायी गई है तो क्या स्थानों का चयन सही था ?

xi. स्कोर या साउंडट्रैक : क्या इन्होंने दृश्य के साथ काम किया ? क्या इनका कम / अधिक प्रयोग हुआ ? क्या यह संदेहात्मक / दिलचस्प / परेशान करने वाला था ? साउंडट्रैक एक फ़िल्म को बना या बिगाड़ सकता है ख़ास तौर पर तब जब गाने में एक विशेष संदेश या अर्थ हो।

4.3.08.1.2. समीक्षा रचना

समीक्षा से सम्बन्धित कतिपय अनिवार्य पहलू इस प्रकार हैं –

1. क्या फ़िल्म मौजूदा घटना को या समकालीन मुद्दे को प्रतिबिम्बित करती है ? यह एक बड़ी बातचीत में उलझाने का निदेशक का रास्ता हो सकता है। फ़िल्म के प्रकरण को वास्तविक दुनिया से सम्बन्धित करने के तरीके को देखना चाहिए।
2. फ़िल्म में कोई सन्देश दिखता है, या यह दर्शकों से एक विशेष प्रतिक्रिया या भावना को निकालने का प्रयास करती है ? आप इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि फ़िल्म अपने स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हुई है या नहीं।
3. क्या फ़िल्म एक व्यक्तिगत स्तर पर आप के साथ कनेक्ट कर पाई ? आप अपनी खुद की भावनाओं से उपजी समीक्षा लिख सकते हैं; उसको पाठकों के लिए और दिलचस्प बनाने के लिए एक व्यक्तिगत कहानी में भी पिरो सकते हैं।
4. अपने तर्कों के समर्थन में प्रचुर मात्रा में उदाहरणों का उपयोग कीजिए। आप फ़िल्म के बारे में कोई बयान करते हैं, तो इसके समर्थन में एक वर्णनात्मक उदाहरण देना चाहिए। दृश्यों का वर्णन कीजिए। किस अभिनेता ने कैसा काम किया ? कैमरा के एंगल्स इत्यादि का भी वर्णन कीजिए। आप अपने तर्क को बनाने के लिए किसी डायलॉग का उपयोग भी कर सकते हैं। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पाठकों को आपकी समीक्षा पढ़ने से क्या फायदा होगा जो उन्हें केवल फ़िल्म देखने मात्र से नहीं मिलेगा ?
5. यदि फ़िल्म आपके पसंद की नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि एक नकारात्मक समीक्षा लिख दी जाए। एक अच्छा समीक्षक लोगों को अपनी पसंद की फ़िल्म खोजने में मदद करता है, और चूँकि

आपकी पसंद दूसरों की पसंद से अलग है तो आपको लोगों को बताने में सक्षम होने की ज़रूरत है यदि वह फ़िल्म का चुनाव कैसे करें।

4.3.08.2. प्रमुख हिन्दी फ़िल्म समीक्षक

राही मासूम रज़ा, निदा फ़ाज़ली, मनोहर श्याम जोशी, अज़गर वजाहत, जयप्रकाश चौकसे, इकबाल रिजवी, रवि बुले, अजय ब्रह्मात्मज, विनोद भारद्वाज, मनमोहन चड्ढा, प्रो॰ सुरेश शर्मा, जवरीमल्ल पारख, प्रदीप तिवारी, अशोक गुप्ता, प्रहलाद अग्रवाल, विनोद तिवारी, विजय कृष्णन्, प्रदीप सरदाना, हरीश शर्मा, सुनील मिश्र, पी.आर. जोशी, बच्चन श्रीवास्तव, विवेक दुबे, राजेश कुमार, देवप्रकाश चौधरी, मीनाक्षी शर्मा, अविनाश वाचस्पति, हरीश कुमार, अनुपम ओझा, राजेन्द्र पाण्डेय, मिहिर पाण्ड्या आदि।

4.3.09. पाठ-सार

प्रस्तुत पाठ में 'सिनेमा और हिन्दी पत्रकारिता' में हिन्दुस्तानी सिनेमा के इतिहास की क्रमिक यात्रा और हिन्दी फ़िल्म पत्रकारिता के स्वरूप का विवेचन-विश्लेषण किया गया है। भारतीय सिनेमा के जन्म से लेकर अब तक की प्रगति और हिन्दी फ़िल्म पत्रकारिता की शुरुआती रचना और वर्तमान स्वरूप किस प्रकार का है यहाँ इसे चरणबद्ध तरीके से बताया गया है। हिन्दी सिनेमा को कालखण्ड में विभक्त करके विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी है जिसमें प्रमुख फ़िल्में, गीत, गीतकार, संवाद और फ़िल्म से जुड़े प्रमुख लोगों के बारें में विस्तार से बताया गया है। हिन्दी फ़िल्म पत्रकारिता की शुरुआत और कालानुक्रम के अनुरूप प्रमुख पत्रिकाओं का शोधपरक तरीके से उल्लेख किया गया है। सभी प्रमुख हिन्दी समाचार-पत्र और पत्रिकाओं में फ़िल्म पत्रकारिता के वर्तमान स्वरूप को दिखाया गया है। हिन्दी फ़िल्म-समीक्षा और आलोचना में कौन-कौन से तत्त्व होने चाहिए और समीक्षा रचना की निर्माण-प्रक्रिया को समझाया गया है।

4.3.10. बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्नलिखित फ़िल्मों में से भारत की पहली फ़िल्म का नाम बताइए –

(क) आलम आरा

(ख) भक्त प्रहलाद

(ग) राजा हरिश्चन्द्र

(घ) अछूत कन्या

सही उत्तर : (ग) राजा हरिश्चन्द्र

2. निम्नलिखित में से कौन सी फ़िल्म साहित्यिक कृति पर आधारित नहीं है –

(क) सारा आकाश

(ख) पिंजर

(ग) थ्री इडियट्स

(घ) लज्जा

सही उत्तर : (घ) लज्जा

3. निम्नलिखित में से भारत की पहली स्वदेशी रंगीन फ़िल्म का नाम बताइए –

(क) अछूत कन्या

(ख) किसान कन्या

(ग) मुग़ल-ए-आजम

(घ) महल

सही उत्तर : (ख) किसान कन्या

4. निम्नलिखित में से कौन सी फ़िल्म है जिसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला –

(क) नीचा नगर

(ख) मदर इंडिया

(ग) मुग़ल-ए-आजम

(घ) अछूत कन्या

सही उत्तर : (क) नीचा नगर

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. किसी हिन्दी फ़िल्म की समीक्षा लिखिए।
2. व्यावसायिक सिनेमा और समान्तर सिनेमा में अन्तर बताइए।
3. हिन्दी फ़िल्म पत्रकारिता के वर्तमान स्वरूप पर चर्चा कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में हिन्दी सिनेमा के योगदान पर प्रकाश डालिए।
2. हिन्दी सिनेमा की लोकप्रियता में साहित्य की भूमिका को रेखांकित कीजिए।
3. क्या सिनेमा सामाजिक यथार्थ का सही चित्रण करता है ? उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।

4.3.11. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

01. रामकृष्ण, (2006). सिने संचार और पत्रकारिता. लोदी रोड, नयी दिल्ली : भारतीय ज्ञानपीठ.

02. तिवारी, विनोद (2007). फ़िल्म पत्रकारिता. दरियागंज, नयी दिल्ली : वाणी प्रकाशन.

03. वधवा, प्रियंका (2010). पत्रकारिता का इतिहास. दरियागंज, नयी दिल्ली : यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन.

04. चड्ढा, मनमोहन. हिन्दी सिनेमा का इतिहास. दिल्ली : सचिन प्रकाशन

05. रहेजा, दिनेश. कोठारी, जितेन्द्र. इंडियन सिनेमा – द बॉलीवुड सागा. लंदन : अरुम प्रेस
06. कबीर, नसरीन मुन्नी. बॉलीवुड – द इंडियन सिनेमा स्टोरी. लंदन. चैनल 4, मैकमिलन
07. Banerjee, Sharmpa. (1992). Indian Cinema, New Delhi : Directorate of Film Festivals
08. Burton, Graeme. (2009). Media and Society, critical perspective. Rawat Publications
09. Chakraborty, S. Sumita. (1998). National Identity in Indian Popular Cinema 1947-1987. New Delhi : Oxford University Press.
10. Chakravarty, S.S (1993). National Identity in Indian Popular Cinema : 1947-1987. Austin, TX : University of Texas Press.
11. Dwyer, R. and Patel, D. (2002). Cinema India: The Visual Culture of Hindi Film. London : Reaktion Books Ltd.

उपयोगी इंटरनेट स्रोत :

1. http://www.indianmovies.in/
2. http://www.galatta.com/hindi/
3. http://zeenews.india.com/entertainment/slideshow/bollywood-special-men-who-ruled-hindi-cinema-in-the-70s_1524681.html
4. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
5. http://www.hindisamay.com/
6. http://hindinest.com/
7. http://www.dli.ernet.in/
8. http://www.archive.org

❖❖❖

खण्ड – 4 : जनमाध्यम और हिन्दी पत्रकारिता

इकाई – 4 : नव-जनमाध्यम और हिन्दी पत्रकारिता

(ऑन-लाइन पत्रकारिता, हिन्दी ब्लॉग, हिन्दी ई पत्र-पत्रिकाएँ, हिन्दी ई-पोर्टल, हिन्दी वेबसाइट्स तथा हिन्दी विकिपीडिया के सन्दर्भ में)

इकाई की रूपरेखा

4.4.0. उद्देश्य कथन
4.4.1. प्रस्तावना
4.4.2. नव-जनमाध्यम : सामान्य परिचय
4.4.3. जनमाध्यम की तकनीक
  4.4.3.01. टच टेक्नोलॉजी
  4.4.3.02. ब्लू टूथ तकनीकी
  4.4.3.03. वैप तकनीक
  4.4.3.04. एन.एफ.सी. तकनीक
  4.4.3.05. आर.डी.एफ. तकनीकी
  4.4.3.06. वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल
  4.4.3.07. जी.पी.आर.एस. तकनीकी
  4.4.3.08. वी सैट तकनीकी
  4.4.3.09. पेन ड्राइव
  4.4.3.10. एनीमेशन
  4.4.3.11. फ्रिक्वेंसीज़
4.4.4. नव-जनमाध्यम आधारित हिन्दी पत्रकारिता के विविध स्वरूप
  4.4.4.1. ऑन-लाइन पत्रकारिता
  4.4.4.2. हिन्दी ब्लॉग
  4.4.4.3. हिन्दी ई-पत्र-पत्रिकाएँ
    4.4.4.3.01. नयी दुनिया
    4.4.4.3.02. वेब दुनिया
    4.4.4.3.03. दैनिक जागरण
    4.4.4.3.04. नवभारत टाइम्स
    4.4.4.3.05. हिन्दुस्तान
    4.4.4.3.06. अमर उजाला
    4.4.4.3.07. हिन्दी मिलाप
    4.4.4.3.08. दैनिक भास्कर
    4.4.4.3.09. राजस्थान पत्रिका
    4.4.4.3.10. कल्याण

4.4.4.3.11. सरस सलिल
4.4.4.3.12. प्रतियोगिता दर्पण
4.4.4.4. हिन्दी ई-पोर्टल
4.4.4.5. हिन्दी वेबसाइट्स
4.4.4.6. हिन्दी विकिपीडिया
4.4.5. नव-जनमाध्यम और हिन्दी पत्रकारिता : चुनौतियाँ एवं समाधान
4.4.6. पाठ-सार
4.4.7. शब्दावली
4.4.8. बोध प्रश्न
4.4.9. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

4.4.0. उद्देश्य कथन

संचार भाषा जनसंचार माध्यमों की सबसे बड़ी ताकत है। जनमाध्यमों द्वारा प्रसारित भाषा में लक्ष्यीभूत श्रोता, दर्शक, पाठक अलग-अलग प्रकृति एवं स्वभाव के होते हैं। जनमाध्यमों का यह प्रयास होता है कि वे भाषिक सम्प्रेषण को सर्वसुलभ बनाएँ। इसके लिए एक-एक शब्द को बड़ी सावधानी के साथ प्रयुक्त करना होता है। साथ ही आज कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल आदि तकनीकी से लैस आधुनिक संचार प्रणाली ने पूरी दुनिया को एक गाँव में तब्दील कर दिया है। प्रस्तुत इकाई 'नव-जनमाध्यम और हिन्दी पत्रकारिता' आधुनिक संचार तकनीकी और हिन्दी पत्रकारिता के विविध आयामों पर केन्द्रित है। प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. नव जनमाध्यमों का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
ii. नव जनमाध्यमों की तकनीकी को जान सकेंगे।
iii. नव-जनमाध्यम-आधारित हिन्दी पत्रकारिता के विविध स्वरूपों की व्याख्या कर सकेंगे।
iv. नव-जनमाध्यम और हिन्दी पत्रकारिता की विभिन्न चुनौतियों को समझ सकेंगे।

4.4.1. प्रस्तावना

विगत दशकों में जनसंचार के लिए विविध नव जनमाध्यमों का विकास हुआ है। यह वैज्ञानिक युग की आवश्यकताओं और आधुनिक तकनीकी विकास का सुपरिणाम है। यह संचार की पुरानी तकनीकों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। इसका प्रभाव क्षेत्र भी कई गुना अधिक विस्तृत है। आधुनिक संचार तकनीकी का मूल आधार है कंप्यूटर। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के कोने-कोने में फैला हुआ है। भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, वैश्विक गाँव, सूचना क्रान्ति, शिखर राष्ट्र-समूहों का मीडिया साम्राज्यवाद आदि कई आयाम हाल ही में विकसित हुए हैं। भारत ने भी नव-जनमाध्यमों की दिशा में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार वर्तमान बहुसंचारी व्यवस्था के इस दौर में सामाजिक सरोकारों के निर्वाह का सारा दारोमदार हिन्दी पत्रकारिता पर आ पड़ा है। वैसे अब तक अंग्रेजी मानसिकतावश इसकी गति मन्द थी। वर्तमान समय में

जनमाध्यम के नवीन रूप नव-मीडिया को लोकप्रियता के शिखर पर देखा जा रहा है। इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग ने नव-जनमाध्यम को नयी ऊँचाइयाँ प्रदान की हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर इंटरनेट की पीठ पर सवार होकर यू-ट्यूब, ब्लॉग, फेसबुक, न्यूज पोर्टल, ट्विटर सरीखे सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। कंप्यूटर को आधुनिक संचार प्रणाली की आत्मा कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा दूरसंचार, उपग्रह संचार, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ एवं शिक्षा के क्षेत्र में नयी क्रान्ति आई है। टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स प्रणालियों में कंप्यूटर का उपयोग आज आम बात हो गई है।

वस्तुतः साइबर सोसायटी के साथ वैश्वीकरण ने समाज को टैक्नोक्रैटिक समाज में परिवर्तित कर दिया है। कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया थिंक टैंक के रूप में उभरकर सामने आ रहा है। ये मशीनें हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बन चुकी हैं। ई-प्रशासन व्यवस्था में कंप्यूटर बहुआयामी साधन बन चुका है। आज मानव समाज के सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर इंटरनेट तकनीकी ने अपना प्रभुत्व सिद्ध किया है। हिन्दी पत्रकारिता भी मीडिया के इस नवीन तकनीकी से अछूता नहीं है। नव-जनमाध्यम ने हिन्दी पत्रकारिता की दशा और दिशा को बहुत गहराई से प्रभावित किया है।

4.4.2. नव-जनमाध्यम : सामान्य परिचय

इक्कीसवीं शताब्दी सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। कलमविहीन पत्रकारिता के इस युग में इंटरनेट पत्रकारिता ने एक नए युग का सूत्रपात किया है। वेब पत्रकारिता को हम इंटरनेट पत्रकारिता, ऑन-लाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता आदि नाम से जानते हैं। यह कंप्यूटर और इंटरनेट द्वारा संचालित एक ऐसी पत्रकारिता है जिसकी पहुँच किसी एक पाठक, एक गाँव, एक प्रखण्ड, एक प्रदेश, एक देश तक नहीं अपितु समूचे विश्व तक है और जो डिजिटल तरंगों के माध्यम से प्रदर्शित होती है।

प्रिंट मीडिया से यह इस रूप में भी भिन्न है कि इसके पाठकों की संख्या को परिसीमित नहीं किया जा सकता है। इसकी उपलब्धता भी सार्वत्रिक है। इसके लिए मात्र इंटरनेट और कंप्यूटर, लैपटॉप, पॉमटॉप या मोबाइल की ज़रूरत होती है। इंटरनेट, वेब मीडिया की सर्वव्यापकता को भी चरितार्थ करती है जिसमें खबरें दिन के चौबीसों घण्टे और हफ्ते के सातों दिन उपलब्ध रहती हैं। वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी खासियत है उसका वेब यानी तरंगों पर आधारित होना। इसमें उपलब्ध किसी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिका को सुरक्षित रखने के लिए किसी आलमीरा या लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं होती।

समाचार पत्रों और टेलीविजन की तुलना में इंटरनेट पत्रकारिता की उम्र बहुत कम है लेकिन उसका विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। उल्लेखनीय है कि भारत में इंटरनेट की सुविधा 1990 के मध्य में मिलने लगी। इस विधा में कुछ समय पहले तक अंग्रेजी का एकाधिकार था लेकिन विगत दशकों में हिन्दी ने भी अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज की है। इंदौर से प्रकाशित समाचार पत्र 'नई दुनिया' ने हिन्दी का पहला वेब पोर्टल 'वेब दुनिया' के नाम से शुरू किया। अब तो लगभग सभी समाचार पत्रों का इंटरनेट संस्करण उपलब्ध है। चेन्नई का 'द हिन्दू'

पहला ऐसा भारतीय अख़बार है जिसने अपना इंटरनेट संस्करण वर्ष 1995 ई. में शुरू किया। इसके तीन साल के भीतर यानी वर्ष 1998 ई. तक लगभग 48 समाचार पत्र ऑन-लाइन हो चुके थे। ये समाचार पत्र केवल अंग्रेजी में ही नहीं अपितु हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाओं जैसे मलयालम, तमिल, मराठी, गुजराती आदि में थे। आकाशवाणी ने 02 मई 1996 'ऑन-लाइन सूचना सेवा' का अपना प्रायोगिक संस्करण इंटरनेट पर उतारा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2006 ई. के अन्त तक देश के लगभग सभी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों एवं टेलीविजन चैनलों के पास अपना इंटरनेट संस्करण भी है जिसके माध्यम से वे पाठकों को ऑन-लाइन समाचार उपलब्ध करा रहे हैं।

4.4.3. जनमाध्यम की तकनीक

नव-जनमाध्यम आधुनिक वैज्ञानिक युग की आवश्यकताओं और आधुनिक तकनीकी विकास का सुपरिणाम है। यह संचार की पुरानी तकनीकों से कहीं अधिक प्रभावशाली है। इसका प्रभाव क्षेत्र भी कई गुना अधिक विस्तृत है। इक्कीसवीं सदी संचार क्रान्ति की शताब्दी है। इंटरनेट के माध्यम से कई नयी तकनीकें विकसित हो गई हैं। इन्फॉरमेशन सुपर हाइवे, ब्राउजर, इंटरनेट सर्वर, वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइटस्, डेटा बेस आदि से युक्त नव-मीडिया की तकनीकी विविधताओं के सन्दर्भ में टच टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ तकनीकी, वैप तकनीकी, नीयर फिल्ड कम्यूनिकेशन तकनीक (एन.एफ.सी. तकनीकी), रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेम वर्क (आर.डी.एफ.), वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकाल, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज (जी.पी.आर.एस.) तकनीकी, वी सैट तकनीक, पेन ड्राइव, एनीमेशन, उपग्रह संचार आदि तकनीकी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

4.4.3.01. टच टेक्नोलॉजी

टच टेक्नोलॉजी का आविष्कार एक करिश्माई घटना है। इसके द्वारा कलाई में बँधी घड़ी में फोन तथा सूचना केन्द्र की व्यवस्था कर दी जाती है जिससे पूरे शरीर में स्वतः प्रेरित संचार होने लगता है। दाहिने हाथ की उँगली कान में रखते ही समाचार सुनाई देने लगते हैं। इस तकनीकी के पूर्णतः लागू हो जाने पर सारे बाह्य यन्त्र निरर्थक हो जाएँगे। मोबाइल एवं रेलवे आरक्षण की जानकारी हेतु इसका प्रयोग किया जाने लगा है। भविष्य में इस तकनीकी का और अधिक व्यापक प्रचलन होने की संभावना है।

4.4.3.02. ब्लू टूथ तकनीकी

ब्लू टूथ तकनीकी के अन्तर्गत दो उपकरणों को परस्पर जोड़ा जाता है; जैसे मोबाइल को कंप्यूटर से। प्रायः सौ किलोमीटर क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉनिक सूत्र इस प्रणाली द्वारा कंप्यूटर से स्वतः सम्बद्ध हो जाते हैं और रेडियो तरंगों द्वारा अपना संचार कर लेते हैं।

4.4.3.03. वैप तकनीक

वैप तकनीक ऐसी तकनीकी है जिसका प्रयोग मोबाइल, पेजर, स्मार्ट फोन और रेडियो को सीधे इंटरनेट से जोड़ देता है। यह तकनीकी CDDGSMCDMA के साथ कार्य कर सकती है। इस सॉफ्टवेयर को माइक्रो ब्राउजर कहते हैं।

4.4.3.04. एन.एफ.सी. तकनीक

एन.एफ.सी. तकनीक में भी दो उपकरणों को जोड़ने के लिए वायर की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें आपस में मेल कराने के लिए केवल स्पर्श कराना पड़ता है। इनके द्वारा फाइल तथा आँकड़ों का अन्तरण किया जा सकता है।

4.4.3.05. आर.डी.एफ. तकनीकी

आर.डी.एफ. तकनीकी किसी वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं की जानकारी देती है। इससे वेबसाइट के साइट मैप, वेबसाइट परिवर्तन की तिथियाँ, सर्च इंजन द्वारा खोजे गए शब्द और वेब पेज की सूचनाओं का विवरण प्राप्त होता है।

4.4.3.06. वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल

वायस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका प्रयोग इंटरनेट टेलीफोन के लिए होता है। ये सस्ते पड़ते हैं। यदि हमारे पास साउंड कार्ड, स्पीकर इंटरनेट कनेक्शन और माइक्रोफोन हैं तो स्काई को डाउनलोड करके हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं।

4.4.3.07. जी.पी.आर.एस. तकनीकी

जी.पी.आर.एस. तकनीकी में सेलफोन है जो हर समय नेट से जुड़ा रहता है। इससे ई-मेल की तुरन्त जानकारी से दूर रहकर भी हम अपने संचार यन्त्रों को चला सकते हैं।

4.4.3.08. वी सैट तकनीकी

वी सैट तकनीकी को छतरी वाली तकनीकी भी कहा जा सकता है। यह सूचना का एक आकाश निर्मित करती है। अब तक गूगल पर जो समाचार मिलते हैं, उसमें यह कई गुना वृद्धि कर देती है।

4.4.3.09. पेन ड्राइव

पेन ड्राइव को थम्ब, फ्लैश या रिमूवल डिस्क भी कहते हैं। कलम के आकार की इस डिवाइस को जेब में रखा जा सकता है।

4.4.3.10. एनीमेशन

एनीमेशन फिल्मांकन की नयी पद्धति है जिसमें चित्रकारी के माध्यम से ही ऐक्शन फिल्म का सारा कार्य सम्पन्न कराया जाता है। एनीमेशन द्वारा सेट बनाए बिना एक-से-एक भीषण, भयानक, विराट् दृश्य रूपायित किए जा सकते हैं। जैसे – प्रलय का घटित होना, ग्रहों-उपग्रहों का टूट-टूट कर अलग हो जाना, ज्वालामुखी का विस्फोट आदि। इससे पहले एक ढाँचा तैयार किया जाता है, फिर कुछ स्थूल आकृतियाँ बनाई जाती हैं। उसके उपरान्त तस्वीरों को ग्रिड से जोड़ दिया जाता है। शूटिंग के पहले हर ऐक्शन उसकी पृष्ठभूमि और उसके प्रभाव का मापन करके उसको सॉफ्टवेयर के साथ समायोजित किया जाता है। अभी तक यह तकनीक समयसाध्य और व्ययसाध्य अधिक है लेकिन इसने हर प्रकार की शूटिंग को सम्भव बना दिया है। इसके माध्यम से पूरे ब्रह्माण्ड का ज्ञान दर्शकों को सरलता से दिया जा सकता है। ध्यातव्य है कि वीडियो कला में अब तक ऐसे दृश्यों को दर्शाने के लिए कार्टून फ़िल्म, टेली ड्रामा आदि का उपयोग किया जाता रहा है। अब उनकी स्थानपूर्ति इस तकनीकी ने कर ली है।

4.4.3.11. फ्रिक्वेंसीज़

उपग्रह संचार की बदौलत विज्ञान ने पूरे विश्व में संचार का जाल बिछा दिया है। यह सिद्ध हो गया है कि यदि पृथ्वी से 35779 कि.मी. की ऊँचाई पर एक उपग्रह 3.074 कि.मी. की प्रति सेकेण्ड की गति से पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाए तो उपग्रह और पृथ्वी स्थिर हो जाएँगे और एक-दूसरे को पूर्णतः परिलक्षित करा देंगे। उल्लेखनीय है कि संचार के लिए फ्रिक्वेंसीज़ की आवश्यकता होती है। फ्रिक्वेंसीज़ को बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है जब आकाश में छोड़ी जाने वाली फ्रिक्वेंसीज़ वायुमण्डल से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर नहीं आती है अपितु ओजोनफेयर को क्रॉस करती हुई ब्रह्माण्ड में चली जाती हैं। यदि एक उपग्रह पृथ्वी के साथ स्थिर अवस्था में हो जाता है तो वह इन फ्रिक्वेंसीज़ को ग्रहण करके पृथ्वी पर भेज सकता है। कहना सही होगा कि आज पूरे विश्व में संचार के लिए नव-जनमाध्यम के रूप में फ्रिक्वेंसीज़ का उपयोग होने लगा है और इस उपग्रह तकनीकी द्वारा उपग्रह संचार के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रान्ति हो गई है।

4.4.4. नव-जनमाध्यम आधारित हिन्दी पत्रकारिता के विविध स्वरूप

सूचना प्रौद्योगिकी के समकालीन परिवेश में भाषा प्रौद्योगिकी ने अपना एक वजूद धारण कर लिया है और इसने हिन्दी पत्रकारिता के स्वरूप को भी अत्यन्त गहराई से प्रभावित किया है। संचार भाषा के तौर पर इस दिशा में हिन्दी ने भी यथेष्ट प्रगति की है। भारत में कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट में हिन्दी का अनुप्रयोग दिनोंदिन

बढ़ता जा रहा है । इस सन्दर्भ में संचार उपग्रहों की सबसे बड़ी शृंखला है । उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 'सी-डेक' के माध्यम से जो सुपर कंप्यूटर तैयार किया है, वह जापान के बाद सबसे शक्तिशाली और सस्ता कंप्यूटर माना जाता है । उदाहरण के लिए सी-डेक ने भाषा के कई कार्यक्रम बनाए हैं जिनमें जिस्ट 'मंत्र' तथा 'परम' सबसे महत्त्वपूर्ण हैं । सबसे पहले यहाँ एस.डी. के सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ । उसके बाद विंडोज़ 95 में 'इंडियन स्क्रिप्ट कोड फार इंटरनेशनल इंटरचेंज' पद्धति द्वारा भारतीय लिपियों के पाठ का भण्डारण किया गया है । साथ ही उनके परिसंचार के लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं और इस पद्धति से लिप्यान्तरण और डेटा अन्तरण की उच्च एक्टिव तकनीकी को बढ़ावा मिला है ।

हिन्दी संचार और पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुभाषा समाचार कक्ष प्रकरण की खोज करने, विगत प्रसंगों का संकलन करने, उनके अनुसार स्टोरी बनाने और शीर्षकीकरण करने में काफी सफलता मिली है । इसके चार मॉड्यूल टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो की दिशा में प्रयासरत हैं । ऑन-लाइन पत्रकारिता, हिन्दी ब्लॉग, हिन्दी ई-पत्र-पत्रिकाएँ, हिन्दी ई-पोर्टल, हिन्दी वेबसाइट्स, हिन्दी विकिपीडिया आदि के रूप में नव-जनमाध्यम आधारित हिन्दी पत्रकारिता के विविध स्वरूपों को समझा जा सकता है ।

4.4.4.1. ऑन-लाइन पत्रकारिता

ऑन-लाइन पत्रकारिता में मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है जिसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि, संगीत, गतिमान वीडियो, थ्री-डी एनीमेशन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन टेलीकास्टिंग आदि प्रमुख है । इसके साथ ही इसमें सभी जनमाध्यमों के मुकाबले पाठकीय प्रतिक्रिया (Feedback) भी तेजी से मिलती है । नव-जनमाध्यम में प्रस्तुतीकरण एवं प्रतिक्रियात्मक गतिविधि आदि सब कुछ ऑन-लाइन होता है । उदाहरण के तौर पर प्रिंट मीडिया एक माध्यम और एक समय में सम्पूर्ण सन्दर्भ पाठकों को उपलब्ध नहीं करा सकता लेकिन नव-जनमाध्यम में वह भी सम्भव है, मात्र एक हाइपर लिंक के द्वारा ।

मल्टीमीडिया के इस युग में हिन्दी ने मुद्रित समाचार पत्रों की भाषा के स्तर से और ऊपर उठकर स्वयं को रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के उपयुक्त ढाल लिया है । उसमें मीडिया लेखन यानी कि पटकथा, फ़ीचर, वार्ता, रिपोर्ताज, संवाद, समीक्षा, समाचार लेखन, प्रचार, साहित्य सृजन आदि इन दिनों सफलता के शिखर पर हैं । वाचिक या उच्चरित भाषा के रूप में हिन्दी ने डबिंग, रूपान्तरण, कमेंट्री , कंपेयरिंग, उद्घोष और वाचन कला में सफलता अर्जित की है ।

4.4.4.2. हिन्दी ब्लॉग

ब्लॉग 'वेब-लॉग' का संक्षिप्त रूप है जो अमेरिका में वर्ष 1997 के दौरान नव-मीडिया में प्रचलित हुआ । वर्ष 1999 ई. में पीटर मरहोल्ज ने ब्लॉग शब्द का उपयोग अपनी निजी वेबसाइट पर किया । वैसे तो शुरू-शुरू में कुछ ऑन-लाइन जर्नल्स के ब्लॉग प्रकाशित किए गए थे जिसमें इंटरनेट के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकाशित समाचार, जानकारी इत्यादि लिंक होते थे तथा ब्लॉग लिखने वालों की संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी उनमें होती थीं । इन्हें ही ब्लॉग

कहा जाने लगा तथा ब्लॉग लिखने वालों को 'ब्लॉगर' कहा जाने लगा। प्रायः एक ही विषय से सम्बन्धित आँकड़ों और सूचनाओं का यह संकलन ब्लॉग के रूप में तेजी से लोकप्रिय होता गया।

ब्लॉग लिखने वालों के लिए प्रारम्भिक दिनों में कंप्यूटर तकनीकी के कुछ विषय जैसे कि एच.टी.एम.एल. भाषा का जानकार होना आवश्यक था लेकिन इस विधा में सम्भावनाओं को देखते हुए ब्लॉग लिखने और उसको प्रकाशित करने के लिए कुछ वेबसाइटों ने मुफ्त और अत्यन्त आसान उपकरण उपलब्ध कराए जिसके चलते अब ब्लॉग लिखने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं का ज्ञान आवश्यक नहीं होता है।

वर्तमान समय में ब्लॉग विश्व की हर भाषा में लगभग हर विषय में लिखे जाने लगे हैं। हालाँकि, ब्लॉग विधा को विश्व के आम लोगों में भारी लोकप्रियता तब मिली जब अफगानिस्तान पर अमेरिका हमले के दौरान एक अमेरिकी सैनिक ने अपने नित्य-प्रतिदिन के युद्ध अनुभव का ब्लॉक पर नियमित प्रकाशन किया।

नव-मीडिया में हिन्दी ब्लॉग लेखन की परम्परा काफी समृद्ध है। विषयों की विविधता हिन्दी ब्लॉग की खासियत है। देश-विदेश की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी के साथ-साथ राजनयिक हलचलों को भी हिन्दी ब्लॉग में पढ़ा जा सकता है। आजकल, भड़ास फॉर मीडिया, मोहल्ला लाइव, चौपाल आदि हिन्दी के लोकप्रिय ब्लॉग हैं।

4.4.4.3. हिन्दी ई-पत्र-पत्रिकाएँ

नव-जनमाध्यम की बदौलत हमारा भूमण्डल एक ऐसे गाँव के रूप में तब्दील हो गया है जहाँ परस्पर जुड़कर हम अपनी-अपनी बातों को बहुत आसानी से देख, सुन या कह सकते हैं। हिन्दी पत्रकारिता के विस्तार एवं विकास में नव-जनमाध्यमों की भूमिका काफी उल्लेखनीय है। आज लगभग सभी हिन्दी समाचार पत्र-पत्रिकाएँ ऑन-लाइन उपलब्ध हैं। इनमें कुछ महत्त्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाएँ निम्नलिखित हैं –

4.4.4.3.01. नयी दुनिया

यह समाचार पत्र इंदौर से पहली बार प्रकाशित किया गया। आज मध्य प्रान्त का यह लोकप्रिय हिन्दी दैनिक है।

4.4.4.3.02. वेब दुनिया

इंटरनेट पर पहुँचने वाला यह पहला हिन्दी समाचार पत्र है। इस पर भारत एवं विश्व के प्रायः सभी विषय उपलब्ध हैं। भारत ही नहीं विदेशों में भी यह अत्यन्त लोकप्रिय है।

4.4.4.3.03. दैनिक जागरण

यह उत्तर भारत का प्रमुख समाचार पत्र है।

4.4.4.3.04. नवभारत टाइम्स

यह टाइम्स ऑफ इंडिया का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक है।

4.4.4.3.05. हिन्दुस्तान

यह समाचार पत्र हिन्दुस्तान टाइम्स का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक है। देश के कई बड़े शहरों से इसके संस्करण सफलतापूर्वक निकल रहे हैं।

4.4.4.3.06. अमर उजाला

यह समाचार पत्र पश्चिमी उत्तरप्रदेश के कई नगरों में सर्वाधिक प्रचलित है।

4.4.4.3.07. हिन्दी मिलाप

यह समाचार पत्र हैदराबाद से प्रकाशित होता है।

4.4.4.3.08. दैनिक भास्कर

यह हिन्दी का एक लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र है जो उत्तर-पश्चिम भारत में अत्यधिक प्रचलित है।

4.4.4.3.09. राजस्थान पत्रिका

यह दैनिक समाचार पत्र जयपुर से प्रकाशित होता है। इधर इसके कई संस्करण देश के बड़े नगरों से प्रकाशित हो रहे हैं।

4.4.4.3.10. कल्याण

यह धर्म तथा साहित्य से परिपूर्ण पत्रिका है। भारतीय संस्कृति और संस्कारों पर आधारित यह पत्रिका मूलतः उपदेशपरक है।

4.4.4.3.11. सरस सलिल

मनोरंजनपरक कहानियों से युक्त यह पत्रिका काफी लोकप्रिय है।

4.4.4.3.12. प्रतियोगिता दर्पण

यह प्रतियोगी परीक्षाओं पर केन्द्रित अत्यन्त लोकप्रिय मासिक पत्रिका है। हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में यह पत्रिका उपलब्ध है।

उपर्युक्त पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त विदेशों में भी हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। चूँकि, भारतीय विश्व के प्रत्येक कोने में बसे हुए हैं इसलिए उन्हीं को ध्यान में रखकर कुछ विशिष्ट पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध हैं। विदेशों में प्रकाशित होने वाली हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में प्रमुख हैं – (i) सौरभ, (ii) विश्व विवेक, (iii) विश्वा, (iv) पुरवाई तथा (v) बसन्त। इनमें 'विश्वा' पत्रिका का प्रकाशन अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एसोसिएशन, अमेरिका के द्वारा होता है जबकि 'पुरवाई' यह ब्रिटेन की लोकप्रिय पत्रिका है तथा 'बसन्त' मॉरिशस से प्रकाशित यह एक प्रसिद्ध प्राचीन पत्र है।

4.4.4.4. हिन्दी ई-पोर्टल

वर्तमान भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण और बाजारीकरण के दौर में हिन्दी ई-पोर्टल काफी महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित हो रहे हैं। विभिन्न विषयों पर आधारित हिन्दी ई-पोर्टल आज काफी लोकप्रिय हैं। बतौर सोशल मीडिया अन्तर्वस्तु न्यूज पोर्टल, बिजनेस पोर्टल, साइंस पोर्टल, स्पोर्ट्स पोर्टल, एंटरटेनमेंट पोर्टल आदि पोर्टल के रूप में नव-जनमाध्यम ने समकालीन हिन्दी पत्रकारिता को मजबूत वैश्विक आधार प्रदान किया है। इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में हिन्दी पत्रकारिता ने मीडिया जगत् में यथेष्ट प्रगति की है।

4.4.4.5. हिन्दी वेबसाइट्स

वर्तमान समय में मीडिया के नवीन रूप को विभिन्न हिन्दी वेबसाइट्स की लोकप्रियता के रूप में देखा जा सकता है। निस्सन्देह इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग ने हिन्दी पत्रकारिता को नयी ऊँचाइयाँ प्रदान की है। आज हिन्दी साहित्य से लेकर लगभग सभी पत्र-पत्रिकाएँ वेब दुनिया पर उपलब्ध हैं। कहना गलत न होगा कि साइबर सोसायटी के साथ हिन्दी पत्रकारिता ने आधुनिक हिन्दी समाज को टेक्नोक्रैटिक समाज में परिवर्तित कर दिया है और इसके माध्यम से भारतीय समाज में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। इस सन्दर्भ में हिन्दी नेस्ट डॉट कॉम, अनुभूति, कार्यालय, सार-संसार डॉट कॉम, अभिव्यक्ति, वागर्थ, सरस्वती, भारत-दर्शन, वेदान्त जीवन, शब्दकोष आदि अनेक हिन्दी वेबसाइट्स उल्लेखनीय हैं।

4.4.4.6. हिन्दी विकिपीडिया

नव-जनमाध्यम के रूप में हिन्दी विकिपीडिया जुलाई 2003 में उपलब्ध हुआ और आज यह विश्व की प्रायः समस्त भाषाओं के लिए उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि विकिपीडिया इंटरनेट आधारित मुक्त विश्व कोष है जिसे जी.एन.यू. सॉफ्टवेयर लाइसेंस के अन्तर्गत जारी किया गया है। वैसे तो जनवरी, 2001 में इसकी पहली

सामग्री अंग्रेजी में लिखी गई और इसकी संरचना प्रामाणिक, उपयोगी, परिवर्तनशील तथा पुनर्वितरण के लिए मुक्त तथा बहुभाषी होने के कारण बहुत तेजी से लोकप्रिय होती चली गई। वर्तमान समय में सामग्री अनुक्रमों के आधार पर हिन्दी विकिपीडिया की उपयोगिता एवं पठनीयता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

4.4.5. नव-जनमाध्यम और हिन्दी पत्रकारिता : चुनौतियाँ एवं समाधान

आधुनिक संचार भाषा नव-जनमाध्यमम की सबसे बड़ी शक्ति है। इस आलोक में नव-मीडिया द्वारा प्रसारित हिन्दी भाषा में लक्ष्यीभूत श्रोता, दर्शक, पाठक समूह विभिन्न बौद्धिक स्तरों के होते हैं। आधुनिक जनसंचार के संसाधन दुनिया की आधी आबादी की पहुँच से बाहर है। अकेले भारत में ही जहाँ लगभग 40 प्रतिशत लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, वे सब सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन आदि से वंचित हो जाते हैं। वस्तुतः आज हम सूचना समाज और सूचना विस्फोट की बात करते हैं लेकिन सूचना में जो वृद्धि हो रही है, उसका वितरण और विनिमय असंतुलित और विषमतापूर्ण है क्योंकि सूचना-प्रवाह जैसे-जैसे गाँवों की ओर बढ़ता है, कम होता जाता है इसलिए इसकी ज़रूरत जहाँ सबसे अधिक है वहाँ इसकी उपलब्धि उतनी ही कम है। साथ ही यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि साइबर अपराध से आवृत्त समकालीन वैश्विक समाज में संतुलित व जनसरोकार की विश्वसनीयता नव-जनमाध्यम आधारित हिन्दी पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि सोशल मीडिया के रूप में नव जनमाध्यम आधारित हिन्दी पत्रकारिता का यह प्रयास होता है कि वे भाषिक सम्प्रेषण को सर्वसुलभ बनाएँ। इसके लिए एक-एक शब्द को बड़ी सावधानी के साथ प्रयुक्त करना होता है। यह ध्यान रखने की महती आवश्यकता है कि उच्चरित भाषा में कितना अन्तराल, कितना आयतन, कितना आरोह-अवरोह और कितना यति-गति-विधान रखा जाए। मल्टी मीडिया के इस युग में हिन्दी ने मुद्रित समाचार पत्रों की भाषा के स्तर से और ऊपर उठकर स्वयं को रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के उपयुक्त ढाल दिया है। नव जनमाध्यमों की बदौलत विगत दशकों में संचारभाषा के रूप में हिन्दी ने अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया है। वैश्विक पटल पर आज हिन्दी लगभग 137 देशों में पहुँच गई है।

4.4.6. पाठ-सार

वर्तमान समय में नव-जनमाध्यमों की मौजूदगी, उनकी ज़रूरत और पहुँच निर्विवाद सत्य है। इंटरनेट, डिजिटल प्रणाली और कृत्रिम उपग्रह प्रणाली आधारित नव-मीडिया ने संचार और हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन प्रस्तुत किया है। चूँकि, आलोचक नव जनसंचार माध्यम की तुलना प्रायः दोधारी तलवार से करते हैं इसलिए इसका उपयोग जहाँ एक ओर सामाजिक-आर्थिक विकास को गति प्रदान करने, स्वतन्त्रता और गणतन्त्र के क्षितिजों को विस्तार देने और अन्तर्राष्ट्रीय मेल-मिलाप एवं सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में किया जा सकता है वहीं दूसरी ओर दमन, अविश्वास और घृणात्मक प्रचार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर भी समकालीन भारतीय समाज में तीव्र सूचना संग्रह, सूचना विश्लेषण, सामाजिक ज्ञान व मूल्यों का सम्प्रेषण तथा मनोरंजन आदि के आलोक में नव-जनमाध्यम आधारित हिन्दी पत्रकारिता के सकारात्मक पक्षों की उपेक्षा

नहीं की जा सकती है। निस्सन्देह, इंटरनेट तकनीकी ने हमारे काम करने के ढंग पर काफी प्रभाव डाला है। आज हम एक-दूसरे से सम्पर्क स्थापित कर देश व देशान्तर की घटनाओं का सजीव चित्रण देख सकते हैं।

4.4.7. शब्दावली

ब्राउजर	:	इसकी सहायता से किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को खोजा और देखा जा सकता है।
वेबसाइट	:	वेब का प्रयोग करने वाली इकाई को एक निश्चित पता आबंटित किया जाता है।
वर्ल्ड वाइड वेब	:	इस विश्वव्यापी तकनीकी की सहायता से इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को कम्युनिकेट किया जा सकता है।
इंटरनेट सर्वर	:	यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का संचयन करता है।

4.4.8. बोध प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. कंप्यूटर और नए आधुनिक संसाधनों से उत्पन्न मीडिया है –

(क) प्रकाशित मीडिया

(ख) खेल मीडिया

(ग) नव-मीडिया

(घ) उपर्युक्त सभी

2. मल्टीमीडिया के उपकरण हैं –

(क) मीडिया कंट्रोल डिवाइस

(ख) मिक्सर डिवाइस

(ग) लाइनपुट डिवाइस

(घ) उपर्युक्त सभी

3. 'ब्लॉग' शब्द का प्रयोग कब हुआ?

(क) 1996 ई. में

(ख) 1997 ई. में

(ग) 1998 ई. में

(घ) 1999 ई. में

4. 'हिन्दी विकिपीडिया' उपलब्ध हुआ –

(क) जुलाई 2003 में

(ख) अगस्त 2004 में

(ग) सितंबर 2003 में

(घ) अक्टूबर 2007 में

5. नव-मीडिया है –

(क) ब्लॉग

(ख) फेसबुक

(ग) विकिपीडिया

(घ) उपर्युक्त सभी

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. नव-जनमाध्यम से आप क्या समझते हैं ?
2. हिन्दी के लोकप्रिय ब्लॉग्स का उल्लेख कीजिए।
3. ऑन-लाइन पत्रकारिता की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए।
4. 'हिन्दी विकिपीडिया' क्या है ?
5. लोकप्रिय हिन्दी ई-पत्र-पत्रिकाओं का उल्लेख कीजिए।
6. नव-जनमाध्यमों में लोकप्रिय हिन्दी पत्रकारिता के विविध स्वरूपों का उल्लेख कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. "नव-जनमाध्यम के रूप में हिन्दी पत्रकारिता ने लोगों को वह सामर्थ्य दी है कि वे खुद अपने लिए बोलें।" प्रमाण सहित उक्त कथन की पुष्टि कीजिए।
2. "नव-मीडिया ने सूचना और विषय-वस्तु के साथ एक सर्जनात्मक सम्बन्ध की दिशा दिखाई है।" उक्त कथन की सारगर्भित विवेचना कीजिए।

4.4.9. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

1. कुमार सुरेश, इंटरनेट पत्रकारिता, तक्षशिला प्रकाशन, नयी दिल्ली
2. चतुर्वेदी, जगदीश्वर, हाइपरटेक्ट्स वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नयी दिल्ली
3. नाथ श्याम, असेसिंग द स्टेट ऑफ वेब जर्नलिज्म, आर्थर प्रेस, दिल्ली
4. कुमार, केवल जे., मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, जैको पब्लिकेशंस, नयी दिल्ली

खण्ड – 5 : हिन्दी पत्रकारिता के गौरव और उनका अवदान

इकाई – 1 : भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, मदनमोहन मालवीय, महावीरप्रसाद द्विवेदी, युगल किशोर सुकुल, बालमुकुन्द गुप्त

इकाई की रूपरेखा

5.1.0. उद्देश्य कथन
5.1.1. प्रस्तावना
5.1.2. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
- 5.1.2.1. परिचय
- 5.1.2.2. पत्रकारिता
  - 5.1.2.2.1. राष्ट्रीय चेतना
  - 5.1.2.2.2. सामाजिक चेतना
  - 5.1.2.2.3. भाषाई चेतना
  - 5.1.2.2.4. सांस्कृतिक चेतना

5.1.3. मदनमोहन मालवीय
- 5.1.3.1. परिचय
- 5.1.3.2. पत्रकारिता
  - 5.1.3.2.1. राष्ट्रीय चेतना
  - 5.1.3.2.2. सामाजिक चेतना
  - 5.1.3.2.3. भाषाई चेतना
  - 5.1.3.2.4. सांस्कृतिक चेतना

5.1.4. महावीरप्रसाद द्विवेदी
- 5.1.4.1. परिचय
- 5.1.4.2. पत्रकारिता
  - 5.1.4.2.1. राष्ट्रीय चेतना
  - 5.1.4.2.2. सामाजिक चेतना
  - 5.1.4.2.3. भाषाई चेतना
  - 5.1.4.2.4. सांस्कृतिक चेतना

5.1.5. युगल किशोर सुकुल
- 5.1.5.1. परिचय
- 5.1.5.2. पत्रकारिता
  - 5.1.5.2.1. राष्ट्रीय चेतना
  - 5.1.5.2.2. सामाजिक चेतना
  - 5.1.5.2.3. भाषाई चेतना
  - 5.1.5.2.4. सांस्कृतिक चेतना

5.1.6. बालमुकुन्द गुप्त
5.1.6.1. परिचय
5.1.6.2. पत्रकारिता
5.1.6.2.1. राष्ट्रीय चेतना
5.1.6.2.2. सामाजिक चेतना
5.1.6.2.3. भाषाई चेतना
5.1.6.2.4. सांस्कृतिक चेतना
5.1.7. पाठ-सार
5.1.8. बोध प्रश्न
5.1.9. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

5.1.0. उद्देश्य कथन

प्रस्तुत इकाई हिन्दी पत्रकारिता के उन महान् विभूतियों पर केन्द्रित है जिन्होंने यह बता दिया कि तलवार से ज्यादा ताकतवर कलम है। पराधीन भारत में जनजाग्रति के लिए कहीं दो पृष्ठ का अख़बार निकल रहा था तो कहीं हस्तलिखित अख़बार लोगों को जगा रहे थे। तत्युगीन हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, मदनमोहन मालवीय, आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, पण्डित युगल किशोर सुकुल, बालमुकुन्द गुप्त आदि ऐसे ही व्यक्तित्व हैं। प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की पत्रकारिता के विविध आयामों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
ii. हिन्दी पत्रकारिता के विकास में पण्डित मदनमोहन मालवीय के योगदान पर चर्चा कर सकेंगे।
iii. आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की पत्रकारिता के आलोक में हिन्दी पत्रकारिता के विकास एवं उत्कर्ष को समझ सकेंगे।
iv. पण्डित युगल किशोर सुकुल की पत्रकारीय परम्परा का विवेचन कर सकेंगे।
v. हिन्दी पत्रकारिता की गौरवशाली परम्परा के सन्दर्भ में बालमुकुन्द गुप्त के अवदान का उल्लेख कर सकेंगे।

5.1.1. प्रस्तावना

हिन्दी पत्रकारिता का विस्तार एवं विकास अभिभूत करने वाला है। भाषाई व स्वदेशी परम्परा के आलोक में हिन्दी पत्रकारिता भारत की राष्ट्रीयता की सबसे प्रभावशाली व्याख्या करती है। साथ ही यह भारत की विविधता और उसकी गहराई को दिखाती है। इस सन्दर्भ में हिन्दी के आरम्भिक पत्रकारों ने न केवल साहित्यिक रचनाओं में अपनी कलम की प्रखरता से हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विकास को ऊँचाइयाँ दी अपितु हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी विशिष्ट अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। ऐसे में उन तमाम पत्रकारों, विशेषकर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, मदनमोहन मालवीय, महावीरप्रसाद द्विवेदी, युगल किशोर सुकुल, बालमुकुन्द गुप्त आदि की पत्रकारीय परम्परा का विवेचन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो जाता है जिनकी रचनात्मक अभियोग्यता व ईमानदारी की बदौलत

हिन्दी पत्रकारिता सम्पूर्ण मानव-कल्याण तथा विकास के निहितार्थ 'आदर्श मूल्यों व प्रतिमानों' को स्थापित करते हुए अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करती है।

5.1.2. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

बाबू भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का अभूतपूर्व व्यक्तित्व विचारक, साहित्यकार, समाज-सुधारक एवं पत्रकार की मिली-जुली रेखाओं से बनता है। वे राजनीति, समाज, संस्कृति के विविध सन्दर्भों पर एक जागरूक, ईमानदार और संवेदनशील व्यक्ति की हैसियत से विचार करते हैं। यही वजह है कि भारतेन्दु की पत्रकारिता उनकी उदात्त चेतना एवं रचनाशीलता का महत्त्वपूर्ण आख्यान है।

5.1.2.1. परिचय

हिन्दी पत्रकारिता के गौरव बाबू भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जन्म 09 सितंबर 1850 को काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपालचन्द्र (गिरधरदास) है। भारतेन्दु की प्रारम्भिक शिक्षा वैसे घर पर ही शुरू हुई। उसके बाद घर के पास ही स्थित स्थानीय विद्यालय में उनका दाखिला हुआ। साथ-ही-साथ वे राजा शिवप्रसाद से भी शिक्षा ग्रहण करने लगे जो उस समय अपने राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारों के लिए प्रख्यात थे।

औपचारिक शिक्षा के ग्रहण करने के पश्चात् दस वर्ष की आयु में ही भारतेन्दु का नामांकन काशी के प्रसिद्ध 'क्वींस कॉलेज' में हो गया जहाँ वे संस्कृत और अंग्रेजी का गहन अध्ययन करने लगे। हालाँकि कालान्तर में अपनी माताजी के साथ पुरी आदि की यात्रा पर जाने के कारण भारतेन्दु की नियमित पढ़ाई का क्रम टूट गया। औपचारिक शिक्षा में निरन्तरता नहीं होने के बावजूद बाबू भारतेन्दु की वैचारिक प्रौढ़ता, रचनात्मक अभियोग्यता व कौशल के प्रमाण हमें उनकी पत्रकारिता व साहित्यिक रचनाओं में सर्वत्र पढ़ने को मिलता है। हिन्दी और अंग्रेजी के साथ-साथ उर्दू, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं पर भी भारतेन्दु का समान अधिकार था। उन्होंने मौलिक और अनुदित रचनाओं को मिलाकर कुल 175 पुस्तकों की रचना की।

5.1.2.2. पत्रकारिता

हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग के प्रवर्तक भारतेन्दु हिन्दी पत्रकारिता के भी आलोक-स्तम्भ हैं। सत्रह वर्ष की कम उम्र में ही उन्होंने 1867 ई. में ऐतिहासिक महत्त्व की मासिक पत्रिका 'कवि वचन सुधा' पत्रिका का प्रकाशन व सम्पादन किया। साथ ही उन्होंने 'हरिश्चन्द्र मैग्जीन' (काशी, मासिक, 15 अक्टूबर 1873 से 15 मई 1874), 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' (काशी, मासिक, जून 1874 -1880) और 'बालबोधिनी पत्रिका' (काशी, मासिक, 01 जवनरी,1874) का प्रकाशन तथा सम्पादन कर अनेक श्रेष्ठ पत्रकारों एवं पत्र-पत्रिकाओं को अभिप्रेरित किया। हिन्दी पत्रकारिता के विस्तार व विकास में बाबू भारतेन्दु के अवदान की चर्चा राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना, भाषाई चेतना तथा सांस्कृतिक चेतना के आलोक में किया जा सकता है।

5.1.2.2.1. राष्ट्रीय चेतना

बाबू भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपनी हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से दयानन्द सरस्वती की 'स्वराज्य' कल्पना को और आगे बढ़ाते हुए औपनिवेशिक स्वतन्त्रता की पुरजोर वकालत की थी। उन्होंने 'कवि वचन सुधा (16 फरवरी 1874)' में भारतवासियों को सचेत करते हुए लिखा – "हे देशवासियों ! इस निद्रा से चौंको। इनके (अंग्रेजों के) न्याय के भरोसे मत फूले रहो कि ये विद्या (अंग्रेजी शिक्षा) कुछ काम न आवेगी। यदि तुम हाथ के व्यापार सीखोगे तो तुम्हें कभी दैन्य न होगा नहीं तो अन्त में यहाँ का सब विलायत चला जाएगा और तुम मुँह बाये रह जाओगे।" वे अनेक बार भारतीय धन के विदेश निष्कासन के प्रति अपनी पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से चिन्ता व्यक्त कर चुके थे। अंग्रेजों द्वारा शोषण का सजीव चित्रण करते हुए उन्होंने 'कवि वचन सुधा' (05 जुलाई 1874) में इस तरह प्रहार किया – "बीस करोड़ भारतवर्षी को पचास हजार अंग्रेज शासन करते हैं। वे प्रायः शिक्षित और सभ्य हैं परन्तु इन्हीं लोगों के अत्याचार से भारतवर्षीगण दुखी हैं।" अपनी सजग राजनैतिक चेतना के फलस्वरूप भारतेन्दु विदेशी शासन के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनता में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता जगाने का निरन्तर प्रयास करते हैं।

5.1.2.2.2. सामाजिक चेतना

भारतेन्दु का व्यक्तित्व एक सच्चे समाज-सुधारक का था। जन-चेतना व सामाजिक सुधार के निहितार्थ उन्होंने अपनी हिन्दी पत्रकारिता में तत्युगीन भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों व रूढ़ियों का डटकर विरोध किया। तत्कालीन समाज में रूढ़िवादिता, अन्धविश्वास और धर्म के नाम पर फैले पाखण्ड का विरोध करने के लिए उन्होंने भावात्मक शैली में 'हम मूर्तिपूजक हैं', 'ईश्वर का वर्तमान होना' आदि जैसे धार्मिक निबन्धों की रचना की।

उनकी पत्रकारिता का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक कलुष प्रक्षालन और जातीय उन्नयन था। प्रख्यात आलोचक डॉ० रामविलास शर्मा के अनुसार – "भारतेन्दु शायद पहले लेखक हैं जिन्होंने 'जाति' शब्द का 'नैशनेलिटी' के अर्थ में प्रयोग किया है।" साथ-ही-साथ समाज-सुधार के आलोक में वे नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक हैं, विधवा विवाह को निरन्तर प्रोत्साहित करते हैं तथा बालविवाह की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से वे प्रायः सतीप्रथा, छूआछूत आदि जैसी सामाजिक कुरीतियों का प्रभावी निरूपण अपनी पत्र-पत्रिकाओं में बेहिचक करते हैं। उदाहरण के तौर पर महिलाओं के समग्र हितों की सुरक्षा व नारी-जागरण की दृष्टि से भारतेन्दु की 'बालबोधिनी पत्रिका' उल्लेखनीय है।

5.1.2.2.3. भाषाई चेतना

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' नामक पत्रिका का प्रकाशन करके भारतीय पत्रकारिता को ही नहीं, अपितु हिन्दी भाषा, साहित्य एवं शैली को भी एक नयी दिशा प्रदान की। इस आलोक में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' में स्पष्ट लिखा है – "जिस प्यारी हिन्दी को देश ने अपनी विभूति समझा, जिसको जनता ने उत्कण्ठापूर्वक दौड़कर अपनाया, उसका दर्शन इसी पत्रिका (हरिश्चन्द्रचन्द्रिका) में

हुआ।" भारतेन्दु ने 'निजभाषा' को सभी प्रकार के उन्नति का मूल माना है। हिन्दी निबन्ध को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय बाबू भारतेन्दु की पत्रकारिता को जाता है। भाषा की सजीवता व निरन्तरता को बनाए रखने के लिए वे लोकोक्तियों एवं मुहावरों का अपनी रचनाओं में खुलकर प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 'नक्कारखाने में तूती की आवाज', 'हाथ मलना', 'कुएँ के मेढ़क', 'काठ के उल्लू', 'नैन नचाना', 'कान पकड़ना', 'चार दिन की चाँदनी', 'राजा करे सो न्याव' इत्यादि।

5.1.2.2.4. सांस्कृतिक चेतना

बाबू हरिश्चन्द्र संस्कृति के हर पहलू को छूते हैं। मानव की हर संवेदना को स्पर्श करते हुए उसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। गोया, हिन्दी पत्रकारिता की सच्ची पहचान है – उसकी मानवीय और सामाजिक संवेदना, क्योंकि मनोरंजक, सामाजिक आलोचना और सांस्कृतिक मूल्यांकन के अतिरिक्त वह नये क्षितिजों और सीमान्तों की खोज भी प्रेरित करता है। प्रत्यक्ष सामाजिक परिवर्तन में भले ही पत्रकारिता की भूमिका सीमित प्रतीत होती है लेकिन नयी अभिवृत्तियों और नये मूल्यों के रूप में उसका महत्त्व असंदिग्ध है। भारतेन्दु सामाजिक रीतियों, नैतिकता और सार्वजनिक कल्याण को रेखांकित करते हुए सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना की कामना एवं प्रयास अपनी पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से करते हैं।

हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में भारतेन्दु का आगमन एक क्रान्तिकारी हस्ताक्षर है। उनकी पत्रकारिता ने भारतीय जनमानस को गहराई से छूआ तथा उनकी पत्रिकाओं की लोकप्रियता का आलम यह था कि उनके अंक हाथों-हाथ बिक जाते थे। इसका रहस्य भारतेन्दु की कठोर श्रम साधना, उनके व्यक्तित्व तथा लेखन शैली के अनोखेपन में समाहित है।

5.1.3. मदनमोहन मालवीय

पण्डित मदनमोहन मालवीय के विचारों को समझने के लिए उनकी रचनाओं को पढ़ना आवश्यक है और हिन्दी पत्रकारिता के सन्दर्भ में उनके अवदान का समुचित मूल्यांकन और रसास्वादन के लिए उनके व्यक्तित्व को भी जानना अनिवार्य है। पण्डित मदनमोहन मालवीय भारत के पहले और अन्तिम व्यक्ति हैं जिन्हें 'महामना' की उपाधि से विभूषित किया गया है। वे एक महान् शिक्षाविद् व राजनेता थे। वर्ष 2014 में भारत सरकार द्वारा मदनमोहन मालवीय को 'भारतरत्न' से सम्मानित किया जाना उल्लेखनीय है।

5.1.3.1. परिचय

पण्डित मदनमोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में 25 दिसंबर 1861 ई. को एक निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पण्डित बैजनाथ मालवीय और माता का नाम श्रीमती मूनादेवी है। मध्य भारत के मालवा प्रान्त से आने के कारण प्रयाग में उनके पूर्वज 'मालवीय' कहलाते थे और आगे चलकर यह जातिसूचक शब्द मदनमोहन मालवीय ने भी अपना लिया। उनके पिता पण्डित बैजनाथ मालवीय संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे

तथा श्रीमद्‌भागवत की कथा सुनाकर जीविकोपार्जन किया करते थे। अत्यन्त सहज एवं सरल ढंग से धार्मिक व पारिवारिक संस्कारों के बीच मदनमोहन मालवीय का बचपन गुजरा। पाँच वर्ष की अवस्था में मदनमोहन की प्रारम्भिक शिक्षा संस्कृत भाषा में शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने प्रयाग की धर्मज्ञानोपदेश व विद्याधर्म प्रवर्द्धिनी पाठशालाओं में नामांकन लिया, जहाँ उनकी शिक्षा-दीक्षा पण्डित हरदेवजी के मार्गदर्शन में पूरी हुई। फिर आगे चलकर वर्ष 1868 ई. में उन्होंने जिला शासकीय उच्च विद्यालय में प्रवेश लिया। वर्ष 1879 में मदनमोहन मालवीय ने मूडर सेंट्रल कॉलेज (इलाहाबाद विश्वविद्यालय) से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। अपनी कला स्नातक की शिक्षा पूरी करने के लिए मालवीयजी कलकत्ता विश्वविद्यालय चले गये जहाँ उन्होंने वर्ष 1884 ई. में स्नातक की उपाधि ग्रहण की। 'सिर जाय तो जाय प्रभु ! मेरो धर्म न जाय' मदनमोहन मालवीय के जीवन का मूलमन्त्र था जिससे उनका व्यक्तिगत व सार्वजनिक जीवन समान रूप से प्रभावित था। उन्होंने बचपन से ही संयम और अनुशासन का जो जीवन चुना था, उस पर अन्तिम समय तक कायम रहे।

5.1.3.2. पत्रकारिता

सामाजिकता, राष्ट्रीयता व जनसरोकार में संलग्न विचारक, समाजसुधारक, व्याख्याकार और इसके पक्षधर जब रचना व संचार करने में सक्रिय होते हैं तब व्यवस्था के केन्द्र में स्थित जनसामान्य ही उनकी दृष्टि में होता है। इस सन्दर्भ में पण्डित मदनमोहन मालवीय की अन्वेषी दृष्टि और पत्रकारिता लोककल्याणकारी सरोकार, विराट् हिन्दू जीवन-दर्शन व भारत की महान् सांस्कृतिक विरासत में तलाश करती मूल्यांकन के ऐसे नये आयाम को ढूँढती है जो कि नये परिवेश में नैतिक मूल्य एवं समाज को दिशा दे सके। साथ ही उनकी पत्रकारिता में तत्युगीन व्यवस्था के प्रति गहरी चिन्ता और पीड़ा का भाव सहज ही परिलक्षित होता है। 'हिन्दोस्थान', 'अभ्युदय', 'महारथी', 'सनातन धर्म', 'विश्वबन्धु' (लाहौर), 'भारत', 'मर्यादा' आदि पत्र-पत्रिकाओं के आलोक में ही मदनमोहन मालवीय की हिन्दी पत्रकारिता का सही मूल्यांकनकिया जा सकता है।

5.1.3.2.1. राष्ट्रीय चेतना

पण्डित मदनमोहन मालवीय की पत्रकारिता में राष्ट्रीय चेतना भारत की गौरवशाली परम्परा व सनातन धर्म की विराटता के माध्यम से अत्यन्त प्रासंगिक और रचनात्मतक रूप में उपस्थित होती है। वे संस्कृति का उपयोग मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए अपने खास ढंग से करते हैं।

मदनमोहन मालवीय स्वयं की और अन्य आम जन की अनुभवगत जटिलता के विश्लेषण और रचनात्मक सम्प्रेषण को ही अपनी पत्रकारिता का प्रमुख प्रयोजन मानते हैं। उदाहरण के तौर पर कालाकांकर के देशभक्त राजा रामसिंह के निवेदन पर मालवीयजी ने वर्ष 1887 से उनके हिन्दी अंग्रेजी समाचार पत्र 'हिन्दोस्थान' का सम्पादन दायित्व स्वीकार कर राष्ट्रीय जनजागरण का महान् कार्य किया। 'हिन्दोस्थान' ही हिन्दी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला प्रथम हिन्दी दैनिक पत्र था। इस पत्र में सरकारी अधिकारियों की कटु आलोचना होती थी। राष्ट्रीय संस्कृति एवं चेतना का प्रचार-प्रसार तथा समाज-सुधार का प्रयास 'हिन्दोस्थान' की सम्पादन-नीति का

मुख्य आधार था। 1907 का वर्ष हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसी वर्ष उत्तरप्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय चेतना के निमित्त साप्ताहिक पत्र 'अभ्युदय' को मदनमोहन मालवीय ने जन्म दिया। निर्भीकता व राष्ट्रीय चेतना से ओत प्रोत यह पत्र 1918 ई. में दैनिक भी हुआ। सरदार भगतसिंह की फाँसी के बाद इस पत्र ने 'फाँसी अंक' निकालकर भारतीय स्वतन्त्रता-आन्दोलन के इतिहास में क्रान्ति मचा दी। उन्होंने सरकार समर्थक समाचार पत्र 'पायोनियर' के समकक्ष 1909 में दैनिक 'लीडर' अख़बार निकालकर लोकमत निर्माण का महान् कार्य किया।

5.1.3.2.2. सामाजिक चेतना

स्वतन्त्रता-आन्दोलन हो या समाज-सुधार, राष्ट्रनीति का प्रश्न हो या राष्ट्रभाषा के विकास का आन्दोलन, हिन्दी पत्रकारिता का सभी में उल्लेखनीय योगदान रहा है। हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास सम्पादकों एवं पत्रकारों के त्याग एवं कर्त्तव्यनिष्ठा का इतिहास रहा है। इस सन्दर्भ में पण्डित मदनमोहन मालवीय का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ जब भारतीय समाज पराधीनता के साथ-साथ अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। छुआछूत, अन्धविश्वास, मिथ्याचार, दिखावा और पाखण्ड का बोलबाला था जिसके कारण समाज का संतुलन बिगड़ रहा था। तत्युगीन भारतीय समाज में एक ऐसे समाज-सुधारक की ज़रूरत थी जो समाज में गहराई से व्याप्त बुराइयों पर साहसपूर्वक प्रहार कर सके और सदाचारण का संचार कर सामाजिक समरसता की स्थापना कर सके। मालवीयजी इस आवश्यकता की पूर्ति करते थे।

पण्डित मदनमोहन मालवीय ऐसे पत्रकारों की श्रेणी में शामिल हैं जिन्होंने जीवन की विविध अनुभूतियों को जो उन्हें अपने आसपास फैले हुए निजी व सार्वजनिक जीवन के बीच जीते हुए प्राप्त होती हैं, बिना किसी पूर्वाग्रह के सहज, संवेदनशील और सरल रूप में अपनी पत्रकारिता में निरूपित किया है। शहर, गाँव, पगडंडी, खेत-खलिहान, श्रमिक, बस्ती आदि सभी मालवीयजी की सामाजिक चेतना के अभिन्न अंग हैं। शिक्षा को मदनमोहन मालवीय सामाजिक परिष्कार का सबसे प्रभावी माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं। वे समाज के हर व्यक्ति को शिक्षित करने के हिमायती हैं।

समाज में जहाँ भी शोषण है, अन्याय है, विषमता है, भ्रष्टाचार है, मालवीयजी की पत्रकारिता वहाँ स्वयमेव उपस्थित है। उनकी पत्रकारिता की सामाजिक परिवर्तन पर गहरी दृष्टि उल्लेखनीय है। वह निरन्तर परिवर्तित होते हुए समाज में बढ़ती अमानवीय प्रवृत्तियों पर विस्तार से क्रमबद्ध गहन चिन्तन करती है और इस निष्कर्ष का प्रतिपादन करती है कि असामाजिक व अमानवीय व्यवहारों के पीछे कई कारण, कई स्थितियाँ और मनःस्थितियाँ होती हैं।

5.1.3.2.3. भाषाई चेतना

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बम्बई अधिवेशन (1919) में मदनमोहन मालवीय ने स्पष्ट कहा था कि भारतीय सन्दर्भ में हिन्दी उर्दू का प्रश्न धर्म का नहीं अपितु राष्ट्रीयता का प्रश्न है, क्योंकि देश और साहित्य की

उन्नति अपने देश की भाषा के द्वारा ही हो सकती है। इतना ही नहीं भारत की समस्त प्रान्तीय भाषाओं में भी मदनमोहन मालवीय का अटूट विश्वास था। उन्होंने राष्ट्रभाषा हिन्दी के अखिल भारतीय स्वरूप निर्धारण के अनुक्रम में सभी प्रान्तीय भाषाओं को सहायक माना है। हिन्दी भाषा व साहित्य के उत्थान में मालवीयजी की भूमिका अद्वितीय है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नेतृत्व में हिन्दी गद्य के निर्माण में संलग्न गम्भीर रचनाकारों में 'मकरंद' और 'झक्कड़ सिंह' उपनाम से रसात्मक काव्यों की रचना कर मालवीयजी ने जहाँ एक ओर हिन्दी भाषा व साहित्य को विपुलता प्रदान की वहीं दूसरी ओर सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के विकास के लिए सदैव तत्पर रहे।

पत्रकारिता के आलोक में मदनमोहन मालवीय की अनुभूति में जितना ओज है उतनी ही अभिव्यक्ति सशक्त है। वे भावों के सम्प्रेषण का प्रमुख साधन भाषा को मानते हैं इसलिए वे देशज शब्दों, मुहावरों तथा कहावतों का खुली कलम से उपयोग करते हैं। उनकी इस अनोखी शैली ने सर्वसाधारण का ध्यान हिन्दी की ओर आकर्षित किया।

5.1.3.2.4. सांस्कृतिक चेतना

पराधीन राष्ट्र अतीत गौरव या अपनी उदात्त सांस्कृतिक परम्परा से अभिभूत होता है तथा राष्ट्रीयता की भावना में राष्ट्रीय चेतना के साथ अपने देश की सांस्कृतिक चेतना भी निहित होती है। 'सनातन धर्म' और विराट् 'हिन्दू जीवन-दर्शन' की रक्षा व संवर्द्धन में मदनमोहन मालवीय की हिन्दी पत्रकारिता का योगदान अतुलनीय है। पत्रकारिता को मालवीयजी सामाजिक-सांस्कृतिक दर्शन व अभिप्रेरणा का मूल आधार स्वीकार करते हैं। भारत की गौरवशाली संस्कृति व परम्परा के आलोक में 'श्रीमद्भागवत' और 'महाभारत' का स्वाध्याय व चिन्तन का मालवीयजी के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग था।

मदनमोहन मालवीय की हिन्दी पत्रकारिता में उनके राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व सांस्कृतिक विचार अपनी विराट् परिधि में बहुत ही सरल एवं प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त हुए हैं जहाँ आस्था, सृजन एवं मानवीय व्यवहार के निहितार्थ केवल सार्वजनिक सरोकार ही पत्रकारिता की मूल अन्तर्वस्तु है।

5.1.4. महावीरप्रसाद द्विवेदी

'सरस्वती' पत्रिका के सम्पादक के रूप में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी साहित्य जगत् को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। उनका अनुभव और सांसारिक ज्ञान दोनों ने मिलकर उनके लिए एक व्यापक साहित्य संसार की सृष्टि की है। एक पत्रकार व आलोचक की हैसियत से उनका सम्पूर्ण जीवन तथा चिन्तन भारतीय स्वाभिमान की रक्षा करने और उसे सँवारने के सन्दर्भ में अभिव्यक्त हुआ है और उनका स्वाभिमान वस्तुतः राष्ट्र के अतीत का स्वाभिमान था, वर्तमान का स्वाभिमान था और एक उज्ज्वल भविष्य के प्रति आशा का संकेत था। साहित्यकार और पत्रकार के रूप में उनकी पहचान विलक्षण है।

5.1.4.1. परिचय

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का जन्म सन् 1864 ई. में उत्तरप्रदेश के रायबरेली जनपद के दौलतपुर गाँव में एक निर्धन परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पण्डित रामसहाय द्विवेदी है। ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। धनाभाव के कारण द्विवेदीजी की केवल माध्यमिक स्तर तक ही औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर पाए फिर भी उन्होंने स्वाध्याय की प्रवृत्ति को आजीवन बनाए रखा। उल्लेखनीय है कि रेलवे और टेलीग्राफ की नौकरी करते हुए द्विवेदीजी ने हिन्दी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का भी अध्ययन किया। द्विवेदीजी हिन्दी के पहले लेखक थे जिन्होंने केवल अपनी जातीय परम्परा का अध्ययन ही नहीं किया था अपितु उसे आलोचनात्मक दृष्टि से भी देखा था।

5.1.4.2. पत्रकारिता

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी हिन्दी के महान् साहित्यकार, पत्रकार और युगप्रवर्तक थे। उनकी कलम प्रत्येक विषय पर पूरी गम्भीरता से चलती है और पत्रकारिता की दुनिया के लिए ज्ञान के नये दरवाजे खोलती है, एक नये सत्य और नये रूप से परिचय कराती है। प्रत्येक विषय पर टिप्पणी करने की सामर्थ्य उनके गहन अध्ययन एवं अनुभव का परिणाम है। उन्होंने जीवन का हर पहलू देखा और भोगा तथा उससे प्रभावित हुए। उन्होंने हिन्दी साहित्य व पत्रकारिता की अभूतपूर्व सेवा करते हुए अपने युग की राष्ट्रीय, सामाजिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक चेतना की एक नयी दृष्टि प्रदान की।

5.1.4.2.1. राष्ट्रीय चेतना

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता की परम्परा के अनुगूँज विद्यमान हैं। वे पराधीन भारत की दुर्दशा का चित्रण करने के साथ-साथ देशवासियों को आत्मोत्सर्ग के लिए तत्पर करते हुए स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने ‘सरस्वती (खं. 29, सं. 6, पृ. 642)’ में ‘भारत में हीरों की खानें’ शीर्षकान्तर्गत एक बहुत ही मार्मिक लेख लिखा – “भारतवर्ष, क्या तुम्हें पुराने दिनों की याद आती है। क्या, तुम्हें इस बात का स्मरण स्वप्न में भी होता है कि किसी भी समय तुम ज्ञान-विज्ञान, सम्मान आदि सभी विषयों में रत्नोपमान थे ? धन-जन-प्रभुता में तुम अपना सानी न रखते थे। स्वर्ण और रजत की ही नहीं हीरों तक की एक नहीं अनेक खानें तुम्हारी ही रत्नगर्भा भूमि के भीतर भरी पड़ी थीं। चेतो, जागो, कर्म और चेष्टा करनी सीखो।” इन पंक्तियों में राष्ट्रीय चेतना के निहितार्थ वर्तमान बोध, एक महान् व गौरवशाली सभ्यता के पतन का, उसके सामाजिक आर्थिक दरिद्रता का, यातनादेह भविष्यहीनता की चिन्ता दिखाई देती है।

5.1.4.2.2. सामाजिक चेतना

आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी लोकमंगल व सामाजिक कल्याण के लिए ऐसे पत्रकार हैं जो आत्मबोध और जगतबोध के बीच कोई दीवार, कोई भेद नहीं मानते। उनकी सामाजिक पत्रकारिता में निहित चिन्ताएँ

मानवीय हैं । छूआछूत, दहेजप्रथा, सतीप्रथा, बालविवाह, बाह्याडम्बर, अन्धविश्वास आदि जैसी सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए वे सदैव प्रयत्नशील रहे । इस परिप्रेक्ष्य में उनकी 'ज्योतिष और जन्म कुण्डली' पर कसे व्यंग्य की तथ्यपरकता ध्यातव्य है – "(बच्चा) आषाढ़ के उजेले पक्ष में हुआ था । उस दिन प्रदोष का व्रत था । शाम का वक्त था । गाएँ चर कर आ गई थीं अथवा दोपहर को छूटने के बाद मजदूर फिर आ गये थे । समय के इसी निभ्रान्त और अचूक ज्ञान के आधार पर ज्योतिषी महाराज जन्म पत्र की ऊँची इमारत उठाते हैं और इसी ज्ञान लोभ के द्वारा देखी गई लग्न और गुहा से (विवाह के दिन) दिन निश्चय करते हैं ।" निस्सन्देह, ज्योतिष कुण्डली जिस जन्म समय पर आधारित रहती है, उसी की अनिश्चतता को लक्षित करके लिखा गया 'विवाह विषयक व्यभिचार' लेख जन्म, कुण्डली की वास्तविकताओं की पोल खोल देता है ।

5.1.4.2.3. भाषाई चेतना

'सरस्वती' पत्रिका के सम्पादक के रूप में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी जगत् को अनेक रूपों में प्रभावित किया । एक ओर तो उन्होंने हिन्दी गद्य का संस्कार, परिष्कार एवं परिमार्जन किया तो दूसरी ओर लेखकों को उनकी कमियों से अवगत कराया तथा हिन्दी भाषा की व्याकरणिक भूलों को सुधार कर भाषा-परिष्कार का महान् कार्य किया । वाक्य-गठन में भी वे शुद्धता के पक्षपाती रहे । साथ ही हिन्दी गद्य में विराम-चिह्नों का सूत्रपात भी द्विवेदीजी के प्रयासों से ही सम्भव हो पाया । उनकी भाषाई चेतना का ज़िक्र करते हुए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने ठीक ही कहा है – "यदि द्विवेदीजी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परम्परा जल्दी न रुकती ।" सम्पादन के दौरान द्विवेदीजी प्राप्त रचनाओं में लिंग-वचन-कारक एवं विराम-चिह्नों से लेकर शीर्षक तथा अनुच्छेद तक बदल दिया करते थे ।

5.1.4.2.4. सांस्कृतिक चेतना

भारतीय संस्कृति और परम्पराओं की अभिव्यक्ति भाषा, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा-अर्चन पद्धति, सामाजिक रीति-रिवाजों, कला-साहित्य-शिल्प, जातीय संवेगों, आवेगों, उद्वेगों, आर्थिक-सामाजिक प्रतिष्ठानों आदि में होती हैं इसलिए भारतीय समाज में उत्पन्न विकृतियाँ, आसक्तियाँ और विरक्तियाँ आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की पत्रकारीय दृष्टि को सहज ही आकर्षित करते हैं और द्विवेदीजी इन्हें अपनी रचनाओं में समाधान सहित प्रस्तुत करते हैं ताकि भारत की समेकित संस्कृति में समाज के लिए हानिकारक परम्पराएँ व रूढ़ियाँ समाप्त होकर एक समरस समाज की स्थापना हो सके । इस प्रकार आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की हिन्दी पत्रकारिता में मानवीय सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक चेतना सार्वजनिक एवं सार्वभौमिक हितचिन्तन और अमानवीय शक्तियों से संघर्ष के महत्त्वपूर्ण आयाम को स्पर्श करती हैं । द्विवेदीजी अपनी पत्रकारिता में जहाँ एक ओर बहुत गहराई तक प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति से प्रभावित रहे हैं तो दूसरी ओर आधुनिक सन्दर्भ में भारतीय सभ्यता और संस्कृति को संस्कारित रूप में ग्रहण करने हेतु आग्रही भी दिखते हैं ।

5.1.5. युगल किशोर सुकुल

पण्डित युगल किशोर सुकुल विचारशील, संकल्पबद्ध और सार्थक कर्म के हिमायती पत्रकार हैं, रचनाकार हैं। उन्होंने अपने कर्म और लेखन के माध्यम से हमेशा हस्तक्षेप किया है। मानववादी चेतना उनकी सृजनशीलता की सम्पत्ति है। इसी चेतना के परिप्रेक्ष्य में वे विदेशी शासन की करतूतों का पर्दाफाश करते हैं और अन्ततः मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं। वे पूरी तरह से स्वदेशी परम्पराओं के वाहक हैं।

5.1.5.1. परिचय

पण्डित युगल किशोर सुकुल का जन्म उत्तरप्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। धार्मिक प्रवृत्ति के उनके पिता ने अपने लिए संयम, अपरिग्रह और अनुशासन का जो जीवन चुना था, युगलकिशोरजी के बालमन पर उसकी गहरी छाप पड़ी। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी पण्डित युगल किशोर ने विधिशास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के बाद शुरू-शुरू में कलकत्ता की सदर दीवानी अदालत में प्रोसिडिंग रीडर का दायित्व सँभाला और फिर उसी अदालत में कुछ समय बाद वकालत करने लगे। युगलजी कई भाषाओं के जानकार थे। भाषा, नाम, व्याकरण आदि के बारे में उन्होंने तत्कालीन बांग्ला पत्र-पत्रिकाओं से लोहा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बांग्ला पत्रों के अन्य अनुचित आरोपों का भी उन्होंने अत्यन्त दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। 'उदन्त मार्त्तण्ड' का प्रकाशक-सम्पादक होने के कारण भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में पण्डित युगल किशोर सुकुल को हिन्दी का प्रथम पत्रकार कहा जा सकता है।

5.1.5.2. पत्रकारिता

साप्ताहिक 'उदन्त मार्त्तण्ड' को हिन्दी का प्रथम समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। इसे पण्डित युगल किशोर सुकुल ने 30 मई 1826 को कलकत्ता के कोलू टोला मोहल्ले से निकाला था। 'उदन्त मार्त्तण्ड' के अंकों में ही इसका परिचय भी मिलता है। यद्यपि 'उदन्त मार्त्तण्ड' का प्रकाशन अत्यन्त अल्पावधि (लगभग डेढ़ वर्ष) के लिए हुआ यानी कि 04 दिसंबर 1827 को इसका अन्तिम अंक निकला। भाषा और विचारों की दृष्टि से यह एक सुसम्पादित पत्र था। कालान्तर में सुकुलजी ने 'साम्यदण्ड मार्तण्ड' का प्रकाशन भी किया। इन दोनों पत्रों के आलोक में पण्डित युगल किशोर सुकुल के पत्रकारीय मूल्योंऔर उनके अवदानों का विवेचन किया जा रहा है।

5.1.5.2.1. राष्ट्रीय चेतना

पण्डित युगल किशोर सुकुल ने 'उदन्त मार्त्तण्ड' के माध्यम से हिन्दुस्तानियों के हित के हेतु जुझारू हिन्दी पत्रकारिता की नींव डाली। इसमें देश-प्रेम व राष्ट्रीय भावनाओं से ओत प्रोत सम्पादकीय टिप्पणियाँ, लेख और महत्त्वपूर्ण समाचार प्रकाशित किये जाते थे। इस पत्र के माध्यम से युगलजी ने वातावरण में ऐसा जोश पैदा किया कि जिससे ब्रिटिश हूकूमत घबरा उठी। उन्होंने कंपनी के शोषण, अफसरों की खुशामद तथा जनता की स्वार्थपरता पर भी सारगर्भित व्यंग्य किये। युगल किशोरजी ने इस पत्र के माध्यम से देशवासियों को स्वतन्त्रता-आन्दोलन में

कूद पड़ने के लिए अभिप्रेरित किया तथा भारत की आन्तरिक विसंगतियों एवं विषमताओं को दूर करने का आह्वान किया। पत्रकारिता अगर अपने समय का दस्तावेज और मानवता के लिए प्रार्थना है तो इस सन्दर्भ में सुकुलजी की पत्रकारिता हमारी राष्ट्रीय बोध की एक अमूल्य धरोहर है।

5.1.5.2.2. सामाजिक चेतना

पण्डित युगल किशोर ने अपनी पत्रकारिता में सामाजिक सुधार को राजनैतिक चेतना से जोड़कर औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय स्वाधीनता एवं स्वदेशी परम्परा पर केन्द्रित करते हुए सामाजिक आन्दोलन के रूप में प्रस्तुत किया है। व्यक्ति के लिए आवश्यक मानवीय गुणों का उल्लेख भी वे अपनी पत्रकारिता में करते हैं। दया, करुणा, परोपकार, क्षमा, प्रेम, सहिष्णुता आदि गुणों से सम्पन्न व्यक्ति ही एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। ईर्ष्या, द्वेष, कपट, दम्भ और बैर भाव से रहित मानव जिस समाज में रहते हैं, वह अवश्य ही उन्नति करता है।

5.1.5.2.3. भाषाई चेतना

भारतीय पत्रकारिता के इतिहास का अवलोकन करने पर यह सहज ही परिलक्षित होता है कि 'उदन्त मार्त्तण्ड' से पूर्व कोई भी हिन्दी समाचार पत्र नहीं निकला था। पण्डित युगल किशोरजी ने अपनी पत्रकारिता में बहुत ही सरल व व्यावहारिक शब्दों में हिन्दी के महत्त्व को रेखांकित किया है – "यह 'उदन्त मार्त्तण्ड' अब पहले पहल हिन्दुस्तानियों के हित के लिए जो आज तक किसी ने नहीं चलाया परन्तु अंग्रेजी और फारसी बंगले में जो समाचार का कागज छपा है उसका सुख, उन बोलियों को जानने और पढ़ने वालों को ही होता है। इससे सत्य समाचार हिन्दुस्तानी लोग देखकर आप पढ़ और समझ लें और पराई उपेक्षा न करें जो अपने भाषा की उपज न छोड़ें।" पण्डित युगल किशोर का यह प्रयास हिन्दी के प्रति उनकी स्वाभाविक निष्ठा को प्रकट करता है।

5.1.5.2.4. सांस्कृतिक चेतना

पण्डित युगल किशोर सुकुल की पत्रकारिता उनके व्यक्तित्व का अभिव्यंजक है। उनकी विद्वता और सम्प्रेषणीयता उसमें मूर्तिमती हो उठती है। सांस्कृतिक सन्दर्भ को साकार करती हुई सुकुलजी की पत्रकारिता में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की गहरी छाप दिखाई पड़ती है। वे संस्कृति के प्रति अन्धश्रद्धा के हिमायती नहीं थे और न ही उन्होंने संकीर्णतावादी दृष्टिकोण का समर्थन किया। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के निहितार्थ अपने रचनात्मक विचारों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति को समग्रता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो विश्वबन्धुत्व एवं लोककल्याण की दृष्टि से भी अत्यन्त उपयोगी है। पण्डित युगल किशोर की हिन्दी पत्रकारिता में भारतीय संस्कृति की जीवन्त परम्परा तो विद्यमान है ही, साथ ही उसमें राष्ट्रीय, सामाजिक व राजनैतिक भावनाओं की अविच्छिन्न धारा भी प्रवाहित हो रही है जो हृदय की अनुभूतियों को उदार बनाती है तथा हमारी मानवीय संवेदनाओं को जगाती है।

5.1.6. बालमुकुन्द गुप्त

भारतेन्दुयुगीन पत्रकारों में बालमुकुन्द गुप्त एक निर्भीक् एवं साहसी रचनाकार थे। वे सत्य व न्याय के पक्षधर थे तथा अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति से भलीभाँति परिचित थे। हिन्दी साहित्य के आलोक में गुप्तजी एक प्रसिद्ध पत्रकार व निबन्धकार होने के साथ-साथ एक सफल अनुवादक भी थे। उनकी रचनाओं में विषय की दृष्टि से प्रौढ़ता एवं परिपक्वता सर्वत्र विद्यमान है।

5.1.6.1. परिचय

हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार बालमुकुन्द गुप्त का जन्म 14 नवंबर 1865 को हरियाणा प्रान्त के रेवाड़ी जिला अन्तर्गत गुड़ियानी गाँव में हुआ था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा उर्दू और फारसी में शुरू हुई। उसके बाद वर्ष 1886 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से एक प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की। गुप्तजी विद्यार्थी जीवन से ही उर्दू अख़बारों में लेख लिखने लगे थे। आगे चलकर साहित्य की लगभग सभी विधाओं में गुप्तजी ने रचनाएँ कीं। 'हरिदास', 'खिलौना', 'खेलतमाशा', 'स्फुट कविता', 'शिवशम्भु का चिट्ठा', 'बालमुकुन्द गुप्त निबन्धावली' आदि बालमुकुन्द गुप्त की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं।

5.1.6.2. पत्रकारिता

बालमुकुन्द गुप्त भाषा, साहित्य और राजनीति के सजग प्रहरी थे। वे झज्झर (हरियाणा) के 'रिफाहे आम' अख़बार और मथुरा के 'मथुरा समाचार' उर्दू मासिक पत्रों में पण्डित दीनदयाल शर्मा के सहयोगी रहने के उपरान्त 1886 ई. में चुनार के उर्दू अख़बार 'अखबारे चुनार' में लगभग दो वर्षों तक सम्पादकीय दायित्व से जुड़े रहे। वर्ष 1888-89 में उन्होंने लाहौर के उर्दू पत्र 'कोहिनूर' का सफलतापूर्वक सम्पादन किया। पण्डित मदनमोहन मालवीय के निवेदन पर 1889 ई. में वे कालाकांकर (अवध) के हिन्दी दैनिक 'हिन्दोस्थान' के सहकारी सम्पादक हुए। फिर 1893 ई. में 'हिन्दी बंगवासी' के सहायक सम्पादक होकर वे कलकत्ता चले गये। कलकत्ता में ही वर्ष 1899 ई. में उन्होंने 'भारतमित्र' का सम्पादन करते हुए हिन्दी पत्रकारिता में पैनी दृष्टि एवं राजनैतिक सूझबूझ का परिचय दिया।

5.1.6.2.1. राष्ट्रीय चेतना

देश-प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना बालमुकुन्द की पत्रकारिता में सर्वोपरि थी। विदेशी शासन की क्रूरता से वे काफी आहत थे इसलिए वे अपनी पत्रकारिता में अंग्रेजों की कूटनीति का प्रबल विरोध करते हैं, ज़मींदारों के दुष्कर्मों एवं अनाचारों की पोल खोलते हैं तथा स्वाधीनता-संग्राम का समर्थन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लॉर्ड कर्जन की शासन नीति के आलोक में गुप्तजी व्यंग्यपूर्ण आलोचना काफी प्रभावी व संवेदनशील थी। देशवासियों के मन में व्याप्त हीनावस्था का सजीव चित्रण करके तथा अंग्रेजों की राष्ट्रव्यापी शोषण नीति का विरोध करके वे अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय बराबर अपने पत्रों में देते रहे हैं।

5.1.6.2.2. सामाजिक चेतना

सामाजिक चेतना के आलोक में बालमुकुन्द गुप्त सामाजिक दिखावे व आडम्बर का निरन्तर विरोध करते हैं। सामाजिक कुरीतियों के निवारण पर पूरा जोर उनकी पत्रकारिता का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष है। उदाहरण के तौर पर वे बालविवाह का विरोध करते हैं और विधवा विवाह का पुरजोर समर्थन करते हैं। किसी भी सामाजिक सिद्धान्त या व्यवहार को उन्होंने बिना अपने विवेक की कसौटी पर कसे, स्वीकार नहीं किया। यदि कोई सामाजिक परम्परा या व्यवहार उनकी दृष्टि को नहीं जँचा तो उसके प्रत्याख्यान में तनिक भी मोह नहीं दिखाया।

5.1.6.2.3. भाषाई चेतना

बालमुकुन्द गुप्त की लेखन शैली सरल, व्यंग्यपूर्ण, मुहावरेदार और हृदयग्राही होती थी। हिन्दी भाषा एवं साहित्य के प्रति गुप्तजी काफी निष्ठावान् थे। भाषा के प्रश्न पर गुप्तजी आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के विचारों का समर्थन नहीं करते हैं। उनकी भाषा विषयक नीति काफी उदार थी। वे भाषा की सम्प्रेषणीयता पर विशेष बल देते हैं। यही कारण है कि उनकी पत्रकारिता में विषयानुकूल शब्दों की बहुलता सहज ही परिलक्षित होता है। तत्युगीन उर्दूवालों के 'हिन्दी विरोध' के प्रत्युत्तर में उनकी 'उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी' विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

5.1.6.2.4. सांस्कृतिक चेतना

भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को हिन्दी पत्रकारिता में अभिव्यक्ति देने वाले बालमुकुन्द गुप्त एक ललित निबन्धकार के रूप में भी प्रख्यात रहे हैं। उनकी सांस्कृतिक रचनाओं में सांस्कृतिक बोध गहराई से उभरकर सामने आया है। गुप्तजी ने भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष का उद्घाटन करने के साथ-साथ इसके सांस्कृतिक महत्त्व का भी प्रतिपादन किया है। गुप्तजी के अनुसार संस्कृति व परम्परा समग्रता में जातीय चेतना का प्रवाह है और भारतीय परम्परा हमें एक राष्ट्र के रूप में पहचान देती है किन्तु इसमें भी बहुत-सी लघु परम्पराएँ अन्तर्निहित हैं जिनमें संघर्ष और आदान-प्रदान चलता रहता है। पत्रकारीय दायित्व का निर्वहन करते हुए वे हमेशा ही गम्भीर और सतर्क रहते हैं। पत्रकारिता निरपेक्ष नहीं होती इसलिए समाज सापेक्ष वाद-संवाद के लिए, सोच और जानदार बहस के लिए सार्थक प्रश्न उठा देना गुप्तजी की अपनी सार्थकता है।

5.1.7. पाठ-सार

शब्द और कर्म की सार्थकता के साक्षात् प्रतिमान बाबू भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, पण्डित मदनमोहन मालवीय, आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, पण्डित युगल किशोर सुकुल और बालमुकुन्द गुप्त हिन्दी पत्रकारिता की एक विशिष्ट परम्परा के वाहक हैं। इन लोगों ने साधारण से साधारण और गम्भीर से गम्भीर विषयों पर पत्रकारिता की। भारतीय स्वाधीनता-आन्दोलन में देश की परम्परा, उसकी जातीय चेतना और भविष्य को लेकर जिन सपनों के ताने-बाने बुने गये, उसकी एक स्पष्ट रूपरेखा तत्युगीन हिन्दी पत्रकारिता में दिखाई देती है।

5.1.8. बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. 'कवि वचनसुधा' के सम्पादक थे –
   (क) रामप्रसाद
   (ख) शम्भुनाथ
   (ग) भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
   (घ) बालमुकुन्द गुप्त

2. 'उदन्त मार्त्तण्ड' का प्रकाशन वर्ष है –
   (क) 1826
   (ख) 1827
   (ग) 1857
   (घ) 1858

3. 'हिन्दी बंगवासी' के सम्पादक थे –
   (क) पण्डित मदनमोहन मालवीय
   (ख) बालमुकुन्दु गुप्त
   (ग) दोनों
   (घ) इनमें से कोई नहीं

4. निम्नलिखित में से कौन-सी पत्रिका भारतेन्दु से सम्बन्धित है –
   (क) बाला बोधिनी पत्रिका
   (ख) हिन्दोस्थान
   (ग) आज
   (घ) इनमें से कोई नहीं

5. निम्नलिखित में से कौन-सा पत्र दैनिक था –
   (क) अभ्युदय
   (ख) स्वराज्य
   (ग) दोनों
   (घ) इनमें से कोई नहीं

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. भारतेन्दु द्वारा प्रकाशित पत्रों का उल्लेख कीजिए।
2. हिन्दी का पहला समाचार पत्र कौन था और उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ ?
3. आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की पत्रकारिता का वैचारिक आधार क्या है ?
4. पण्डित मदनमोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं का उल्लेख कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. बालमुकुन्द गुप्त की पत्रकारिता में भारतीय राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई है ?
2. भाषाई सांस्कृतिक चेतना के आलोक में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी के योगदान की चर्चा कीजिए।

5.1.9. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

1. वैदिक, डॉ॰ वेदप्रताप (2006), हिन्दी पत्रकारिता : विविध आयाम, नयी दिल्ली, हिन्दी बुक सेंटर, नयी दिल्ली
2. तिवारी, डॉ॰ अर्जुन तिवारी, आधुनिक पत्रकारिता, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी
3. त्रिपाठी, महाबली (सं.), 1957, महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय
4. शर्मा, डॉ॰ रामविलास, महावीरप्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण
5. शुक्ल, रामचन्द्र, हिन्दी साहित्य का इतिहास

उपयोगी इंटरनेट स्रोत :

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org

❖❖❖

खण्ड – 5 : हिन्दी पत्रकारिता के गौरव और उनका अवदान

इकाई – 2 : बाबूराव विष्णु पराडकर, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', प्रेमचंद, सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'

इकाई की रूपरेखा

5.2.0. उद्देश्य कथन
5.2.1. प्रस्तावना
5.2.2. बाबूराव विष्णु पराड़कर
    5.2.2.1. परिचय
    5.2.2.2. पत्रकारिता
        5.2.2.2.1. राष्ट्रीय चेतना
        5.2.2.2.2. सामाजिक चेतना
        5.2.2.2.3. भाषाई चेतना
        5.2.2.2.4. सांस्कृतिक चेतना
5.2.3. बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'
    5.2.3.1. परिचय
    5.2.3.2. पत्रकारिता
        5.2.3.2.1. राष्ट्रीय चेतना
        5.2.3.2.2. सामाजिक चेतना
        5.2.3.2.3. भाषाई चेतना
        5.2.3.2.4. सांस्कृतिक चेतना
5.2.4. प्रेमचंद
    5.2.4.1. परिचय
    5.2.4.2. पत्रकारिता
        5.2.4.2.1. राष्ट्रीय चेतना
        5.2.4.2.2. सामाजिक चेतना
        5.2.4.2.3. भाषाई चेतना
        5.2.4.2.4. सांस्कृतिक चेतना
5.2.5. सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'
    5.2.5.1. परिचय
    5.2.5.2. पत्रकारिता
        5.2.5.2.1. राष्ट्रीय चेतना
        5.2.5.2.2. सामाजिक चेतना
        5.2.5.2.3. भाषाई चेतना
        5.2.5.2.4. सांस्कृतिक चेतना

5.2.6. पाठ-सार
5.2.7. बोध प्रश्न
5.2.8. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

5.2.0. उद्देश्य कथन

हिन्दी पत्रकारिता एवं संवेदना का विकास में बाबूराव विष्णु पराड़कर, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', प्रेमचंद और सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' का विशिष्ट योगदान है। प्रस्तुत पाठ में इनके अवदान का विवेचन-विश्लेषण किया जाएगा। प्रस्तुत पाठ का अध्ययन करने के उपरान्त आप –

i. बाबूराव विष्णु पराड़कर की हिन्दी पत्रकारिता के विविध आयामों का विश्लेषण कर सकेंगे।
ii. हिन्दी पत्रकारिता के उत्थान एवं विकास में बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की भूमिका समझ सकेंगे।
iii. मुंशी प्रेमचंद की पत्रकारीय परम्परा का अवलोकन कर सकेंगे।
iv. हिन्दी पत्रकारिता के विकास में सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' का महत्त्व जान सकेंगे।

5.2.1. प्रस्तावना

पत्रकारिता की स्वायत्तता या पत्रकारिता का समाज, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था या धर्म से सम्बन्धों का मौलिक प्रश्न आज से नहीं अपितु विगत कई दशकों से उठता आ रहा है। हालाँकि इसका अभी तक कोई सर्वमान्य उत्तर नहीं मिल पाया है। पत्रकारिता में जब हम आधुनिक जीवन की बात करते हैं तब जीवन में राजनैतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक सभी पक्ष स्वतः शामिल रहते हैं। हिन्दी पत्रकार और पत्रकारिता भी इसका अपवाद नहीं है बल्कि कहना चाहिए कि वही पत्रकार अधिक सशक्त बन पड़े हैं जिनकी पत्रकारिता में देश का, संस्कृति का, समाज का जीवन अधिक विविधता और पूर्णता में अभिव्यक्त हुआ है। इस दृष्टि से बाबूराव विष्णु पराड़कर, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', मुंशी प्रेमचंद औरसच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन'अज्ञेय' की पत्रकारिता का महत्त्व अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इनकी लेखनी अपने समय के समाज का व्यापक और यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है।

5.2.2. बाबूराव विष्णु पराड़कर

प्रख्यात पत्रकार बाबूराव विष्णु पराड़कर का व्यक्तित्व कुछ विलक्षण रहा। अलग-अलग लोग उन्हें अलग-अलग रूपों में जानते-मानते हैं। वे पत्रकार, अनुवादक, आन्दोलनकारी और इन सबसे ऊपर आम जनता से जुड़े थे। पराड़कारजी के दौर में राष्ट्रीयता, समाज-सुधार, नवजागरण, स्वातन्त्र्य चेतना, मानवतावाद, सामाजिक समता एवं गाँधीवाद का बोलबाला था अतः उन्होंने अपनी पत्रकारिता में इन मूल्यों का समावेश करते हुए युगबोध एवं सामयिकता की प्रवृत्ति का परिचय दिया। पराड़कर जिन मूल्यों के रचनाकार हैं, उनके आधार भारत की

गौरवशाली परम्परा में खोजे जा सकते हैं। उनकी अभिव्यक्ति में मानव की पीड़ा, पराधीनता के प्रति तीव्र आक्रोश तथा अन्याय एवं असमानता के प्रति विद्रोह की भावना सर्वत्र विद्यमान है।

5.2.2.1. परिचय

बाबू विष्णुराव पराड़कर का जन्म 06 नवंबर 1883 को काशी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पण्डित विष्णु शास्त्री था। पराड़करजी की प्रारम्भिक शिक्षा वेदाध्ययन से आरम्भ हुई। उसके बाद भागलपुर से उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। समाज, साहित्य और संस्कृति अध्ययन में पराड़करजी की गहरी रुचि थी। हिन्दी के साथ-साथ संस्कृत, मराठी, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं पर भी उनकी पकड़ काफी मजबूत थी। भारत के स्वाधीनता-आन्दोलन में सक्रिय रहते हुए वे हिन्दी भाषा व साहित्य के विकास हेतु भी सतत् प्रयत्नशील रहे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 1937 में सभापति के दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए पराड़करजी ने हिन्दी भाषा के कई महत्त्वपूर्ण परिकल्पनाओं को साकार किया। कालान्तर में उन्हें 'साहित्य-वाचस्पति' की उपाधि से भी सम्मानित किया गया।

5.2.2.2. पत्रकारिता

बाबू विष्णुराव पराड़कर पत्रकारिता की दुनिया में एक विशिष्ट परम्परा के प्रतीक हैं। उनके व्यक्तित्व में कुछ अनोखापन है और कृतित्व से वे एक अनूठे पत्रकार हैं। पराड़करजी की पत्रकारिता में यथार्थ का चित्रण हुआ है वहाँ पाठक सहज ही उनकी रचनाओं में स्वयं को डूबा हुआ पाकर न केवल एक रस हो जाता है अपितु उन घटनाओं के साथ जीने लगता है। वर्ष 1905 में पराड़करजी ने 'हिन्द बंगवासी (कलकत्ता)' से गम्भीर पत्रकारिता की शुरुआत की। हालाँकि बाद में इस पत्र की अंग्रेजपरस्त नीति से असहमत होकर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद कलकत्ता में ही उन्होंने 'हितवार्ता' के सम्पादक तथा 'भारतमित्र' (कलकत्ता) के संयुक्त सम्पादक का दायित्व सँभाला। पराड़करजी कालान्तर में दैनिक 'आज', मासिक 'कमला' तथा 'रणभेरी' आदि जैसे अनेक भूमिगत क्रान्तिकारी पत्रों से जुड़कर पत्रकारिता के विविध आयामों, उसकी समस्याओं, संकटों, उसके विचलनों, उसकी ताकत और सीमाओं की बेहिचक चर्चा करते हैं, जहाँ राष्ट्रीय, सामाजिक, भाषाई व सांस्कृतिक चेतना एवं मूल्य महत्त्वपूर्ण हैं।

5.2.2.2.1. राष्ट्रीय चेतना

समय की अखण्डता और समग्रता का बोध ही किसी भी सघन और सार्थक रचना की बुनियादी पहचान है। पराड़करजी की पत्रकारिता में राष्ट्रीय चेतना का एक महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ राजनीति है। तत्युगीन राजनैतिक परिस्थितियों के एक बहुत बड़े भाग को बड़ी गम्भीरता से घेरने का प्रयास उनके सम्पादकीय लेखों में बहुत ही प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। असहयोग आन्दोलन के प्रभाव से वे अछूते नहीं थे। देशवासियों के अहिंसापूर्ण आन्दोलनों एवं सत्याग्रह की शक्ति का उद्घोष करते हुए उन्होंने पूरे भारत में राष्ट्रीयता की अलख जगायी। 'रणभेरी' में प्रकाशित रचनाओं के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को पराधनीता की बेड़ियों से मुक्ति पाने

का सन्देश दिया। दैनिक 'आज' के कई ओजस्वी अंकों का सम्पादन कर पराड़करजी ने युगबोध एवं निर्भीकता का परिचय दिया। स्वाधीनता-आन्दोलन के साथ सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद के विरोध की जो चेतना तत्युगीन समाज में निर्मित हुई थी, उसकी सबसे सरल एवं जीवन्त अभिव्यक्ति पराड़करजी की पत्रकारिता में हुई है। डॉ॰ वेदप्रताप वैदिक के अनुसार – "जो लोग पत्रकारिता में सुविधाओं के सहारे जीते हैं वे दुविधाओं की भाषा बोलते हैं। ऐसे में पराड़करजी की पत्रकारिता राष्ट्रीयता की भावना से ओत प्रोत है तथा उसमें कहीं भी दुविधा नहीं है।"

5.2.2.2.2. सामाजिक चेतना

बाबू विष्णुराव पराड़कर की पत्रकारिता में आक्रोश एवं विद्रोह की प्रधानता है जिसे आचार्य नरेन्द्र देव ने ओज और औदात्य कहा है। एक दार्शनिक की भाँति पराड़करजी ने सामाजिक चिन्तन प्रक्रिया को ही मूल सामाजिक चेतना कहा है। मनुष्यता और सभ्यता की आधारभूमि व्यक्ति की स्वतन्त्र चेतना नहीं है बल्कि समाज की चेतना का स्वतन्त्र होना ही मानवीय सभ्यता का आधार है और समाज को जागरूक बनाने के लिए पत्रकार कई बार इतिहास की घटनाएँ सुनाता है। देश, काल व वातावरण के घात-प्रतिघात ने उन्हें उद्बुद्ध, सचेत, जागरूक और सामाजिक सरोकार के पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया।

भारतीय ग्रामीण समाज को पराड़करजी ने पत्रकार की तीसरी आँख से देखा है और उसके कुछ ऐसे पहलुओं की सूक्ष्म तत्त्वों की मार्मिक विवेचना की है जो शुष्क वैज्ञानिक दृष्टि और दुरूह सांख्यिकीय विश्लेषण की पकड़ में नहीं आते। अन्याय, अत्याचार एवं असमानता के विरुद्ध वे लगातार लिखते रहे। साथ ही नारी-पुरुष की समानता, जातीय व धार्मिक विषमताओं पर प्रहार, कर्मकाण्ड जनित मिथ्या रूढ़ियों का विरोध, स्वाधीनता-आन्दोलन के लिए ऊँच-नीच में विभाजित देश के सहास्राधिक स्तरों की एकता की अनिवार्यता सम्बन्धी उनके विचार दैनिक 'आज' और मासिक 'कमला' के कई अंकों में सुरक्षित है। उच्च वर्ग की विलासिता व निम्न वर्ग की दीनता को देखकर वे अपने हृदय में गहन वेदना, टीस एवं छटपटाहट का अनुभव करते थे। पराड़करजी समता व न्याय के प्रबल समर्थक थे इसलिए 'सामाजिक सरोकार' के बिना पत्रकारिता को वे मूल्यहीन और स्तरहीन पत्रकारिता मानते हैं।

5.2.2.2.3. भाषाई चेतना

बाबू विष्णुराव पराड़कर का हिन्दी के प्रति अटूट लगाव थे। वे हिन्दी को केवल एक भाषा ही नहीं अपितु 'भारतीयता' का प्रतीक मानते थे। भाषा के विकास में वे शुद्धता का प्रबल समर्थन करते हैं। इस सन्दर्भ में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए प्रतीत होते हैं। हिन्दी पत्रकारिता में अग्रलेखों की भव्य परम्परा की शुरुआत करने का श्रेय पराड़करजी को दिया जाता है। उनकी रचनाओं में मानक वर्तनी के प्रति आग्रहशीलता सहज ही परिलक्षित होती है। विषयानुकूल शब्दों के चयन में पराड़करजी अत्यन्त कुशल माने जाते हैं। उनका शब्द भण्डार अक्षय है तथा उनकी पत्रकारिता में शब्द उनके शब्दों पर नाचते प्रतीत होते हैं। शब्द की आत्मा का उन्हें भरपूर ज्ञान है और सम्प्रेषणीयता के आलोक में हिन्दी शब्दावली के प्रति पराड़करजी सहजता

महसूस करते हैं। उन्होंने 'देशेर कथा' का हिन्दी अनुवाद 'देश की बात' और 'श्रीमद्भगवद्गीता' का अनुवाद कर अपने भाषाई कौशल व क्षमता का परिचय दिया है। 'आज' के प्रथम सम्पादक श्रीप्रकाशजी ने ठीक ही कहा है – "पराड़करजी की भाषा में जहाँ एक ओर नवीनता का अनुप्रयोग हुआ है वहीं दूसरी ओर भीतर तक हिला देने की अद्भुत क्षमता का भी अहसास होता है। निस्सन्देह, उनकी भाषाई चेतना गहरी अर्थवत्ता से युक्त है।"

5.2.2.2.4. सांस्कृतिक चेतना

बाबू विष्णुराव पराड़कर हिन्दी के उन पत्रकारों में अग्रगण्य हैं जो भारतीय संस्कृति के पोषक एवं उद्गाता हैं। उनकी पत्रकारिता में सर्वत्र सांस्कृतिक दृष्टि अभिव्यक्ति हुई है। आध्यात्मिकता, समन्वयशीलता, विश्वबन्धुत्व, कर्मण्यता, साहस, नैतिकता, संयम, त्याग और बलिदान, देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता जैसे सांस्कृतिक मूल्यों का उन्होंने अपनी रचनाओं में अत्यन्त ही प्रभावी चित्रण किया है। पराड़करजी ने भारतीय संस्कृति के उदात्त अतीत रूप को हमेशा ही वर्तमान जीवन सन्दर्भों में पुनः परीक्षित करके स्वीकार किया है। उनकी पत्रकारिता सहज ही आज के प्रश्नों, दृष्टियों और संवेदनाओं से जुड़कर अधिक मूल्यवान् और सार्थक बन गई है।

बाबू विष्णुराव पराड़कर की पत्रकारिता मानव समुदाय के लिए समर्पित है। वे मानवीय समाज की हर विसंगति, विषमता, अभाव, पीड़ा में साहस के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तथा दीन-हीन, शोषित व अभावग्रस्त जनसमूह के साथ जा खड़े होते हैं। उनकी पत्रकारिता तत्युगीन समाज की हर स्थिति को दिखाने वाला आईना है जिसमें पराड़करजी सामाजिक कार्यकर्त्ता, सुधारक, विचारक, दार्शनिक आदि अनेक रूपों में दिखाई देते हैं।

5.2.3. बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'

समाज व सामाजिक समस्याओं को सूक्ष्मता से देखना और उसका विश्लेषण कर पाना सबके लिए सम्भव नहीं है। उनको अभिव्यक्ति देना तो संवेदनशील पत्रकार का ही दायित्व है। पत्रकारिता की आधारभूमि लोक है। लोकजीवन से प्राप्त सामग्री को पत्रकार अपनी शिक्षा, संस्कार और विचारों के अनुकूल ढालकर लोकोपयोगी बनाता है। बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' का जीवन और लेखन कर्म समाज में अपेक्षित बदलाव के आकांक्षाओं से लबालब रहा है। इन्हीं आकांक्षाओं ने उन्हें सोचने-विचारने की दिशा दी। उनकी कीर्तिगाथाएँ हिन्दी पत्रकारिता के लिए प्रेरणास्रोत है। साहित्य, राजनीति, समाज, पत्रकारिता, कला आदि सभी क्षेत्रों में उन्होंने महनीय कार्य किये हैं। वे विचारधारा के प्रश्नों से जूझने वाले हिन्दी के प्रख्यात साहित्यकार (कवि) भी रहे हैं और यही जुझारू प्रवृत्ति उनकी पत्रकारिता का मैदान भी है। इस सन्दर्भ में वे स्वयं से प्रश्न करते हैं, बहस करते हैं तथा दूसरों को भी इसके लिए अभिप्रेरित करते हैं।

5.2.3.1. परिचय

बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' का मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिला के भयाना नामक गाँव में जन्म 08 दिसंबर 1897 ई. को हुआ था। उनके पिता का नाम पण्डित जमनादास शर्मा है। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव के ही एक प्राथमिक पाठशाला में शुरू हुई। बचपन से ही मेधावी छात्र होने के बावजूद आर्थिक कठिनाइयों की वजह से वे अपनी कला स्नातक के अन्तिम वर्ष की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। हालाँकि साहित्यिक रचनाओं के प्रति बाल्यकाल से ही उनका विशेष झुकाव था और कविता लेखन के क्षेत्र में उनकी विशेष रुचि थी।

भारत के स्वाधीनता-संग्राम में सक्रिय भागीदारी के दौरान उन्होंने न केवल अनेक कठिनाइयों का दृढ़तापूर्वक सामना किया अपितु देश की आजादी के बाद भी अपनी राजनैतिक सक्रियता को रचनात्मक आयाम देते हुए राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण की। साहित्यिक दृष्टि से बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' का जीवन बड़ा ही सुदृढ़ रहा है। 'रश्मि रेखा', 'कुंकुम', 'अपलक', 'उर्मिला', 'हम विषपायी जनम के', 'क्वासी' आदि उनकी महत्त्वपूर्ण रचनाएँ हैं। हिन्दी पत्रकारिता में निर्भीक् एवं तेजस्वी सम्पादकीय लेखन के लिए विख्यात बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने कलम के माध्यम से लगातार समाज को नयी दिशा ही नहीं दी बल्कि वैज्ञानिक सोच भी दी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी 'नवीन' ने वस्तुतः साहित्य, समाज एवं पत्रकारिता के परस्पर सम्बन्धों को देखा, परखा और खंगाला है और लोक की व्यवस्था से जुड़ते हुए वे पूरी व्यवस्था को अपनी पत्रकारिता के केन्द्र में प्रस्तुत करते हैं।

5.2.3.2. पत्रकारिता

बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' एक सम्बद्ध वैज्ञानिक चिन्तन के फलस्वरूप धैर्यपूर्वक लोकतान्त्रिक पत्रकारिता के हिमायती हैं। उनकी पत्रकारिता में समग्र मानव जीवन को देखने, सोचने और समझने की अपार शक्ति मौजूद है। जीवन और संसार के बहुआयामी परिवर्तनशील स्वरूपों के फलस्वरूप उत्पन्न मानवीय अनुभूतियाँ एवं संवेदनाएँ ही मुख्य अन्तर्वस्तु के कारण उनकी पत्रकारिता में पूरा मानव समाज अपनी समग्रता के साथ व्यक्त हो पाया है। उनकी प्रबल आकांक्षा है कि प्रत्येक मानव अपनी पूरी शक्ति से उठ खड़ा हो तथा अपने अधिकार और कर्त्तव्यों को जाने तथा अपने पर होने वाले अत्याचारों का विरोध करे।

उन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल रचनात्मक जीवन-दर्शन प्रस्तुत किया और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। इस परिप्रेक्ष्य में 'प्रभा (1921-23)' में बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के सम्पादकीय व कई लेख स्मरणीय हैं। उनकी पत्रकारिता तत्युगीन सर्जना ध्वंस के बीच निर्माण की प्रक्रिया से पूरी तरह वाकिफ़ है। वर्ष 1931 में गणेश शंकर 'विद्यार्थी' के बलिदान के बाद बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने कई वर्षों तक 'प्रताप' का सम्पादन किया।

5.2.3.2.1. राष्ट्रीय चेतना

बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की पत्रकारिता में राष्ट्रीय चेतना का सन्दर्भ देश के स्थूल सुख-दुख और आक्रोश के चित्रण में नहीं अपितु राष्ट्र की आत्मा या चेतना की पहचान में निहित है। उनकी राष्ट्रीय पत्रकारिता भावात्मक आक्रोश के साथ-साथ देश की दीन-हीन जनता का भी चित्रण करती है। 'ओ भिखमंगे, अरे पराजित, ओ मललूम, अरे चिरदोहित, तू अखण्ड भण्डार शक्ति का, जाग ! अरे निद्रा सम्मोहित !' लिखकर जहाँ एक ओर वे भारत की यथार्थ स्थिति का चित्रण करते हुए भारतवासियों को जगाते हैं, वहीं दूसरी ओर नवयुवकों को स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर आत्म बलिदान के लिए अभिप्रेरित करते हुए कहते हैं – "बलिवेदी सखे प्रज्वलित माँग रही ईंधन क्षण-क्षण, आवो युवक लगा दो तो तुम अपने यौवन का ईंधन।" बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने अपनी पत्रकारिता में भारत के अतीत का गौरव गान किया, विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए युवाओं का आह्वान किया, देश में स्वातन्त्र्य चेतना को जगाया और सत्य, न्याय, प्रेम, स्वाधीनता आदि जैसे मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा की।

5.2.3.2.2. सामाजिक चेतना

व्यक्तिगत जीवन की पद्धति जब व्यापक संवेदना के साथ संधारित हो जाती है तब अनुभव की सामाजिक परम्परा जन्म लेने लगती है। धीरे-धीरे व्यक्तिगत संवेदनों का सामाजिक संवेदनों के साथ रूपान्तरण एक तरफ तो लगातार संघर्ष की प्रक्रिया से जूझता है और दूसरी तरफ उसकी दृष्टि को भी साफ और विकसित करता है। बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' की पत्रकारीय चेतना मूलतः देश की पराधीनता से अत्यन्त क्षुब्ध है, साथ ही भारत की सामाजिक रूढ़ियों से भी दुखी है। उनकी रचनाओं में, उनकी पत्रकारिता में, क्रान्ति और ध्वंस का स्वर एक साथ विद्यमान है। वे मानवीय समाज की हर विसंगति, विषमता, अभाव, पीड़ा एवं कठिनाई में हिम्मत व उत्साह के साथ कर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के तौर पर – "कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल-पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए।" के निहितार्थ बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ अन्याय एवं अत्याचार के लिए कोई जगह न हो। वे समता, स्वतन्त्रता और न्याय के पुजारी थे और सामाजिक विषमताओं को हर स्तर पर समाप्त करना चाहते थे।

5.2.3.2.3. भाषाई चेतना

भावाभिव्यक्ति में सम्प्रेषणीयता एवं सार्थकता तभी आ पाती है जब पत्रकार शब्द चयन और प्रस्तुति में पूर्ण सजग रहा हो। बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' भाषा एवं भाव की एकता पर विशेष बल देते हैं। अनुभूति को सम्प्रेषणीय बनाने के लिए वे व्याकरण की लौह-शृंखलाओं को तोड़ते हुए 'विचलन' की प्रवृत्ति का भी परिचय देते हैं। पत्रकारिता की भाषा साहित्य की भाषा से अलग होती है इसलिए अपनी अभिव्यक्ति को धारदार बनाने के लिए बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' कहीं-कहीं व्याकरणिक नियमों का उल्लंघन कर भाषा में नवीन प्रयोग करते हैं। इस मायने में वे सामान्य शब्दों को ही नवीन अर्थवत्ता प्रदान करते हैं। साथ ही वे पत्रकारिता में आवरणयुक्त भाषा के

स्थान पर खुली हुई साफ-साफ भाव व्यक्त करने वाली भाषा का अनुप्रयोग करते हैं। उनका प्रत्येक शब्द भाव एवं विचार को पूर्णतः व्यक्त करता हुआ प्रतीत होता है।

5.2.3.2.4. सांस्कृतिक चेतना

बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' सांस्कृतिक चेतना सम्पन्न पत्रकार हैं। उनकी पत्रकारिता में भारतीय संस्कृति का स्वर मुखर है। उनकी रचनाओं में, खासकर काव्य-कृतियों में भारतीय संस्कृति की शक्ति, समृद्धि एवं औदात्य का भास्वर चित्र प्रस्तुत हुआ है और उनकी पत्रकारिता भी इसका अपवाद नहीं है। उन्होंने अपनी पत्रकारिता द्वारा आध्यात्मिकता, विश्वबन्धुत्व, समरसता एवं समन्वयवाद का जो सन्देश दिया है, वह भारतीय संस्कृति के सर्वथा अनुकूल है। 'नवीन' की पत्रकारिता अत्यन्त उदात्त, पावन एवं निष्कलुष है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिन्दी पत्रकारिता में जिस उत्साह, निष्ठा, ईमानदारी, साहस, बौद्धिकता एवं पवित्रता का एक साथ समावेश किया है, उससे हिन्दी पत्रकारिता के विस्तार एवं विकास में अपेक्षाकृत और भी उत्कर्ष आ गया है।

5.2.4. प्रेमचंद

मुंशी प्रेमचंद अपनी अलौकिक प्रतिभा के कारण महान् युगप्रवर्तक के रूप में स्वीकार किये जाते हैं। हिन्दी साहित्य की उपन्यास विधा व शिल्प का सही अर्थों में उन्होंने ही विकास किया। उनकी रचनाओं में पहली बार सामान्य जनता की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई थी और जनजीवन का प्रामाणिक एवं वास्तविक चित्र पाठकों को देखना सुलभ हुआ था। प्रेमचंद की रचनाओं में राष्ट्रीय आन्दोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से सम्बन्धित हैं। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है– "प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार-विचार, भाषा-भाव, रहन-सहन, आशा-आकांक्षा, दु:ख-सुख और सूझ-बूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता।"

5.2.4.1. परिचय

मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन् 1880 को काशी के निकट लमही नामक एक गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायबलाल है। इनका बचपन गरीबी में गुजरा तथा जीवनपर्यन्त आर्थिक कठिनाइयों से जूझते रहे। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव के पास ही एक प्राथमिक विद्यालय में सम्पन्न हुई। स्वाध्याय की प्रवृत्ति उनमें प्रबल थी। बाल्यकाल से ही संवेदनशील होने के साथ वे मृदुभाषी भी थे। साहित्य, विशेषकर कथा साहित्य की ओर रुझान होने के कारण बहुत कम उम्र में ही उनकी कहानियाँ पत्र-पत्रिकाओं में छपने लगीं। हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा पर उनका समान अधिकार था।

मशहूर साहित्यकार-पत्रकार नाथूराम प्रेमी के अनुसार – "सच्चा व वास्तविक लेखक वही है जो अपने आस-पड़ोस को साथ लेकर चलता हो। इस कसौटी पर मुंशी प्रेमचंद खरे उतरते हैं।" मुंशी प्रेमचंद ने हिन्दी कथा साहित्य को मनोरंजन के तौर से उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ, एक दर्जन उपन्यास तथा दो एकांकी लिखकर हिन्दी साहित्य को समृद्ध बनाया। साथ ही कई महत्त्वपूर्ण रचनाओं का अनुवाद कर उन्होंने हिन्दी पाठकों की महती सेवा की।

5.2.4.2. पत्रकारिता

हिन्दी पत्रकारिता को नये-नये प्रयोगों द्वारा अभिनव कलेवर से सुसज्जित करने का श्रेय मुंशी प्रेमचंद को प्राप्त है। डॉ० रामचन्द्र तिवारी के अनुसार – "मुंशी प्रेमचंदजी मूलतः एक कथाकार हैं, हालाँकि तत्युगीन अन्य साहित्यकारों की तरह उन्होंने पत्रकारिता की विविध विधाओं को अपनी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाया।" 'माधुरी' और 'लखनऊ' मासिक पत्रिका का लगभग चार वर्षों (1925-1929) तक सम्पादकीय दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने हिन्दी कहानी को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया। इसके बाद उन्होंने काशी में रहते हुए वर्ष 1930 में 'हंस' मासिक पत्रिका का सम्पादन शुरू किया और मृत्युपर्यन्त (1936) उसके सम्पादक बने रहे। इस अवधि के बीच कुछ समय तक वे 'जागरण', पाक्षिक' (1932), तथा 'मर्यादा' से भी जुड़े रहे। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक जीवन की परत-परत खोलने की सफल चेष्टा करते हैं।

5.2.4.2.1. राष्ट्रीय चेतना

मुंशी प्रेमचंद ने अपनी पत्रकारिता को जीवन के विविध पहलुओं से जोड़ा है। महान् कथाकार यशपाल के अनुसार – "विषयवस्तु एवं कलेवर दोनों ही दृष्टियों से मुंशी प्रेमचंद के समक्ष कोई अन्य रचनाकार को खड़ा नहीं किया जा सकता।" प्रेमचंद की पत्रकारिता में राष्ट्रीयता का जो सबसे स्थूल रूप है, वह है विदेशी शासन के अत्याचारों, उनसे प्रसूत जन-यातनाओं और जनता के मन में उठती हुई क्रोध तथा असन्तोष की ललकारों का सजीव चित्रण। इस प्रकार तत्युगीन भारतीय जीवन को जकड़ती हुई विदेश सत्ता, सामन्तवाद, महाजनी सभ्यता के जटिल और बुनियादी स्वरूप प्रेमचंद की पत्रकारिता को एक मजबूत राष्ट्रीय चेतना प्रदान करते हैं। हिन्दी पत्रकारिता के आरम्भिक दौर की राष्ट्रीयता में जो हवाई आदर्श और लक्ष्य की अरूपता थी, इसे प्रेमचंद जैसे रचनाकारों ने ठोस धरातल पर मूर्तरूप प्रदान किया। उदाहरण के तौर पर प्रेमचंद शासक वर्ग के अत्याचारों का ज़िक्र करने में थोड़ा भी नहीं हिचकते हैं। वे स्वतन्त्रता-संग्राम व उसकी संवेदना को अपनी कहानियों के माध्यम से सजीवता प्रदान करते हैं। उनकी एक महत्त्वपूर्ण औपन्यासिक कृति 'कर्मभूमि' में स्वतन्त्रता-आन्दोलन की झलक साफ दिखाई देती है। मुंशी प्रेमचंद की पत्रकारिता ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना को और अधिक प्रत्यक्ष किया, उसे यथार्थ बनाया तथा राष्ट्र की मुक्ति को नये समाज के निर्माण के भाव से संयुक्त किया।

5.2.4.2.2. सामाजिक चेतना

पत्रकारिता आधुनिक जीवन की जटिलताओं को समग्रता में प्रस्तुत करने का माध्यम है। पत्रकार समाज में रहते हुए अपनी आँखें बन्द नहीं कर सकता। सामाजिक प्रवृत्तियाँ एवं व्यवहार उसकी बौद्धिक चेतना को अवश्य प्रभावित करते हैं और उसकी अभिव्यक्ति भी वह अनिवार्य रूप से प्रभावित करता है। प्रेमचंद ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता का उपयोग समाज और जीवन की व्याख्या करने के लिए किया है। वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ भेदभाव के अभिशाप से मानवता पीड़ित न हो, किसी प्रकार का शोषण न हो और व्यक्ति की पहचान सम्पत्ति तथा जाति के पैमाने से न हो।

तत्युगीन समाज में व्याप्त अन्धविश्वास, छूआछूत, दहेजप्रथा, अनमेल विवाह, कुलीनता का प्रश्न आदि अनेक सामाजिक समस्याएँ प्रायः किसी-न-किसी रूप में प्रेमचंद की प्रत्येक रचना के केन्द्र में हैं। इंसान ने ही जातिगत भेदभाव के आधार पर गैरबराबरी को बढ़ावा देकर उसे स्थायी रूप देने के लिए अनेकानेक धार्मिक, पारम्परिक, पुरातनी ढकोसलों का सहारा लिया है। प्रेमचंद की पत्रकारिता पर डॉ० अम्बेडकर के जातिभेद उन्मूलन तथा दलित अस्मिता आन्दोलन का प्रभाव भी सहज ही महसूस किया जा सकता है। वे समाज के सर्वांगीण विकास के लिए पुरुषों के साथ-साथ 'नारी शिक्षा' को भी आवश्यक मानते हैं। सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति में अन्तर्वस्तु-विश्लेषण हेतु सामग्रियों का चयन उन्होंने समाज के प्रायः हर क्षेत्र से किया है। अपनी सामाजिक चिन्तन व सरोकार की बदौलत उन्होंने न केवल पत्र-पत्रिकाओं के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की, अपितु उनके विपुल कथा साहित्य; यथा निर्मला, गोदान, सेवासदन, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी आदि जैसी कृतियों का दृश्य-श्रव्य रूपान्तरण हिन्दी पत्रकारिता के लिए एक वरदान है। सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु वे मानवीय दृढ़ता और आत्मबल पर विश्वास करते हैं तथा विद्रोह के लिए किसी अवतारी पुरुष के जन्म लेने की प्रतीक्षा करना व्यार्थ मानते हैं। उनके अनुसार – "चूँकि, समाज में अन्याय, आतंक और भय की दुहाई मची हुई है, अन्धविश्वास और स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है इसलिए इन सबको समाप्त करने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से एकजुट होने की ज़रूरत है।" इस कथन के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद बुद्धिजीवियों को जनता का उद्धार करने के लिए कर्मक्षेत्र में उतरने के लिए अभिप्रेरित करते हैं और इस नाते पत्रकारिता और पत्रकार, दोनों का ही दायित्व बढ़ जाता है।

5.2.4.2.3. भाषाई चेतना

सादी, सरल तथा स्पष्ट भाषा का अपना सौन्दर्य एवं प्रभाव होता है। जिस शब्द का चलन हो, जैसे वाक्य या मुहावरे का चलन हो, वही वस्तुतः पत्रकारिता की भाषा है। इस परिप्रेक्ष्य में मुंशी प्रेमचंद भाषा के वैविध्य को सहजतापूर्वक स्वीकार करते हैं। उनकी भाषा का विधान खुला हुआ है। उनकी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज सभी प्रकार के शब्दों की बहुलता है। बड़ा रचनाकार अपने भाषा के क्षितिज को बड़ा करता है। प्रेमचंद ने भी तत्युगीन उपलब्ध भाषिक सीमाओं को विस्तृत कर दिया है। हिन्दी पत्रकारिता में भाषा की विवरणात्मक शैली प्रस्तुत करने का श्रेय प्रेमचंद को प्राप्त है। उन्होंने गहन अध्ययन तथा विपुल शब्दावली द्वारा

हिन्दी पत्रकारिता को महिमामण्डित किया और उनकी पत्रकारीय भाषा का स्रोत परिवेश का वह यथार्थ संसार है जिसमें वे रहते हैं तथा भाषिक कृत्रिमता के स्थान पर तथ्य और अनुभव को अधिक सम्प्रेषणीय बनाने वाली भाषा के पक्षपाती हैं।

5.2.4.2.4. सांस्कृतिक चेतना

संस्कृति अपने रूप में वह चाहे कितना ही उदात्त क्यों न हो, प्रस्तुत होकर वह सार्थक और जीवन्त नहीं बनती प्रत्युत वर्तमान जीवन सन्दर्भों और दृष्टियों से जुड़कर ही सार्थक तथा जीवन्त होती है। प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के प्रणेता हैं जिसके कारण वे पाठकों के बीच अति लोकप्रिय हैं। डॉ॰ नगेन्द्र के अनुसार– "प्रेमचंद के साहित्य पर सर्वत्र शिव का शासन है, सत्य और सुन्दर शिव का अनुचर होकर आते हैं। उनकी कला स्वीकृत रूप में जीवन के लिए थी और जीवन का अर्थ उनके लिए वर्तमान सामाजिक जीवन ही था।" रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रेमचंद भारतीय संस्कृति के अनुरूप सदैव 'मानवीय मूल्यों' का अनुकरण करते प्रतीत होते हैं। उनका मानना है कि भारतीय जन-जीवन में कुछ ऐसी परम्पराएँ चली आ रही हैं जिन्हें बुद्धि और तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जाता, केवल रूढ़ि के रूप में पालन होता है, हमें ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना होगा। उन्होंने 'कफन' में कहा है – "अगर हम ऐसी व्यवस्था निर्मित नहीं कर पाए कि आदमी को भूख से निजात मिले तो समस्त मूल्य एवं हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी एवं मनुष्य होने की योग्यता समाप्त हो जाएगी।" इस प्रकार प्रेमचंद आदर्श एवं नैतिक मूल्यों से अभिप्रेरित पत्रकारिता की वकालत करते हैं।

प्रेमचंद की पत्रकारिता में सचमुच भारतीय जनमानस की वास्तविक अभिव्यक्ति हुई है। अभाव, दमन और विपत्तियों से घिरी हुई जनता, उत्पीड़न की शिकार जनता की जीवन स्थितियों के चित्रण के साथ उनकी पत्रकारिता में एक विशेष प्रवृत्ति दिखाई देती है जो आक्रोश, आक्रमण और करुणा मिश्रित है। साथ ही रचनात्मक अभिव्यक्ति को साधारण आदमी की चिन्ताओं से जोड़कर उन्होंने पत्रकारिता के प्रति आमजन के भरोसे का निर्माण किया है और गोस्वामी तुलसीदासजी की इस अवधारणा को अपनी रचनाशीलता में चरितार्थ किया कि अच्छी रचना का मूल आधार गंगा की तरह आमजन की मंगल कामनाहै।

5.2.5. सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'

हिन्दी साहित्य एवं पत्रकारिता विधा को एक नयी सर्जनात्मक ज़मीन पर विकसित करने वाले रचनाकारों में सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' का अन्यतम स्थान है। उन्होंने छायावाद के भावावेग, प्रगतिवाद के विचारधारात्मक नियतिवाद का विरोध करते हुए हिन्दी कविता में आधुनिकता का सूत्रपात किया। अज्ञेय नयी काव्य संवेदना के निर्माता, प्रवक्ता एवं भाष्यकार हैं। उनकी रचनाओं का फलक बहुत विस्तृत एवं व्यापक है। वे नयी काव्य प्रवृत्तियों के सूत्रधार कवि, मौलिक निबन्धकार, उपन्यासकार, कहानीकार, सम्पादक हैं। वे एक साथ आधुनिक आलोचना शास्त्र के निर्माता एवं सांस्कृतिक चिन्तक दोनों थे। पचास वर्षों के कालखण्ड में अज्ञेय का रचना-कर्म फैला हुआ है।

5.2.5.1. परिचय

सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' का जन्म उत्तरप्रदेश के देवरिया जिला के कसिया नामक गाँव में 07 मार्च 1911 को हुआ था। उनके पिता का नाम डॉ॰ हीरानन्द शास्त्री है। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा संस्कृत मौखिक परम्परा से आरम्भ हुई। उन्होंने वर्ष 1925 में पंजाब से माध्यमिक (प्राइवेट) परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर विज्ञान में उन्होंने स्नातक की उपाधि ग्रहण की लेकिन स्नातकोत्तर की पढ़ाई उन्होंने अंग्रेजी विषय में पूरी की। रचनात्मक लेखन की ओर विद्यार्थी जीवन काल से ही उनका झुकाव था। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं अनेक महत्त्वपूर्ण रचनाएँ की जिसमें लगभग एक दर्जन कविता संग्रह, एक नाटक, चार कहानी संग्रह, तीन उपन्यास सहित बारह निबन्ध संग्रह उल्लेखनीय हैं। उन्होंने हिन्दी और अंग्रेजी में अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सम्पादन एवं अनुवाद किया। अमेरीका, यूरोप व पूर्वी एशिया के कई देशों में उल्लेखनीय व्याख्यान दिए तथा अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पाँचवें अखिल भारतीय लेखक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने व्यक्ति, समय एवं साहित्य के अन्तस्सम्बन्धों को बहुत गहराई से रेखांकित किया। हिन्दी साहित्य की अप्रतिम सेवा करने के लिए उन्हें 'साहित्यवाचस्पति', नागरी प्रचारिणी सभा का पुरस्कार एवं पदक, साहित्य अकादेमी पुरस्कार से नवाज़ा गया। उज्जैन विश्वविद्यालय, उज्जैन ने अज्ञेय को मानद डी.लिट्. की उपाधि से सम्मानित किया।

5.2.5.2. पत्रकारिता

सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' साहित्यकार होने के साथ-साथ एक प्रखर पत्रकार थे। वर्ष 1936 से ही उन्होंने 'सैनिक' (आगरा), 'विशाल भारत' (कलकत्ता), 'बिजली' (पटना), 'प्रतीक' (इलाहाबाद), 'नवभारत टाइम्स', 'थॉट', 'वाक्' (दिल्ली), 'दिनमान' (1965), 'नया प्रतीक', 'एवरीमेंस अंग्रेजी' (1972-73), आदि अनेक पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन करते हुए हिन्दी भाषा एवं साहित्य के विकास तथा प्रचार-प्रसार में विशेष योगदान दिया। वर्ष 1940-42 और पुनः 1950-55 में ऑल इंडिया रेडियो के समाचार विभाग में काम करते हुए अज्ञेय ने हिन्दी की समाचार सेवा को देश के कोने-कोने में फैलाने के लिए अथक प्रयास किया।

5.2.5.2.1. राष्ट्रीय चेतना

सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' की रचनात्मक अनुभूति का केन्द्र 'व्यक्ति' है। व्यक्ति व उसकी चेतना की परिधि में ही रहकर अज्ञेय अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। इस सन्दर्भ में उनकी राष्ट्रीय चेतना अपने पूर्ववर्ती रचनाकारों से पृथक् है। उनके अनुसार एक राष्ट्र के लिए व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों की व्याख्या का प्रश्न केवल अभिव्यक्ति का प्रश्न नहीं है अपितु वह आधुनिक समस्या का केन्द्र भी है। चूँकि, आधुनिक सभ्यता में व्यक्तित्व के विघटन से व्यक्ति की राष्ट्रीय चेतना को अलग करके नहीं परखा जा सकता है इसलिए व्यक्तित्व निर्माण को ही वे राष्ट्र-निर्माण प्रक्रिया का आलम्बन मानते हैं। इस प्रकार उनका व्यक्तित्व पर आग्रह मानवीय अस्मिता के आग्रह का ही एक प्रतिरूप है। यही कारण है कि अलग-अलग कविताओं, निबन्धों

व सम्पादकीय लेखन के माध्यम से अज्ञेय की पत्रकारिता सदैव व्यक्तित्व के आग्रह को उद्घाटित और स्थापित करती है। उदाहरण देखिए –

यह दीप अकेला स्नेह भरा
है गर्व भरा मदमाता, पर
इसको भी पंक्ति को दे दो।

इस प्रकार व्यक्ति व्यक्तित्व-सम्पन्न होकर ही समाज का, राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। अज्ञेय कहते हैं कि जो समाज व देश व्यक्तित्व से सम्पन्न लोगों से मिलकर बनता है, वही सांस्कृतिक समाज है, अन्यथा वह भीड़ में तब्दील हो जाता है। साप्ताहिक 'दिनमान' में अज्ञेय के राष्ट्रपरक सम्पादकीय लेखों में गम्भीरता एवं विषय की सूक्ष्म पैठ सहज ही परिलक्षित होती है।

5.2.5.2.2. सामाजिक चेतना

औद्योगिक क्रान्ति के बाद जिस आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ, उसके केन्द्र में व्यक्ति नहीं है और यही चिन्ता अज्ञेय की सामाजिक पत्रकारिता का मूल आधार है। उनके अनुसार व्यक्ति समाज का उत्पादन मात्र नहीं है अपितु वह स्वयं इकाई है। समाज में रहते हुए भी व्यक्ति समाज का निर्माण करता है। 'बिजली' (पटना) के एक सम्पादकीय में अज्ञेय ने स्पष्ट लिखा है – "मानव सभ्यता में सामाजिक परिवर्तन का इतिहास व्यक्तित्वों से संचालित है। इतिहास का निर्माण समाज नहीं व्यक्ति करता है। व्यक्ति समाज का फोटोस्टेट नहीं है, उसका अपना व्यक्तित्व है।" वे कहते हैं – "मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति प्राथमिक है, बुनियाद व्यक्ति है और इस बुनियाद पर समाज का महल खड़ा है।" उनकी स्पष्ट मान्यता है कि सामाजिक जीवन की अनुभव प्रक्रिया रचना में नहीं आती अपितु उसको रचनाकार बदल देता है। कोई भी रचना अनुभव के बलाघात एवं अनुपात से निर्मित होती है इसलिए उन्होंने पत्रकारिता की रचनानुभूति, कलानुभूति एवं जीवनानुभूति को अलग-अलग सन्दर्भों में व्याख्यायित करने की कोशिश की है।

5.2.5.2.3. भाषाई चेतना

किसी भी अनुभव, विचार या अनुभूति को मूर्त करना भाषाई चेतना का प्रतीक है। भाषा ही रचनात्मक कौशल और उसकी सम्प्रेषणीयता की बुनियाद है। इस सन्दर्भ में अज्ञेय काव्यात्मक भाषा और पत्रकारिता की भाषा के मूल अन्तर को स्वीकारने में संकोच नहीं करते। पत्रकारिता की भाषा का मूल प्रयोजन सूचनात्मक होती है जबकि काव्य-भाषा यानी साहित्य की भाषा सूचना के प्रयोजन का अतिक्रमण करती हुई पाठक को विचार, अनुभूति, स्मृति और कल्पना की दुनिया में ले जाती है। इस प्रकार पत्रकारिता की भाषिक चुनौती और लक्ष्य साहित्य से अलग हो जाते हैं। पत्रकारीय भाषा में अभिव्यक्ति के सौन्दर्य की उपेक्षा सहज ही की जा सकती है। अपनी साहित्यिक रचनाओं की भाँति पत्रकारीय भाषा व अभिव्यक्ति में भी अज्ञेय प्रतीकों को पर्याप्त महत्त्व देते हैं। पत्रकारिता में भी उनके अधिकांश प्रतीक 'व्यक्ति और समाज' की सत्ता से सन्दर्भित हैं। बूँद, सागर, मछली, द्वीप,

दीप आदि उनके चर्चित प्रतीक हैं और अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति में इन प्रतीकों का भरपूर उपयोग करते हैं। अज्ञेय ने अपने प्रतीकों के द्वारा पत्रकारीय भाषा के अर्थ संसार को एक नयी अर्थवत्ता दी है।

भाषा की सम्प्रेषणीयता ही उसकी लोकप्रियता का आधार होती है इसलिए उन्होंने साप्ताहिक 'दिनमान' में सरल, संक्षिप्त, सटीक, टिप्पणीकारक और व्यंजना शक्ति से भरपूर शीर्षकों की परम्परा का न केवल सूत्रपात किया अपितु आवरण पर 'दिनमान' में समाहित घटनाओं को छोटे-छोटे व सशक्त शीर्षकों से सुसज्जित करने का उल्लेखनीय कार्य किया। साथ ही उन्होंने देशज क्रियापदों का प्रयोग करके एक ओर तो अभिव्यक्ति कौशल का परिचय दिया है तो दूसरी ओर इससे पत्रकारिता में लोक-संस्पर्श और स्थानीय प्रभाव का समावेश भी हो गया है। बेध गई, घुमड़ती, कसमसाती, आँज जाती, आँकता, हरसाता आदि ऐसे ही क्रियापद हैं।

5.2.5.2.4. सांस्कृतिक चेतना

मानवीय मूल्यों के विघटन ने अज्ञेय की सांस्कृतिक चेतना को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। उनका सांस्कृतिक चिन्तन 'अस्तित्ववाद' से अनुप्राणित है। अपनी व्यष्टि चेतना के आलोक में सर्वप्रथम वे 'लघु मानव' यानी 'व्यक्ति' के प्रतिष्ठा की बात करते हैं, फिर अपनी अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए भारतीय संस्कृति के अनुरूप विराट् विश्व के प्रति समर्पित होने की बात करते हैं। सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' की हिन्दी पत्रकारिता के केन्द्र में रचनाधर्मिता है जो एक समेकित सांस्कृतिक, राजनैतिक, साहित्यिक और समकालीन चेतना के रंग में पूरी तरह निखरा हुआ था। गाँव, देहात, कस्बाई जिन्दगी, शहरों के पिछड़े लोग सहित आँचलिक जीवन शैली का जीवन्त चित्रण के आलोक में अज्ञेय की पत्रकारिता समकालीन पत्रकारों के लिए संजीवनी है।

5.2.6. पाठ-सार

मनुष्य मात्र को अधिकतम सम्भव तथ्यों की जानकारी होती रहे, यह परम आवश्यक है। ऐसे उद्देश्यपूर्ण दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक की गई पत्रकारिता से ही सम्भव है। भारत ही नहीं, बल्कि विश्व में भी आज तक कभी पत्रकारिता और उसकी विश्वसनीयता को लेकर कभी आमजनों में सन्देह की स्थिति पैदा नहीं हुई है। इतिहास इस बात का गवाह है। ऐसे में हिन्दी पत्रकारिता के विस्तार व विकास की प्रक्रिया में बाबूराव विष्णु पराड़कर, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन', मुंशी प्रेमचंद सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' जैसे पत्रकारों की भूमिका अनुकरणीय है।

5.2.7. बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. दैनिक 'आज' के सम्पादक थे –
   (क) बाबू विष्णुराव पराड़कर

(ख) पण्डित बालकृष्ण भट्ट
(ग) मुंशी प्रेमचंद
(घ) इनमें से कोई नहीं

2. साप्ताहिक ‘दिनमान’ का प्रकाशन वर्ष है –
(क) 1964
(ख) 1965
(ग) 1966
(घ) 1967

3. ‘नया प्रतीक’ के सम्पादक थे –
(क) सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन’अज्ञेय’
(ख) बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’
(ग) दोनों
(घ) इनमें से कोई नहीं

4. निम्नलिखित में कौन-सी पत्रिका मुंशी प्रेमचंद की है–
(क) इतवारी
(ख) मालती
(ग) प्रतीक
(घ) नया प्रतीक

5. निम्नलिखित में से कौन-सा पत्र साप्ताहिक था –
(क) दिनमान
(ख) आज
(ग) नवभारत टाइम्स
(घ) इनमें से कोई नहीं

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन द्वारा सम्पादित पत्र-पत्रिकाओं का उल्लेख कीजिए।
2. ‘हंस’ मासिक पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ ?
3. पण्डित बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ की पत्रकारिता का रचनात्मक आधार क्या है ?

4. 'हिन्दी बंगवासी' का प्रकाशन कब और कहाँ से शुरू हुआ ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. "मुंशी प्रेमचंद की पत्रकारिता में भारतीय राष्ट्रीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति हुई है।" विचारपूर्वक विवेचना कीजिए।
2. राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के सन्दर्भ में बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' के पत्रकारीय अवदान की विवेचना कीजिए।

5.2.8. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

1. वैदिक, डॉ॰ वेदप्रताप (2006), हिन्दी पत्रकारिता : विविध आयाम, नयी दिल्ली, हिन्दी बुक सेंटर, नयी दिल्ली
2. तिवारी, डॉ॰ अर्जुन तिवारी, आधुनिक पत्रकारिता का बृहत् इतिहास, वाणी प्रकाशन, नयी दिल्ली
3. लाल, वंशीधर, भारतीय स्वतन्त्रता ओर हिन्दी पत्रकारिता, बिहार ग्रन्थ कुटीर, पटना
4. सिंह, बच्चन, हिन्दी पत्रकारिता के नये प्रतिमान, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी

उपयोगी इंटरनेट स्रोत :

1. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
2. http://www.hindisamay.com/
3. http://hindinest.com/
4. http://www.dli.ernet.in/
5. http://www.archive.org

❖❖❖

खण्ड – 5 : हिन्दी पत्रकारिता के गौरव और उनका अवदान

इकाई – 3 : माखनलाल चतुर्वेदी, गणेशशंकर 'विद्यार्थी', बनारसीदास चतुर्वेदी, प्रभाष जोशी

इकाई की रूपरेखा

5.3.0. उद्देश्य कथन
5.3.1. प्रस्तावना
5.3.2. माखनलाल चतुर्वेदी
    5.3.2.1. माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन-परिचय
    5.3.2.2. माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता
5.3.3. पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी
    5.3.3.1. बनारसीदास चतुर्वेदी का जीवन-परिचय
    5.3.3.2. बनारसीदास चतुर्वेदी की पत्रकारिता
5.3.4. गणेश शंकर 'विद्यार्थी'
    5.3.4.1. गणेश शंकर 'विद्यार्थी' का जीवन-परिचय
    5.3.4.2. गणेश शंकर 'विद्यार्थी' की पत्रकारिता
5.3.5. प्रभाष जोशी
    5.3.5.1. प्रभाष जोशी का जीवन-परिचय
    5.3.5.2. प्रभाष जोशी की पत्रकारिता
5.3.6. पाठ-सार
5.3.7. बोध प्रश्न
5.3.8. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

5.3.0. उद्देश्य कथन

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप हिन्दी पत्रकारिता से जुड़े निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे –

i. हिन्दी सम्पादकों का जीवन परिचय
ii. माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारीय दृष्टि
iii. माखनलाल चतुर्वेदी का भाषा-संस्कार
iv. माखनलाल चतुर्वेदी की साहित्यिक पत्रकारिता के मानदण्ड
v. पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी की जीवन-यात्रा
vi. पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी और विशाल भारत
vii. गणेश शंकर 'विद्यार्थी' और प्रताप
viii. गणेश शंकर 'विद्यार्थी' का सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन

ix. गणेश शंकर 'विद्यार्थी' की शहादत
x. प्रभाष जोशी के आदर्श एवं मूल्य
xi. प्रभाष जोशी और जनसत्ता
xii. प्रभाष जोशी की सम्पादकीय टिप्पणियाँ

5.3.1. प्रस्तावना

लोकतन्त्र में सम्पादकीय एक संस्था होती है जिसमें सम्पादक की आवाज उसके राष्ट्र के आवाज की गूँज होती है। पहले समाचार पत्र-पत्रिकाओं की पहचान उसके सम्पादक के नाम से होती थी, जैसे – धर्मवीर भारती के नाम से 'धर्मयुग', अज्ञेय के नाम पर 'दिनमान', राजेन्द्र माथुर के नाम से 'नवभारतटाइम्स', बाबूराव विष्णु पराड़कर के नाम पर 'आज' और प्रभाष जोशी के नाम पर 'जनसत्ता' आदि। आज सम्पादक की भूमिका बदलती जा रही है। जिस प्रकार से पहले सम्पादक की सत्ता और महत्ता दोनों होती थी तथा देश और समाज को गढ़ने में सम्पादक का बहुत बड़ा योगदान होता था परन्तु वर्तमान में सम्पादकी एवं सम्पादक दोनों में काफी परिवर्तन आ गया है। वैश्वीकरण के इस दौर में सम्पादक वर्ग सत्ता और महत्ता में लगातार कमी आयी है। सम्पादक अब केवल सम्पादक का ही कार्य नहीं कर रहे बल्कि वह मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सी.ई.ओ. और प्रबन्धक की भूमिका भी निभा रहे हैं। यानी वक्त के साथ उसकी भूमिका भी बदलती जा रही है। सम्पादकों में पहले की अपेक्षा जिम्मेदारियाँ कहीं ज्यादा बड़ी है, बाज़ार रूपी प्रतिस्पर्धा में सम्पादक की सत्ता कमजोर तथा इनकी महत्ता कम हुई है।

हिन्दी जगत् में सम्पादकाचार्य कहे जाने वाले बाबूराव विष्णु पराड़कर ने सन् 1925 में ही वृन्दावन में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में पत्रकारिता के संकट पर अपनी भविष्यवाणी कर दी थी और उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि पत्र निकालकर सफलतापूर्वक चलाना बड़े-बड़े धनिकों और सुसंगठित कम्पनियों के लिए सम्भव होगा। पत्र सर्वांग सुन्दर होंगे। आकार बड़े होंगे। अच्छी कमाई होगी। मनोहर, मनोरंजन और ज्ञानवर्धक चित्रों से सुसज्जित होंगे। लेखों में विविधता होगी, गम्भीर गवेषणा की झलक होगी और मनोहारिणी शक्ति होगी। ग्राहकों की संख्या लाखों में गिनी जाएगी। सब कुछ होगा पर पत्र प्राणहीन होंगे। आज के समय में बाबूराव विष्णु पराड़कर की भविष्यवाणी शत प्रतिशत सच होता दिखाई पड़ रहा है। हिन्दी पत्रकारिता की समाज में सदैव अहम भूमिका रही है। स्वाधीनता-आन्दोलन के दौरान पत्र-पत्रिकाओं में विद्यमान क्रान्ति की ज्वाला, क्रान्तिकारियों की ज्वाला से कम नहीं थी। इनमें प्रकाशित रचनाएँ जहाँ स्वतन्त्रता-आन्दोलन को एक मजबूत आधार प्रदान कर रही थी, वहीं लोगों में बखूबी जन-जागरण का कार्य भी कर रही थी। गणेश शंकर 'विद्यार्थी', माखनलाल चतुर्वेदी, पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी, आदि जैसे निर्भीक् पत्रकारों ने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। स्वाधीनता-आन्दोलन के दौरान इनकी पत्र-पत्रिकाएँ स्मरणीय रही है। उस समय ब्रिटिश शासन की गुलामी से जूझ रहे देश को पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से जागरूक किया जा रहा था। वे लोग साहित्य और पत्रकारिता के ऐसे शीर्ष स्तम्भ थे जिनके अख़बार प्रताप, सुबोध बन्धु, प्रभा, कर्मवीर, मधुकर, सरस्वती, अभ्युदय, विशाल भारत आदि पत्रों के जरिये न जाने कितने क्रान्तिकारी स्वाधीनता-आन्दोलन से लोगों

को रूबरू कराया, वहीं समय-समय पर यह अख़बार क्रान्तिकारियों की सुरक्षा हेतु मददगार भी बना। जिस समय देश में क्रान्ति की ज्वाला फूट रही थी उस समय माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्रीय विचारधारा से जोड़कर अपने पत्रों का सम्पादन किया जिससे देश के युवाओं और आमजन को एक नयी दिशा और ऊर्जा मिल सके।

पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी ने अपने पत्रों के माध्यम से देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के युवाओं को जाग्रत् और प्रेरित करने का काम किया। ऐसी ही विशेषताएँ गणेश शंकर 'विद्यार्थी' के पत्रों में मिलती है। इसी क्रम में प्रभाष जोशी ने अपने पत्रों के माध्यम से देश की जनता को देशप्रेम से जोड़ा तथा अन्य साहित्यकारों को भी प्रेरित किया। प्रभाष जोशी हिन्दी के आधार स्तम्भों में से एक थे। बेबाक लेखनी और बेबाक टिप्पणी प्रभाषजी की पहचान थी। पत्रिकाओं के क्षेत्र में जो काम 'दिनमान' और रविवार ने किया अख़बार की दुनिया में वही काम प्रभाष जोशी ने 'जनसत्ता' के माध्यम से किया। प्रभाषजी राजनीति तथा क्रिकेट पत्रकारिता के विशेषज्ञ माने जाते थे।

5.3.2. माखनलाल चतुर्वेदी

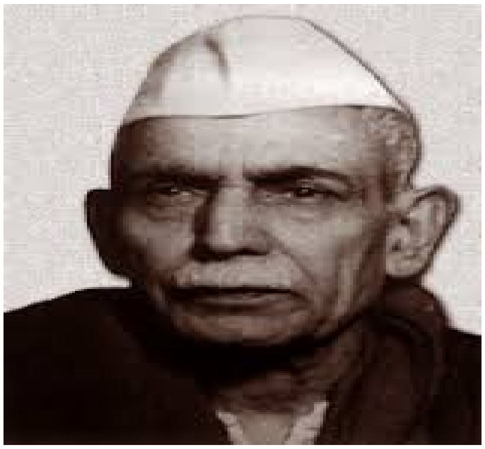

5.3.2.1. माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन-परिचय

'एक भारतीय आत्मा' के नाम से विख्यात 'दादा माखनलाल चतुर्वेदी' ने आजीवन हिन्दी भाषा की सेवा की और उसी के उत्थान की अनवरत चिन्ता की। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम नन्दलाल चतुर्वेदी और माता का नाम सुंदरीबाई है। इनका विवाह सन् 1903 में हुआ। इनकी पत्नी का नाम ग्यारसीबाई है। माखनलाल चतुर्वेदी का परिवार विद्या अध्ययन के लिए जाना जाता है और यही संस्कार इन्हें भी बचपन से मिले। माखनलाल चतुर्वेदी के भीतर माता-पिता के गुण व संस्कार बाल्यावस्था से ही विद्यमान थे। आदर्श एवं संस्कार जैसी चीजें उनके अन्दर कूट-कूट के भरी हुई थी। वह बड़े ही साहसी और निडर थे। मुसीबतें झेलने की उनमें अद्भुत शक्ति थी। प्राथमिक पाठशाला में पढ़ते समय प्रकृति और सृष्टि से साक्षात्कार करना उनका प्रिय शौक था। यह उनके कवि हृदय का परिचायक था। चतुर्वेदीजी ने सन् 1905 में प्राइमरी परीक्षा पास की। वे विद्यार्थी जीवन में मेधावी और विनोद

प्रिय थे। वे विभिन्न पारिवारिक कारणों से उच्च शिक्षा नहीं ले पाए परन्तु घर पर ही रहकर उन्होंने संस्कृत के ग्रन्थों का अध्ययन किया जिसमें श्रीमद्‌भागवत एवं अमर कोश जैसे ग्रन्थ शामिल हैं। उन्होंने उर्दू, फारसी, बांग्ला, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी का भी ज्ञान प्राप्त किया। चतुर्वेदीजी को भाषा के प्रति अनुराग एवं आदर की भावना के संस्कार बचपन से ही मिले थे।

5.3.2.2. माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारिता

माखनलाल चतुर्वेदी सुधी चिन्तक, सुकवि और प्रखर पत्रकार होने के साथ-साथ स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनापतियों में से एक थे, सच्चे अर्थों में सम्पूर्ण मानव थे। उनकी वास्तविक पहचान 'एक भारतीय आत्मा' के रूप में थी। माखनलाल चतुर्वेदी हिन्दी भाषा के उन विद्वान पुरुषों में से एक हैं जिन्होंने हिन्दी भाषा के विकास एवं उत्थान में स्वतन्त्रता के पूर्व एवं स्वातन्त्रोत्तर काल में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। पत्रकारिता, साहित्य एवं हिन्दी शिक्षण से सम्बन्धित अनेक प्रकल्पों में माखनलालजी की अहम भूमिका रही है। वे भारत के ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार थे, जिनकी रचनाएँ अत्यन्त लोकप्रिय हुईं। सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के वे अनूठे हिन्दी रचनाकार थे। 'प्रभा' और 'कर्मवीर' जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जोरदार प्रचार किया और नयी पीढ़ी का आह्वान किया कि वह गुलामी की जंजीरों को तोड़ कर बाहर आए। यहीं से चतुर्वेदीजी की पत्रकारिता की शुरुआत हुई।

माखनलाल चतुर्वेदी का पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। वे राष्ट्रवादी विचारधारा के थे तथा राष्ट्र-सेवा में ही अपना जीवन लगाना चाहते थे इसलिए सन् 1904 में वे कलकत्ता से कांग्रेस में शामिल हुए। उस समय वे लोकमान्य बालगंगाधर तिलक के विचारों से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने काशी क्रान्तिकारी दल में दीक्षा ली। उन्होंने अपने खून से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किये। आरम्भ में ही उन पर क्रान्तिकारियों का गहरा प्रभाव था। बाद में गाँधीजी के विचारों से प्रभावित होकर उनके अनुयायी बने। सन् 1901 में उन्होंने प्राइमरी स्कूल में अध्यापन का कार्य प्रारम्भ किया।

सन् 1908 में माधवराव सप्रे ने 'हिन्दी केसरी' के लिए 'राष्ट्रीय आन्दोलन और बहिष्कार' विषय पर एक मौलिक निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की थी। उस समय पूरे देश में क्रान्ति की ज्वाला फूट रही थी। बहिष्कार का दौर था। नये लेखकों को राष्ट्रीय विचारधारा से जोड़कर उन्हें राष्ट्रवादी विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित करना पण्डित माधवराव सप्रे का उद्देश्य था। इस निबन्ध प्रतियोगिता में खण्डवा के 19 वर्षीय नवयुवक लेखक माखनलाल चतुर्वेदी ने अपना निबन्ध भेजा और उन्हें प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। यही पण्डित माधवराव सप्रे और माखनलाल चतुर्वेदी का पहला सम्पर्क था। तभी से माधवराव सप्रे के मन में इस होनहार लेखक माखनलालजी के बारे में सद्भावना के बीज अंकुरित हुए। माधवराव सप्रे पारखी थे। वे प्रतिभा पहचान लेते थे। पण्डित माधवराव सप्रे जैसे तपस्वी हिन्दी सेवी की प्रेरणा पाकर माखनलाल चतुर्वेदी ने नौकरी छोड़कर पत्रकारिता तथा साहित्य के माध्यम से राष्ट्र एवं राष्ट्रभाषा की सेवा करने का निश्चय किया। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख साहित्यिक कृतियाँ हैं – कृष्णार्जुन युद्ध (1916), साहित्य के देवता (1943), हिमकिरीटनी (1943), हिमतरंगिनी

(1949), माता (1951), युग चरण (1956), समर्पण (1951), पुष्प की अभिलाषा आदि। हिमतरंगिनी पर इन्हें 1955 में साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिला।

भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आदरपूर्वक लिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी हिन्दी पत्रकारिता के ओजस्वी पुरुष थे। इनका व्यक्तित्व बहुमुखी था। इनका व्यक्तित्व स्वतन्त्रता सेनानी क्रान्तिकारी कवि, नाटककार, निबन्धकार, लेखक एवं निर्भीक् पत्रकार की मिली-जुली रेखाओं से बनता है।

साहित्यिक योगदान

हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में ये निम्नलिखित तीन पत्रों के सम्पादक रहे हैं –

1. प्रभा (खण्डवा, कानपुर) : खण्डवा के हिन्दी सेवी कालूराम गंगराडे ने अप्रैल 1913 में मासिक पत्रिका 'प्रभा' का प्रकाशन आरम्भ किया जिसके सम्पादन का दायित्व माखनलालजी को सौंपा गया। माखनलाल चतुर्वेदी 'प्रभा' से पत्रकारिता की शुरुआत की।
2. प्रताप (कानपुर) : कानपुर से गणेश शंकर 'विद्यार्थी' द्वारा सन् 1913 में 'प्रताप' प्रकाशन प्रारम्भ किया गया। गणेश शंकर 'विद्यार्थी' की गिरफ्तारी के बाद माखनलाल चतुर्वेदी सन् 1924 में प्रताप का सम्पादकीय कार्य भार सँभाला।
3. कर्मवीर (जबलपुर) : जबलपुर से सन् 1919 में पण्डित माधवराव सप्रे 'कर्मवीर' राष्ट्रीय दैनिक सम्पादक थे। माधवराव सप्रे के मृत्यु के बाद 4 अप्रैल 1925 को माखनलाल चतुर्वेदी खण्डवा से कर्मवीर का पुनः प्रकाशन किया।

25 सितंबर 1925 में 'कर्मवीर' के अंक में किसानों के सन्दर्भ में वे लिखते हैं – "उसे नहीं मालूम कि धनिक तब तक ज़िंदा है, राज्य तब तक कायम है, ये सारी कोशिश तब तक हैं, जब तक वह अनाज उपजाता है और मालगुजारी देता है। जिस दिन वह इंकार कर दे उस दिन समस्त संसार में महाप्रलय मच जाएगा। उसे नहीं मालूम कि संसार का ज्ञान, संसार के अधिकार और संसार की ताकत उससे किसने छीन कर रखी है और क्यों छीन कर रखी है। वह नहीं जानता कि जिस दिन वह अज्ञान इंकार कर उठेगा उस दिन ज्ञान के ठेकेदार स्कूल फिसल पड़ेंगे, कॉलेज नष्ट हो जाएँगे और जिस दिन उसका खून चूसने के लिए न होगा, उस दिन देश में यह उजाला, यह चहल-पहल, यह कोलाहल न होगा।" प्रभा, कर्मवीर और प्रताप जैसे पत्रों के सम्पादन द्वारा इन्होंने अंग्रेजी शासन का पुरजोर विरोध किया और युवाओं को स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए मर-मिटने को प्रेरित किया। स्वतन्त्रता के पश्चात् भी राष्ट्र-रक्षा और राष्ट्र-निर्माण का उद्घोष इन्होंने अपनी प्रेषक कविताओं के माध्यम से किया। समझौतों के खिलाफ उन्होंने हमेशा जनमानस में चेतना जाग्रत् की। उन्होंने लिखा है –

अमर राष्ट्र, उद्दण्ड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र, यह मेरी बोली।
यह सुधार समझौतों वाली, मुझको भाती नहीं ठिठोली॥

गद्य रचनाओं में 'कृष्णार्जुन युद्ध' और 'साहित्य देवता' का विशेष महत्त्व है। 'कृष्णार्जुन युद्ध' अपने समय की बहुत लोकप्रिय रचना रही है। पारसी नाटक कम्पनियों ने जिस ढंग से हमारी संस्कृति को विकृत करने का प्रयत्न किया, वह किसी प्रबुद्ध पाठक से छिपा नहीं है। 'कृष्णार्जुन युद्ध' शायद ऐसे नाट्य प्रदर्शनों का मुँहतोड़ जवाब था। 'साहित्य देवता' माखनलालजी के भावात्मक निबन्धों का संग्रह है। असहयोग आन्दोलन के दौरान इन्हें बिलासपुर जेल में बन्द किया गया था। जहाँ पर इन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध कविता 'पुष्प की अभिलाषा' लिखी। इस कविता के माध्यम से इन्होंने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण स्वतन्त्रता सेनानियों के मनोभावों का चित्रण किया है।

माखनलाल चतुर्वेदी हिन्दी पत्रकारिता के उन बिरले पत्रकारों में थे जिन्होंने अपनी लेखनी और भाषा दोनों से ही राष्ट्र की सेवा की थी। उन्होंने पत्रकार के रूप में न केवल राष्ट्रीय जागरण का भैरवी मन्त्र फूँका बल्कि अपने पत्र 'कर्मवीर' द्वारा अनेक लेखकों और कवियों को हिन्दी साहित्य में गौरवपूर्ण पद प्राप्त करने की प्रचुर प्रेरणा भी प्रदान की थी। चतुर्वेदीजी केवल कवि ही नहीं बल्कि एक प्रखर एवं जागरूक पत्रकार भी थे। अंग्रेजी शासन के समय पत्र निकालना बहुत ही मुश्किल था। उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन साहित्य और पत्रकारिता को समर्पित कर दिया। उनके द्वारा सम्पादित पत्र 'सुबोध बन्धु', 'प्रभा' और 'कर्मवीर' हैं। मध्यप्रदेश में सन् 1920 से लेकर स्वराज्य-प्राप्ति तक शायद ही कोई दैनिक साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक पत्र का सम्पादक रहा हो, जो उनकी सम्पादन नीति से प्रभावित न हो। पत्रकारिता को व्यवसाय या धंधा न मानने वाले माखनलाल चतुर्वेदी उसके लिए बड़े से बड़ा त्याग करते थे। खण्डवा से उस समय मराठी में साप्ताहिक पत्र 'सुबोध बन्धु' प्रकाशित होता था। इस पत्र का हिन्दी संस्करण पण्डित माणिकचन्द्र प्रकाशित करते थे। जिनके नाते उन्होंने बिना किसी सहायता के लेख निबन्ध, समाचार-पत्र लिखना प्रारम्भ किया और धीरे-धीरे वे पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गये। इसके परिणामस्वरूप अध्यापक पद से त्यागपत्र देकर वे पत्रकारिता के क्षेत्र में पूर्ण रूप से उतर आए।

चतुर्वेदीजी ने सामयिक समाचार पत्रों और भारत की मौजूदा परिस्थितियों का अध्ययन करके 'प्रभा' नामक पत्रिका का सम्पादन किया। इनके पत्रिका का प्रथम अंक 7 अप्रैल 1913 को प्रकाशित हुआ। इसकी छपाई का काम देवगिपकर के चित्रशाला प्रेस पुणे में सम्पन्न होता था। साहित्यिक पत्रिका 'प्रभा' को पहले ही वर्ष से अच्छे लेखकों का सहयोग मिलने लगा।

माखनलाल चतुर्वेदी अलग-अलग उपनामों से पत्र में कविताएँ, लेख, समालोचना, गद्यकाव्य, राजनैतिक टिप्पणियाँ आदि समय-समय पर लिखते रहते थे। इन्हें लोग कई नामों से जानते थे, जैसे, श्रीगोपाल, भारतसंतान, कुछ नहीं पशुपति, सुधारप्रिय, नीतिप्रेमी, एक विद्यार्थी, तरुण भारत, एक प्रान्तीय प्राणी, श्रीयुत् नवनीत, श्रीविश्वव्यास, श्रीचंचरीक, श्रीशंकर और एक भारतीय आत्मा आदि। ऐसे ही नाम 'प्रताप पत्र' में भी रखे थे। उपनाम रखना उनकी आदत में घुल-मिल गया था। उस समय क्रान्तिकारी गुप्त या उपनाम तथा छद्म नाम से अपना कार्य किया करते थे। चतुर्वेदीजी ने दूसरे तरुण कवियों के भी छद्म नाम रखते थे। विनय कुमार, पर्वत कुमार और काले, काला हंस तथा प्रभाकर माचवे का नाम 'विंध्य कुमार' रहता था। इनके 'प्रभा' नामक पत्र में नाम तो गंगराड़ेजी का छपता था परन्तु सम्पादन सम्बन्धी सभी कार्य चतुर्वेदीजी करते थे। इस स्थिति पर बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने लिखा है – "मुझे मालूम हो चुका था कि प्रभा पर अपना नाम न छपवाकर दूसरे का नाम छपवाते हैं।" सामान्य रूप से 'प्रभा पत्र' को मध्यप्रदेश की सरस्वती कहा जाता है। जैमिनी कौशिक 'बरुआ' लिखते हैं – 'सरस्वती' तथा 'प्रभा' से दोनों मासिक अपने युग के दो पूरक दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरस्वती के माध्यम से आचार्य द्विवेदी विशुद्ध साहित्यिक व शिक्षाधारित जनहिताय, संस्कृति पर लगे हुए अंकुशोंके मार्ग को प्रशस्त करने में लगे थे। 'प्रभा' के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी उस राष्ट्रीयता और सामाजिक चेतना का पोषण करने में लगे थे। 'सरस्वती' अध्ययनशील साहित्य की प्रेरक थी। 'प्रभा' राजनैतिक आन्दोलन के क्षणों में प्रेरक वाणी शंख बजाने में विश्वास करती थी। माखनलाल चतुर्वेदी के जेल जाने से 'प्रभा' पत्रिका बन्द हो गयी। मार्च 1915 में गणेश शंकर 'विद्यार्थी' ने 'प्रभा पत्र' का पुनः प्रकाशन शुरू किया। सन् 1916 में यह पत्रिका बिल्कुल बन्द हो गयी।

माखनलाल चतुर्वेदी और साप्ताहिक 'कर्मवीर' ये दो नाम आजीवन जुड़े रहे। चतुर्वेदीजी मई 1915 की 'प्रभा' में सम्पादकीय लिखते हैं – जिसमें पत्र की साहित्यिक गरिमा प्रशस्त होती है। "हम उन लेखकों जो हिन्दी साहित्य की तीखी आलोचना होने के पक्ष में हैं और जिनका हृदय किसी दमदार सितारे या साहित्याचार्य से डर जाने वाला नहीं, यह सूचना देना चाहते हैं कि अपने समाज के मानसिक पेट में यदि वो कूड़ा-करकट नहीं भरना चाहते हो तो निर्भय होकर वे उन समाज शत्रुओं की तीखी आलोचना करें, रंचमात्र भी न डरें। इस घोर अराजकता में वे सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि कहीं वह आलोचना ही कूड़ा-करकट का रूप न धारण कर लें। लोकमत का काम है कि वह प्रतिवाद के डंडों से उचित मार्ग में अपने नेता, सुधारक और साक्षारता को नहीं सोचना चाहते, या उन पर कुछ कार्य नहीं करना चाहते तो उन्हें हमारे विचार से राजनैतिक स्वाधीनता का सपना देखना भी पाप है। हमारा अनुरोध है कि तुम अन्यायों और भूलों के सम्बन्ध में जो कुछ लिखना हो वह दबकर नहीं खुलकर लिखो।"

माखनलाल चतुर्वेदी को सम्पादन कला की निर्भयता और तेजस्विता की कीमत चुकानी पड़ी । उनके सम्पादकीय कार्यालय अर्थात घर पर 63 बार तलाशियाँ हुई और वे 12 बार जेल की यात्रा कर चुके थे। उनकी पत्रकारिता के गुरु माधवराव सप्रे के विचारधारा के प्रचार-प्रसार हेतु पण्डित विष्णुदत्त शुक्ल के सहयोग से जबलपुर से साप्ताहिक पत्र निकालने हेतु 'राष्ट्र-सेवा लिमिटेड' की स्थापना पण्डित माधवराव सप्रे द्वारा 1919 में की गयी। राष्ट्र-सेवा लिमिटेड ने 17 जनवरी 1920 को जबलपुर से साप्ताहिक पत्र 'कर्मवीर' निकाला। इस पत्र के प्रधान सम्पादक माधवराव सप्रे तथा सम्पादक माखनलाल चतुर्वेदी थे।

माखनलाल चतुर्वेदी का 'कर्मवीर' पत्र उनकी आत्मा है । 'कर्मवीर' चतुर्वेदीजी की भावनाओं एवं विचारधाराओं को स्पष्ट करने वाला प्रथम पत्र है। इसका एक-एक अंक भारतीय राष्ट्रवादी आन्दोलन का इतिहास प्रस्तुत करता है। 'कर्मवीर' में अनेक पृष्ठों का प्रयोग पैने शास्त्रों की तरह किया जाता है। इसके विषय में लाला लाजपत राय ने कहा – "माखनलाल चतुर्वेदी का केवल यह कार्य ही उनको अमर बनाने के लिए पर्याप्त है ।" 'कर्मवीर' उन दिनों राष्ट्रीय जागरण का शंखनाद कर रहा था। इस पत्र ने विस्मृत भारतीय स्वाभिमान को जाग्रत् किया तथा साहित्य के क्षेत्र में नवीन शक्ति का संचार भी किया। चतुर्वेदीजी 1922 में राघवेन्द्र राव के हस्तक्षेप के कारण पत्रिका से अलग हो गये और पत्र बन्द हो गया। 4 अप्रैल 1925 से पत्र का प्रकाशन पुनः शुरू हुआ। इस पत्र के सम्पादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। 'कर्मवीर' के माध्यम से चतुर्वेदीजी ने जनता की जो सेवा की, वह चिरस्मरणीय है। तत्युगीन राजाओं पर इस पत्र का आतंक था। इस प्रकार चतुर्वेदीजी के व्यक्तित्व में क्रान्ति की भावना कूट-कूट कर भरी थी। उन्होंने विचारों की क्रान्ति उत्पन्न करके समाज में नयी चेतना का उद्घोष किया जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को एक नवीन भावबोध की अनुभूति हुई।

गणेश शंकर 'विद्यार्थी' के जेल जाने पर चतुर्वेदीजी ने 3 मार्च 1924 तक 'प्रताप' का सम्पादन किया। उनकी विद्रोहात्मक लेखनी से शासन बहुत डरता था इसलिए उन्हें बार-बार जेल की यातनाएँ सहनी पड़ी। चतुर्वेदीजी के जीवन में राजनैतिक क्रान्ति और साहित्य का संगम था, उन्होंने 'प्रभा' और 'कर्मवीर' के माध्यम से व्यापक राष्ट्रीय संवेदना और शाश्वत मूल्यों को विद्रोह के स्तर पर समन्वित करने का श्री गणेश किया। उनकी पत्रकारिता ने आत्मशौर्य की भावना को जन-जन में भरा और प्रान्त लेखकों, कवियों तथा पत्रकारों की एक नयी पीढ़ी तैयार की। 'एक भारतीय आत्मा' उनका केवल कल्पित नाम ही नहीं था वे वास्तव में भारत की आत्मा थे। इसी से भारतीय पत्रकारिता के इतिहास में इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी ने साहित्यिक पत्रकारिता में कुछ मानदण्डों को निर्धारित किया है जो इस प्रकार हैं –

i. उन्होंने पत्रकारिता के विज्ञापनदाताओं की याचना नहीं की और उनके आगे कभी नहीं झुके।
ii. उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में विभिन्न विचारधाराओं के लेखकों, कवियों और विचारकों को अभिव्यक्ति की पूरी स्वतन्त्रता दी।
iii. उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से मूक, अनपढ़, किसान और गरीब जनता की शिकायतों को आवाज दी।
iv. उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर ध्यान दिया। उन पर लेख लिखे और अन्य से लिखवाये।

v. उन्होंने अपनी पत्रकारिता में भारत को अपने प्रवेश नगर या मित्र-मण्डली तक सीमित नहीं किया। सदा व्यापक, उदार, सर्वसंग्राहक दृष्टि रखी और जाति-भेद, धर्म-भेद, प्रदेश-भेद, भाषा-भेद से उठकर सबको अपनाया।

vi. उन्होंने समाज के अपेक्षित धर्म, वेद, दलित वर्ग, पिछड़े अल्पसंख्यक इकाइयों को प्रोत्साहन दिया। स्त्रियों को समानाधिकार और न्यायोचित माँगों पर उठकर लिखा।

vii. वे किसी बड़े प्रलोभन के शिकार न होकर सेठों, साहूकारों और सामन्तों को सदैव ही समाज के गरीबों का शोषण करने वाला ही मानते थे।

चतुर्वेदीजी का पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा। इन्हें लोग 'दादा' नाम से पुकारते थे। इनकी भाषा सरल एवं सहज थी और ये ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे रचनाकार थे। वे हिन्दी साहित्य के कई सम्मेलनों में अध्यक्ष रहे। उन्हें कई पुरस्कारों आदि से नवाजा गया। 30 जनवरी 1968 को चतुर्वेदीजी का निधन हो गया।

5.3.3. पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी

5.3.3.1. बनारसीदास चतुर्वेदी का जीवन-परिचय

पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी मूलतः फिरोजाबाद के निवासी थे। उनका जन्म 24 दिसंबर 1892 को हुआ था। आगे चलकर वे हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार बने। स्वतन्त्रता-संग्राम के दिनों में कलकत्ता में रहते हुए उन्हें प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के सम्पर्क में आने का अवसर मिला। देश आजाद होने के बाद वे राज्यसभा के सदस्य भी बने। उनकी स्मृति में पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी सम्मान दिया जाता है। हिन्दी पत्रकार संघ आदि संस्थाओं के संचालन में उनकी रुचि रही। दिल्ली में हिन्दी भवन खोलने का श्रेय भी पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी को जाता है। श्रमजीवी पत्रकारों को संगठित करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभायी। शहीदों की श्राद्ध पर उन्होंने अपने सम्पादकत्व में कई दर्जन ग्रन्थ और विशेषांक प्रकाशित किये थे। वे सन् 1945 में अखिल भारतीय हिन्दी पत्रकार सम्मेलन और सन् 1954 में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष रहे। पराधीन भारत के कलकत्ता में 'मॉडर्न रिव्यू' और 'विशाल भारत' के मालिक रामानन्द चटर्जी उनकी प्रतिभा और श्रमसाध्य एकाग्रता के कायल थे।

5.3.3.2. बनारसीदास चतुर्वेदी की पत्रकारिता

बनारसीदासजी का पत्रकारिता जीवन 'विशाल भारत' के सम्पादन से आरम्भ हुआ। पत्रकारिता की जीवन यात्रा भी उन्होंने 'विशाल भारत' और पाक्षिक पत्र 'मधुकर' के सम्पादक के रूप में 1 अक्टूबर 1940 में प्रारम्भ किया। वे गणेश शंकर 'विद्यार्थी' को अपना आदर्श मानते थे। वर्ष 1913 में इंदौर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन में उनको महात्मा गाँधी के सम्पर्क में आने का अवसर मिला। स्वतन्त्रता-संग्राम में अपनी प्रखर सहभागिता के कारण वे सी.एफ.एंड्रूज, श्री निवास शास्त्री आदि अग्रिम पंक्ति के स्वतन्त्र योद्धाओं के साहचर्य में पहुँचे। बुंदेलखंड की पत्रकारिता में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। वर्ष 1973 में वे पद्मभूषण से सम्मानित किये गए। सी.एफ.एंड्रूज के साथ रवीन्द्रनाथ टैगोर के शान्ति निकेतन पहुँचने के बाद गाँधीजी के कहने पर वह गुजरात विद्यापीठ के अध्यापक बनकर अहमदाबाद चले गये। उनके सम्पादन में शीर्ष साहित्यकारों के कई अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित हुए थे। वे अपनी डायरी भी लिखते थे। साहित्यकार और पत्रकार दोनों का अद्भुत समन्वय पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी के व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है।

पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी के लेखन में उनकी अध्यापकीय प्रवृत्ति विद्यमान रही। उनके साहित्य का प्रचार-प्रसार चतुर्वेदी युग में हुआ। दीनबन्धु एंड्रूज के साथ उन्होंने प्रवासी भारतीयों की सेवा बड़ी तल्लीनता और लगन से की। उनकी इस निष्ठा को देखकर गाँधीजी ने उन्हें अपने आश्रम में बुला लिया। आश्रम में भी उन्होंने प्रवासी भारतीयों के लिए बहुत काम किया। यहाँ उनका सम्पर्क विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, राजेन्द्र बाबू, नेहरूजी, गणेश शंकर 'विद्यार्थी', श्री निवास शास्त्री, रामानन्द चटर्जी और सी.वाई. चिन्तामणि आदि से हुआ। उन्होंने पत्रकारिता की दीक्षा भी गाँधीजी से प्राप्त की। आश्रम से ही चतुर्वेदीजी को दृष्टि की व्यापकता, जीवन के आदर्श और कर्त्तव्य, विचारों में परिपुष्टता आदि की शिक्षा प्राप्त हुई। इन्हीं गुणों के कारण वे प्रसिद्ध मानसिक पत्रिका 'मर्यादा' के 'प्रवासी अंक' विशेषांक (अप्रैल 1922) के सम्पादक हुए। 'मर्यादा' का यह अंक दिव्य और उत्कृष्ट सामग्री के साथ प्रकाशित हुआ था। वे इस विशेषांक के सम्पादक के साथ-ही-साथ लेखक भी थे। लेखक की हैसियत से उन्होंने 'न्यूजीलैंड प्रवासी भारतीय' लेख लिखा। उन्होंने तत्युगीन अनेक देशी-विदेशी विद्वानों से भी प्रवासी भारतीयों पर लेख लिखवाये। इस विशेषांक के प्रमुख लेखक हैं – अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, सी.वाई. चिन्तामणि, श्रीमती हैरिएटडनलपप्रेंटर (कनाडा), पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र', रामनारायण चतुर्वेदी, लक्ष्मण दत्त आदि। इस अंक में कई दुर्लभ चित्रों का भी प्रकाशन हुआ। इसी क्रम में वे सन् 1926 में प्रसिद्ध छायावाद युग साहित्यिक पत्रिका 'चाँद' के 'प्रवासी अंक' के सम्पादक बने। चाँद का यह विशेषांक प्रवासी भारतीयों के लिए अमूल्य निधि है। 'मॉडर्न रिव्यू' के सम्पादक बाबू रामानन्द चटर्जी चतुर्वेदीजी की इसी सम्पादकीय गरिमा से प्रभावित हुए। उस समय कलकत्ता में हिन्दी का ही बोलबाला था। प्रसिद्ध कवि, लेखक और पत्रकार सबके सब साहित्य की सेवा में लगे हुए थे। हिन्दी के प्रसिद्ध समाचार पत्रों की जन्मभूमि कलकत्ता ही है। जहाँ से समाचार पत्रों का उद्भव हुआ। रामानन्दजी ने अपने हिन्दी मासिक पत्र 'विशाल भारत' के लिए चतुर्वेदीजी को सम्पादक के रूप में बुलाया। उनके सम्पादकत्व में 'विशाल भारत' का प्रथम अंक जनवरी 1928 में निकला। इस पत्र के आवरण पृष्ठ पर प्रत्येक माह एक सुन्दर नेत्ररंजक रंगीन चित्र प्रकाशित होता था।

सत्यं शिवं सुन्दरम्।

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः।

इस पत्र के प्रकाशन के साथ ही चतुर्वेदीजी की प्रतिभा का बहुमुखी प्रचार-प्रसार होता है। इसके पूर्व उन्होंने प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, एंड्रूज, गाँधी, सम्पूर्णानन्द और रामरस सहगल के अधीन होकर कार्य किया था। 'विशाल भारत' में वे एक नियामक की तरह कार्य करते थे। पत्र के सम्पादक के रूप में वे पूर्ण स्वतन्त्र थे। उनके अनुसार पत्रकार की सबसे बड़ी सम्पत्ति उन्मुक्त कण्ठ ही है। पत्रकार की इसी गरिमा का निर्वहन करते हुए चतुर्वेदीजी ने विशाल भारत के मालिक रामानन्द चटर्जी के राजनैतिक विचारों की आलोचना 'विशाल भारत' में ही प्रकाशित की। उनकी इस धृष्टता पर आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने डाँटा और कहा कि "रामानन्द बाबू तो हमारे भी गुरु हैं। सम्पादकीय टिप्पणियाँ लिखना हमने उन्हीं से सीखा है। चौबेजी तुम्हें बहुत सोच समझकर और सावधानी से उनके बारे में लिखना चाहिए।" पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी ने 'विशाल भारत' को एक उच्च्य कोटि का साहित्यिक पत्र बना दिया था। उस समय साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी उनके अग्रज थे।

'विशाल भारत' में साहित्यिक पत्रकारिता के सभी प्रमुख कार्य निष्पक्ष समालोचना, मौलिक, साहित्य की वृद्धि अप्रामाणिक और मौलिकता रहित साहित्य का तिरस्कार, भाषा और साहित्य पर कड़ी नजर और राष्ट्रीय जीवन की विभिन्न समस्याओं का सम्पादन होता था। इसके अतिरिक्त साहित्य की विविध विधाओं, कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी, निबन्ध, शब्दचित्र, रेखाचित्र, समीक्षा, नाटक आदि का भी प्रकाशन होता था। पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी ने अपने दस वर्षों के सम्पादकीय नेतृत्व में 'विशाल भारत' के कई विशेषांक प्रकाशित किये जिनमें प्रमुख हैं – साहित्यांक, कहानी अंक, कला अंक, प्रवासी अंक, गाँधी अंक, दीनबन्धु एंड्रूज अंक, राष्ट्रीय अंक, यूरोप अंक, और पद्मसिंह शर्मा स्मारक अंक। 'साहित्यांक' का प्रकाशन मई 1931 में हुआ था। इस विशेषांक में कविता का प्रकाशन नगण्य था। गद्य की विधाओं में कहानी, निबन्ध और आलोचना की भरमार थी। इस विशेषांक के प्रमुख लेखक थे – अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, विष्णुदत्त शुक्ल, लक्ष्मीधर वाजपेयी, के.पी. दीक्षित, पद्मसिंह शर्मा, श्री राम शर्मा और हेमचन्द्र जोशी। 'कहानी अंक' का प्रकाशन वर्ष जनवरी 1933 है। इस अंक में हिन्दी को प्रथम श्रेणी के कहानी लेखकों की रोचक और कलापूर्ण उत्तम कहानियों के साथ-साथ उर्दू, मराठी, गुजराती और बांग्ला की एक-एक श्रेष्ठ कहानियाँ भी प्रकाशित हैं। पाश्चात्य संसार के विख्यात और बांग्ला भाषा की प्रतिष्ठित कहानी लेखक – चेखव, तुर्गनेव, विक्टरह्यूगों, ओ हेनरी और श्रीमती गेस्केल की सुन्दर कहानियाँ भी छपी है। 'कहानी कला' और संसार के कहानी साहित्य पर दो सुन्दर लेख भी हैं। यह विशेषांक कहानी साहित्य पर मौलिक लेखों और मौलिक कहानियों का अनुपम संग्रह हैं। इसी अंक में 'प्रेमचंदजी के पास दो दिन' नामक एक रोचक संस्मरण का भी प्रकाशन हुआ जिसके लेखक पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी थे। 'कला अंक' का प्रकाशन जनवरी 1931 में हुआ। यह विशेषांक हिन्दी साहित्य संसार के लिए एक नवीन वस्तु थी। कलाओं के विषय में जो लेखक थे, वे विद्वता से परिपूर्ण थे।

कृतियाँ –

श्रमजीवी पत्रकारों को संगठित करने में भी बनारसीदास चतुर्वेदी ने अग्रणी काम किया। रेखाचित्रों की रचना में वे सिद्धहस्त माने जाते थे। उनकी प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं – 'राष्ट्रभाषा' (1919), 'कविरत्न सत्यनारायणजी की जीवनी' (1906), 'संस्मरण' (1952), 'रेखाचित्र' (1952), 'फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष' (1918), 'प्रवासी भारतवासी' (1928), 'केशवचन्द्रसेन', 'फिजी में भारतीय', 'फिजी की समस्या', 'हमारे आराध्य', 'सेतुबन्ध', 'साहित्य और जीवन' आदि।

बनारसीदास चतुर्वेदी लगनशील पत्र-लेखक और पत्रों के संग्रहकर्त्ता भी थे। वे हर रोज दर्जनों पत्र लिखते थे। उनके पास विशिष्ट व्यक्तियों से पत्राचार का दुर्लभ संग्रह था जो अन्त में उन्होंने विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित करवा दिये। अपनी पत्रकारिता और लेखन के माध्यम से हिन्दी साहित्य की सेवा करने वाले इस महापुरुष का 2 मई 1985 ई॰ को निधन हुआ। किसी भी विषय को लेकर संकलन अथवा प्रकाशन के कार्य में जहाँ कहीं भी कठिनाई होती थी, वहाँ बनारसीदास चतुर्वेदी हमेशा एक सहायक के रूप में तैयार रहते थे। इसका उदाहरण स्वतन्त्रता-संग्राम के शहीदों की जीवनियों का प्रकाशन है। शहीदों के श्राद्ध पर उन्होंने ग्रन्थों तथा विशेषांकों के रूप में महत्त्वपूर्ण कार्य किया।

5.3.4. गणेश शंकर 'विद्यार्थी'

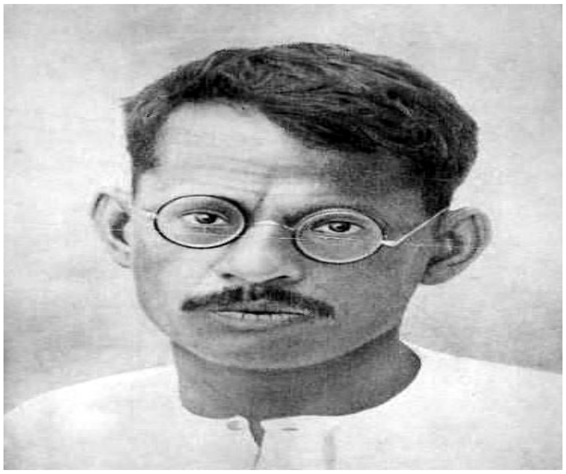

5.3.4.1. गणेश शंकर 'विद्यार्थी' का जीवन-परिचय

हिन्दी पत्रकारिता के शिखर पुरुष गणेश शंकर 'विद्यार्थी' जैसे व्यक्ति बहुत कम ही होते हैं, जो मन, वचन और कर्म से एक हो। वे एक समर्थ पत्रकार, शैलीकार, समर्पित राष्ट्र सेवक और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे। हिन्दी पत्रकारिता में वे एक आदर्श सम्पादक रहे हैं। श्री गणेश शंकर 'विद्यार्थी' का जन्म प्रयाग में हुआ था। उनकी शिक्षा-दीक्षा मुंगावली (ग्वालियर) में हुई। आर्थिक कठिनाइयों के कारण गणेश शंकर 'विद्यार्थी' ने अपनी पढ़ाई घर में रहकर पूरी की, साथ-ही-साथ उन्होंने उर्दू, फारसी, हिन्दी आदि भाषाओं का अध्ययन भी किया। स्वाध्याय

के बल पर उन्होंने साहित्य एवं साहित्यकारों के बीच अपनी जगह बना ली। आजीविका के लिए उन्होंने कानपुर के करेंसी दफ्तर में नौकरी भी की। इसके बाद आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदीजी ने उन्हें अपने साहित्यिक पत्र 'सरस्वती' के लिए बुला लिया लेकिन समकालीन राजनीति की पुकार पर वे 'अभ्युदय' पत्र से जुड़ गये। उन्होंने कुछ दिनों तक 'प्रभा' और 'प्रताप' का सम्पादन किया।

गणेश शंकर 'विद्यार्थी' एक निडर एवं निष्पक्ष समाज-सेवी और स्वतन्त्रता सेनानी थे जिन्होंने भारतीय स्वतन्त्रता के समय अपनी लेखनी को हथियार बनाकर आजादी की लड़ाई लड़ी। 'विद्यार्थी' ने अपने क्रान्तिकारी लेखन व धारदार पत्रकारिता से तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता को बेनकाब किया और इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। भारत के स्वतन्त्रता-आन्दोलन के इतिहास में उनका नाम अजर-अमर है। गणेश शंकर 'विद्यार्थी' एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने अपनी लेखनी की ताकत से भारत में अंग्रेज़ी शासन की नींद उड़ा दी। इस महान् स्वतन्त्रता सेनानी ने कलम और वाणी के साथ-साथ महात्मा गाँधी के अहिंसावादी विचारों और क्रान्तिकारियों को समान रूप से समर्थन और सहयोग दिया।

5.3.4.2. गणेश शंकर 'विद्यार्थी' की पत्रकारिता

गणेश शंकर 'विद्यार्थी' ने पत्रकारिता की शुरुआत उत्तरप्रदेश से की। हिन्दी पत्रकारिता में उनका तथा उनके 'प्रताप' का योगदान सदैव स्मरणीय और प्रेरणा का बिन्दु बना रहेगा। कानपुर से 'प्रताप' पहले साप्ताहिक रूप में निकला और बाद में दैनिक हुआ। सन् 1920 में एकादशी के दिन प्रताप का दैनिक संस्करण प्रकाशित हुआ चूँकि साप्ताहिक 'प्रताप' काफी लोकप्रिय पत्र था। इसलिए दैनिक पत्र भी काफी लोकप्रिय एवं प्रचलित हो गया। सरदार वीरपाल सिंह ने 'प्रताप' पर मानहानि का मुकदमा चलाया जिसके कारण दैनिक प्रताप साल भर भी नहीं चल सका। 'प्रताप' के प्रथम अंक में 'विद्यार्थी' ने पत्रकारिता का जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, उससे उनके उच्च आदर्शों एवं लक्ष्यों का परिचय मिल जाता है।

गणेश शंकर 'विद्यार्थी' ने पत्रकारिता का प्रशिक्षण आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी की 'सरस्वती' पत्रिका, श्री सुन्दरलाल के 'भविष्य' तथा मदनमोहन मालवीय के 'अभ्युदय' से प्राप्त किया था। उनका प्रथम लेख 'हितवार्ता' में बाबूराव विष्णु पराड़कर ने प्रकाशित किया था चूँकि 'विद्यार्थी' एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता भी थे इसलिए 'प्रताप' पत्र एवं प्रताप कार्यालय देश की आजादी पर मर-मिटने वाले नवयुवकों का प्रेरणा एवं प्रशिक्षण केन्द्र बन गया था। 'प्रताप' कार्यालय में ही युवक भगतसिंह को राष्ट्रीयता तथा क्रान्तिकारिता की प्रेरणा मिली थी। माखनलाल चतुर्वेदी, बाबूराव विष्णु पराड़कर आदि से गणेश शंकर 'विद्यार्थी' की घनिष्ठता रही।

हिन्दी पत्रकारिता के माध्यम से देश की नयी पीढ़ी को प्रेरणा देना तथा उनका मार्गदर्शन करना गणेश शंकर 'विद्यार्थी' का प्रमुख ध्येय था। पत्रों की स्वाधीनता तथा पत्रकारों के संगठन के प्रति भी काफी जागरूक थे। गोरखपुर साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए हिन्दी पत्रों की समस्याओं का निदान और निराकरण भी किया

था। स्वाधीनता-संग्राम के दिनों में जब सरकारी दमन चक्र चल रहा था। उस समय 'विद्यार्थी' की लेखनी निर्भीकता से अग्निवर्षा करती रही। 13 जनवरी 1829 में 'डायरशाही और ओडायर शाही' अग्रलेख ऐसा ही था।

गणेश शंकर 'विद्यार्थी' का मन पत्रकारिता और सामाजिक कार्यों में ज्यादा रमता था इसलिए अपने जीवन के आरम्भ में ही वे स्वाधीनता-आन्दोलन से जुड़े और 'कर्मयोगी' और 'स्वराज्य' जैसे क्रान्तिकारी पत्रों में लेख लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने 'विद्यार्थी' उपनाम अपनाया और इसी नाम से लिखने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने हिन्दी पत्रकारिता जगत् के अगुआ पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जिन्होंने 'विद्यार्थी' को सन् 1911 में साहित्यिक पत्रिका 'सरस्वती' में उप-सम्पादक के पद पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया परन्तु 'विद्यार्थी' की रुचि सम-सामियिकी और राजनीति में ज्यादा थी इसलिए वे हिन्दी साप्ताहिक 'अभ्युदय' में सहायक सम्पादक हुए। यहाँ सितम्बर 1913 ई. तक रहे। 9 नवंबर 1913 ई. में 'विद्यार्थी' कानपुर वापस लौट गये और एक क्रान्तिकारी पत्रकार और स्वाधीनता कर्मी के तौर पर अपनी सेवाएँ देना शुरू कर दिया। उन्होंने कानपुर से हिन्दी साप्ताहिक 'प्रताप' के नाम से निकाला। इसी समय से गणेश शंकर 'विद्यार्थी' का राजनैतिक, सामाजिक और प्रौढ़ साहित्यिक जीवन प्रारम्भ हुआ। उन्होंने क्रान्तिकारी पत्रिका 'प्रताप' की स्थापना की। 'विद्यार्थी' ने प्रताप के माध्यम से उत्पीड़न तथा अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलन्द की। उन्होंने पीड़ित किसानों, मिल मजदूरों और दबे-कुचले गरीबों के दुःखों को उजागर किया। अपने क्रान्तिकारी पत्रकारिता के कारण उन्हें बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने उन पर कई मुक़दमे किये, भारी जुर्माने लगाया और कई बार गिरफ्तार कर जेल भी भेजा लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सन् 1916 में महात्मा गाँधी से उनकी पहली मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को पूर्णतः स्वाधीनता-आन्दोलन में समर्पित कर दिया। सन् 1917-18 ई. में 'श्रीमती एनी बेसेंट के 'होमरूल' आन्दोलन में गणेश शंकर 'विद्यार्थी' ने बहुत लगन से काम किया और कानपुर के मजदूर वर्ग के एक छात्र नेता हो गये। कांग्रेस के विभिन्न आन्दोलनों में भाग लेने तथा अधिकारियों के अत्याचारों के विरुद्ध निर्भीक् होकर 'प्रताप' में लेख लिखने के सम्बन्ध में ये पाँच बार जेल गये और 'प्रताप' से कई बार जमानत माँगी गई।

स्वतन्त्रता-आन्दोलन में गणेश शंकर 'विद्यार्थी' की भूमिका अहम रही। उन्होंने कानपुर में कपड़ा मिल मजदूरों की पहली हड़ताल का नेतृत्व किया। अपने साप्ताहिक अख़बार 'प्रताप' के प्रकाशन के 7 वर्ष बाद 1920 ई. में 'विद्यार्थी' ने उसे दैनिक कर दिया और 'प्रभा' नाम की एक साहित्यिक तथा राजनैतिक मासिक पत्रिका भी अपने प्रेस से निकाली। 'प्रताप' किसानों और मजदूरों का हिमायती पत्र रहा। उसमें देशी राज्यों की प्रजा के कष्टों पर विशेष सतर्क रहते थे। 'चिट्ठी पत्री' स्तम्भ 'प्रताप' की निजी विशेषता थी। 'विद्यार्थी' स्वयं तो बड़े पत्रकार थे ही, उन्होंने कितने ही नवयुवकों को पत्रकार, लेखक और कवि बनने की प्रेरणा तथा ट्रेनिंग दी। वे 'प्रताप' में सुरुचि और भाषा की सरलता पर विशेष ध्यान देते थे, फलतः सरल, मुहावरेदार और लचीलापन लिए हुए चुस्त हिन्दी की एक नयी शैली का इन्होंने परिवर्तन किया। कई उपनामों से भी ये प्रताप तथा अन्य पत्रों में लेख लिखा करते थे।

सन् 1922 ई. में 'विद्यार्थी' जेल से रिहा हुए पर सरकार ने उन्हें भड़काऊ भाषण देने के आरोप में फिर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। सन् 1924 ई. में उन्हें रिहा कर दिया गया परन्तु उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था फिर भी वे जी-जान से कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन (1925 ई.) की तैयारी में जुट गए। गणेश शंकर 'विद्यार्थी' सदा पत्रकारिता के क्षेत्र में एक लौ की भाँति जलते रहे। उनका जीवन पत्रकारिता को पूर्णरूपेण समर्पित था। सन् 1925 में कांग्रेस के राज्य विधानसभा चुनावों में भाग लेने के फैसले के बाद 'विद्यार्थी' कानपुर से उत्तरप्रदेश विधानसभा के लिए चुने गये और सन् 1929 में त्यागपत्र दे दिया। जब कांग्रेस ने विधानसभाओं को छोड़ने का फैसला लिया। सन् 1929 में ही उन्हें उत्तरप्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया और उत्तरप्रदेश में सत्याग्रह आन्दोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी। तेजस्वी सम्पादक गणेशजी बड़े ही प्रभावशाली वक्ता थे। भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था। उर्दू की राह से चलकर हिन्दी में प्रवेश करने वाले गणेश शंकर 'विद्यार्थी' हिन्दी के विशिष्ट शैलीकार थे। उनके अग्रलेख और टिप्पणियाँ हिन्दी गद्य के उत्कृष्ट रूप हैं। उनकी भाषा पत्रकारिता की भाषा का प्रतिमान है।

'प्रताप' की प्रथम सम्पादकीय टिप्पणी में अपनी नीति और आदर्श उद्देश्य की विज्ञप्ति देते हुए गणेश शंकर 'विद्यार्थी' ने लिखा था – "समस्त मानव जाति का उद्देश्य ही हमारा परमोद्देश्य है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति का एक बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी साधन हम भारतवर्ष की उन्नति को समझते हैं।" 'विद्यार्थी' के अग्रलेखों ने बेबाक टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीं और भारतीय विश्वास और संस्कृति के नाम पर चलने वाले ज्वलन्त प्रश्नों पर शुद्ध भारतीय दृष्टि से विचार किया। भविष्यद्रष्टा मनीषी की तरह सन् 1930 ई. में भावी पत्रकारिता के प्रति गणेश शंकर

'विद्यार्थी' ने आशंका प्रकट की – "व्यक्तित्व को भुलाने की चाह न रहेगी, रह जाएगी केवल खींची हुई लकीर पर चलना।" 17 नवंबर 1924 के 'प्रताप' के सम्पादकीय पृष्ठ पर टिप्पणी छपी है जिसमें 1 सितम्बर 1924 के अंक की त्रुटि के प्रति खेद प्रकट किया गया है। छोटे-से-छोटे और बारीक-से-बारीक उप तथ्यों पर 'प्रताप' सम्पादक की नजर रहती थी जो जातीय चेतना-चरित्र और संस्कृति को प्रभावित वाले होते थे। 'विद्यार्थी' की नजर उस समय महात्मा गाँधी की तरह पूरे जातीय परिदृश्य पर केन्द्रित थी। किसानों, युवकों, स्त्रियों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की मूलभूत समस्या और साम्प्रदायिक समस्या की चिन्ता उनके चिन्तन और लेखन के शीर्ष बिन्दु थे किन्तु 'प्रताप' में साहित्य, धर्म, पत्रकारिता इत्यादि महत्त्वपूर्ण विषयों को संस्कृति से जुड़े ज्वलन्त सवालों को वे अधिक महत्त्व देते थे। शिक्षा के प्रश्न पर गणेश शंकर 'विद्यार्थी' ने विभिन्न दृष्टिकोणों से गम्भीर विचार किया था। शिक्षा-जगत् के प्रति उनकी दृष्टि बराबर सजग रहती थी।

8 जुलाई 1928 के 'प्रताप' के अग्रलेख का शीर्षक है – 'स्कूलों और कॉलेजों में दुराचार।' शिक्षा-संस्थानों की प्रदूषित अफवाह पर बेबाक टिप्पणी करते हुए उन्होंने अधिकारियों, अभिभावकों और चरित्रहीन अध्यापकों को प्रखर भाषा में आगाह किया था। इस प्रकार वे नारी जाति के उद्धार के लिए निरन्तर चिन्तित रहने वाले अपने समय के लोकनायक थे। 15 अगस्त 1928 के 'प्रताप' के 'किसान-मजदूर और कांग्रेस' शीर्षक अग्रलेख द्वारा गणेश शंकर 'विद्यार्थी' ने राजनेताओं को आगाह किया था कि किसान और मजदूरों का युग आ गया है। राजनीति से अब काम नहीं चलेगा। 'विद्यार्थी' की पत्रकारिता निम्नलिखित आदर्शों को लेकर चली और उसी का पालन किया –

i. व्यापक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण।
ii. सत्य, तथ्य युक्त तथा संवेदना को ध्यान में रखकर कार्य करना।
iii. साम्प्रदायिक सौहार्द और धार्मिक निरपेक्षता को दृष्टि में रखना।
iv. पत्रकारिता को व्यवसाय से मुक्त रखना।
v. आदर्श तथा मूल्यों की स्थापना करना।
vi. व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना।
vii. व्यापक दृष्टिकोण में संविधान के अधिकारों और व्यक्ति के अधिकारों की विवेचना।
viii. विचार प्रदान करना।
ix. लोक-संस्कृति को ध्यान में रखना।
x. भाषा में परिष्कार एवं परिमार्जन करना।

गणेश शंकर 'विद्यार्थी' ने सामाजिक समरसता की पक्षधरता तथा नैतिक मूल्यों के विकास के लिए आजीवन संघर्ष किया। वे पत्रकारिता को देश सेवा का सर्वोत्तम साधन मानते थे और इसलिए उन्हें 'प्रताप' के माध्यम से देश के ऐतिहासिक पृष्ठों में सदा के लिए अंकित किया गया है। उनकी मृत्यु मार्च 1931 में कानपुर में भयंकर हिन्दू-मुस्लिम दंगों में पीड़ितों को बचाने के दौरान हुई।

5.3.5. प्रभाष जोशी

5.3.5.1. प्रभाष जोशी का जीवन-परिचय

प्रभाष जोशी का जन्म 15 जुलाई 1936 को मध्यप्रदेश के इंदौर शहर के निकट स्थित बड़वाहा में हुआ था। प्रभाष जोशी एक ऐसी अद्भुत लौ थे जिसने पत्रकारिता जगत् को न सिर्फ प्रकाशवान् किया अपितु एक नयी दिशा प्रदान की। पारदर्शिता और मानवीय मूल्यों के समर्थक रहे। जोशीजी ने अपने कैरियर की शुरुआत 'नई दुनिया' से की। उन्होंने गाँधीजी को अपना पथ-प्रदर्शक माना और उनके विचारों को अपने सादगी भरे जीवन में अपनाया। प्रभाषजी एक सच्चे और ईमानदार पत्रकार थे। वे हिन्दी समाचार पत्र जनसत्ता के सम्पादक थे। उन्होंने पत्रकारिता को एक नया रूप दिया। पत्रकारिता के व्यवहार एवं नैतिक सवाल उठाने से उन्हें कभी परहेज नहीं रहा। भारतीय पत्रकारिता में वे सदैव नैतिक मूल्यों के समर्थक रहे। आज की भारतीय पत्रकारिता प्रभाषजी द्वारा बताए आदर्शों, मूल्यों एवं सामाजिक सरोकारों के मार्ग का अनुसरण करने की कोशिशकरती है।

5.3.5.2. प्रभाष जोशी की पत्रकारिता

स्वाधीन भारत में जिन पत्रकारों ने विशिष्ट पहचान बनाई उनमें से प्रभाष जोशी भी एक हैं। उन्होंने विनोबा के साथ रहकर भूदान आन्दोलन के समय ख़बरों को एकत्रित किया। हिन्दी मीडिया में मध्यप्रदेश के 'पत्रकार त्रयी' (राजेन्द्र माथुर, प्रभाष जोशी, शरद जोशी) के सम्बोधन से विख्यात तीन शीर्ष स्तम्भों में से एक थे। उन्होंने इंदौर से प्रकाशित 'नई दुनिया' से पत्रकारिता की यात्रा प्रारम्भ की थी। प्रभाषजी गाँधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। दिल्ली में वर्ष 1974-75 में उन्होंने एक्सप्रेस समूह के हिन्दी साप्ताहिक 'प्रजानीति' का सम्पादन किया। आपातकाल में साप्ताहिक पत्र के बन्द होने के बाद इसी समूह की पत्रिका 'आसपास' उनके सम्पादकीय नेतृत्व में प्रकाशित होने लगी। बाद में वे इंडियन एक्सप्रेस के अहमदाबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में स्थानीय सम्पादक रहे। वर्ष 1983 में प्रभाष जोशी एक्सप्रेस समूह द्वारा दैनिक 'जनसत्ता' के सम्पादक बने। देशज संस्कारों और सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पित प्रभाष जोशी सर्वोदय और गाँधी वादी विचारधारा में रचे बसे थे। सन् 983 में एक्सप्रेस समूह का हिन्दी दैनिक की शुरुआत करने वाले प्रभाष जोशी ने हिन्दी पत्रकारिता को एक नयी दिशा प्रदान किया। उन्होंने सरोकारों के साथ ही शब्दों को भी आम जन की संवेदनाओं और सूचनाओं का संवाद बनाया। प्रभाषजी अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को प्रभावित किया।

प्रभाषजी एक कुशल सम्पादक के अलावा बड़े ही सजग नागरिक भी थे और प्रभाषजी का समस्याओं के प्रति हमेशा से सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है वे हर समस्या के लिए उचित समाधान की राह खोजने की कोशिश करते थे। प्रभाषजी की पत्रकारिता पर दो घटनाओं का खास असर देखने को मिला। पहली घटना आपातकाल की घोषणा और दूसरी बाबरी मस्जिद का गिरना। पहली घटना ने लोकतन्त्र को कमजोर करने का काम किया तो दूसरी ने समाज को बाँटने की। इन दो प्रवृत्तियों के खिलाफ प्रभाषजी अपनी कलम को ही तलवार बनाकर लोगों को जागरूक करने की अन्त तक कोशिश करते रहे।

सन् 1995 में प्रभाष जोशी 'जनसत्ता' के प्रधान सम्पादक पद से निवृत्त होने के बाद वे कुछ वर्षों तक प्रधान सलाहकार सम्पादक के पद पर बने रहे। प्रभाष जोशी ने 'जनसत्ता' को आम आदमी का अख़बार बनाया। उन्होंने उस भाषा में लिखना और लिखवाना शुरू किया जो आम आदमी तक पहुँच सके। उन्होंने हिन्दी पत्रकारिता में ऐसा मन्त्र फूँका कि देखते ही देखते 'जनसत्ता' आम आदमी की भाषा में बोलने वाला अख़बार हो गया। जनसत्ता से लोग काफी प्रभावित हुए। उन्हें हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास में योगदान के लिए साल 2007-08 का शलाका सम्मान भी प्रदान किया गया था।

प्रभाष जोशी एक निर्भीक् और स्पष्टवादी पत्रकार थे। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से आम जनता की आवाज को उठाकर समूचे देश की जनता से अपना सरोकार स्थापित किया। उन्होंने समाज साहित्य और राजनीति पर गहरी पकड़ होने के कारण वे अपने सम्पादकीय में समाज का आलोचनात्मक व विश्लेषणात्मक रूप प्रस्तुत करते थे। उन्होंने कुरीतियों तथा कर्मकाण्डों का हमेशा से विरोध किया और समाज के समक्ष एक वैज्ञानिक मूल प्रस्तुत किया। प्रभाष जोशी की लेखनी में राजनीति, धर्म, खेल, समाज, खोजी पत्रकारिता, सिनेमा, ग्राम्य जीवन, अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अपराध ऐसे तमाम विषय देखने को मिलते थे। वे बिल्कुल सरल, सहज और सुबोध भाषा शैली का प्रयोग करते थे। उन्होंने पत्रकारिता को नया आयाम दिया। उन्होंने धर्म, जाति, राजनीति और साम्प्रदायिकता पर अपनी लेखनी चलाकर इन सबसे ऊपर उठने का सन्देश दिया। इन्हीं सब कारणों से उन्हें शलाका पुरुष कहा जाता है। प्रभाष जोशी ने हिन्दी पत्रकारिता के माध्यम से मिसाल पेश किया। 'जनसत्ता' को एक स्तरीय अख़बार बनाने में प्रभाषजी बहुत बड़ी भूमिका रही है। प्रभाषजी ने 58 साल तक सम्पादकीय पृष्ठ पर कार्य किया। उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से विभिन्न मुद्दों को उठाया।

प्रभाषजी गाँव, शहर, जंगल की खाक छानते हुए सामाजिक विषमताओं का अध्ययन करके समाज को ख़बर देते थे। समस्या को दूर करने का हर सम्भव प्रयास भी उनकी बेमिसाल पत्रकारिता का ही एक हिस्सा था। अपनी धारदार लेखनी और बेबाक टिप्पणियों के लिए मशहूर प्रभाष जोशी अपने क्रिकेट प्रेम के लिए भी चर्चित थे। आजादी के बाद के बड़े हिन्दी पत्रकारों में अज्ञेय, धर्मवीर भारती, राजेन्द्र माथुर, राहुल बारपुते, मनोहर श्याम जोशी, कलमेश्वर, रघुवीर सहाय, सुरेन्द्र प्रताप, और प्रभाष जोशी के नाम सामने आते हैं। हालाँकि अज्ञेय के प्रिंट मीडिया में आने से पहले रेडियो में कार्य कर चुके थे लेकिन 'दिनमान' की परिकल्पना करके उन्होंने हिन्दी पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में जो काम 'दिनमान' और 'रविवार' ने किया वही काम अख़बारों की दुनिया में प्रभाष जोशी ने 'जनसत्ता' के माध्यम से किया।

प्रभाषजी के सम्पादकीय विचार अलग होने पर भी वे समाचार को निष्पक्ष रूप से देते थे जिससे बहुत कम समय में ही जनसत्ता की ख्याति बढ़ गयी। धीरे-धीरे प्रभाष जोशी और जनसत्ता एक-दूसरे के पर्याय बन गये। कबीर, क्रिकेट और कुमार गंधर्व के शास्त्रीय गायन के प्रेमी होने के कारण वे इन पर खूब लिखते थे। एक दिवसीय को 'फटाफट क्रिकेट' और 20 ओवर वाले मैच को उन्होंने 'बीसम बीस' की उपमा दी। जन समस्याओं को वे गोष्ठियों से लेकर सड़क तक उठाते थे। उन्होंने आपातकाल का तीव्र विरोध किया। राजीव गाँधी के भ्रष्टाचार के विरोध में वी.पी. सिंह के बोफोर्स आन्दोलन फिर राम मन्दिर आन्दोलन का उन्होंने साथ दिया। चुटीले एवं मार्मिक शीर्षक के कारण उनके लेख सदा पठनीय होते थे। जनसत्ता में हर रविवार को छपने वाला 'कागद कोरे' उनका लोकप्रिय स्तम्भ था। वे हँसी में स्वयं को 'ढिंढोरची' कहते थे जो सब तक ख़बर पहुँचाता है। राम मन्दिर आन्दोलन में एक समय वे विश्व हिन्दू परिषद् और सरकार के बीच कड़ी बन गये थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में कई अख़बारों ने प्रत्याशियों से पैसे लेकर विज्ञापन के रूप में समाचार छापे। इसके विरुद्ध उग्र लेख लिखकर उन्होंने पत्रकारों और जनता को जाग्रत् किया।

पत्रकार अपने समय की आँख होता है। बदलते हुए परिदृश्य पर सबकी नजर जाती है लेकिन पत्रकार अपने हस्ताक्षर वहाँ करता है जहाँ उसके समय का मर्म होता है, इस मायने में प्रभाष जोशी ने अपने पढ़ने वालों या सुनने वालों को कभी निराश नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने वक्त के सबसे मार्मिक बिन्दुओं को चुना और उन पर अपनी निर्भीक् और विवेकपूर्ण कलम चलाई। अपने अन्तिम बीस वर्षों में उनके दो केन्द्रीय सरोकार थे – 'साम्प्रदायिकता' और 'बाज़ारवादी अर्थव्यवस्था'। इन दोनों ही धाराओं में वे महाविनाश की छाया देख रहे थे। साम्प्रदायिकता से उन्होंने अकेले जितने उत्साह और निरन्तरता के साथ बहुमुखी संघर्ष किया, उसका ऐतिहासिक महत्त्व है। प्रभाष जोशी भारतीय लोकतन्त्र के ऊषाकाल की सन्तान थे। उनकी ऊष्मा उनके व्यक्तित्व को निरन्तर सक्रिय रखती थी और जीवन के प्रति उत्साह को क्षरित होने से रोकती थी। मालवा से लेकर दिल्ली तक की अपनी यात्रा में पूँजी से लेकर राजनीति तक उनका सबसे ज्यादा अनुभव रहा है। प्रभाषजी का स्वर एक पत्रकार और सम्पादक के पेशेवर स्तर से ऊपर उठकर धीरे-धीरे सार्वजनिक बुद्धिजीवी की वाणी में बदल गया।

'प्रभाष पर्व' पुस्तक के सम्पादकीय में सुरेश शर्मा ने प्रभाषजी की ज़िंदगी के अन्तिम दिनों पर विस्तार से लिखा है। सुरेश शर्मा के इस लेख से आम पाठकों के मन पर प्रभाषजी के व्यक्तित्व की तस्वीर और साफ होती है। बीमारी में भी समाज और पत्रकारिता के अपने पेशे के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए प्रभाषजी ने अपनी जान को भी दाँव पर लगा दिया। तबीयत ख़राब होने के बावजूद उन्होंने हिन्द स्वराज पर आयोजित गोष्ठी में हिस्सा लिया और अपनी बात श्रोताओं के साथ साझा की। इस किताब में कई ऐसे लेख हैं जो वर्तमान परिस्थितियों में भी प्रासंगिक हैं।

क्रिकेट से प्रभाष जोशी को बेहद लगाव था। इतना लगाव कि वो कोई मैच बिना देखे नहीं छोड़ते थे और मैच के एक-एक बॉल की बारीकी पर लिखते भी थे। सचिन के तो वे जबरदस्त फैन थे। उस दिन मैच हार की तरफ बढ़ती भारतीय टीम को देखकर उन्हें बेचैनी हो रही थी। सचिन के शतक बनाने पर वो बहुत खुश हुए थे लेकिन उनके आउट होने पर खुशी मिश्रित दुख भी उनके चेहरे पर आया। सचिन की जानदार पारी के बाद भी

भारतीय टीम मैच हार की तरफ बढ़ने लगी। मैच देखते समय प्रभाष जोशी को दिल का दौरा पड़ गया। जिस क्रिकेट को वे बेहद प्यार करते थे, उसी क्रिकेट के दौरान उनकी जान चली गई।

प्रभाष जोशी के निधन के साथ पत्रकारिता की वह पीढ़ी ख़त्म हो गई जिस पर पत्रकारिता को नाज़ था। राजेन्द्र माथुर के बाद प्रभाष जोशी ही थे जिन्हें शिखर पुरुष कहा जाता था। जोशीजी ने कई असम्भव चीज़ों को सम्भव बनाया। भारतीय पत्रकारिता में हिन्दी को उन्होंने जो सम्मान दिलाया वह अद्वितीय है। इसके लिए उन्होंने बड़ी तपस्या की। विनोबा के साथ काम कर चुके प्रभाष जोशी में संतुलन जबरदस्त था। कई बार वह अपना गुस्सा भी बहुत धीमे से व्यक्त करते थे और कई बार संकेतों में, लेकिन उनकी बात हर बार असर कर जाती थी। प्रभाष जोशी पत्रकारिता क्षेत्र के बादशाह थे। इन्हें हिन्दी पत्रकारिता का कबीर भी कहा जाता है।

5.3.6. पाठ-सार

हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास सम्पादकों तथा पत्रकारों के त्याग एवं कर्त्तव्यनिष्ठा का इतिहास रहा है, स्वतन्त्रता-आन्दोलन हो या समाज-सुधार, राष्ट्रनीति के निर्माण का प्रश्न हो या राष्ट्रभाषा के विकास की गति अत्यन्त तीव्र न होते हुए भी निराशाजनक नहीं रही। आजादी के समय हिन्दी पत्रकारिता की स्थिति पर नज़र डालने के बाद हिन्दी की महत्ता को बखूबी समझा जा सकता है। पत्रकारिता की सदैव से समाज में प्रमुख भूमिका रही है। स्वाधीनता-आन्दोलन के दौरान पत्र-पत्रिकाओं में विद्यमान क्रान्ति की ज्वाला क्रान्तिकारियों से कम प्रखर नहीं थी। इनमें प्रकाशित रचनाएँ जहाँ स्वतन्त्रता-आन्दोलन को एक मजबूत आधार प्रदान करती थीं। वहीं लोगों में बखूबी जनजागरण का कार्य भी करती थीं। माखनलाल चतुर्वेदी, गणेशशंकर 'विद्यार्थी', बनारसीदास चतुर्वेदी और प्रभाष जोशी जैसे पत्रकारिता के शीर्ष स्तम्भों और निर्भीक् पत्रकारों ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से समाज को भ्रष्टाचार-मुक्त कराने का प्रयास किया। जहाँ प्रताप, सुबोध बन्धु, प्रभा, कर्मवीर, मधुकर, सरस्वती, अभ्युदय आदि अख़बारों ने स्वाधीनता-आन्दोलन में प्रमुख भूमिका निभायी वहीं जनसत्ता ने जनता के मुद्दों और मसलों को अपना महत्त्व दिया।

5.3.7. बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. माखनलाल चतुर्वेदी निम्नलिखित में से किसके सम्पादक थे –
   (क) प्रभा
   (ख) सेतुबन्ध
   (ग) साहित्य और जीवन
   (घ) उपर्युक्त में से कोई नहीं

सही उत्तर (क) प्रभा

2. पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी किस सन् में श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष बने ?
   (क) 1913
   (ख) 1930
   (ग) 1945
   (घ) 1954

सही उत्तर (घ) 1954

3. गणेश शंकर 'विद्यार्थी' का जन्म किस स्थान पर हुआ ?
   (क) ग्वालियर
   (ख) बनारस
   (ग) फिरोजाबाद
   (घ) प्रयाग

सही उत्तर (घ) प्रयाग

4. 'प्रताप' नामक अख़बार किस सन् में निकला ?
   (क) 1920
   (ख) 1921
   (ग) 1925
   (घ) 1930

सही उत्तर (ख) 1921

5. प्रभाष जोशी जनसत्ता के सम्पादक कब बने ?
   (क) 1985
   (ख) 1987
   (ग) 1983
   (घ) 1980

सही उत्तर (ग) 1983

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. माखनलाल चतुर्वेदी की भाषा-शैली पर प्रकाश डालिए।
2. पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित किन्हीं दो हिन्दीभाषी पत्रिकाओं का परिचय दीजिये।

3. गणेश शंकर 'विद्यार्थी' के पत्रों पर टिप्पणी लिखिए।
4. प्रभाष जोशी की खेल पत्रकारिता के बारे में वर्णन कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रकारीय दृष्टि पर विस्तार से प्रकाश डालिए।
2. पण्डित बनारसीदास चतुर्वेदी का पत्रकारिता में क्या योगदान रहा है ? विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए।
3. गणेश शंकर 'विद्यार्थी' के सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में योगदान पर प्रकाश डालिए।
4. प्रभाष जोशी की सम्पादकीय दृष्टि पर प्रकाश डालिए।

5.3.8. उपयोगी ग्रन्थ-सूची

01. तिवारी, डॉ॰अर्जुन, द्विवेदी, पण्डित दशरथप्रसाद (1998) स्वतन्त्रता-संग्राम की पत्रकारिता. वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन
02. कुमार, केवल जे. (2014). मास कम्युनिकेशन इन इंडिया. मुंबई : जाइको पब्लिकेशन
03. हरि मोहन, (2008). आधुनिक जनसंचार औरहिन्दी. नयी दिल्ली : तक्षशिला प्रकाशन
04. सिंह, बच्चन. (2003). हिन्दी पत्रकारिता का नया स्वरूप. वाराणसी : विश्वविद्यालय प्रकाशन
05. तिवारी, डॉ॰ अर्जुन. (1997). हिन्दी पत्रकारिता का बृहत् इतिहास. नयी दिल्ली : वाणी प्रकाशन
06. नटराजन्, जे. (2002). भारतीय पत्रकारिता का इतिहास. नयी दिल्ली : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
07. जोशी, डॉ॰ सच्चिदानन्द. (2015). माखनलाल चतुर्वेदी हिन्दी के अनन्य सेवक. भोपाल (म.प्र.). माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय एवं संचार विश्वविद्यालय
08. शर्मा, सुरेश. (2011) प्रभाष पर्व, नयी दिल्ली : राजकमल प्रकाशन
09. डॉ॰ श्रीकान्त. (जून 2014, मार्च 2012). मीडिया विमर्श. रायपुर : युगबोध डिजिटल प्रिंट्स
10. स्वदेश, अंक 10 अप्रैल 1921 का अग्रलेख

उपयोगी इंटरनेट स्रोत :

1. https://hi.wikipedia.org/wiki
2. http://epgp.inflibnet.ac.in/ahl.php?csrno=18
3. http://www.hindisamay.com/
4. http://hindinest.com/
5. http://www.dli.ernet.in/

❖❖❖